त्रयोदश माला, खंड 23, अंक 11

शुक्रवार, 15 मार्च, 2002
24 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 23 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2002/1923 (शक)]

अंक 11, शुक्रवार, 15 मार्च, 2002/24 फाल्गुन, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 183	6–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या (184 से 200)	31–65
अतारांकित प्रश्न संख्या (1926 से 2124)	65–410
सभा पटल पर रखे गए पत्र	411–424
राज्य सभा से संदेश	425–426
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
लखनऊ में सेना भर्ती रैली स्थल पर हुई दुर्घटना	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	426–427
कार्य मंत्रणा समिति	
तैंतीसवां प्रतिवेदन	427
कार्य मंत्रणा समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	428
नियम 377 के अधीन मामले	428–436
(एक) बांसपानी और टाटानगर के बीच यात्री रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त नायक	428
(दो) रांची छावनी क्षेत्र के जिन लोगों की जमीन रक्षा प्राधिकारियों द्वारा अधिग्रहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	429
(तीन) छत्तीसगढ़ में सरकारी एजेंसियों द्वारा धान की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	429
(चार) महाराष्ट्र में जलगांव रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन घोषित किए जाने और वहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई.जी. महाजन	430
(पांच) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कृभको उर्वरक इकाई को पुन: खोले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
योगी आदित्यनाथ	430
(छह) उड़ीसा में अंगुल रेलवे स्टेशन पर अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी. सिंह देव	431
(सात) इंडियन ऑयल कम्पनी, दीमापुर, नागालैंड में आंचलिक प्रबंधक (बिक्री) का पद सृजित किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.ए. सांगतम	431
(आठ) तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा क्षेत्र में जिन किसानों की फसल अत्यधिक वर्षा से खराब हो गई है, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री मणि शंकर अय्यर	432

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(नौ) देश में प्रत्येक गांव के विद्युतीकरण के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	432
(दस) महाराष्ट्र में नांदेड़ से विमानसेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री शिवाजी माने	433
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में "नि:शुल्क बोरवेल योजना" के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सजीवन	434
(बारह) तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तिरूवेल्लूर रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए. कृष्णास्वामी	434
(तेरह) तमिलनाडु में चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों के हितों के संरक्षण की आवश्यकता	
डा. सी. कृष्णन	435
(चौदह) पश्चिम बंगाल में पुरुलिया "पम्पेड स्टोरेज प्रोजेक्ट" के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम समिति के गठन को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री बीर सिंह महतो	435
(पन्द्रह) प्याज के निर्यात से रोक हटाए जाने की आवश्यकता	
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	436
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	436–634
डा. विजय कुमार मल्होत्रा	436
श्री अनंत गंगाराम गीते	464
श्रीमती सोनिया गांधी	474
श्री महेश्वर सिंह	524
श्री सोमनाथ चटर्जी	532
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	545
श्री पी.एच. पांडियन	551
श्री ए.के.एस. विजयन	558
श्री पवन कुमार बंसल	560
श्री अनादि साहू	566
कुंवर अखिलेश सिंह	574
श्री रघुनाथ झा	582
श्रीमती कान्ति सिंह	586
श्री कैलाश मेघवाल	590
श्री ई. अहमद	597
श्री भर्तृहरि महताब	603
श्री रनेन बर्मन	610
डा. नीतिश सेनगुप्ता	611
श्री के.पी. सिंह देव	618
श्री बिक्रम केशरी देव	625
श्री अजय चक्रवर्ती	630
सदस्यों की गिरफ्तारी	629

लोक सभा

शुक्रवार, 15 मार्च, 2002/24 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न काल शुरू करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव है। प्रधान मंत्री जी का कल जो वक्तव्य हुआ, उस पर अभी चर्चा कराई जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' के दौरान आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे जीरो आवर में उठाइए। क्वश्चन आवर के बाद आपको चांस मिलेगा। क्वश्चन आवर में बाधा नहीं डालें। मैं क्वश्चन आवर के बाद आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कहा कि मैं आपकी बात क्वश्चन आवर के बाद सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारी बात सुनी जाए। हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव है। प्रधान मंत्री जी के बयान पर कल स्पष्टीकरण मांगा जाना था। जो हालात हैं, वे आपको मालूम हैं। इससे महत्वपूर्ण सवाल कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इस सवाल पर अविलम्ब चर्चा करायी जाए। यह एक गम्भीर मामला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर 193 का नोटिस मिला है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग चार बजे है। उसमें तय होगा कि इसके लिए कौन सा दिन और समय ठीक रहेगा? आप अभी इस मामले को न उठाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह, जब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में व्यवधान डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको टोक रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमें प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आप हमेशा हंसते रहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसी स्थिति में शान्त कैसे रहूंगा?

श्री मुलायम सिंह यादव: आप गुस्सा होंगे तो सब गुस्सा हो जाएंगे। इसका असर पड़ता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सब रोज क्वश्चन आवर के 15 मिनट ऐसे ही खराब कर देते हैं। क्वश्चन आवर खत्म होने के बाद आप इस पर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: यह नियमावली हम जानते हैं लेकिन जानते हुए मजबूरी है। देश के हालात ऐसे हैं जिसके कारण प्रधान मंत्री जी के बयान पर चर्चा होनी चाहिए। हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव हैं। हम चाहते हैं कि सारी कार्यवाही रोक कर प्रधान मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव है। देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, हमारा आग्रह है कि प्रधान मंत्री जी का कल जो बयान सदन में हुआ, उस पर चर्चा करायी जाए। इससे अधिक गम्भीर सवाल कोई नहीं है। ......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, हम हिन्दुस्तान में रहते हैं या कहीं और रहते हैं?...*(व्यवधान)* भगवान राम का जहां जन्म हुआ, वहां पूजा करने से रोका जा रहा है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ में 23 नौजवान मारे गए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने एडजर्नमैंट मोशन दिया। अभी लीडर्स की मीटिंग में हमने इस बारे में तय किया है। प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर चर्चा कराने के लिए रूल 193 का नोटिस मिला है। आज चार बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हम तय करेंगे कि कब उस पर चर्चा होगी?

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, इस पर अभी चर्चा हो जाये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न काल शुरू करते हैं। प्र. सं. 181, डा. सुशील कुमार इन्दौरा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. इन्दौरा, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या नहीं? कृपया अब अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. इन्दौरा, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. सुशील कुमार इन्दौरा की कही गई बात को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अब व्यवधान उत्पन्न न करें। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि प्रश्न काल में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

आप हर रोज क्वश्चन आवर का 15 मिनट वेस्ट कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे प्रश्न काल में बाधा न डालें।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: डा. इन्दौरा के प्रश्न के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अब सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें। प्रश्न काल को ठीक प्रकार से चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कुछ कह रहा हूं। कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए, मैं अपनी बात कह रहा हूं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: रोज ये सभा के 15 मिनट बर्बाद करते हैं और इसकी भी कोई सीमा है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः डा. इन्दौरा, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। डा. इन्दौरा के प्रश्न को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मुलायम सिंह जी, मैंने आपको बयान के बारे में बताया कि इस वक्तव्य के लिये नोटिस मिला हुआ है और आप लोग डिसाइड कर लीजिये। यह मेरा हाउस नहीं है। लीडर्स मीटिंग में आप भी मैम्बर थे। मैंने कहा था कि प्रस्ताव के बारे में नोटिस मिला हुआ है और वहां तय कर लिया है कि हम लोग 4 बजे बैठकर इसका टाइम कब फिक्स करना है, विचार कर लेंगे। हम कौन हैं तय करने वाले?

श्री मुलायम सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, आप कभी तो स्वीकार कर लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदयः कौन-सा?

श्री मुलायम सिंह यादवः उपाध्यक्ष जी, आप यह प्रस्ताव स्वीकर कर लीजिये और एक इतिहास बनाइये। आप यह एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार कर लीजिये। आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हमें आपसे उम्मीद है कि आप एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार करें। आप सारी की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराइये। यह ऐसा गम्भीर मामला है। यदि प्रधान मंत्री गलत बयानी कर देते हैं तो देश के अंदर क्या संदेश जायेगा? हम सवाल पूछ नहीं सकते लेकिन 12 तारीख को प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः डा. इन्दौरा के प्रश्न को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। डा. इन्दौरा, आप अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः श्री मुलायम सिंह यादव, मैं स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः श्री मुलायम सिंह यादव, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः रोज क्वैश्चन आवर में 15-20 मिनट ऐसे ही वेस्ट करते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः मैं पहले ही कह चुका हूं कि नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं। दलों के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हम अपराह्न 4.00 बजे कार्य मंत्रणा समिति में मिलेंगे और चर्चा के लिए समय निर्धारित करेंगे। अब मैं स्थगन प्रस्ताव के लिए आपका अनुरोध स्वीकार नहीं करना चाहता। अब प्रश्न काल जारी रखते हैं।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः श्री इन्दौरा की बात को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.12 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

हथकरघा उद्योग में नई प्रौद्योगिकी का अपनाया जाना

***181. ⁺डा. सुशील कुमार इन्दौराः**
श्री नवल किशोर रायः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या सरकार ने हथकरघा उद्योगों में वर्तमान उत्पादन प्रौद्योगिकी में सुधार करके उत्पादन में वृद्धि करने और इनके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो विकसित की गई नई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ग) हथकरघा उद्योगों में इस नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सरकार ने कौन-कौन से वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन घोषित किए हैं;

(घ) क्या इस नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत में कमी आने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) हथकरघा क्षेत्र के विकास का उद्देश्य हथकरघा कपड़ों की गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादन की वृद्धि को देखते हुए विद्यमान करघों का आधुनिकीकरण/परिवर्तन/कामचलाऊ प्रबंध आदि, सहित को देखते हुए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करना है।

(ख) विद्यमान करघों के आधुनिकीकरण/परिवर्तन/कामचलाऊ प्रबंध तथा कल-पुर्जों, बुनाई तकनीक तथा अभ्यास, उत्पाद विविधता, डिजाइन विकास तथा क्षमता उन्नयन द्वारा हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किये गए हैं।

(ग) हथकरघा उद्योग के विकास के कार्यान्वयन के अंतर्गत तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए वर्तमान विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के घटकों का उद्देश्य आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिक उन्नयन है:-

(1) दिनांक 1.4.2000 से आरंभ की गई दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत करघों के अधिग्रहण तथा कल-पुर्जों डिजाइन सहायता तथा आधारभूत संरचना सहायता के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(2) निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास तथा उनके विपणन स्कीम के अंतर्गत निर्यात के लिए हथकरघा उद्योग की उत्पाद क्षमता को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय हथकरघा विकास निगमों, प्राथमिक तथा शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(3) अनुसंधान एवं विकास स्कीम के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं चलाने के लिए व्यवसायिक एवं स्वैच्छिक संगठनों सहित अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगे विकास निगम, संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है।

(4) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र की स्थापना मार्च, 2001 में परम्परागत तथा समकालिन डिजाइनों को प्रोत्साहन देने के लिए आरम्भ की गई थी जिससे तेजी से बदलती विपणन मांग के लिए प्रतिक्रियाशील हेतु हथकरघा क्षेत्र कार्य कर सके।

(घ) और (ङ) हथकरघा उत्पादों के उत्पादन की लागत विभिन्न प्रकार की सहायता जैसे यार्न, रंजकों, रसायनों, मजदूरी, डिजाइन एवं बुनाई की जटिलता की लागत पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: उपाध्यक्ष महोदय, कपड़ा उद्योग एक पुराना उद्योग है और इसमें करोड़ों लोग काम करते हैं और इसमें सबसे बड़ा भाग उन लोगों का है जो हथकरघा उद्योग में कार्यरत हैं।...*(व्यवधान)* देश में कपड़े की महत्ता और गुणवत्ता को मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है और विदेशों ने भी इसकी महत्ता को स्वीकार किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, हम बोलेंगे, आप हमारा कार्य स्थगन स्वीकार कीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका यह रवैया ठीक नहीं है, क्वैश्चन आवर के 15 मिनट वेस्ट हो गये हैं, आप अपने मैम्बर्स को बोलिये।

...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौराः आज की कम्पिटीशन के जमाने में नई तकनीक आ रही है, नये-नये शोध हो रहे हैं। इन हालात में देश में कपड़ा उद्योग में तकनीकी क्षेत्र में लगे हुए गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने संस्थान हैं और वे कहां-कहां स्थापित हैं तथा उनका वार्षिक बजट क्या है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात मान लीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मुलायम सिंह जी, आप भी लीडर्स मीटिंग में थे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखिए। मैंने आपको बताया है कि नियम 193 के अधीन मुझे आपकी चर्चा स्वीकार्य नहीं है। दलों के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। यह मेरा निर्णय नहीं है। मैं यहां चर्चा कराने वाला कौन होता हूं। आपका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भी बैठक में था।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौराः क्या सरकार ने शोध संस्थानों की विकसित तकनीक तक अपने पहुंचने की कोई व्यवस्था कायम की है, यदि हां, तो वह क्या-क्या है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री इन्दौरा, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौराः क्या सरकार ने कपड़ा उद्योग में विशेषकर हथकरघा उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने और अधिकतम लोगों को रोजगार देने की क्षमता पैदा करने को प्राथमिकता देने की तकनीक विकसित करने के लिए शोध संस्थानों को कोई जिम्मेदारी सौंपी हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

श्री वी. धनंजय कुमारः मान्यवर, हथकरघा के क्षेत्र में जो कपड़ा उत्पादन होता है, उसकी गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कपड़ा मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। खासकर दीनदयाल उपाध्याय हथकरघा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बुनकरों को नई तकनीक के बारे में ट्रेनिंग दिलाने का काम हम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* मान्यवर, हम बुनकरों की भलाई के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। उनमें बुनाई के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रावधान भी है और नए-नए कपड़े बनाने के लिए उनको आवश्यक सूचना देने और ट्रेनिंग देने का भी हमने प्रावधान किया है। उसके लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम बुनकरों को लाभ पहुंचा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः इंदौरा जी, दूसरा सप्लीमेंट्री पूछिये।

डा. सुशील कुमार इन्दौराः मान्यवर, मेरे पहले सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने संस्थान हैं और कहां-कहां हैं और उनका किस प्रकार का सहयोग इसमें रहता है। उसका माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। पहले उसका जवाब मिल जाए फिर दूसरा सप्लीमेंट्री पूछूंगा।

श्री वी. धनंजय कुमारः महोदय, हथकरघा के क्षेत्र में सारे देश के अंदर अलग-अलग प्रांतों में हथकरघा का विशेष कार्यक्रम चल रहा है और हथकरघा के क्षेत्र में काम करने वाले अलग-अलग प्रकार के कपड़ों को बना रहे हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार की ओर हमने विशेष उपाय किये हैं। हमारे 24 बुनकर सेवा केन्द्र पूरे देश में फैले हुए हैं जो कार्य कर रहे हैं। वहां से तकनीकी मालूमात उनको देने का काम भी हम कर रहे हैं। प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम इसमें हो रहे हैं और हम बहुत से गैर-सरकारी संस्थानों की भी मदद लेकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

डा. सुशील कुमार इन्दौराः मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में कितने संस्थान हैं और कहां-कहां हैं।

श्री वी. धनंजय कुमारः हरियाणा के बारे में खासतौर से लिखकर मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

डा. सुशील कुमार इन्दौराः मैंने पूछा था कि कितने सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः क्या आपके पास कोई जानकारी उपलब्ध है?

श्री वी. धनंजय कुमारः मेरे पास अभी वह जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं उनकी जानकारी लेकर माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: महोदय, कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहां आम आदमी को रोजगार मिल सकता है, देश की प्रगति में सुधार लाया जा सकता है और रोजगार देने के मामले में अच्छा सहयोग कपड़ा उद्योग दे सकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कपड़ा उद्योग और हथकरगा उद्योग में तथा बुनकर जो गरीब आदमी हैं, उनके लिए आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं ओर इनके लिए कितना वित्तीय बजट इन्होंने रखा है?

श्री वी. धनंजय कुमार: मान्यवर, जैसा मैंने अभी-अभी बताया हमने दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बुनकरों को ग्रैड उपलब्ध कराने का प्रबन्ध, बुनाई के काम को बढ़ाने के लिए नई-नई डिजाइन तकनीक पहुंचाने का प्रबन्ध किया है और एक खास बात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह की गई है कि जो कपड़े का उत्पादन है उसके निर्यात हेतु अलग से एक स्कीम बनाई गई है जिसे डी.ई.पी. स्कीम का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत हम निर्यात के लिए नए-नए फैशनों का विकास करा रहे हैं और अनेक तरीके से काम कर रहे हैं और उस कपड़े को ले जाकर विदेशों में बेचने के लिए हम मदद कर रहे हैं। जहां पर भी बुनकर रहते हैं वहां हथकरघा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक इंटीग्रेटेड हैंडलूम विलेज डिवेलप करने का भी काम कर रहे हैं।

महोदय, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 650 करोड़ रुपए की सहायता देने का प्रोग्राम है। सरकार ने दिनांक 1.4.2000 से दीनदयाल उपाध्याय हथकरघा प्रोत्साहन योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है।

श्री नवल किशोर राय: उपाध्यक्ष महोदय, हथकरघा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो देश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देता है। एक अनुमान के अनुसार 3 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं। पिछले वर्ष 2150 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, लेकिन हथकरघा की टैक्नौलौजी को अपग्रेड करने के लिए जो टैक्नौलौजी अपग्रेडेशन फंड बनाया था और जिसके दो साल पूरे हो गए उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने मुम्बई में दिसम्बर महीने में बोलते हुए कहा कि इस फंड के दो साल पूरे हो गए, लेकिन उसने अपना मिशन पूरा नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो टैक्नौलौजी अपग्रेडेशन फंड बना उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और वह अपना मिशन पूरा क्यों नहीं कर सका, उसके क्या कारण रहे। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने दिनांक 1.4.2000 से जो दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की और जो अभी लागू है, उस पर अब तक कितना खर्च हो चुका है और उसकी क्या उपयोगिता रही अर्थात्, उसका फलाफल क्या निकला, उससे कितने बुनकर लाभान्वित हुए, कितने लोगों का विकास हुआ और जो तकनीक सरकार डेवलप कर रही है, उस नई तकनीक में क्या इस देश के कृषि प्रधान देश होने की बात को ध्यान में रखा गया है अथवा नहीं?

श्री वी. धनंजय कुमार: मान्यवर, टैक्नौलौजी अपग्रेडेशन मिशन में मूलत: पावरलूम के क्षेत्र के विकास के लिए और पावरलूम मिलों के लिए धन उपलब्ध कराया गया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मिशन के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र को भी मदद मिले। टैक्नौलौजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम में थोड़ा बदलाव लाने के लिए वित्तीय संस्थाओं को सुझाव दिया है और इस बदलाव से ज्यादा से ज्यादा टैक्नौलौजी अपग्रेडेशन फंड के द्वारा कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में मदद मिले, यह हमारा प्रयास है।

मान्यवर, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पिछले दो सालों में करीब 50 करोड़ रुपए का लाभ बुनकरों को हमने पहुंचाया है। इसके अंतर्गत 50 प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार दे रही है और 50 प्रतिशत राज्य सरकारों को देनी होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90 प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार की ओर से दी जाती है और 10 प्रतिशत राज्य सरकारों को देनी होती है। इस प्रकार से करीब 50 करोड़ रुपए की सहायता हमने इस योजना में अभी तक दी है।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया: महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र के हथकरघा उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र का कपड़ा अपनी विभिन्नता और रंग के कारण देश में ही लोकप्रिय नहीं है वरन् इनका निर्यात अन्य देशों को भी किया जाता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अनुपूरक प्रश्न तथा उत्तर को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. किन्डिया: लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं क्योंकि धागे की कीमत बढ़ गई है...*(व्यवधान)* यहां बुनियादी सहायता के द्वारा मदद दिए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि वे कपड़े की विभिन्नता और सुन्दरता बनाए रखने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र को परिवहन राजसहायता प्रदान करें...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान दें...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार: महोदय, हम विशेषरूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीमदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत

सहायता के अलावा परिवहन राजसहायता भी देते है जिसको हम पूर्ण लागत वहन करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के हथकरघा क्षेत्र में निर्मित कपड़ों की परिवहन लागत दो तरह की है। एक देश के भीतर और दूसरी देश के बाहर जाने वाले कपड़े पर लगती है...*(व्यवधान)* हम पूरी लागत वहन करते हैं। हम विशेषरूप से पूर्वोत्तर राज्यों को पूर्व परिवहन राजसहायता देते हैं।

श्री पी.डी. एलानगोवन: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अप्रैल, 2000 से दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई थी। मैं, तमिलनाडु हथकरघा बुनकरों विशेषरूप से धर्मपुरी, चेंगलपट्टू सेलम, तिरूपत्तूर और कोयम्बटूर के सैकड़ों हजारों पीड़ित हथकरघा बुनकरों की समस्या का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भी अवगत होना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार: महोदय, जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, हमने राज्य सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित हर संभव सहायता दी है। महोदय, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को परियोजनाओं का प्रस्ताव करना होगा...*(व्यवधान)* राज्य सरकारों को योजना के अंतर्गत दी गई सहायता में अपना योगदान भी बताना होगा। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, हमने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत काफी धनराशि दी है। मैं अपने मित्र को लिखित में विशेषरूप से तमिलनाडु के लिए दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री ए. नरेन्द्र: उपाध्यक्ष महोदय, दीनदयाल हथकरघा परियोजना के तहत 50 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं, ऐसा इन्होंने अपने उत्तर में बताया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन 50 करोड़ रुपये में से पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश को कितना रुपया दिया गया है और क्या राज्य सरकार उस स्कीम को लेने के लिए तैयार है?

श्री वी. धनंजय कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश का एक स्टेट लैवर हैंडलूम कापरेटिव आर्गनाइजेशन है, उसके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमने 40 करोड़ रुपये की एक स्कीम एप्रूवल की है जिसके लिए केन्द्र सरकार ने 20 करोड़ रुपये दिये हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उसमें अपना योगदान देकर आंध्र प्रदेश के हथकरघा क्षेत्र के सभी बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए उस स्कीम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बुनकरों के हित को देखने के लिए और हथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कितनी धनराशि महाराष्ट्र सरकार को दी है?

श्री वी. धनंजय कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, इसका विवरण मैं उनको लिखित में भेज दूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपको जानकारी नहीं है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, जानकारी एकत्रित करिये और उसे माननीय सदस्य को भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मंत्री महोदय को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि विश्व में सबसे अधिक बुनकर भारत में हैं। विश्व के लगभग 64 प्रतिशत बुनकर भारत में हैं। तथापि, उन्हें पुरानी प्रौद्योगिकी और ढांचागत असंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। उस क्षेत्र में वाणिज्यिक जानकारी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है।...*(व्यवधान)*

बुनकर हथकरघा क्षेत्र के मुख्य आधार हैं।...*(व्यवधान)* आप यह भी जानते हैं कि वर्ष 2004 में सभी मात्रात्मक प्रतिबंध और अवरोध हटा लिये जायेंगे। उसके बाद, संपूर्ण हथकरघा क्षेत्र को प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अत्याधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हमला झेलना होगा।...*(व्यवधान)* क्या आपने उस स्थिति का सामना करने के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार की है ताकि हथकरघा बुनकरों को इस हमले से बचाया जा सके?...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार: मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। लेकिन मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा नई प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण और जानकारी देने के लिए, करघों की क्षमता में सुधार लाने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और बुनकरों के तनाव और थकान को कम करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हम दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत और डी.ई.पी.एम. योजना के अंतर्गत अनेक कदम उठाते रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: मंत्री महोदय, आप केवल दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को ही दोहरा रहे हैं। क्या आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रहार को झेलने के लिए कोई संदर्शी योजना बनाई है?...*(व्यवधान)* वर्ष 2004 में भारत में क्या स्थिति होगी?...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार: दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना एक व्यापक योजना है जिसमें हथकरघा क्षेत्र के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।...*(व्यवधान)* यह एक व्यापक योजना है जिसमें पूंजी उपलब्धता, करघों में प्रभावी सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और सभी प्रकार का कच्चा माल प्राप्त करने के लिए प्रावधान किया जायेगा। वस्त्र और कपड़ा तैयार करने के बाद, हम उन उत्पादों के विपणन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* उसके बाद बुनाई सुविधाएं भी दी जाती हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में हथकरघा और छोटे बुनकरों का उद्योग घाटे में चल रहा है, बल्कि पूरा बन्द हो चुका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग और छोटे बुनकर हैं, उनको विशेष सहायता देने का कोई केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है या नहीं? अगर है तो क्या है?...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार: जहां से भी राज्य सरकार की मांग आती है, हम उसको सहायता देने के लिए तैयार हैं, खास कर महाराष्ट्र से मेरे मित्र से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे राज्य सरकार के द्वारा उनकी जो भी योजना है, उसको हमारे पास भेजें। हम उसका परिशीलन करके उनकी मदद करेंगे।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी बैंक

***182. श्री रमेश चेन्नितला:**
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंक खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितने बैंक हैं; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंक खोलने के लिए उदारतापूर्वक लाइसेंस प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निम्नलिखित आवेदकों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में दो नए बैंक स्थापित करने का ''सैद्धान्तिक'' रूप में अनुमोदन कर दिया है: – (1) श्री अशोक कपूर, श्री हरकीरत सिंह और श्री राणा कपूर (बैंकिंग व्यवसायिक व्यक्ति) की रैबोबैंक, नीदरलैंड के साथ, और (2) मैसर्स कोटैक महिन्द्रा फाइनेंस लि. एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में उन बैंकों की कुल संख्या अनुबंध में दी गई है, जिनके पंजीकृत कार्यालय विभिन्न राज्यों में हैं।

(घ) नवम्बर, 1991 में स्थापित वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (नरसिंहम समिति-1) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश की स्वतंत्रता की सिफारिश की थी, ताकि अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगिता हो, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में अधिक उत्पादकता और कुशलता प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, जनवरी, 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल ने भी सिफारिश की थी कि एकल देशी उत्पाद (जीडीपी) अनुपात की तुलना में कम बैंक ऋण, समाज की बचत क्षमता में वृद्धि तथा बैंकिंग से जुड़ी आदतों में सुधार आदि को देखते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंक स्थापित किए जाएं और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी, 2001 में आवश्यक मार्गनिर्देश जारी किए गये हैं।

अनुबंध

क्रम सं.	राज्य	पंजीकृत कार्यालय वाले बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	8
2.	केरल	6
3.	तमिलनाडु	5
4.	उत्तर प्रदेश	2*
5.	कर्नाटक	2
6.	गुजरात	2
7.	आन्ध्र प्रदेश	1
8.	मध्य प्रदेश	1

1	2	3
9.	गोवा	1
10.	राजस्थान	1
11.	पंजाब	1
12.	जम्मू एवं कश्मीर	1
	कुल	31

*बनारस स्टेट बैंक लि., वाराणसी, अधिस्थगन के तहत।

श्री रमेश चेन्नितला: उपाध्यक्ष महोदय, नरसिम्हन समिति ने गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश की स्वतंत्रता की सिफारिश की है। हमारे देश में नए गैर-सरकारी बैंक खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कितने आवेदन प्राप्त हुए। सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री से इसके बारे में जानना चाहूंगा। दूसरा, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार नए गैर-सरकारी बैंक खोलने के लिए दो बैंकों को सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया। हमारे देश में नए गैर-सरकारी बैंक खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं? मैं माननीय वित्त मंत्री से तत्संबंधी ब्यौरा जानना चाहूंगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: दस आवेदन प्राप्त हुए तथा सिर्फ दो को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया गया। जनवरी, 2001 में गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंक स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। सामान्यत:. 200 करोड़ रुपए की पूंजी होगी। तीन साल के अंदर यह 300 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है। तत्पश्चात् 10 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता की जरूरत होती है। यही सब नए मानदंड हैं। परन्तु सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन देते समय हम प्रारंभिक रूप से क्षमता और अन्य बातों का ध्यान रखते हैं। दिशा-निर्देशों के अनुरूप मानदण्डों के अनुपालनन के पश्चात् स्वाभाविक रूप से बाद में लाइसेंस जारी किए जाएंगे...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री पी चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में स्थानीय क्षेत्र विकास बैंक के प्रस्ताव की घोषणा की थी। स्थानीय क्षेत्र विकास बैंक खोलने के लिए काफी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। मैं नहीं जानता कि उन आवेदनों का क्या हुआ। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में किसी स्थानीय क्षेत्र विकास बैंक को मंजूरी दी गयी। क्या मंत्री महोदय, अपने देश में मंजूर किए गए स्थानीय क्षेत्र विकास बैंकों के बारे में ब्यौरा देंगे? यदि नहीं तो देश में स्थानीय क्षेत्र विकास बैंक नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, शुरू में स्थानीय क्षेत्र विकास बैंक खोलने के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। वर्तमान में कुछ आवेदन लम्बित हैं। हमारे पास इस बात का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है कि कितने लाइसेन्स जारी किए गए। मैं इससे संबंधित जानकारी अपने सम्मानीय मित्र को दे दूंगा।

श्री वी.के. पार्थसारथी: महोदय, क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना के लिए उदार रूप से लाइसेंस जारी करने से सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार से ऐसे निजी ग्लोबल बैंकों के माध्यम से विदेशी निगमित निकायों द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले धन के बारे में निगरानी रखेगा?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री संयुक्त उद्यम के बारे में पहले ही घोषणा कर चुके हैं परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं। हम उन्हें दिशानिर्देशों का अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक सभी गैर-सरकारी बैंकों की निगरानी करता है।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट बैंक खोलने की बात की जा रही है। अभी हमारे सहकारी बैंकों में काफी घोटाले होते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी घोटाले होते हैं। मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट बैंक जो खोले जाएंगे, उसमें जनता की पूंजी को सुरक्षित रकने के लिए सरकार क्या प्रबंध कर रही है और वहां स्कैम न हो, इसकी गारंटी सरकार किस तरह से देना चाहेगी?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जहां तक कुछ निजी बैंकों का सवाल है हमारी कुछ समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए, बनारस प्राइवेट बैंक। बनारस बैंक का राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ विलय करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जमाकर्त्ताओं का लगभग 99 प्रतिशत धन सुरक्षित है। उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ विलय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्ताव दिया है। निदुनगढ़ी बैंक के मामले में चेयरमैन को हटा दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक इन सभी बैंकों की काफी बारीकी से निगरानी कर रहा है तथा छोटे निवेशक बीमा गारंटी निगम वहां कार्य कर रहा है। यदि वहां बीमा गारंटी है तो स्पष्ट है कि एक लाख रुपये तक की सभी जमा राशि बीमा योजना के तहत आती है। छोटे निवेशकों के संबंध में यह स्थिति है। सहकारी बैंकों के मामले में भी यह नियम लागू है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जहां नये-नये बैंकों की स्थापना की बात की जा रही है और निजी क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना की जा रही है, वहीं कुछ ऐसे बैंक निजी क्षेत्र में हैं और उन बैंकों की कार्यकरण की पद्धति ठीक नहीं है। क्या ऐसे बैंकों को समाप्त करके दूसरे बैंकों में विलय का प्रस्ताव है अथवा उन बैंकों के बारे में सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है जो बैंक रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं और पूंजी भी समाप्त होती जा रही है, उनके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: जैसा मैंने अभी बैंक आफ बनारस और निदुनगढ़ी बैंक के बारे में जिक्र किया लेकिन जो बैंक घाटे में जा रहे हैं, उस बारे में आरबीआई पूरा दखल दे रही है और जिस बैंक का प्रस्ताव सामने आ रहा है, आरबीआई उस बैंक के क्लोज के लिए नोटिस देती है और समय-समय पर इसकी निगरानी की जाती है। मुझे लगता है कि सदस्य की जो आपत्ति है कि जो प्राइवेट बैंक ठीक काम नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक सभी योजनाओं की निगरानी कर रहा है तथा सरकार को इन सभी चीजों के बारे में जानकारी है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: माननीय मंत्री द्वारा दिए गए जवाब में बताया गया है कि बैंकों का निजीकरण इसलिए किया जाता है ताकि अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धा लाई जा सके जिससे बैंकिंग क्षेत्र में अधिक उत्पादकता और कुशलता प्राप्त हो सके एवं बचत प्रवृत्तियों में सुधार हो सके। अनेक मुद्दे इसमें शामिल हैं। मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए जवाब के पीछे तार्किक आधार को समझने में असमर्थ हूं। एक ओर तो सरकार वर्तमान बैंकों की सभी ग्रामीण शाखाओं को बंद कर रही है और दूसरी ओर जमा राशियों पर ब्याज दरों में कटौती की गयी है। इसलिए, निजी क्षेत्र में अधिकाधिक बैंकों को खोलने से और अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा।

मैं, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को बंद करने तथा ब्याज दरों में कटौती करने की नीति पर पुनर्विचार करेगी?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उनके प्रश्न के पहले भाग का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर ब्याज नीति की निगरानी कर रहा है तथा भारतीय रिजर्व बैंक वह प्राधिकरण है जो ब्याज की उच्च या निम्न तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुसार निर्धारित करता है; मैं समझता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अपना कार्य कर रहा है। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सम्पूर्ण प्रणाली में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है।

दूसरा, जहां तक ग्रामीण बैंकिंग शाखाओं का सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास ग्रामीण बैंकिंग शाखाओं का एक नेटवर्क है तथा जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों का सवाल है, ग्रामीण शाखाओं को विकसित करने की कुछ गुंजाइश है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस बात पर नजर रख रहे हैं। लाइसेंस नीति के अनुसार 25 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में होनी चाहिए। आंकड़ों के अनुसार, निजी क्षेत्र के सभी बैंकों के पास उनकी 30 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उन्हें स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना हेतु गुजरात से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से कितने को अनुमोदित किया गया है तथा यदि उन आवेदनों को अनुमोदित करने में विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि मेरे पास राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, मैं माननीय सदस्य को गुजरात से संबंधित जानकारी दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्राइवेट सैक्टर में नये-नये बैंक आ रहे हैं। उसके साथ ही बैंक फेलियर और फ्रॉड के केसेज भी बहुत बढ़ रहे हैं। बनारस बैंक, बैंक आफ मदुरा, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इत्यादि बैंकों के बारे में एकाउंटेबिलिटी, रेस्पांसिबिलिटी आफ रिजर्व बैंक और नये नार्म्स इत्यादि के बारे में सरकार का गाइडलाइन्स बनाएगी और साथ में यह प्राइवेट सैक्टर बैंक प्रायोरिटी सैक्टर को लैंडिंग नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में क्या पैनल्टी क्लाज लगाये जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मानदण्ड पहले से ही है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए मानदंड निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक इन सभी चीजों की निगरानी कर रहा है जैसा कि उसने बनारस

बैंक के मामले में किया है। मैं निदुनगढ़ी बैंक के बारे में पहले ही जवाब दे चुका हूं।

जहां तक प्राथमिकता क्षेत्र का सवाल है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह 38.2 प्रतिशत है, सामान्यतः यह कुल बैंकों के 40 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। परन्तु कभी-कभी यह 48 अथवा 47 प्रतिशत होता है तो कभी यह 40 प्रतिशत से काफी कम रहता है। इसलिए, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वे इसे बढ़ाएं। दूसरा, जो इसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र, खासतौर पर कृषि क्षेत्र को नहीं दे रहे हैं उनके लिए आर.आई.डी.एफ. निधि उपलब्ध है तथा नाबार्ड इस सुविधा को मुहैय्या करा रहा है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडलः उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया का जो कार्य दल है—नरसिम्हन रिपोर्ट के आधार पर बैंकों में कम्पीटिशन कराना और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में प्रतियोगिता कराना। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में जितनी भी बैंक हैं, जिस समय राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय उसकी जो कुल पूंजी थी और आज जो कुल पूंजी है उसके आधार पर क्या यह तय किया गया है, ऐसा फैसला किया गया है कि इस कम्पीटिशन में निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं, उन बैंकों की जो कुल पूंजी है, उसके जो कार्यकलाप हैं और सरकारी क्षेत्र के कार्यकलाप हैं उनकी जो पूंजी है, उनका क्या अनुपात है। इसमें नरसिम्हन रिपोर्ट और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्य दल की जो रिपोर्ट है, सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया गया है या वित्त मंत्रालय ने भी ऐसा कोई रिव्यू किया है। राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंकों की जो कुल पूंजी है, उसका जो अनुपात है, उसके अनुपात पर फैसले किए गए हैं या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटीलः महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 2001 में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक पूंजी का सवाल है,

[हिन्दी]

जो कार्यकलाप है, वह सभी बैंकों का समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। नरसिम्हन कमेटी ने कहा है कि हमारा जीडीपी रेश्यों बहुत कम है जो कि 26 प्रतिशत है, जापान की 111 प्रतिशत है और अमेरिका की 84 प्रतिशत है।...*(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडलः महोदय, यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे देश में निजी क्षेत्र में जो बैंक काम कर करते हैं जो सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, उनके बैंकों के जो कार्यकलाप हैं, उससे संबंधित मेरा प्रश्न है।...*(व्यवधान)* मंत्री जी को मालूम नहीं है, इसका मतलब ये तैयार होकर नहीं आए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटीलः हमारे देश में पंजीकृत कार्यालय वाले बैंकों की संख्या 31 हैं। 23 पुराने हैं और आठ नये बैंक हैं।...*(व्यवधान)* इन्होंने जो कैपिटल की बात की है कि सरकारी और प्राईवेट बैंकों में कितना केपिटल है, सरकारी बैंकों की गारंटी सरकार के पास होती है और प्राईवेट बैंकों की सरकार गारंटी नहीं लेती है। उसमें इनका कैपिटल फोरमेशन 300 करोड़ रखा है। उसमें कोई परिवर्तन करने की बात विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पाः उपाध्यक्ष महोदय, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश के सीमांत, छोटे किसानों तथा गरीब लोगों के उत्थान के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरूआत की। आज, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को शहरों में स्थानांतरित किया जा रहा है जिससे गरीब किसान इसके लाभों से वंचित हो रहे हैं। इसलिए नए बैंकों को खोलने के समय वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस देश के किसानों एवं गरीब लोगों की सुरक्षा करने हेतु क्यों नहीं प्रोत्साहित करते हैं? श्रीमती इन्दिरा गांधी का सबसे बड़ा स्वप्न गरीबों और छोटे किसानों को सुरक्षा प्रदान करना था। इसी विचार के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरूआत की गयी थी।

उन्हें बंद किया जा रहा है तथा उन्हें शहरों में स्थानांतरित किया जा रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या वे किसानों और गरीब लोगों को सुरक्षा प्रदान करने तथा देश के ग्रामीण हिस्सों में बैंकों को बनाए रखने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटीलः उपाध्यक्ष जी, यह सवाल इसमें नहीं आता है लेकिन मैं जानकारी देना चाहूंगा कि यह बात सही है कि रीजनल रूरल बैंक आम लोगों और गांव के लोगों

Scanned by CamScanner

को ऋण देने के लिए हैं। रीजनल रूरल बैंक घाटे में गयी इसलिए इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है लेकिन उनके जो उद्देश्य हैं वे आज भी कायम हैं। सरकार सभी बातों की जानकारी लेकर और देखभाल कर काम कर रही है लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई शिकायत हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। आपका कहीं कोई नुकसान हो रहा हो या लोगों को ऋण नहीं मिल रहा हो तो आप बताइयेगा, हम देख लेंगे। लेकिन सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: उन्होंने बैंकों को स्थानांतरित करने के बारे में कोई जवाब नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: यह बात सही है कि रीजनल रूरल बैंक जब घाटे में गयी तब यह भी सोचा पहली दफा कि...*(व्यवधान)* कोई भी ग्रामीण बैंक की शाखा अनबैंकेबल एरिया में बंद नहीं होगी न होनी चाहिए। जहां पर दो या तीन शाखाएं हैं उनको एक शाखा में मर्ज कर दिया गया है लेकिन अगर वह अनबैंकेबल एरिया में होगी तो हम देख लेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: और दूसरे क्षेत्र भी हैं। नहीं, आप किसानों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले: उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने बैंक हैं जो लिक्विडेशन में चल रही हैं और उनको ठीक करने के लिए सरकार के पास क्या कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: यह निजी बैंक का प्रश्न है। मैंने बनारस बैंक के बारे में पहले ही बता दिया है। पहले एक सिक्किम बैंक था। उसे समाप्त कर दिया गया। उसका यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया। उन्होंने सहकारी बैंक के बारे में एक बात कही। वर्तमान में मेरे पास सहकारी बैंकों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं यह सूचना दे दूंगा।

[हिन्दी]

एनटीसी की मिलों का बंद होना

+
***183. श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीसी की अधिकांश मिले बंद पड़ी हैं और नई वस्त्र नीति के फलस्वरूप कामगारों को बिना काम के ही वेतन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मिल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान जब ये मिलें चल रही थी, प्रत्येक मिल में, प्रत्येक वर्ष खर्च की तुलना में कितना-कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एन.टी.सी. (नयी वस्त्र नीति के पूर्व भी) की 42 मिलों में कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं हुआ है क्योंकि इन मिलों में क्रियाकलापों पर भारी घाटा हो रहा है। तथापि, इन मिलों के कामगारों को मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान बिना किसी उत्पादन क्रियाकलाप वाली मिलों और प्राप्त अंशदान तथा किये गये व्यय की सूची अनुबंध में दी गई है।

(घ) जॉब कार्य आधार पर इन मिलों को चलाने के लिए प्रयास किये गये थे लेकिन कोई मांग नहीं थी। वस्त्र अनुसंधान संघों ने इन मिलों के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया तथा यह स्थापित किया कि इन मिलों में से 39 मिलें अर्थक्षम नहीं हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर, बी.आई.एफ.आर. की परिचालन अभिकरण (आई.डी.बी.आई./आई.एफ.सी.आई.) ने प्रस्ताव किया कि 39 मिलों को बी.आई.एफ.आर. के अंतिम निर्णय के अधीन पुनर्वासन योजना के भाग के रूप में बंद किया जाना चाहिए।

अनुबंध

42 अकार्यशील गैर-अर्थक्षम मिलों में उत्पादन व व्यय की स्थिति

(लाख रुपये में)

एन.टी.सी.		मिल का नाम	1998-1999		1999-2000		2000-2001	
			वार्षिक सकल मजदूरी व वेतन	योगदान वर्ष के दौरान सृजित	वार्षिक सकल मजदूरी व वेतन	योगदान वर्ष के दौरान सृजित	वार्षिक सकल मजदूरी व वेतन	योगदान वर्ष के दौरान सृजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एपीकेकेएम	1	अदोनी मिल्स	55.70	16.19	46.45	-2.34	47.54	-7.95
गुजरात	2	अहमदाबाद जूपीटर	507.40	-14.92	553.05	-14.90	531.54	-15.29
एपीकेकेएम	3	अनंतपुर मिल्स	118.00	35.82	87.63	-15.65	20.60	-6.91
यू पी	4	एथर्टन	485.71	-9.98	529.31	-17.71	494.11	-12.60
एपीकेकेएम	5	आजमजाही	200.66	-33.03	192.72	-47.85	208.17	-36.15
डब्ल्यू बी ए बी ओ	6	बंगाश्री	110.59	-14.61	123.46	-20.70	133.42	-7.03
डब्ल्यू बी ए बी ओ	7	बंगाल फाइन-2	75.63	-11.59	87.28	-13.74	87.29	-12.49
एम पी	8	बंगाल नागपुर मिल्स	627.00	-25.00	625.00	-29.00	603.00	-7.00
डब्ल्यू बी ए बी ओ	9	बिहार सहकारिता	133.37	-59.52	132.24	-14.63	30.92	-19.26
यू पी	10	बिजली काटन मिल्स	136.93	12.60	101.23	10.38	70.89	-5.44
डब्ल्यू बी ए बी ओ	11	सेंट्रल कॉटन	378.36	-34.49	361.08	-28.95	346.79	-36.16
डी पी आर	12	एडवर्ड मिल्स	170.00	-12.00	123.00	-9.00	100.00	-5.00
डब्ल्यू बी ए बी ओ	13	गया कॉटन मिल्स	257.37	-36.19	290.22	-26.90	309.69	-32.15
एम.पी.	14	हीरा मिल्स	277.00	-22.00	290.00	-9.00	289.00	1.00
एम पी	15	इंदौर मालवा	590.00	-22.00	604.00	-4.00	611.00	-4.00
गुजरात	16	जहांगीर मिल्स	640.10	-14.51	696.03	1.30	654.16	-13.00
डब्ल्यू बी ए बी ओ	17	ज्योति वीविंग	141.70	-19.30	154.07	-21.76	168.60	-9.92
एम पी	18	कल्याणमल	536.00	-18.00	554.00	0.00	569.00	-6.00
यू पी	19	लक्ष्मी रतन मिल्स	668.32	-3.36	676.34	-3.78	591.06	-10.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
यू पी	20	लॉर्ड कृष्णा	236.70	-2.39	238.33	-3.73	234.62	-6.00
गुजरात	21	महालक्ष्मी	367.39	-3.80	383.16	-3.23	379.46	-5.64
डब्ल्यू बी ए बी ओ	22	महिन्द्रा बंगाल	165.64	-21.91	160.68	-19.98	156.63	-21.37
एपीकेकेएम	23	एमएसके मिल्स	343.57	-46.35	318.20	-17.54	296.06	-15.42
यू पी	24	मदूर मिल्स	684.37	-4.02	688.89	-3.36	647.04	-10.31
एपीकेकेएम	25	मैसूर मिल्स	343.11	0.35	350.28	12.70	346.75	-5.05
एपीकेकेएम	26	नटराज	52.90	17.04	49.26	23.14	46.03	-10.50
एपीकेकेएम	27	नेथा मिल्स	64.00	17.14	65.60	3.58	64.77	-6.83
गुजरात	28	न्यू मानेक चॉक	472.95	-7.37	498.84	-5.13	466.08	-10.46
यू पी	29	न्यू विक्टोरिया	712.18	-11.45	726.48	-11.91	676.39	-15.61
गुजरात	30	पेटलेड	165.58	-4.36	183.24	-2.57	173.21	-5.89
यू पी	31	रायबरेली मिल्स	126.45	-4.23	121.83	-4.97	88.45	-9.00
गुजरात	32	राजकोट	158.02	-3.60	163.52	-3.25	157.69	-2.76
यू पी	33	श्री विक्रम मिल्स	211.75	-5.86	182.60	-7.72	184.21	-8.49
डब्ल्यू बी ए बी ओ	34	श्री महालक्ष्मी	318.69	-32.28	346.49	-25.18	325.38	-34.40
एम पी	35	स्वदेशी इंदौर	305.00	-17.00	293.00	-8.00	295.00	-9.00
यू पी	36	स्वदेशी कानपुर	760.22	-27.49	733.14	-32.46	677.18	-33.29
एपीकेकेएम	37	तिरूपति मिल्स	60.56	25.07	54.04	4.70	14.70	-9.13
गुजरात	38	विरामगाम	373.80	-32.4	390.72	-1.75	382.80	-3.07
गुजरात	39	राजनगर-2		अन्य चालू मिलों के साथ विलय				
एम एन	40	इंदू नं. 4		अन्य चालू मिलों के साथ विलय				
एम एन	41	कोहिनूर 2		अन्य चालू मिलों के साथ विलय				
एम एन	42	कोहिनूर 3		अन्य चालू मिलों के साथ विलय				
	कुल		12032.72	-421.64	12175.41	-374.89	12175.41	-468.37

योगदान- उतार-चढ़ाव लागत व निर्धारित लागत, को छोड़कर उत्पादन का मूल्य परंतु इनमें वेतन व जमदूरी की लागत शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण गिलुवा: सर, 1968 में तत्कालीन सरकार ने 19 मिलों का अधिग्रहण इस उद्देश्य से किया कि इनका पुनर्गठन और अधिग्रहण किया जाएगा। लेकिन 35 साल के बाद भी एनटीसी मिलों की दशा पहले से भी खराब हो गयी। एक तरफ तो इन मिलों में उत्पादन कम हो रहा है और कुछ मिलें बंद पड़ी हैं। दूसरी तरफ मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर बिना काम के सरकारी पैसा बेकार खर्च हो रहा है। सितम्बर 2001 में एनटीसी समूह में 84 हजार के करीब कर्मचारी कार्यरत थे। पहले की सरकारें भी इन बंद मिलों को चलाने का आश्वासन देती रही हैं लेकिन बीमार मिलों की संख्या बढ़ती ही चली गयी है। सरकार ने 44 मिलों को चलाने का निर्णय लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह बताएं कि एनटीसी मिलों को वायबल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं।

श्री काशीराम राणा: एनटीसी मिलों के रिवाइवल के लिए सरकार ने एक प्रपोजल बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा, जिसमें बी.आई.एफ.आर. ने पुनः हीयरिंग करके फाइनल कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों में जो बी.आई.एफ.आर. एन.टी.सी. मिलों के बारे में जो प्रपोजल दिया है उस पर जजमेंट देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 16 मिलें वर्किंग में हैं और जो पूरी वर्किंग में नहीं हैं ऐसी 40-50 मिलें होंगी। लेकिन सरकार ने ज्यादा से ज्यादा मिलें चलाने का प्रपोजल तैयार किया है। अब 119 में से 53 मिलें चलेंगी और इसके साथ-साथ 66 मिलें अनवायबल होंगी। पहले तीन बार रिवाइवल पैकेज बना था लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हुआ। एन.टी.सी. के इतिहास में पहली बार ऐसे रिवाइवल प्लान को सरकार ने बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा है। बी.आई.एफ.आर. ने हीयरिंग पूरी कर ली है। शायद अगले महीने इसका इम्प्लीमैंटेशन हो जाएगा।

श्री लक्ष्मण गिलुवा: उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार मानती है कि एन.टी.सी. मिलों के बंद होने का मुख्य कारण कुप्रबन्ध है? इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री काशीराम राणा: उपाध्यक्ष महोदय, बी.आई.एफ.आर. के पास सरकार का प्रस्ताव पड़ा है। उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे पास बी.आई.एफ.आर. की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम इसके बारे में व्यवस्था करेंगे।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: महोदय, केरल में एन.टी.सी. की 7 मिलें हैं। केरल में ये सभी मिलें मुनाफे में तथा अच्छी तरह से चल रही हैं किन्तु उनका पैसा बंगलोर स्थित कार्यालय द्वारा ले लिया जाता है। यही कारण है कि मैं माननीय मंत्री से बंगलोर स्थित कार्यालय को केरल में स्थानांतरित करने हेतु अनुरोध कर रहा हूं ताकि केरल की मिलें और अधिक मुनाफ कमा सकें।

श्री काशीराम राणा: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि केरल में सभी मिलें मुनाफे में चल रही हैं। जब एन.टी.सी. के पुनरुद्धार की बात बी.आई.एफ.आर. के समक्ष रखी गयी तो सरकार ने निर्णय लिया कि केरल में सभी मिलों को आधुनिक तथा विकसित तकनीकी के साथ चला जाएगा। जहां तक सहायक ईकाइयों के मुख्यालयों का सवाल है सम्पूर्ण एन.टी.सी. के पुनरुद्धार का प्रस्ताव अभी बी.आई.एफ.आर. के पास विचाराधीन है तथा प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् हम माननीय सदस्य के सुझाव के अनुरूप विचार कर सकते हैं।

श्री आर.एल. जालप्पा: महोदय, एम.टी.सी. के मिलों के बारे में मुझे कुछ जानकारी है। दुर्भाग्यवश, सरकार जो कुछ भी कह रही है, मैं इस बारे में आश्वस्त हूं कि कुछ मिलों को छोड़कर हमें इन मिलों को बंद करना पड़ेगा। इन मिलों का पुनरुद्धार करने की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए सरकार को उन्हें 'गोल्डेन हैंडशेक' योजना प्रदान करनी चाहिए, उन्हें और अधिक पैसा देना चाहिए तथा मजदूरों को वापस उनके घर भेज देना चाहिए। सिर्फ तब जाकर सब कुछ सही होगा। जब मैं इस विभाग का मंत्री था तब मैंने अपनी भरपूर कोशिश की थी। मैं राज्यों के पास गया तथा राज्य सरकारों से इन मिलों को अधिग्रहीत करने के लिए अनुरोध किया। हमने उनसे कहा परन्तु उन्होंने इन्हें नहीं लिया। इसलिए, इन मिलों का पुनरुद्धार संभव नहीं है। इन्हें बंद करने से पहले आपको 'गोल्डेन हैंडशेक' योजना प्रदान करनी होगी तथा मजदूरों को वापस घर भेजना होगा।

श्री काशीराम राणा: उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सरकार ने संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संबंध में निर्णय लिया है। जहां तक गैर-अर्थक्षम कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का सवाल है, एक संशोधित वी.आर.एस. पेश किया जायेगा। हमारे पास 5 मई, 2000 का वी.आर.एस. है परन्तु हाल ही में सरकार ने 6 नवम्बर, 2000 से एक संशोधित वी.आर.एस. प्रस्तुत किया है। इस संशोधित वी.आर.एस. के अनुसार, मैं समझता हूं, एन.टी.सी. के कर्मचारी 60,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये से अधिक तक प्राप्त कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, एन.टी.सी. की अधिकांश मिलें बंद पड़ी हुई हैं, उसके लिये रॉ-मैटीरियल और वर्किंग कैपिटल क्यों नहीं दी गई? आज मुम्बई शहर में 23 मिलें ऐसी

हैं जहां वेतन नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन कामगारों को वेतन देने के लिये सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, कृपया एक वाक्य में जवाब दें।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: उपाध्यक्ष महोदय, न केवल महाराष्ट्र बल्कि जहां भी एन.टी.सी. मिलों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, बजट पास होते ही, उन्हें पूरा वेतन दे देंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम को घाटा

***184. श्री मानसिंह पटेल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) उपरोक्त घाटों के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम में कुछ हानियां भण्डारण, ढुलाई, उठाईगिरी आदि के कारण अवश्य होती हैं। भण्डारण हानियां अन्य बातों के साथ-साथ नमी में कमी, बहु हैंडलिंग, दीर्घ भण्डारण और बिखरने के कारण होती हैं। मार्गस्थ हानियां नमी में कमी, तुलाई की विभिन्न विधियों, ट्रांसशिपमेंट, बिखरने आदि के कारण होती हैं।

(ग) हानियों को न्यून करने और भारतीय खाद्य निगम के निष्पादन में सुधार करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) तोल सेतु स्थापित करना;

(2) डिपुओं पर सुरक्षा कड़ी करना; औचक जांचें तेज करना; नियमित स्टाक सत्यापन सुनिश्चित करना;

(3) बोरियों की मशीन से दोहरी सिलाई को प्रोत्साहित करना;

(4) चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिए संवेदनशील डिपुओं पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करना।

(5) प्रचालनों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने के लिए प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को सुप्रवाही बनाना;

(6) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डिपुओं की नियमित और औचक जांच किया जाना;

(7) बोरियों के आकार और गुणवत्ता में सुधार करना;

(8) ढकी हुई भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना; और

(9) खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई लागू करना।

(घ) हानियों के लिए जिम्मेदार पाए गए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध हानियों की रिकवरी करने सहित विभागीय कार्रवाई की जाती है। जहां अपेक्षित होता है वहां आपराधिक कार्रवाई भी की जाती है।

[अनुवाद]

रूस के साथ व्यापार संधि

***185. श्री श्रीनिवास पाटील:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए 6 फरवरी, 2002 को रूस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संधि से रूस को चाय, तम्बाकू, गेहूं, चावल आदि का निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक मदद मिलेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) भारत सरकार और रूसी परिसंघ के

बीच 6 फरवरी, 2002 को किसी भी व्यापार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इसके बजाय उपर्युक्त तारीख को व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-रूस कार्यकारी समूह के 5-6 फरवरी, 2002 को हुए आठवें सत्र के प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रोतोकोल में दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय हित के विभिन्न मुद्दों पर हुआ विचार-विमर्श परिलक्षित होता है। रूस को चाय, तम्बाकू, गेहूं, चावल आदि के निर्यात का संवर्धन करने हेतु अपेक्षित उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, इन उपायों से इन वस्तुओं में कितनी वृद्धि होगी, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि निर्यातों की मात्रा मुख्यतः बाजार शक्तियों पर निर्भर करेगी।

अतिरिक्त खाद्यान्नों का आबंटन

***186. श्री दिलीप संघाणी:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले राशन कार्ड धारक सभी परिवारों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्नों के आबंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले राशन कार्ड धारक सभी परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (डी.पी.डी.एस.) के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले शेष परिवारों को इस योजना में कब तक शामिल कर लिया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम और तमिलनाडु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी ने उनके द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के रूप में पहचान किए गए सभी राशन कार्ड धारकों को वितरण करने हेतु खाद्यान्नों के अतिरिक्त आबंटन की मांग की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की राज्यवार संख्या शुरू में 1995 के आबादी अनुमानों के लिए लागू गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह की विधि अपना कर वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों पर आधारित थी। 1.12.2000 से इस आधार को 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर कर दिया गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कुल संख्या 596.23 लाख से बढ़कर 652.03 लाख हो गई है। इस आधार में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्य तेलों के आयात के संबंध में भारत और विश्व व्यापार संगठन के बीच समझौता

***187. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) ने इस वर्ष भारत पर एक निश्चित मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करने की शर्त रखी है;

(ख) यदि हां, तो भारत और विश्व व्यापार संगठन के बीच खाद्य तेलों के आयात के संबंध में हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) वह कानूनी उपबंध या समझौता क्या है जिसके अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन भारत पर खाद्य तेलों का भारी मात्रा में अवश्य आयात करने पर जोर दे रहा है;

(घ) विश्व व्यापार संगठन की इन बाध्यताओं और उसके द्वारा खाद्य तेलों के आयात पर बल दिए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार के आयात का घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आरम्भ किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) डब्ल्यू.टी.ओ. समझौतों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान अथवा अनुबंध नहीं है जिसके अनुसार हमारे लिए किसी उत्पाद की निर्धारित मात्रा का आयात करना आवश्यक हो। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि भारत ने उन कतिपय संवदेनशील कृषि उत्पादों, जिन पर काफी पहले से शुल्क के निम्न स्तर लागू होते थे, के संबंध में निर्धारित टैरिफों में उर्ध्वगामी संशोधन करने की दृष्टि से 1996 में अनुच्छेद xxviii संबंधी वार्ताएं की थीं जो 1999 में भी सम्पन्न हुई थीं। ऐसी एक मद तोरी, वन्य कपिशाक/सरसों के तेल की थी, जिस पर पहले निर्धारित दर 45 प्रतिशत थी लेकिन वार्ताओं के पश्चात् इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। वार्ताओं में शामिल क्षतिपूर्ति के एक भाग के रूप में हमने इस मद के 1,50,000 मी. टन तक की अनुमति 45 प्रतिशत शुल्क पर और सूरजमुखी/केसर की इतनी ही मात्रा की अनुमति 50 प्रतिशत शुल्क पर देने के लिए सहमति भी व्यक्त की है जो अन्यथा 300 प्रतिशत पर निर्धारित थी।

(ङ) और (च) खाद्य तेलों के आयातों में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर तथा राष्ट्रीय कीमतों में कमी के कारण पिछले कुछ दिनों में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। तथापि, 45 प्रतिशत/50 प्रतिशत शुल्क के निम्न स्तर पर टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत हुए आयातों से उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि ये आयात सीमित मात्रा में होंगे। निर्धारित स्तरों के भीतर लागू टैरिफों के अंश-शोधन के जरिए घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण भी दिया जा रहा है।

सामाजिक क्षेत्र में व्यय

***188. डा. रामचन्द्र डोम:**
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 और 2000-2001 की अवधि के दौरान सामाजिक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का कितना प्रतिशत, पृथक-पृथक व्यय किया गया;

(ख) उक्त अवधि में पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(ग) क्या सामाजिक क्षेत्र में होने वाले सरकारी व्यय में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश में सामाजिक क्षेत्र में होने वाला व्यय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा संस्तुत अनुपात की तुलना में बहुत कम है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषाहार, जल आपूर्ति, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, आवास, समाज कल्याण आदि पर केन्द्रीय सरकार का व्यय (आयोजना तथा आयोजना-भिन्न) 1990-91 में 8058 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000-2001 में 34,524 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) हो गया। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह 1990-91 में 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 2000-01 (संशोधित अनुमान) में 1.7 प्रतिशत हो गया।

(ख) नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट 2001 से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुछ पूर्वी एशियाई देशों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय के हिस्से का विवरण निम्नलिखित है:-

		शिक्षा पर सरकारी व्यय (जी एन पी के प्रतिशत के रूप में)		स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय (जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	
		1985-87	1995-97	1990	1998
1.	भारत	3.2	3.2	0.9	-
2.	सिंगापुर	3.9	3.0	1.0	1.2
3.	हांगकांग	2.5	2.9	1.6	-
4.	मलेशिया	6.9	4.9	1.5	1.4
5.	थाईलैंड	3.4	4.8	1.0	1.9
6.	कोरिया गणराज्य	3.8	3.7*	2.1	2.3
7.	इंडोनेशिया	0.9@	1.4**	0.6	0.7

* सर्वेक्षण संबंधी कार्यप्रणाली में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आंकड़े पिछले वर्षों के आंकड़ों से पूरी तरह तुलनीय नहीं हैं।

@ ये आंकड़े निर्दिष्ट वर्ष अथवा अवधि से भिन्न अवधि के संदर्भ में हैं। ये आंकड़े केवल शिक्षा मंत्रालय के संदर्भ में हैं।

** ये आंकड़े केवल केन्द्रीय सरकार के संदर्भ में हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) सामाजिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यय के संदर्भ में यू.एन.डी.पी. ने भारत के लिए कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। यू.एन.डी.पी. के प्रशासकीय बोर्ड ने सामाजिक क्षेत्र व्यय के सम्बन्ध में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किये हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण

***189. श्री शिवाजी माने:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्न वांछित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के वितरण में हो रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) सरकार को किन-किन राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कर्मियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) केन्द्र सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन एक बहुत बड़े पैमाने का कार्य है, जिसके कार्यान्वयन में 4.63 लाख उचित दर दुकानों सहित कई एजेंसियां शामिल हैं। ऐसी प्रणाली में कुछ लीकेज की संभावनाओं को पूर्णतया नकारा नहीं जा सकता है। 1997 में मैसर्स टाटा इकानामिक कसंलटेंसी सर्विसेज द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रणाली से गेहूं का 36 प्रतिशत, चावल का 31 प्रतिशत और चीनी का 23 प्रतिशत विपथन है। कई राज्य सरकारों ने यद्यपि कुछ लीकेज होने की बात को माना है लेकिन वे मैसर्स टाटा इकानामिक कंसलटेंसी सर्विसेज की रिपोर्ट में बताए गए विपथन के अनुमानों से सहमत नहीं हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर दुकान और अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कड़ी मानीटरिंग करें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से विवरण करने की व्यवस्था करें;

(2) सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में देश में सभी राज्यों को अपनाने हेतु एक माडल सिटीजन चार्टर परिचालित किया गया है;

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन 31.8.2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया गया है। यह आदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं के वितरण और हैंडलिंग के काम में लगे किसी प्राधिकारी अथवा व्यक्ति को स्टाक का प्रतिस्थापन अथवा अपमिश्रण या विपथन करने के काम में संलिप्त होने से रोकता है। आदेश के खंड 3 (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना), खंड 4 (राशनकार्ड), खंड 6 (वितरण) और खंड 7 (लाइसेंसिंग) के उपबंधों का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन दंडनीय है;

(4) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्यों के लिए ''क्षेत्राधिकारियों'' के रूप में नामित किया गया है। ये अधिकारी उन्हें आबंटित राज्य का आवधिक रूप से दौरा करते हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की मानीटरिंग करते हैं।

(ङ) और (च) जनवरी, 2001 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के बारे में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 207 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये शिकायतें अन्य बातों के साथ-साथ उचित दर दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की अनुपलब्धता तथा अनियमित आपूर्ति होने, उचित दर दुकान मालिकों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की

कालाबाजारी होने से संबंधित हैं। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है इसलिए प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया जाता है। क्षेत्राधिकारियों को राज्यों का दौरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है और उनसे गंभीर स्वरूप की विशिष्ट शिकायतों की जांच स्वयं करने के लिए कहा जाता है।

विवरण

जनवरी, 2001 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमियों के संबंध में प्राप्त राज्य-वार शिकायतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	असम	3
5.	बिहार	22
6.	छत्तीसगढ़	2
7.	दादर व नगर हवेली	2
8.	दिल्ली	16
9.	गुजरात	6
10.	हरियाणा	12
11.	हिमाचल प्रदेश	20
12.	जम्मू व कश्मीर	2
13.	झारखंड	2
14.	कर्नाटक	1
15.	मध्य प्रदेश	20
16.	महाराष्ट्र	12
17.	उड़ीसा	2
18.	पंजाब	18
19.	राजस्थान	25
20.	उत्तर प्रदेश	26
21.	उत्तरांचल	3
22.	पश्चिम बंगाल	8
	जोड़	207

[अनुवाद]

इराक द्वारा गेहूं का आयात

***190. श्री जे.एस. बराड़:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक, जिसने पहले भारतीय गेहूं को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था, अब भारत से गेहूं का आयात करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इराक को गेहूं की कितनी मात्रा, किस मूल्य पर और किन-किन शर्तों पर निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या गेहूं निर्यात के बदले भारत को इराक से आसान शर्तों पर कच्चा तेल प्राप्त होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) इराक से भारतीय गेहूं का आयात करने के बारे में अभी तक कोई पक्की वचनबद्धता प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

संतरों और सेबों के लिए विशेष निर्यात जोन

***191. श्रीमती प्रभा राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संतरों और सेबों के लिए देश में 'विशेष निर्यात जोन' बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन निर्यात जोनों में संतरे के लिए नागपुर और जम्मू-कश्मीर आदि जैसे सेब उत्पादक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सरकार से प्राप्त सेबों के लिए कृषि निर्यात जोन (ए.ई.जी.) संबंधी प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में संतरों के लिए ए.ई.जी. संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और महाराष्ट्र राज्य सरकार को सलाह दी गयी है कि संतरों के लिए बाजार संभाव्यता तथा कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता का मूल्यांकन करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र में संतरों के लिए ए.ई.जी. संबंधी प्रस्ताव में नागपुर जिले को शामिल किया गया है। सेबों के लिए ए.ई.जी. के मामले में, जम्मू तथा कश्मीर से प्राप्त प्रस्ताव में राज्य के सेब उगाने वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

पेटेन्ट संबंधी आवेदनों की जांच

***192. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के विभिन्न पेटेन्ट कार्यालयों में पेटेन्ट के कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या पेटेन्ट आवेदनों की जांच करने की प्रणाली का उन्नयन नहीं किया गया है;

(ग) देश में कार्यरत पेटेन्ट कार्यालयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में पेटेन्ट प्रशासन का प्रशासनिक ढांचा क्या है; और

(ङ) पेटेन्ट आवेदनों की जांच के लिए एक पारदर्शी प्रणाली लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) विभिन्न पेटेंट कार्यालयों में लंबित पेटेंट आवेदनों की संख्या नीचे दर्शायी गई है:-

पेटेंट कार्यालय, कोलकाता	-	8,541
पेटेंट कार्यालय, चैन्नई	-	13,793
पेटेंट कार्यालय, दिल्ली	-	15,891
पेटेंट कार्यालय, मुंबई	-	5,739

(ख) सरकार ने 75.59 करोड़ रुपये की लागत से पेटेंट प्रशासन का व्यापक रूप में उन्नयन और आधुनिकीकरण किए जाने संबंधी कार्य का शुभारम्भ कर दिया है। इसमें आनलाइन खोज को सुगम बनाने और उपयोगकर्त्ता के अनुकूल व्यवस्थाओं का सृजन करने के लिए कार्य की प्रक्रियाओं के सरलीकरण व री-इंजीनियरिंग तथा आंकड़ा आधारों के विकास हेतु प्रयास भी शामिल हैं। इन प्रयासों से अब तक प्रारंबिक कंप्यूटरीकरण, आनलाइन खोज सुविधाओं की व्यवस्था, कार्य पुस्तिकाओं का विकास, पेटेंट आवेदनों की स्थिति के बारे में कंप्यूटरीकृत सूचना का सृजन तथा प्राप्तियों के निर्गम के लिए फ्रंट आफिस साफ्टवेयर की स्थापना हो पायी है।

दिल्ली और चैन्नई में दो पेटेंट कार्यालयों को क्रमशः जुलाई और अगस्त, 2001 में चालू किया था। कोलकाता में पेटेंट कार्यालय के आधुनिकीकरण का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है जबकि मुंबई के पेटेंट कार्यालय में उक्त कार्य चल रहा है।

आधुनिकीकरण के प्रयासों के आरंभिक परिणाम सामने आने लगे हैं। जो पेटेंट कार्यालय प्रतिवर्ष लगभग 2800 आवेदन-पत्रों की जांच करते रहे हैं, उन्होंने वर्ष 2000-2001 में 4264 से अधिक आवेदन-पत्रों की जांच की है। पेटेंट जांचकर्त्ताओं के औसतन निष्पादन में 50 प्रतिशत सुधार हुआ है। दिल्ली स्थित पेटेंट कार्यालय इस समय खाद्य, भेषज तथा औषध से संबद्ध उन पेटेंट आवेदन-पत्रों की जांच कर रहा है जो मार्च, 2001 में दायर किये गये थे और चैन्नई स्थित कार्यालय ऐसे आवेदन-पत्रों की जांच कर रहा है जो जून, 2001 में दायर किये गये थे। मौजूदा जनशक्ति के साथ इन उपलब्धियों में, 132 निरीक्षकों की नियुक्ति करने से, जिनमें से 81 को नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, और भी वृद्धि हो जायेगी।

अक्तूबर, 2000 से पेटेंट से संबंधित प्रारंभिक जांच रिपोर्टों (पी.ई.आर.) का कार्य आरंभ कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप पेटेंट प्रसंस्करण का कार्य शीघ्र आरंभ हो पाया है। विभिन्न कार्यालयों ने 26,000 से अधिक पी.ई.आर. जारी कर दिये हैं।

(ग) पेटेंट कार्यालय इस समय कोलकाता (मुख्यालय भी), चैन्नई, दिल्ली और मुम्बई में कार्य कर रहे हैं। इन कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकार निम्नवत हैं:-

कार्यालय	क्षेत्रीय अधिकार
पेटेंट कार्यालय, मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन और दीव तथा दादर व नागर हवेली।
पेटेंट कार्यालय, चैन्नई	आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी और लक्षद्वीप।
पेटेंट कार्यालय, दिल्ली	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, चंडीगढ़ और दिल्ली।
पेटेंट कार्यालय, कोलकाता	शेष भारत

(घ) पेटेंट कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है और पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक इसका अध्यक्ष होता है। अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं—वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन, संयुक्त नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन, उप-नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन, सहायक नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन, निरीक्षक, पेटेंट और डिजाइन।

(ङ) किसी कार्य प्रक्रिया संबंधी नियमावली के परिचालन की (वेबसाइट पर उपलब्धता) प्रक्रिया में समानता का सुनिश्चय करता है। पेटेंट आवेदनों की स्थिति जानने हेतु कंप्यूटरीकृत सूचना निकालने और रसीदें जारी करने के लिए फ्रंट आफिस साफ्टवेयर स्थापित किए जाने से भी उपयोगकर्त्तानुकूल सेवाएं उपलब्ध होती हैं। सभी श्रेणियों के पेटेंट आवेदनों पर, उन्हें प्राप्त करने के क्रमानुसार पूरी तरह से नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वेबसाइट का प्रस्तावित एकीकृत एवं सहयोगात्मक बौद्धिक संपदा पोर्टल के रूप में उन्नयन करने से पेटेंट कार्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता लाने में और योगदान मिलेगा।

शहरी हाट

***193. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने कारीगरों और बुनकरों को सीधे विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'शहरी हाट' स्थापित किए जाने की एक नई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने 'शहरी हाट' स्थापित किए गए हैं और बुनकरों तथा कारीगरों को क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्यों को कोई वित्तीय सहायता भी दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार प्रदान की गई सहायता का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी हां। कारीगरों एवं बुनकरों को सीधी विपणन सहायता मुहैया कराने के लिए वर्ष 1998-99 में 'शहरी हाट' की एक नई योजना शुरू की गई थी।

(ख) इस योजना के अंतर्गत देश के प्रमुख शहरी स्थलों पर, जहां पर्यटन, परम्परा, संस्कृति तथा शिल्प-सृजन एक साथ फलते-फूलते हैं, हाट स्थापित किए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर शिल्पकारों/बुनकरों को सीधे विपणन के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना की पूंजीगत लागत लगभग 200.00 लाख रुपये है जिसमें से 70 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा और शेष 30 प्रतिशत की व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। न्यूनतम 18000 वर्ग मीटर विकसित भूमि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। यह योजना सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से राज्य हस्तशिल्प/हथकरघा विकास निगमों/पर्यटन विकास निगमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) अब तक 13 (तेरह) शहरी हाटों की अहमदाबाद, आगरा, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, करनाल, भोपाल, जम्मू, तिरूपति, अगरतला, जोधपुर, जयपुर एवं रायपुर में स्थापना हेतु स्वीकृति दे दी गई है। ऐसे प्रत्येक शहरी हाट के पूर्णतया स्थापित हो जाने पर, प्रतिवर्ष लगभग 2200 कारीगरों/बुनकरों को सीधे विपणन के अवसर उपलब्ध होंगे। अब तक तिरूपति में केवल एक शहरी हाट 24.9.2001 से चालू हुआ है। तिरूपति शहरी हाट में आयोजित शिल्प बाजार में भागीदारी करके अब तक 269 कारीगर लाभान्वित हुए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी हाटों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्यों के नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	-	29.00	20.00	49.00
2.	झारखण्ड	-	31.67	20.00	51.67
3.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-
4.	गुजरात	34.75	-	15.00	49.75
5.	हरियाणा	-	20.70	20.00	40.70
6.	जम्मू एवं कश्मीर	-	23.00	15.00	38.00
7.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-
8.	राजस्थान	-	-	-	-
9.	उड़ीसा	34.40	05.00	10.00	49.40
10.	त्रिपुरा	-	-	-	-
11.	उत्तर प्रदेश	33.80	-	-	33.80
12.	पश्चिम बंगाल	-	35.62	15.00	50.62

एफ.आई.पी.बी. और एफ.आई.आई.ए. को नया रूप देना

***194. श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) और विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) को नया रूप देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ढांचागत क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक अलग विधान लाने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने लालफीताशाही पर रोक लगाने, बाधाओं को दूर करने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) अनुमोदन तंत्र का सरलीकरण किया जाना और सरल निवेश तंत्र का सुदृढ़ीकरण किए जाने संबंधी कार्य एक सतत प्रक्रिया के रूप में है और इस संबंध में कई उपाय किये गये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न उपाय शामिल हैं- अधिकांश कार्यकलापों को स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत रखना, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पारदर्शी दिशानिर्देशों की घोषणा किया जाना, एफ.आई.पी.बी. प्रस्तावों पर सरकारी निर्णय की सूचना देने के लिए 30 दिन की समय सीमा का निर्धारण किया जाना और कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का बारीकी से समाधान करने के लिए विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना और एक ओर विदेशी निवेशकों के साथ तथा दूसरी ओर केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों के साथ अधिक प्रभावपूर्ण रूप में निकटतम तथा परस्पर सम्पर्क स्थापित किया जाना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से, सरकार ने पहले ही एक पारदर्शी एवं निवेशक अनुकूल एफ.डी.आई. नीति बना रखी है। इस नीति के अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों में स्वत: मार्ग पर 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है और विदेशी निवेशकों द्वारा केवल देश में धन राशि लाने के 30 दिन की अवधि के अन्दर और पुन: शेयर जारी करने के 30 दिन के अवधि के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध

***195. श्री रतन लाल कटारिया:**
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और चीन के बीच अब तक कौन-कौन से क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा व्यापारिक संबंधों के विस्तार के लिए चीन की सरकार के साथ कोई वार्ता की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2002-03 और आगामी वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार के विस्तार के लिए कौन-कौन से नए क्षेत्रों की पहचान की गयी है;

(घ) क्या जनवरी, 2002 के दौरान द्विपक्षीय सहक्रियता और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए चीन के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या उनकी यात्रा के दौरान भारत में विनिर्माणकारी आधार स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच कोई समझौते हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योगों को कितना लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत और चीन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध हैं जैसे कि लौह अयस्क, प्लास्टिक, लिनोलियम उत्पाद, समुद्री उत्पाद, इलैक्ट्रानिक सामान, कोयला, रसायन इत्यादि।

(ख) भारत और चीन की सरकारें दोनों देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से वार्ताएं करती हैं;

(ग) भारत-चीन व्यापार के विस्तार हेतु अभिज्ञात किए गए नए क्षेत्रों में शामिल हैं—आई.टी. साफ्टवेयर, प्लास्टिक, कृषि खाद्य, चमड़ा इत्यादि।

(घ) जी हां।

(ङ) से (छ) भारत में विनिर्माणकारी आधार स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट समझौता नहीं हुआ था।

मध्यावधि निर्यात रणनीति पर निगरानी रखने के लिए समिति

***196. श्री नरेश पुगलिया:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मध्यावधि निर्यात रणनीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक कार्यवाही समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यवाही समिति के गठन से विश्व निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी सहायता मिलेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) मध्यावधि निर्यात रणनीति 2002-07 में मध्यावधि निर्यात रणनीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कार्य समिति गठित करने की सिफारिश की गयी है। इस समिति के अध्यक्ष वाणिज्य सचिव होंगे। आर्थिक सलाहकार, जो कि नोडल अधिकारी हैं, के साथ-साथ विभाग के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों का कोर-ग्रुप तथा प्रमुख निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि तथा कुछ अन्य विशेषज्ञ इस समिति के सदस्य होंगे। इस संबंध में कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ग) यह समिति रणनीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी और होने वाले किसी नए परिवर्तन को भी ध्यान मे रखेगी ताकि नीति को परिवर्तनात्मक ढंग से तैयार किया जा सके और निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

*197. **श्री राजो सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक ने राज्य-वार किन-किन परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कुछ राज्यों को परियोजानाओं हेतु ऋण प्रदान किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके नियम और शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने वाली चालू परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

राज्य	ऋण राशि (मि. अमरीकी डालर)	नियम तथा शर्तें
आन्ध्र प्रदेश	210-000	ये सभी ऋण आई.बी.आर.डी. ऋण हैं और पांच वर्षों की प्रारम्भिक स्थगन अवधि सहित 20 वर्षों की समयावधि के आधार पर एकल मुद्रा परिवर्तनीय विस्तार आधार पर उपलब्ध कराए गए हैं।
उड़ीसा	272.670	
उत्तर प्रदेश	150.00	
राजस्थान	180.000	

विवरण

दिनांक 28.2.2002 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की चालू परियोजनाएं

(आंकड़े अनन्तिम)

(राशि मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	आई.बी.आर.डी.+ आई.डी.ए. वचनबद्धता	राज्य
1	2	3	4
1.	नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना	485	केन्द्रीय
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (02)	306	बहुराज्यीय
3.	परिवार कल्याण (शहरी गंदी बस्तियां) परियोजना	79	-
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (03)	516	बहुराज्यीय
5.	समेकित बाल विकास सेवा परियोजना (02)	194	बहुराज्यीय
6.	आन्ध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग परियोजना	350	आन्ध्र प्रदेश
7.	मोतियाबिंद अंधता नियंत्रण परियोजना	117.8	बहुराज्यीय
8.	मद्रास जलापूर्ति परियोजना (02)	275.8	तमिलनाडु
9.	औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना	168	-
10.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	260.3	बहुराज्यीय
11.	क्षय नियंत्रण परियोजना	142.4	बहुराज्यीय

1	2	3	4
12.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	282.9	तमिलनाडु
13.	मुम्बई मल व्ययन निपटान परियोजना	192	महाराष्ट्र
14.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	59.6	उत्तर प्रदेश
15.	पनबिजली परियोजना	142	बहुराज्यीय
16.	आंध्र प्रदेश प्रथम रेफरल स्वास्थ्य व्यवस्था	133	आंध्र प्रदेश
17.	उड़ीसा स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना	76.4	उड़ीसा
18.	जिला गरीबी उपक्रम परियोजना-राजस्थान	100.48	राजस्थान
19.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	164.8	बहुराज्यीय
20.	असम ग्रामीण ढांचागत तथा कृषि सेवा परियोजना	126	असम
21.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	290.9	उड़ीसा
22.	प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य परियोजना	248.3	बहुराज्यीय
23.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	196.8	बहुराज्यीय
24.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	381	गुजरात
25.	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना (03)	325	आंध्र प्रदेश
26.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना	52.94	उत्तर प्रदेश
27.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	350	उड़ीसा
28.	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	150	उत्तर प्रदेश
29.	पावरग्रिड व्यवस्था विकास परियोजना (02)	450	–
30.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (02)	425.2	बहुराज्यीय
31.	उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना	129.9	उत्तर प्रदेश
32.	राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना (02)	350	बहुराज्यीय
33.	महिला और बाल विकास परियोजना	300	बहुराज्यीय
34.	पारिस्थितिकी विकास परियोजना	28	बहुराज्यीय
35.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (02)	152	बहुराज्यीय
36.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	180	राजस्थान
37.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	140	राजस्थान
38.	समेकित जलसंभर विकास पर्वतीय (02) परियोजना	135	बहुराज्यीय

1	2	3	4
39.	कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रशमन परियोजना	63	केन्द्रीय
40.	पर्यावरणीय प्रबंध क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता परियोजना	50	केन्द्रीय
41.	ग्रामीण महिला विकास तथा अधिकारिता परियोजना	19.5	बहुराज्यीय
42.	आंध्र प्रदेश जिली गरीबी उपक्रम परियोजना	111	आंध्र प्रदेश
43.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (01)	85.7	राजस्थान
44.	राष्ट्रीय एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण परियोजना (02)	191	केन्द्रीय
45.	आंध्र प्रदेश जोखिम प्रशमन और आपात चक्रवात बहाली परियोजना	150	आंध्र प्रदेश
46.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना	543.2	आंध्र प्रदेश
47.	केरल वानिकी परियोजना	39	केरल
48.	आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	210	आंध्र प्रदेश
49.	नवीकरणीय ऊर्जा (02) परियोजना	130	केन्द्रीय
50.	तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना (02)	105	तमिलनाडु
51.	उत्तर प्रदेश सोडायुक्त भूमि सुधार परियोजना (02)	194.1	उत्तर प्रदेश
52.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	149.2	उत्तर प्रदेश
53.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना	134	महाराष्ट्र
54.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना (02)	151.6	कर्नाटक
55.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना	110	उत्तर प्रदेश
56.	तकनीशियन शिक्षा परियोजना (03)	64.9	बहुराज्यीय
57.	उत्तर प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (03)	182.4	उत्तर प्रदेश
58.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	65.5	केरल
59.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (02)	74.4	राजस्थान
60.	दूरसंचार क्षेत्र सुधार तकनीकी सहायता परियोजना	62	केन्द्रीय
61.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी उपक्रम परियोजना	110.1	मध्य प्रदेश
62.	आर्थिक सुधार तकनीकी सहायता परियोजना	45	केन्द्रीय
63.	कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना	100.4	कर्नाटक
64.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना	142.6	केन्द्रीय

1	2	3	4
65.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना (02)	30	केन्द्रीय
66.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	360	कर्नाटक
67.	ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना	589	केन्द्रीय

[अनुवाद]

सीमा शुल्क ढांचा संबंधी कार्य दल

***198. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क ढांचे और विसंगतियों संबंधी कार्य दल ने हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कार्यकारी दल ने, अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2002-2003 के बजट से लेकर वर्ष 2004-2005 तक 20 प्रतिशत की उच्चतम दर प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना का सुझाव दिया है।

(ग) और (घ) बजट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान कार्यकारी दल ने सुझावों पर विचार किया गया था। कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2004-05 तक, सीमा शुल्क की केवल दो ही मूल दरें होंगी, अर्थात् 10 प्रतिशत की दर जिसके अंतर्गत आमतौर पर कच्ची सामग्रियां, मध्यवर्ती वस्तुएं और संघटक आएंगे और 20 प्रतिशत की दर जिसके अंतर्गत आमतौर पर अंतिम उत्पाद आएंगे। मौजूदा दरों को विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं अथवा कृषि उत्पादों की उच्चतर टैरिफ दरों के कारण कुछेक अपवादों को छोड़कर इन दो मूल दरों में समायोजित और शामिल कर लिया जायेगा। इस कार्य-योजना के अनुसार, इस वर्ष उच्चतम दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

***199. श्री सवशी भाई मकवाना:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या उपरोक्त योजना के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग उद्देश्य निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने वर्ष 2000-01 और 2001-2002 के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य-वार कितनी राशि निर्धारित की है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान आज तक राज्य-वार कितने परिवारों को सहायता प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित शत प्रतिशत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूंजी सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से यह पता चला है कि 18-65 वर्षों के बीच किसी आयु में मुख्य आय उपार्जक की मृत्यु पर गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) योजना के अंतर्गत वर्ष 2000-01 और 2001-02 में 11.3.2002 तक के दौरान आबंटित निधियों और लाभग्राहियों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम—राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

वर्ष 2000-2001 के दौरान वास्तविक और वित्तीय प्रगति

(रु. लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधियों की कुल उपलब्धता	सूचित व्यय	सूचित लाभार्थी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3242.08	3108.97	31477
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.92	10.19	105
3.	असम	1271.03	853.81	7357
4.	बिहार	1511.95	1475.83	13725
5.	छत्तीसगढ़**	1165.77	1091.77	9448
6.	गोवा	11.37	17.28	193
7.	गुजरात	1161.16	149.24	2315
8.	हरियाणा	54.21	44.85	568
9.	हिमाचल प्रदेश	35.74	33.27	307
10.	जम्मू और कश्मीर	55.47	49.28	389
11.	झारखंड**	514.62	367.19	2664
12.	कर्नाटक	698.63	631.62	5643
13.	केरल	389.13	336.04	3389
14.	मध्य प्रदेश	3186.78	3099.19	31465
15.	महाराष्ट्र	1095.2	788.2	11073
16.	मणिपुर	57.43	40.39	307
17.	मेघालय	71.08	53.8	527
18.	मिजोरम	20.16	20.16	194
19.	नागालैंड	33.92	24.67	310
20.	उड़ीसा	1712.69	1460.89	16073
21.	पंजाब	143.06	136.81	1451
22.	राजस्थान	378.48	459.11	3698

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	6.59	6.52	125
24.	तमिलनाडु	2235.86	1828.44	16876
25.	त्रिपुरा	114.62	97.14	916
26.	उत्तर प्रदेश	3055.21	2737.56	25640
27.	उत्तरांचल**	257.07	250.57	6932
28.	पश्चिम बंगाल	1027.79	971.36	9756
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.43	1.2	0
30.	चंडीगढ़	2.92	3.22	29
31.	दादर एवं नगर हवेली	3.01	1.95	20
32.	दमन और दीव	1.32	0.7	7
33.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	5.9	2.9	40
34.	लक्षद्वीप	1.4	0.1	0
35.	पांडिचेरी	1.69	0	0
	कुल	23549.69	20154.22	203019

** नए राज्य।

विवरण-II

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम—राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

वर्ष 2001-2002 के दौरान वास्तविक और वित्तीय प्रगति

(रुपए लाख में)

(11.3.2002 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधियों की कुल उपलब्धता	सूचित व्यय	सूचित लाभार्थी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	25.45.58	2053.47	20395
2.	बिहार	1093.29	448.65	3748
3.	छत्तीसगढ़	863.51	484.35	4792

1	2	3	4	5
4.	गोवा	7.17	2.23	22
5.	गुजरात	307.82	215.61	2007
6.	हरियाणा	39.38	17.3	664
7.	हिमाचल प्रदेश	56.42	53.5	500
8.	जम्मू और कश्मीर	70.37	6.8	114
9.	झारखंड	413.93	191.25	1917
10.	कर्नाटक	538.18	176.83	1449
11.	केरल	306.38	116.52	994
12.	मध्य प्रदेश	2425.07	1180.292	11246
13.	महाराष्ट्र	667.73	226.09	2116
14.	उड़ीसा	1248.18	616.7	7565
15.	पंजाब	104.23	27.1	254
16.	राजस्थान	262.43	229.77	2358
17.	तमिलनाडु	1701.67	653.51	4388
18.	उत्तर प्रदेश	2467.06	982.75	12628
19.	उत्तरांचल	198.55	83.73	746
20.	पश्चिम बंगाल	767.8	339.4	4387
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0
22.	चंडीगढ़	2.3	1.4	32
23.	दादर और नागर हवेली	2.39	0.8	9
24.	दमन और दीव	0.85	0.1	1
25.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	0	0	0
26.	लक्षद्वीप	2.49	0.9	8
27.	पांडिचेरी	2.87	1.45	28
	उप योग	16096.65	8110.502	82368
पूर्वोत्तर राज्य				
28.	अरुणाचल प्रदेश	18.88	4.59	45
29.	असम	1392.17	536.75	6602

1	2	3	4	5
30.	मणिपुर	58.33	17.3	7619
31.	मेघालय	72.75	39.95	335
32.	मिजोरम	17.69	7.18	70
33.	नागालैंड	30.35	7.23	109
34.	सिक्किम	5.87	0	0
35.	त्रिपुरा	114.05	32.75	317
	उप योग	1710.09	645.75	15097
	कुल योग	17806.74	8756.25	97465

[हिन्दी]

भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार

***200. श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सऊदी अरब को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान उक्त देश को कुल कितना निर्यात किया गया है;

(ग) क्या भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार में आगे और अधिक वृद्धि की कोई संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा सऊदी अरब के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत से सऊदी अरब को निर्यात की जा रही प्रमुख मदों में शामिल हैं - चावल, वस्त्र, इंजीनियरिंग वस्तुएं, प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद, चाय, कॉफी, मसाले, काजू, तम्बाकू, औषधि एवं भेषज, चर्म उत्पाद, इल्क्ट्रानिक वस्तुएं इत्यादि।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सऊदी अरब को हुआ भारत का कुल निर्यात नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001
मूल्य	3257.44	3228.01	3694.73

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001
कुल व्यापार	10962.54	16303.92	18399.00
प्रतिशत वृद्धि	(-7.77 प्रतिशत)	(48.72 प्रतिशत)	(12.85 प्रतिशत)

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता

(ङ) और (च) जी, हां। दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा में विशेष रूप से सऊदी अर्थव्यवस्था के राज्य एकाधिकार से निजीकरण में संक्रमण के मद्देनजर आगे और वृद्धि होने की पूरी संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक क्षेत्र खुलेंगे जिससे प्रतिस्पर्धा और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

(छ) सऊदी अरब को निर्यात में वृद्धि करने हेतु उठाए गए कदमों में शामिल हैं—व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, संयुक्त आयोग की नियमित बैठकें, व्यापार मेंलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, बाजार सर्वेक्षण क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन इत्यादि।

[अनुवाद]

मुस्लिमों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करना

1926. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुस्लिमों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आन्ध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में "मुस्लिमों" को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अभ्यावेदनों की जांच करने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार द्वारा गोवा, पांडिचेरी तथा त्रिपुरा में मुस्लिमों को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने संबंधी अनुरोध को अस्वीकार किया जाए तथा कर्नाटक और केरल राज्यों में मुस्लिमों को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने संबंधी अभ्यावेदनों को स्वीकार किया जाए। सरकार द्वारा आयोग की इन सिफारिशों को उचित विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया गया है।

आर्थिक सुधारों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति

1927. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अर्थोपाय पर विचार करने के लिए दूसरी पीढ़ी के उपायों को तेज करने हेतु आर्थिक सुधारों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में आज तक क्या प्रगति, यदि कोई है, हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों पर नवम्बर, 2001 में एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है और उक्त समिति की एक बैठक सितम्बर, 2001 में आयोजित की जा चुकी है।

यूरोपीय देशों द्वारा समुद्री उत्पादों को लेने से इंकार

1928. श्री समीक लाहिड़ी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से निर्यात किए जा रहे समुद्री उत्पादों में एंटिबायोटिक्स पायी जा रही है जो पश्चिमी देशों में प्रतिबंधित है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरोपीय देशों ने उपर्युक्त कारणों से भारत से निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों को वापस कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश में इन एंटिबायोटिक्स के उत्पादन तथा बिक्री पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) किसी एंटीबायोटिक के उपयोग को तब प्रतिबंधित कर दिया जाता है यदि यह पाया जाता है कि ऐसे एंटीबायोटिक का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक अथवा अनुपयुक्त है। तथापि, सरकार द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2001 के सांविधिक आदेश का.आ. 792(अ) के जरिए मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों में एंटीबायोटिक्स, कीटनाशी एवं भारी धातुओं के लिए अधिकतम अवशिष्ट संबंधी सीमाएं विनिर्दिष्ट करते हुए निवारक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन

1929. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण को नियंत्रित करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करके और शक्तियां हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सरकार ने अंतिम रूप से विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ वित्तीय संस्थाओं के संदर्भ में विनियामक एवं पर्यवेक्षी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सक्षम बनाने का प्रावधान शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रस्ताव सरकार के जांचाधीन है।

जब्त किए गए हीरों की नीलामी

1930. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े शहरों में जब्त किए गए हीरों तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों की नीलामी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है; और

(ग) ऐसी वस्तुओं, जिनको गत तीन वर्षों के दौरान बेचा गया, की वर्ष-वार कीमत कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जब्त किये गये हीरों तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों की सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), मुम्बई के जरिये सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाता है।

(ख) इस संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया की मुख्य-मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) भारत और विदेश में व्यापक प्रचार किया जाता है ताकि यथासंभव अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सके।

(2) नीलामी करने के लिए प्रतिष्ठित नीलामी करने वाली फर्म की सेवाएं ली जाती हैं।

(3) प्रत्येक सम्भावित बोलीदाता से 1 लाख रुपये का प्रवेश शुल्क/भागीदारी शुल्क लिया जाता है।

(4) सम्भावित बोलीदाताओं को हीरों के ''लाटों'' की जांच की अनुमति दी जाती है।

(5) अभिग्रहण के मूल्य, गत वर्षों के दौरान हुई मूल्य वृद्धि, मौजूदा बाजार मांग और इन वस्तुओं के निःशुल्क आयात में मौजूदा प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सीमा शुल्क के अनुमोदन से बनाई गई मूल्य निर्धारण समिति द्वारा आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(6) बसे बड़ी बोलीदाता को मौके पर धरोहर राशि के रूप में बोली के मूल्य की 25 प्रतिशत राशि जमा करवानी पड़ती है। उसे शेष राशि का भुगतान करना होता है और आमतौर पर बोली स्वीकार होने के बारे में सूचना प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर माल की सुपुर्दगी लेनी पड़ती है।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान बेचे गये जब्तशुदा हीरों और मूल्यवान पत्थरों का मूल्य इस प्रकार है:-

वर्ष	बिक्री मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1999-2000	शून्य
2000-2001	1.34
2001-2002 (फरवरी, 2002 तक)	1.70

[हिन्दी]

बकाया कर

1931. श्री सुरेश चन्देल: क्यां **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की प्रथम 120 औद्योगिक/वाणिज्यिक इकाइयों पर वर्ष 2000-2001 की अवधि के दौरान आज तक आयकर, सम्पत्ति कर तथा अन्य वाणिज्यिक कर की कितनी राशि बकाया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी बकाया राशि संग्रहण कर ली गई है; और

(ग) शेष राशि को संग्रहण न किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) दिनांक 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार 120 अग्रणी कम्पनियों के विरुद्ध बकाया आयकर 15588.19 करोड़ रुपए है। सम्पत्ति कर और वाणिज्यिक कर राज्य के विषय हैं। राज्य करों के बारे में केन्द्रीय सरकार कोई सूचना नहीं रखती।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 120 अग्रणी कम्पनियों के बारे में देय आयकर का बकाया निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ों में)

1998-1999	1999-2000	2000-2001
311.66	1332.54	1624.10

(ग) कर मांग विवादास्पद होने, अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लम्बित अपीलों और ऐसे प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किये गये स्थगन जैसे कई कारणों की वजह से कर बकाया रहे।

राजस्थान में बाजरा की खरीद

1932. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान राजस्थान में कुल कितनी मात्रा में बाजरा की खरीद की गई;

(ख) क्या राजस्थान राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा समय पर धन उपलब्ध कराने के बावजूद भी अपेक्षित बाजरा की खरीद नहीं कर सकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) खरीफ विपणन मौसम, 2001-02 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन 33982 टन बाजरे और 2181 टन मक्का की वसूली की गई है।

(ख) से (घ) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खरीफ विपणन मौसम, 2001 के दौरान दूसरे वर्ष में सूखा पड़ने के कारण बाजरे का कम उत्पादन हुआ था। इसके अलावा बाजरे का स्टाक वसूली के लिए विहित एक समान विनिर्दिष्टियों से कम था। मक्का के संबंध में बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक रहने की सूचना मिली थी। राजस्थान सरकार के अनुरोध पर खरीफ विपणन मौसम, 2001-2002 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाजरे और मक्का की वसूली की गई थी।

[अनुवाद]

साधारण बीमा निगम के अधिकारियों की छंटनी

1933. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उदारीकृत बीमा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बीमा कंपनियों में विकास अधिकारियों के स्थान परिवर्तन/छंटनी की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभिकर्त्ताओं तथा दलालों की नियुक्ति के मापदंड में परिवर्तन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चयन के समय पुराने अभिकर्त्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) एजेंटों की नियुक्ति बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों को लाइसेंस प्रदान करना) विनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार की जाती है। वर्तमान में इन विनियमों में किसी परिवर्तन का विचार नहीं है। जहां तक दलालों का संबंध है, उनकी नियुक्ति का मानदंड अभी बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाना है।

(ङ) और (च) आई.आर.डी.ए. द्वारा अधिसूचित आई.आर.डी.ए. (बीमा एजेंटों को लाइसेंस प्रदान करना) विनियम, 2000 में बीमा एजेंटों के लिए कतिपय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की आवश्यकता आदि का निर्धारण किया गया है। तथापि, ये अपेक्षाएं पुराने एजेंटों पर लागू नहीं हैं और इन अपेक्षाओं की अनुपालना के बिना उनकी एजेंसी नवीकरण योग्य है।

मंत्रालय में रिक्त पद

1934. श्री अमर राय प्रधान: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.12.2001/31.3.2002 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय/विभागों और उनके मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालयों

में श्रेणी-वार कौन-कौन से पद रिक्त पड़े हुए हैं और ये किस तिथि से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक भर लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) विवरण नीचे दिये गये हैं।

क्रम संख्या	पदों के वर्गवार नाम	खाली पद	रिक्ति की तारीख
	ग्रुप "क"		
1.	उप-निदेशक (लागत)	01	05.05.2001
	ग्रुप "ख"		
2.	सहायक	03	01.01.2001 28.02.2001 10.09.2001
3.	निजी सहायक	02	31.01.2001 01.05.2001
4.	वरिष्ठ अनुवेषक	01	25.09.2001
	ग्रुप "ग"		
5.	कनिष्ठ अनुवादक	01	14.01.2002
6.	उच्च श्रेणी लिपिक	01	05.05.2001
7.	आशुलिपिक	04	01.09.2000 16.10.2000 08.03.3003 08.03.2002
8.	अवर श्रेणी लिपिक	03	06.01.2000 01.05.2001 01.02.2002
9.	पुस्तकालय परिचर	01	16.10.2001
	ग्रुप "घ"		
10.	फराश	01	01.12.2001

(ख) और (ग)

(1) क्रम संख्या-1 के पद को व्यय विभाग के संवर्ग में शामिल कर दिया गया है और पद को भरने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है।

(2) क्रम संख्या 2, 3, 6, 7 और 8 के पदों के संबंध में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय नियंत्रक संवर्ग है। मंत्रालय सरकार की नीति के अनुरूप पदों को भरने का विचार कर रहा है।

(3) क्रम संख्या 4 का पद विकलांगों के लिए आरक्षित है और पद को भरने का प्रस्ताव कर्मचारी चयन आयोग में भरने के लिए लंबित है।

(4) क्रम संख्या 5 के पद के संबंध में गृह मंत्रालय (राज भाषा विभाग) संवर्ग नियंत्रक विभाग है। राजभाषा विभाग से पद को भरने का अनुरोध किया गया है।

(5) क्रम संख्या 9 की रिक्ति अल्पावधि की रिक्ति है और कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण खाली हुई है।

(6) क्रम संख्या 10 के रिक्त पद को भरने के लिए कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।

प्राथमिक बाजार को बढ़ावा देने के लिए उपाय

1935. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी के पैनल ने हाल ही में प्राथमिक बाजार को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सेबी पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों से लघु निवेशकों के हितों की किस सीमा तक रक्षा होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति की दिनांक 21 जनवरी, 2002 को बैठक हुई और इसने अन्य बातों के अलावा किसी भी एक्सचेंज में किसी भी कंपनी के सूचीकरण हेतु साझी सूचीकरण समिति; घरेलू और

विदेशी बाजारों में साथ-साथ पेशकशों की अनुमति; विलयन, अविलयन, आदि के मामले में उद्भासन; निर्गमकर्त्ताओं और अग्रणी प्रबंधकों की वेबसाइटों पर मसौदा व अंतिम विवरणिका उपलब्ध कराने; और सार्वजनिक निर्गमों में आवंटन हेतु समयावधि में कटौती की सिफारिशें की।

(ग) इस समिति की अनुशंसाएं, अन्य बातों के अलावा, सूचीकरण के मानकों व दृष्टिकोण में समानता लाने के दृष्टिगत की गई थी।

[हिन्दी]

गुजरात में हस्तशिल्प के विकास के लिए सहायता

1936. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात हथकरघा विकास निगम ने केन्द्र सरकार से हस्तशिल्प वस्तुओं के विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जियोग्राफिकल इंडीकेशंस एक्ट, 1999

1937. श्री गुन्नीपाटी रामैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जियोग्राफिकल इंडीकेशंस एक्ट, 1999 को अधिसूचित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अधिनियम को तत्काल अधिसूचित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) जी, हां। जियोग्राफिकल इंडीकेशंस आफ गुड्स (पंजीकरण व संरक्षण) एक्ट, 1999, 30 दिसम्बर, 1999 को अधिसूचित किया गया था। अधिनियम का प्रवर्तन जियोग्राफिकल इंडीकेशंस आफ गुड्स (पंजीकरण व संरक्षण) नियमों को अन्तिम रूप देने और बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.) की स्थापना करने पर भी निर्भर करता है। उक्त अधिनियम का प्रवर्तन करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं और इन उपायों में जियोग्राफिकल इंडीकेशंस आफ गुड्स (पंजीकरण व संरक्षण) नियम, 2002 की अधिसूचना तथा आई.पी.ए.बी. की स्थापना शामिल है। आई.पी.ए.बी. से संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण होने वाली हैं।

गया जूट और कॉटन मिल

1938. श्री रामजी मांझी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गया जूट और काटन मिल काफी समय से बंद पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गया टैक्सटाइल और जूट मिल को बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी हां। मिल जुलाई, 1957 से बंद पड़ी हुई है।

(ख) मिल अनार्थिक प्रचालनों के कारण बंद पड़ी हुई है और यह जॉब कार्य तक करने में असमर्थ है।

(ग) चूंकि मिल तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के अनुसार गैर अर्थक्षम पाई गई है, इसलिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा परिचालित पुनर्स्थापना योजना में मिल को बंद करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में अंतिम निर्णय बी.आई.एफ.आर. द्वारा लिया जाना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो भागों में बांटना

1939. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो भागों में बांटने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में संविधान में संशोधन करने के लिए कब तक संसद के सामने विधेयक लाये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) जी, हां। आयोग के द्विभाजन सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं। जनजातियों के कल्याण और विकास पर पूरा ध्यान देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नामक एक अलग मंत्रालय की भी स्थापना की गई है।

महाराष्ट्र को विश्व बैंक की सहायता

1940. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक तथा भारतीय उद्योग परिसंघ हाल ही में किए गए एक अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सभी भारतीय राज्यों में से महाराष्ट्र में सबसे उत्तम निवेश का वातावरण है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए और आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। विश्व बैंक ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के सहयोग से भारत के 10 राज्यों में 4 प्रमुख क्षेत्रों में 1099 विनिर्माण कंपनियों का सर्वेक्षण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि सभी भारतीय राज्यों में गुजरात सहित महाराष्ट्र में सबसे उत्तम निवेश का वातावरण है।

(ख) और (ग) विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट के आधार पर नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु और अधिक ढांचागत विकास हेतु महाराष्ट्र सरकार को कोई वित्तीय सहायता देने की वचनबद्धता प्रदान नहीं की है।

[हिन्दी]

राजस्थान में लघु बचत योजना

1941. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी लघु बचत योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर राजस्थान में लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित सारे देश में चलाई जा रही लघु बचत योजनाएं ये हैं : डाकघर बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा (1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष), मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत योजना, 1992, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम), लोक भविष्य निधि और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं।

(ख) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा देश भर में इलेक्ट्रानिक तथा साथ ही समाचार पत्र-पत्रिकाओं जैसे माध्यमों में विज्ञापन के द्वारा और प्रचार अभियान आयोजित करके लघु बचत योजनाओं का संवर्धन करते हुए संसाधनों को अनवरत और वर्धित रूप से जुटाने के लिए उपाय किए जाते हैं। 5 लाख से भी अधिक लघु बचत एजेंट इन योजनाओं को निवेशकों के घर तक उपलब्ध कराते हैं। लघु निवेशकों के निवेश की सुरक्षा स्पष्ट गारंटी, आकर्षक आय, कर लाभ, नकदी और लघु बचत योजनाओं के संबंध में पहुंच प्रदान करके की जाती है।

[अनुवाद]

उत्पाद/सीमा शुल्क लगाने की प्रणाली

1942. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर, 1983 में मैसर्स बोम्बे टायर इन्टरनेशनल और एम.आर.एफ. मामले में और (1995 (77) ई. टी. 433) में क्रमशः यह माना था कि बिक्री व्ययों आदि का भाग होने के कारण बिक्री बाद सेवा को मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इन व्ययों से उत्पाद की विपणनता को प्रोत्साहन मिलता है और इस प्रकार से यह इसके मूल्य में जुड़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयुक्त कार्यालयों ने ऐसे प्रभारों को मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया है जिसके कारण करोड़ों रुपये के शुल्क की वसूली की हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालयों के कारण राज्यों को इससे आयुक्त कार्यालयवार कितना घाटा हुआ; और

(घ) इन आयुक्त कार्यालयों के कार्यकरण को चुस्त-दुरूस्त करने और राज्यों को हुए घाटे की पूर्ति की वसूली के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। उच्चतम न्यायालय के इन दो निर्णयों के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने परिपत्र संख्या 355/71/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 19.11.97 और परिपत्र संख्या 435/1/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 12.1.99 जारी किये गये हैं जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि विनिर्माता की ओर से बिक्री बाद सेवा पर खर्च की गई लागत माल के निर्धार्य मूल्य का एक हिस्सा होगी। तथापि, बाद में बहुत से निर्धारितियों ने उच्चतम न्यायालय में इस व्याख्या को चुनौती दी है और जिन 13 मामलों में उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्राप्त हो गया है, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया है कि यदि विनिर्माता और डीलर के बीच मालिक से मालिक के आधार पर सौदा होता है और विनिर्माता को डीलर से बिक्री के बाद सेवा के संबंध में कोई राशि प्राप्त नहीं होती है, तो डीलर द्वारा बिक्री-बाद सेवा के संबंध में किया गया व्यय निर्धार्य मूल्य का हिस्सा नहीं होगा।

(ख) से (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून और प्रक्रिया के अंतर्गत, निर्धारिती स्वयं ही निर्धार्य मूल्य का निर्धारण करते हैं और शुल्क अदा करते हैं।

तथापि, ऐसी इकाईयों की लेखा-परीक्षा में अथवा विभाग की तस्करी-रोधी कार्रवाई के द्वारा इस विषय से संबंधित पता लगाये गये मामलों के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जाएंगे।

प्राथमिक शिक्षा के लिए बिहार को विश्व बैंक की सहायता

1943. श्री सुकदेव पासवान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को विश्व बैंक को अग्रेषित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है।

तथापि, दिनांक 23.2.98 को हस्ताक्षरित चालू जिला प्राथमिक शिक्षा चरण-3, के अधीन तथा 152 मि. अमरीकी डालर की राशि के लिए विश्व बैंक से बिहार के 11 जिलों तथा झारखंड के 6 जिलों के लिए सहायता प्राप्त की जा रही है। यह परियोजना दिनांक 30.9.2003 को समाप्त होनी है। विश्व बैंक से वर्ष 2005 तक इस योजना का विस्तार करने की अनुमति मांगी गई है।

[हिन्दी]

कम मूल्यवर्ग के करेन्सी नोट

1944. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की सामान्य शाखाओं में कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को जमा करने में बैंक ग्राहकों के सामने कठिनाई आ रही है और 5 और 10 रुपये के करेंसी नोट अनिच्छापूर्वक कम प्राप्त किये जाते हैं;

(ख) क्या कम मूल्य वर्ग के करेन्सी नोटों को आर्थिक मूल्यवर्ग के करेन्सी नोटों में बदलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 5 रुपए तथा 10 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों सहित, कम मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को स्वीकार करने से इंकार करने के संबंध में बैंकों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) कम मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को अधिक मूल्यवर्ग के नोटों में बदलने के लिए व्यवस्था मौजूद है। इन नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों तथा करेंसी चेस्ट की सुविधा वाली बैंक शाखाओं में सुविधाजनक रूप से बदला जा सकता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से और अधिक करेंसी चेस्टस खोलने तथा ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, जब भी कोई विशेष शिकायत प्राप्त होती है, उसे दूर करने के लिए संबंधित बैंक को तत्काल निदेश जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारी

1945. श्री रमेश. सी. जीगाजीनागी:
श्री राजैया मल्याला:

क्या **वित्त मंत्री** राष्ट्रीयकृत बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारी के बारे में 14 दिसम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 4210 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) अतारांकित प्रश्न सं. 4210 के संबंध में सूचना सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से एकत्र की जा रही है।

चूंकि मांगी गई सूचना विस्तृत है, अतः यह जैसे ही प्राप्त होगी, प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1946. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा अ.जा. और अ.ज.जा. के आर्थिक हितों को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने के लिए क्रियान्वित की जा रही सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम कौन-कौन से हैं जो उन्हें ऐतिहासिक आर्थिक बाधाओं पर काबू पाने में समर्थ बना सकें और हमारे देश के व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की गतिविधियों में भागीदारी करके हमारी राष्ट्रीय जीवन को मुख्य धारा में ला सकें?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग

1947. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता को भारतीय समुद्र खाद्य निर्यात उद्योग के पुनरुद्धार और प्रोत्साहन करने के संबंध में सुझाव देने के कार्य में लगा रखा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता द्वारा इस संबंध में की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों ने भी कुछ सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय के अनुमोदन से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) और सीफूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एस.ई.ए.आई.) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता को समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात उद्योग तथा उसकी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत के वित्त पोषण की पद्धति को पुनर्गठित करने के बारे में एक योजना बनाने हेतु नियुक्त किया था। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुनर्गठन निधि का सृजन किए जाने की सिफारिश की गयी थी।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश और केरल की राज्य सरकारों ने पुनर्गठन निधि का सृजन किए जाने की सिफारिश और उसका समर्थन किया है।

(ङ) सरकार ने समुद्री खाद्य उद्योग के लिए पुनर्गठन निधि के सृजन के सुझाव की जांच की है। तथापि, इस प्रस्ताव का समर्थन करना/उसे स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

हथकरघा इकाइयों का आधुनिकीकरण

1948. श्री जी.जे. जावीया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की हथकरघा इकाइयों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान हथकरघा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस आवंटित राशि से कितनी हथकरघा इकाइयों के आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) हथकरघा क्षेत्र के विकास का उद्देश्य हथकरघा कपड़े की गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादन की वृद्धि को देखते हुए विद्यमान करघों का आधुनिकीकरण/परिवर्तन/कामचलाऊ प्रबन्ध, अन्य सहित को देखते हुए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करना है।

(ख) हथकरघा क्षेत्र के विकास के कार्यान्वयन के अंतर्गत तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए वर्तमान विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के घटकों का उद्देश्य आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन है।

(1) दिनांक 1.4.2000 से आरम्भ की गई दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी.डी.एच.पी.वाई.) के अंतर्गत करघों के अधिग्रहण तथा कलपूर्जों, डिजाइन सहायता तथा आधारभूत संरचना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(2) निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनका विपणन स्कीम (डी.ई.पी.एम.) के अंतर्गत निर्यात के लिए हथकरघा उद्योग की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय हथकरघा विकास निगमों, प्राथमिक तथा शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(3) अनुसंधान एवं विकास स्कीम के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान एंव विकास परियोजनाएं चलाने के लिए व्यवसायिक एवं स्वैच्छिक संगठनों सहित अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगे विकास निगम/संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है।

(4) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाईन केन्द्र (एन.सी.टी.डी.) मार्च, 2001 में परम्परागत तथा समकालीन डिजाईनों को प्रोत्साहन देने के लिए आरम्भ किया गया था। जिससे तेजी से बदली विपणन मांग के लिए प्रतिक्रियाशील हेतु हथकरघा क्षेत्र कार्य कर सके।

(ग) उक्त स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। भारत सरकार उक्त स्कीमों अंतर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राप्त प्रस्तावों पर केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए विचार किया जाता है।

(घ) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी.डी.एच.पी.वाई.) तथा निर्यात योग्य उत्पादों का विकास तथा उनका विपणन स्कीम (डी.ई.पी.एम.) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शामिल किये जाने वाले सम्भावित करघों स्वीकृत राशि सहित, लाभभोगियों, सम्भावित आधुनिकीकरण किये जाने वाले हथकरघा इकाइयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1997-98 से 2001-2002 (11 मार्च 2002 तक) के दौरान अनुसंधान एवं विकास स्कीम के अंतर्गत 36 संगठनों के लिए 234.129 लाख रुपये परिव्यय के 51 अनुसंधान परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। आगे वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 (11 मार्च 2002 तक) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र को 130.27 लाख रुपये की राशि परम्परागत तथा समकालीन प्रोत्साहन हेतु जारी की गई है।

विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना 2000-2001				निर्यातयोग्य उत्पादों का विकास तथा उनके विपणन की स्कीम 1999-2000				निर्यातयोग्य उत्पादों का विकास तथा उनके विपणन की स्कीम 2000-2001			
		परि-योजनाओं की सं.	लाभ-भोगियों की सं.	ईकाइयों की सं.	स्वीकृत राशि	परि-योजनाओं की सं.	लाभ-भोगियों की सं.	ईकाइयों की सं.	स्वीकृत राशि	परि-योजनाओं की सं.	लाभ-भोगियों की सं.	ईकाइयों की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	3	350	350	3.75000	-	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	45	4400	4400	79.20000	1	100	100	1.50000	-	-	-	-
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	50	2.00000
6.	दिल्ली	-	-	-	-	1	10	10	0.75000	-	-	-	-
7.	गुजरात**	1	2500	2500	175.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	30	1.50000
9.	हिमाचल प्रदेश	7	250	187	2.12500	6	1054	1054	6.50000	2	350	350	3.00000
10.	जम्मू एवं कश्मीर	6	600	600	5.40000	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	मध्य प्रदेश	4	185	30	0.42500	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	मणिपुर	74	3627	3627	156.45500	-	-	-	-	-	-	-	
17.	मेघालय	1	100	100	1.80000	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	मिजोरम	-	-	-	-	1	100	100	1.50000	-	-	-	-
19.	नागालैंड	10	1000	300	5.40000	-	-	-	-	2	450	450	2.00000
20.	उड़ीसा	-	-	-	-	1	200	200	1.50000	-	-	-	-
21.	पंजाब	-	-	-	-	2	250	250	3.00000	1	150	150	1.00000
22.	राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	200	1.50000
25.	त्रिपुरा	16	1015	465	4.18500	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	उत्तर प्रदेश	21	2075	2050	10.5000	4	810	810	6.00000	1	500	500	1.50000
27.	उत्तरांचल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	पश्चिम बंगाल	12	890	442	6.13800	1	100	100	1.50000	3	336	336	3.20000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, (जिसमें उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा शामिल है।	-	-	-	-	1	100	100	2.00000	1	35	35	3.50000
30.	अखिल भारतीय हथकरघा फैब्रिक विपणन सहकारी समिति (जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु एवं कर्नाटक शामिल है।	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	100	3.00000
31.	हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद जिसमें तमिलनाडु तथा केरल शामिल है।	-	-	-	-	2	200	200	8.00000	-	-	-	-
32.	पूर्वोत्तर हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम जिसमें मिजोरम शामिल है।	-	-	-	-	1	300	300	1.50000	-	-	-	-
	कुल	197	16642	14701	446.62800	24	3574	3574	37.50000	14	2201	2201	22.20000

* स्कीम 2000-01 में आरंभ की गई।

** भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के बुनकरों को शामिल करने के लिए स्वीकृत की गई परियोजना।

विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं को अमरीकी वित्तपोषण

1949. श्री अरुण कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 सितम्बर, 2001 को अमरीका पर आतंकवादी हमलों और तालीबान के साथ युद्ध के कारण अमरीकी वित्तपोषण का सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को यूएस एजेंसी फार इन्टरनेशनल डेवलपमेंट के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

1950. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के सामने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रक्रिया संबंधी समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजनाओं के और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए

ऐसी बाधाओं को समाप्त करने हेतु इस मामले को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना

1951. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कितनी विकासात्मक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और विश्व बैंक द्वारा इन परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए कुल अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक के अलावा अन्य स्रोतों से कितनी राशि की व्यवस्था की गई है और ये स्रोत कौन-कौन से हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(आंकड़े अनन्तिम)

(मिलियन अमरीकी डालर में, विशिष्ट रूप से दर्शाए गए मामले को छोड़कर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विश्व बैंक द्वारा अग्रिम रूप में दिए गए ऋण की राशि	परियोजना लागत	अन्य स्रोतों से प्राप्त वित्तपोषण की राशि, यदि कोई हो तो, स्रोत के नाम सहित
1	2	3	4	5
1.	पारिस्थिति विज्ञान विकास परियोजना	28.00	67.00	–
2.	यू.पी. और उत्तरांचल वानिकी	52.80	65.01	–
3.	केरल वानिकी परियोजना	39.00	47.00	–
4.	पर्यावरण प्रबंधन केप बिल्डिंग टीए परियोजना	29.64	34.70	–
5.	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना	65.50	89.80	–
6.	यूपी जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	52.40	71.00	–
7.	कृषि और मानव संसाधन विकास परियोजना	59.50	74.20	–
8.	आंध्र प्रदेश जिला गरीबी अभिक्रम परियोजना	111.00	134.00	–
9.	असम ग्रामीण संरचना कृषि सहायता परियोजना	126.00	146.60	–
10.	एकीकृत जलाशय विकास परियोजना (हिल्स-2)	135.00	193.00	–

1	2	3	4	5
11.	कर्नाटक जलाशय विकास परियोजना	100.40	127.60	–
12.	एम.पी. जिला गरीबी अभिक्रम परियोजना	110.10	134.70	–
13.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	196.80	239.70	–
14.	राजस्थान महिला गरीबी अभिक्रम परियोजना	100.50	124.80	–
15.	ग्रामीण महिला विकास तथा अधिकारिता परियोजना	19.50	53.80	–
16.	यू.पी. विविध कृषि सहायता परियोजना	129.90	160.50	–
17.	यू.पी. सोडिक भूमि सुधार-2	194.10	286.60	–
18.	यू.पी. स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	110.00	127.58	–
19.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	134.00	158.10	–
20.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	76.40	90.70	–
21.	मध्य प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	123.00	159.00	–
22.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	350.00	416.70	–
23.	राष्ट्रीय कुष्ठता उन्मूलन परियोजना-2	30.00	42.20	–
24.	मोतियाबिंद अंधता नियंत्रण परियोजना	87.80	135.70	–
25.	क्षय रोग नियंत्रण परियोजना	142.40	176.40	–
26.	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	164.80	203.80	–
27.	द्वितीय राष्ट्रीय एचआईबी/एड्स परियोजना	194.75	229.80	–
28.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना-1	260.30	310.50	–
29.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना-2	425.20	534.40	25.8 (नीदरलैंड सरकार)
30.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना-3 बिहार	152.00	199.70	10 (यूनीसेफ)
31.	राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परियोजना	81.90	87.50	–
32.	राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परियोजना-2	74.40	101.30	–
33.	यू.पी. जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	182.40	214.70	–
34.	तकनीकी शिक्षा-3	64.90	80.10	–
35.	प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना	142.60	158.80	–
36.	भारत जनसंख्या परियोजना-8	79.00	96.60	–
37.	भारत जसंख्या परियोजना-9	78.60	103.80	–
38.	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना	218.30	248.30	–

1	2	3	4	5
39.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं-2	194.00	248.80	–
40.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं-3	300.00	422.30	–
41.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	306.00	385.30	–
42.	मध्य प्रदेश आपदा प्रशमन तथा चक्रवात पुनर्निर्माण परियोजना	131.00	220.00	–
43.	आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग	350.00	485.00	एयूडी 1.8 मि. (आस्ट्रेलिया सरकार)
44.	तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	105.00	205.00	–
45.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	516.00	650.00	–
46.	दूरसंचार क्षेत्र पुनर्निर्माण टीए परियोजना	62.00	72.00	–
47.	गुजरात राजमार्ग परियोजना	381.00	533.00	–
48.	कर्नाटक राजमार्ग सुधार परियोजना	369.00	447.00	–
49.	ग्रांड ट्रंक सड़क सुधार परियोजना	589.00	756.00	–
50.	बंबई मल निकासी निपटान परियोजना	157.00	295.00	103.60 (वृहद मुंबई नगरपालिका)
51.	द्वितीय मद्रास जल आपूर्ति परियोजना	80.50	421.00	72.6 (तमिल स.) 72.6 (मद्रास मेट्रो जलापूर्ति तथा मल निकासी बोर्ड)
52.	हरियाणा जल संसाधन निर्माण परियोजना	209.70	483.40	225.4 (हरियाणा सरकार)
53.	उड़ीसा जल संसाधन निर्माण परियोजना	290.90	345.50	48.2 (उड़ीसा सरकार) 6.4 (सामुदायिक अंशदान)
54.	तमिलनाडु जल संसाधन निर्माण परियोजना	282.90	315.60	32.7 (तमिलनाडु सरकार)
55.	आंध्र प्रदेश सिंचाई-3 परियोजना	325.00	477.43	152.43 (आंध्र प्रदेश सरकार)
56.	जल विज्ञान परियोजना	122.40	162.40	20.4 (बहु-राज्य)
57.	यू.पी. जल क्षेत्र संसाधन परियोजना	149.20	173.70	24.50 (यू.पी. सरकार)
58.	नाथ्पा झाकरी विद्युत परियोजना	485.00	1836.60	300.6 (सह-वि. दाता) 1051 (भारत सरकार/हि.प्र. सरकार/ एचपीएसईबी)
59.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना	290.00	997.20	56.8 (एडीबी), 110 (स.वि.ए.) 25.6 (उड़ीसा स.) आं.न., स. 221.8 अ 273

1	2	3	4	5
60.	यू.पी. विद्युत क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना	159.00	236.00	0.2 (ओडीए), 85.8 (उत्तर प्रदेश सरकार)
61.	आंध्र प्रदेश विद्युत परियोजना	210.00	576.00	70 (अंतर्रा.वि.वि.) 3 (कनाडियन अंतर्रा.वि.ए.) 28 (वि.वि.नि.), 70 (आरईसी) 67 (अन्य), 128 (आं. प्रदेश सरकार)
62.	राजस्थान विद्युत परियोजना	180.00	266.80	2 (अन्य ईएपी) 60 (राजस्थान सरकार) 24.8 (एनए)
63.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी-2	135.00	300.00	3.8 (इएपी/आईएफ) 199 (अन्य)
64.	विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम-2	450.00	1300.00	1145 करोड़ रुपए (इएपी/आईए/केएफडब्ल्यू)
65.	गुजरात भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रम	400.00	473.90	-
66.	कोयला क्षेत्र पर्यावरण और सामाजिक प्रशमन परियोजना	63.00	84.00	21 (कोल इंडिया)
67.	आंध्र प्रदेश परिस्थिति पुनर्निर्माण परियोजना	542.90	830.00	190.8 (आंध्र प्रदेश सरकार), 96 (लाभ प्राप्तकर्त्ता)
		12560.39	19926.02	

जैव चाय का उत्पादन

1952. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त जैव-चाय की खेती के विकास के लिए संयुक्त रूप से सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की चाय के निर्यात की क्या संभावनाएं हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.), चाय संबंधी अंत:सरकारी समूह के माध्यम से कॉमन फण्ड फार कोमोडिटीज को एक प्रमुख परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य मूलत: आदर्श कार्बनिक फार्मों की स्थापना करके कार्बनिक चाय उत्पादन की तकनीकों तथा प्रणालियों का विकास करना है।

(ग) जी, हां। खाद्य एवं कृषि संगठन ने सिद्धांतत: इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया है।

(घ) चाय सहित कार्बनिक वस्तु बाजार एक बढ़ते हुए तथा प्रीमीयम कीमत वाले बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में कार्बनिक चाय के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है जो 1990 के 0.15 मिलि. किग्रा. से बढ़कर इस समय 3.5 मिलि. किग्रा. तक बीस गुणा हो चुका है। भारत में उत्पादित समस्त कार्बनिक चाय का निर्यात किया जाता है और कार्बनिक तथा अकार्बनिक चाय के बीच कीमत अंतर लगभग 50-100 प्रतिशत है। देश में कार्बनिक चाय के बढ़ते उत्पादन की काफी निर्यात संभाव्यता है और इससे मूल्य वसूली भी अधिक होती है क्योंकि विकसित देशों में इस प्राकृतिक खाद्य की काफी आकर्षक मांग है।

[अनुवाद]

नि:शक्तता अधिनियम, 1995

1953. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीति निर्धारित निकाय, केन्द्रीय समन्वय समिति द्वारा फरवरी, 1996 में अधिसूचित नि:शक्तता अधिनियम, 1995 के अंतर्गत आज की तिथि तक कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं;

(ख) केन्द्रीय कार्यकारी समिति, निर्णायक निकाय द्वारा 1996 से आज की तिथि तक कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय समन्वय समिति और केन्द्रीय कार्यकारी समिति की बैठकें नि:शक्तता अधिनियम, 1995 में दिए गए निदेशों के प्रतिकूल थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में नि:शक्त व्यक्तियों के दुख-तकलीफों को दूर करने के लिए क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) केन्द्रीय समन्वय समिति (सी.सी.सी.) की चार बैठकें हुई हैं।

(ख) केन्द्रीय कार्यकारी समिति (सी.ई.सी.) का गठन 15.9.97 को हुआ और अब तक इसकी आठ बैठकें हुई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर बिजली और कोयले की बकाया राशि

1954. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के शीर्ष निकाय, सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) ने विद्युत और कोयला उपक्रमों को बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त अधिकार दिये जाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार राज्यों और अन्यों पर विद्युत और कोयले से सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कितनी राशि बकाया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकारी उद्यमों के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) में वित्त मंत्री को केन्द्रीय बजट 2002 के लिए आर्थिक नीति सम्बन्धी मुद्दों पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह जोर दिया गया था कि देश में ऊर्जा कार्यक्रमों के विस्तार के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हाथों को मजबूत किया जाना चाहिए। दिए गए सुझावों में से एक सुझाव यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य निकायों से ऐसे ऋण वसूल करने में सहायता दी जाए, जिनकी राशि स्कोप द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार 25000 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक है।

वित्त मंत्री के बजट भाषण में किए गए उल्लेख के अनुसार विद्युत क्षेत्र में वित्तीय सक्षमता का पुनर्स्थापन निर्णायक रहा है। मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों का उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त दल राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को देय भारी ऋण को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूतिकरण तथा कर मुक्त बन्धपत्र जारी करने के माध्यम से एकमुश्त भुगतान योजना से सहमत हो गया है, बशर्ते कि वे विनिर्दिष्ट कार्यनिष्पादन लक्ष्य प्राप्त करें तथा भविष्य में वर्तमान देयताओं का पूरा भुगतान करें।

बैंकों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन समिति

1955. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए किसी मानव संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया है;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं पर सिफारिश करने के लिए जून, 2000 में भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.), सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने दिनांक 9.10.2000 को अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सारांश को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ ने उपर्युक्त मार्ग निर्देश जारी करके प्रमुख सिफारिशों पर कार्रवाई की है जो निम्नानुसार है:-

1. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना/विश्राम दिवसीय अवकाश योजना लागू करना।

2. कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-1 में सीधी भर्ती के प्रतिशत का चरणबद्ध तरीके से 50 प्रतिशत तक बढ़ाना।

3. अपनी स्वयं की भर्ती नीति तैयार करना जिसमें बैंक की सेवा में स्थानीय लोगों की आंकाक्षाओं का ध्यान रखा जाए।

4. उचित प्रशिक्षण प्रदान करने तथा बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों के विशिष्ट अर्हताओं/दक्षताओं का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

5. देश के अन्य भागों से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तैनात किए गए अधिकारियों को देय प्रोत्साहनों में वृद्धि करना।

6. आवास निर्माण अग्रिम (एचबीए) की अधिकतम सीमा में वृद्धि करना।

सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से पुन: 58 वर्ष करने से सम्बन्धित समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। इस समिति की अन्य सिफारिशें सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायक हो सकती हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश

1. श्रम शक्ति को युक्ति संगत बनाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति विश्राम दिवसीय अवकाश योजना लागू कर सकते और सरकार को चाहिए कि वह अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करे दें।

2. भर्ती नियमों के विरुद्ध आकस्मिक/अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. रख-रखाव/सफाई जैसी आधार सेवाओं को बाह्य स्रोतों से करवाया जाए।

4. कार्य के आबंटन तथा कर्मचारी की उत्पादकता के मानदंडों की पुनरीक्षा की जाए।

5. अधिकारियों की सीधी भर्ती की आयु को 30 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष करना तथा उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों की मध्यम प्रबंधन ग्रेड में भर्ती की जाए।

6. वर्तमान में स्केल-1 में 25 प्रतिशत के स्थान पर जे एम जी स्केल-1 में रिक्तियों को 50 प्रतिशत तथा स्केल-2 में 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जाए।

7. लिपिकीय संवर्ग के लिए स्थानीय भाषा (अर्हक) जांच परीक्षा शुरू की जाए।

8. अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती अधिकतम योग्यता को मैट्रिक-पूर्व से मैट्रिक/एस एल सी या इसके समकक्ष किया जाए।

9. कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-स्केल-1 से शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल VII के कैरियर वृद्धि की अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष करना तथा अधिकारी संवर्ग में स्केलों की संख्या को 7 से घटाकर 5 करना।

10. पदोन्नति के लिए फास्ट ट्रैक चैनल शुरू करना और ग्रामीण सेवा को प्रोत्साहनोंन्मुखी बनाना।

11. श्रमशक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए ग्राहकों को अतिरिक्त सेवाएं/सुविधाएं प्रदान करना।

12. आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने हेतु प्रशिक्षण आवश्यकताओं और नीतियों की समीक्षा।

13. कार्यनिष्पादन से जुड़े पुरस्कार/प्रोत्साहन के लिए स्थानांतरण नीति तथा गैर-कार्य निष्पादन के लिए भयोपकारी नीति तैयार करना।

14. अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर दिवंगत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को उपयुक्त मौद्रिक लाभ/अनुग्रह राशि प्रदान करना।

15. स्थानांतरण एवं स्थान नियोजन से सम्बन्धित नीति को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक आधार वाला बनाना।

16. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली और फार्मों की समीक्षा।

17. अनुशासनिक मामलों का त्वरित निपटान।

18. भत्तों और अनुलाभों को बैंक की लाभप्रदता एवं भुगतान की क्षमता से जोड़ना।

19. एल.टी.सी., मेडिकल सहायता आदि जैसी अनुलाभों से सम्बन्धित बिलों के आधार पर प्रतिपूर्ति के बजाए एक-मुश्त राशि का भुगतान।

20. बैंकों को एक से अधिक कार्यपालक निदेशक रखने की अनुमति।

21. अध्यक्षों/कार्यपालक निदेशकों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतियों और कार्यक्रमों के जारी रहने के लिए प्रत्येक नियुक्ति का कार्यकाल पर्याप्त रूप से लम्बा हो।

22. उत्तर-पूर्व में तैनात अधिकारियों को देय विशेष तदर्थ प्रोत्साहनों और आवास निर्माण अग्रिम में वृद्धि हो।

[अनुवाद]

निर्यात निष्पादन के संबंध में राज्यों को निधियां

1956. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एक ऐसे कोष का गठन किया है जो राज्यों का उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर प्रतिनिधित्व करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य निर्यात जोनों संबंधी वित्तीय नीतियों की घोषणा करने के लिए भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के निर्यात को बढ़ाने के लिए इस निधि के सृजन से किस सीमा तक प्रोत्साहन मिलेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्य विभाग ने हाल ही में "ए.एस.आई.डी.ई." (बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं निर्यात हेतु राज्यों को सहायता) नामक एक नई योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना में निर्यात संवर्धन के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत कुल निधियों का 20 प्रतिशत केन्द्र सरकार के पास रहेगा और निधियों का 80 प्रतिशत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा। निधियों के इस 80 प्रतिशत में से राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर 50 प्रतिशत तथा उनकी निर्यात वृद्धि हेतु 50 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) ए.एस.आई.डी.ई. योजना से राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को समुचित निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं का सृजन करके एवं निर्यात संवर्धन को सुकर बनाने की सुविधा उपलब्ध करा कर निर्यात संवर्धन हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयोडीनयुक्त नमक का वितरण

1957. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कर्नाटक के कुछ जिलों में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं;

(ख) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता प्राप्त दरों पर आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आयोडीनयुक्त नमक शुरू करने का सुझाव प्राप्त हुआ है। तथापि, इस संबंध में कोई अंतिम प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

व्यापार घाटा

1958. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान भारत के निर्यात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) उक्त नकारात्मक निर्यात वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान नकारात्मक निर्यात वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो अप्रैल-दिसम्बर, 2001 के दौरान डालर एवं रुपए में भारत के व्यापार घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में इस प्रवृत्ति से बचने के लिए सरकार की क्या विशिष्ट योजना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) जी, नहीं। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.), कलकत्ता से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जनवरी, 2001-2002 के दौरान भारत का पण्य वस्तुओं का निर्यात 36.526 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ था जो कि अप्रैल-जनवरी, 2000-01 के दौरान हुए 35.963 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात से 1.56 प्रतिशत अधिक है। जनवरी, 2001 के निर्यातों की तुलना में जनवरी, 2002 के महीने के दौरान हुए निर्यातों में डालर के रूप में 18.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुयी। अप्रैल-दिसम्बर, 2001 के दौरान व्यापार घाटा डालर के रूप में (-)5790 अमरीकी डालर और रुपये के रूप में (-)27308 करोड़ रुपए रहा था।

(च) निर्यात संवर्धन एक प्रमुख थ्रस्ट क्षेत्र बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यातों को बढ़ाने के अनेक उपाय किए गए हैं। निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए हाल ही के कुछ उपायों में शामिल हैं—लदान पूर्व और लदान पश्चात् दोनों के लिए निर्यात ऋण दर में कटौती, 100 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक की निर्यात संविदा वाले विनिर्माता निर्यातकों को एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष वित्तीय पैकेज, एक वर्ष की अवधि के लिए निर्यातों के लिए 180 दिनों की सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को बढ़ाकर 360 दिन करना और कई उत्पाद समूहों पर शुल्क वापसी दरों में उर्ध्वगामी संशोधन करना। इन सभी और अन्य कारकों ने चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध के दौरान देखी गयी निर्यातों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने में मदद की है। इसके अतिरिक्त, विगत में घटित घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान वैश्विक आर्थिक वातावरण पर विचार करते हुए, वर्ष 2002-2007 की अवधि के लिए मध्यावधि निर्यात कार्यनीति घोषित की गयी है।

[हिन्दी]

स्वर्ण का मूल्य

1959. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में स्वर्ण के मूल्यों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्वर्ण के मूल्यों में स्थिरता को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या गत एक वर्ष के दौरान स्वर्ण की तस्करी बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वर्ण की तस्करी की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) मुख्यतया स्वर्ण के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि होने के कारण स्वर्ण का मूल्य (दिल्ली स्टैण्डर्ड) मार्च अन्त, 2001 के 426 रुपए प्रतिग्राम से बढ़ कर मार्च, 2002 के शुरू में 500 रुपए प्रतिग्राम हो गया है।

(घ) स्वर्ण की जब्ती और आसूचना से इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि पिछले एक वर्ष के दौरान स्वर्ण की तस्करी बढ़ी है।

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्र संगठन स्वर्ण सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए चौकन्ने और सतर्क हैं।

[अनुवाद]

सुपर बाजारों को बंद किया जाना

1960. श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन आपूर्तिकर्त्ताओं, कर्मचारियों एवं उनके संघों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिनका भुगतान सुपर बाजार को बंद करने के प्रस्तावित निर्णय के कारण लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया भुगतान कब तक और किस प्रकार से किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) सुपर बाजार, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है। आपूर्तिकर्त्ताओं, कर्मचारियों और उनके एसोसिएशनों से, जब भी अनुरोध प्राप्त हुए उनको आवश्यक कार्यवाही के लिए सुपर बाजार को अग्रेषित कर दिया गया है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि इस समय सुपर बाजार विकट वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और जब भी उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो जाएगा, आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद

1961. श्री बीर सिंह महतो:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिलों द्वारा गन्ने की खरीद से संबंधित कोई समान मूल्य निर्धारित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार मिलों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले गन्ने के लिए मूल्य निर्धारित नहीं करती है। तथापि, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1996 के खंड 3 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्र सरकार निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखानों द्वारा प्रत्येक चीनी मौसम के लिए देय चीनी के सांविधिक न्यूनतम मूल्य नियत करती है। इस तरह नियत सांविधिक न्यूनतम मूल्य एकसमान होता है लेकिन वह रिकवरी स्तर से जुड़ा होता है। चूंकि रिकवरी स्तर हर एक कारखाने के मामले में अलग-अलग होता है अत: सांविधिक न्यूनतम मूल्य प्रत्येक कारखाने के मामले में भिन्न-भिन्न होता है।

विदेशी मुद्रा की तस्करी

1962. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक भारत में विदेशी मुद्रा की तस्करी करने के आरोप में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गये हैं और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या सरकार विदेशी मुद्रा की तस्करी करने के आरोप में व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने के 60 दिन के बाद भी न्यायालय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की तस्करी की रोकथाम करने एवं आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) गत तीन वर्षों (फरवरी, 2002 तक) के दौरान विदेशी मुद्रा की तस्करी (देश के अन्दर और बाहर दोनों ही) के 3240 मामलों का पता लगाया गया था। इस संबंध में 161 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) जी, नहीं। इस अवधि के दौरान 132 व्यक्तियों के खिलाफ क्षेत्राधिकारिक न्यायालय में जांच रिपोर्ट फाइल की गई थी। मुख्यत: न्याय निर्णयन कार्यवाहियों के पूरा न होने के कारण 60 दिन के बाद भी 23 गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में जांच रिपोर्ट फाइल नहीं की जा सकी थी।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग ने सभी क्षेत्रीय कार्यालय निषिद्ध माल तथा विदेशी मुद्रा की तस्करी की रोकथाम के लिए सतर्क एवं चौकस हैं। विभागीय न्यायनिर्णयन के जरिये अर्थदण्ड लगाकर और साथ ही उचित मामलों में अभियोजन चलाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास आरक्षित कोष

1963. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम का आरक्षित कोष कितना है; और

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रमों द्वारा सरकार को दिए गए लाभांश का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 तक

की जानकारी उपलब्ध है और उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के आरक्षित कोष एवं अधिशेष तथा उनके द्वारा घोषित लाभांश का ब्यौरा दिनांक 07.03.2002 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 के खण्ड-3 में दिया गया है और यह एक प्रकाशित दस्तावेज है।

बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

1964. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान संपूर्ण भारत की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं सिक्किम में स्थित बैंकों का राज्य-वार ऋण-जमा अनुपात क्या है;

(ख) अखिल भारतीय नीति के अनुरूप इस क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु इस क्षेत्र में एकत्रित जमा के वृहत्तर उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान संपूर्ण भारत की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम स्थित बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की धनराशि राज्य-वार कितनी है और उक्त गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का क्षेत्र-वार वितरण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) पिछले दो वर्षों के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों का पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम एवं इसके अतिरिक्त पूरे देश का ऋण-जमा अनुपात निम्नलिखित है:-

ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत में)

	राज्य का नाम	31 मार्च, 2000	31 मार्च, 2001
1.	असम	33.00	31.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.00	21.00
3.	मणिपुर	38.40	40.77
4.	मेघालय	17.80	20.21
5.	मिजोरम	24.90	37.84
6.	नागालैंड	17.75	25.76
7.	त्रिपुरा	30.41	27.82
8.	सिक्किम	13.79	15.59
	अखिल भारत	58.08	58.53

(ख) ऋण प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष जिले के लिए वार्षिक ऋण योजनाएं तैयार की जाती हैं तथा तत्संबंधी कार्यान्वयन की निगरानी अग्रणी बैंक योजना के अधीन बनाए गए विभिन्न मंचों तथा खण्ड स्तर पर खण्ड स्तरीय बैंकर समिति, जिला स्तर पर जिला परामर्श-दात्री समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा की जाती है। वार्षिक ऋण योजना बैंक योग्य प्रस्तावों/योजनाओं की उपलब्धता तथा क्षेत्र में ऋण देने की संभाव्यता को ध्यान में रख कर तैयार की जाती है। ऋण-जमा अनुपात से संबंधित मामलों की समीक्षा भी नियमित रूप से जिला परामर्शदात्री समिति तथा राज्य स्तरीय बैंकर समिति में की जाती है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूर्वोत्तर राज्यों तथा इसके अतिरिक्त पूरे देश में अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपीए) की पिछले दो वर्षों के लिए राशि नीचे दी गई है:-

अनुप्रयोज्य आस्तियों की स्थिति

(राशि करोड़ रुपए)

	राज्य का नाम	31 मार्च, 2000	मार्च, 2001
1.	असम	898	1262
2.	अरुणाचल प्रदेश	19	25
3.	मणिपुर	134	124
4.	मेघालय	113	129
5.	मिजोरम	48	53
6.	नागालैंड	66	64
7.	त्रिपुरा	166	162
8.	सिक्किम	12	16
	अखिल भारत	53,294	54,773

उपर्युक्त अनुप्रयोज्य आस्तियों के क्षेत्र-वार आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक की सहायता

1965. श्री रामशकल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं और इस प्रकार की लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार भारत में चालू विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का एक विवरण-I संलग्न है। तथापि, भारत सरकार के अनुमोदनार्थ कोई भी परियोजना लम्बित नहीं है।

(ग) एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर की तारीख	विश्व बैंक द्वारा बचनबद्धता की गई उधार/ऋण राशि	जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार संचयी उपयोग
1.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	19.5.2000	110.00	3.12
2.	उत्तर प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	23.2.2000	182.40	56.40
3.	उत्तर प्रदेश सोडायुक्त भूमि सुधार परियोजना	4.2.1999	194.18	36.19
4.	उत्तर प्रदेश और अरुणाचल वानिकी परियोजना	30.12.1997	52.80	25.27
5.	उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना	30.7.1998	129.90	32.50
6.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	22.7.1996	52.40	24.17
7.	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	19.5.2000	150.00	44.41
8.	उत्तर प्रदेश जल पुनर्संरचना परियोजना	8.3.2002	149.20	0.00

विवरण-II

विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्रोत	अनुमोदन की तारीख	मुद्रा डीसी	ऋण मिलि.	वर्ष के दौरान संवितरण (करोड़ रुपये) 1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश								
1.	आं.प्र. जोखिम प्रशमन और आपात चक्रवात	आईडीए	9.7.97	अम.डा.	100.00	83.56	99.68	122.39
2.	आं.प्र. जोखिम प्रशमन और आपात स्थिति	आईबीआरडी	3.6.97	अम.डा.	50.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	आन्ध्र प्रदेश वानिकी	आईडीए	9.3.94	अम.डा.	77.40	55.75	70.69	38.55
4.	आं.प्र. विद्युत क्षेत्र	आईबीआरडी	5.3.99	अम.डा.	210.00	43.05	196.67	188.62
5.	आं.प्र. राज्य राजमार्ग	आईबीआरडी	30.7.97	अम.डा.	350.00	44.02	174.47	278.11
6.	हैदराबाद जलापूर्ति एवं स्वच्छता	आईडीए	25.5.90	अम.डा.	79.90	29.04	–	–
7.	आं.प्र. सिंचाई-3	आईडीए	3.6.97	अम.डा.	150.00	37.00	59.64	125.19
8.	आं.प्र. सिंचाई	आईबीआरडी	3.6.97	अम.डा.	175.00	0.00	0.00	0.00
9.	आं.प्र. रेफरल स्वास्थ्य प्रणाली	आईडीए	22.12.94	अम.डा.	133.00	130.90	78.11	70.45
10.	3103-आईएन आं.प्र. आर्थिक पुनर्संरचना	आईडीए	4.2.99	अम.डा.	241.90	123.21	118.44	118.62
11.	4360-आईएन आं.प्र. आर्थिक पुनर्संरचना	आईबीआरडी	4.2.99	अम.डा.	301.30	137.09	174.49	204.04
12.	आं.प्र. जिला गरीबी उपक्रम परियोजना	आईडीए	12.5.2000	अम.डा.	111.00	–	–	19.01
असम								
1.	असम ग्रामीण बुनियादी ढांचा	आईडीए	6.6.95	अम.डा.	126.00	29.31	44.71	109.45
बिहार								
1.	बिहार पठार विकास	आईडीए	7.12.92	अम.डा.	117.00	100.35	88.87	58.11
2.	पीडीईपी-3	आईडीए	3.298	अम.डा.	152.00	33.45	37.14	35.11
गुजरात								
1.	पर्यावरणीय प्रबंध क्षमता निर्माण	आईडीए	14.3.97	अम.डा.	50.00	3.63	7.71	0.00
2.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	आईबीआरडी	18.10.2000	अम.डा.	381.00	–	–	153.4
हरियाणा								
1.	हरियाणा विद्युत पुनर्संरचना	आईबीआरडी	16.1.98	अम.डा.	60.00	78.29	57.38	89.14
2.	जल संसाधन समेकन	आईडीए	6.4.94	अम.डा.	258.00	81.33	124.35	190.86
कर्नाटक								
1.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता	आईडीए	4.6.1993	अम.डा.	92.00	123.47	130.56	0.00
2.	अपर कृष्णा चरण-3	आईबीआरडी	16.6.89	अम.डा.	6.82	–	–	–
3.	कर्नाटक जल आपूर्ति प्रबंध	आईबीआरडी	23.12.99	अम.डा.	1.50	–	–	–
केरल								
1.	केरल वानिकी	आईडीए	13.8.98	अम.डा.	39.00	16.60	20.63	25.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश								
1.	मध्य प्रदेश वानिकी	आईडीए	11.4.95	अम.डा.	58.00	61.20	79.58	0.00
2.	म.प्र. जिला गरीबी उपक्रम परि.	आईडीए	5.12.2000	अम.डा.	110.10	–	–	16.3
महाराष्ट्र								
1.	महाराष्ट्र वानिकी	आईडीए	29.1.92	अम.डा.	107.82	82.53	34.39	0.00
2.	महाराष्ट्र विद्युत	आईबीआरडी	11.9.89	अम.डा.	337.00	180.35	–	–
3.	द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत	आईबीआरडी	8.7.92	अम.डा.	112.25	0.00	–	–
4.	निजी बुनियादी ढांचा (आईएलओ एफ एस)	आईडीए	10.7.96	अम.डा.	5.00	1.74	1.11	0.00
5.	महा. ग्रामीण जल आपूर्ति	आईडीए	5.6.91	अम.डा.	109.90	83.62	–	–
6.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आईडीए	14.1.99	अम.डा.	134.00	13.08	0.00	5.63
7.	बम्बई जल मल निपटान	आईबीआरडी	28.12.95	अम.डा.	167.00	65.29	66.55	79.42
उड़ीसा								
1.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	आईबीआरडी	10.7.96	अम.डा.	350.00	31.48	236.54	228.52
2.	उड़ीसा जल संशोधन समेकन	आईडीए	5.1.96	अम.डा.	290.90	127.57	124.52	88.32
3.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आईडीए	13.8.98	अम.डा.	76.40	15.26	2.79	12.03
पंजाब								
1.	पंजाब सिंचाई	आईडीए	9.2.90	अम.डा.	145.29	91.22	–	0.00
राजस्थान								
1.	एडीपी राजस्थान कृषि विकास	आईडीए	17.12.92	अम.डा.	106.00	55.66	36.76	30.95
2.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा	आईडीए	6.7.99	अम.डा.	81.90	–	15.07	16.66
3.	राजस्थान जिला गरीबी उपक्रम परि.	आईडीए	19.5.2000	अम.डा.	100.50	–	–	17.02
4.	राजस्थान विद्युत पुनर्संरचना परियोजना	आईबीआरडी	27.2.2001	अम.डा.	18.00	–	–	85.20
तमिलनाडु								
1.	तमिलनाडु कृषि विकास	आईडीए		अम.डा.	92.00	24.46	–	–
2.	तमिलनाडु कृषि विकास	आईबीआरडी		अम.डा.	20.00	39.26	–	–
3.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	आईडीए	22.9.95	अम.डा.	282.90	81.52	249.52	148.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति	आईबीआरडी	20.11.95	अम.डा.	86.50	55.83	86.32	72.39
6.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास	आईबीआरडी	14.7.99	अम.डा.	105.00	–	63.01	224.5
7.	तमिलनाडु शहरी विकास	आईडीए	16.9.88	अम.डा.	254.73	–	–	–
उत्तर प्रदेश								
1.	उ.प्र. सोडायुक्त भूमि सुधार	आईडीए	24.6.93	अम.डा.	54.70	51.40	45.20	10.75
2.	उ.प्र. विविधीकृत कृषि समर्थन	आईडीए	30.7.98	अम.डा.	50.00	23.14	24.53	51.61
3.	उ.प्र. सोडायुक्त भूमि सुधार-2	आईडीए	4.2.99	अम.डा.	194.10	–	32.76	83.57
4.	उ.प्र. विविधीकृत कृषि सहायता	आईबीआरडी	30.7.98	अम.डा.	79.90	0.00	0.00	0.00
5.	उ.प्र. वानिकी	आईडीए	30.12.97	अम.डा.	52.94	30.81	29.11	33.84
6.	उ.प्र. ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता	आईबीआरडी	22.7.96	अम.डा.	52.40	25.99	23.66	42.79
7.	उ.प्र. प्राथमिक शिक्षा	आईडीए	7.7.93	अम.डा.	165.00	85.33	51.54	41.44
8.	उ.प्र. बुनियादी शिक्षा	आईडीए	3.3.98	अम.डा.	59.40	87.07	70.53	66.53
9.	उ.प्र. विद्युत पुनर्संरचना परियोजना	आईबीआरडी	19.5.2000	अम.डा.	150.00	–	–	63.16
10.	उ.प्र. स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	आईडीए	19.5.2000	अम.डा.	110.00	–	–	13.31
पश्चिम बंगाल								
1.	पश्चिम बंगाल वानिकी	आईडीए	25.3.92	अम.डा.	34.00	4.30	–	0
2.	कलकत्ता जलापूर्ति मलव्ययन और जल निकासी	आईबीआरडी	23.7.99	अम.डा.	2.50	–	0.00	2.67
दिल्ली								
1.	दिल्ली जलापूर्ति एवं स्वच्छता	आईबीआरडी	20.4.99	अम.डा.	2.55	0.00	0.00	0.00

[अनुवाद]

सोने एवं प्लेटिनम का आयात

1966. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सोने एवं प्लेटिनम का कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को सोने और प्लेटिनम की बिक्री करने हेतु इन बैंकों को अनुमति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में विदेशी बैंकों द्वारा सोने और प्लेटिनम का ज्यादा मात्रा में आयात किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) गत दो कैलेण्डर वर्षों (जनवरी से दिसम्बर) के दौरान सोने और प्लेटिनम के आयात के लिए प्राधिकृत बारह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किये गये सोने के आयात का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	सोना मात्रा (किलोग्राम में)	सोना मूल्य (करोड़ रुपये में)
2000	270,581.13	10,934.21
2001	260,256.09	10,596.09
जोड़	530,837.22	21,530.30

गत दो कैलेण्डर वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्लेटिनम का कोई आयात नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) निर्यात-आयात नीति 1997-2002 के अंतर्गत सोने और प्लेटिनम के आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इसे आभूषण विनिर्माता-निर्यातकों और साथ ही घरेलू खपत के लिए बेचने की अनुमति दी गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आयातित सोने की मात्रा विदेशी बैंकों द्वारा आयातित मात्रा से अधिक है। तथापि, प्लेटिनम का आयात केवल विदेशी बैंकों द्वारा ही किया गया था और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्लेटिनम का आयात नहीं किया गया था। गत तो कैलेण्डर वर्षों (जनवरी-दिसम्बर) के संबंध में सोने और प्लेटिनम के आयात के लिए प्राधिकृत पांच विदेशी बैंकों की तुलना में बारह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए गए सोने और प्लेटिनम के आयातों के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं:-

वर्ष	सोना मात्रा (किलोग्राम में)	सोना मूल्य (करोड़ रुपये में)
2000		
राष्ट्रीयकृत बैंक	270,581.13	10,934.21
विदेशी बैंक	185,903.13	7,516.73
2001		
राष्ट्रीयकृत बैंक	260,256.09	10,596.09
विदेशी बैंक	225,914.97	9,119.58

वर्ष	प्लेटिनम मात्रा (किलोग्राम में)	प्लेटिनम मूल्य (करोड़ रुपये में)
2000		
राष्ट्रीयकृत बैंक	0.00	0.00
विदेशी बैंक	4.00	0.22
2001		
राष्ट्रीयकृत बैंक	0.00	0.00
विदेशी बैंक	5.50	0.36

राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन

1967. **श्री राधा मोहन सिंह:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री बी. वेंकटेस्वरलु:
श्री गुमीपाटी रामैया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों की मात्रा में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले राज्य कौन-कौन से हैं और खाद्यान्नों की मात्रा में मदवार कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा में वृद्धि करने संबंधी निर्धारित मानदण्ड क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान तीन माह की अवधि के लिए सभी सूखा प्रभावित परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर) को 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन किया जाए। यह आबंटन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की खाद्यान्नों की सामान्य मासिक पात्रता के अलावा है।

2001-2002 के दौरान विभिन्न राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर आपदा राहत के लिए आज की तारीख तक कुल 8.85 लाख टन चावल और 12.17 लाख टन गेहूं आबंटित किया गया है। राज्यवार आबंटन निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	चावल	गेहूं	जोड़	उद्देश्य
1.	आंध्र प्रदेश	490560	-	490560	सूखा राहत
2.	बिहार	-	180000	180000	सूखा राहत
3.	गुजरात	81765	245292	327057	सूखा राहत
4.	हिमाचल प्रदेश	119250	30000	149250	सूखा राहत
5.	मध्य प्रदेश	29437	91844	121281	सूखा राहत
6.	महाराष्ट्र	164456	328912	493368	सूखा राहत
7.	राजस्थान	-	370665	370665	सूखा राहत
	जोड़	885468	1246713	2132581	

निर्यात संसाधन क्षेत्रों/विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का कार्य निष्पादन

1968. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्थित निर्यात संसाधन क्षेत्रों/विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा में सम्मिलित अवधि कितनी है;

(ग) इस समीक्षा के क्या परिणाम निकले; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक निर्यात संसाधन क्षेत्र/विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र द्वारा किन मदों का और कितने मूल्य का निर्यात/आयात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ईपीजैड)/विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजैड) के कार्य निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है। क्षेत्रों की समीक्षा से यह पता चला है कि क्षेत्रों से होने वाले निर्यातों में लगातार वृद्धि हो रही है और निर्यात 1998-99 के दौरान 5252.48 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000-01 में 8552.30 करोड़ रुपए के हो गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीजैड/एसईजैड से किए गए मद-वार निर्यातों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीजैड/एसईजैड द्वारा किए गए आयातों को दर्शाने वाला विवरण-II भी संलग्न है।

विवरण-I

ईपीजैड/इसईजैड के कार्य निष्पादन के बारे में लोक सभा में दिनांक 15.3.2002 को उत्तर के लिए नियत अता.प्र.सं. 1968 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीजैड/एसईजैड से किए गए मद-वार निर्यात

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र	वर्ष	इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर	इलैक्ट्रानिक साफ्टवेयर	इलैक्ट्रानिक सामान	रत्न एवं आभूषण	चमड़ा	वस्त्र एवं परिधान	भेषज एवं रसायन	प्लास्टिक रबड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कांडलाएसईजैड*	1998-99	-	-	30.19	-	-	84.88	219.72	34.33
	1999-2000	-	-	35.77	-	-	81.85	339.06	66.33
	2000-2001	-	-	54.34	-	-	83.18	311.49	48.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सिप्ज एसईजैड*	1998-99	324.59	876.48	-	2080.77	-	-	-	-
	1999-2000	678.39	1041.71	-	2426.47	-	-	-	-
	2000-2001	1209.51	1349.94	-	2634.29	-	-	-	-
नोएडा ईपीजैड	1998-99	108.76	150.35	118.48	120.67	16.95	111.74	40.78	23.81
	1999-2000	165.98	139.31	120.12	129.45	12.70	134.13	46.22	29.50
	2000-2001	269.66	178.60	101.42	192.79	8.79	138.74	32.94	26.92
मद्रास ईपीजैड	1998-99	34.74	109.79	72.77	7.79	41.23	180.45	45.33	20.48
	1999-2000	21.97	118.00	92.34	14.63	47.45	160.70	58.61	18.95
	2000-2001	33.09	162.98	151.55	13.64	59.98	169.13	64.72	13.74
कोचीन	1998-99	87.87	0.35	5.39	-	-	23.40	-	27.00
	1999-2000	120.81	1.63	5.87	-	-	29.35	-	19.60
	2000-2001	157.84	5.38	8.56	-	-	26.08	-	20.08
फाल्टा	1998-99	-	0.10	11.80	-	2.57	23.31	7.93	11.24
ईपीजैड	1999-2000	2.70	-	42.70	-	10.98	165.92	4.69	25.41
	2000-2001	13.54	-	86.32	-	32.90	272.50	19.66	28.68
विशाखापट्नम ईपीजैड	1998-99	-	-	8.71	9.11	-	-	-	-
	1999-2000	-	2.86	51.14	63.40	-	0.70	-	0.03
	2000-2001	-	16.15	74.61	116.07	-	09.49	-	0.42
सूरत एसईजैड**	1998-99	-	-	-	-	-	-	-	-
	1999-2000	-	-	-	0.46	-	-	-	0.24
	2000-2001	-	-	-	51.35	-	-	-	0.23

*1.11.2000 से ईपीजैड को एसईजैड में परिवर्तित कर दिया गया है।

निजी क्षेत्र

विवरण-II

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	वर्ष	आयात
कांडला एसईजैड*	1998-1999	119.68
	1999-2000	133.45
	2000-2001	154.87
सीप्जजैड एसईजैड*	1998-1999	1262.61
	1999-2000	1925.21
	2000-2001	2206.13
नोएडा ईपीजैड*	1998-1999	323.90
	1999-2000	404.88
	2000-2001	450.73
मद्रास ईपीजैड	1998-1999	305.28
	1999-2000	281.65
	2000-2001	329.16
कोचीन एसईजैड*	1998-1999	117.01
	1999-2000	132.68
	2000-2001	221.07
फाल्टा ईपीजैड	1998-1999	65.42
	1999-2000	64.07
	2000-2001	92.60
विशाखापत्तनम ईपीजैड	1998-1999	39.83
	1999-2000	137.78
	2000-2001	169.70
सूरत एसईजैड**	1998-1999	-
	1999-2000	0.24
	2000-2001	45.29

* पूंजीगत वस्तुएं एवं कच्चा माल शामिल है।

** निजी क्षेत्र एसईजैड

फिल्मी/टी.वी. हस्तियों पर आयकर का बकाया

1969. श्री राम प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:

क्या **वित्त मंत्री** फिल्मी/टी.वी. हस्तियों पर आयकर के बकाया के बारे में 7 दिसम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3018 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर में संलग्न अनुबंध में दर्शाए गए प्रत्येक मामले के आयकर बकायों की वसूली करने हेतु अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या 30 जून, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 तक की अवधि के बीच इन हस्तियों के विरुद्ध आयकर की बकाया धनराशि में कोई वृद्धि अथवा कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3018 के उत्तर में अनुबद्ध विवरण के अनुसार प्रस्तुत किए गए मामलों की सूची में आयकर बकायों की वसूली में अब तक की गई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 53 मामलों में आयकर बकायों में कमी आई है। 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार 4 मामलों में आयकर बकायों में वृद्धि हुई है जबकि 75 मामलों में आयकर बकायों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) संलग्न सूची के अनुसार विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

विवरण

क्रमांक	नाम	दिनांक 30.6.01 को मांग लाख रुपए में	दिनांक 31.12.01 को मांग लाख रुपए में	वृद्धि/कमी
1	2	3	4	5
1.	कैलाशनाथ मल्होत्रा	10	10	(शून्य)
2.	टी.एन. वेंकटेश	10.27	9.9	(-)

1	2	3	4	5
3.	एस.टी. सेलवाम	10.43	10.43	(शून्य)
4.	ए. रामकी	10.56	6.86	(-)
5.	होटल ट्रांजिट प्रा.लि.	10.68	13.14	(+)
6.	विनायगा डिस्ट्रिब्यूटर्स	10.70	1.1	(-)
7.	महामाया कं. प्रा.लि.	10.97	10.97	(शून्य)
8.	तुलसी रामसे	11.05	11.05	(शून्य)
9.	नागूर बाबू	11.08	9.74	(-)
10.	देव वर्मा उर्फ श्रीमती मुनमुन सेन	11.11	0	(-)
11.	मेंघा प्रोपर्टी प्रा.लि.	11.11	5.12	(-)
12.	कुनिका सदानन्द	11.16	11.16	(शून्य)
13.	वी. वर्गिस गुलकार्गा	11.24	9.36	(-)
14.	कार्तिकचन्द्र सामन्ता	11.66	11.66	(शून्य)
15.	पी.एम. प्रोडक्शन	11.88	11.88	(शून्य)
16.	जी.वी. फिल्म्स लि.	12	2.4	(-)
17.	एस. प्रभुदेवा	12.26	0	(-)
18.	अमित कुमार गांगुली	12.51	9.01	(-)
19.	स्क्रीन फाईनेन्स (प्रा) लि.	12.6	12.6	(शून्य)
20.	चित्रा समूह	12.62	12.59	(-)
21.	जनता सिनेमा प्रोपर्टीज एंड फाई. लि.	12.76	12.76	(-)
22.	एन.सी. सिने सर्विसिज	12.97	12.97	(शून्य)
23.	जाफो फिल्म्स प्रा.लि.	12.98	12.98	(शून्य)
24.	लता मंगेशकर	13.25	0	(-)
25.	ए.एस. इब्राहिम राऊथर	13.28	13.28	(शून्य)
26.	बप्पी लाहिड़ी	13.35	13.35	(शून्य)
27.	आर. राज बाबू	13.84	13.84	(शून्य)
28.	फारूक अहमद ए फारूकी	13.88	13.88	(शून्य)
29.	ढ़ाकेन डाइज एंड केमिकल्स प्रा.लि.	13.99	13.68	(-)
30.	सुजाता प्रोडक्शन्स प्रा.लि.	14	14	(शून्य)
31.	बी.एन. सुरेश रेड्डी	14.8	14.8	(शून्य)
32.	पी. सौन्द्री (एम.एस.)	14.93	14.93	(शून्य)
33.	पी. गुरु विट्ठल डब्ल्यू टी	15.53	15.53	(शून्य)
34.	ईगल फिल्म्स	15.68	15.68	(शून्य)
35.	के. गौंडामनी	16.29	16.29	(शून्य)
36.	वी. अधिनारायणा रेड्डी	16.86	16.86	(शून्य)
37.	सपना आर्ट्स	17.01	17.01	(शून्य)
38.	जौनी बक्शी	17.39	17.39	(शून्य)
39.	श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता	17.62	1.7	(-)
40.	आर. बी. चौधरी	17.76	8.9	(-)
41.	फैसिनेशन नेटवर्क	18.61	18.61	(शून्य)
42.	के.जे. यूसेदोस आडियो एण्ड विज्वल्स कार. लि.	18.77	18.77	(शून्य)
43.	मूरली विट्ठल डब्ल्यू टी	19.13	19.13	(शून्य)
44.	पी. मोहन विट्ठल डब्ल्यू टी	19.28	19.28	(शून्य)
45.	पी. लोगानाथन विट्ठल डब्ल्यू टी	19.28	19.28	(शून्य)
46.	अशोक घई	9.34	18.83	(-)
47.	मिश्रीलाल पिक्चर्स (प्रा.) लि.	19.73	0.34	(-)
48.	वीरू देवगन	19.97	19.97	(शून्य)
49.	ए.एम. रत्नम	20.42	20.42	(शून्य)
50.	मुकेश दुग्गल	20.92	20.92	(शून्य)

1	2	3	4	5
51.	अर्जुन	20.93	3.38	(-)
52.	मुरलीकान्तन	21.32	21.32	(शून्य)
53.	ए. कोथांडरामैया	21.36	21.36	(शून्य)
54.	अकबर अली खान	21.76	21.76	(शून्य)
55.	भगवान एस सी	22.15	22.15	(शून्य)
56.	बी आर टी वी	22.15	22.15	(शून्य)
57.	के. बालाजी	22.77	22.77	(शून्य)
58.	ब्रिंक्स आर्या इंडिया प्रा.लि.	23.94	23.94	(शून्य)
59.	नरेश चन्द वर्मा डब्ल्यू टी	24.27	24.27	(शून्य)
60.	पी.पी. कन्हैया डब्ल्यू टी	24.92	24.92	(शून्य)
61.	करिश्मा कपूर	25.15	8.76	(-)
62.	ए विजयकांत	25.42	25.42	(शून्य)
63.	ईस्टर्न इंडिया मोसन फिक्चर्स एसोसिएशन	25.8	0	(-)
64.	कृष्ण कुमार	26	19	(-)
65.	मेट प्रोडक्शन इंटरनेशनल	26.26	20.26	(-)
66.	धर्माननद जे. जोशी	26.62	26.62	(शून्य)
67.	के. बाला सुब्रामणयन	26.8	24.76	(-)
68.	श्री अफजल खान	27.13	27.13	(शून्य)
69.	जी. हनुमंता राव	27.8	27.8	(शून्य)
70.	अलयाम सिनेमा प्रा. लि.	28.24	28.24	(शून्य)
71.	इस्टेल्ली टाकीज (प्रा.लि.)	28.32	12.06	(-)
72.	इन हाऊस प्रोडक्शन प्रा.लि.	29.12	14.45	(-)
73.	गोतम बेरी	29.91	29.91	(शून्य)
74.	श्री यशराज चौपड़ा	30	20	(-)
75.	सावित्री एंड कं.	30.23	30.23	(शून्य)
76.	किशोर कुमार गांगुली	31.68	28.68	(-)
77.	कुमार शानू भट्टाचार्जी	31.83	31.83	(शून्य)
78.	आर. विजयाचन्द्रन	33.29	33.29	(शून्य)
79.	जैन्नी पिन्टो प्रोडक्शन	37	20	(-)
80.	सतराम रोहरा	40.09	40.09	(शून्य)
81.	जी. सुब्रामनीम उर्फ मणिरथनम	42.23	1.3	(-)
82.	जी. वेंक्टेशवरन	42.63	42.63	(शून्य)
83.	राजेश खन्ना	42.69	42.69	(शून्य)
84.	गुलाब एम गुलवानी	43.07	43.07	(शून्य)
85.	डी एस मित्तल एंड संस	44.72	39.54	(-)
86.	जी. पोगाल राव	46.06	46.06	(शून्य)
87.	अलब्राईट एंड विल्सन केमिकल लि.	46.22	38.35	(-)
88.	एस. कमल हसन	48.99	0	(-)
89.	ए. श्रीदेवी (श्रीमती)	49.97	0.25	(-)
90.	राजन आर सिप्पी	51.14	51.14	(शून्य)
91.	गौरव गुप्ता	53.22	49.22	(-)
92.	फ्रांसिस जौसफ	53.59	53.59	(शून्य)
93.	एम.जी. पिक्चर्स (मद्रास) लि.	54.29	54.29	(शून्य)
94.	पी.डी. अब्राहम अलियस	55.57	48.57	(-)
95.	गोपाल रेड्डी	55.78	55.78	(शून्य)
96.	मोशन पिक्चर्स डिस्ट्रिब्यूटर्स	57.64	57.64	(शून्य)
97.	टिप्स फिल्म प्रा.लि.	57.92	441.77	(+)
98.	के.एल.एम. फाइनेन्स लि.	58.02	58.09	(शून्य)

1	2	3	4	5
99.	पी. सुन्दरराजन्	58.09	58.09	(शून्य)
100.	बी.एस. रंगा	58.68	18.18	(-)
101.	अजय सिंह देओल	59.63	15.72	(-)
102.	सी.एम.एस. कंप्यूटर्स (प्रा.) लि.	62.79	57.29	(-)
103.	एशियन फूड प्रोडक्शन्स लि.	66.7	66.7	(शून्य)
104.	गुलशन कुमार	69	56	(-)
105.	ए. सरत कुमार	74.24	74.24	(शून्य)
106.	ब्राह्मा इंडिया लि.	74.45	74.66	(+)
107.	वी.सी. गणेशन	77.54	52.54	(-)
108.	एम.सी. बोकाडिया	81.13	81.13	(शून्य)
109.	सुभाष घई	86.83	76.71	(-)
110.	यश राज फिल्म्स	95.04	31.33	(-)
111.	शान्ती थियेटर्स प्रा.लि.	96.13	61.13	(-)
112.	एम.वी. श्रीनिवास प्रसाद	98.9	0.9	(-)
113.	नन्द कुमार तोलानी	106.32	106.32	(शून्य)
114.	ओ.पी रल्हन	138.82	138.82	(शून्य)
115.	पिरामिड फिल्म्स इंटरनेशनल	155.49	155.49	(शून्य)
116.	श्री सुशील गुप्ता	155.73	155.73	(शून्य)
117.	यश जौहर	160.61	55.36	(-)
118.	महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कार्पो.	166.96	0	(-)
119.	मुक्ता आर्टस प्रा.लि.	175.57	73.26	(-)
120.	श्री एस. मणिवनन	185.52	185.52	(शून्य)
121.	जया बच्चन (श्रीमती)	199.52	184.22	(-)
122.	मुरली मोहन एम.	212	212	(शून्य)
123.	अदलाबास फिल्म्स प्रा.लि.	216.19	0	(-)
124.	सिप्पी फिल्म्स	246.37	246.37	(शून्य)
125.	बसन्त कुमार पाटिल	258.03	258.13	(+)
126.	शाहरूख खान	275.26	244.63	(-)
127.	पी. राम गोपाल वर्मा	300.79	38.1	(-)
128.	रामनोर्द रिसर्च लेबोरेट्रीज प्रा.लि.	321.74	0	(-)
129.	जयाप्रदा (एम.एस.)	331.2	331.2	(शून्य)
130.	सुजाता फिल्म्स प्रा.लि.	624.92	624.92	(शून्य)
131.	अमिताभ बच्चन	1067.16	997.36	(-)
132.	अमिताभ बच्चन कार्पो. लि.	1776.93	1776.93	(शून्य)

[हिन्दी]

गेहूं की खरीद

1970. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान एवं चालू वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य वार कितनी मात्रा में गेहूं की खरीद की गई है और किस दर पर यह खरीद की गई है;

(ख) आज तक केन्द्र सरकार द्वारा उक्त खरीद पर कुल कितना व्यय वहन किया गया है;

(ग) खाद्यान्नों के विद्यमान भंडार में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से एवं खुले बाजार में कितनी मात्रा में खाद्यान्न की बिक्री करने की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या विशाल खाद्यान्न भंडार एवं उसके भंडारण की पर्याप्त सुविधाओं की कमी के मद्देनजर उचित दर की दुकानों के

माध्यम से सरकार गेहूं एवं चावल को सस्ती दरों पर जनता को उपलब्ध कराएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) पिछले और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा गेहूं की निम्नानुसार मात्रा वसूल की गई है:-

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	विपणन वर्ष	
	2000-01	20001-02
1	2	3
पंजाब	94.24	105.60
हरियाणा	44.97	64.07
उत्तर प्रदेश	15.45	24.46
राजस्थान	5.39	6.76
मध्य प्रदेश	3.51	2.94
दिल्ली	-	0.50
चण्डीगढ़	-	0.12
हिमाचल प्रदेश	-	0.02
बिहार	-	0.43
उत्तरांचल	-	1.40
जोड़	163.56	206.30

उक्त अवधि के दौरान जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की वसूली की गई है वह निम्नानुसार है:-

2000-2001 - 580.00 रुपये प्रति क्विंटल

2001-2002 - 610.00 रुपये प्रति क्विंटल

(ख) सरकार द्वारा गेहूं की वसूली पर वहन किया गया खर्च निम्नानुसार है:-

वर्ष	गेहूं की वसूली की गई मात्रा (लाख टन में)	न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये प्रति क्विंटल	राशि	वसूली प्रासंगिक खर्च रुपये प्रति क्विंटल	राशि	कुल अनुमानित राशि
2000-01	163.56	580	9486.48 करोड़ रुपये	135.94	2223.43 करोड़ रुपये	11710 करोड़ रुपये
2001-02	206.30	610	1258.43 करोड़ रुपये	167.20	3449.33 करोड़ रुपये	16034 करोड़ रुपये

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं और चावल का आबंटन व उठान निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन में)

	आबंटन		उठान	
वर्ष	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2000-2001 (अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001)	113.67	160.91	38.43	76.33
2001-2002 (अप्रैल, 2001 से जनवरी, 2002)	109.27	142.11	41.86	65.65

वर्ष 2000-01 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से निपटान करने के लिए 50 लाख टन गेहूं की मात्रा निर्धारित की गई थी जिसके प्रति 8.86 लाख टन (अनंतिम) मात्रा बेची गई थी। अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 तक के दौरान 5.3.2002 तक 41.69 लाख टन (अनंतिम) मात्रा बेची गई है।

4.9.2000 को भारतीय खाद्य निगम को खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन 30 लाख टन चावल का निपटान करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। योजना के अधीन चावल का नगण्य उठान होने के कारण योजना को 21.8.2001 से बंद कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय पूल में उठान में वृद्धि करने और अधिशेष स्टाक का निपटान करने के लिए सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए 12.7.2001 से गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों क्रमशः 830 रुपये प्रति क्विंटल और 1130 रुपये प्रति क्विंटल से कम करके 610 रुपये प्रति क्विंटल और 830 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि का निजीकरण

1971. श्रीमती मिनाती सेन:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईआरडीए एवं ओएएसआईएस (ओएसिस) समिति ने चिली के अनुरूप कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि का निजीकरण किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस दिशा में चिली में विद्यमान सभी शर्तों को अपनाया है;

(ङ) यदि नहीं, तो समिति की सिफारिशों को अपनाए जाने का औचित्य क्या है;

(च) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के एक भाग को उच्च आमदनी प्राप्त करने के लिए शेयर बाजार में निवेश करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (छ) वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा (ओएसिस) समिति और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) समिति ने कई देशों, जिन्होंने हाल ही में अपने पेंशन क्षेत्रक में सुधार प्रारम्भ किए हैं, के अनुभवों सहित कई विचारणाओं पर अपनी सिफारिशों को आधार बनाया है। ''इरडा'' ने अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों को अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर अभिदान करने योग्य बनाने के लिए पेंशन निधियां गठित करने हेतु विनियामक ढांचे की सिफारिश की है। ''इरडा'' की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। निधियों का निवेश समय-समय पर अधिसूचित ''निवेश पैटर्न'' के अनुसार किया जाता है। गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न की प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल. 33001/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-1-खण्ड 1

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 66, नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1999/चैत्र 10, 1921

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1999

विषय:- गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली निवेश की पद्धति।

सं. एफ. 11 (3)-पीडी/98-इस मंत्रालय की दिनांक 12 जून, 1998 के समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा वृद्धिकारी आय के लिए निवेश की पद्धति दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से निम्नानुसार होगी:-

निवेश पद्धति

		निवेश की जाने वाली प्रतिशत राशि
(i)	लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां और अथवा ऐसे म्युचुअल फण्डों; जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटें;	25 प्रतिशत
(ii)(क)	लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी सरकारी प्रतिभूतियां, और/अथवा ऐसे म्युचुअल फंडों, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटें और/ अथवा	15 प्रतिशत
(ख)	अन्य कोई परक्राम्य प्रतिभूतियां, जिनकी मूल राशि और जिन पर ब्याज नीचे (क) के अधीन शामिल को छोड़कर केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा शर्त के बिना और पूर्णत: गारंटी शुदा है।	
(iii)(क)	कम्पनी अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट सरकारी वित्तीय संस्थाओं, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को और आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (36-क) में यथापरिभाषित "सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों" के बाण्ड/प्रतिभूतियां; और/अथवा	40 प्रतिशत
(ख)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी जमा राशियों के प्रमाण-पत्र।	
(iv)	न्यासियों द्वारा जैसा निर्णय किया जाए उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी एक में निवेश।	20 प्रतिशत

(v) न्याय जोखिम-प्राप्ति सम्भावनाओं के उनके निर्धारण के अधीन ऊपर (iv) में से 10 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र बाण्ड/प्रतिभूतियों, जिनको कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त है, में निवेश कर सकते हैं।

2. अनिवार्य व्यय को घटाकर पूर्व निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी राशि इस अधिसूचना में निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश की जाएगी।

3. विशेष जमाराशि स्कीम पर प्राप्त ब्याज इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अधीन प्राप्त ब्याज को भी उसी श्रेणी में पुन: निवेश किया जा सकता है।

4. उपरोक्त पैराग्राफों में यथासंकलित निवेश पद्धति वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त की जा सकती है।

(एस.सी. पांडे, निदेशक (बजट)

[हिन्दी]

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

1972. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और 31 दिसम्बर, 2001 तक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास हेतु नई परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु केरल तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों से कितनी संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इन परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) मंजूरी के लिए लंबित पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) सभी परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए नई परियोजनाओं के लिए केरल तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के 94 आवेदनों की सिफारिश की गई है।

(ख) अब तक 11 परियोजनाओं को 30.81 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(ग) सोलह।

(घ) दस्तावेजों, स्पष्टीकरणों तथा वर्तमान अनुदेशों, दिशा-निर्देशों के अनुपालन आदि की कमी के कारण अपूर्ण होने से शेष प्रस्तावों पर अपेक्षित सूचना और दस्तावेजों के प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए कल्याण योजनाएं

1973. श्री भर्तृहरि महताब: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए किन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन समुदायों के लोगों के कल्याण और उन्नयन के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत मदवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) जनजतायी उप-योजना और विशेष संगठक योजना की कार्यनीति के अंतर्गत उड़ीसा सरकार क्रमशः अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके ब्यौरे राज्य सरकार द्वारा रखे जाते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का सम्पूरण कर रहे हैं। इन योजनाओं की सूची विवरण-I में दी गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्मुक्त निधि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं की सूची

अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं:—

1. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता
2. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम
3. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
4. पी.सी.आर. एवं अत्याचार निवारण
5. अनुसूचित जाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम
7. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम
8. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम
9. पुस्तक बैंक
10. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास
11. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
12. कोचिंग एवं संबद्ध योजना
13. अनुसूचित जातियों की अखिल भारतीय स्वरूप की सहायक परियोजना (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)
14. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन
15. अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
16. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं:—

1. आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अनुदान
3. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
4. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान
5. आदिम जनजाति समूहों का विकास
6. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
7. अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
8. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन
9. आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर
10. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास
11. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास
12. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना
13. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान
14. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के पुस्तक बैंक योजना
15. अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना
16. ग्रामीण अन्न बैंक योजना
17. राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम
18. अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

विवरण-II

(रु. लाख में)

योजना का नाम	उपलब्ध की गई राशि		
	1998-99	1999-2000	2000-01
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएं:			
विशेष केन्द्रीय सहायता	2281.57	1907.72	1884.00
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए योजना	57.35	342.24	196.98
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए योजना	0.00	7.73	0.00
लड़के और लड़कियों के होस्टल के निर्माण की योजना	0.00	32.81	12.75 (लड़कियां) 12.75 (लड़के)
पुस्तक बैंक की योजना:	0.00	8.00	9.00
कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	0.00	4.99	0.00
सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की योजना	589.73	0.00	0.00
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	954.69	754.08	689.20
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	0.00	0.00	100.33
पीसीआर और अत्याचार	3.60	4.00	0.57
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएं			
जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	5911.86	5698.28	5188.40
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	514.00	1027.93	2957.1
लड़कियों के छात्रावास	17.50	13.50	8.5
लड़कों के छात्रावास	17.31	0	12.75
शैक्षिक परिसर	74.77	44.28	70.43
व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0	0	64.61
आश्रम स्कूल	40.00	0	0
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (जनजातीय अनुसंधान संस्थान)	38.47	5.28	40.72
टीडीसीसी को सहायतानुदान	200.00	200.00	192.00
अन्न बैंक	0	100.00	184.96
आदिम जनजातीय समूहों का विकास	0	25.72	200.00
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	0	0	113.83

रबड़ की खरीद हेतु केरल से प्रस्ताव

1974. श्री ए.सी. जोसः
श्री वरकला राधाकृष्णनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को रबड़ उत्पादकों और केरल सरकार से प्राकृतिक रबड़ इत्यादि के आयात पर प्रतिबंध के लागू रहने और राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ की खरीद की योजना के पुनः आरम्भ किये जाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने सड़क निर्माण हेतु रूपांतरित बिटुमन के रूप में प्राकृतिक रबड़ के प्रयोग में विविधता से संबंधित एक प्रस्ताव भी सौंपा है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अभ्यावेदनों/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या औचित्य हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जी, हां। केरल सरकार और रबड़ उत्पादकों की ओर से ऐसे अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें राज्य व्यापार निगम के जरिए प्राकृतिक रबड़ की खरीद संबंधी योजना पुनः शुरू करने, प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध जारी रखने और सड़क निर्माण के लिए संशोधित बिटुमेन के रूप में प्राकृतिक रबड़ के प्रयोग के विविधीकरण की मांग की गई है।

(घ) रबड़ उत्पादकों को उनके उत्पाद की लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने रबड़ अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक रबड़ की आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली दोनों श्रेणियों अर्थात रिब्ड स्मोक्ड शीट (आरएसएस) 4 और 5 के व्यापार हेतु न्यूनतम कीमत निर्धारित कर उसे अधिसूचित किया है। न्यूनतम कीमत जो आयात कीमत के बराबर होती है, को निर्धारित करने एवं उसे अधिसूचित करने के कारण एसटीसी के जरिए अब प्राकृतिक रबड़ की खरीद जरूरी नहीं समझी जाती है। इसके अलावा, अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध जो 20.2.1999 से लगाया गया था, वह अभी भी जारी है। स्वदेशी रबड़ के प्रयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार रबड़ की अनेक मूल्यवर्धित मदों का संवर्धन पहले से ही कर रही है जैसे सड़कों पर रबड़ बिछाने के लिए प्राकृतिक रबड़ संशोधित बिटुमेन।

हस्तशिल्प का निर्यात

1975. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरीः
श्री विनय कुमार सोराकेः
श्री जसवंत सिंह बिश्नोईः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में हस्तशिल्प के निर्यात हेतु वर्षवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान हस्तशिल्पों के विकास हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(घ) क्या हस्तशिल्प के निर्यात से अर्जित धनराशि का लाभ शिल्पकारों को दिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि निर्यात से अर्जित धनराशि का लाभ शिल्पकारों को मिले और कारीगरों को समय पर आदानों की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित हो?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प के निर्यात हेतु निर्धारित वर्षवार लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	लक्ष्य
1.	1998-1999	7776.00
2.	1999-2000	8280.00
3.	2000-2001	9480.00
4.	2001-2002	10610.00

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान हस्तशिल्प के निर्यात में अंकित वृद्धि का प्रतिशत निम्नलिखित है:-

क्रमांक	वर्ष	प्रतिशत वृद्धि
1.	1998-1999	(+) 21.18
2.	1999-2000	(+) 13.96
3.	2000-2001	(+) 15.02
4.	2001-2002 (अप्रैल 2001 से जनवरी 2002 तक)	(-) 9.85

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है:-

क्रमांक	वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा	
		(करोड़ रुपये में)	(अमरीकी मिलियन डालर में)
1.	1998-1999	7072.34	1680.98
2.	1999-2000	8059.63	1859.95
3.	2000-2001	9270.50	2050.34
4.	2001-2002	7106.84 (अप्रैल 2001 से जनवरी 2002 तक)	1512.43

(घ) और (ङ) जी हां। अधिक निर्यात का अर्थ है कारीगरों के लिए अधिक कार्य और निर्यात से होने वाली अधिक आय से समान्यत: मजदूरी में वृद्धि होती है। तथापि, इस विषय पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया/कराया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

धनशोधन पर अंकुश लगाने संबंधी संहिताओं का सेट

1976. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक धनशोधन पर अकुंश लगाने संबंधी संहिताओं का एक सेट प्रस्तुत करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट सौंपी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास धनशोधन पर अंकुश लगाने हेतु एक पृथक एजेंसी का गठन करने हेतु कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की जाने वाले अपेक्षित नीति और प्रक्रियाएं निर्धारित करते हुए बैंकों को मार्गनिर्देश जारी करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इसमें धन-शोधन हेतु बैंकिंग प्रणाली के दुरूपयोग को रोकने के लिए "अपने ग्राहक को पहचानो" ("नो योर कस्टमर") प्रक्रियाओं के महत्व पर पुन: बल दिया जाना शामिल है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक धन-शोधन रोधी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में भारत की स्थिति की जांच कर रहा है और इस पर एक रिपोर्ट को सरकार के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) जब तक धनशोधन विधेयक, 1999 अधिनियमित नहीं किया जाता, ऐसा कोई अभिकरण स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। यह विधेयक इस समय राज्य सभा में लंबित है।

निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त शिकायतें

1977. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ख) इन शिकायतों में से अंतिम निपटान के लिए प्रकोष्ठ के पास लंबित शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं किन्तु अंतिम निर्णय लिया जाना अभी शेष है;

(घ) उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इन शिकायतों का स्वरूप क्या था;

(ङ) क्या इस प्रकोष्ठ के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) फरवरी, 2001 में निवेशक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आईजीआरसी) के सृजन के बाद से इसे लगभग 6000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) अनेक कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकोष्ठ के पास लगभग 3300 शिकायतें अंतिम निपटारे के लिए लंबित हैं।

(घ) आईजीआरसी में प्राप्त सभी शिकायतें निवारण हेतु विनियामक एजेंसियों अर्थात् सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, कंपनी कार्य विभाग, आदि को अग्रेषित की जाती हैं। आई.जी.आर.सी. विनियामक एजेंसियों के साथ नियमित अनुवर्तन द्वारा इन शिकायतों के निवारण का अनुवीक्षण करता है। आई.जी.आर.सी. द्वारा प्राप्त अधिकतर शिकायतें परिपक्वता पर क्रमशः सावधि जमाराशि व स्कीम जमाराशियों की वापसी-अदायगी न करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सामूहिक निवेश योजनाओं के विरुद्ध हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी, जो ऐसे मामलों की विनियामक एजेंसियां हैं; ने संबंधित कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्यातकों द्वारा चावल को अन्यत्र बेचा जाना

1978. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल निर्यातक गरीबी रेखा से नीचे वाले मूल्यों पर निर्यात हेतु भारतीय खाद्य निगम से भारी मात्रा में खरीदे गए चावल को घरेलू बाजारों में बेचते पाए जा रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने निर्यात हेतु उनके द्वारा 6 लाख टन खरीदे गए चावल निर्यातकों से भाड़े संबंधी राजसहायता के फर्जी दावों को स्वीकार करने से मना कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी छानबीन की शुरूआत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) केन्द्रीय पूल से चावल के निर्यात में कदाचार के बारे में आरोप प्राप्त होने पर परिवहन राजसहायता की प्रतिपूर्ति अस्थाई रूप से निलंबित कर दी गयी थी। इस मामले की जांच की गयी थी और उसके बाद एहतिहात के अतिरिक्त उपायों के साथ परिवहन राजसहायता बहाल कर दी गयी थी।

फर्जी गैर-सरकारी संगठनों को निधियां

1979. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रस्ट से धनराशियां देश में फर्जी गैर-सरकारी संगठनों को दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी धनराशि प्रदान किये जाने हेतु कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मंचों में रिक्त पद

1980. श्री नागमणि: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक मंचवार और राज्यवार कितने उपभोक्ता शिकायत निपटान मंच हैं जहां सदस्यों के पद खाली पड़े हैं; और

(ख) शीघ्रातिशीघ्र सदस्यों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राज्य आयोगों और जिला मंचों में अध्यक्षों/सदस्यों के रिक्त पदों की राज्यवार स्थिति की सूचना विवरण में दी गई है। मंच-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) उपभोक्ता न्यायालयों के सुचारू कार्यकरण के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिक्त पदों को भरने को कहा जाता है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग	जिला मंच	निम्नलिखित तारीख को	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1 सदस्य	13 अध्यक्ष व 5 सदस्य	31.12.2001	
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	कोई रिक्ति नहीं	कोई रिक्ति नहीं	31.12.2001	
अरुणाचल प्रदेश				प्राप्त नहीं
असम	कोई रिक्ति नहीं	3 सदस्य	31.12.2001	
बिहार	कोई रिक्ति नहीं	9 अध्यक्ष व 44 सदस्य	31.12.2001	
चण्डीगढ़				प्राप्त नहीं
छत्तीसगढ़	गठित नहीं किया गया	3 सदस्य	31.12.2001	
दादरा न नगर हवेली				प्राप्त नहीं
दमण व दीव				प्राप्त नहीं
दिल्ली	कोई रिक्ति नहीं	कोई रिक्ति नहीं	31.12.2001	
गोवा				प्राप्त नहीं
गुजरात	कोई रिक्ति नहीं	6 सदस्य	31.12.2001	
हरियाणा	कोई रिक्ति नहीं	2 अध्यक्ष व 2 सदस्य		
हिमाचल प्रदेश	कोई रिक्ति नहीं	कोई रिक्ति नहीं		
जम्मू व कश्मीर				प्राप्त नहीं
झारखण्ड				प्राप्त नहीं
कर्नाटक	कोई रिक्ति नहीं	कोई रिक्ति नहीं	31.12.2001	
केरल	कोई रिक्ति नहीं	3 अध्यक्ष व 9 सदस्य	31.12.2001	
लक्षद्वीप	कोई रिक्ति नहीं			
मध्य प्रदेश	1 महिला सदस्य	3 अध्यक्ष व 12 सदस्य		
महाराष्ट्र	कोई रिक्ति नहीं	2 अध्यक्ष व 4 सदस्य	31.12.2001	

1	2	3	4	5
मणिपुर				प्राप्त नहीं
मेघालय	कोई रिक्ति नहीं	कोई रिक्ति नहीं	31.12.2001	
मिजोरम				प्राप्त नहीं
नागालैंड	कोई रिक्ति नहीं			
उड़ीसा	कोई रिक्ति नहीं	1 अध्यक्ष व 4 सदस्य	31.12.2001	
पाण्डिचेरी				प्राप्त नहीं
पंजाब	कोई रिक्ति नहीं	2 अध्यक्ष व 1 सदस्य	31.12.2001	
राजस्थान	कोई रिक्ति नहीं	4 सदस्य		
सिक्किम	कोई रिक्ति नहीं			
तमिलनाडु	1 महिला सदस्य	6 अध्यक्ष व 6 सदस्य	31.12.2001	
त्रिपुरा	1 अध्यक्ष	कोई रिक्ति नहीं	31.12.2001	
उत्तर प्रदेश				प्राप्त नहीं
उत्तरांचल	गठित नहीं किया गया			
पश्चिम बंगाल				प्राप्त नहीं

[अनुवाद]

एलआईसी/लघु बचत योजनाओं के कमीशन एजेंट

1981. श्री अनंत गुढे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लघु बचत/एलआईसी एजेंटों से उनके कमीशन में वृद्धि करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो लघु बचत/एलआईसी एजेंटों हेतु मौजूदा कमीशन संरचना का ब्यौरा क्या है और कमीशन में किस सीमा तक मांग की गई है और कितनी बढ़ोत्तरी की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एलआईसी/लघु बचत एजेंटों को राज्यवार कुल कितनी धनराशि के कमीशन का संवितरण किया गया है; और

(घ) उपभोक्ताओं को प्रभावी और कार्यकुशलता से सेवा प्रदान करने के लिए एजेंटों के प्रशिक्षण का उन्नयन करने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं और चावल का निर्यात

1982. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में भी अपने अतिरिक्त भंडार में से चावल और गेहूं का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह किस दर पर निर्यात किया गया है;

(ग) क्या निर्यात ने अतिरिक्त भंडार के समापन में सहायता की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्यात संबंधी लंबित क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के प्रत्येक वर्ष हेतु सरकार ने केन्द्रीय पूल से निर्यात के लिए 50 लाख टन गेहूं की पेशकश करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा समय-समय पर गेहूं का निर्यात मूल्य (प्रति टन) निम्नानुसार निर्धारित किया है:-

-20.10.2000 से 31.3.2001 तक 4150 रुपये की दर पर

-1.4.2001 से 16.8.2001 तक 4300 रुपये की दर पर

-17.8.2001 से 30.11.2001 तक 4200 रुपये की दर पर

-1.12.2001 से 31.3.2002 तक 4250 रुपये की दर पर

सरकार ने वर्ष 2000-2001 और वर्ष 2001-2002 के लिए क्रमशः 20 लाख टन और 30 लाख टन चावल की भी पेशकश करने का निर्णय लिया है। 2000-2001 में 6750 रुपये प्रति टन की दर से चावल और 2001-2002 में 5650 रुपये प्रति टन की दर से (रॉ चावल) और 6000 रुपये प्रति टन की दर से (सेला चावल) पेशकश की है।

28.02.2002 तक केन्द्रीय पूल से निर्यात के लिए 50.26 लाख टन गेहूं और 16.46 टन चावल का उठान किया गया है।

(ङ) खाद्यान्नों के निर्यात के काम में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 21.2.2002 तक 6.91 लाख टन गेहूं और 0.81 लाख टन चावल के आर्डर उनके पास थे। केन्द्रीय पूल से स्टाक का उठान करने के बाद निर्यातकों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे चावल के मामले में 90 दिन के अंदर और गेहूं के मामले में 30 दिन के अंदर वास्तविक निर्यात हो जाने के संकेत के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करें।

चाय और काफी उद्योग की समस्याओं के अध्ययन के लिए पैनल

1983. श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को चाय और काफी उत्पादकों के संघों (एसोसिएशन आफ प्लांटर्स आफ टी एंड काफी) से उनकी समस्याओं के अध्ययन के लिए निर्यात पैनल के गठन से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या श्रीलंका और अन्य देशों से बड़े पैमाने पर चाय के आयात के कारण घरेलू चाय उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू चाय उद्योग की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारत में चाय का आयात मुख्य रूप से पुनर्निर्यात के प्रयोजन से किया जाता है और इसलिए भारत में चाय के आयात का घरेलू चाय उद्योग पर कोई अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, मौजूदा मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त व्यवस्था में चाय उद्योग के हितों की रक्षा के लिए चाय के आयात पर मूल सीमाशुल्क को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है जैसाकि बजट 2002-2003 में घोषणा की गई है।

निर्यात संबंधी धोखाधड़ी

1984. मोहम्मद शहाबुद्दीनः
श्रीमती कान्ति सिंहः

क्या **वित्त मंत्री** निर्यात संबंधी धोखाधड़ी के बारे में 14.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4059 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उपरोक्त जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और यदि हां, तो इसे सभा के पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्वेषण प्रगति पर है।

दोहरी कराधान संधि

1985. श्री मोहन रावले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दशक के दौरान भारत द्वारा दोहरी कराधान संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं और ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर किये जाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं; और

(ख) अब तक क्या उद्देश्य हासिल हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) गत दशक के दौरान भारत ने 41 देशों के साथ व्यापक दोहरे कराधान के परिहार के करारों पर हस्ताक्षर किए हैं/उनमें संशोधन किए हैं और ये दोहरे कराधान के परिहार के करार विवरण के अनुसार एक देश के साथ वायु एवं जहाजरानी उद्यमों से प्राप्त आय तक सीमित हैं। ऐसे करारों पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य आय के दोहरे कराधान का परिहार करना है ताकि दो संधि भागीदारों के मध्य पारस्परिक निवेश के प्रवाह, प्रौद्योगिकी, व्यापार और सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जा सके। वांछित उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए हैं।

विवरण

(क) उन देशों की सूची जिनके साथ भारत की दिनांक 1.1.1992 से आगे व्यापक दोहरे कराधान के परिहार की संधियां कायम हैं (भारत के राजपत्र में यथा-अधिसूचित)

क्रम सं.	देश का नाम
1	2
1.	आस्ट्रेलिया
2.	आस्ट्रिया
3.	बंग्लादेश
4.	बेल्जियम
5.	बेलारूस
6.	ब्राजील
7.	बुल्गाारिया
8.	कनाडा
9.	चीन
10.	साइप्रस
11.	चेक गणराज्य
12.	फ्रांस
13.	फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी
14.	आयरलैंड
15.	इजरायल
16.	इटली
17.	जोर्डन
18.	कजाकिस्तान
19.	किरगिज गणराज्य
20.	माल्टा
21.	मंगोलिया
22.	मोरक्को
23.	नामीबिया
24.	ओमान
25.	फिलीपिन्स
26.	पुर्तगाल
27.	कत्तर
28.	रूस परिसंघ
29.	सिंगापुर
30.	दक्षिणी अफ्रीका
31.	स्पेन

1	2
32.	स्वीडन
33.	स्विस परिसंघ
34.	ट्रिनीडाड और टोबेगो
35.	तुर्की
36.	तुर्कमेनिस्तान
37.	यूक्रेन
38.	संयुक्त अरब अमीरात
39.	यूनाइटेड किंगडम
40.	उज्बेकिस्तान
41.	वियतनाम

(ख) उन देशों की सूची जिनके साथ भारत की दिनांक 1.1.1992 से आगे दोहरे कराधान के परिहार के करार वायु और जहाजरानी उद्यम से आय तक ही सीमित है (जैसा कि भारत के राजपत्र में अधिसूचित है)।

क्रम सं.	देश का नाम
1.	सऊदी अरब

बैंक आफ पंजाब

1986. श्री अम्बरीश:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक आफ पंजाब की खराब वित्तीय स्थिति का समाचार पंजाब और राजस्थान में बुरी तरह फैल गया है और ग्राहकों को उनकी जमा धनराशि की निकासी के लिए बाध्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक आफ पंजाब के बंद किये जाने के बारे में अफवाह सुबह फैली और लोगों ने जमा धनराशि की निकासी शुरू कर दी फिर भी बैंक प्रबंधन कोई उपचारात्मक कदम उठाने में असफल रहा;

(घ) यदि हां, तो त्वरित कार्रवाई नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, 7 और 8 फरवरी, 2002 को आई यह मीडिया रिपोर्ट कि बैंक आफ पंजाब लिमिटेड वित्तीय तंगी का सामना कर रहा है, जिसके फलस्वरूप इसकी पंजाब के अबोहर इलाके तथा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की कुछ शाखाओं में जमाराशियों की समयपूर्व निकासी के लिए तत्काल हड़बड़ी मच गई। बैंक में 7 फरवरी, 2002 को 10.26 करोड़ रु. तथा 8 फरवरी, 2002 को 100.18 करोड़ रुपए की निवल निकासियां हुई।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। बैंक आफ पंजाब लिमिटेड ने जमाकर्त्ताओं के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए प्रभावित शाखाओं को धन उपलब्ध कराने की तत्काल व्यवस्था की थी। इसके परिणामस्वरूप 8 तथा 9 फरवरी, 2002 को स्थिति नियंत्रण में आ गई थी तथा लोगों द्वारा निकाली गई जमाराशियां धीरे-धीरे उन्हीं शाखाओं में फिर से आनी शुरू हो गई।

भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार समझौता

1987. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच किसी विशेष व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात स्टेट आर्गनाइजेशन का बांड

1988. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के गुजरात राज्य संगठनों (गुजरात स्टेट आर्गनाइजेशन) के बांड इश्यू को जारी करने से मना कर देने पर राज्य के संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस गतिरोध को दूर करने में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि विभिन्न समाजोन्मुख योजनाओं हेतु राज्य सरकारों तथा राज्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को प्रदत्त ऋण सहायता के शोधन में हुई चूकों के परिणामस्वरूप निगम की गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए निगम ने निर्णय लिया है कि आयोजना ऋण सहायता की नवीन निर्मुक्ति तथा बांड निर्गमों से संबंधित अंशदान आदि पिछली बकाया राशि को चुकाने के अधीन होगी। यह प्रक्रिया गुजरात राज्य सहित सभी राज्य सरकारों और उनके सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर समान रूप से लागू की जा रही है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार गुजरात में राज्य सरकार की एजेंसियों से 184.79 करोड़ रुपए की राशि ऋणों की पुन:अदायगी के रूप में बकाया है। उसने गुजरात राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया है और अपनी यह मंशा व्यक्त की है कि जब तक भारतीय जीवन बीमा निगम, राज्य सरकार तथा गुजरात राज्य सहकारी आवास वित्त निगम सहित एक मंच में पिछले देयों को निपटाने के संबंध में कोई योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक राज्य को वित्तीय सहायता जारी रहेगी।

[हिन्दी]

कर संग्रहण

1989. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान व्यक्तिगत और हिन्दू अविभाजित परिवारों से संग्रहित किये गये प्रत्यक्ष करों का हिस्सा क्या है और इस अवधि के दौरान कुल अनुमानित संग्रहण की तुलना में कितनी धनराशि के आयकर का संग्रहण हुआ है;

(ख) इस अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि के करों का संग्रहण हुआ है और वेतनों के भुगतान पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा कुल राजस्व संग्रहण में इसका प्रतिशत कितना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि के संपत्ति कर का संग्रहण हुआ है और इस अवधि के दौरान संग्रह किये गये कुल प्रत्यक्ष कर में इसका प्रतिशत कितना है; और

(घ) इस अवधि के दौरान आयकर विभाग को चलाने के लिए प्रशासन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और कुल राजस्व संग्रहण में इसका प्रतिशत कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवारों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान आयकर की वसूली और बजट निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ों में)

	आयकर वसूली	बजट अनुमान
1998-99	20240	20930
1999-2000	25655	26910
2000-2001	31794	32590

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष करों की कुल वसूली, वेतन पर खर्च की गई राशि और कुल प्रत्यक्ष कर वसूली में इसकी प्रतिशतता निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ों में)

	प्रत्यक्ष कर वसूली	वेतन पर खर्च की गई राशि	प्रत्यक्ष कर वसूली का प्रतिशत
1998-99	46600	582	1.25
1999-2000	57959	623	1.07
2000-2001	68305	648	0.95

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वसूल किये गए धनकर की राशि और कुल प्रत्यक्ष कर वसूली में इसकी प्रतिशतता निम्नानुसार है:-

	धनकर	प्रत्यक्ष कर वसूली की प्रतिशतता
1998-1999	162 करोड़ रुपये	0.35
1999-2000	133 करोड़ रुपये	0.23
2000-2001	132 करोड़ रुपये	0.19

(घ) प्रत्यक्ष करों की वसूली की लागत और कुल प्रत्यक्ष करों की वसूली में इसकी प्रतिशतता निम्नानुसार है:-

	वसूली की लागत	प्रत्यक्ष कर वसूली से प्रतिशतता
1998-1999	813 करोड़ रुपये	1.75
1999-2000	865 करोड़ रुपये	1.49
2000-2001	870 करोड़ रुपये	1.27

[अनुवाद]

इंडियन बैंक के अनुषंगी बैंक

1990. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन बैंक अपने अनुषंगी बैंक के लिए खरीददार की खोज कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) इंडियन बैंक ने सूचित किया है कि अपनी पुनर्गठन योजना के एक भाग के रूप में वह अपनी मर्चेन्ट बैंकिंग अनुषंगी अर्थात इन्डबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि. के अधिग्रहण हेतु उपयुक्त क्रेताओं की तलाश कर रहा है।

मानसिक रोगियों का पुनर्वास

1991. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानसिक रोगियों के पुनर्वास की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत "मानसिक रुग्णता" को एक विकलांगता का रूप माना गया है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987, जिसके अंतर्गत मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार के लिए प्रावधान शामिल है, को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है। नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने संबंधी योजना के अंतर्गत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को मानसिक रोग से मुक्त हुए व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम शुरू करने हेतु सहायता प्रदान की जा सकती है।

मानसिक रूप से अशक्त लोगों के कल्याण हेतु नई परियोजनायें

1992. **श्री जार्ज ईडन:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को मानसिक रूप से अशक्त लोगों के कल्याण के लिये नई परियोजनाओं की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्यवार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ङ) बाकी आवेदनों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां, मानसकि रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए नवीन परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के आवेदनों को राज्य सरकारों द्वारा अग्रेषित और संस्तुत किया जाता है।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) दस्तावेजों, स्पष्टीकरणों तथा वर्तमान अनुदेशों, दिशा-निर्देशों के अनुपालन आदि की कमी के कारण अपूर्ण होने से शेष प्रस्तावों पर अपेक्षित सूचना और दस्तावेजों के प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

राज्य	आवेदनों की सं., मंजूर किए गए की 'संख्या, लंबित की सं. तथा सहायता की राशि			
	आवेदनों की संख्या	मंजूर किए गए की संख्या	लंबित की सं.	राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	37	25	12	34.00
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	3	3	0	5.01
बिहार	5	3	2	2.27
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	1	1	0	3.31
दिल्ली	4	2	2	7.62
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	5	2	3	4.24
हरियाणा	6	4	2	5.97
हिमाचल प्रदेश	2	1	1	0.65
जम्मू व कश्मीर	1	1	0	6.11
झारखण्ड	1	1	0	4.25
कर्नाटक	10	8	2	8.08
केरल	73	4	3	5.06
मध्य प्रदेश	10	8	2	14.04
महाराष्ट्र	10	6	4	6.25
मणिपुर	2	1	1	0.84
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	1	1	0	6.17
नागालैंड	0	0	0	0
उड़ीसा	7	2	5	8.26
पांडिचेरी	0	0	0	0
पंजाब	3	3	0	1.12

1	2	3	4	5
राजस्थान	9	9	0	29.67
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	21	8	13	25.75
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	4	2	2	3.87
उत्तरांचल	2	2	0	2.53
पश्चिम बंगाल	15	10	5	13.79

कल्याणकारी योजनाओं के लिये आंध्र प्रदेश को धनराशि

1993. **श्री के.ई. कृष्णमूर्तिः** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड आंध्र प्रदेश को जारी की गई धनराशि का अन्य राज्यों में उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश को अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या अपर्याप्त धनराशि के कारण आंध्र प्रदेश में समाज कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यक्रम रोक दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वह कल्याण योजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश को आवंटित/निर्मुक्त निधियों का विपथन नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने आंध्र प्रदेश को राज्य बोर्ड, अल्पावधि विश्राम गृहों, शिशु सदनों और परिवार परामर्श केन्द्रों की स्थापना के लिए कार्यक्रमों के अंतर्गत क्रमशः 5.00 लाख रुपये, 64.53 लाख रुपये, 73.70 लाख रुपये और 12.34 लाख रुपये निर्मुक्त किये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आई.एफ.सी.आई. के लिए पुनरुद्धार पैकेज

1994. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान रुग्ण आई.एफ.सी.आई. को उबारने हेतु कितनी धनराशि दी गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने आई.एफ.सी.आई. की तरलता और ऋणशोधन आकलन पर वाटरप्राइस कापर्स के रिपोर्ट की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार का आई.एफ.सी.आई. के कार्यकरण का किस तरीके से पुनरुद्धार करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारत सरकार ने 20-वर्षीय परिवर्तनीय डिबेंचरों के रूप में चालू वित्त वर्ष के दौरान 400 करोड़ रु. जारी किए।

(ख) से (घ) आई.एफ.सी.आई. के विद्यमान आस्ति पोर्टफोलियो की त्वरित सीमित समीक्षा का कार्य आई.एफ.सी.आई. ने अगस्त, 2001 में प्राईस वॉटर हाऊस कूपर्स (पी.डब्ल्यू.सी.) को सौंपा था, जो स्वतंत्र चलनिधि और शोध क्षमता के मूल्यांकन पर केन्द्रित है। पी.डब्ल्यू.सी. ने 28 जनवरी, 2002 को आई.एफ.सी.आई. को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार लाभकारी कारबार वाले संस्थान के

आधार पर आई.एफ.सी.आई. के आस्ति पोर्टफोलियो के प्राक्कलित वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन किया। पी.डब्ल्यू.सी. आई.एफ.सी.आई. के लिए अपेक्षित पूंजी समावेश और चल-निधि अंतर का भी मूल्यांकन किया। यह रिपोर्ट 30 जनवरी, 2002 को आई.एफ.सी.आई. के बोर्ड को सौंपी गई थी। बोर्ड ने दूसरे चरण के अध्ययन को शीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया। तदनुसार, व्यापक नीतिगत रूपरेखा तथा क्रियान्वयन योजना विकसित करने सहित आई.एफ.सी.आई. के लिए भविष्य की रणनीति और कारोबार योजना तैयार करने के लिए लगभग 10 दिन में एक अध्ययन करने के लिए 28 फरवरी, 2002 को मैसर्स मैकिन्से एंड कंपनी की सेवाएं प्राप्त की गई थीं। आई.एफ.सी.आई. दीर्घावधि रणनीति तैयार करने के लिए मैकिन्से अध्ययन के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करेगा।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

1995. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा भंडार में हाल में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाये रखने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार (स्वर्ण एवं एस डी आर सहित) 42,281 मिलियन अमरीकी डालर था।

(ख) और (ग) 1 मार्च, 2002 को समाप्त सप्ताह की अवधि तक उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, फरवरी अन्त, 2002 में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार 50,777 मिलियन अमरीकी डालर के एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसकी तुलना में फरवरी अंत, 2000 में यह भण्डार 35,903 मिलियन अमरीकी डालर और फरवरी अन्त, 2001 में 41,608 मिलियन अमरीकी डालर था।

(घ) अनिवार्य आयातों की जरूरतों, ऋण शोधन भुगतानों सहित अल्पावधि देनदारियों और अन्य अप्रत्याशित आकस्मिक खर्चों को देखते हुए इस समय विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों का स्तर संतोषजनक है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान संतुलन के घटनाक्रमों का बारीकी से अनुवीक्षण करते हैं और सम्प्रेषणों सहित निर्यातों, अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि करने और पूंजी अन्तर्प्रवाहों, विशेष रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर यथा आवश्यक उपाय करते हैं ताकि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों का उचित स्तर बनाए रखने में मदद मिल सके।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में सेला चावल की खरीद

1996. **डा. एस. वेणुगोपाल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को आन्ध्र प्रदेश में 7.5 टन सेला चावल की खरीद का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में आज की तिथि तक कितनी प्रगति हुई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) 2.3.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में 4.51 लाख टन सेला चावल की वसूली की गई है।

मारीशस के मंत्रियों के साथ बैठक

1997. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारीशस सरकार ने भारतीय बाजार में शेयरों के मूल्यों को प्रभावित करने हेतु अपने देश की उदार कर प्रणाली का दुरूपयोग करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु भारत के वित्तीय निगरानीकर्त्ताओं के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मारीशस के आर्थिक विकास, वित्तीय सेवाओं और कार्पोरेट मामलों के मंत्री ने भारत की हाल की यात्रा

के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ बातचीत की; और

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वृद्ध लोगों को सुविधायें

1998. डा. साहिब सिंह वर्मा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1951 और 1991 के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या इस विशेष समूह के लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और इस आधार पर वर्ष 2011 और 2021 तक उनकी जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है;

(ग) क्या इस जनसंख्या समूह के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ङ) वृद्धाश्रमों की संख्या कितनी है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां काम कर रही हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति 1951 में लगभग 20 मिलियन तथा 1991 में 57 मिलियन थे।

(ख) जनसंख्या परियोजनाओं से सम्बन्धित तकनीकी समूह ने 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 2013 तक 100 मिलियन होने का अनुमान किया था। संयुक्त राष्ट्र ने 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के 2030 में 198 मिलियन होने का अनुमान किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। जनवरी 1999 में वृद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ वृद्ध व्यक्तियों के लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय तथा कल्याण और अन्य आवश्यकताओं के लिए समर्थन, शोषण के विरुद्ध संरक्षण, क्षमता विकास के लिए अवसरों के प्रावधान तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं के प्रावधान और समुदाय में उनकी सार्थक भागीदारी तथा वयोवृद्धों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई को दर्शाया गया है।

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत 391 वृद्धाश्रम, 469 दिवा देखभाल केन्द्र तथा 83 सचल चिकित्सा देखभाल एकक कार्यरत हैं।

निरीक्षकों के वेतनमान

1999. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथे वेतन आयोग से पहले आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आसूचना ब्यूरो में निरीक्षकों के टाइम स्केल, वेतनमान क्या थे;

(ख) क्या सरकार ने पांचवें वेतन आयोग से पहले उपरोक्त वर्णित निरीक्षकों की किसी श्रेणी के वेतनमान को संशोधित किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) पांचवें वेतन आयोग द्वारा आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आसूचना ब्यूरो के निरीक्षकों के संबंध में क्या टाइम स्केल/वेतन की सिफारिश की थी;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमानों के संबंध में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग (के.वे.आ.) की सिफारिशों की स्वीकृति से पहले आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क निरीक्षकों तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो (के.जा.ब्यूरो) के निरीक्षकों का वेतनमान 425-800 रुपये था, जिसे आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के निरीक्षकों के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1980 से बढ़ाकर 500-900 रुपये कर दिया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग (के.वे.आ.) की सिफारिशों की स्वीकृति से पहले आसूचना ब्यूरो (आ.ब्यूरो) में ए.सी.आई.ओ.-1 (निरीक्षक) पद का वेतनमान 550-900 रुपये था।

(ख) और (ग) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार, आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा

शुल्क निरीक्षकों का वेतनमान संशोधित करके 1640-2900 रुपये किया गया था तथा आसूचना ब्यूरो के ए.सी.आई.ओ.-1 का वेतनमान संशोधित करके 2000-3200 रुपये किया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो में भी निदेशकों का वेतनमान संशोधित करके 2000-3200 रुपये किया गया था।

(घ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क निरीक्षकों के लिए 1640-2900 रुपये (संशोधित: 5500-9000 रुपये) के वेतनमान की सिफारिश की। आसूचना ब्यूरो के लिए पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की कि निरीक्षक के पदों को 1640-2900 रुपये (संशोधित: 5500-9000 रुपये) तथा 2000-3500 रुपये (संशोधित: 6500-10500 रुपये) के वेतमानों में दो ग्रेडों में रखा जाए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो में निरीक्षकों के लिए आयोग ने सिफारिश की कि वेतनमान आसूचना ब्यूरो के निरीक्षकों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों (के.पु.सं.) के समान बनाये रखे जांए।

(ङ) और (च) आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से सम्बन्धित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा आसूचना ब्यूरो में निरीक्षकों के सम्बन्ध में, सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनों के रैंक तथा वेतन ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के उद्देश्य से 6500-10500 रुपये (संशोधित) के केवल एक वेतनमान को कार्यान्वित किया गया।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गेहूं और चावल के मूल्य

2000. **श्री विष्णु पद राय:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर वाले कार्डधारकों हेतु गेहूं और चावल के मूल्य शेष भारत से अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में उपचारात्मक उपाय किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या द्वीपसमूह में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सुपरफाइन चावल की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) जी, नहीं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के खुदरा निर्गम मूल्य देश के अन्य भागों के साथ तुलनीय हैं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(रुपये प्रति किलोग्राम)

जिंस	खुदरा मूल्य	
	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे
चावल	8.80	6.05
गेहूं	6.50	4.45

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए गए हैं कि वह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सभी योजनाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से प्रथम आमद प्रथम निर्गम के आधार पर उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप चावल की ग्रेड-ए अथवा साधारण किस्म जारी करें। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपभोक्ताओं को उचित दर दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केवल ग्रेड-ए के चावल की आपूर्ति की जा रही है।

[हिन्दी]

नशाखोरी

2001. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले कितने लोगों की पहचान की गई;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश नवयुवक हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा युवाओं में नशे की लत छुड़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) नशीली दवा के व्यसनियों की राज्यवार संख्या निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, विभिन्न अध्ययनों तथा रिपोर्टों से 16-35 वर्ष की आयु समूह में नशीली दवा दुरूपयोग के प्रभाव का पता चलता है। मंत्रालय द्वारा "मद्यपान तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण के लिए योजना" नामक एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें नशीली दवाओं के व्यसनियों का दुरूपयोग करने वालों को निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, परामर्श, उपचार तथा पुनर्वास के लिए लगभग 450 गैर-सरकारी संगठनों को प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

2002. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्पूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु वर्ष 1978 से विशेष संगठक योजना (एस.सी.पी.) और टी.एस.पी. के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत तैयार की गई/क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिसमें उनकी प्रकृति, क्षेत्र और लक्ष्य समूहों का विशेष उल्लेख हो जैसाकि एस.सी.पी./टी.एस.पी. आरम्भ करते समय अन्य मंत्रालयों/संगठनों के साथ-साथ उनके मंत्रालय को भेजे गए प्रधान मंत्री कार्यालय के दिनांक 12.3.1980 के पत्र संख्या 280-पी.एम.ओ./80 में उल्लेख किया गया है;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि की मांग की गई और कितनी धनराशि मिली;

(घ) इस संबंध में क्या लाभ और लक्ष्य हासिल किये गये; और

(ङ) उनके मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण और उन्हें रोजगार के अधिक अवसर दिलाने हेतु कौन सी अन्य योजना/कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया): (क) से (ङ) यह मंत्रालय जिसका गठन अक्टूबर, 1999 में किया गया था, मुख्यतः घरेलू सामान इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग परामर्श संबंधी कार्यों के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासन से संबंधित है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का कार्य वाणिज्यिक प्रकृति का है और ये किसी क्षेत्र अथवा निजी कल्याणकारी परियोजनाओं से जुड़े हुए नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, इस मंत्रालय के लिए यह संभव नहीं है कि एस.सी.पी./टी.एस.पी. कार्यक्रमों हेतु निधियों का आबंटन करे।

बेरोजगार युवकों को ऋण

2003. श्री एम.ओ.एच. फारूक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी बैंक प्रधान मंत्री रोजगार योजना में अभिकल्पित बेरोजगार स्नातकों को ऋण देने से इन्कार कर रहे हैं हालांकि राज्य सरकारों द्वारा इसकी जांच की जा रही है और मान्यता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रधान मंत्री रोजगार (पीएमआरवाई) में यथा उल्लिखित स्व-नियोजन योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को ऋण देने की सलाह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्हें इस योजना के तहत गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों को न स्वीकार किए जाने के संबंध में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों अथवा पीएमआरवाई में शामिल किसी अन्य एजेन्सी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्न बैंक

2004. श्री सुबोध राय: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार में उन क्षेत्रों में खाद्यान्न बैंक खोलने का है जहां खाद्यान्न की बहुतायत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खाद्यान्न बैंकों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) सरकार 13 राज्यों में 1996-97 से आदिवासी ग्रामों में अनाज बैंक संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रही है। खाद्य प्रबंधन और कृषि निर्यात संबंधी केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की सिफारिश पर अनाज बैंक की संशोधित योजना तैयार की गई है।

संशोधित योजना का लक्ष्य प्रथम चरण में 1066.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सम्पूर्ण देश में 1.14 लाख आदिवासी ग्रामों को कवर करने का है। योजना के अधीन नकद घटक भंडारण बिलों, खाद्यान्नों के उठान पर होने वाले खर्च आदि के लिए राज्यों को 66.00 करोड़ रुपये वितरित किया जाना है। राज्यों को खाद्यानों की आपूर्ति उनकी मांग के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जानी है। संशोधित योजना को अभी तक सरकार ने मंजूरी प्रदान नहीं की है।

[अनुवाद]

गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान

2005. श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य राज्य सरकारों विशेषकर तमिलनाडु और झारखंड से गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि के आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को अब तक कोई धनराशि जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ङ) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना "गोदामों का निर्माण" के अधीन वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न राज्य सरकरों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। योनजा के अधीन झारखण्ड सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान 18 गोदामों का निर्माण करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को दी गई 50 लाख रुपये की मंजूरी को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 6 गोदामों का निर्माण करने के लिए पुन: वैध कर दिया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों, स्वीकृत/स्वीकृति के लिए अनुमोदित निधियां और अस्वीकृत के कारण के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गोदामों का निर्माण

प्राप्त किए गए प्रस्तावों, स्वीकृत/स्वीकृति के लिए अनुमोदित निधियां और अस्वीकृति के कारणों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्ताव			रिलीज की गयी राशि				अभ्युक्ति
		राशि (लाख रुपये में)	गोदामों की सं.	क्षमता (टन में)	राशि (लाख रुपय में)	गोदामों की सं.	क्षमता (टन में)	मंजूरी की तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	360.00	36	18000	शून्य	-	-	-	योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम		202.62	6	12000	शून्य	–	–	–	1996-97 से 1998-99 के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता का आज तक उपयोग नहीं किया गया है।
3.	बिहार		2060.35	229	53500	शून्य	–	–	–	वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के पास लंबित है।
4.	छत्तीसगढ़	(क)	214.20	7	12600	169.946	6	10800	2.11.2001	भूमि एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है।
		(ख)	261.74	10	1800	शून्य	–	–	–	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार को वित्तीय सहायता मंजूर की जा चुकी है।
5.	गुजरात		221.26	15	7500	43.09	5	3000	वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक	बजटीय बाध्यताओं के कारण वित्तीय सहायता केवल भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को प्रदान की गयी।
6.	हिमाचल प्रदेश		85.28	3	1500	70.78	3	1500	वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक	बजटीय बाध्यताओं के कारण राशि रोक दी गई।
7.	कर्नाटक		2237.35	45	65000	शून्य	–	–	–	1992-93 में मंजूर की गई वित्तीय सहायता से उपयोग न की गई राशि राज्य सरकार से लौटाया जाना शेष है।
8.	केरल	(क)	179.75	4	800	179.75	4	800	20.8.2001	बजटीय बाध्यताओं के कारण दूसरा प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया।
		(ख)	374.40	10	14700	शून्य	–	–	–	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार को पहले ही वित्तीय सहायता मंजूर कर दी गई है।
9.	मध्य प्रदेश		355.75	16	21900	321.31	16	21900	–	वित्तीय सहायता को गोदामों और चौकीदार के क्वार्टर के

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									निर्माण के लिए अपेक्षित राशि तक सीमित कर दिया गया है।
10.	मणिपुर	(क) 91.61	1	2000	57.78	1	1250	वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक	बजटीय बाध्यताओं के कारण राशि प्रतिबंधित कर दी गई है।
		(ख) 850.00	9	8500	शून्य	–	–	–	प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं हैं।
11.	मिजोरम	276.422	4	8000	शून्य	–	–	–	बजटीय बाध्यताओं के कारण अनुमोदित नहीं।
12.	पांडिचेरी	135.508	3	3500	15.06	1	500	वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक	बजटीय बाध्यताओं के कारण अनुमोदित क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार केवल 500 टन क्षमता का एक गोदाम मंजूर किया गया।
13.	पंजाब	150.00	17	–	शून्य	–	–	–	प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं था।
14.	राजस्थान	433.03	19	32250	शून्य	–	–	–	पिछले वर्षों में स्वीकृत वित्तीय सहायता से उपयोग न की गई राशि राज्य सरकार से वापस प्राप्त होनी है।
15.	सिक्किम	28.50	1	300	8.05	1	300	वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक	वित्तीय सहायता को गोदामों और चौकीदार के क्वार्टर के निर्माण के लिए अपेक्षित राशि तक सीमित कर दिया गया है।
16.	तमिलनाडु	132.00	4	6000	शून्य	–	–	–	1996-97 के दौरान स्वीकृत वित्तीय सहायता आज की तारीख तक उपयोग नहीं की गई है और इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपयोग हेतु पुन: वैध कर दिया गया है।
17.	त्रिपुरा	(क) 121.58	7	500	35.069	7	500	2.11.2001	वित्तीय सहायता को गोदामों और चौकीदार के क्वार्टर के निर्माण के लिए अपेक्षित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									राशि तक सीमित कर दिया गया है।
		(ख) 498.45	8	8250	शून्य	-	-	-	योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।
18.	उत्तर प्रदेश	715.41	21	42000	शून्य	-	-	-	उत्तरांचल में गोदामों के निर्माण के लिए 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत राशि राज्य सरकार ने रिलीज नहीं की है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वितरित ऋण

2006. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान और आज की तिथि तक, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा वर्षवार, बैंकवार और राज्यवार ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि वितरित की गई;

(ख) क्या ऋणों के वितरण में रिश्वत लेने संबंधी शिकायतें भी मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) द्वारा बेरोजगार युवकों को संवितरित खातों की संख्या एवं ऋण का बैंक-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के विरुद्ध पीएमआरवाई ऋण के उधारकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों (रिश्वत के कुछ मामलों सहित) की जांच की है। रिश्वत संबंधी कुछ शिकायतों को सही नहीं पाया गया तथा अन्य कारणों से उन आवेदनों को स्वीकार नहीं किया गया। अधिकांश मामलों में शिकायतों को गलत पाया गया।

विवरण-I

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	बैंकों के नाम	कुल संवितरित ऋण					
		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	46701	29765.00	31626	20503.00	8124	4723.00
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	3759	2030.59	3590	2032.85	1287	667.04

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5872	2912.18	5800	3294.68	1202	645.07
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3456	2712.55	3270	2553.64	633	383.18
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2451	1590.56	133	90.56	0	0.00
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2937	1942.74	3190	2182.77	1306	886.59
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1207	651.04	782	410.39	0	0.00
8.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	2892	1576.60	2848	1619.76	0	0.00
9.	इलाहाबाद बैंक	6165	4435.22	1822	1390.03	1147	792.56
10.	आन्ध्रा बैंक	0	0.00	374	228.46	0	0.00
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	14425	8668.90	10100	5899.76	386	198.31
12.	बैंक ऑफ इंडिया	11986	7854.07	8188	4912.15	2864	1653.52
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4793	2781.23	4411	2561.56	1416	730.81
14.	केनरा बैंक	10036	5436.83	6490	3625.72	2898	1466.42
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14355	9506.91	9213	5926.16	0	0.00
16.	कारपोरेशन बैंक	2207	1370.76	1798	1134.35	0	0.00
17.	देना बैंक	3411	1948.90	2908	1641.01	1011	565.70
18.	इंडियन बैंक	4626	2605.32	4686	2468.50	1496	796.40
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4295	2376.31	486	260.17	2232	1160.30
20.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स	4195	2746.21	3956	2557.89	1340	901.70
21.	पंजाब नैशनल बैंक	16490	10502.29	14692	9563.81	4376	2678.91
22.	पंजाब व सिंध बैंक	1816	1188.00	1291	857.44	799	536.55
23.	सिंडिकेट बैंक	6701	4023.59	5586	3120.90	1799	1007.91
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9350	6082.63	8388	5442.29	3094	1887.00
25.	यूनाइटिड बैंक ऑफ इंडिया	1496	995.64	966	660.71	665	398.86
26.	यूको बैंक	5288	3660.84	5105	3322.29	215	147.97
27.	विजया बैंक	3379	2190.39	3028	1907.32	656	454.49
	सरकारी क्षेत्र के बैकों का योग	194289	121445.30	144727	90168.17	38946	22682.29

1	2	3	4	5	6	7	8
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक						
28.	बैंक ऑफ मदुरा लि.	363	16514	124	59.68	0	0.00
29.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	1119	644.04	636	352.57	298	162.55
30.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	45	27.39	73	38.25	37	19.51
31	बनारस स्टेट बैंक लि.	2	1.70	0	0.00	0	0.00
32.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	0	0.00	455	241.24	329	169.83
33.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	408	226.42	217	139.24	0	0.00
34.	फेडरल बैंक लि.	1061	760.84	1134	702.61	344	204.42
35.	जम्मू एंव कश्मीर बैंक लि.	0	0.00	0	0.00	409	373.78
36.	कर्नाटक बैंक लि.	679	423.17	388	238.51	0	0.00
37.	करूर व्यास बैंक लि.	505	255.57	373	185.44	253	124.83
38.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	321	181.02	343	180.70	106	54.08
39.	नेडुनगाड़ी बैंक लि.	664	351.23	508	263.17	175	88.15
40.	रत्नाकर बैंक लि.	302	199.34	251	159.71	55	35.99
41.	सांगली बैंक लि.	0	0.00	205	99.00	0	0.00
42.	साउथ इंडियन बैंक लि.	678	354.05	647	325.19	0	0.00
43.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	474	316.46	447	301.32	289	187.69
44.	युनाइटेड वेस्ट बैंक लि.	858	541.04	812	488.62	299	169.60
45.	वैश्य बैंक लि.	1212	731.52	920	584.95	90	62.41
46.	बरेली कार्पोरेशन बैंक लि.	0.	0.00	0	0.00	0	0.00
47.	नैनीताल बैंक लि.	0.	0.00	324	199.36	0	0.00
48.	सिटी युनियन बैंक लि.	307	180.20	281	152.97	229	118.14
49.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	167	111.79	142	85.11	47	28.59
	निजी क्षेत्र के बैंकों का कुल योग	9165	5470.92	8280	4797.69	2960	1799.57
	सभी बैंकों का योग	203454	126916.22	153007	94965.86	41906	24481.86

विवरण-II

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	कुल संवितरित ऋण					
		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	5856	3466.39	5704	3455.21	1983	1272.45
2.	हिमाचल प्रदेश	2011	1361.89	1977	1320.44	852	539.23
3.	जम्मू एवं कश्मीर	871	734.06	685	518.50	365	311.31
4.	पंजाब	8519	5507.67	7580	4838.00	2734	1679.34
5.	राजस्थान	11089	6003.06	10521	5830.02	2668	1385.55
6.	चण्डीगढ़	51	39.87	48	36.61	36	26.30
7.	दिल्ली	614	389.57	680	467.83	231	177.97
8.	असम	5850	4570.46	1792	1336.30	342	210.00
9.	मणिपुर	310	238.01	336	231.00	0	0.00
10.	मेघालय	356	263.63	411	270.51	26	18.79
11.	नागालैंड	73	76.52	19	24.25	6	9.08
12.	त्रिपुरा	244	133.82	31	21.02	299	149.65
13.	अरुणाचल प्रदेश	215	248.89	124	109.67	0	0
14.	मिजोरम	84	59.88	245	274.00	3	2.82
15.	सिक्किम	43	24.88	40	19.55	6	4.39
16.	बिहार	9159	7598.12	7715	6411.29	1216	887.89
17.	झारखण्ड	-	-	-	-	581	465.38
18.	उड़ीसा	6731	4680.62	1582	1036.45	246	146.60
19.	पश्चिम बंगाल	2910	1852.21	1787	1212,29	343	261.57
20.	अंडमान व निकोबार	128	94.60	112	89.99	16	13.44
21.	मध्य प्रदेश	21207	1485.66	13498	8844.80	1700	1029.23
22.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	442	247.50
23.	उत्तर प्रदेश	36919	23924.00	29835	19071.10	8680	5295.25
24.	उत्तरांचल	-	-	-	-	1813	1037.19

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	गुजरात	10085	4720.54	7927	4145.22	2343	1189.72
26.	महाराष्ट्र	26202	14892.43	19067	11144.54	4652	2483.16
27.	दमन एवं दीव	17	9.41	19	1337	1	0.70
28.	गोवा	382	359.43	254	203.22	58	44.02
29.	दादर एवं नगर हवेली	25	19.12	22	17.60	4	3.95
30.	आन्ध्र प्रदेश	13309	7862.76	8978	5662.00	2050	1191.45
31.	कर्नाटक	15255	9434.29	8414	5362.85	1496	920.56
32.	केरल	12500	7064.14	10164	5772.72	2541	1383.41
33.	तमिलनाडु	12154	6301.40	8822	4262.72	3706	1690.60
34.	लक्षद्वीप	33	22.89	14	11.31	11	7.38
35.	पांडिचेरी	252	96.00	152	64.79	47	22.20
36.	उल्लिखित नहीं	-	-	77	40.23	409	373.78
	समस्त भारत	203454	126916.22	148732	92119.40	41906	24481.86

काला धन

2007. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार, देश की समानांतर अर्थव्यवस्था में काले धन का हिस्सा कुल सकल घरेलू उत्पादन का एक तिहाई अर्थात् लगभग दो लाख करोड़ रुपए की धनराशि के बराबर बैठता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हवाला लेन-देन काले धन के मुख्य स्रोतों में से एक है; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में काले धन के हिस्से के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ग) और (घ) काले धन के अर्जन के कई स्रोत हैं। हवाला लेन-देन ऐसा ही एक स्रोत है। काले धन के अर्जन को रोकने के लिए सरकार समय-समय पर आवश्यक विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय कर रही है। कराधान की दरें क्रमिक रूप से युक्तियुक्त बनाई गई हैं। इसके अलावा, आयकर अधिनियम,1961 में काले धन के अर्जन को रोकने के लिए कई उपबंध हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 44कक और 44कख के अन्तर्गत उपयुक्त मामलों में खातों का अनिवार्य अनुरक्षण और लेखा-परीक्षण धारा 40क(3), 26 9धध और 26 9न के अन्तर्गत नकद लेन-देनों पर प्रतिबंध कर चूककर्ताओं को दण्डित करने के लिए अर्थदंड और अभियोजनों के संबंध में अबंध शामिल हैं। कर अपवंचन का पता लगाने के लिए उपयुक्त मामलों में तलाशी और सर्वेक्षण भी किए जाते हैं।

राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

2008. **श्री राजैया मल्याला:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के उद्देश्य के मद्देनजर उनकी बढ़ती शैक्षिक, अनुसंधानगत और

प्रशिक्षणगत आवश्यकताओं के मद्देनजर सिंकदराबाद स्थित राष्ट्रीय विकलांग संस्थान में सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक स्तर की शैक्षिक नियुक्तियां करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एन आई एम एच) अर्हता प्राप्त शैक्षिक संकाय के साथ विभिन्न डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाता है। इस संस्थान ने कुछ नवीन दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरंभ करने का प्रस्ताव किया है जिसके लिए इसके शैक्षिक संकाय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी।

महाराष्ट्र को विश्व बैंक ऋण

2009. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व बैंक की ऋण सहायता प्राप्त करने की मांग को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी सहायता की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है और इसे विश्व बैंक को अग्रेषित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस वर्ष जनवरी-फरवरी के दौरान विश्व बैंक मिशन ने महाराष्ट्र का दौरा करके इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विचार-विमर्श किया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस दौरे का परिणाम क्या रहा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूसरी ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई परियोजना को भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रकीय सुधार अवधारणा के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें स्कीम की पूंजी लागत और लाभार्थियों द्वारा 100% अनुरक्षण लागत तथा स्कीम का पता लगाने, उसकी योजना, डिजाइनिंग एवं कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी निहित की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना की लागत 16 जिलों के संबंध में 1656.20 करोड़ रु. है। परियोजना को विश्व बैंक के पास भेज दिया गया है और इसके द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसकी अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रस्तावित दूसरी महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई परियोजना के उद्देश्यों एवं विस्तार क्षेत्र पर चर्चा करने के लिये विश्व बैंक के एक ''आइडेंटीफिकेशन-मिशन'' ने 21 जनवरी—1 फरवरी, 2002 के दौरान महाराष्ट्र का दौरा किया। जलापूर्ति एवं सफाई विभाग के साथ करार किये गये हैं कि महाराष्ट्र सरकार प्रथम तैयारी मिशन को शुरू करने से पहले निम्नलिखित प्राथमिकता वाली कार्रवाइयां पूरी करेगी (1) एक पूर्णकालिक परियोजना निर्माण दल का गठन और परियोजना की तैयारी शुरू करने के लिए इसे पर्याप्त निधियां प्रदान करना, (2) परियोजना अध्ययन चलाने एवं विश्लेषण करने तथा कुछ जिलों में पायलट स्कीमें चलाने में पर्याप्त प्रगति प्राप्त करना, (3) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एम.जे.पी.) और भूमिगत सर्वेक्षण विकास एजेंसी (जी.एस.डी.ए.) के अपेक्षित सांस्थानिक पुनर्गठन के लिए कार्य योजना सहित एक मार्गदर्शी रूपरेखा तैयार करना, और (4) मास्टर प्लान के अधीन चालू ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों को पूरा करने या अन्यथा स्थिति के लिये महाराष्ट्र सरकार की कार्ययोजना एवं कार्यनीति तैयार करना।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग

2010. डा. बलीराम: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को यह अधिकार है कि वह सरकारी विभागों के कार्मिकों के सेवा-संबंधी मामलों के विषय में उनके उत्पीड़न अथवा प्रताड़ना आदि का निदान करे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आयोग को क्या-क्या शक्तियां प्रदान की गयी हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय तथा अधीनस्थ विभाग-वार कर्मचारियों के उत्पीड़न अथवा प्रताड़ना के कितने मामले आयोग द्वारा प्राप्त किये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) अनु. जातियों/अनु. जनजातियों को प्रदान किये गये सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और मोनिटर करने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की

विशिष्ट शिकायतों की जांच करने और अनु. जातियों तथा अनु. जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेने और सलाह देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग को किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, किसी दस्तावेज के लिए अपेक्षित कोई सार्वजनिक रिकार्ड आदि के प्रस्तुतीकरण के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

नागालैण्ड पेपर एण्ड पल्प मिल्स

2011. श्री के.ए. सांगतम: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुली स्थित "नागालैंड पल्प मिल्स" जो कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की एक अनुषंगी कंपनी है, का प्रकरण दो बार बी.आई.एफ.आर. के विचारार्थ भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या इस मिल की भारी देयताओं को चुकता करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार किस प्रकार इस मुद्दे को हल करके, प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने तथा कामगारों के हितार्थ रुग्ण मिलों का पुनरुद्धार करने का विचार रखती है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) जो हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की एक सहायिका है, को अप्रैल 1992 में बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था। चूंकि, बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना को अंतिम रूप देने में समय लगा रहा था, इसलिए सरकार ने 1995 में एक पैकेज को अुमोदित किया, जिससे एनपीपीसी को बीआईएफआर से बाहर लाने में मदद मिली है और इसका निवल मूल्य सकारात्मक हो गया है। हालाँकि, यह कंपनी अपने निष्पादन को बेहतर नहीं बना सकी है, और इसलिए इसे पुनः अगस्त, 1998 में बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था। बीआईएफआर ने 4.3.2002 को हुई अपनी सुनवाई में एनपीपीसी को बंद करने का आदेश दिया।

सरकार एनपीपीसी की मजदूरी और वेतन के नकद घाटों/दायित्वों के लिए एचपीसी को समय समय पर बजट संबंधी गैर-योजना सहायता मुहैया कराती रही है। एचपीसी, एनपीपीसी के वेतन, मजदूरी और सांविधिक देयताओं के दायित्वों को निपटाती रही है। सरकार ने मौजूदा सभी कर्मचारियों को वीएसआर ऑफर करने के लिए 18.00 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता भी मुहैया कराई है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी शर्तों में संशोधन

2012. श्री आदि शंकर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड ने भारत में विदेशी निवेशकों को प्रवेश देने के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शर्तों में संशोधन करने/विलोपन करने की शिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संशोधन की सिफारिश करने के पूर्व विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने इसके पूर्व में घटित उदाहरणों के समस्त पक्षों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो विदेशी निवेशकों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने के संबंध में वर्तमान निबंधनों तथा नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ये नये मार्गदर्शी सिद्धान्त विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में कहां तक सहायक होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के दिशा-निर्देशों क्षेत्रीय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीतियों के आधार पर लगाई गई प्रवेश के चरण की शर्तों में विलोपन करने/संशोधन करने के लिए मामला-दर-मामला आधार पर विचार नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(ङ) और (च) उत्तरोतर उदारीकरण सामान्यत: भावी प्रभाव के कारण होता है और विदेशी सहयोग अनुमोदन धारकों को आधार पर दायित्व, यदि कोई हों, पूर्ण करने होते हैं। उत्तरोतर उदारीकरण का उद्देश्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रक्रियाओं को यथा

संभव स्वत: मार्ग के अंतर्गत रखकर सरल बनाना है। इसी प्रकार से सामरिक विवेचन के आधार पर, कुछ क्षेत्रों में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमाएं रखी जाती हैं और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले शेष क्षेत्रों में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतिगत ढांचे से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने में सहायता मिली है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में हथकरघा ग्राम विकास योजना

2013. श्री शिवाजी माने: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में हथकरघा ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित गांवों की संख्या कितनी है:

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या कितनी है:

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) एकीकृत हथकरघा ग्रामीण विकास स्कीम (आईएचवीडी) वर्ष 1991-92 में आरम्भ की गयी थी। तथा 1997-98 में इसे बन्द कर दिया गया था। अत: पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अन्तर्गत कोई भी गांव शामिल नहीं किया गया है यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के प्रचालन के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वचनबद्धता की शेष राशि अवमुक्त की गई थी।

(ख) और (ग) स्कीम के प्रचालन के दौरान महाराष्ट्र सरकार की दो परियोजनाएं स्वीकृत की गयी थी। बन्दरा जिला के अन्धल गोन गांव के 100 बुनकरो को शामिल करने के लिए 1991-92 के वित्त वर्ष के 17.40 लाख रुपये के परिव्यय की एक योजना स्वीकृत की गई थी। बीड जिला के नन्दूरघाट गांव के 100 बुनकरों को शामिल करने हेतु 1994-95 के वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी परियोजना स्वीकृत की गई है।

(घ) स्कीम के अतंर्गत राज्यवार आबंटन नहीं किया है। भारत सरकार स्कीमों में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुरूपता तथा राज्य सरकारों द्वारा विधित रूप से अग्रेषित प्रस्तावों पर केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति पर विचार करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमों के अतंर्गत राज्य सरकारों को अवमुक्त कीं गई वर्षवार राशि विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना			डी.ई.पी.एम.			कार्यशाला-सह-आवास योजना			प्रोजेक्ट पैकेज योजना		
		1998-1999	1999-2000	2000-2001	1998-1999	1999-2000	2000-2001	1998-1999	1999-2000	2000 2001	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	72.08	129.23	28.90	39.90	55.55
2.	अन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-	14.72	5.00	280.38	340.20	119.59	782.68	420.09	307.01
3.	असम	-	-	424.10	27.00	4.40	12.85	38.39	59.18	-	1052.40	546.72	513.43
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.50	8.85	3.25
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	4.25	-	-	-	-	-	-
6.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	गुजरात	-	-	212.50	-	-	-	-	-	230.00	10.99	18.65	7.35
8.	हरियाणा	-	-	-	-	-	15.50	-	-	-	1.08	4.00	-
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	6.89	25.00	56.25	53.97	22.93	22.93	-	35.26	34.16	10.47
10.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	44.54	-	2.64	-	-	-	-	54.18	28.55	47.83
12.	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	116.47	-	57.07	16.85	20.95	18.16
13.	केरल	-	-	-	-	-	8.90	90.00	-	-	233.68	68.80	283.45
14.	मध्य प्रदेश	-	-	32.71	-	7.50	-	-	-	-	37.76	29.50	16.02
15.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	124.04	0.95	8.42	14.78	5.03	89.87
16.	मणिपुर	-	-	143.51	-	-	-	66.00	127.50	188.75	111.40	180.80	236.24
17.	मिजोरम	-	-	-	-	7.48	-	13.60	-	10.25	10.00	7.50	-
18.	मेघालय	-	-	6.00	-	-	-	5.53	-	20.76	-	-	-
19.	नागालैंड	-	-	33.10	-	-	12.25	44.00	150.00	136.96	214.19	189.14	127.08
20.	उड़ीसा	-	-	-	-	7.50	-	88.54	180.00	45.00	103.55	154.53	1.38
21.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	पंजाब	-	-	-	-	13.25	4.25	-	-	-	5.10	8.90	3.40
23.	राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	92.24	-	34.05	92.99	-
24.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	-	-	677.05	21.25	13.13	5.25	248.72	199.92	181.46	252.53	121.38	141.76
26.	त्रिपुरा	-	-	33.14	5.00	-	-	-	-	14.05	11.25	24.00	4.54
27.	उत्तर प्रदेश	-	-	54.15	9.00	37.75	14.25	20.00	-	-	610.96	644.51	314.84
28.	उत्तरांचल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	पश्चिम बंगाल	-	-	28.15	8.35	36.00	16.25	-	-	358.45	56.74	144.52	73.85
30.	दिल्ली	-	-	-	8.75	8.25	5.00	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	1695.84	104.35	208.87	157.72	1258.60	1245.00	1499.99	3686.83	2793.47	2255.48

क्र.सं.	राज्य का नाम	एच.डी.सी./क्यू.डी.यू. स्कीम			स्वाथ्य पैकेज योजना			थ्रीफ्ट फण्ड स्कीम		
		1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	50.35	-	-	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	-	13.69	27.89	52.75	86.99	96.25	34.38	41.04	-
3.	असम	-	-	-	32.00	24.40	112.25	-	-	-
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	1.60	-	-	-
6.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	गुजरात	-	-	-	-	-	55.11	3.78	8.00	-
8.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्र.	-	2.84	5.10	-	-	-	-	-	-
10.	झारखंड	-	-	-	-		-	-	-	-
11.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	0.79
12.	कर्नाटक	-	-	-	-	22.00	-	-	29.00	30.00
13.	केरल	-	15.99	-	43.65	6.43	37.22	2.49	-	-
14.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	13.56	2.96	1.03
15.	महाराष्ट्र	-	-	-	6.21	-	-	-	25.83	4.78
16.	मणिपुर	-	-	-	12.88	-	32.53	-	-	-
17.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	मेघालय	-	-	-	3.03	1.96	2.34	-	-	-
19.	नागालैंड	-	61.39	78.84	19.46	19.46	74.77	-	-	-
20.	उड़िसा	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-
21.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	राजस्थान	-	-	-	-	5.00	-	-	1.00	-
24.	सिक्किम	-	-	-	-	18.80	2.50	-	-	-
25.	तमिलनाडु	-	290.09	-	71.96	83.06	37.79	244.34	241.15	262.16

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
26.	त्रिपुरा	–	–	–	40.40	–	29.83	–	–	0.29
27.	उत्तर प्रदेश	–	12.19	–	50.00	–	–	–	–	–
28.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	5.00	7.35	–	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	0.00	396.19	111.83	332.34	273.10	539.89	352.55	348.98	299.05

क्र. सं.	राज्य का नाम	समूह बीमा योजना			नई बीमा योजना			एम.डी.ए. स्कीम			जनता कपड़ा योजना		
		1998-1999	1999-2000	2000-2001	1998-1999	1999-2000	2000-2001	1998-1999	1999-2000	2000 2001	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	16.80	16.00	24.00	12.28	15.19	–	66.27	451.31	295.95	–	–	–
3.	असम	1.50	1.50	–	–	0.25	–	33.04	50.22	40.04	247.84	14.50	–
4.	बिहार	–	–	–	2.34	3.59	0.37	14.29	5.76	–	5.53	9.00	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	0.97	1.57	2.79	2.63	2.73	103.27	21.04	117.60	6.54	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	43.47	116.59	16.46	0.88	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	58.01	42.14	32.24	–	–	–
10.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–	–	–	47.96	34.94	12.00	4.27	–	–
12.	कर्नाटक	–	20.00	–	–	–	–	40.00	102.52	193.12	150.55	–	–
13.	केरल	–	–	–	–	–	–	761.06	308.49	110.77	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	0.50	–	1.13	2.55	1.83	0.74	81.30	99.59	21.85	45.64	–	–
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	50.45	–	46.97	65.44	–	–
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	0.74	–	–	–	–
17.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
18.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	0.77	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	–	–	–	18.00	–	18.00	78.93	223.47	107.59	73.44	–	–
21.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	28.53	57.80	28.37	–	5.90	–
22.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	130.98	142.79	–	–
23.	राजस्थान	–	–	–	1.68	1.36	2.56	8.02	11.99	37.63	2.27	6.93	0.05
24.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	तमिलनाडु	37.44	36.67	36.75	–	–		1294.20	700.00	921.62	200.63	–	–
26.	त्रिपुरा	–	–	–	0.36	0.15	0.60	5.94	18.02	6.06	1.91	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	107.29	125.66	233.40	0.16	1.63	–
28.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	7.38	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	2.63	2.77	2.47	–	–	–	411.73	400.00	110.08	47.70	97.29	–
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	71.47	135.09	20.63	–	–	–
	कुल	58.87	77.91	65.92	40.00	25.00	25.00	3306.00	2905.37	2690.74	995.59	135.35	0.05

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रचार एवं प्रदर्शनी			मार्जन मनी फार डेस्टीचूट विवर्स			एकीकृत ग्रामीण विकास योजना		
		1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000 2001
1	2	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	1.00	2.31	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	15.50	66.25	–	26.50	–	–	33.00	129.00
3.	असम	26.34	27.80	67.48	–	–	–	–	44.75	–
4.	बिहार	–	5.82	21.94	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	34.27	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	7.76	9.50	–	–	0.70	–	–	–	–
8.	हरियाणा	12.00	12.61	–	–	–	–	–	–	–

1	2	36	37	38	39	40	41	42	43	44
9.	हिमाचल प्रदेश	–	1.00	12.39	–	–	–	–	–	–
10.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	जम्मू एवं कश्मीर	5.00	13.98	25.89	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	–	6.51	1.00	2.50	–	4.50	–	–	–
13.	केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	16.41	29.13	25.30	–	–	–	12.50	48.90	10.00
15.	महाराष्ट्र	43.00	59.96	38.93	–	–	–	–	–	–
16.	मणिपुर	–	8.58	9.34	–	–	–	–	57.15	–
17.	मिजोरम	–	–	1.00	–	–	–	–	–	–
18.	मेघालय	–	1.00	1.08	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैण्ड	9.00	1.00	7.84	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	8.06	5.00	16.90	72.50	–	–	23.00	44.00	–
21.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	पंजाब	–	1.00	2.00	–	0.50	–	–	–	–
23.	राजस्थान	21.75	2.77	22.00	–	–	–	–	–	–
24.	सिक्किम	7.89	1.99	4.97	–	–	–	–	–	–
25.	तमिलनाडु	–	4.51	29.15	–	–	–	–	–	63.00
26.	त्रिपुरा	12.78	4.63	4.19	2.50	–	–	–	42.75	–
27.	उत्तर प्रदेश	34.73	6.89	30.72	–	–	0.86	–	–	–
28.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	2.00	28.63	23.15	9.00	–	0.50	–	6.00	–
30.	दिल्ली	–	4.00	19.73	–	–	–	–	–	–
	कुल	206.72	252.81	467.83	86.50	27.70	5.86	35.50	276.55	202.00

[अनुवाद]

नमक का उत्पादन

2014. श्री दिन्शा पटेल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में नमक का कितना उत्पादन हुआ और इसमें गुजरात का हिस्सा कितना रहा; और

(ख) समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक नमक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं और सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) देश में पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान हुआ नमक उत्पादन और उसमें गुजरात का हिस्सा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	कुल उत्पादन	गुजरात का हिस्सा	प्रतिशत
1999	14452.7	10048.3	69.5
2000	15651.3	11588.4	74.00
2001	14284.00	9647.8	67.5

(ख) सरकार देश में तटवर्ती क्षेत्रों सहित, नमक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

(1) नमक उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि की जांच करने के लिए स्थल का निरीक्षण किया जाता है और इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों द्वारा भूमि आवंटन हेतु उचित सिफारिशें की जाती हैं।

(2) वैज्ञानिक तरीकों से नमक निर्माण हेतु तकनीकी दिशा-निर्देश दिया जाता है।

(3) नमक उत्पादन क्षेत्रों में नमक शोधनालयों की स्थापना करने के कार्य को, खाद्य, औद्योगिक और निर्यात प्रयोजनों के लिए नमक की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे साधारण नमक के उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

(4) ऐसे नमक कारखानों को जो बाढ़/तूफान इत्यादि जैसे प्राकृतिक विपदाओं के कारण हानि उठाते हैं, अनुग्रह राशि व ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपना उत्पादन पुनः शुरू कर सकें। नमक कारखानों में विकास व श्रम कल्याण योजनाओं की शुरूआत करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

(5) नमक उत्पादन के लिए उपयुक्त पाई गई विभागीय नमक भूमि को नमक उत्पादन के लिए निजी पार्टियों को पट्टे पर दिया जाता है।

(6) सरकार ने दिनांक 4.9.2001 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 639(अ) के तहत नमक कारखानों से नमक उठाने के लिए कनसाइनमेंट-वार परमिट प्रणाली को बदल कर स्वयं उठाने की पद्धति (एस.आर.पी.) लागू कर दी है जिसके फलस्वरूप परेशानियां कम होंगी और इससे अधिक मात्रा में नमक उत्पादन करने में मदद मिलेगी।

प्रदर्शनी में भाग लेना

2015. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21-26 जनवरी, 2002 के दौरान मुम्बई में हुई 'इलेक्रेमा' (ई.एल.ई.सी.आर.ई.एम.ए.) प्रदर्शनी में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने भी भाग लिया था।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या जिस मशीनरी का प्रदर्शन किया जाना था उसे प्रदर्शित न करके उसके स्थान पर केवल छायाचित्र लगा दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भेल ने इलेकरामा के 87 वर्ग मी. के स्थान पर एक स्टाल स्थापित की थी और अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया तथा परियोजनाओं को निष्पादित किया। स्थान के किराए के रूप में 4.02 लाख रुपये सहित लगभग कुल 13 लाख का व्यय हुआ था। चूंकि, भेल द्वारा निर्मित मशीनरी आमतौर पर आकार में बड़ी होती है और इसी प्रकार के छोटे उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है जबकि, प्रोटोटाइप के मॉडलों और बड़े उपक्रमों को प्रदर्शित किया गया था।

[हिन्दी]

सांभर साल्ट्स लिमिटेड

2016. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान 'सांभर साल्ट्स लिमिटेड' को हुए लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'सांभर साल्ट्स मिलिटेड' के निजीकरण का निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उपक्रम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसके विनिवेश का विरोध किया है और इसके सुचारू कार्यकरण के बारे में सुझाव दिये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसका विनिवेश किये जाने की दशा में, इसके कर्मचारियों को रोजगार-सुरक्षा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया): (क) विगत 3 वर्षों के दौरान कंपनी को घाटा हुआ है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

1998-99	–	18.09
1999-2000	–	203.17
2000-2001	–	327.30

(ख) और (ग) जी, हां। मामला विनिवेश मंत्रालय में है।

(घ) और (ङ) अधिकारी और कर्मचारी सांभर साल्ट्स लिमिटेड के विनिवेश का विरोध कर रहे हैं और लेक में पानी के निर्बाध प्रवाह, कंपनी की जमीन से अतिक्रमण हटाने और रिफाइनरी की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध को हटाने जैसे सुझाव दिए हैं।

(च) विनिवेश करने से कंपनी देश के श्रमिक नियमों और अपने स्थाई आदेशों के आधीन आ जाती है। इसके अलावा, मॉडल शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में एक वर्ष के लिए कोई छटनी न करने और फिर इसके बाद वीआरएस के जरिए कर्मचारियों का युक्तिकरण करना बशर्तें कि सरकार की कोई योजना निम्न न हो, का प्रावधान करता है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

2017. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न वस्त्र उद्योगों ने प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराने की ओर पर्याप्त अभिरुचि प्रदर्शित नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक वस्त्र उद्योगों को विधि के रूप में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(घ) क्या इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सरकार ने देश में वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु 1 अप्रैल, 1999 से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू किया है। इस योजना में योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा प्रभावित 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। 31 जनवरी, 2002 की स्थिति अनुसार, 13747 करोड़ रु. के निवेश प्रस्तावों के साथ कुल 1465 आवेदन प्राप्त हुए थे, 5057 करोड़ रु. की कुल ऋण राशि के साथ 1232 आवेदनों को स्वीकृत किया गया था तथा 968 आवेदनों के प्रति 3282 करोड़ रु. वितरित किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का मानीटर तथा समीक्षा करने हेतु, वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी संचालन समिति (आई एम एस सी) गठित की गयी है। वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार और मानीटरिंग समिति (टीएएमसी) भी योजना के अंतर्गत किसी एकक अथवा मशीनरी की पात्रता के संबंध में किसी नोडिए अभिकरणों द्वारा उठाये गये किसी तकनीकी मसले को स्पष्ट करने तथा व्याख्या करने के लिए गठित की गयी है।

विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस योजना को प्रयोक्ता के अनुकूल बनाने के लिए संशोधन कर रही है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(1) लघु क्षेत्र वस्त्र तथा पटसन उद्योगों को 12% अपफ्रंट ऋण संबंधी पूंजीगत सहायता अथवा मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए विकल्प प्रदान करना।

(2) टी यू एफ एस अथवा कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने के लिए जिनिंग व प्रेसिंग एककों के लिए विकल्प सहित टी यू एफ एस के अंतर्गत सूती जिनिंग और प्रेसिंग क्षेत्र को पुनः शामिल करना।

[हिन्दी]

वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दुरूपयोग

2018. श्री रतन लाल कटारिया: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दुरूपयोग के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ऐसी संपत्ति के संबंध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शारजाह फ्री ट्रेड जोन

2019. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'शारजाह फ्री ट्रेड जोन' की ओर से वाहन पुर्जे विनिर्मात्री भारतीय कंपनियों को अपनी इकाइयां वहां स्थापित करने का आमंत्रण दिया गया है;

(ख) क्या कई भारतीय कंपनियों ने शारजाह में अपनी इकाइयां खोलने की इच्छा जाहिर की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन कंपनियों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) ऑटोमोटिव कम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) ने ऐसा आमंत्रण मिलने की पुष्टि की है।

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केवल अशोक लीलैंड लिमिटेड ने आरबीआई से अनुमति प्राप्त की है और शारजाह में अपना कार्यालय स्थापित किया है।

[हिन्दी]

कटे-फटे और खराब नोटों को बदलना

2020. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में मूल्यवर्गवार और राज्यवार कुल कितने मूल्य के कटे-फटे और खराब करेंसी नोट बदले गये?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वृद्धजनों के लिए योजनाएं

2021. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वृद्धजनों के सुविधार्थ गैर-संस्थागत सेवाओं को अनुसमर्थित करने तथा मजबूत बनाने के उद्देश्य से तथा वृद्धाश्रमों, दिवसचर्या केन्द्रों और सचल चिकित्सा इकाइयों इत्यादि को स्थापित करने व इनकी देख-रेख करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) क्या योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2001) में इन योजनाओं के लिए 54.62 करोड़ रु. की राशि का आवंटन किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस प्रयोजनार्थ आबंटित पूरी राशि का उपयोग किया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय ने अभी तक उन संगठनों की पहचान नहीं की है जिनके जरिए वृद्धजनों की कल्याण-योजनाएं कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान इस योजना के लिए आबंटित कुल निधियां 56.34 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने अब तक (दिनांक 11.3.2002 तक) आबंटन के लगभग 87 प्रतिशत का उपयोग कर लिया है।

(ङ) और (च) यह योजना 391 वृद्धाश्रम, 469 दिवा देखभाल केन्द्र 83 सचल चिकित्सा यूनिटें, तथा 2 गैर-संस्थागत सेवा केन्द्रों को चलाने वाले 609 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र का विविधीकरण

2022. श्री राजो सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने हथकरघा बुनकरों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से हथकरघा क्षेत्र के उत्पादों के विविधीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा हथकरघा उत्पादों के विविधीकरण के घटकों सहित दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना तथा निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनका विपणन स्कीम के अंतर्गत जिसमें हथकरघा क्षेत्र हेतु लाभकारी घटक हैं, प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं।

(ख) से (घ) चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 (11.3.2002 के अनुसार) के दौरान प्रस्तावों जिसके लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई तथा प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों से दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1179 प्रस्ताव प्राप्त हुए । इन प्रस्तावों में से 258 स्वीकृत किये गये प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाये गये तथा विभिन्न राज्यों को 704.70 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई। 333 प्रस्ताव संबंधित राज्यों को वापिस किये गये जो स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थे। निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास तथा उनका विपणन स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 12 प्रस्ताव दिशा-निदेशों के अनुरूप पाये गये तथा स्वीकृत किये गये तथा विभिन्न राज्यों को 74.10 लाख रुपये अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। 9 प्रस्तावों के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण तथा आवश्यक कागजात मांगे गये हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना			निर्यात उत्पादों के विकास तथा उनके विपणन की स्कीम		
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	केन्द्रीय सहायता प्राप्त प्रस्तावों की सं.	केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई (लाख रुपये में)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	केन्द्रीय सहायता प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	99	64	43.77	4	1	6.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	27	22	122.27	-	-	-
3.	असम	354	-	-	-	-	-
4.	बिहार	19	-	-	2	1	6.50
5.	छत्तीसगढ़	15	1	0.48	-	-	-
6.	गुजरात	2	1	125.00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हरियाणा	-	-	-	2	2	8.50
8.	हिमाचल प्रदेश	23	5	8.74	-	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	1	-	-	-	-	
10.	कर्नाटक	-	-	-	1	1	4.10
11.	मध्य प्रदेश	6	-	-	1	1	7.50
12.	नागालैंड	202	-	-	3	3	18.00
13.	पंजाब	-	-	-	5	-	-
14.	राजस्थान	1	-	-	-	-	-
15.	तमिल नाडु	146	-	-	-	-	-
16.	उत्तर प्रदेश	249	151	364.19	3	3	23.50
17.	उत्तरांचल प्रदेश	14	14	40.25	-	-	-
18.	पश्चिम बंगाल	21	-	-	-	-	-
	कुल	1179	258	704.70	21	12	74.10´

[अनुवाद]

न्यूनतम परिपक्वता अवधि

2023. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और जमाराशि प्रमाणपत्रों (सीडी) के लिए न्यूनतम परिपक्वता अवधि को 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को इस संबंध में कंपनियों से भी सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुझावों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की क्या प्रतिक्रया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। भारतीय रिर्जव बैंक का विचार था कि वाणिज्यक पत्र की न्यूनतम परिपक्वता कम करके सात दिन करना परिचालनात्मक रूप से अर्थक्षम नहीं होगा।

जई के आटे का निर्यात

2024. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2002 में जई के आटे के निर्यात में सड़सठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे निर्यातों को प्रोत्साहित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो जई के आटे के निर्यात में वृद्धि के स्तर को बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी): (क) अप्रैल-नवम्बर, 2001 (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) के दौरान आयल मील के निर्यात की कुल मात्रा और मूल्य गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में निम्नानुसार है:

अवधि	मात्रा (मी.टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
अप्रैल-नवम्बर, 2001 (अ)	9,46,767	783.98
अप्रैल-नवम्बर, 2000 (अ)	12,74,913	1011.49

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता

(ख) और (ग) आयल मील के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं: प्रचार अभियान आयोजित करना, विदेशों में शिष्टमण्डल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, संभावित क्रेताओं को बुलाना और गुणवत्ता में सुधार, पैकेजिंग, उत्पादों के ब्रांड संवर्द्धन और बाजार सर्वेक्षण के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन

2025. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में वास्तविक उत्पादन क्या है और वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कितने मूल्य का उत्पादन हुआ;

(ग) इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया; और

(घ) इस क्षेत्र में इस समय एक श्रमिक की औसत आय कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) अनुमान के अनुसार वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान हथकरघा कपड़े का वास्तविक उत्पादन नीचे दर्शाया गया है;

वर्ष	उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटरों में)
1998-99	6792.00
1999-2000	7352.00
2000-2001	7506.00

हथकरघा क्षेत्र के विकेन्द्रीकृत प्रकार तथा उस क्षेत्र में उत्पादित फेब्रिक की कीमतों में बहुत बडी भिन्नता जो विभिन्न फेब्रिक तथा उनके संगठनों पर निर्भर करता है, के कारण उत्पादन मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार हथकरघा बुनाई तथा समबद्ध क्रियाकलापों में लगभग 124 लाख कामगर कार्यरत हैं।

(घ) देश में स्थान-स्थान की भिन्नता, फैब्रिक बनाई की विविधता तथा रोजगार के दिनों की संख्या के कारण हथकरघा बुनकरों की प्रचलित औसत मासिक आय की प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक पुनर्वास केंन्द्र

2026. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वी.आर.सी) स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में कितने व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वी.आर.सी) स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) सरकार द्वारा प्रशिक्षण और कुशलता उन्नयन के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) देश में महाराष्ट्र में एक सहित 17 व्यावसायिक पुनर्वास (वी.आर.सी) केन्द्र हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में और वी.आर.सी. स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वी.आर.सी. विकलांग व्यक्तियों की शेष क्षमता का मूल्यांकन करते हैं, विपणनीय कौशलों में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा उनके पुनर्वास में सहायता प्रदान करते हैं।

रोजगार में कमी

2027. श्री विकास चौधरी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की विशाल संख्या को कम करने की नीति के कारण बड़ी संख्या में कामगार बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश की सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में कितने कामगार कम किये गये हैं: और

(ग) कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाए किये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभ भाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकार की नीति कर्मचारियों की संख्या को उपयुक्त सीमा में लाने की है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या को उपयुक्त बनाने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं और उन्होंने वर्ष 1998-1999, 1999-2000 तथा 2000-2001 में कर्मचारियों की संख्या में क्रमश: 29,628, 43,760 तथा 45,625 की कमी कर पाने में सफलता प्राप्त की है। यह योजना स्वैच्छिक है। दिनांक 6.11.2001 को सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को और उदार बनाते हुए उन उद्यमों के कर्मचारियों की अनुग्रह राशि में क्रमशः 100% तथा 50% की वृद्धि की स्वीकृति दे दी है, जिनमें 1.1.1992 तथा 1.1.1997 से वेतन संशोधन लागू नहीं किया गया है। वी.आर.एस. के अन्तर्गत मुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुन: प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन की एक योजना चालू की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को स्वरोजगार से सम्बन्धित क्रियाकलापों को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक कौशल से युक्त करने तथा उनका अभिमुखीकरण करने का प्रावधान है।

खेलकूद वस्तुओं का निर्यात

2028. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान खेलकूद की वस्तुओं विशेषकर क्रिकेट वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खूलकूद वस्तुओं के निर्माताओं की समस्याओं पर कोई ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो खेलकूद वस्तुओं के निर्माताओं को दिये गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी): (क) और (ख) वैश्विक मंदी के बावजूद, भारतीय खेल सामान के निर्यात में वर्ष 2000-2001 के दौरान रुपए के रूप में 7.25% की वृद्धि हुई है। क्रिकेट सामान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मूल्य करोड़ रु. में)

क्र.सं.	निर्यात कीमत	1999-2000 के दौरान निर्यात	2000-01 के दौरान निर्यात	वृद्धि/गिरावट की प्रतिशतता
1.	क्रिकेट बैट्स	13.22	14.66	5.25%
2.	क्रिकेट और हॉकी की गेंदें	06.81	06.20	-13.38%
3.	क्रिकेट के लिए रक्षात्मक उपकरण	24.35	29.16	13.52%

(ग) और (घ) खेल के समान के निर्यातों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) शुल्क वापसी तथा डीईपीबी की दरों को निर्धारित करना।

(2) अंतर्राष्ट्रीय मेलों आदि में भागीदारी के लिए अलग-अलग निर्यातकों को सहायता देना।

(3) खेलकूद निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से बाजार संवर्धन के लिए सहायता।

(4) कच्चे माल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

गुजरात को एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण

2029. श्री जी.जे. जावीया:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने गुजरात के भूकंप प्रभावित शहरों/जिलों के विकास के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया है अथवा प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात सरकार को यह अनुदान कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। एशियाई विकास बैंक ने गुजरात भूकम्प पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 26 मार्च, 2001 को 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता मंजूर की है। यह ऋण 30 वर्षों की समयावधि के साथ जिसमें 7 वर्षों की रियायत अवधि भी शामिल है, एशियाई विकास बैंक के सामान्य पूंजी संसाधनों से प्राप्त होगा। ये ऋण निधियां आवास निर्माण को सहायता प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम, शहरी तथा ग्रामीण जलापूर्ति और विद्युत की बहाली, भुज, अंजार, बचाव तथा रापर के चार कस्बों में पुनर्निर्माण, जीविका बहाली तथा आपदा प्रबंध हेतु क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान करेंगी।

(ग) परियोजना के संबंध में ऋण समाप्ति तिथि 30 जून, 2004 है। परियोजना के अधीन सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर प्राप्त होती है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2030. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट क्षेत्रों के आठ जिलों के सभी व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के रूप में मान्यता देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए बनी खाद्यान्न वितरण योजना को कार्यान्वित कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश के अन्य राज्यों के जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण करेगी;

(घ) क्या समान रूप से सभी राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट क्षेत्र के आठ जिलों की विशेष समस्या को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2002 से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र में कुल अनुमानित 13.93 लाख परिवारों के लिए 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जा रहा है।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की पहचान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वयं की जाती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के दिशा-निर्देशों में उन्हें परामर्श दिया गया है कि समाज के केवल गरीब और कमजोर वर्गों को ही शामिल करने पर जोर दिया जाना चाहिए। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान कर ली है और सम्पूर्ण देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित कर दी गई है।

(घ) से (च) जी, नहीं। तथापि, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लाभ के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित देश के सभी राज्यों में अंत्योदय अन्य योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अन्नपूर्णा और काम के बदले अनाज कार्यक्रम जैसी अन्य पूरक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को कोचिंग

2031. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2001-2002 के लिए केंद्र द्वारा आयोजित कोचिंग (अनु. जाति और अनु.जनजाति के विद्यार्थी) और संबद्ध योजनाओं के अंतर्गत धन जारी करने का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) जी हां। कर्नाटक सरकार को अनु. जनजाति के छात्रों के लिए कोचिंग और संबंध योजना के अंतर्गत अनु. जनजाति के छात्रों के लिए 2.15 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। अनु. जाति के छात्रों के संबद्ध में एक अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार से आवश्यक दस्तावेजों तथा पिछले अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र सहित निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर केंद्रीय सहायता की निर्मुक्ति पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अ.जा. वित्त और विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) की सहायता

2032. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अ.जा. वित्त और विकास (एन.एस.एफ.डी.सी) निगम द्वारा अ.जातियों/अ. जनजातियों के कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया;

(ख) राष्ट्रीय अ.जा. वित्त और विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी) द्वारा अ.जातियों/अ. जनजातियों के व्यक्तियों को कितनी धनराशि प्रदान की गयी थी; और

(ग) इससे महाराष्ट्र में कितने व्यक्ति लाभांवित हुए और उक्त अवधि के दौरान उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गयी ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा सहायता प्रदत्त अनु. जाति/अनु. जनजाति के व्यक्तियों की संख्या तथा वितरित राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(रुपये लाख में)

वर्ष	लाभान्वित अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों की संख्या	वितरित राशि
1999-2000	12,236	10006.14
2000-2001	51,001	13251.46

(ग) उपर्युक्त अवधि के लिए महाराष्ट्र से संबंधित ब्यौरे इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)

वर्ष	लाभान्वित अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों की संख्या	वितरित राशि
1999-2000	42	152.43
2000-2001	621	368.87

अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र जारी किया जाना

2033. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बने दिशा-निर्देशों में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस उद्देश्य के लिए बनाये गये दिशा-निर्देशों में समय-सीमा निर्धारित करने के लिए क्या प्रयास किये है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) जी, हां। तथापि भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों को शीघ्र तथा सही अधिप्रमाणन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिप्रमाणन प्राधिकरणों को उपयुक्त ढंग से बताने तथा राजपत्र अधिसूचनाओं एवं कार्मिक और प्रशिक्षण

विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/1993-स्थापना (एस सी डी) की प्रतियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के लिए सलाह दी हुई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में सहकारी बैंक

2034. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कौन-कौन से सहकारी बैंकों को अब तक अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्राप्त करने संबंधी मानदंड क्या है;

(ग) सरकार के पास कर्नाटक में अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्रदान करने के लिए कितने आवदेन/प्रस्ताव लंबित है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि कर्नाटक स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. एवं अमानाथ को-आपरेटिव बैंक लि., बैंगलोर कनार्टक में ऐसे सहकारी बैंक हैं, जिन्हें अब तक अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, किसी भी सहकारी बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा तब मिलता है, जब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42 (6) (क) का अनुपालन करना चाहिए, जिसके अनुसार उसके पास कम से कम 5 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी एवं आरक्षित निधि होनी चाहिए और इसके कार्य जमाकर्ताओं के हितों को हानि पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कर्नाटक से सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिए जाने हेतु छः प्रस्ताव लम्बित हैं। 31 मार्च, 2002 के बाद ही सांविधिक निरीक्षणों के उपरांत इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

कृषि उत्पादों के लिए पादप रोग-मुक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र

2035. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात किये जाने वाले कृषि उत्पादों के लिए पादप-रोग-मुक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पाद .-रोग मुक्तता आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए निर्यात प्रसंस्करण जौनवार कौन-कौन से कृषि उत्पादों को अस्वीकार कर दिया गया ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्यात प्रसंस्करण जोनों द्वारा इस प्रकार अस्वीकृत किए गए उत्पादों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

खुले बाजार में राजसहायता प्राप्त गेहूं की बिक्री

2036. श्री सुबोध मोहिते:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खुले बाजार में राजसहायता प्राप्त गेहूं की बिक्री के लिए देश को चार जोनों में बांटने की नीति को समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को एक पृथक जोन मानने का निर्णय किया है और भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा खर्च किया गया वास्तविक मालभाड़ा वसूलने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो दशकों पुरानी प्रणाली को समाप्त करने के क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होंगे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति जिसको खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत गेहूं की खुली बिक्री दरें निर्धारित करने

के लिए प्राधिकृत किया गया है, ने अधिग्रहण लागतों और राज्यों को पड़ने वाले औसत भाड़े को ध्यान में रखने के बाद फरवरी और मार्च, 2002 माह के लिए इन दरों को राज्यवार निर्धारित किया है। पूर्व के जोनवार मूल्य निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत, एक जोन के समीपवर्ती दूसरे जोन में पड़ने वाले राज्य प्रायः यह शिकायत करते थे कि पूरे जोन के लिए एक निर्गम मूल्य भेदभावपूर्ण है, क्योंकि कुछ राज्यों को दूसरे की तुलना में ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। नई राज्यवार मूल्य निर्धारण प्रणाली राज्यों की शिकायतों को दूर करती है।

सरकार के शीर्ष पदों में वृद्धि

2037. श्री रामजी मांझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निदेशक, संयुक्त सचिव अपर सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या में 1 जनवरी, 1992 तक पदों की संख्या घटाने के संबंध में इन पदों में 10 प्रतिशत की कटौती को लागू किए जाने के आदेश के बावजूद 1.3.1994 से 1.3.2000 के बीच की अवधि को छोड़कर लगातार वृद्धि हो रही है जैसा कि वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा वर्ष 1999-2000 के अपने छठे प्रतिवेदन के पृष्ठ 59 पर इंगित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों में अधिकारियों की संख्या में कटौती नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और बिना किसी बिलम्ब के इन पदों की संख्या में कटौती करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या निदेशक, संयुक्त सचिव और अपर सचिव के पदों के अधिकारी दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन करते हैं और जिन राज्यों और क्षेत्रों के लिए उनकी भर्ती की जाती है उनकी अपेक्षा वे दिल्ली में आना चाहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्रवृत्ति को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसे अधिकारी उन राज्यों/क्षेत्रों में सेवा का योगदान दें जिसके लिए उनकी भर्ती की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वित्त संबंधी स्थायी समिति 1999-2000 की छठी रिपोर्ट के पृष्ठ 59 पर दिए गए आंकड़ों, जिन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एकत्रित किया गया था, के अनुसार (कुछ अवधियों को छोड़कर) 1.3.94 से 1.3.2000 के बीच निदेशक, संयुक्त सचिव, अपर सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, इसे 10 प्रतिशत कटौती के अनुदेशों के अन्तर्विरोध के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 10 प्रतिशत की कटौती विभाग की समग्र सदस्य संख्या पर लागू थी न कि वरीयता क्रम से हरेक स्तर पर।

(ग) और (घ) जहां तक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का संबंध है, राज्य स्तर पर प्राप्त दक्षता के साथ केन्द्र सरकार में शामिल करने के उद्देश्य से 40 प्रतिशत पदों को केन्द्रीय प्रतिनियुक्त आरक्षण (सी.डी.आर.) को ध्यान में रखते हुए इनकी संवर्ग संख्या नियत की जाती है। केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे पदों पर संगठित केन्द्रीय सेवा समूह 'क' के अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है।

एकीकृत निःशक्त बाल शिक्षा

2038. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकीकृत निःशक्त बाल शिक्षा योजना (आई.ई.डी.सी.) इस वर्ष पहले शुरू की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1,20,000 बच्चों को लाभांवित किए जाने की तुलना में दरअसल 93,449 बच्चे ही इस सहायता का लाभ प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरका पूर्ण रूप से वित्तपोषित इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को प्रेरित कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या 19 जनवरी, 2002 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में '' स्टेट्स गो लिम्प ऑन -स्कीम फॅार डिजैबल्ड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के मुताबिक अधिकांश राज्यों ने 1998-99 तक के विवरण दे दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो पूरी राशि का समय से उपयोग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रेरित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) एकीकृत निःशक्त बाल शिक्षा के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना 1974 में शुरू की गई थी और इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नियमित स्कूलों में 90,000 निःशक्त बच्चों की अनुमानित कवरेज

की तुलना में 1.33 लाख से अधिक निःशक्त बच्चों को आजतक इसके अंतर्गत शामिल किया गया है।

(घ) से (च) भारत सरकार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से उन्हें निर्मुक्त की गई निधियों का पूरा उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है जिससे कि उन्हें अतिरिक्त निधियां मिल सकें।

[हिन्दी]

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

2039. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कोष के लिए आरंभ में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) उक्त कोष के लिए कितने आय स्त्रोतों से धन की उगाही की जा रही है;

(घ) इस कोष के प्रशासनिक प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया में उपभोक्ता संघों, गैर-सरकारी संगठनों, लोक कार्यकर्ताओं और बैंक जमाकर्ता एसोसिएशन को शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एफ.सी.आई. के बेस डिपो

2040. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के कितने बेस डिपो हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ उक्त राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उक्त बेस डिपो पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त राज्यों में एफसीआई के और डिपो स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य	बेस डिपुओं की संख्या
उड़ीसा	24
पश्चिम बंगाल	$$
झारखंड	12
छत्तीसगढ़	11
आंध्र प्रदेश	43

$$चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने विकेन्द्रीकृत वसूली प्रणाली अपनाई है। अतः राज्य सरकार खाद्यान्नों का वितरण अपने ही गोदामों से कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

यू.टी.आई. मामले पर एस.एस. तारापुर समिति

2041. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यकरण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में गठित एस.एस. तारापुर समिति की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) तारापुर समिति की रिपोर्ट को कब तक सार्वजनिक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) तारापुर समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में की गई सिफारिश भारतीय यूनिट ट्रस्ट में सुधार करने हेतु एक व्यवस्था प्रदान करती है।

(ग) यह रिपोर्ट सरकार का एक आंतरिक दस्तावेज हैं।

(घ) सरकार ने दिनांक 28.12.2001 को यू.एस. 64 के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। वित्तीय पैकेज के एक भाग के रूप में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट को विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर आधारित समयबद्ध सुधार को क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

2042. **श्री नागमणि:**
श्री बीर सिंह महतो:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितनी चीनी मिलें कार्यरत हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर बिहार में रुग्ण चीनी मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) आज की तारीख में रुग्ण चीनी मिलों के पुनरूद्धार के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें कार्यरत चीनी मिलों की राज्यवार संख्या दी गई है।

(ख) निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की रुग्ण चीनी कम्पनियां रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध)अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.) के दायरे में आती हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के अनुसार, 31.12.2001 को स्थिति के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की 47 रुग्ण चीनी कम्पनियां उनके पास पंजीकृत की गई हैं। इन 47 चीनी कम्पनियों में से 3 चीनी कम्पनियां अलग-अलग समय पर दो बार और 1 कम्पनी तीन बार पंजीकृत हुई है। इसके मद्देनजर केवल 42 चीनी कम्पनियों, जिनकी 75 चीनी मिलें हैं, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत हैं। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

	रूग्ण चीनी मिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	3
बिहार	4
कर्नाटक	5
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	3
पंजाब	3
तमिलनाडु	8
उत्तर प्रदेश	42
पश्चिम बंगाल	1
केरल	1
उड़ीसा	1
राजस्थान	1
कुल	75

सहकारी चीनी मिलें रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं। ये मिलें संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के दायरे में आती हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्राप्त सूचना के अनुसार , 31.03.2001 को 114 सहकारी चीनी मिलों की नेट वर्थ ऋणात्मक थी। इस संबंध में क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है:

	रग्ण चीनी मिलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	9
कर्नाटक	11
महाराष्ट्र	40
पंजाब	10
तमिलनाडु	13

1	2
उत्तर प्रदेश	19
गुजरात	5
हरियाणा	6
उत्तरांचल	1
कुल	114

(ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपने पास पंजीकृत उपर्युक्त 42 रूग्ण चीनी कम्पनियों के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की है:

पुनर्स्थापन योजना स्वीकृत	5
अन-अनुरक्षणीय होने के कारण रद्द	9
मसौदा योजना परिचालित	1
बंद करने की सिफारिश	6
बंद करने का नोटिस जारी	5
जांच के अधीन	8
अब रूग्ण नहीं घोषित	8
कुल	42

विवरण

जिन चीनी मिलों ने 2001-2002 मौसम में 20.2.2002 तक कार्य किया उनकी राज्यवार संख्या

राज्य	चीनी मिलों की संख्या
1	2
पंजाब	22
हरियाणा	14
राजस्थान	1
उत्तर प्रदेश	
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	30
मध्य उत्तर प्रदेश	42
पूर्वी उत्तर प्रदेश	39
जोड़ उत्तर प्रदेश	111
मध्य प्रदेश	8
दक्षिणी गुजरात	15
सौराष्ट्र	–
जोड़ गुजरात	15
दक्षिणी महाराष्ट्र	34
उत्तरी महाराष्ट्र	50
मध्य महाराष्ट्र	43
जोड़ महाराष्ट्र	127
उत्तरी बिहार	10
दक्षिणी बिहार	–
जोड़ बिहार	10
असम	1
उड़ीसा	4
पश्चिम बंगाल	2
नागालैंड	–
आंध्र प्रदेश	35
कर्नाटक	35
तमिलनाडु	35
पांडिचेरी	2
केरल	1
गोवा	1
अखिल भारत	424

[अनुवाद]

जानबूझकर चूक करने वालों के लिए कार्य दल

2043. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक को जानबूझकर चूक करने वालों के मामले में चेयरमैन एस.एस. कोहली से कार्यदल की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाही की गई है; और

(घ) एस.एस. कोहली, कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर एक उपयुक्त विधान संसद में कब तक पेश किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) कार्य दल की प्रमुख सिफारिशें जानबुझकर चूक करने वालों की परिभाषा, निधियों की निकासी एवं उन्हें अन्यत्र प्रयोग करके, 'निधियों का अंतिम उपयोग' सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, जानबूझकर चूक करने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही, लेखा परीक्षकों के दायित्व और आवश्यक सांविधिक संशोधनों से संबंधित है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक इन सिफारिशों की जांच कर रहा है।

खाद्यान्नों के भंडार में कमी करना

2044. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विकासशील देशों के लिए सहायता कार्यक्रम के माध्यम से खाद्यान्न भंडारण कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत किन-किन देशों को खाद्यान्न का निर्यात किया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) विदेश मंत्रालय की विकसित देशों को मानवीय सहायता के अधीन यथा आवश्यक खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के अलावा प्रस्ताव है कि दीर्घकालिक निर्यात संवर्धन नीति के रूप में अनुदान/ऋण दोनों शर्तों पर चुनिंदा विकसित देशों को खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाए और सरकार के पास गेहूं और चावल के अधिशेष स्टाक की मौजूदा स्थिति में सुधार किए जाए।

(ग) निम्नलिखित देशों ने अनुदान/ऋण शर्तों के अधीन भारत से खाद्यान्न प्राप्त करने में रूचि दिखाई है:

बंगलादेश	–	200,000 टन गेहूं
लोकतांत्रिक कोरिया	–	200,000 टन श्वेता चावल
इथोपिया	–	10,000 टन गेहूं
एरिटिया	–	2,500 टन गेहूं
घाना	–	10,000 टन गेहूं/चावल
मेडागास्कर	–	10,000 टन गेहूं
सानाय	–	50,000 टन गेहूं
जाम्बिया	–	5,000 टन गेहूं

[हिन्दी]

कॉटन यार्न का उत्पादन

2045. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र में राज्यवार ऐसी कितनी मिलें हैं जो इस समय देश में कॉटन यार्न का उत्पादन करती हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कुल कितनी मात्रा में कॉटन यार्न का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या उक्त उत्पादन देश में बुनकरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) 31 दिसंबर, 2001 की अवस्थिति अनुसार, देश में सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिल (गैर-एस एस आई) की संख्या का राज्य-वार, प्रबंधन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सार्व.उपक्रम		सह.	नि.	कुल
	केन्द्र	राज्य			
आंध्र प्रदेश	6	0	11	81	98
असम	1	4	2	1	8
बिहार	2	1	3	2	8
छत्तीसगढ़	1	0	0	1	2
दिल्ली	1	0	0	0	1
गोआ	0	0	0	1	1
गुजरात	12	16	5	119	152
हरियाणा	0	1	0	79	80
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	15	15
जम्मू व कश्मीर	0	0	0	2	2
झारखंड	0	0	0	1	1
कर्नाटक	4	1	12	42	59
केरल	4	9	5	20	38
मध्य प्रदेश	6	4	2	46	58
महाराष्ट्र	31	9	67	101	208
मणिपुर	0	1	0	0	1
उड़ीसा	1	4	6	6	17
पंजाब	4	0	7	63	74
राजस्थान	4	1	4	44	53
तमिलनाडु	15	2	18	813	848
उत्तर प्रदेश	15	11	11	35	72
उत्तरांचल	0	2	0	3	5
पश्चिम बंगाल	12	3	2	22	39
दादरा व नगर हवेली	0	0	0	5	5
दमन व दीव	0	0	0	1	1
पांडिचेरी	3	1	2	5	11
कुल	122	70	157	1508	1857

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान इन मिलों द्वारा उत्पादित सूती यार्न की मात्रा का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998-99	1999-00	2000-01
राज्य			
आंध्र प्रदेश	88526	91874	94370
असम	1558	1015	1154
बिहार	3451	3826	2771
दिल्ली	7	0	0
गुजरात	159382	183066	169527
हरियाणा	105501	124917	137744
हिमाचल प्रदेश	25070	35564	35917
जम्मू व कश्मीर	4245	3897	3033
झारखंड	0	0	872
कर्नाटक	64814	65492	66586
केरल	30211	29935	33687
मध्य प्रदेश	104316	124025	116040
महाराष्ट्र	268386	272069	271961
मणिपुर	0	0	199
उड़ीसा	11395	8179	7104
पंजाब	152914	189339	196145
राजस्थान	69056	77146	80948
तमिलनाडु	838504	904947	956718
उत्तरांचल	0	0	258
उत्तर प्रदेश	59396	52666	51009
पश्चिम बंगाल	16744	14153	16137
दादरा व नगर हवेली	0	3825	8044
दमन व दीव	5198	5660	3909
पांडिचेरी	13428	12106	12733
कुल	2022102	2203701	2266866

(ग) और (घ) देश में बुनकरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उक्त उत्पादन पर्याप्त है।

[अनुवाद]

मूल्य स्थिरीकरण निगम

2046. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तम्बाकू और अन्य व्यावसायिक फसलों के बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्य स्थिरीकरण निगम स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) तम्बाकू और अन्य वाणिज्यिक फसलों की बाजार कीमतों समय-समय पर उत्पादन, बेची गई किस्मों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति इत्यादि जैसे अनेक कारकों की वजह से भिन्न-भिन्न रहती हैं।

(ख) से (घ) कीमत स्थिरीकरण निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) की व्यवस्था सहित विभिन्न उपायों के जरिए उपजकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने का प्रयास करती है।

लेवी चीनी के अन्यत्र उपयोग के लिए महाराष्ट्र का अनुरोध

2047. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र में उत्पादकों को अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र के चीनी उत्पादकों को ऐसा करने के लिए आवश्यक अनुमति देने पर विचार कर रही है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य की चीनी मिलों को उनके न उठाए गए लेवी चीनी के स्टाक को तीन महीने के अन्दर बेचने की अनुमति दी जाए।

(ग) से (ङ) लेवी चीनी के स्टाक को कम करने के लिए सरकार ने 01.03.2002 से फैक्ट्रियों की लेवी चीनी की देयता को 15% से घटाकर 10% कर दिया है। इसके अलावा, फैक्ट्रियों के पास पड़े चीनी से स्टाक को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) निर्यात की गई चीनी की मात्रा पर लेवी से छूट दी गई है।

(2) निर्यात की गई चीनी की मात्रा को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति के रूप में माना जाता है जिसका समायोजन निर्मुक्ति की तारीख से 18 माह की अवधि के बाद किया जाएगा।

(3) चीनी के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य की 5% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

(4) चीनी के निर्यात पर मात्रात्मक सीमा समाप्त कर दी गई है।

(5) जरूरतमंद चीनी मिलों को 5% की लेवी देयता तथा समायोजन की शर्त के अध्ययीन निर्धारित मार्गनिर्देशों के तहत खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां की जाती है ताकि वे किसानों के गन्ने की देय धनराशि का भुगतान कर सकें तथा अपने स्टाक को कम कर सकें। इसके अलावा, चीनी फैक्ट्रियों को उनके सामान्य कोटे के अतिरिक्त अपने तिमाही कोटे से 10% तक अधिक मात्रा बेचने की अनुमति दी गई है ताकि वे अपने गन्ने के देय मूल्य का भुगतान कर सकें।

(6) महाराष्ट्र की कुछ मिलों को उनकी न उठाई गई लेवी चीनी के बदले में एक अस्थायी राहत के रूप में 87,610.4 मी. टन चीनी की मात्रा को खुली बिक्री की चीनी के रूप में बेचने की अनुमति दी गई थी।

भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन

2048. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों को लाने ले जाने पर से प्रतिबंध हटाने के मद्देनजर भारतीय खाद्य निगम का फिर से गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनर्गठन की यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अन्तर्गत सहायता

2049. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता बढ़ाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूएनडीपी द्वारा भारत को कितनी धनराशि मुहैया कराई गई; और

(घ) उक्त राशि को किन-किन कार्यों पर खर्च किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारत सरकार ने यूएनडीपी की वित्तीय सहायता से वर्ष 1997 में पांच वर्ष की अवधि के लिए देश सहयोग ढांचा-I (सीसीएफ-I) शुरू किया था। सीसएफ-I नौवीं पंचवर्षीय योजना के समकालिक था। सीसीएफ-I की अवधि को अब और बढ़ाकर दिसम्बर, 2002 कर दिया गया है। सीसीएफ-I के अन्तर्गत सहायता के अतिरिक्त यूएनडीपी पहले से चल रहे सीपी-IV कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी सहायता उपलब्ध करा रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूएनडीपी की कुल सहायता 83.6 मिलियन अमरीकी डालर है। यह सहायता विवरण में दिए गए क्षेत्रकों में कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराई गई है। सीसीएफ-II, जिसके कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के समकालिक चलने की संभावना है, अभी तैयार की जानी है।

विवरण

कार्यक्रम का नाम	भारत सरकार में नोडल मंत्रालय/विभाग
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम	कृषि और सहकारिता विभाग
प्राथमिक शिक्षा सहायता कार्यक्रम	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
आर्थिक सुधार सहायता कार्यक्रम	आर्थिक कार्य विभाग
क्षमता निर्माण कार्यक्रम	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
समुदाय आधारित निर्धनोन्मुख कार्य	ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रौद्योगिकी प्रबंध कार्यक्रम	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय
पर्यावरण कार्यक्रम	पर्यावरण और वन मंत्रालय
चमड़ा कार्यक्रम	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
रेशा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम	कपड़ा मंत्रालय
ग्राम एवं लघु उद्योग कार्यक्रम	लघु उद्योग मंत्रालय
स्वतंत्र कार्यक्रम: स्वास्थ्य,	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एचडीआर,	योजना आयोग
एसपीआईसीईएस	वाणिज्य विभाग

[अनुवाद]

आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान

2050. श्री रामजी मांझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात व्यवसाय से जुड़ा कोई निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अपने व्यवसाय से होने वाले लाभ को कम करके दिखा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त मालों के निर्यात से न जुड़े रहने वाली निर्धारिती फर्मों द्वारा भी इस सुविधा का लाभ उठाने के क्या कारण है;

(ग) क्या केवल अधिकारियों के हस्तांतरण से विदेशी मुद्रा का अर्जन करने वाले फर्मों को भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाभ को कम करके दिखाने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए है और इससे कितने राजस्व का नुकसान हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। अधिनियम में विशेष रूप से शामिल न की गई वस्तुओं से भिन्न किन्ही वस्तुओं अथवा माल के निर्यात के कारोबार में लगे कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत ऐसे कारोबार से प्राप्त लाभों की कटौती के पात्र होते हैं।

(ख) जहां कहीं गलत दावों का पता चलता है, क्षेत्रीय कार्यालयों, द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एच एच सी में यह प्रावधान किया गया है कि जहां कर निर्धारिती एक्सपोर्ट हाऊस अथवा ट्रेडिंग हाऊस प्रमाणपत्र का धारक होने के नाते दावा त्याग प्रमाणपत्र जारी करके अपने दावे को समर्थनकारी विनिर्माता के पक्ष में अन्तरित करता है, तब समर्थनकारी विनिर्माता आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार संगत धनराशि के संबंध में कटौती प्राप्त करेगा। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं हो सकती।

(ङ) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आय की विवरणीय के साथ-साथ कर निर्धारिती द्वारा दायर किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य, जिसमें दावे की यथार्थता के संबंध में सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र शामिल है, के आधार पर एक्सपोर्ट हाऊस के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पूरे देश में कटौती की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

2051. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजार के कर्मचारियों को गत पांच महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और सुपर बाजार का प्रबंधन बोर्ड कर्मचारियों ने तीन महीनों के वेतन के भुगतान के लिए वित्त मंत्रालय से स्वीकृत धनराशि नहीं निकाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों के गत पांच महीनों से बकाए वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सुपर बाजार के कर्मचारियों को सितम्बर, 2001 से आगे का वेतन वितरित नहीं किया गया है। भारत सरकार (उपभोक्ता मामले विभाग) ने सुपर बाजार को संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में 4.50 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। सुपर बाजार ने आगे यह सूचना दी है कि सुपर बाजार के कर्मचारियों का एक वर्ग 29.8.2001 से 20.11.2001 तक हड़ताल पर था। इस बात को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने अपनी 15.2.2002 को हुई बैठक में इस राशि का उपयोग दिसम्बर, 2001, जनवरी, 2002 और फरवरी, 2002 के वेतन के भुगतान के लिए करने का निर्णय लिया। तदनुसार, सुपर बाजार द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए गए। सुपर बाजार द्वारा सूचित किया गया है कि कर्मचारियों के उक्त वर्ग ने निदेशक मंडल द्वारा निर्णीत अवधि के वेतन बिल तैयार करने से इस आधार पर बलपूर्वक रोक दिया है कि पहले सितम्बर से नवम्बर, 2001 तक के वेतन का भुगतान किया जाए।

(ग) यह सुपर बाजार का आंतरिक मामला है। भारत सरकार उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती तथापि, सुपर बाजार ने सूचित किया है कि कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा बलपूर्वक अपनाए जा रहे दाव पेंचों/कार्रवाइयों की सूचना पुलिस प्राधिकारियों को दे दी गई है।

[अनुवाद]

विकलांगों का कल्याण

2052. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अस्थि विकलांगों, बहरे और गूंगे लोगों अंधे तथा मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई, कितनी जारी की गई और कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ख) क्या सरकार के पास इन वंचित लोगों को प्रशिक्षण, शिक्षा और रोजगार देने के लिए और प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन की योजना तथा सहायता यंत्र

और उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को निर्मुक्त की गई सहायता विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) शीर्ष स्तरीय संस्थानों के रूप में राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना उनके अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ये संस्थान विकलांगता के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यकलापों में भी लगे हुए हैं तथा सामाजिक आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वासात्मक तथा थेराप्यूटिक सेवाएं प्रदान करते हैं और उन व्यक्तियों तक पहुंचने में मदद करते हैं जिन तक पहुंचा नहीं गया है। इन सेवाओं के रूप में समेकन और विस्तार की प्रक्रिया सतत तथा आवश्यकता आधारित है।

विवरण

राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई की योजना के अंतर्गत प्रदत्त सहायता के ब्यौरे			पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता के ब्यौरे		
	1999-00 रु. लाख में	2000-01 रु. लाख में	2001-02 रु. लाख में	1999-00 रु. लाख में	2000-01 रु. लाख में	2001-02 रु. लाख में
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1208.35	1283.57	1001.82	134.25	211.09	313.37
अरूणाचल प्रदेश	13	6.32	18.98	–	–	1.95
असम	30.56	40.11	14.3	4.47	–	2.25
बिहार	57.68	162.47	221.6	31.76	22.16	58.37
चंडीगढ़	1.42	5.57	5.22	–	–	0
छत्तीसगढ़	–	9.08	12.49	–	–	7.53
दिल्ली	679.04	649.54	484.43	376.17	117.65	384.67
गोआ	17.68	12.64	24.07	0.98	1.04	1.95
गुजरात	75.36	114.52	94.73	101.25	119.37	155.92
हरियाणा	59.51	95.44	54.84	19.04	121.37	16.86
हिमाचल प्रदेश	32.42	15.85	24.49	19.8	98.29	6.25
जम्मू व कश्मीर	7.24	12.23	4.36	–	–	0
झारखंड	–	–	7.01	–	–	1
कर्नाटक	571.99	640.58	600.19	28.51	5	72.77
केरल	442.04	483.72	496.63	28	19	54.45
मध्य प्रदेश	17.43	39.32	47.21	110.87	76.3	55.68

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	263.72	197.99	200.94	149.85	159.98	144.33
मणिपुर	57.06	56.63	53.45	25	10.5	–
मेघालय	17.41	46.38	38.05	–	–	0
मिजोरम	25.31	29.52	30.06	–	–	0
नागालैंड	–	2.83	0	–	–	0
उड़ीसा	193.96	252.26	260.27	135.61	120.87	231.3
पांडिचेरी	1.44	6.59	5.85	–	–	0
पंजाब	64.94	91.39	79.85	55.19	96.98	46.45
राजस्थान	88.13	93.99	149.86	348.78	360	382.92
सिक्किम	–	–	1.94	–	–	–
तमिलनाडु	325.69	396.07	370.29	86.01	61.27	101.7
त्रिपुरा	6.83	6.02	6.5	1.45	0.72	4.15
उत्तर प्रदेश	772.39	873.19	681.52	1015.3	1052.94	1762
उत्तरांचल	–	96.85	35.18	–	–	94.51
पश्चिम बंगाल	365.53	492.52	372.54	169.48	256.21	374.65

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

2053. **श्री अनन्त नायक:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के नि:शक्त व्यक्तियों के संदर्भ में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नि:शक्त आबादी के हित साधन के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार कार्यसूची की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए विशेष रूप से क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) वर्ष 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श (एन.एस.एस.ओ.) सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर कुल अनुमानित जनसंख्या का लगभग 1.91% कुछ प्रकार की शारीरिक या संवेदी विकलांगता से पीड़ित है। एन.एस.एस.ओ. द्वारा तैयार किये गये राज्यवार अनुमान नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15.72
2.	असम	2.71
3.	बिहार	13.61
4.	गुजरात	6.95

1	2	3
5.	हरियाणा	3.04
6.	हिमाचल प्रदेश	1.40
7.	कर्नाटक	8.76
8.	केरल	5.56
9.	मध्य प्रदेश	12.87
10.	महाराष्ट्र	18.19
11.	उड़ीसा	7.20
12.	पंजाब	5.31
13.	राजस्थान	7.23
14.	तमिलनाडु	12.36
15.	उत्तर प्रदेश	25.50
16.	पश्चिम बंगाल	11.79
	सम्पूर्ण भारत	161.54

0-14 वर्ष की आयु समूह में विलंब से विकसित बच्चों के संबंध में संचालित एन.एस.एस.ओ. सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि सामान्य जनसंख्या का 3% विलम्बित मानसिक विकास से पीड़ित है।

(ग) से (ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। भारत सरकार निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पहले से ही अनेक कार्यक्रमों को सहायता दे रही है।

पेट्रोलियम कम्पनियों पर बकाया उत्पाद शुल्क

2054. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल का आयात करने वाली कुछ पेट्रोलियम तेल कम्पनियों ने सरकार को अप्रैल, 1994 से दिसम्बर, 1998 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 4036.75 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) महोदय, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2000 की रिपोर्ट सं. 11 के तहत अप्रैल, 1994 से दिसम्बर, 1998 की अवधि के दौरान 4036.75 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क का भुगतान न किए जाने संबंधी तथ्य का उल्लेख किया था। मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षा आपत्ति को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया था कि ऐसी पेट्रोलियम तेल कम्पनियां जिन्होंने पेट्रोलियम तेलों का आयात किया था, उन्हें केवल सीमाशुल्क का (प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क सहित) भुगतान ही करना था। जब कभी भी आयात किए गए थे, ऐसा शुल्क अदा किया गया था। चूंकि आयातित माल का निर्माण देश में नहीं किया जाता है, इसलिए इस पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है और देश में इसके भंडारण तथा किसी संस्थापन से इसकी निकासी पर कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं था।

राज्यों को गोदामों के निर्माण हेतु धनराशि के आवंटन

2055. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अच्छी किस्म के खाद्यान्नों के भंडारण और उनकी उपलब्धता को सुकर बनाने हेतु गोदामों के निर्माण पर विचार किया गया था और वर्ष 1983-99 के दौरान 551 गोदामों के निर्माण हेतु सरकार ने राज्य सरकारों को 58.73 करोड़ रुपये जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें धनराशि की उपलब्धता के बावजूद गोदामों का निर्माण करने में विफल हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ राज्य सरकारें स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता मंजूर करने की तारीख से 2 वर्ष की विहित अवधि के अंदर गोदामों का निर्माण करने में विफल रही हैं।

मंजूर की गई वित्तीय सहायता और वह राशि जिसके लिए उपयोग प्रमाण-पत्र लंबित है, के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र भेजने और वित्तीय सहायता की तारीख से दंडात्मक ब्याज सहित उपयोग न की गई राशि वापस करने के लिए नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जाते हैं। यदि किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ओर कोई उपयोग प्रमाण-पत्र अथवा उपयोग न की गई राशि वापस करनी शेष रहती है तो कोई नई वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की जाती है।

विवरण

1983-84 से 1998-99 तक गोदामों के निर्माण के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृति का वर्ष	राशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	अरूणाचल प्रदेश	1992-93	4.00	
2.	असम	1996-97	95.04	
3.	असम	1997-98	168.66	
4.	असम	1998-99	258.88	
5.	बिहार	1993-94	48.00	
6.	बिहार	1994-95	58.40	
7.	गुजरात	1997-98	183.30	
8.	हरियाणा	1998-99	165.29	
9.	हिमाचल प्रदेश	1997-98	77.76	
10.	जम्मू और कश्मीर	1993-98	555.54	
11.	कर्नाटक	1992-93	132.00	पांच गोदामों का निर्माण आंशिक रूप से कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि वे 103.69 लाख रुपये की उपयोग न की गई राशि को वापिस कर देंगे।
12.	महाराष्ट्र	1992-93	78.86	
13.	महाराष्ट्र	1993-94	19.98	
14.	महाराष्ट्र	1994-95	66.22	
15.	महाराष्ट्र	1995-96	41.10	
16.	मेघालय	1988-89	6.00	

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	1994-95	40.00	
18.	नागालैंड	1996-97	60.00	
19.	राजस्थान	1998-99	79.47	गोदामों का निर्माण कर लिया गया। उपयोग न की गई राशि वापिस की जानी है।
20.	तमिलनाडु	1996-97	50.00	
21.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	1996-97	162.00	
22.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	1997-98	460.50	
23.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	1998-99	111.92	
24.	उत्तर प्रदेश	1998-99	27.015	गोदामों का निर्माण कर लिया गया। उपयोग न की गई राशि वापिस की जानी है।
25.	पश्चिम बंगाल	1992-93	96.46	
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1991-92	46.00	
27.	लक्षद्वीप	1991-92	07.50	

उत्पादन लक्ष्य

2056. श्री सुकदेव पासवान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों ने वर्ष 2001-02 के पहले नौ माह के दौरान उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया): (क) और (ख) भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अप्रैल-दिसम्बर, 2001 के दौरान के लक्ष्य के मुकाबले प्राप्त वास्तविक उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण:

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
	(क) इंजीनियरी यूनिट्स			
1.	एन्ड्र यूल एंड कंपनी लि. (एवाईसीएल)	196.66	109.54	55.70
2.	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. (भेल)	4424.00	3937.00	88.99
3.	भारत भारी उद्योग निगम लि. (बीबीयूएनएल) धारक कंपनी बर्न स्टेंडर्ड कंपनी लि. (बीएससीएल)	180.71	76.57	42.37

1	2	3	4	5
	भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस् लि. (बीबीवीएल)	4.96	0.30	6.05
	जेसप ब्रेक्स एंड वाल्वस् लि. (जेसप)	32.66	44.58	136.50
	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि. (बीसीएल)	133.49	44.62	33.43
	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लि. (बीडब्ल्यूईएल)	108.62	68.35	62.93
4.	भारत यंत्र निगम लि. (बीवाईएनएल) धारक कंपनी भारत हैवी प्लेट्स एवं वेसल्स लि.(बीएचपीवी)	175.00	146.34	83.62
	भारत पम्प्स एवं कंम्प्रेसर्स लि. (बीपीसीएल)	42.50	50.74	119.39
	रिचर्डसन एंड क्रूडास लि. (आरएंडसी)	47.00	28.24	60.09
	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. (टीएसएल)	13.50	20.78	153.93
	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. (टीएसपीएल)	30.75	10.98	35.71
5.	हिन्दुस्तान केबल्स लि. (एचसीएल)	523.76	451.64	86.23
6.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एचईसी)	162.37	118.48	72.97
7.	एचएमटी लि .(एचएमटी)	285.37	131.00	45.91
	प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)	8.77	2.17	24.74
	एचएमटी वियरिंग्स लि. (एचएमटी) (बी)	38.84	30.49	78.50
	एचएमटी मशीन टूल्स लि. (एचएमटी)(एमटी)	231.35	155.14	67.06
	एचएमटी वाचिज लि. (एचएमटी), (डब्ल्यू)	172.92	61.84	35.76
	चिनार वाचिज लि. (एचएमटी), (सीडब्ल्यू)	5.50	2.16	39.27
8.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि. (आईएलके)	79.00	60.95	77.15
	राजस्थान इले. एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लि. (रील)	17.69	16.18	91.46
9.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि. (एनआईएल)	8.84	2.49	28.17
10.	स्कूटरर्स इंडिया लि. (एसआईएल)	110.07	96.89	88.03
	योग (क)	7034.33	5667.47	80.57
	(ख) गैर-इंजीनियरी यूनिट्स			
11.	भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लि. (बीओजीएल)	3.34	2.03	60.78
12.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई)	4.62	4.08	88.31
13.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एचपीसी)	355.54	377.84	106.27
	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. (एचएनएल)	218.23	186.95	85.67

1	2	3	4	5
14.	हिन्दुस्तान फोटो मैन्यु. लि. (एचपीएफ)	19.66	19.14	97.36
15.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. (एचएसएल)	4.79	3.37	70.35
	सॉभर साल्ट्स लि. (एसएसएल)	3.72	3.30	88.71
16.	नेपा लिमिटेड (नेपा)	86.74	83.35	96.09
17.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (टीसीआईएल)	97.65	42.67	43.70
	योग (ख)	794.29	722.73	90.99
	(ग) परामर्श संपर्क इकाई (कारोबार)			
18.	भारत लेदर कारपोरेशन (बीएलसी)	4.50	1.66	36.89
19.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. (ईपीआई)	223.17	272.70	122.19
20.	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनआईडीसी)	3.71	0.44	11.86
	अन्य			
	बर्न, ब्रेथवेट एंड जेसप (बीबीजे)	22.45	22.02	98.08
	ब्रिज एंड रूफ (बीएंडआर)	254.00	216.49	85.23
	हुगली पिंटिंग लि. (एचपीसी) (एवाईसीएल की सहायिका)	2.90	3.55	122.41
	एचएमटी (आई) लि. (एचएमटी (आई)	47.24	32.99	69.83
	योग (ग)	557.97	549.85	98.54
	योग (क+ख+ग)	8386.59	6940.05	82.75

(ग) लक्ष्य की उपलब्धि में कमियों के लिए कारणों के साथ-साथ कार्यशील पूंजी की भारी कमी, क्रयादेशों की कमी और मांग में कमी शमिल है।

(घ) और (ङ) विभाग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनरूद्धार योजनाओं को बनाने, क्रयादेश प्राप्त करने में सहायता करता है और प्रत्येक मामले में मेरिट आधार पर पूंजीगत निवेश और उत्पादन आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

2057. श्री राजैया मल्याला: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद ने इन क्षेत्रों की अनेक विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किन्हीं "मॉडलों" का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययनों और मॉडलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मानसिक रूप से विकलांग लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए इस समय क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने गृह आधारित सेवाओं, समुदाय आधारित सेवाओं, माता-पिता समूह प्रशिक्षण तथा शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के लिए मॉडल विकसित किए हैं। यह संस्थान मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी चलाता है, स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शक सेवाएं प्रदान करता है तथा मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए विस्तार एवं बाह्य पहुंच कार्यक्रमों को आयोजित करता है।

बेरोजगार प्रोफेशनल लोगों को ऋण

2058. श्री अकबर अली खांदोकर:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक डाक्टरों, इंजीनियरों, सनदी लेखाकारों, वास्तुकारों जैसे बेरोजगार प्रोफेशनल लोगों को अपने कार्यालयों की स्थापना करने हेतु ऋण प्रदान करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों द्वारा प्राप्त ऐसे ऋण आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उवधि के दौरान इन लोगों को सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा राज्य-वार कितनी राशि का ऋण प्रदान किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा सूचना प्रणाली में प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1998, 1999 और 2000 के मार्च अंत के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में व्यावसायिक एवं स्व-नियोजित व्यक्तियों को दिए गए राज्य-वार ऋणों की बकाया राशि के ब्यौरे विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

(राशि हजार रुपये में)

क्रम सं.	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	व्यावसायिक एवं स्व-नियोजित व्यक्ति					
		1998		1999		2000	
		खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	19208	424921	17825	523965	16082	632754
2.	हिमचाल प्रदेश	8468	146481	7270	162885	4677	167064
3.	जम्मू और कश्मीर	2439	75543	5153	207793	3150	176626
4.	पंजाब	26031	598779	22262	657150	22676	895663
5.	राजस्थान	43159	666674	40451	867486	30337	736119
6.	चण्डीगढ़	1414	58128	1347	79569	1259	84826
7.	दिल्ली	14347	438463	15369	494730	6381	579780
8.	असम	28914	606365	29045	786965	22167	911784
9.	मणिपुर	2633	59650	2422	63030	731	43180
10.	मेघालय	818	33851	765	33180	520	46918
11.	नागालैंड	451	6601	282	14993	447	43012
12.	त्रिपुरा	3468	50238	3639	61061	2943	73941

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	अरूणाचल प्रदेश	41	2773	24	2329	95	6291
14.	मिजोरम	43	1289	46	1584	54	8337
15.	सिक्किम	515	11278	453	11317	588	13812
16.	बिहार	125050	1366446	114843	1298943	92904	1458059
17.	उड़ीसा	72792	895222	75931	1020906	75797	1012695
18.	पश्चिम बंगाल	116171	1126011	100743	1113485	82293	1023154
19.	अंडमान एवं निकोबार	527	11838	568	16631	470	15541
20.	मध्य प्रदेश	100269	1539222	85267	1957250	74764	2493941
21.	उत्तर प्रदेश	138556	1986390	131495	2220091	103480	2945988
22.	गुजरात	61432	1274630	60520	1685182	59287	1791393
23.	महाराष्ट्र	140335	2787941	171964	4184390	110357	4783371
24.	दमन एवं दीव	243	3613	116	3500	96	3402
25.	गोवा	4640	130342	4243	143706	4129	164024
26.	दादर एवं नगर हवेली	93	2903	144	4700	199	10000
27.	आंध्र प्रदेश	144236	2012260	135447	2198359	111309	2109121
28.	कर्नाटक	114100	2237481	105220	2506540	96961	2847347
29.	केरल	88973	1433841	84709	1322478	74714	1470611
30.	तमिलनाडु	192725	2138657	176538	2610586	171547	2660997
31.	पंडिचेरी	4845	44658	4800	44209	4435	46454
32.	लक्षद्वीप	63	686	48	632	46	588
	समस्त भारत	1457999	22173165	1398949	26299625	1174885	29256833

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2059. **श्री दिन्शा पटेल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर गुजरात में कौन-कौन सी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं चल रही है;

(ख) अब तक परियोजना-वार की गई वास्तविक प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कोई परियोजना वापस ले ली गई है अथवा अधूरी छोड़ दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): (क) और (ख) देश में कार्यान्वयनाधीन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ब्यौरे में दि. 31.12.2001

तक ऋण/अनुदान राशि, समझौता तारीख, समापन तिथि तथा उपयोग को शामिल करते हुए उक्त विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। केएफडब्ल्यू (जर्मनी) से सहायता प्राप्त "जलसंभर विकास कार्यक्रम, कर्नाटक" नामक परियोजना को अल्प समय में बंद कर दिया गया।

(घ) कर्नाटक सरकार ने परियोजना के अधूरे निर्माण कार्यों के लिए उसे सुरक्षित स्तर उपलब्ध कराने हेतु निधियां जारी की हैं। पुनः केएफडब्ल्यू सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास भी जारी हैं।

विवरण

31.12.2001 की स्थिति के अनुसार ऋण/अनुदान को राशि, मिलियन में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण/अनुदान की राशि		वितरण की अंतिम तारीख	उपयोग
		मुद्रा	राशि		
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश					
ऋण					
फ्रांस					
1	आन्ध्र प्रदेश डेयरी विकास सहकारी संघ (151 मिलियन दिनांक 19.12.96) दिनांक 05.06 1997	एफआरएफ	19.95	31/12/02	18.97
	जापान				
2	आईडीपी-094 श्रीसेलम लैफ्ट बैंक पीएसपी II दि. 28.02.95	जेपीवाई	22471.41	12/04/01	2247.41
3	आईडीपी-09.5 श्रीसेलम लैफ्ट बैंक टीपीएस II दि0 28.02.95	जेपीवाई	9546.00	31/03/02	7253.25
4	कोठागुडेम 'ए' टीपीएस दिनांक 28.2.1995	जेपीवाई	5092.00	12/04/02	4686.02
5.	कुरनूल-कुडपाट्ट नहर आधनिकीकरण दिनांक 25.1.1996	जेपीवाई	16049.00	26/03/03	4522.31
6.	सिमाहड्री तथा विजाग पारेषण प्रणाली दिनांक 12.12.1997	जेपीवाई	10629.00	19/02/03	8418.81
7.	श्रीसेलम लैफ्ट बैंक पावर दिनांक 25.2.1997	जेपीवाई	14499.00	16/02/03	11742.09
	आईबीआरडी				
8	आंध्र प्रदेश हाजार्ड मिटिगेशन दिनांक 3.6.1997	यूएसडी	40.00	31/07/02	0.00
9	आंध्र प्रदेश सिंचाई दिनांक 3.6.1997	यूएसडी	175.00	31/01/03	0.00
10	आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग दिनांक 30.7.1997	यूएसडी	350.00	31/01/03	162.98
11	एपी आर्थिक पुन: संरचना दिनांक 30.7.1997	यूएसडी	301.30	31/03/04	150.27
12	एपी विद्युत पुन: संरचना दिनांक 5.3.1999	यूएसडी	210.00	31/08/03	114.23
	आईएफएडी				
13	एपी भागीदारी आदिवासी विकास दिनांक 13.5.1994	एसडीआर	18.95	31/03/02	11.54
	आईडीए				
14	एपी स्वास्थ्य प्रणाली दिनांक 22.12.1994	एसडीआर	90.70	31/03/02	75.20

1	2	3	4	5	6
15.	एपी हाजार्ड मिटिगेशन एंड ईसीआर दिनांक 3.6.1997	एसडीआर	64.93	31/07/02	64.83
16.	तृतीय एपी सिंचाई दिनांक 3.6.1997	एसडीआर	108.10	31/01/03	92.14
17.	एपी आर्थिक पुन: संरचना दिनांक 4.2.1999	एसडीआर	179.40	31/03/04	71.11
18.	एपी जिला गरीबी पहल (इनिशिएटिव्य)दिनांक 12.5.2000	एसडीआर	82.90	31/12/05	3.60
	अनुदान				
	यूनाइटेड किंगडम				
1.	एपी ऊर्जा दक्षता दिनांक 15.11.1993	जीबीपी	42.70	31/12/02	15.35
2.	एपी जिला प्राथमिक शिक्षा दिनांक 29.8.1996	जीबीपी	42.50	31/03/03	17.90
3.	एपी शहरी निर्धन सेवा सुधार दिनांक 3.6.99	जीबीपी	94.41	31/05/06	1.46
4.	एपी ग्रामीण जीविका दिनांक 23.7.1999	जीबीपी	40.18	31/07/06	0.00
5.	एपी शहरी निर्धन सेवाएं दिनांक 3.6.99	जीबीपी	66.09	31/05/06	0.00
6.	शासन सुधार कार्यक्रम दिनांक 17.8.2001	जीबीपी	5.87	30/09/04	0.21
	नीदरलैंड				
7.	कृषि क्षेत्र में महिलाओं का प्रशिक्षण दिनांक 24.8.1993	एनएलजी	2.96	31/08/99	2.66
8.	हैदराबाद हरित क्षेत्र दिनांक 28.3.1994	एनएलजी	5.49	30/09/00	5.17
9.	एपी कूप परियोजना दिनांक 14.11.1994	एनएलजी	26.85	31/03/02	12.28
10.	ग्रांट इंडिया 2000-03-एड ग्रीन हैदराबाद दिनांक 12.4.2001	एनएलजी	6.48	30/06/02	3.67
	आईएफएडी				
11.	एपी आदिवासी विकास दिनांक 15.5.1991	यूएसडी	7.20	31/03/99	1.51
	आईबीआरडी				
12.	एकीकृत कृषि मांग पक्ष प्रबंधन दिनांक 23.6.1999	यूएसडी	4.30	31/12/00	0.00
	यूएनडीपी				
13.	दीर्घकालीन शुष्क क्षेत्र कृषि दिनांक 1.11.1999	यूएसडी	3.10	30/11/02	0.55
	असम				
1.	असम ग्रामीण संरचना दिनांक 6.6.1995	एसडीआर	81.00	31/12/03	44.75
	बिहार				
	ऋण				
1.	बिहार पठार विकास दिनांक 17.12.1992	एसडीआर	67.90	30/06/00	67.90

1	2	3	4	5	6
	अनुदान				
1.	ग्रामीण उद्योग ऊर्जा सेवाएं, अंगारा दिनांक 13.10.1999	यूएसडी	0.60	30/09/02	0.03
	केन्द्रीय				
	ऋण				
	जर्मनी				
1.	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम-VII दिनांक 29.10.2001	डीईएम	40.00	30/12/02	0.00
2.	113219 एनएलसी-III दिनांक 27.1.1987	डीईएम	12.00	31/12/97	11.91
3.	1303 (107) दिनांक 27.01.1987	डीईएम	19.28	31/12/97	19.28
4.	1303 (बी-103) दिनांक 27.01.1987	डीईएम	3.45	31/12/97	3.45
5.	रेलवे कोईल स्पिनिंग फैक्ट्री दिनांक 17.4.1989	डीईएम	11.25	31/12/00	11.25
6.	सिगनल प्रणाली का आधुनिकीकरण-कानपुर-दिल्ली दि.1.8.97	डीईएम	185.00	30/12/01	0.00
	फ्रांस				
7.	एफएफ 1130 मिलियन प्रोटोकॉल दिनांक 24.6.88 बैंक पोर्शन	एफआरएफ	450.85	31/03/98	441.29
8.	जीएसआई-क्षेत्रीय भू-रसायन स्टाक (223.3 एम दिनांक 1.12.94) दिनांक 28.3.1995	एफआरएफ	11.00	31/03/01	10.59
9.	दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल निकासी उपक्रम 30.4.96	एफआरएफ	46.59	31/03/01	41.75
10.	जीयू में फ्यूज गेटों की स्थापना (376 एम 30.1.96) 14.5.97	एफआरएफ	18.33	31/12/03	18.33
11.	उड़ीसा में पीजीएम का अन्वेषण (376 एम 30.1.96) 26.5.97	एफआरएफ	4.20	31/12/03	3.89
12.	जीएसआई में भू-विज्ञान डाटा केन्द्र की स्थापना (37 एम दिनांक 9.6.97)	एफआरएफ	41.63	31/12/03	41.63
13.	खनन तथा बंजर पुनरूस्थान संबंधी पर्यावरणीय प्रबंधन (376 एम दिनांक 10.6.1997)	एफआरएफ	16.00	31/12/03	15.65
14.	गुणवत्ता जल वितरण हेतु माइक्रो-यनिट (376एम 13.8.97)	एफआरएफ	7.30	31/12/03	7.30
15.	खनन हेतु लागत माडलों का विकास (125 एम 19.6.98)	एफआरएफ	1.53	30/06/01	1.53
16.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (125 एम 22.6.98)	एफआरएफ	23.90	30/06/01	23.90
17.	जीएसआई कलकत्ता को ड्रिलिंग उपकरणों की आपूर्ति (125 एम 1.2.99)	एफआरएफ	15.94	30/06/01	15.94
	जापान				
18.	आईडीपी 042 असम गैस टर्बाइन दिनांक 18.3.87	जेपीवाई	30000.00	08/09/00	29607.20

1	2	3	4	5	6
19.	आईडीपी 066 विद्युत प्रणाली और लघु पन दिनांक 23.1.1991	जेपीवाई	24379.00	05/02/02	13086.60
20.	आईडीपी 078 एनटीपीसी दिनांक 9.1.1992	जेपीवाई	40191.41	31/03/00	40191.41
21.	अजन्ता एल्लोरा संरक्षरण दिनांक 9.1.1992	जेपीवाई	3745.00	30/03/02	2773.67
22.	यमुना कारवाई योजना दिनांक 21.12.92	जेपीवाई	17773.00	19/04/02	8727.27
23.	फरीदाबाद जीबीपीएस एंड एटीएसपी दिनांक 24.1.94	जेपीवाई	19936.79	11/03/01	19936.79
24.	यमुना पुल, नैनी दिनांक 24.1.94	जेपीवाई	10037.00	11/03/05	2190.15
25.	एनएच 5 सुधार दिनांक 24.1.94	जेपीवाई	11360.00	11/03/03	3863.58
26.	आईडीपी 096 असम गैस टीपीएस तथा पारेक्षण दिनांक 28.2.95	जेपीवाई	10551.72	12/04/01	10551.72
27.	आईडीपी 100 राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार-II दिनांक 28.2.95	जेपीवाई	5836.00	12/04/02	1945.34
28.	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 सुधार दिनांक 28.2.95	जेपीवाई	4827.00	12/04/02	861.46
29.	आईडीपी 121 दिल्ली जन त्वरित परिवहन प्रणाली दि. 25.2.97	जेपीवाई	14760.00	21/10/07	12079.35
30.	आईडीपी 139 दिल्ली जन त्वरित परिवहन प्रणाली-II दि. 30.3.01	जेपीवाई	6732.00	30/03/08	4719.81
	साउदी अरब				
31.	कोरापूट राइगढ़ रेलवे दिनांक 11.8.1983	एसएआर	103.20	31/12/00	73.38
	एशियाई विकास बैंक				
32.	रेलवे माल ढुलाई क्षमता दिनांक 16.12.1987	यूएसडी	181.40	31/03/04	177.84
33.	द्वितीय रेलवे दिनांक 6.4.1992	यूएसडी	104.83	08/12/99	104.83
34.	कोयला पत्तन दिनांक 12.2.1993	यूएसडी	241.90	31/12/01	233.43
35.	राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 22.3.1995	यूएसडी	245.00	31/12/02	216.02
36.	एमपी विद्युत क्षेत्र विकास दिनांक 10.12.2001	यूएसडी	150.00	30/06/03	0.00
	आईबीआरडी				
37.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 18.6.1992	यूएसडी	153.00	30/12/02	133.69
38.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी दिनांक 22.6.98	यूएसडी	96.80	31/12/03	0.00
39.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 11.8.2000	यूएसडी	516.00	31/12/05	56.21
40.	जीटी रोड सुधार दिनांक 27.7.2001	यूएसडी	589.00	31/12/06	0.00
41.	द्वितीय बंबई शहरी परिवहन संरचना दिनांक 15.11.94	यूएसडी	3.00	31/07/02	2.42

1	2	3	4	5	6
	रूसी संघ				
42.	कुडनकुलम न्यूक्लिय पावर दिनांक 21.6.1998	यूएसडी	2600.00	24/03/08	42.23
	आईएफएडी				
43.	ग्रामीण महिला विकास और अधिकार दिनांक 27.3.97	एसडीआर	13.30	30/06/02	1.14
44.	एनई क्षेत्रीय समुदाय संसाधन प्रबंधन दिनांक 20.5.97	एसडीआर	16.55	31/12/04	1.09
	आईडीए				
45.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 18.6.1992	एसडीआर	116.20	30/06/01	114.06
46.	परिवार कल्याण (गंदी बस्ती) दिनांक 4.2.1994	एसडीआर	57.70	30/06/02	43.33
47.	नवीकरणीय संसाधन विकास दिनांक 5.3.1993	एसडीआर	81.60	31/12/01	63.57
48.	द्वितीय एकीकृत बाल विकास दिनांक 23.3.1993	एसडीआर	141.60	30/09/02	125.03
49.	राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिनांक 4.2.1994	एसडीआर	53.59	31/03/00	53.59
50.	मोतियाबिंद अंधता नियंत्रण दिनांक 19.5.1994	एसडीआर	77.97	30/06/02	57.11
51.	परिवार कल्याण दिनांक 24.6.1994	एसडीआर	62.70	31/03/01	49.97
52.	उद्योग प्रदूषण निवारण दिनांक 21.11.1994	एसडीआर	16.48	21/03/02	4.70
53.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना दिनांक 22.12.1994	एसडीआर	180.00	31/03/02	129.63
54.	निजी संरचना (आईएल और एफएस) दिनांक 10.7.96	एसडीआर	3.40	30/09/01	0.57
55.	कोयला क्षेत्र पर्यावरण और सामाजिक प्रशमन दिनांक 5.6.96	एसडीआर	31.26	30/06/02	19.29
56.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा दिनांक 15.7.96	एसडीआर	291.70	30/06/03	216.24
57.	आर्थिक-विकास दिनांक 30.9.1996	एसडीआर	19.50	30/06/02	8.18
58.	क्षयरोग नियंत्रण दिनांक 14.3.1997	एसडीआर	98.40	31/12/02	22.61
59.	ग्रामीण महिला विकास और अधिकार दिनांक 14.9.98	एसडीआर	13.50	31.12.02	1.21
60.	मलेरिया नियंत्रण दिनांक 30.7.1997	एसडीआर	119.20	31/03/03	30.05
61.	कोयला क्षेत्र पुनर्वास दिनांक 19.3.1998	एसडीआर	1.05	30/06/03	1.05
62.	तृतीय जिला प्राथमिक शिक्षा दिनांक 23.2.1998	एसडीआर	111.80	30/09/03	25.06
63.	राष्ट्रीय कृषि तकनीकी दिनांक 22.6.1998	एसडीआर	73.80	30/12/03	32.61
64.	द्वितीय राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण दिनांक 14.9.1999	एसडीआर	140.82	31/07/04	40.42
65.	उत्तरप्रदेश तृतीय जिला प्राथमिक शिक्षा दिनांक 23.2.2000	एसडीआर	132.30	26/03/05	44.07
66.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण दिनांक 19.5.2000	एसडीआर	106.50	30/06/04	41.17

1	2	3	4	5	6
67.	द्वितीय नीवकरण ऊर्जा योजना दिनांक 11.8.2000	एसडीआर	37.20	31/03/06	3.81
68.	द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिनांक 19.7.2001	एसडीआर	23.30	31/12/04	3.14
69.	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य दिनांक 30.7.1997	एसडीआर	179.50	31/03/03	86.52
70.	महिला एवं बाल विकास दिनांक 6.7.1999	एसडीआर	222.50	30/09/04	31.75
71.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा दिनांक 6.7.1999	एसडीआर	63.00	31/12/04	10.31
	जर्मनी				
72.	राउरकेला इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण दि.20.10.1992	डीईएम	158.13	31/03/01	150.10
73.	पीएफसी ऊर्जा निवेश कार्यक्रम दिनांक 19.6.1995	डीईएम	23.25	31/03/01	11.85
74.	एल 9565680 एनएलसी रिजू मिन. इक्यूप्मेंट माइन दि. 26.4.96	डीईएम	65.00	30/12/98	45.77
75.	एल 9566985 एनएलसी एक्सपान लिग्नाइट माइन एंड पावर दि 13.3.97	डीईएम	375.20	31/12/02	337.35
76.	एएल 9665944 आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए हुडको आवास दि 31.10.97	डीईएम	20.00	30/12/00	0.00
77.	भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी दिनांक 15.7.1999	डीईएम	70.00	31/03/04	34.66
78.	भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी-II दिनांक 15.7.1999	डीईएम	50.00	31/03/04	12.17
	फ्रांस				
79.	आर.एसपी (सेल)(सीएन) हेतु रीहीटिंग फर्नेस (66 एम दिनांक 25.3.1993) दिनांक 25.5.1993	एफआरएफ	35.64	30/04/02	34.33
80.	आरएसपी (सेल) (एसजी) हेंतु रीहीटिंग फर्नेस (66 एम दिनांक 25.6.93) दिनांक 25.5.1993	एफआरएफ	32.68	30/09/02	29.87
	जापान				
81.	अईडीपी 106 औद्योगीकी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम दिनांक 28.2.1995	जेपीवाई	3000.00	02/10/00	3000.00
82.	आईडीपी 107 धौलीगंगा पन विद्युत संयंत्र दिनांक 25.1.1996	जेपीवाई	5665.00	23/05/00	4334.44
83.	आईडीपी-116 पीजीसीएल उत्तरी भारत पारेषण दि. 25.2.1997	जेपीवाई	8497.00	03/06/06	570.54
84.	आईडीपी-119 एनईईपी तुरीयल पन बिजली दि. 25.2.97	जेपीवाई	11695.00	18/06/09	572.33
85.	आईडीपी-120 एनटीपीसी सीमाहद्री तापीय विद्युत केन्द्र 25.2.97	जेपीवाई	19817.00	24/06/07	18725.79
86.	आईडीपी-129 एनएचपीसी धौलीगंगा पन बिजील परियोजना दि. 12.12.97	जेपीवाई	16316.00	09/02/03	5678.30
87.	आईडीपी 131 तूतीकोरिन पोर्ट ड्रेजिंग प्रोजेक्ट दिनांक 12.12. 1997	जेपीवाई	7003.00	20/12/07	5961.04

1	2	3	4	5	6
88.	आईडीपी-138 सिम्हाद्रि ताप विद्युत केन्द्र II दिनांक 30.3.2001	जेपीवाई	12194.00	30/03/08	11592.53
	एशियाई विकास बैंक				
89.	एनटीपीसी ऊंचाहार ताप विद्युत दिनांक 1.12.1988	यूएसडी	126.68	30/03/00	126.68
90.	पीजीसीएल विद्युत पारेषण क्षेत्रक दिनांक 18.7.1996	यूएसडी	275.00	31/03/03	223.04
91.	नवीकरणीय ऊर्जा विकास दिनांक 23.4.1997	यूएसडी	100.00	16/07/02	56.91
92.	आईसीआईसीआई-निजी क्षेत्रक अवसंरचना सुविधा दि. 14.8.97	यूएसडी	150.00	26/09/02	150.00
93.	आईएफसीआई-निजी क्षेत्रक अवसंरचना दिनांक 14.8.97	यूएसडी	100.00	27/09/02	62.50
94.	मुंबई पत्तन न्यास दिनांक 25.9.1998	यूएसडी	43.42	30/09/03	43.42
95.	चेन्नई पत्तन न्यास दिनांक 25.9.1998	यूएसडी	8.50	31/03/03	4.35
96.	एलपीजी पाइपलाईन परियोजना दिनांक 11.12.1998	यूएसडी	109.50	31/08/04	97.57
97.	1719-इंड हुडकों शहरी और पर्यावरणीय अवसंरचना सुविधा दि. 19.5.2000	यूएसडी	90.00	31/12/06	0.00
98.	1720-इंट-आईसीआईसीआई शहरी और पर्यावरणीय अवसंरचना सुविधा दिनांक 19.5.2000	यूएसडी	80.00	31/12/06	0.47
99.	1721-इंड-आईडीएफसी शहरी पर्यावरणीय अवसंरचना सुविधा दि. 19.5.00	यूएसडी	30.00	31/09/06	0.00
100.	सूरत-मनोर टोलवे दिनांक 5.10.2000	यूएसडी	180.00	30/09/04	17.08
101.	विद्युत पारेषण (क्षेत्रक) सुधार दिनांक 4.12.2000	यूएसडी	250.00	31/03/06	14.30
	आईबीआरडी				
102.	पीजीसीएल पावरग्रिड प्रणाली विकास दिनांक 23.3.1993	यूएसडी	275.00	31/12/00	227.44
103.	कोनकोर कटेनर ट्रांसपार्ट लोजिस्टिक्स दिनांक 29.8.1994	यूएसडी	67.42	31/12/01	33.49
104.	आईडीबीआई औद्योगिकी प्रदूषण नियंत्रण दिनांक 21.11.94	यूएसडी	28.83	31/03/01	26.33
105.	आईसीआईसीआई औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण दिनांक 21.11.94	यूएसडी	50.00	31/03/02	3.53
106.	आईडीबीआई आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक विकास दि. 24.3.95	यूएसडी	77.70	31/10/01	77.70
107.	आईएलएंडएफएस निजी अवसंरचना वित्त दिनांक 10.7.1996	यूएसडी	31.13	30/09/01	25.13
108.	कोयला क्षेत्रक पुनरुद्धार दिनांक 19.3.98	यूएसडी	261.30	30/06/03	232.28
109.	आईआरईडीए द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा दिनांक 11.8.2000	यूएसडी	80.00	31/03/06	0.00
110.	द्वितीय पावरग्रिड प्रणाली विकास दिनांक 13.6.2001	यूएसडी	450.00	30/06/06	0.00

1	2	3	4	5	6
	नार्वे				
111.	एक्सपोर्ट फायनेस एएसए से आईसीआईसीआई 10 मि. अमरीकी डालर दिनांक 6.11.1997	यूएसडी	10.00		0.34
	अनुदान				
	कनाडा				
1.	चमेरा परियोजना दिनांक 5.5.1987	सीएडी	69.76	30/09/00	69.60
2.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-II दिनांक 7.2.2001	सीएडी	6.76	31/05/06	0.00
	आईडीए				
3.	नवीकरण संसाधन दिनांक 30.9.1993	सीएचएफ	6.00	31/12/99	0.56
4.	नवीकरण संसाधन विकास दिनांक 30.9.1993	सीएचएफ	6.00	31/12/01	1.13
	जर्मनी				
5	पल्स पोलियों टीकाकरण-III दिनांक 29.10.2001	डीईएम	20.00	30/12/02	0.00
	डेनमार्क				
6.	राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन-II दिनांक 17.9.1991	डीकेके	70.00	31/12/99	13.10
7.	संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण (उड़ीसा) चरण-I दि 2.12.96	डीकेके	54.80	31/12/01	2.12
8.	स्वास्थ्य देखभाल-III (तमिलनाडु) दिनांक 24.12.1996	डीकेके	102.50	31/12/01	58.39
9.	राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम-III दिनांक 7.11.97	डीकेके	55.00	06/11/0	17.24
10.	कुष्ठरोग उन्मूलन-III दिनांक 16.11.98	डीकेके	76.40		5.50
11.	एमपी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं दिनांक 15.11.1999	डीकेके	79.30	14/11/04	3.12
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
12.	बिहार में सहकारी ग्रामीण भंडारण केन्द्र दिनांक 24.2.88	ईयूआर	21.20	31/03/00	7.62
13.	पशुधन के लिए चिकिसीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण दि. 30.10.89	ईयूआर	40.30	31/07/98	5.81
14.	उर्वरक आपूर्ति-अल्कलाईन भूमि सुधार दिनांक 22.5.1990	ईयूआर	35.50	26/09/01	8.06
15.	प्राथमिक शिक्षा सहायता दिनांक 23.12.1993	ईयूआर	150.00	30/12/02	143.50
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रक विकास दिनांक 2.9.1997	ईयूआर	200.00	31/12/04	62.00
17.	"सर्व शिक्षा अभियान" के लिए सहायता कार्यक्रम दि. 12.10.01	ईयूआर	200.00	31/12/10	0.00

1	2	3	4	5	6
	फ्रांस				
18.	दिल्ली जल आपूर्ति-ओजोन ट्रीटमेंट संयंत्र के लिए अनुदान दिनांक 30.12.1992	एफआरएफ	2.23	28/12/98	2.65
19.	दिल्ली में जल वितरण प्रणाली का मानचित्रण एवं नियंत्रण दिनांक 7.12.1992	एफआरएफ	2.95.	29/06/98	2.65
20.	पायलट परियोजना और ऊर्ज आधारित लघु सिंचाई दिनांक 21.5.93	एफआरएफ	1.10	14/12/93	0.28
21.	दूरसंचार विभाग पायलट परियोजना प्रशिक्षण एवं पूर्ति दि. 1.6.9				
22.	कलकत्ता पोत न्यास-जलसर्वेक्षण के लिए उपकरण आपूर्ति दिनांक दिनांक 12.6.1996	एफआरएफ	2.40	31/03/99	2.04
23.	मल्मीडिया दूर प्रशिक्षण का व्यवहार्यता अध्ययन 19.9.96	एफआरएफ	1.00	31/12/98	1.00
24.	मत्यस्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के लिए पायलट परि.(विजाग) दि. 18.3.97	एफआरएफ	1.65	31/12/02	1.49
25.	पम्पिंग स्टोरेज स्टेशन का व्यवहार्यता प.बं दि. 1.2.1996	एफआरएफ	2.00	31/12/02	1.40
	युनाइटेड किंग्डम				
26.	ऊर्जा कुशलता अनुदान दि. 21.11.1990	जीबीपी	81.10	31/03/01	75.10
27.	कृभको वर्षा सिंचित कृषि दिनांक 7.1.1993	जीबीपी	2.51	31/03/02	1.72
28.	कृभकों पूर्व भारत वर्षासिंचित कृषि दि. 1.4.95	जीबीपी	6.63	31/03/02	301
29.	पोलियों उन्मूलन कार्यक्रम दि. 22.10.1996	जीबीपी	47.50	30/06/00	44.78
30.	झांग्र परियोजना-झांग्रा कोयला दि. 28.10.96	जीबीपी	4.56	31/03/99	4.46
31.	पश्चिम बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा दि. 16.5.1997	जीबीपी	37.71	31/03/04	12.56
32.	प. बंगाल जिला प्राथमिकता शिक्षा विस्तार 16.5.00	जीबीपी	30.00	03/09/06	1.92
33.	वन प्रशिक्षण दिनांक 11.4.2000	जीबीपी	0.94	31/03/03	0.00
34.	आंध्र प्रदेश पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम 1998 दि. 21.7.2000	जीबीपी	8.12	30/10/05	0.09
35.	लोक जुम्बिश-III एलसीजी दि. 4.8.2000	जीबीपी	31.43	31/03/04	6.74
36.	पश्चिम उड़ीसा ग्रामीण विकास दिनांक 23.7.09	जीबीपी	23.00	31/01/10	0.00
37.	आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल तथा उड़ीसा में लैंगिक स्वास्थ्य के लिए भागीदारी दि. 5.10.99	जीबीपी	28.10	31/12/04	0.94
38.	पोलियो उन्मूलन-1999 दि. 3.2.2000		38.81	31/03/01	35.25

1	2	3	4	5	6
	आई.बी.आर.डी.				
39.	शहरी पर्यावरणिक प्रबंधन दि. 4.9.1996	जेपीवाई	103.15	31/03/01	103.15
	जापान				
40.	मत्स्य पत्तनों के लिए ड्रेजर का निर्माण दि. 19.12.97	जेपीवाई	2420.58	30/04/99	2420.58
	नीदरलैंडस				
41.	हुगली फेयरवे डेवलपमेंट दि. 17.12.1990	एनएलजी	24.00	31/12/99	19.64
42.	महिला समाख्या परियोजना 31.1.1994	एनएलजी	30.30	31/12/02	25.19
43.	जल निकासी संबंधी नेटवर्क प्रचालनात्मक अनुसंधान दि. 4.10.1995	एनएलजी	7.09	31/12/00	4.76
44.	अपग्रेडिंग हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण दि. 14.8.1997	एनएलजी	9.28	31/07/01	9.26
45.	भा.रि. बैंक को बैंक नोट ग्रैडिंग तंत्र की आपूर्ति दि. 23.2.2000	एनएलजी	8.51	31/12/02	0.99
46.	भा.रि. बैंक को नोट ग्रैडिंग तंत्र की आपूर्ति दि. 29.11.2000	एनएलजी	3.56	31/12/02	0.00
	नार्वे				
47.	राष्ट्रीय डाटा बायस कार्यक्रम दि. 18.2.1997	एनओके	27.00	30/06/01	26.96
48.	महिला आर्थिक कार्यक्रम दि. 13.11.1997	एनओके	38.00	13/11/02	36.06
	आई.डी.ए.				
49.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा दि. 21.8.1991	यूएसडी	25.80	30/06/03	11.26
	आईडीएफ (वि. बैंक)				
50.	आर्थिक विकास-वैश्विक पर्यावरण सुविधा दि. 30.9.1996	यूएसडी	20.00	30/06/02	10.29
	आईबीआरडी				
	संयुक्त राज्य अमरीका				
51.	संसूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति दि. 30.8.1985	यूएसडी	40.07	30/04/03	33.79
52.	निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन-II दि. 31.8.87	यूएसडी	10.00	31/01/01	2.54
53.	प्लांट जेनेटिक संसाधन दि. 31.8.1988	यूएसडी	18.70	30/09/97	14.84
54.	एडस निवारण तथा नियंत्रण दि. 3.9.1992	यूएसडी	10.00	31/03/02	5.98
55.	परिवार नियोजन सेवा नवीकरण दि. 30.9.1992	यूएसडी	77.82	30/09/02	79.01
56.	ऊर्जा संरक्षण तथा वाणिज्यीकरण दि. 18.4.2001	यूएसडी	25.00	30/06/05	0.02

1	2	3	4	5	6
57.	एवटे परियोजना दि. 15.9.99	यूएसडी	41.50	30/07/07	0.27
58.	ग्रीनहाउस गैस प्रदूषण निवारण दि. 10.4.1995	यूएसडी	18.92	31/03/02	18.95
	फोर्ड फांउडेशन				
59.	दिल्ली और पुणे में सिटीजन जार्टर पोस्टफोरम दि. 20.12.200	यूएसडी	0.05	12/11/01	0.05
	यूएनएफपीए				
60.	प्रचार माध्यम समर्थन, दि. 2.6.2000	यूएसडी	0.10	30/06/02	0.03
61.	भारतीय लिंग जनगणना, 2001 का सग्राहीकरण दि. 13.10.2000	यूएसडी	0.15	31/10/01	0.11
62.	व्यावसायिक प्रशिक्षण में जनसंख्या शिक्षा, दि. 31.10.95	यूएसडी	0.41	31/03/01	0.07
	यूएनडीपी				
63.	पंजाब में कृषि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटीएस एपीएसपी), दि. 30.3.2000	यूएसडी	1.25	30/06/02	0.09
64.	रोजगार सृजन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण	यूएसडी	0.60	31/12/02	0.00
65.	समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सहायता, दि. 7.8.1998	यूएसडी	8.70	31/12/02	1.04
66.	समुदाय आधारित निर्धन-समर्थन पहल दि. 5.9.97	यूएसडी	13.50	31/03/01	0.27
67.	भारतीय उद्योग की ग्रीन रेटिंग दि. 13.2.1998	यूएसडी	0.41	30/11/01	0.27
68.	पर्यावरणीय कार्यक्रम में क्षमता निर्माण दि. 31.12.98	यूएसडी	0.45	31/12/01	0.05
69.	सेमीकंडक्टर और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में पर्यावरणीय प्रबंध दिनांक 11.12.1998	यूएसडी	0.35	31/12/00	0.16
70.	निर्धनता उन्मूलन और पर्यावरण पुनर्संरचना के लिए कृषि-वानिकी दि. 13.10.1999	यूएसडी	0.33	30/09/01	0.20
71.	दिल्ली की पर्यावरणीय गुणवत्ता का उन्नयन दि. 30.9.99	यूएसडी	0.30	30/09/01	0.15
72.	औषधीय पौधे-संरक्षण और सततता 30.10.99	यूएसडी	0.50	31/12/01	0.23
73.	भारत को अंतर्देशीय आर्द्रभूमि दि. 10.11.99	यूएसडी	0.50	31/12/01	0.21
74.	लघु अनुदानों पर उप-कार्यक्रम दि. 15.11.99	यूएसडी	0.70	31/12/01	0.18
75.	संरक्षण शिक्षा केंद्र, गोवा, दि. 24.11.99	यूएसडी	028	31/10/01	0.18
76.	पश्चिम बंगाल में तन्त्रजीवन संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन, दि. 1.9.1999	यूएसडी	0.20	30/09/01	0.14
77.	शहरी सेवाएं पर्यावरणीय दर्ज निर्धारण प्रणाली 18.10.99	यूएसडी	0.35	31/12/01	0.17

1	2	3	4	5	6
78.	विद्यालयों के लिए समुदाय ग्रहण और मानीटरिंग कार्यक्रम दि. 8.10.1999	यूएसडी	0.10	31/01/01	0.10
79.	औलिव रिडले टर्टल संरक्षण दि. 11.11.1999	यूएसडी	0.30	30/11/01	0.22
	यूएनएफपीए				
80.	स्कैलपैल-भिन्न बंदया करण का विस्तार दि. 15.5.97	यूएसडी	1.35	31/03/01	0.72
81.	राजस्थान में एकीकृत जनसंख्या और विकास दि. 14.7.98	यूएसडी	12.06	30/09/02	1.65
82.	आईपीडी, गुजरात दि. 10.9.1998	यूएसडी	8.11	31/05/02	1.23
83.	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परियोनजा-बूंदी दि. 9.8.1997	यूएसडी	0.62	31/03/01	0.20
84.	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परियोजा-वर्धा, दिनांक 19.8.1997	यूएसडी	0.50	31/03/01	039
85.	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परि.-सिटमौर दि. 9.8.97	यूएसडी	0.75	31/03/01	0.28
86.	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना-मलाप्पुरम, दि. 9.8.1998	यूएसडी	0.75	31/03/01	0.31
87.	प्रजनन स्वास्थ्य का स्तर सुधारना दि. 3.8.98	यूएसडी	0.41	31/12/02	013
88.	केरल में एकीकृत जनसंख्या और विकास दि. 7.8.98	यूएसडी	4.22	31/08/02	0.11
89.	विद्यालयों में जनसंख्या और विकास शिक्षा (एनसीईआरटी), दि. 7.9.1998	यूएसडी	3.66	30/12/01	1.44
90.	साक्षरता पश्च और अनवरत शिक्षा में जनसंख्या और विकास शिक्षा दि. 23.9.1998	यूएसडी	1.94	31/12/01	1.04
91.	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परि. -पटना दि. 9.8.97	यूएसडी	0.66	31/03/01	0.17
92.	महिला अधिकारिता के लिए प्रशिक्षण महाराष्ट्र दि. 3.10.97	यूएसडी	0.72	31/03/01	0.13
	यूएनडीपी				
93.	बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए संकर चावल प्रौद्योगिकी का विकास, दि. 31.12.1998	यूएसडी	2.55	31/12/01	0.21
94.	खाद्य सुरक्षा के लिए मक्का-आधारित फसल प्रणाली 30.12.98	यूएसडी	0.81	31/12/02	0.17
95.	खाद्य सुरक्षा के लिए महिला किसानों की अधिकारिता उ.प्र.	यूएसडी	1.63	30/11/02	0.76
96.	आर्थिक सुधार दि. 1.11. 1999	यूएसडी	1.84	31/10/02	0.44
97.	राज्य एचडीआर की तैयारी के लिए क्षमता निर्माण 8.7.98	यूएसडी	0.50	30/06/02	0.16
98.	समुदाय-आधारित सौर ऊर्जा का प्रदर्शन (एसडब्ल्यूआरसी)दि. 3.11.99	यूएसडी	1.20	31/10/02	0.71
99.	जुट कार्यक्रम दि. 2.8.1999	यूएसडी	1.00	30/06/02	0.73
100.	मल्बरी भिन्न रेशम तसर उत्पादन और प्रसंस्करण 2.8.99	यूएसडी	1.90	30/06/02	1.80
101.	एकीकृत अंगोरा वूल कार्यक्रम दि. 2.8.1999	यूएसडी	1.40	30/06/02	0.80

1	2	3	4	5	6
102.	हाथ में बुने कारपेट दि. 2.8.1999	यूएसडी	1.20	30/06/02	0.63
103.	केन और बेम्बो क्षेत्र विकास दि. 19.9.1999	यूएसडी	1.09	30/06/02	0.63
104.	मसाला उद्योग का एकीकृत विकास दि. 31.12.98	यूएसडी	1.12	31/12/01	0.21
	यू.एन.एफ.पी.ए.				
105.	एकीकृत जनसंख्या और विकास-मध्यप्रदेश दि.16.8.99	अ.डा.	7.14	27/03/03	0.35
106.	हमारा शरीर हमारा जीवन-दि. 21.05.1999	अ.डा.	0.92	30/06/02	0.16
107.	एकीकृत जनसंख्या और विकास-उड़ीसा दि. 8.7.99	अ.डा.	5.96	31/07/02	0.11
	यू.एन.डी.पी.				
108.	विक्लांग बच्चों को सहायता दि. 22.02.2000	अ.डा.	1.00	31/12/02	0.12
109.	शहरी देखभाल के लिए क्षमता विकास दि. 21.12.02	अ.डा.	0.50	31/12/02	0.15
	यू.एन.एफ.पी.ए.				
110.	लिंग से संबंधित मामलों को समर्थन दि. 15.09.1999	अ.डा.	0.32	28/03/03	0.32
111.	जनसंख्या, जनन स्वास्थ्य के संबंध में समर्थन दि. 8.11.99	अ.डा.	0.14	30/11/01	0.03
112.	सुरक्षित मातृत्व बनाना एक वास्तविकता दि. 1.4.00	अ.डा.	0.09	31/03/03	0.09
	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संघ विकास निधि				
113.	भारतीय जनगणना, 2001 की लिंग सुग्रहिता दिनांक 25.10.2000	अ.डा.	0.06	31/05/01	0.05
	एशियाई विकास बैंक				
114.	सी ए.ए. एण्ड ए. संस्थागत सुदृढ़ीकरण, वित्त मंत्रालय दि. 27.12.2000	अ.डा.	0.60	31/12/02	0.00
	आई.बी.आर.डी.				
115.	सूचना विकास कार्यक्रम -दि. 18.08.1999	अ.डा.	0.35	31/08/00	0.33
116.	राज्य विद्युत क्षेत्र में डीएसएम योजना -दि. 18.9.1998	अ.डा.	0.40	30/09/00	0.00
117.	विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम दि. 07.12.1997	अ.डा.	0.50	31/12/99	0.10
118.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग दि. 09.05.1997	अ.डा.	1.72	30/09/00	1.68
	यूनिसेफ				
119.	पोषाहार को प्रोत्साहन देने संबंधी कार्यशाला दि. 4.6.1999	अ.डा.	0.05	31/03/01	0.05
120.	आईसीडीएस योजना के तहत ए डब्ल्यू डब्ल्यू प्रशिक्षण प्राठ्यक्रम तारीख 01.04.1999	अ.डा.	0.21	31/03/01	0.21
121.	भारत की लिंग सक्रिय जनगणना, 2001 दि. 01.11.2000	अ.डा.	0.10	31/03/01	0.07

1	2	3	4	5	6
	संयुक्त राज्य अमरीका				
122.	संयुक्त अनुमत पोपी अध्ययन -दि. 09.06.2000	अ.डा.	0.17	30/09/02	0.05
	जर्मनी				
123.	हुडको-भवन प्रौद्योगिकी का संवर्धन (हुडको-III)	डीईएम	10.00	30/06/99	7.80
124.	एच.डी.एफ.सी.-II दि. 14.02.1994	डीईएम	30.00	30/12/05	26.28
125.	पीएसएस और पीएसआई द्वारा सामाजिक विपणन दि. 29.12.1996	डीईएम	15.00	30/12/98	12.67
126.	हुडको-V दि. 20.11.1995		35.00	30/12/98	35.00
127.	एन.एस.आई.सी. राष्ट्रीय नवीकरण निधि दि. 23.5.96	डीईएम	2.40	31/12/01	0.40
128.	एन.एस.आई.सी.-XII दि. 22.11.1995	डीईएम	0.15	30/06/97	0.15
129.	जलसंभर विकास महाराष्ट्र -2 दि. 20.06.1997	डीईएम	25.00	30/12/05	13.78
130.	हुडको-VI दिनांक 31.10.1997	डीईएम	30.00	30/12/00	26.08
131.	एचडीएफसी-III (कम लागत वाले आवास) दि. 25.9.1998	डीईएम	30.00	30/12/03	7.40
132.	आदिवासी विकास कार्यक्रम (नाबार्ड) दि. 24.11.98	डीईएम	28.00	30/12/10	1.00
	आई.बी.आर.डी.				
133.	आईआरईडीए द्वितीय नवीकरण ऊर्जा परियोजना दि. 11.08.2000	एसडीआर	3.80	31/03/06	0.00
	गुजरात				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	गुजरात में बांधों पर फ्यूजगेट प्रणाली दि. 17.5.1999	एफआरएफ	34.74	31/12/03	33.99
	जापान				
2.	गुजरात वनरोपण और विकास दि. 25.01.1996	जेपीवाई	15760.00	26/03/04	14639.47
3.	पिपावव पत्तन जहाज अवच्छेदन दि. 25.01.1996	जेपीवाई	7046.00	26/03/03	6967.20
	एशियाई विकास बैंक				
4.	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम दि. 14.12.2000	यूएसडी	150.00	31/12/02	51.50
5.	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना दि. 14.12.02	यूएसडी	200.00	30/06/05	2.14
6.	गुजरात भूचाल पुनर्वास और पुनर्निर्माण दिनांक 26.04.2001	यूएसडी	500.00	30/06/04	80.00

1	2	3	4	5	6
	आई.बी.आर.डी.				
7.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना दि. 18.10.2000	यूएसडी	381.00	31/12/05	49.11
	अनुदान				
	नीदरलैण्ड				
1.	जल संसाधन विकास और प्रबंधन-I 17.02.1995	एनएलजी	1.45	01/06/99	0.47
2.	ग्रांट इंडिया 1996-06 गोघा क्षेत्रीय जलापूर्ति 4.8.97	एनएलजी	19.37	03/08/02	0.78
3.	गुजरात स्वास्थ्य देखभाल के लिए 1996-02 ओरेट परियोजना दि. 27.11.1997	एनएलजी	39.83	30/06/02	30.60
4.	कृषि में 1997.05 प्रशिक्षण महिलाएं-गुजरात-II दि. 9.12.97	एनएलजी	6.61	30/06/02	2.88
5.	प्राथमिक स्कूलों का पुनर्निर्माण और मरम्मत-गुजरात दि. 24.07.2001	एनएलजी	94.49	30/09/03	44.51
	जर्मनी				
6.	नाबार्ड V आदिवासी कार्यक्रम गुजरात दि. 23.12.94	डीईएम	26.00	12/04/06	12.82
	हरियाणा				
	ऋण				
1.	हरियाणा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना दि. 16.01.1998	यूएसडी	52.35	31/12/00	52.35
	आई.एफ.ए.डी.				
2.	मेवात क्षेत्र विकास-दि. 29.05.1995	एसडीआर	9.65	31/12/03	4.58
	आई.डी.ए.				
3.	हरियाणा जल संसाधन समेकन-दि. 06.04.1994	एसडीआर	187.30	31/12/01	174.09
	अनुदान				
	यूरोपीयन आर्थिक समुदाय				
1.	अरावती पहाडियों में सार्वजनिक भूमि का सुधार दि. 7.3.1990	ईयूआर	23.20	31/10/99	19.82
2.	हरियाणा समुदाय वानिकी दि. 19.02.1997	ईयूआर	23.30	31/12/04	0.00
	नीदरलैण्ड				
3.	जलाक्रांत और खारे पानी वाली भूमि का सुधार हरियाणा दि. 23.08.1994	एनएलजी	24.41	31/3/02	3.20
	यू.एन.एफ.पी.ए.				
4.	हरियाणा एकीकृत महिलाओं को अधिकार देना तथा उनका विकास दि. 31.12.1998	यूएसडी	3.70	31/01/02	2.90

1	2	3	4	5	6
	हिमाचल प्रदेश				
	ऋण				**12.91**
	ओपेक				
1.	शिमला मलव्ययन दिनांक 21.08.1997	यूएसडी	10.00	31/12/01	5.63
	अनुदान				
	यूनाइटेड किंगडम				
1.	हिमाचल प्रदेश वानिकी दि. 08.09.1994	जीबीपी	3.83	31/03/01	3.31
	नार्वे				
2.	पर्यावरण कार्यक्रम दिनांक 13.11.1997	एनओके	24.00	13/11/02	20.57
	कर्नाटक				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	जलापूर्ति और मलव्ययन प्रणालियों में सुधार 26.4.96	एफआरएफ	47.94	31/12/03	12,27
2.	(एफएफ-105 मि.प्रा. दि. 23.11.98) एलए-2 दि. 23.11.1998	एफआरएफ	13.74	21/06/02	10.95
	जापान				
3.	बंगलौर जलापूर्ति और मलव्ययन दि. 25.01.1996	जेपीवाई	28452.00	26/03/04	10209.29
4.	पूर्वी कर्नाटक बन रोपण दि. 25.02.1197	जेपीवाई	15968.00	29/05/05	8981.65
	ओपेक				
5.	रायचुर जिला अस्पताल-दि. 06.06.1991	यूएसडी	9.00	30/04/01	7.00
	एशियाई विकास बैंक				
6.	कर्नाटक शहरी ढांचागत विकास दि. 10.05.1996	यूएसडी	85.00	30/06/02	52.91
7.	कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरण प्रबंधन दि. 19.5.2000	यूएसडी	175.00	30/06/05	1.02
	आईबीआरडी				
8.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार दिनांक 26.07.2001	यूएसडी	360.00	31/12/06	16.60
9.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना दिनांक 26.07.2001	यूएसडी	75.00	31/12/01	75.00
10.	कर्नाटक जलापूर्ति प्रबन्धन और एम एस परियोजना दिनांक 23.12.1999	यूएसडी	1.50	02/06/02	0.00
	आई डी ए				
11.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना दिनांक 26.07.2001	एसडीआर	58.90	31/12/01	58.90

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक जलसंभर विकास दि. 26.07.2001	एसडीआर	79.00	31/03/07	2.37
	अनुदान				
	जर्मनी				
1.	कर्नाटक जलसंभर विकास दिनांक 17.06.1994	डीईएम	20.00	30/12/02	5.93
2.	कर्नाटक क्षेत्रीय स्तर पर अस्पताल विकास, दि. 16.1.97	डीईएम	23.00	30/12/02	8.42
	डेनमार्क				
3.	महिला एंव युवा प्रशिक्षण विस्तार-II (कर्नाटक)दिनांक 01.07.1989	डीईएम	48.50	29/12/00	27.31
4.	एकीकृत ग्रामीण जल और सफाई, कनार्टक-I, दि.28.12.89	डीकेके	50.00	30/09/96	22.42
5.	ग्रामीण जल और सफाई चरण-II कनार्टक, दि. 1.10.96	डीकेके	65.50	31/03/02	49.54
6.	कर्नाटक जलसंभर विकास चरण-II दि. 2.06.97	डीकेके	46.70	02/06/04	15.71
7.	महिला एवं युवा प्रशिक्षण चरण-II, दि.26.6.2000	डीकेके	28.30	30/04/05	0.00
	फ्रांस				
8.	अकविथी और पोलर बेसिन-I के रिचार्ज का मूलयांकन दि. 7.6.93	एफआरएफ	2.65	30/04/96	2.65
9.	भूजल डाटा बेस प्रबंधन-II की स्थापना, दि. 7.6.93	एफ आरएफ	2.65	26/03/96	2.65
	यूनाईटिड किंगडम				
10.	कर्नाटक जलसंभर विकास, दि.23.05.97	जीबीपी	4.49	31/03/02	0.00
	स्वीटजरलैंड				
11.	भारत-स्वीटजरलैंड भागीदार जलसंभर विकास, दिनांक 19.6.1995	आईएनआर	88.82	30/09/01	88.82
	नीदरलैंड				
12.	ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई-कर्नाटक, दि. 14.3.89	एनएलजी	33.15	31/03/01	31.82
13.	तुगभद्रा सिंचाई प्रायोगिक परियो. चरण-II, दि. 31.8.95	एनएलजी	0.80	31/07/98	0.70
14.	मैसूर पेपर मिल चरण-III, दि. 3.02.98	एनएलजी	5.07	31/12/02	2.43
	आईडीए				
15.	कर्नाटक समुदाय-आधारित टैंक सुधार दि. 14.2.01	यूएसडी	0.40	01/11/01	0.16
16.	कर्नाटक जलसंभर विकास दि. 14.2.01	यूएसडी	0.36	31/07/01	0.18

1	2	3	4	5	6
	केरल				
	ऋण				
	जापान				
1.	अट्टापेडी बंजरभूमि व्यापक पर्यावरण दि. 25.1.96	जेपीवाई	5112.00	26/03/05	312.71
2.	केरल जलापूर्ति दिनांक 25.2.97	जेपीवाई	1997.00	30/06/06	0.00
	ओपेक				
3.	केरल वर्षापोषित खेती विकास दि. 27.6.91	यूएसडी	10.00	30/06/00	2.97
	आईडीए				
4.	केरल वानिको दि. 13.8.98	एसडीआर	28.80	31/12/02	12.35
5.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता दिनांक 04.1.01	एसडीआर	50.10	31/12/06	1.98
	अनुदान				
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
1.	केरल में कृषि बाजार (उर्वरक पूर्ति) दि. 30.3.89	ईयूआर	18.65	31/12/97	18.00
2.	केरल बागवानी विकास दि. 17.01.92	ईयूआर	28.70	31/12/00	16.85
3.	केरल लघु सिंचाई दि. 21.5.92	ईयूआर	11.80	31/12/00	3.39
	यूनाईटेड किंगडम				
4.	कोचीन शहरी गरीबी को कम करना दि. 01.5.97	जीबीपी	11.47	30/09/01	3.76
	नीदरलैंड				
5.	केरल समुदाय सिंचाई दि. 17.12.93	एनएलजी	4.85	30/06/00	2.15
6.	केरल जलापूर्ति, पावारत्ती दि. 29.8.1986	एनएलजी	44.50	31/03/02	27.60
	मध्य प्रदेश				
	ऋण				
	जापान				
1.	झील भोपाल संरक्षण और प्रबन्ध दि. 28.2.95	जीपीवाई	7055.00	12/04/02	3309.11
2.	राजघाट नहर सिंचाई दि. 25.2.97	जेपीवाई	13222.00	29/05/06	3963.72
	ओपेक				
3.	रेवा अस्पताल दि. 8.2.89	यूएसडी	10.00	30/06/01	10.00

1	2	3	4	5	6
	एशियाई विकास बैंक				
4.	मध्य प्रदेश जन संसाधन प्रबन्ध दि. 14.12.99	यूएसडी	250.00	30/09/02	100.00
	आईडीए				
5.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन उपाय दि. 5.12.2000	एसडीआर	84.20	30/06/06	2.95
	अनुदान				
	डेनमार्क				
1.	कृषि में मध्य प्रदेश की महिलाएं दि. 19.11.1993	डीकेके	12.61	18/11/00	9.67
2.	व्यापक जलसंभर विकास तिरूनवेली चरण-II दि. 05.8.94	डीकेके	68.47	31/01/02	43.91
3.	पशुधन विकास-बस्तर दि. 5.12.1996	जीकेके	28.30	04/12/01	4.12
4.	पश्चिमी मध्य प्रदेश में जसंभर विकास दि. 12.3.97	डीकेके	29.20	11/03/02	12.06
	महाराष्ट्र				
	ऋण				
	जर्मनी				
1.	यूरेन पुनर्बन्दोबस्त दि. 11.12.95	डीईएम	1.98	30/12/99	1.98
2.	यूरेन गैस संयंत्र पुनर्बन्दोबस्त दि. 11.12.95	डीईएम	14.87	30/12/99	11.40
3.	लघु सिंचाई कार्यक्रम, महाराष्ट्र, दि. 1.6.2000	डीईएम	45.00	30/12/06	0.99
	फ्रांस				
4.	झींगा मछली अंडज उत्पत्ति शाला के लिए स्वच्छ जल सृजन, (महाराष्ट्र 376एम) दि. 2.12.97	एफआरएफ	4.43	31/12/02	3.42
	जापान				
5.	घाटघर टी पी परियोजना दि. 5.12.1995	जेपीवाई	11414.00	20/01/03	6214.22
	आईबीआरडी				
6.	बम्बई मल निपटान दि. 28.12.1995	यूएसडी	124.78	31/12/02	58.92
	आईएफएडी				
7.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण दि. 28.5.1995	एसडीआर	21.25	30/09/02	17.05
	अनुदान				
	जर्मनी				
1.	बुनियादी स्वास्थ्य महाराष्ट्र दि. 23.7.1998	डीईएम	20.00	30/12/01	3.17

1	2	3	4	5	6
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
2.	फसलों के विकास के लिए जल-नियंत्रण प्रणाली महारष्ट्र दि. 25.10.1988	ईयूआर	15.00	31/10/98	13.80
3.	महाराष्ट्र में खारा पानी वाली भूमि का सुधार दि. 3.7.1995	ईयूआर	15.50	31/12/01	0.35
	फ्रांस				
4.	माजालगोन सिंचाई का बहुआयामी विनियमन दि. 30.11.92	एफआरएफ	3.05	24/04/97	2.59
	यूनाइटेड किंगडम				
5.	महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता दि. 10.9.91	जीबीपी	16.46	31/12/00	8.61
	आईबीआरडी				
6.	मुम्बई पुनर्बन्दोबस्त और पुर्नवास दि. 01.9.96	जेपीवाई	44.76	31/07/00	44.76
7.	मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण दि. 1.6.2000	जीपीवाई	16.76	31/07/00	0.00
	यूएनएफपीए				
8.	महाराष्ट्र में एकीकृत जनसंख्या और विकास दि. 4.2.99	यूएसडी	4.60	31/03/02	0.82
	जर्मनी				
9.	जलसंभर महाराष्ट्र-II (नाबार्ड) दि. 26.6.97	डीईएम	25.00	30/12/05	0.00
	मणिपुर				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	कांगचुप जलापूर्ति का उन्नयन/परिवर्धन दि. 26.2.1997	एफआरएफ	31.65	31/12/01	32.05
2.	आरडी-एम एन (1.25 एम) के पुनर्वास हेतु विस्तृत अध्ययन (125 एम) दि. 14.10.97	एफआरएफ	7.62	30/06/01	7.72
	जापान				
3.	भूजल खोज-इम्फाल (125 एम) दि. 27.5.1997	एफआरएफ	4.63	30/06/01	4.63
	जापान				
4.	मणिपुर रेशम पालन दि. 12.12.1997	जेपीवाई	3962.00	28/07/05	460.82
	मेघालय				
	ऋण				
1.	यूनिअम वन बिजली केन्द्र पुनरुद्धार दि. 12.12.1997	जेपीवाई	1700.00	10/06/04	870.80

1	2	3	4	5	6
	बहुराज्यीय परियोजनाएं				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	झींगा अंडज उत्पत्तिशाला निर्माण-जीव (376एम) दि. 2.12.97	एफआरई	4.57	31/12/02	3.67
	आईबीआरडी				
2.	नाथपा झाकरी विद्युत दि. 18.5.1989	यूएसडी	154.40	31/03/02	94.58
3.	समेकित जलसंभर विकास (पहाडी-II) दि. 14.7.99	यूएसडी	85.00	31/03/05	0.85
	आई.एफ.ए.डी.				
4.	झारखंड छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास दि. 25.6.99	एसडीआर	16.95	31/12/09	078
	आईडीए				
5.	झींगी और मत्स्य पालन दि. 29.1.1992	एसडीआर	19.25	31/12/00	19.25
6.	वानिकी अनुसंधान शिक्षा तथा विस्तार दि. 9.3.94	एसडीआर	33.80	31/12/01	29.14
7.	कृषि मानक संसाधन विकास दि. 11.4.1995	एसडीआर	40.50	31/12/01	37.73
8.	पन परियोजना दि. 22.9.1995	एसडीआर	75.10	31.03/03	49.14
9.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था विकास दि. 18.4.96	एसडीआर	235.50	30/03/04	142.06
10.	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी-II) दि. 14.7.99	एसडीआर	36.90	31/03/05	24.08
11.	तृतीय तकनीशियन शिक्षा परियोजना दि. 18.10.2000	एसडीआर	48.90	30/06/06	2.56
	अनुदान				
	स्विटजरलैंड				
1.	रेशम उत्पादन-2000 (रेशम उत्पादन परि.) दि. 5.11.97	सीएचएफ	12.50	31/03/04	1.78
	नीदरलैंड				
2.	एनएलजीजी 001 अनुदान भारत 1994-01 दि. 3.2.94	एनएलजी	210.00	31/12/03	90.99
	आईडीए				
3.	ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता, केरल/कर्नाटक 12.7.00	यूएसडी	0.41	31/05/02	0.20
	उड़ीसा				
	ऋण				
	जर्मनी				
1.	उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई दि. 19.2.93	डीईएम	55.00	30/12/00	40.60

1	2	3	4	5	6
	जापान				
2.	रेनगली सिंचाई दि. 12.12.1997	जेपीवाई	7760.00	05/02/03	3334.91
	आईबीआरडी				
3.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना दि. 10.7.1996	यूएसडी	332.67	31/12/02	117.51
	आईडीए				
4.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन दि. 18.12.2000	एसडीआर	35.00	30/09/02	9.28
5.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन दि. 5.1.1996	एसडीआर	194.80	30/09/02	119.90
6.	उड़ीसा स्वास्थ्य व्यवस्था विकास दि. 13.8.1998	एसडीआर	56.80	31/03/04	7.78
	अनुदान				
	डेनमार्क				
1.	संघटित जलसंभर विकास, कोरापुटर जिला दि. 5.10.1992	डीकेके	46.30	05/10/99	1985
2.	समेकित पशुधन विकास कोरापुट दि. 22.12.92	डीकेके	19.90	31/12/00	12.12
3.	टेवा चरण-II उड़ीसा दि. 1.7.1995	डीकेके	23.69	30/06/02	19.67
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
4.	उड़ीसा में लघु सिंचाई दि. 3.7.1995	ईयूआर	10.70	31/12/04	1.11
	फ्रांस				
5.	भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण अपशिष्ट प्रबंध विकास दि. 5.2.1997	एफआरएफ	1.90	31/12/00	0.00
	यूनाइटेड किंगडम				
6.	कटक गंदी बस्ती सुधार 23.5.1991	जीवीपी	16.94	31/03/02	9.59
7.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार 29.8.1996	जीबीपी	42.00	31/03/01	25.06
8.	उड़ीसा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण-चरण-III 21.8.97	जीबीपी	1.75	31/12/02	0.88
9.	कटक शहरी सेवा सुधार 20.9.1997	जीबीपी	11.49	31/03/02	2.22
10.	चक्रवात से क्षतिग्रस्त एलआईपी का पुनर्वास 29.8.01	जीबीपी	5.35	31/07/02	0.00
11.	उड़ीसा जिला प्राथमिक शिक्षा 18.9.2001	जीबीपी	41.21	30/11/08	0.00
	नार्वे				
12.	उड़ीसा पर्यावरणीय कार्यक्रम 16.4.1992	एनओके	40.00	31/12/99	27.56
	स्वीडन				
13.	उड़ीसा वानिकी/क्षमता निर्माण 1.2.1997	एसईके	13.50	30/11/99	1.75

1	2	3	4	5	6
	यू.एन.डी.पी.				
14.	प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध तथा महिलाओं के लिए स्थाई आजीविका 3.11.1999	यूएसडी	1.98	30/11/02	1.40
15.	विकेन्द्रीकृत इन्जीनियरिंग व्यवस्था, कोम्ना ब्लाक, 26.11.99	यूएसडी	1.00	30/09/02	0.74
	पंजाब				
	ऋण				
	जापान				
1.	पंजाब वृक्षारोपण परियोजना 12.12.1997	जेपीवाई	6193.00	16/02/03	4372.56
	अनुदान				
	यू.एन.डी.पी.				
1.	वस्त्रों में प्राकृतिक रंगाई का विकास तथा उपयोग	यूएसडी	0.45	31/12/00	0.39
	राजस्थान				
	ऋण				
	जर्मनी				
1.	समेकित सौर-तापीय विद्युत संयंत्र, मथानिया 29.10.01	डीईएम	116.80	30/06/07	0.00
2.	राजस्थान ग्रामीण तथा जलापूर्ति 17.6.1994	डीईएम	5.30	31/3/01	40.00
	फ्रांस				
3.	जयपुर हेतु जल प्रबंध परियोजना (223.3 एम 1.12.94) 18.12.95	डीईएम	5.30	31/03/01	2.69
4.	जन स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग विभाग जयपुर 3.9.1996	एफआरएफ	13.69.	31/03/01	7.92
	जापान				
5.	वृक्षारोपण विकास (इंदिरा गांधी नहर) 23.1.91	जेपीवाई	7869.00	05/02/02	4521.39
6.	राजस्थान वानिकी विकास 28.2.1995		4219.00	12/04/02	4112.45
	एशियाई विकास बैंक				
7.	राजस्थान शहरी ढांचागत विकास 1.12.1999	यूएसडी	250.00	30/06/05	1.20
	आईबीआरडी				
8.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना 27.2.2001	यूएसडी	180.00	30/06/05	18.54
9.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना 10.2.1994	यूएसडी	2.00	31/12/00	0.00
	आईडीए				
10.	राजस्थान जिला गरीबी उपक्रम 12.5.2000	एसडीआर	75.00	31/12/05	3.12

1	2	3	4	5	6
11.	राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा 27.7.2001	एसडीआर	58.50	31/12/06	2.74
	अनुदान				
	कनाडा				
1.	राजस्थान कृषि जल निकासी 13.3.1990	सीएडी	14.99	31/12/00	9.41
	स्विटजरलैंड				
2.	पावडी-परियोजना राजस्थान 23.7.1996	सीएचएफ	77.84	30/06/99	18.06
	जर्मनी				
3.	राजस्थान लघु सिंचाई चरण-I 29.4.1987	डीईएम	2.70	31/12/00	2.15
4.	आवासी स्कूल परियोजना 5.6.1997	डीईएम	18.00	30/12/03	5.30
5.	राजस्थान ग्रामीण जलपूर्ति चरण-I 17.6.1994	डीईएम	55.00	03/01/02	55.00
6.	ग्रामीण जलापूर्ति राजस्थान 17.6.1995	डीईएम	40.00	03/01/02	14.50
7.	ग्रामीण जलापूर्ति राजस्थान 29.10.2001	डीईएम	10.00	30/12/02	0.00
	यूरोपीय अर्थिक समुदाय				
8.	सिद्धमुख और नोहरा सिंचाई 10.5.1993	ईयूआर	45.00	31/12/01	38.46
	फ्रांस				
9.	जन स्वास्थ्य और इन्जीनियरिंग विभाग, जयपुर 18.12.1995	एफआरएफ	6.50	31/03/01	6.50
	यूनाइटिड किंगडम				
10.	शिक्षाकर्मी परियोजना चरण-III 16.3.2000	जीबीपी	17.14	08/03/03	3.08
	स्वीडन				
11.	डूगरपुर समेकित जलभूमि विकास 4.3.1992	एसईके	80.00	30/09/99	46.15
	जर्मनी				
12.	सौर तापीय विद्युत परियोजना मथानिया 23.8.01	यूएसडी	0.75	30/06/02	0.00
	तमिलनाडु				
	ऋण				
	जापान				
1.	मद्रास मलव्ययन आर एण्ड एफ सुधार 28.2.95	जेपीवाई	17098.00	12/04/02	1211.19
2.	तमिलनाडु वृक्षारोपण कार्यक्रम 25.2.1997	जेपीवाई	13324.00	17/05/05	8003.91

1	2	3	4	5	6
	आईबीआरडी				
3.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति 20.11.1995	यूएसडी	80.50	30/06/02	63.44
4.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास 14.7.1999	यूएसडी	105.00	30/11/04	70.38
	आईडीए				
5.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन 22.9.1995	एसडीआर	181.90	31/03/02	99.89
	अनुदान				
	डेनमार्क				
1.	कृषि में तमिलनाडु की महिलाएं (तनवा) चरण-II 30.9.1993	डीकेके	58.05	30/09/01	46.34
2.	व्यापक जल संभर विकास, रामनाथपुरम 19.11.93	डीकेके	26.42	31/03/02	19.63
3.	ग्रामीण जल तथा स्वच्छता चरण-II तमिलनाडु 1.10.96	डीकेके	60.00	28/03/04	21.17
4.	पुडुकोन्ताई पशुधन विकास चरण-II 31.11.97	डीकेके	51.48	31/01/04	9.88
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
5.	तमिलनाडु में टैंक सिंचाई व्यवस्था (चरण-II) 27.4.1989	ईयूआर	24.50	31/12/99	21.96
	स्वीडन				
6.	आई.सी.डी.एस.-III 6.12.965	एसईके	60.00	31/12/99	54.53
	जर्मनी				
7.	एन.एल.सी. अध्ययन विशेषज्ञ अनुदान 1.1.1901	डीईएम	1.50	31/12/99	1.14
8.	एन.डी.डी.बी. अध्ययन और विशेषज्ञ निधि-IV 5.8.91	डीईएम	2.00	31/12/99	2.00
	उत्तर प्रदेश				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस.यू.पी. (के उपस्कर) 376 एम (30.1.96) 13.8.97	एफआरएफ	3.56	26/03/01	3.56
2.	एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस.- चिकित्सा उपस्करों की आपूर्ति तथा संस्थापन 25.1.1998	एफआरएफ	29.52	30/06/01	26.97
	जापान				
3.	अनपारा बी तापीय विद्युत 24.1.1994	जेपीवाई	17638.00	11/09/02	14907.47

1	2	3	4	5	6
4.	अनपारा विद्युत- पारेषण व्यवस्था-II 25.1.1996	जेपीवाई	8054.56	26/03/01	8054.56
	ओपेक				
5.	बस्ती जिला अस्पताल 4.5.1990	यूएसडी	6.50	30/06/00	5.90
	आई.बी.आर.डी				
6.	उ.प्र. जलापूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता 22.7.96	यूएसडी	47.31	31/05/02	24.17
7.	उ.प्र. विविधीकृत कृषि सहायता 30.7.1998	यूएसडी	79.90	31/03/04	0.00
8.	उ.प्र. विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना 30.7.98	यूएसडी	150.00	31/12/04	41.68
	आईडीए				
9.	उ.प्र. सोडायुक्त भूमि सुधार 24.6.93	एसडीआर	39.50	31/03/01	39.50
10.	उ.प्र. वानिकी 30.12.97	एसडीआर	39.00	31/07/02	19.08
11.	उ.प्र. विविधीकृत कृषि सहायता 30.7.98	एसडीआर	37.20	31/03/04	23.39
12.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य व्यवस्था विकास 14.1.99	एसडीआर	97.90	31/03/05	8.37
13.	उ.प्र. सोडायुक्त भूमि सुधार परियोजना-II 4.2.99	एसडीआर	141.70	30/09/05	24.73
14.	उ.प्र. स्वास्थ्य व्यवस्था विकास 19.5.2000	एसडीआर	82.10	30/12/05	2.42
	अनुदान				
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
1.	उ.प्र. में तंगधारी स्थिरीकरण	ईयूआर	7.90	16/04/02	0.00
	फ्रांस				
2.	उ.प्र. सिंचाई विभाग व्यवहार्यता अध्ययन लक्षवर बांध 23.4.96	एफआरएफ	3.50	31/12/98	3.50
	यूनाइटेड किंगडम				
3.	पश्चिमी भारत वर्षापोषित कृषि-II 21.4.99	जीबीवी	15.09	31/03/06	0.94
	नीदरलैंड्स				
4.	उ.प्र. उप-परियोजना-VI 16.10.90	एनएलपी	25.00	31/12/00	17.76
5.	ग्रामीण जलापूर्ति उ.प्र. उप-परियोजना-VIII	एनएलपी	25.48	31/12/01	17.67
6.	बुंदेलखंड समेकित जल 12.6.96	एनएलपी	2.80	31/05/01	1.35
7.	गंगा कार्य योजना सहायता 23.7.97	एनएलपी	51.24	01/10/01	9.34
8.	उ.प्र. में ऊसर सुधार 7.7.98	एनएलपी	5.64	30/09/02	0.00

1	2	3	4	5	6
	पश्चिम बंगाल				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	सी.एम.सी.-उ.प्र. बंगाल,एलए-I 23.11.98	एफआरएफ	36.00	21/06/02	16.59
2.	एफएफ 105 मिलियन (प्रोतोकोल 23.11.98	एफआरएफ	18.60	30/06/02	10.60
	जापान				
3.	पुरूलिया पम्पड भंडारण 28.2.95	जेपीवाई	20520.00	12/04/03	5565.03
4.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण (प. बंगाल) 28.2.95	जेपीवाई	1525.00	02/10/02	381.72
5.	पश्चिम बंगाल पारेषण व्यवस्था 25.2.1997	जेपीवाई	11087.00	29/05/04	5045.07
6.	कलकत्ता परिवहन ढांचागत विकास 25.2.97	जेपीवाई	10679.00	29/05/04	2396.67
7.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र-II 12.12.97	जेपीवाई	34151.00	19/02/03	27747.34
8.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र-III 24.3.99	जेपीवाई	11537.00	28/04/04	7042.35
	आईबीआरडी				
9.	कलकत्ता जलापूर्ति मलव्ययन तथा जल निकासी 23.7.99	यूएसडी	2.50	30.11.01	0.84
	अनुदान				
	जर्मनी				
1.	ग्रामीण जलापूर्ति, पश्चिम बंगाल 5.7.96	डीईएम	50.00	30/12/02	30.94
2.	बुनियादी स्वास्थ्य कायक्रम, प. बंगाल 22.6.99	डीईएम	60.00	30/12/06	1.76
	फ्रांस				
3.	ठोस अपशिष्ट प्रबंन्ध सम्बन्धी व्यवहार्यता अध्ययन, सी.एम.सी. 13.11.97	एफआरएफ	1.40	31/12/00	0.00
	यूनाइटेड किंगडम				
4.	कलकत्ता गंदी बस्ती सुधार 1.1.91	जीबीपी	16.94	30/09/01	10.79
5.	कलकत्ता पर्यावरणीय सुधार 8.11.2001	जीबीपी	28.30	31/03/09	0.00
	नीदरलैंडस				
6.	उत्तर बंगाल तराई विकास चरण-III 30.11.94	एनएलजी	13.12	31/03/01	10.00
	आईबीआरडी				
7.	पश्चिम बंगाल नगरपालिका विकास 17.9.98	यूएसडी	0.47	31/12/99	0.00

सहकारी बैंकों का कार्यकरण

2060. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वर्ष 2001-2002 की मुद्रा और ऋण संबंधी नीति से महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों के सुचारू कार्यकरण में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई हैं और राज्य सरकार ने नीति की समीक्षा करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध भी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मौद्रिक तथा ऋण नीति में घोषित उपायों का उद्देश्य देशभर में सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करना हैं। इस नीति की समीक्षा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात संवर्धन परिषदों का पुनर्गठन

2061. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात संवर्धन परिषदों का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यकरण को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) हाल ही के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माहौल में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निर्यात संवर्धन परिषदों, ईपीसी की पुनर्संरचना करना आवश्यक समझा गया था, ताकि उनके क्रियाकलापों में सुधार लाया जा सके और उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके इसके अलावा, निर्यात महत्ता के नए क्षेत्रों के उभरने के साथ ही नई ईपीसी स्थापित करने के संबंध में मानदंड निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। ईपीसी के चुनाव की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने और उनकी पुनर्संरचना के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड संबंधी पहलुओं को देखने के लिए वाणिज्य विभाग के भीतर ही समिति गठित की गई है ताकि वैश्विकरण और आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय निर्यात प्रयास में वे अपना महत्व बनाए रख सकें। समिति ने ईपीसी के कर्यसंचालन को सुकर बनाने और सुदृढ़ करने के लिए सिफारिशें दी हैं। ईपीसी के चुनाव और प्रशासनिक क्रियाविधियों को युक्तिसंगत बनाते हुए उनका पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि वे अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और यह सुनिश्चत कर सकें की उनके प्रबन्धन में असली निर्यातकों की अधिक प्रभावी भूमिका हो और उसके कार्यचालन में और अधिक कुशलता एवं पारदर्शिता लाई जा सके।

(ङ) उपर्युक्त उपायों से मौजूदा ईपीसी के कार्यसंचालन में सुधार होने की आशा है।

विश्व व्यापार संगठन प्रकोष्ठों की स्थापना

2062. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार की सलाह पर विश्व व्यापार संगठन के प्रकोष्ठों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रकोष्ठों के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या इन प्रकोष्ठों में कृषि व्यापार उद्योग क्षेत्रों के अधिकारी और विशेषज्ञ तथा किसान शामिल होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये प्रकोष्ठ किस सीमा तक सहायक रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) जी, हाँ। सरकार ने डब्ल्यूटीओ से संबंधित विभिन्न मामलों का कारगर ढंग से समन्वय करने हेतु डब्ल्यूटीओ प्रकोष्ठों की स्थापना करने और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के बारे में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी थी। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, त्रिपुरा, नागालैंड की राज्य सरकारों तथा

दादर एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र ने डब्ल्यूटीओ प्रकोष्ठों की स्थापना की है। चूंकि इन प्रकाष्ठों की स्थापना करने का मूलभूत उद्देश्य डब्ल्यूटीओ मामलों में राज्यों एवं केन्द्र सरकारों के बीच समन्वय करना था, इसलिए इन प्रकोष्ठों में कुल मिलाकर सरकारी अधिकारी शामिल किए गए हैं। कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इन प्रकोष्ठों के कार्यचालन में शिक्षाविदों तथा अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल किया है। कुछेक राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की गई निविष्टियां कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार पर वार्ताओं में शामिल मुद्दों पर सरकार का दृष्टिकोण तैयार करने में उपयोगी सिद्ध हुई है।

पावरलूम/हैंडलूम बुनकरों को कच्ची सामग्री की आपूर्ति

2063. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दक्षिण राज्यों के पावरलूम/हैंडलूम बुनकरों से उचित मूल्यों पर कच्ची सामग्री की आपूर्ति हेतु अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सदर्न इंडियन मिल्स एसोसिएशन सरकारको पुराने और अव्यवहारिक चरखों को हटाने हेतु जैसाकि कई अन्य देशों में किया गया है, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए अभ्यावेदन देती रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (च) सरकार द्वारा दक्षिण भारत मिल संघ (सिमा) सहित विद्युतकरघा/हथकरघा बुनकरों, विनिर्माताओं, निर्यातकों आदि तथा विभिन्न औद्योगिक संघों से समय-समय पर, अपनी समस्याओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं जिनमें अति-क्षमता, मांग और पूर्ति में असामंजस्यता तथा वस्त्र उद्योग द्वारा उच्च अंतर्निवेश लागत का सामना करने जैसी समस्याएं शामिल होती हैं।

सरकार इन सभी सुझावों की जांच करती रही है और उद्योग के विभिन्न घटकों व क्षेत्रों के बीच सद्भावपूर्ण संतुलन बनाने तथा वैश्विक स्पर्धात्मकता के लिए उद्योग को तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक उपायों के बारे में बताती रही है। इन उपायों में, शुल्कों व टैरिफ का संशोधन, शुल्क वापसी दरों की प्रक्रिया संशोधन का युक्तिकरण, उत्पादन आकार को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का आरंभ, स्पर्धात्मकता में सुधार तथा उद्योग का आधुनिकीकरण शामिल है।

विशेष केन्द्रीय सहायता और विशेष घटक योजना

2064. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई विशेष घटक योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई इस धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त धनराशि के उपयोग के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में आई कमी के संबंध में सरकार ने विवरण प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा तैयार की गई विशेष संघटक योजना कार्यनीति के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजना निधि में से निधियां निर्धारित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता उनकी विशेष संघटक योजना के एक योगज के रूप में प्रदान की जाती हैं। इस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि और उपयोग जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) उपलब्ध नवीनतम अनुमान (1993-94) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 48% तथा शहरी क्षेत्रों में 49.5% अनुसूचित जाति जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

विशेष केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	रा./संरा.क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		निर्मुक्त	उपभोग	निर्मुक्त	उपयोग	निर्मुक्त	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3388.78	3388.78	4134.94	4134.94	3720.00	3720.00
2.	असम	596.66	362.00	695.31	515.00	1810.69	914.75
3.	बिहार	3620.07	1820.93	3471.49	0.00	0.00	1261.41
4.	छत्तीसगढ़					500.00	0.00
5.	गुजरात	371.40	1136.79	682.27	682.27	1521.99	639.30
6.	गोवा	2.72	1.90	5.49	1.80	8.00	1.50
7.	हरियाणा	741.77	741.53	840.36	238.02	930.63	635.39
8.	हिमाचल प्रदेश	259.56	229.60	298.18	316.08	440.00	431.22
9.	जम्मू और कश्मीर	132.80	66.69	183.44	137.85	218.00	238.10
10.	झारखंड						
11.	कर्नाटक	1820.07	1820.07	2097.36	2097.36	2643.64	2643.64
12.	केरल	724.54	561.23	813.24	753.88	12551.07	0.00
13.	मध्य प्रदेश	2237.08	2443.04	3303.27	1936.10	1720.00	1448.64
14.	महारष्ट्र	1573.92	1367.91	2067.30	1450.62	2722.00	1792.67
15.	मणिपुर	10.62	8.43	12.54	13.00	38.96	0.00
16.	उड़ीसा	2281.57	2281.57	1907.72	1686.47	1884.00	2022.03
17.	पंजाब	1119.74	486.47	1280.29	313.13	1784.00	184.29
18.	राजस्थान	2575.48	2357.68	2792.68	2275.37	3738.96	2137.83
19.	सिक्किम	4.03	4.03	22.37	22.26	23.87	23.98
20.	तमिलनाडु	3236.93	2122.06	4036.92	2841.39	3558.00	2652.39
21.	त्रिपुरा	108.72	102.99	159.14	164.87	476.48	476.48

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	उत्तर प्रदेश	7518.15	7158.95	9728.65	5682.35	9398.00	6820.62
23.	उत्तरांचल					500.00	54.17
24.	प.बंगाल	3378.39	3378.39	4962.00	4962.00	5450.63	5322.33
25.	चंडीगढ़	22.00	22.00	25.00	25.00	25.00	25.00
26.	दिल्ली	201.71	82.87	149.91	82.87	149.91	36.71
27.	पांडिचेरी	73.29	73.29	30.13	30.13	25.18	12.59
	कुल	36100.00	32019.20	43700.00	30362.76	45038.90	33495.04

वनरोपण कंपनियों की लेखा परीक्षा

2065. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने अनेक वनरोपण कंपनियों की विशेष लेखा परीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो धन जुटाने और उसे खर्च करने में भारी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और सामान्य रूप से कंपनी-वार तथा विशेष रूप से उत्तरांचल में कंपनियों में पता लगाई गई वित्तीय धोखाधड़ी/अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) वनरोपण फर्मों के विरुद्ध फर्मवार की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है और उत्तरांचल में वनरोपण तथा अन्य गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के धोखाधड़ी वाले लेन-देन पर नियंत्रण करने और निगरानी रखने हेतु तंत्र शुरू करने के लिए किन कदमों को उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने न्यायालय आदेशों के अनुसरण में 3 निकायों की लेखापरीक्षा के अतिरिक्त 1998 में 53 सामूहिक निवेश योजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा का आदेश दिया, जिनमें बागान कंपनियां शमिल हैं।

लेखापरीक्षा रिपोर्टों के मुख्य निष्कर्षों में शामिल है: योजनाओं के उद्देश्यों से असंबद्ध क्रियाकलापों हेतु निधियों का भारी पैमाने पर विपथन; इन योजनाओं की भूमि/संपत्तियां प्राय: निकायों/निवेशकों के नामों में पंजीकृत नहीं होती है; जुटाई गई धनराशियों का बड़ा भाग निधियों के संग्रहण की लागत पर खर्च किया गया है; विद्यमान निवेशकों को भुगतान परवर्ती निवेशकों से प्राप्त राशि से किया गया है, न कि वैध व्यावसायिक क्रियाकलापों से प्राप्त लाभ/आय से; निधियां क्रेडिट रैंटिंग प्राप्त किए बगैर ही जुटाई गई हैं।

सेबी द्वारा लेखापरीक्षित 56 निकायों में 2 निकायों के पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में थे, जो अब उत्तरांचल प्रदेश के भाग हैं।

(ग) और (घ) सेबी (सामूहिक निवेश योजनाएं) विनियम, 1999 15 अक्तूबर, 1999 को अधिसूचित किए गए थे। सेबी विनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुकी सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी से भिन्न कोई भी निकाय कोई सामूहिक निवेश योजना जारी नहीं रख सकता है अथवा प्रायोजित अथवा आरंभ नहीं कर सकता है। इसके साथ ही किसी भी विद्यमान सामूहिक निवेश योजना को कोई नई योजना शुरू करने अथवा निवेशकों से धन जुटाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया हो।

513 निकायों/उनके प्रवर्तकों/निदेशकों/प्रबंधकों/अपनी योजनाओं के व्यवसाय के प्रभारी व्यक्तियों को 5 वर्षों की अवधि के लिए पूंजी बाजार में कार्य करने से विवर्जित कर दिया गया है। सिविल रिट याचिका सं. 3352/98 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जनवरी, 2002 को 513 चूककर्ता निकायों और उनके निदेशकों/प्रवर्तकों के बैंक खाते तब तक सील करने का आदेश दिया है, जब तक कि वे अपने निवेशकों को वापसी-अदायगी के संबंध में सेबी के विनियमों/निर्देशों का अनुपालन नहीं करते। उन 513 निकायों के नाम और ब्यौरे प्रमुख भारतीय समाचारपत्रों नामश: इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 22 फरवरी, 2002 और बिजनेस स्टैण्डर्ड

दिनांक 23 फरवरी, 2002 में प्रकाशित किए गए थे। यह सूचना सेबी के वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने की बाध्यता

2066. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने की अपनी बाध्यताएं पूरी करने के लिए नाबार्ड चैनल का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नाबार्ड को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूरी की गई इस प्रकार की बाध्यता से किस हद तक संतुष्ट है;

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक नाबार्ड के माध्यम से पृथक-पृथक रूप से किसानों और शिल्पियों को सहायता देने से बचते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए वैकल्पिक उपायों पर विचार करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं ताकि वे अपनी प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण उपलब्ध कराने की बाध्यता को पूरा कर सकें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जिन्होंने कृषि/प्राथमिकता क्षेत्र उधार के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है, से यह अपेक्षा की जाती है कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे के सृजन हेतु राज्य सरकार को आगे उधार देने के लिए नाबार्ड के पास विद्यमान ग्रामीण आधारित विकास निधि (आरआईडीएफ) में अंशदान करें।

(ख) ग्रामीण आधारित विकास निधि (आरआईडीएफ) में अंशदान करने हेतु पिछले तीन वष4 में घरेलू अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों को कुल 13000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन की निरंतर आधार पर समीक्षा करता रहता है ताकि इस क्षेत्र को ऋण का समय पर पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि उधार सहित प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चूककर्ता गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए दो वर्ष की सीमा रेखा भी निर्धारित की है। आरआईडीएफ माध्यम का उपयोग करने से बैंकों को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने आरआईडीएफ जमाराशियों पर देय ब्याज दर को कृषि को उधार देने में बैंक के कार्यनिष्पादन से प्रतिलोमतः जोड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खाद्य एवं कृषि संसाधन क्षेत्र को उधार, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के माध्यम से कृषि एवं अत्यन्त लुघ क्षेत्र का वित्तपोषण, छोटे और सीमांतिक किसानों द्वारा भूमि की खरीद, कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लिनिकों की स्थापना, आवास वित्त आदि को शामिल करने हुए प्राथमिकता क्षेत्र उधार के क्षेत्र का विस्तार किया है।

कम्प्यूटर हार्डवेयर निर्यात हेतु विशेष निर्यात जोन (एसईजेड)

2067. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटर हार्डवेयर निर्यात बढ़ाने हेतु इस मद के लिए विशेष निर्यात जोन स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में ऐसे विशेष जोन स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कम्प्यूटर हार्डवेयर निर्यात के लिए ऐसे विशेष जोन की स्थापना हेतु आन्ध्र प्रदेश का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें क्या लक्ष्य शामिल किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता न्यायालय

2068. श्री रमेश चेन्नितला:
श्री रामटहल चौधरी:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने उपभोक्ता न्यायालय है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इन न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गए और कितने मामले निपटाए गए एवं इन मामलों में से राज्य-वार कितने मामलों में उपभोक्ताओं के विरुद्ध निर्णय दिया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में विभिन्न राज्यों में नए उपभोक्ता मंच शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों (उपभोक्ता मंचों) की संख्या विवरण-I पर दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपभोक्ता मंचों में दायर किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या की स्थिति विवरण-II में दी गई है। उपभोक्ता मंचों द्वारा जिन मामलों में उपभोक्ताओं के खिलाफ निर्णय दिए जाते है उनके बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला मंच और एक राज्य आयोग की स्थापना करना प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है।

विवरण I

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित राज्य आयोगों और जिला मंचों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित राज्य आयोग	स्थापित जिला मंच
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1	25
अरूणाचल प्रदेश	1	13
असम	1	23
बिहार	1	37
छत्तीसगढ़	0	16
गोवा	1	2
गुजरात	1	19
हरियाणा	1	19
हिमाचल प्रदेश	1	12
जम्मू और कश्मीर	1	2
झारखंड	1	18
कर्नाटक	1	23
केरल	1	14
मध्य प्रदेश	1	45
महाराष्ट्र	1	34
मणिपुर	1	8
मेघालय	1	7
मिजोरम	1	3
नागालैंड	1	8
उड़ीसा	1	31
पंजाब	1	17
राजस्थान	1	33
सिक्किम	1	4
तमिलनाडु	1	30
त्रिपुरा	1	3
उत्तर प्रदेश	1	74
उत्तरांचल	0	13
पश्चिम बंगाल	1	19
अंडमान निकोबार द्वीप	1	2
चंडीगढ़ प्रशासन	1	2
दादरा व नगर हवेली	1	1
दमण व दीव	1	2
दिल्ली	1	9
लक्षद्वीप	1	1
पॉडिचेरी	1	1

विवरण-II

राज्य आयोगों तथा जिला मंचों में दर्ज किए गए/निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग में स्थापना काल से दर्ज किए गए मामले	राज्य आयोग में स्थापना काल से निपटाए गए मामले	जिला मंचों में स्थापना काल से दर्ज किए गए मामले	जिला मंचों में स्थापना काल से निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	11903	9545	128197	113426
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	34	27	248	237
अरूणाचल प्रदेश	20	15	207	179
असम	1398	685	6567	5702
बिहार	7726	3004	48145	36408
चंडीगढ़	2946	2628	20663	17178
छत्तीसगढ़	0	0	13818	11944
दादरा व नगर हवेली	0	0	33	23
दमण व दीव	5	0	62	37
दिल्ली	17932	12984	114208	100271
गोवा	1293	1094	4047	3311
गुजरात	10450	6566	70002	52608
हरियाणा	15873	11903	98679	75860
हिमाचल प्रदेश	6067	4324	29320	24123
जम्मू व कश्मीर	3991	3444	10436	8247
झारखंड	47	0	15028	11179
कर्नाटक	10845	8511	65057	58520
केरल	15649	13655	120074	114029
लक्षद्वीप	9	9	39	97
मध्य प्रदेश	13190	10200	79458	71437
महाराष्ट्र	22345	12172	108722	88426
मणिपुर	62	41	803	774

1	2	3	4	5
मेघालय	107	66	275	234
मिजोरम	69	24	1099	911
नागालैंड	40	15	60	21
उड़ीसा	47091	41561	47091	41561
पांडिचेरी	604	565	1868	1826
पंजाब	9674	7104	55211	49330
राजस्थान	23117	10881	160610	144915
सिक्किम	20	18	127	119
तमिलनाडु	13366	9948	62426	56020
त्रिपुरा	545	216	1124	949
उत्तर प्रदेश	32800	7898	267565	200227
उत्तराचंल	0	0		
पश्चिम बंगाल	7487	5185	42806	39117

राजस्थान को ऋण और अनुदान

2069. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में राजस्थान सरकार को, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत की समेकित निधि से कानूनी उपबंधों के अधीन सिंचाई, पेयजल, परिवहन, वन और पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा आदि से संबंधित विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए दी गई धनराशि का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय संस्थानों द्वारा देश के अनेक क्षेत्रों में सुधार और उन्नति को सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान सरकार को दिए गए ऋण और अनुदान का मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी निधियों की मांग की और वास्तविक आबंटन कितना किया गया और इन योजनओं के अधीन राज्य सरकार को दी गई निधियों के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ग) दसवें और ग्यारवें वित्त आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ क्रमश: 1995-2000 और 2002-2005 अधिनिर्णय अवधियों के लिए स्तरोन्नयन, विशेष समस्याओं, स्थानीय निकायों और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विशिष्ट योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान देने की संस्तुति की है।

दसवां वित्त आयोग (टी.एफ.सी.):

दसवें वित्त आयोग ने 1995 से 2000 तक की अवधि के लिए राजस्थान को प्रशासनिक मानकों के स्तरोन्नयन/विशेष समस्याओं के लिए 149.87 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों के लिए 255.40 करोड़ रुपए और राज्य के सी.आर.एफ. में केन्द्र के हिस्से के रूप में 706.89 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी।

उपर्युक्त योजनाओं से संबंधित आबंटनों और निर्मुक्तियों का योजनावार और वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

ग्यारहवां वित्त आयोग (ई.एफ.सी.):

ग्यारहवें वित्त आयोग ने 2000 से 2005 तक की अवधि के लिए राजस्थान को स्तरोन्नयन/विशेष समस्याओं हेतु 299.85 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों के लिए 590.37 करोड़ रुपए तथा

सी.आर.एफ. में केन्द्र के हिस्से के रूप में 857.85 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। योजनावार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) एक विवरण, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण दर्शाया गया है, विवरण-III के रूप में संलग्न है,।

विवरण-I

दसवें वित्त आयोग द्वारा राजस्थान के लिए संस्तुत विशिष्ट योजनाओं हेतु अनुदान

(करोड़ रुपए में)

योजना	दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत	के दारान निर्मुक्त							
	(1995-2000)	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	योग
1. स्तरोन्नयन/विशेष समस्याएं									
अभिलेख कक्ष	7.94	-	1.18	0.00	2.66	3.26	0.00	0.00	7.11
खजानों का कप्प्यूटरीकरण	3.40	-	0.51	0.81	0.98	0.77	0.00	0.34	3.40
प्राथमिक विद्यालय-पेयजल	22.84	-	3.43	0.00	0.00	13.71	3.43	0.00	20.56
यू.पी.एस.-पेयजल	0.50	-	0.08	0.00	0.19	0.11	0.00	0.12	0.50
यू.पी.एस.-शौचालय	3.87	-	0.58	0.00	1.45	0.87	0.58	0.39	3.87
बालिका शिक्षा	23.00	-	1.86	1.11	8.71	5.57	3.45	2.29	22.99
पुलिस स्टेशन भवन	1.24	-	0.18	0.00	0.36	0.36	0.00	0.13	1.03
पुलिस प्रशिक्षण	2.89	-	0.43	0.00	1.73	0.00	0.00	0.62	2.79
पुलिस दूर संचार	5.81	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्नि सेवा	5.00	-	0.00	0.56	2.88	1.06	0.00	0.10	4.60
जेल-मरम्मत और पुनरुद्धार	2.12	-	0.00	0.24	0.72	0.95	0.11	0.10	2.12
जेल चिकित्सा सुविधाएं	1.27	-	0.00	0.14	0.00	0.49	0.64	0.00	1.27
विशेष समस्याएं	70.00	-	10.50	7.88	20.00	14.13	9.17	0.00	61.67
कुल-1	149.87	0.00	18.75	10.74	39.68	41.27	17.37	4.10	131.91
2. स्थानीय निकाय									
(1) ग्रामीण	212.22	-	53.05	39.78	53.27	62.12	-	-	212.22
(2) शहरी	43.18	-	10.80	8.10	13.49	10.79	-	-	43.18
कुल-2	255.40	0.00	63.85	47.88	66.76	76.91	0.00	0.00	255.40
3. सी.आर.एफ. में केन्द्र का हिस्सा	706.89	126.74	134.28	141.70	148.92	155.25		-	706.89

विवरण-II

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्थान के लिए संस्तुत विशेष योजनाओं के लिए अनुदान

(करोड़ रुपए में)

योजना	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत (2000-05)	के दौरान निर्मुक्त		
		2000-01	2001-02 अब तक	कुल
1		2	3	4
I. स्तरोन्नयन/विशेष समस्याएं				
1. पुलिस	42.00	4.22	12.67	16.89
(क) पुलिस स्टेशन भवन	12.00	1.21	3.62	4.83
(ख) अपराध विज्ञान प्रयोगशाला	4.13	0.42	1.25	1.66
(1) सचल अपराध विज्ञान प्रयोगशाला	3.60	0.36	1.09	1.45
(2) राज्य अपराध विज्ञान प्रयोगशाला	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) एस.एफ.एस.एल. उपस्कर	0.53	0.05	016	0.21
(ग) उपस्कर एवं शस्त्र	22.72	2.28	6.85	9.14
(घ) महिला कार्मिक	3.15	0.32	0.95	1.27
2. कारागार प्रशासन	6.00	0.60	1.81	2.41
3. अग्नि शमन सेवाएं	22.00	4.42	4.42	8.85
4. न्यायिक प्रशासन	24.07	4.84	4.84	9.68
5. राजकोषीय प्रशासन	9.00	1.81	7.19	9.00
6. स्वास्थ्य सेवाएं	24.00	4.83	4.83	9.65
7. प्राथमिक शिक्षा	28.00	2.82	8.45	11.26
8. कम्प्यूटर प्रशिक्षण	13.76	2.77	2.77	5.53
9. सार्वजनिक पुस्तकालय	7.40	1.49	1.49	2.98
10. विरासत (हैरीटेज) संरक्षण	10.00	2.01	2.01	4.02
11. टी.डब्ल्यू. संसाधनों का संवर्धन	53.62	10.78	21.57	32.35
12. विशेष समस्याएं	60.00	8.04	16.09	24.13
(क) मलिन बस्तियों का सुधार	40.00	4.02	12.07	16.09

1		2	3	4
(ख) महिला हॉस्टल	4.16	0.84	0.84	1.67
(ग) महिला सदन	0.75	0.00	0.00	0.00
(घ) नारी निकेतन	11.14	2.39	2.39	4.78
(ङ) महिलाओं के लिए आश्रय-स्थल	2.60	0.52	0.52	1.05
(च) अपराधी किशोरियों के लिए सुधार-गृह	1.35	0.27	0.27	0.54
कुल-1	299.85	48.64	88.13	136.76
II. स्थानीय निकाय				
(क) ग्रामीण	490.95	49.10	147.28	196.38
(ख) शहरी	99.42	9.94	29.83	39.77
कुल-II	590.37	59.04	177.11	236.15
III. सी.आर.एफ. में केन्द्र का हिस्सा	857.85	196.00	122.26	318.26

विवरण-III

अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा राजस्थान को दिए गए ऋण और अनुदान

(करोड़ रुपए में)

	परियोजना/एजेंसी का नाम	1998-99				1999-2000				2000-2001			
		ऋण	अनुदान	कुल	व्यय	ऋण	अनुदान	कुल	व्यय	ऋण	अनुदान	कुल	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(क) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता													
1.	समेकित जल विभाजन परियोजना	5.58	2.39	7.97	12.42	2.28	0.98	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	कृषि विकास परियोजना	32.80	14.06	46.86	71.99	34.56	14.81	49.37	49.98	41.64	17.85	59.49	22.90
3.	अरावली वनरोपण परियोजनाएं	21.35	9.15	30.50	43.61	16.52	7.08	23.60	28.45	6.97	2.99	9.95	0.00
4.	राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना	0.22	0.09	0.31	0.28	0.23	0.10	0.33	0.19	0.33	0.14	0.47	0.15
5.	बांध सुरक्षा, बांध सुधार परियोजना	11.90	5.10	17.00	25.34	26.43	11.33	37.76	27.35	1.04	0.45	1.49	0.00
6.	आई.जी.एन.पी.-II में वनरोपण एवं चारागाह विकास	10.42	4.47	14.88	18.28	6.68	2.86	9.54	20.85	13.23	5.67	18.91	15.57
7.	राजस्थान कृषि जल-निकासी अनुसंधान परियोजना	3.88	1.66	5.54	6.39	0.92	0.39	1.31	1.68	2.27	0.97	3.25	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	तकनीकी शिक्षा में सुधार	5.14	2.20	7.34	8.39	1.09	0.47	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
9.	दुर्गापुर समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना	3.96	1.70	5.66	2.59	0.65	0.28	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	ग्रामीण जल आपूर्ति योजना चरण-I	37.62	16.12	53.74	60.21	19.49	8.36	27.85	45.24	39.44	16.90	56.35	53.08
11.	राजस्थान वानिकी विकास परियोजना	14.63	6.27	20.90	34.95	20.17	8.64	28.81	31.62	14.42	6.18	20.60	21.19
12.	राजस्थान राज्य राजमार्ग परियोजना अध्ययन-टी.ए.ऋण के तहत	5.70	2.44	8.14	9.14	0.94	0.40	1.34	0.85	0.14	0.06	0.20	0.02
13.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अध्ययन	0.00	0.00	0.00	*	0.44	0.19	0.63	*	1.88	0.81	2.69	*
14.	पीपुल्स एक्शन फॉर वाटरशेट डवलपमेंट इनीशिएटिव (पी.ए.ई.डी.आई.)	0.46	2.20	0.66	1.10	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
15.	जलापूर्ति एवं सफाई अध्ययन	0.59	0.25	0.85	*	0.77	0.33	1.10	*	0.00	0.00	0.00	*
16.	नि:सरण जल वितरण प्रणाली का मूल्यांकन एवं कमी	3.37	1.45	4.82	*	0.00	0.00	0.00	*	0.17	0.07	0.24	*
17.	कमजोर वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.21	0.71	0.62	2.41	1.03	3.44	2.65
18.	छह प्रमुख नगरों में शहरी अवसंरचनात्मक विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.19	0.08	0.27	1.71
19.	जिला गरीबी पहल परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.32	1.06	5.30
20.	राजस्थान विद्युत पुनर्संरचना परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	21.00	70.00	0.00
21.	पुष्कर झील में समेकित जल विभाजक प्रबंध एवं जल संचयन	0.79	0.34	1.13	1.22	0.45	0.19	0.64	0.97	0.41	0.18	0.58	0.82
	योग-(क)	158.41	67.89	226.30	295.91	132.12	56.62	188.73	209.01	174.28	74.70	248.99	123.63
(ख)	**स्वदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता**												
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई	15.39		15.39	15.39	15.39	15.39		15.39	0.00		0.00	0.00
2.	भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई	14.69		14.69	14.69	14.69		14.69	14.69	17.63		17.63	
3.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई	108.65		108.65	108.65	110.12		110.12	110.12	201.9		201.92	201.92
4.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	5.32	0.61	5.93	5.93		11.61	11.61		8.44	0.68	9.12	9.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	एच.डी.एफ.सी.	30.00		30.00	30.00	30.00		30.00	30.00	100.00		100.00	100.00
6	हुडको	0.00		0.00	0.00	100.00		100.00	100.00	0.00		0.00	0.00
	योग-(ख)	174.05	0.61	174.66	174.66	281.81	0.00	281.81	281.81	328	0.68	328.67	328.67
	योग-(क और ख)	332.46	68.50	400.96	470.57	413.93	56.62	470.54	490.82	502.27	75.38	577.66	452.30

*ए.जी. के माध्यम से व्यय।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं

2070. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के विकास में लगे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनाई हैं;

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि दी जाती है और चालू वर्ष में इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि का विनिधान किया गया;

(ग) चालू वर्ष में अनेक गैर-सरकारी संगठनों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और अब तक सरकार द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कितने गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) भारत सरकार 1998-99 से अन्य पिछड़े वर्गों के विकास में लगे गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती रही है:

(1) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना।

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग योजना।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए 1998-99 से प्रदान की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना

वर्ष	प्रदान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1998-99	0.64	32
1999-2000	1.09	119
2000-01	1.58	77
2001-02	3.35	219

वर्तमान वर्ष के लिए कुल आबंटन 3.45 करोड़ रुपये है।

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग

वर्ष	प्रदान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1998-99	0.20	07
1999-2000	0.03	02
2000-01	0.01	01
2001-02	0.58	29

वर्तमान वर्ष के लिए कुल आबंटन 1.05 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) वर्तमान वर्ष के लिए गैर सरकारी संगठनों से 373 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा 13.3.2002 तक 277 प्रस्तावों को स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। महाराष्ट्र में अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की संख्या 59 है।

[अनुवाद]

एलटीसी पर प्रतिबंध

2071. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरनः**
श्री टी. गोविन्दनः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार से एलटीसी पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले पर कब तक निर्णय लेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) जी, हां,। पर्यटन व्यवसाय की सहायता हेतु एल.टी.सी. पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने का अनुरोध करते हुए सचिव, पर्यटन से एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस मंत्रालय द्वारा मामले पर विचार किया गया और सरकारी व्यय में मितव्ययिता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि एल.टी.सी. पर प्रतिबंध को जारी रखा जाए।

चावल का निर्यात

2072. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्करः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत द्वारा निर्यात किए गए बासमती और गैर-बासमती चावल की मात्रा और मूल्य कितना है और यह निर्यात किन देशों को किया गया है;

(ख) इस निर्यात से कितनी आय हुई;

(ग) उपर्युक्त अवधि में उत्तम गुणवत्ता के भारतीय बासमती चावल पर यूरोपियन संघ ने सीमा शुल्क में कितनी छूट दी है;

(घ) निर्यात में बढ़ोत्तरी करने और यूरोपियन संघ से सीमा शुल्क में और अधिक छूट प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) 2002-2003 के दौरान कितना चावल निर्यात करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बासमती और गैर-बासमती चावल की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैः

मात्राः मी.टन में

मूल्यः करोड़ रुपये में

वर्ष	बासमती चावल		गैर-बासमती चावल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1999-2000	638382	1780.34	1257793	1345.58
2000-01 (अ)	848919	2141.94	683194	784.16

(स्रोतः डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

बासमती चावल के निर्यात हेतु प्रमुख देश हैं-सऊदी अरब, यू के, कुवैत, यू एस ए, यू ए ई, फ्रांस आदि। गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु प्रमुख देश बंगलादेश, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यू ए ई और नेपाल आदि हैं।

निवल आय के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) सी एन कोड सं. 10062017 और 10062098 के अंतर्गत आने वाले भूंसीयुक्त (ब्राउन) बासमती चावल के आयात पर यूरोपीय संघ द्वारा 250 ई सी यू प्रति मी. टन की शुल्क रियायत दी जा रही है।

(घ) चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछेक कदमों में शामिल हैं-प्रचार अभियान, विदेशों में शिष्टमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, संभावित क्रेताओं को बुलाना और उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांड संवर्धन में सुधार के लिए तथा बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। समुचे ईयू क्षेत्र में भारतीय बासमती चावल पर न्यूनतम टैरिफ लागू है।

(ङ) वर्ष 2002-03 के दौरान चावल के निर्यातों की संभावित मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि चावल का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, उपभोक्ता अधिमान और बेची गयी किस्मों पर निर्भर करेगा।

यू.टी.आई. पर गठित तारापुर समिति

2073. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.टी.आई. के कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित एस.एस. तारापुर समिति ने केवल 58,000 करोड़ रुपये के म्युचूअल फण्ड के सीमित निजीकरण की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति की यह सिफारिश वाई.एच. मालेगाम समिति के उस सुझाव के विपरीत है जिसमें प्रायोजित कम्पनी की 60 प्रतिशत शेयर पूंजी के विनिवेश का सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तारापुर समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अब तक क्या निर्णय लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) तारापुर समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंक तीन परिसम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनियों की पूंजी का 49 प्रतिशत अपने पास रख सकता है।

(ग) मालेगाम समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम को निरस्त कर देना चाहिए। इसके अलावा, यह सुनिश्चत किया जाना चाहिए कि सरकार भारतीय यूनिट ट्रस्ट से अलग रहे।

(घ) सरकार ने दिनांक 28.12.2001 को यू.एस.-64 के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। वित्तीय पैकेज के एक भाग के रूप में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट को विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर आधारित समयबद्ध सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2074. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत दो वर्षों में आज की तिथि तक गुजरात सरकार से राज्य में विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए कितनी परियोजनाएं लम्बित हैं; और

(ङ) इसमें विलम्ब के कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) विश्व बैंक की परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम को छोड़कर जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के सभी राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) और (ग) गुजरात से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

1. एकीकृत जलसंभर विकास परियोजना
2. गुजरात जल संसाधन समेकन परियोजना
3. सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के लिए खारे पानी की रोकथाम से संबंधित परियोजना
4. गुजरात भूचाल पुनर्वास परियोजना (चरण-2)

(घ) और (ङ) एकीकृत जलसंभर विकास परियोजना विश्व बैंक के विचाराधीन है। गुजरात जल संसाधन समेकन परियोजना और सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के लिए खारे पानी की रोकथाम से संबंद्ध परियोजना को विश्व बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। गुजरात भूचाल (चरण-2) परियोजना पर शीघ्र ही बातचीत की जाएगी

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तपोषित खाद्यान्न भंडार

2075. श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का संपूर्ण खाद्यान्न भंडार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तपोषित है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण की संपूर्ण धनराशि कितनी है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के अन्न भंडार की कुल कीमत कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश के गरीबों को अत्यन्त कम मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण किए जाने से इन खाद्यान्नों का मूल्य नाटकीय ढंग से गिर जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे बैंकिंग क्षेत्र की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में पहले से ही रही वृद्धि में और बढ़ोतरी होगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को उनके नकदी प्रवाह विवरणों और खाद्य अधिप्राप्ति परिचालनों के आधार पर ऋण सीमाएं अधिकृत करता है। एफसीआई द्वारा धारित खाद्यान्न के स्टॉक का वित्तपोषण 52 बैंको के खाद्य ऋण सहायता संघ द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक अग्रणी बैंक है और इस सहायता संघ में सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के 7 बैंक तथा 18 सहकारी बैंक शामिल हैं।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 1 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार कुल खाद्य ऋण अग्रिम 55997.92 करोड़ रुपए था जिसमें भारतीय खाद्य निगम के लिए 28450.88 करोड़ रुपए, 15 राज्य सरकारों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए 27547.04 करोड़ रुपए शामिल हैं। खाद्य ऋण बकाए का बैंक-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) 31 जववरी, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न के स्टॉक का कुल मूल्य 29069.74 करोड़ रुपए था।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के अनुसार यह लागत पर स्टॉक बेचता है

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रु. में)

भारतीय स्टेट बैंक	**13367.87**	**गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक**	
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक		बैंक ऑफ राजस्थान लि.	208.22
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर	676.72	जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	496.61
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	881.37	बैंक आफ पंजाब	155.54
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	416.44	साउथ इंडियन बैंक	312.33
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	520.55	भारत ओवरसीज बैंक लि.	75.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	728.77	करूर वैश्य बैंक	75.00
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	414.76	कर्नाटक बैंक लि.	100.00
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	728.77	उप योग 7 बैंक	1422.70
उप-योग (7 बैंक)	4367.38		

सरकारी क्षेत्र के बैंक	
इलाहाबाद बैंक	1249.32
आंध्र बैंक	1093.16
बैंक आफ बड़ौदा	3175.36
बैक आफ इंडिया	2758.92
केनरा बैंक	3487.69
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2550.70
कारपोरेशन बैंक	1041.10
देना बैंक	933.21
इंडियन बैंक	1878.43
इंडियन ओवरसीज बैंक	1717.82
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1041.10
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1613.71
पंजाब नैशनल बैंक	3591.80
पंजाब एंड सिंध बैंक	726.39
सिंडिकेट बैंक	1405.49
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2238.37
यूको बैंक	1647.26
युनसइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1497.26
विजया बैंक	832.88
उप-योग (19 बैंक)	34479.97
राज्य सहकारी बैंक	
आन्ध्र प्रदेश	60.00
बिहार	25.00
दिल्ली	35.00
गोवा	25.00
गुजरात	260.00
हरियाणा	90.00
हिमाचल प्रदेश	5.00
कर्नाटक	125.00
केरल	20.00
महाराष्ट्र	110.00
मध्य प्रदेश	150.00
मेघालय	40.00
पंजाब	475.00
राजस्थान	135.00
तमिलनाडु	220.00
उत्तर प्रदेश	355.00
पश्चिम बंगाल	225.00
पांडिचेरी	5.00
उप-योग(18 बैंक)	2360.00
कुल योग	55997.92

बेनामी लेन-देन (निवारण) अधिनियम, 1988

2076. मोहम्मद शहाबुद्दीनः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बेनामी लेन-देन (निवारण) अधिनियम, 1988 कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) बेनामी लेन-देन (निवारण) अधिनियम, 1988 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को इनकी शुरूआत से ही अधिसूचित नहीं किया जा सका। विधि मंत्रालय ने अधिनियम में गम्भीर

वैधानिक खामियों का उल्लेख किया था जिनके कारण नियमों को बनाने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही थी।

(ग) चूंकि इसके कार्यान्वयन में कठिनाइयां वैधानिक और संवैधानिक प्रकृति की है, इसलिए इसके कार्यन्वयन के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विदेशी बैंकों के माध्यम से लेन-देन

2077. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम किसी बैंक के माध्यम से लेन-देन कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विदेशी बैंकों के माध्यम से लेन-देन कर रहे हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या इसके कारण, सरकारी बैंकों में जमा राशि कम हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को केवल सरकारी बैंक के माध्यम से लेन-देन करने का आदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मिर्च के लिए अलग बोर्ड

2078. **श्री वाई.वी. राव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मिर्च के लिए अलग बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लाल मिर्च सहित मसालों के विकास, अनुसंधान और विपणन/निर्यात संवर्धन की देखभाल भारत सरकार के मौजूदा संस्थानों जैसे मसाला बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पर्याप्त रूप से की जाती है।

राज्यों को विश्व बैंक से ऋण

2079. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन राज्यों को विश्व बैंक की सहायता दी जा रही है जिनका आर्थिक निष्पादन बैंक द्वारा निर्धारित मानक के स्तर का है;

(ख) यदि हां, तो किसी राज्य के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक से विश्व बैंक द्वारा निर्धारित मुख्य मानदंड क्या हैं;

(ग) बिना किसी कठिनाई के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए हाल ही में विश्व बैंक से संपर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या बैंक ने इस पर अपनी सहमति दे दी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) तदनुसार प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई पात्रता शर्त नहीं है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) महाराष्ट्र सरकार के निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन हैं:

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	स्थिति
1.	द्वितीय ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता	1656.20	विश्व बैंक द्वारा जांचाधीन/ निर्माणाधीन
2.	जल सेवाओं में सुधार	2041.50	विश्व बैंक द्वारा जांचाधीन/ निर्माणाधीन
3.	मुम्बई शहरी परिवहन-II	6871.00	वर्ष 2002 में मूल्यांकन किया गया इस पर अब बातचीत की जाएगी।

सिम कार्डों पर सेवा कर

2080. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सेल्युलर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को सिम कार्डों की कीमत पर सेवा कर का भुगतान करना होता है;

(ख) यदि हां, तो इसमें से मानक कंपनियों ने न तो उपभोक्ताओं से सेवा कर एकत्रित किया है और न ही इसका भुगतान सरकार को किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सिम कार्डों पर भुगतान किये जाने वाले सेवा कर की दर क्या है; और

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालयों के ऐसे निर्धारितियों की संख्या क्या है जिन्होनें सिम कार्डों की कीमत पर सेवा कर की वसूली नहीं की है और न ही सरकार को इसका भुगतान किया है और यह धनराशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रेनाइट का निर्यात

2081. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन सी एजेंसियों देश से ग्रेनाइट का निर्यात कर रही हैं;

(ख) ये एजेंसियां निर्यात के लिए ग्रेनाइट की खरीद किन राज्यों से कर रही हैं;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश से एजेन्सीवार कुल कितना ग्रेनाइट निर्यात किया गया;

(घ) क्या सरकार का आने वाले वर्षों में ग्रेनाइट का निर्यात बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा आयात के आंकड़े समग्र देश के लिए रखे जाते हैं, न कि राज्य-वार अथवा अभिकरण-वार। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से ग्रेनाइट तथा इसके उत्पादों का कुल निर्यात निम्नानुसार रहा है:

(मूल्य करोड़ रु. में)

1998-99	1999-2000	2000-2001
1013.11	1671.20	1954.00

(स्रोत: कैपेक्सिल)

(घ) और (ङ) ग्रेनाइट को एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात कर घोषित किया गया है और खान मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय तथा राज्यों सरकारों के परामर्श से ग्रेनाइट के बाधा मुक्त निर्यात हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं। आने वाले समय में ग्रेनाइट के निर्यात को और अधिक बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने वस्तुओं, सामग्री एवं संघटकों के उत्पादन, भंडारण, ईओयू को तथा वहां से उनकी निकासी एवं आवागमन, पर से वास्तविक नियंत्रण समाप्त कर दिया है और बाद में ग्रेनाइट ईओयू को ईओयू स्कीम के तहत शुल्क मुक्त मशीनरी, औजार तथा उपभोज्य पदार्थों के आयात की अनुमति दे दी है। इसके अलावा कैपेक्सिल, जो वाणिज्य विभाग के अधीन नोडल सरकारी निर्यात संवर्धन परिषद हैं, के द्वारा ग्रेनाइट, मार्बल तथा पत्थरों के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों/रोड़-शो का आयोजन एवं उनमें भागीदारी की जा रही है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2082. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़ी हुई आबादी के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के लाभभोगियों की संख्या 65.34 लाख से बढ़ाकर 69.34 लाख करने का अनुरोध किया है।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्नों का आबंटन योजना आयोग द्वारा गठित "गरीबों का अनुमान और संख्या संबंधी विशेषज्ञ समूह" की विधि पर आधारित वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के अनुसार किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के समय 1995 की आबादी अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का अनुमान लगाया गया था। दिसम्बर, 2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का अनुमान 1.3.2000 के आबादी अनुमानों के अनुसार लगाया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कुल संख्या 596.23 लाख से बढ़कर 652.03 लाख हो गई है।

योजना आयोग के गरीबी अनुमानों और 1.3.2000 को अनुमानित आबादी के अनुसार महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 65.34 लाख होने का अनुमान है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के अनुमान का यह आधार सभी राज्यों के लिए एक समान है और किसी अकेले राज्य के लिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

अनिवासी भारतीयों को आवास ऋण

2083. **श्री ए.पी.जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवासी भारतीय आवास कार्यों के लिए ऋण प्राप्त करने के पात्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों की ओर से आवास ऋण के लिए भारी मांग है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) ऐसी संस्थाओं, जो प्राधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापारी हैं, को अनिवासी भारतीयों को आवास ऋण प्रदान करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) इस प्रकार की किसी मांग के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

टसर रेशम का उत्पादन

2084. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टसर रेशम का उत्पादन पिछले वर्षों में घटा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में टसर रेशम के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या देश उत्तम गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन करने में असफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी नहीं। आठवीं योजनावधि की 235 मीट्रिक टन की तसर रेशम की उपलब्धि की तुलना में नौवीं योजनावधि के दौरान पूर्वानुमानित उपलब्धि 335 मीट्रिक टन तथा दसवीं योजनावधि के दौरान इसका लक्ष्य 440 मीट्रिक टन है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों के साथ हुए परामर्श से दसवीं पंचवर्षीय योजना में रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए रणनीति तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य तसर सहित शहतूती व गैर-शहतूती रेशम के उत्पादन व उत्पादकता को सहायता व सहयोग प्रदान करते हुए रेशम की गुणवत्ता वास्तविक रूप से बढ़ाना है। इन उपायों में पालन व रीलिंग क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना, बीज आपूर्ति की उन्नत प्रणालियों, तसर रोपण में विस्तार व बेहतर प्रवेश तथा उत्पादों का विविधिकरण व विकास करना आदि शामिल है। अनुसंधान व विकास के कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा राज्यों के लिए जटिल अंतनिर्विष्टियों के प्रावधान पर बल दिया गया है।

[हिन्दी]

विकिरण प्रौद्योगिकी

2085. श्री राजो सिंह:
श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कराया गया है कि कृषि उपज को बचाने के लिए फसल उत्पादों के भंडारण के बाद उनके सुरक्षा काल को बढ़ाने हेतु कई विकसित देशों में विकिरण रहित प्रौद्योगिकी का लाभप्रद उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने भंड़ारण के दौरान खाद्यान्नों और अन्य उपजों की बर्बादी को रोकने के लिए पूरे देश में इसी तर्ज पर विकिरण रहित केन्द्रों को स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या विकिरण रहित प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से सहायता मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वर्तमान में सरकार के पास सम्पूर्ण देश में किरणन केन्द्रों का नेटवर्क बनाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, भाभा परमाणु शोध केन्द्र पर विकसित प्रौद्योगिकियों पर आधारित मसालों के किरणन के लिए एक प्रदर्शनात्मक संयंत्र वाशी, नवी मुबई में काम कर रहा है और प्याज के किरणन के लिए दूसरा प्रदर्शनात्मक संयंत्र लासलगांव, नासिक, महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने, प्याज के किरणन के लिए सुविधाएं स्थापित करने हेतु निजी उद्यमियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

[अनुवाद]

कुपोषित लोगों के लिए अतिरिक्त भंडार जारी किया जाना

2086. श्री रामजी मांझी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 2002 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "व्हाई नाट प्राइवेटाइज हंगर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) समाचार की मुख्य बात यह है कि खाद्यान्नों के उपलब्ध अवधि का उपयोग काम के बदले अनाज और राहत कार्यक्रमों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों की सहायता के लिए किया जाना चाहिए।

गरीबों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

सरकार ने आबादी के निर्धन वर्ग को खाद्यान्नों का अधिशेष स्टाक उपलबध कराने के लिए निम्नलिखत उपाय किए हैं:

1.4.2000

(1) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की पात्रता को अप्रैल, 2000 से 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 20 किलाग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया था।

2.11.2000

(2) यह निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रावासों की योजनाओं सहित कल्याण योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएं।

(3) यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भिक्षु गृहों, अनाथालयों/ नारी निकेथनों आदि जैसी कल्याण संस्थाओं में रहने वालों अकिंचन व्यक्तियों की श्रेणियों को कवर करने के लिए राज्य सरकारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से रेखा से नीचे की दरों पर आबंटन हेतु खाद्यान्न उपलब्ध करवाये जाएं।

(4) यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुशंसित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं (जहां लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हो) के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जाएं।

1.12.2000

(5) गरीबी रेखा से नीचे के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 1.12.2000 से फिर बढ़ाया गया है जिसके लिए 1.3.2000 को महापंजीयक के आबादी अनुमानों को आधार बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 5.96 करोड़ से बढ़कर 6.52 करोड़ परिवार हो गई है।

25.12.2000

(6) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना अब सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल की दर पर 25 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाते हैं।

1.1.2001

(7) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2001 में 8 सूखा प्रभावित राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किए जाते हैं। बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार बाढ़ और अन्य राष्ट्रीय आपदाओं को कवर करने के लिए कर दिया गया था। जनवरी, 2001 से 7.3.2002 तक 11 राज्यों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन 39.33 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन कर दिया गया है।

29.1.2001

(8) भारत सरकार ने 29 जनवरी, 2001 को गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में वितरण करने हेतु एक लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया था।

1.5.2001

(9) भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 माह की अवधि के लिए 20 किलोग्राम प्रति

परिवार प्रति माह की दर से सूखा प्रभावित परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर) में वितरण करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर सूखा प्रभावित राज्यों को खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन किया जाए। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों को अतिरिक्त 19.53 लाख टन खाद्यान्नों का पहले ही आबंटन किया जा चुका है। बिहार सरकार को बाढ़ राहत के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दर पर 1.80 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

12.7.2000

(10) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पात्रता को 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया था।

(11) गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को निम्नानुसार कम कर दिया गया था जो 31.3.2002 तक वैद्य होंगे-

(रुपये प्रति क्विंटल)

	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
गेहूं	415	610
चावल	565	830

15.8.2001

(12) प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की गई घोषणा की थी। यह योजना 25 सितम्बर, 2001 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक वर्ष 50 लाख टन खाद्यान्नों का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। 6.3.2002 तक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन 30.82 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

2. उपर्युक्त उपायों के अलावा सरकार अन्नपूर्णा, मध्याह्न भोजन योजना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावाओं को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने जैसी कई कल्याण योजनाओं के अधीन मुफ्त/राजसहायताप्राप्त गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का वितरण कर रही है।

3. सरकार लोगों में कुपोषण उन्मूलन के लिए भी कई कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इनमें समन्वित बाल विकास सेवाएं, पोषाहार शिक्षा कार्यक्रम और प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है। 1993 में सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय पोषाहार नीति से भी बहुक्षेत्रीय नीति के माध्यम से कमजोर वर्गों में कुपोषण की समस्या को कम करने पर बल दिया है।

खाद्यान्नों के कुल उठान में वृद्धि

4 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-02 के प्रथम 10 महीनों के दौरान केन्द्रीय पूल से 230.25 लाख टन गेहूं और चावल का उठान हुआ था। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2000-01 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 136.83 लाख टन का उठान हुआ था। इस प्रकार 68.27% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के उठान में 10.98 लाख टन की कुल वृद्धि हुई है। खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) में 32.82 लाख टन की वृद्धि हुई है जबकि कल्याण योजनाओं के अधीन 22.09 लाख टन की वृद्धि हुई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि गरीबी रेखा से नीचे के उठान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जैसाकि निम्नलिखित से विदित होता है:

(आंकड़े लाख टन में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-02 (31.1.2002 तक)
गरीबी रेखा से नीचे	61.70	69.94	95.35	91.64

निःशक्त लोगों को लाभ

2087. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निःशक्त लोगों को और अधिक लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मानसिक रूप से विकलांग लोगों की सहायता के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं और उनके कल्याण के लिए कार्य करने वाले संस्थान कौन से हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए अनुदान/सहायता स्वरूप संस्थान-वार कितनी राशि व्यय की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) जी, हां। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जाने वाले उपायों का ब्यौरा दिया गया है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मानसिक मन्दता के क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों का संचालन करता है; मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए देखभाल और पुनर्वास संबंधी मॉडलों का विकास करता है; और विस्तार तथा वाह्य कार्यक्रम शुरू करता है; अनुसंधान करता है और सूचना प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मन्दता तथा बहु विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई है जो प्रभावित व्यक्तियों के अभिभावकत्व तथा देखभाल और संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देता है। निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा पुनर्वासात्मक एवं उपचारात्मक सेवाओं के प्रावधान के लिए परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजना के अंतर्गत दी गई राज्य-वार सहायता के ब्यौरे को दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता

(रु. लाख में)

राज्य का नाम	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1208.35	1283.57	1001.82
अरूणाचल प्रदेश	13	6.32	18.98
असम	30.56	40.11	14.3
बिहार	57.68	162.47	221.6
चंडीगढ़	1.42	6.57	5.22
छत्तीसगढ़		9.08	12.49
दिल्ली	679.04	649.54	484.43
गोवा	17.68	12.64	24.07
गुजरात	75.36	114.52	94.07
हरियाणा	59.51	95.44	54.84
हिमाचल प्रदेश	32.42	15.85	24.49
जम्मू और कश्मीर	7.24	12.23	4.36
झारखण्ड			7.01

1	2	3	4
कर्नाटक	571.99	640.58	600.19
केरल	442.04	483.72	496.63
मध्य प्रदेश	17.43	39.32	47.21
महाराष्ट्र	263.72	197.99	200.94
मणिपुर	57.06	56.63	53.45
मेघालय	17.41	46.38	38.05
मिजोरम	25.31	29.52	30.06
नागालैंड		2.83	0
उड़ीसा	193.96	252.26	260.27
पांडिचेरी	1.44	6.59	5.85
पंजाब	64.94	91.39	79.85
राजस्थान	88.13	93.99	149.86
सिक्किम			1.94
तमिलनाडु	325.69	396.07	370.29
त्रिपुरा	6.83	6.02	6.5
उत्तर प्रदेश	772.39	873.19	681.52
उत्तरांचल		95.85	35.18
पश्चिम बंगाल	365.53	492.52	372.54

कल्याणकारी योजनाएं

2088. श्री भर्तृहरि महताब: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कल्याणकारी योजनाएं वर्तमान में केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट न प्रस्तुत करने के कारण राज्य-वार कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) विभिन्न राज्यों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ङ) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति किए जाने की संभावना है; और

(च) गैर-सरकारी संगठनों को कल्याणकारी गतिविधियों के लिए राज्य-वार कितनी राशि प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सहायता मांगी जाती है। तथापि, विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार सहायता

मंजूर की जाती है। दिनांक 13 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित योजनाओं से संबंधित 184 प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्टें नहीं भेजे जाने के कारण लंबित थे। राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में लंबित संलग्न हैं। उनका अनुमोदन राज्य सरकारों से निरीक्षण रिपोर्टों के साथ सूचना प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

(च) सभा पटल में रखी गई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में राज्यवार ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट न भेजे जाने के कारण गैर-सरकारी संगठनों के लंबित प्रस्तावों के बारे में राज्यवार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	45
2.	असम	3
3.	बिहार	6
4.	छत्तीसगढ़	5
5.	दिल्ली	1
6.	गुजरात	2
7.	हरियाणा	7
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	कर्नाटक	11
10.	केरल	14
11.	मध्य प्रदेश	13
12.	महाराष्ट्र	16
13.	मणिपुर	3
14.	उड़ीसा	12
15.	तमिलनाडु	1
16.	उत्तर प्रदेश	26
17.	उत्तरांचल	4
18.	पश्चिम बंगाल	14
	कुल योग	184

घरेलू बचतें

2089. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान घरेलू बचतों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण है; और

(ग) घरेलू बचतों को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी किए गए आकंड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचतें वर्ष 1998-99 में सकल घरेलू उत्पाद के 21.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 (अनंतिम) में 23.2 प्रतिशत और वर्ष 2000-2001 (त्वरित अनुमान) में 23.4 प्रतिशत हो गई है।

बी.आई.एफ.आर. के जरिए रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार

2090. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
डा. जसंवतसिंह यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.आई.एफ.आर. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी इकाइयों के पुनरुद्धार की सिफारिश की गई है;

(ग) रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु राज्य-वार कितने प्रस्ताव बी.आई.एफ.आर. के पास लंबित हैं;

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु व्यापक नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) उन औद्योगिक एककों की राज्य-वार संख्या, जिनके संबंध में बीआईएफआर ने बंद करने तथा अर्थक्षम बनाने की सिफारिश की है और साथ ही जिनके मामले बीआईएफआर में लम्बित है, और अनुबन्ध के रूप में संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(घ) से (च) बीआईएफआर में पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक कंपनियों पर रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (सीका) 1985 के उपबंधों के तहत कार्रवाई जाती है। जहां कहीं व्यवहार्य होता है, अधिनियम की धारा 18 के तहत विभिन्न उपायों द्वारा इन कंपनियों को पुन: अर्थक्षम बनाने के लिए पुनर्वास योजनाएं मंजूर की जाती हैं, जिनमें पूंजी को पुनर्गठित करना, सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए सरकार सहित प्रवर्तकों द्वारा नई निधियां लगाना, अन्य कंपनियों के साथ विलय, प्रबंधन बदलना, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा राहत एवं रियायतें, राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों द्वारा देयराशि, अनुदानों के रूप में राहत एवं रियायतें आदि शामिल हैं। कंपनियां सीका की धारा 25 के तहत बीआईएफआर के आदेश के विरुद्ध एएआईएफआर के अपील कर सकती हैं और आगे संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार द्वारा उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में जा सकती हैं। हालांकि शीघ्र निर्णय के लिए प्रयास किए जाते हैं, परन्तु अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा यह बता पाना व्यवहार्य नहीं हैं।

विवरण

क्रमांक.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीआईएफआर द्वारा बंद किए जाने के लिए संस्तुत एककों की संख्या	उन एककों की संख्या जिन्हें पुन: अर्थक्षम बनाने की सिफारिश की गई हैं	पुन: अर्थक्षम बनाए जाने हेतु उन प्रस्तावों की संख्या जो बीआईएफआर के पास लंबित हैं
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	44	5	114
2.	बिहार	5	1	13
3.	चण्डीगढ़	-	-	6
4.	दादरा एवं नगर हवेली	1	-	6
5.	गोवा	1	1	6
6.	गुजरात	36	11	120
7.	हरियाणा	18	2	44
8.	हिमाचल प्रदेश	6	-	4
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	2
10.	झारखण्ड	-	-	2
11.	केरल	5	1	29
12.	कर्नाटक	18	4	64
13.	मध्य प्रदेश	24	4	59
14.	महाराष्ट्र	56	10	316

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	-	-	4
16.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9	4	99
17.	नागालैण्ड	-	1	2
18.	उड़ीसा	10	1	16
19.	पांडिचेरी	1	2	3
20.	पंजाब	16	6	79
21.	राजस्थान	20	6	46
22.	तमिलनाडु	36	16	168
23.	उत्तर प्रदेश	28	6	95
24.	उत्तरांचल	-	-	1
25.	पश्चिम बंगाल	27	9	104
26.	असम	1	-	10
	कुल	362	90	1412

फिल्मी हस्तियों की सम्पत्ति कर विवरणिका

2091. **श्री सुकदेव पासवान:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान फिल्मी हस्तियों से कितना संपत्ति कर संग्रहित किया गया;

(ख) क्या अधिकांश फिल्मी हस्तियां अपनी संपत्ति कर विवरणिकाएं दाखिल नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उन फिल्मी हस्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी सम्पति कर विवरणिकाएं दाखिल नहीं की हैं; और

(घ) उनसे संपत्ति कर वसूलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) फिल्मी हस्तियों के लिए मांगें गए धन-कर संबंधी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते क्योंकि वे कर निर्धारितियों की अलग श्रेणी में नहीं हैं। तथापि, अधिकार फिल्मी हस्तियां जो धन कर के लिए उत्तरदायी है, अपनी धन कर विवरणियां दायर कर रही हैं। साथ ही साथ यह भी सच है कि धन कर विवरणियां दायर करने वाले लोगों, जिनमें फिल्मी हस्तियां भी शामिल हैं, की संख्या में कई वर्षों से गिरावट आई हैं। इसका कारण यह है कि कर-निर्धारिण वर्ष 1993-94 से धन कर विवरणियां दायर करने के लिए छूट सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है और केवल गैर-उत्पादक परिसम्पत्तियां ही धन कर के लिए प्रभारित की जा रही है और यह भी कारण है कि उत्पादक परिसंपत्तियों जैसे बॉडों, शेयरों, प्रतिभूतियों सावधि जमाओं, आदि में निवेश करने पर धन कर से छूट प्राप्त हैं। परिणामस्वरूप, बहुत से धन-कर निर्धारिती (फिल्मी हस्तियों समेत) कर-दायरे से बाहर हो गए हैं।

तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान संग्रहीत किया गया कुल धन कर निम्नलिखित है:-

वित्त वर्ष	धन कर संग्रहण
1998-99	162.04
1999-2000	132.91
2000-2001	131.73

(घ) कर निर्धारण अधिकारी, फिल्मी हस्तियों समेत उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करते हैं जो अपनी धन-कर विवरण दायर नहीं करते है तथापि धन कराधेय सीमा से अधिक होता है।

चाय की बागवानी में कमी

2092. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात बाजार में अनिश्चितता के कारण कई चाय उत्पादक चाय की बागवानी कम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चाय बोर्ड की जानकारी में यह बात आई हैं;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार है कि चाय बागानों को अन्य फसलों के उत्पादन के लिए न प्रयोग किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हालांकि उपजकर्ताओं द्वारा फसल के चयन का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होता है फिर भी सरकार ने चाय उपजकर्ताओं की मदद करने के प्रयोजन से विभिन्न उपाए किए हैं जिनमें शमिल हैं-

* विशेष रूप से पुनर्रोपण और चाय बागान के नवीकरण को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से आयकर अधिनियम की धारा 33 एबी के अधीन छूट को 20% से बढ़ाकर 40% करना।
* बजट 2002-2003 में चाय पर उत्पाद शुल्क को 2 रु. प्रति किग्रा से घटाकर 1 रु. प्रति किग्रा करना।
* चाय बोर्ड द्वारा देश में अच्छी गुणवत्ता वाली परंपरागत चाय और गैर रिकंडिसंन्ड सी टी सी चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक फैक्ट्री उन्नयन योजना लागू करना।
* सरकार द्वारा निर्यातकों को हैंडलिंग, पैकेजिंग लागत, परिवहन/ढुलाई प्रभारों के एक हिस्से को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु एक योजना शुरू करना।
* सार्वजनिक चाय नीलामियों के जरिए चाय के 75% उत्पादन की बाध्यकारी बिक्री की शर्त को समाप्त करने के लिए चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश, 1984 में संशोधन किरना। इससे चाय के उत्पादन सार्वजनिक नीलामियों के जरिए किसी भी मात्रा में चाय की बिक्री के लिए स्वतंत्र हैं।
* देश के भीतर चाय की खपत बढ़ाने के लिए व्यापक संवर्द्धन अभियान शुरू करना।
* चाय के आयात पर मूल सीमा शुल्क को 70% से बढ़ाकर 100% करना जैसकि बजट 2002-2003 में घोषणा की गई है।
* चाय बोर्ड द्वारा अगले पांच वर्षों के लिए चाय के लिए एक मध्यावधि निर्यात योजना बनाना; इस काम पर एक परामर्शदाता मै. एक्सेंचर को लगाया गया है;
* 100% निर्यातोन्मुख एककों (ई ओ यू) और निर्यात प्रसंस्करण जोनों (ई पी जेड) में स्थित एककों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में चाय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना।

मत्स्यन क्षेत्र के लिए पृथक बैंक

2093. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछुआरों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त ऋण नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार मत्स्यन क्षेत्र के लिए पृथक और विशिष्ट बैंक शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी स्थायी मार्गनिर्देशों के अनुसार किसानों को मत्स्यन सहित संबद्ध कार्यकलापों के लिए अल्पावधि वित्त और मत्स्यन के सभी पहलुओं से विकास हेतु मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त माना जाता है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसानों को मत्स्यन कार्यकलापों के लिए पर्याप्त

ऋण दें। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून 2000 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 'मत्स्यन' के लिए 292.16 करोड़ रुपए के ऋण संवितरित किए हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने हेतु उठाए जाने वाले कदम

2094. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों को उपभोक्ता जागरण का प्रसार करने में शामिल किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सरकार द्वारा लोगों को उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सम्पूर्ण देश में उपभोक्ता जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने श्रव्य, दृश्य और प्रिंट मीडिया के जरिए प्रचार कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा भी उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं जिसके लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

(ग) जी, हां।

(घ) उपभोक्ता कल्याण कोष से पात्र स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता फैलाने और उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए जाने वाली गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। ऐसे संगठनों को 481 अनुदान दिए जा चुके हैं। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली "उपभोक्ता जागरण" नामक त्रैमासिक पत्रिका को नियमित आधार पर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को निःशुल्क वितरित किया जाता है। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और अन्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सलाहकार समिति में भी नामित किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जापान द्वारा अंगूर के आयात पर प्रतिबंध

2095. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मंत्रालय के संगरोध विभाग और ए.पी.ई.डी.ए. का प्रतिनिधित्व करने वाले शिष्टमंडल ने भारत से अंगूर के आयात पर से प्रतिबंध हटाने सहित अन्य मुद्दों पर जापानी संगरोध प्राधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए अक्तूबर, 2000 के दौरान जापान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान सरकार ने शिष्टमंडल को भारत में अंगूर की पैदावार वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए संगरोध निरीक्षकों का दल भेजने के लिए आश्वस्त किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या जापान को अंगूर का निर्यात शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो सरकार द्वारा जापान सरकार के साथ मामले पर आगे बातचीत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) संगरोध विभाग, कृषि मंत्रालय तथा एपीडा का प्रतिनिधित्व करने वाले शिष्टमंडल ने आमों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने की विशिष्ट कार्यसूची के साथ जापान का दौरा (3-6 अक्तूबर, 2000) किया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा

2096. श्री रामदास आठवले:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री सुबोध मोहिते:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है;

(ख) देश से किन-किन कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) क्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 1 प्रतिशत है।

(ख) निर्यात की गई कृषि मदों में शामिल हैं:- अनाज, कुक्कुट एवं डेयरी उत्पाद, पुष्पोत्पाद, अविनिर्मित एवं विनिर्मित तम्बाकू, मसाले, चीनी, शीरा, काजू, तेल खाद्य एवं तिलहन, चमड़ा, फूल एवं सब्जियां, मांस एवं इससे बनी वस्तुएं, कपास, चाय और काफी इत्यादि।

(ग) से (ङ) निर्यात निष्पादन की देश-वार तुलना करना कठिन है। सरकार अपनी एजेंसियों जैसे कि वस्तु बोर्डों, प्राधिकरणों आदि के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यात के संवर्धन हेतु वित्तीय व अन्य सहायता के स्वरूप में अनेक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

[अनुवाद]

यूनिट-64

2097. श्री नरेश पुगलिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 30 जून, 2001 को समाप्त हुए वर्ष हेतु यूनिट स्कीम 1964 (यू.एस.-64) के अंतर्गत लाभांशों की घोषणा और संवितरण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में लघु यूनिट धारकों ने इसी योजना में लाभांश के पुनः निवेश का विकल्प चुना था;

(घ) यदि हां, तो क्या इन यूनिट धारकों को प्रथानुसार राशि के पुनः निवेश हेतु यूनिटें जारी की गई हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यूनिट-धारकों को कब तक यूनिटें आवंटित कर दिए जाने की सम्भावना है जिसके लिए वे अधिकृत हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कताई मिलों की स्थापना

2098. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश के सहकारी क्षेत्र में राज्य-वार कितनी कताई मिलें हैं;

(ख) क्या इन मिलों के पास हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है;

(ग) क्या सरकार का देश में नई मिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थान-वार और राज्य-वार ऐसी कितनी मिलों को स्थापित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) 31.12.2001 तक की स्थिति के अनुसार देश में सहकारी क्षेत्र में सूती/मानव निर्मित फाइबर मिलों (गैर एस.ए.एस.आई.) की संख्या के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहकारी कताई मिलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	11
असम	1
बिहार	3
गुजरात	4
कर्नाटक	12
केरल	5

1	2
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	67
उड़ीसा	6
पंजाब	7
राजस्थान	4
तमिलनाडु	18
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	2
पांडिचेरी	2
कुल	155

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्र की कताई मिलों सहित ये मिलें हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योगों को यार्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम हैं।

(ग) और (घ) सरकार देश में मिलों की स्थापना नहीं करती है। इस संबंध में सरकार की भूमिका एक सुसाधक के रूप में है। सरकार विभिन्न योजनाओं और नीतियों द्वारा कताई मिलों सहित वस्त्र मिलों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है।

सेवा-कर के चूककर्त्ता

2099. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेवा-कर देने में चूक करने वालों को दण्डित करने के लिए कठोर प्रावधान लाभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या प्रावधान बनाए गए हैं; और

(ग) इन प्रावधानों के अंतर्गत लाई जा रही सेवाओं के दाम और उनकी संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सरकार ने वित्त विधेयक 2002 में सेवा-कर देने में चूक करने वालों को दण्डित करने के लिए कोई नये प्रावधानों का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

चीनी मिलों को ऋण

2100. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अनुसंधान और विकास के लिए चीनी विकास कोष से चीनी मिलों को ऋण जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र की चीनी मिलों से ऋण की मांग करते हुए बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा कब तक अनुमति दे दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार अनुसंधान विकास के लिए चीनी फैक्ट्रियों को चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर नहीं करती है। केन्द्र सरकार चीनी उद्योग के किसी पहलू के संबंध में प्रोन्नयन और विकास के लिए अनुसंधान करने हेतु चीनी उद्योग से संबंधित संस्थापित संस्थानों को चीनी विकास निधि से अनुदान के भुगतान को प्राधिकृत करती है।

केन्द्र सरकार चीनी फैक्ट्रियों को (1) उनके क्षेत्र में गन्ना विकास के संबंध में, और (2) उनके प्लांट और मशीनरी के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापना के लिए चीनी विकास निधि से ऋण के भुगतान को भी प्राधिकृत करती है।

(ग) से (ङ) 1.4.2000 से आज की तारीख तक की अवधि में आधुनिकीकरण के लिए ऋण लेने हेतु 9 चीनी फैक्ट्रियों से आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7 आवेदनों के संबंध में ऋण मंजूर कर दिए गए हैं और 2 आवेदनों की जांच की जा रही है। इसी अवधि के दौरान गन्ना विकास के लिए 26 चीनी फैक्ट्रियों से आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 20 आवेदनों के बारे में आवेदक चीनी उपक्रमों से और सूचना/ब्यौरे मंगाए गए हैं, 2 आवेदनों के मामले में ऋण मंजूर कर दिए गए हैं और 4 आवेदनों के मामले में ऋण मंजूरी के आदेश जारी किए जा रहे हैं।

बैंकों द्वारा विदेशों से प्राप्त राशि

2101. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के विभिन्न बैंकों द्वारा खाड़ी देशों, यथा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत इत्यादि से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ख) गत अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के विभिन्न बैंकों द्वारा कनाडा और संयुक्त राज्य अमरीका से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वर्ष 1998, 1999 एवं 2000 में आंध्र प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा (1) खाड़ी के देशों एवं (2) कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त कुल राशि (गैर-निर्यात) निम्नलिखिन हैं:-

हैदराबाद ई.सी.डी.आर.ओ. में कुल गैर-निर्यात प्राप्ति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	खाड़ी के देशों से	सं.रा. अमरीका एवं कनाडा से
1998	44.9660	1030.3789
1999	31.1616	1204.0804
2000	35.6793	1709.8097

बीमा पैनल का प्रतिवेदन

2102. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा पैनल ने शुल्क सलाहकार समिति को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निम्न गुणवत्ता वाली चीनी का आयात

2103. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन द्वारा चीनी उद्योग को राजसहायता पर रोक लगाने पर भी चीन, ब्राजील, थाईलैंड और पाकिस्तान जैसे देश अपने चीनी उद्योग को राजसहायता दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों से निम्न गुणवत्ता वाली और सस्ती चीनी आयातित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप घरेलू चीनी उद्योग कठिनाई का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो घरेलू चीनी उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) चीन हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना है। उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन चीनी के लिए कोई उत्पाद विशिष्ट समर्थन प्रदान नहीं करता है और उसने कृषि उत्पादों पर निर्यात राजसहायता देने अथवा लागू न करने का वचन भी दिया है। ब्राजील, थाईलैण्ड और पाकिस्तान में से कृषि संबंधी विश्व व्यापार समझौते की शर्तों में केवल ब्राजील ने निर्यात राजसहायता के संबंध में कमी करने का वचन दिया है। तथापि, 1995-98 के दौरान (वह अद्यतन अवधि जिसके लिए सूचना उपलब्ध है) निर्यात राजसहायता के दौरान निर्यात राजसहायताओं का उपयोग शून्य था। विश्व व्यापार संगठन के दस्तावेजों के अनुसार इस अवधि के दौरान पाकिस्तान और थाईलैण्ड ने चीनी के लिए निर्यात राजसहायता प्रदान नहीं की है। भारत सरकार की निर्यात आयात नीति के अनुसार चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस पर है। आयात की खुला सामान्य लाइसेंस की मद होने के कारण व्यक्तिगत व्यापारी, फर्म, निजी

अथवा सरकारी क्षेत्र की कंपनियां अपने बेहतर वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर चीनी का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, उनके लिए वाणिज्यिक मंत्रालय के अपेडा के पास चीनी के आयात हेतु अपने ठेकों को पंजीकृत करना अपेक्षित होता है। चीनी के आयात पर रोक लगाने के लिए सरकार ने चीनी के आयात पर 9.2.2000 से 850 रुपये प्रति टन का प्रति शुल्क जारी रखते हुए आयात शुल्क को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप चीनी के आयात में अपर्याप्त गिरावट आई है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्ग का पुनर्वास

2104. श्री राजो सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाज के कमजोर वर्गों के पुनर्वास हेतु बिहार, असम और मेघालय के विभिन्न जिलों में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु चुने गए जिलों की संख्या कितनी है तथा गत दो वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए कितनी राशि जारी हुई;

(ग) उक्त राज्यों के शेष जिलों को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कब तक सम्मिलित किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बिहार, असम और मेघालय सहित सभी राज्यों को शामिल करते हुए 1999-2000 में शुरू की गई राज्य क्षेत्र योजना है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों को इस योजना के अंतर्गत जिलों का चयन करने की छूट है। योजना के अंतर्गत अतिरिक्त जिलों को शामिल करना, प्रदान किए गए वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल किया गया जिला	के दौरान निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)	
			2000-2001	2001-2002
1.	बिहार	भागलपुर, गया मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण	322.25	251.75
2.	असम	-	260.30	203.90
3.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ियां, पश्चिम खासी पहाड़ियां	136.4	108.02

[अनुवाद]

आयात/निर्यात के अधिक मूल्य के बीजक बनाना

2105. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री अम्बरीश:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में आयात/निर्यात के अधिक मूल्य के बीजक बनाकर शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा कई करोड़ रुपयों के धनशोधन संबंधी घोटाले का राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा भण्डाफोड़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन इकाइयों द्वारा किए गए कुल निर्यात सहित इस विषय में ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इकाइयों द्वारा क्या तरीका अपनाया गया;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस विषय में कोई जांच करायी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे सरकार को कितनी राशि का घाटा उठाना पड़ा;

(च) आरोपी व्यक्तियों/कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी; और

(छ) इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल में आयात और निर्यात के अधिक मूल्य के बीजक बना कर शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई द्वारा धनशोधन संबंधी कई करोड़ रुपयों के घोटाले का कोई मामला दर्ज नहीं किया है/जांच नहीं की है।

(ख) से (छ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

कॉफी उत्पादकों को धनराशि

2106. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के आदिवासी किसानों को छोटे भूखंडों पर कॉफी उत्पादन हेतु आर्थिक सहायता देने की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या कॉफी बोर्ड ने कॉफी की खेती हेतु आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी घाट पर कुछ क्षेत्रों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आदिवासी किसानों को कॉफी उगाने हेतु कितनी आर्थिक सहायता दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस कार्य में कोई बैंक भी संलग्न है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। कॉफी बोर्ड ने पूर्वी घाटों में कॉफी के विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्र के रूप में विशाखापत्तनम के एजेंसी ट्रेक्स, पूर्वी गोदावरी के मरेदूमिल्ली मंडल और विजियानगरम में पचिपेन्टा मंडल को अभिज्ञात किया है।

(ग) 10वीं योजना के लिए समेकित जनजातीय विकास एजेंसी (आई.टी.डी.ए.), पडेरू के परियोजना प्रस्ताव के अनुसार कॉफी बोर्ड द्वारा प्रदत्त तकनीकी सहायता 24000 हे. क्षेत्र को कॉफी के विस्तार के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। आई.टी.डी.ए. के परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित परिव्यय 144 करोड़ रु. का है। इसके अलावा, कॉफी बोर्ड का यह भी प्रस्ताव है कि कॉफी के उत्पादन व उत्पादकता में सुधार के लिए इमदाद और योजना के तहत गुणवत्ता उन्नयन हेतु 5000 रु. प्रति है. की दर से इमदाद प्रदान करते हुए गहन खेती के तहत 6000 प्रति हे. को शामिल किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। आई.डी.टी.ए. परियोजना के ऋण संबंधी मद को राष्ट्रीय अनु. जनजाति वित्त विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) द्वारा पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। एन.एस.टी.एफ.डी. ने जनजातीय लाभार्थियों को 10000 रु./हे. की दर से 24 करोड़ रु. तक की ऋण सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

भारतीय स्टेट बैंक

2107. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी संपत्तियों पर लगी 20 प्रतिशत की सीमा से जी.डी.आर. संपत्तियों को मुक्त रखने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक की इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रभावित करने वाले इस प्रकार के नियमों में ढील देने का है;

(घ) इस प्रस्ताव के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों पर सरकारी नियंत्रण के किस सीमा तक कम हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इससे बैंकों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह प्रस्ताव सरकार को अग्रेषित कर दिया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

लघु ऋण योजना

2108. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु ऋण योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कितनी आर्थिक सहायता दी गयी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, सफाई कर्मचारियों, विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों द्वारा इन वर्गों के व्यक्तियों के लाभार्थ उनके स्वरोजगार तथा सतत आर्थिक विकास के लिए लघु ऋण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) गत दो वर्षों अर्थात् 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान 47,663 लाभार्थियों को 2932.41 लाख रु. की राशि निर्मुक्त की गई। राज्यवार विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गत दो वर्षों अर्थात् 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान लाभार्थियों की संख्या तथा सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त धनराशि (रु. लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13947	837.34
2.	असम	349	35.60
3.	दिल्ली	160	13.00
4.	गोवा	10	1.00
5.	गुजरात	3538	238.63
6.	कर्नाटक	4889	413.90
7.	केरल	191	19.05
8.	लक्षद्वीप	1000	100.00
9.	मध्य प्रदेश	2605	205.50
10.	महाराष्ट्र	980	75.00
11.	मणिपुर	250	17.05
12.	मेघालय	2075	207.50
13.	मिजोरम	50	5.00
14.	उड़ीसा	906	45.95
15.	राजस्थान	313	23.80
16.	सिक्किम	200	5.00
17.	तमिलनाडु	3863	268.50
18.	उत्तर प्रदेश	12647	457.58
19.	पश्चिम बंगाल	475	17.25
	कुल	47663	2932.41

[हिन्दी]

विदेश यात्रा

2109. श्री रामदास आठवले: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा किन-किन देशों की यात्रा की गयी;

(ख) इन यात्राओं के देशवार उद्देश्य क्या थे; और

(ग) इन प्रत्येक यात्राओं पर कितना खर्च आया और इन यात्राओं की क्या उपलब्धियां रही?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) विगत दो वर्षों के दौरान, वस्त्र मंत्री जी ने दिनांक 9 से 15 फरवरी, 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्राजील और दिनांक 5 से 11 नवम्बर, 2000 को आस्ट्रेलिया का दौरा किया।

(ख) पटसन उत्पादों पर ब्राजील सरकार द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क पर चर्चा करने, अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी तथा कोको संघ के कार्यसूची में भारतीय खाद्य श्रेणी पटसन पैकेजिंग सहित

भारत व आस्ट्रेलिया के मध्य ऊन व्यापार के संवर्धन तथा विकास और ऊन विकास के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में द्विपक्षीय संधि के संवर्धन के मामले पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चर्चा के लिए क्रमशः ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया का दौरा किया था।

(ग) ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे के लिए कुल 4,22,446 रुपए व्यय हुए थे और आस्ट्रेलयि के दौरे के लिए कुल 1,81,821 रुपए व्यय हुए थे। इन किए गए दौरे की उपलब्धियां क्रमशः निम्नलिखित है:-

(1) ब्राजील प्राधिकारी पटसन उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के मामले पर पुनः विचार के लिए सहमत हो जाए।

(2) संयुक्त राज्य अमेरिका प्राधिकारियों के साथ हुई चर्चा से दो संघों की कार्यसूची में भारतीय खाद्य श्रेणी पटसन पैकिंग से संबंधित मदों को शामिल करने में सहायता मिली है।

(3) दो देशों के बीच ऊनी उत्पादों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के क्षेत्र में द्विपक्षीय संधि में सुधार तथा ऊनी उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने में आस्ट्रेलिया दौरे से मदद मिली है।

[अनुवाद]

बीमा पालिसी संबंधी कागजात

2110. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न बीमा कंपनियों की बीमा पालिसियों के खण्डों के सही अर्थ को समझने में आम आदमी को कठिनाई होती है;

(ख) क्या हमारे देश में हाल ही में स्थापित कुछ निजी बीमा कंपनियां अपनी सभी पालिसियों को साधारण अंग्रेजी में व्याख्या करने की योजना बना रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भी इसी प्रकार सरकारी बीमा कंपनियों के बीमा कागजात को साधारण अंग्रेजी में बनाने के लिए विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूचित किया है कि विभिन्न बीमा कंपनियों की बीमा पालिसियों के खण्ड अन्तर्राष्ट्रीय मानक स्वरूप के हैं और वह अभिप्राय सम्प्रेषित करते हैं जिन्हें सम्पूर्ण विश्व में स्वीकार किया जाता है। बीमा पालिसियों में ऐसा कोई प्रच्छन्न अर्थ अथवा ऐसा कुछ नहीं होता जिसे एक सामान्य व्यक्ति द्वारा न समझा जाए। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की बीमा कंपनियों ने टैरिफ उत्पादों के कवरेज के क्षेत्र में कोई रद्दोबदल किए बिना पालिसियों/उनकी भाषा आदि को सरल बना दिया है।

(ख) बाजार में गैर-टैरिफ क्षेत्र में नए उत्पादों को प्रारम्भ करते समय बीमा कंपनियां बीमा पालिसियों में सरल शब्दावली का प्रयोग कर रही हैं। टैरिफ क्षेत्र में कोई बीमा कंपनी टैरिफ परामर्शदात्री समिति (टीएसी)/आई.आर.डी.ए. की पूर्व अनुमति के बिना मानक पालिसियों की शब्दावली में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती।

(ग) और (घ) राज्य से स्वामित्वाधीन बीमा कम्पनियों ने भी वैयक्तिक लाइनों तथा ग्रामीण बीमा उत्पादों में सरलीकृत दस्तावेज तथा सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। सरलीकृत की गयी कुछ पालिसियां हैं-हाउस होल्डर्स बीमा पालिसी; शापकीपर्स बीमा पॉलिसी; जनता वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी और मवेशी बीमा पालिसी आदि।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चाय की खपत

2111. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चाय की खपत में 6 प्रतिशत की कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसकी घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा कंपनियों के लिए जोखिम आधारित पूंजी

2112. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का विचार बीमा कंपनियों के लिए जोखिम आधारित पूंजी शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह निष्पादन को सुधारने में किस हद तक सहायक सिद्ध होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है उसने जोखिम आधारित पूंजी की अवधारणा को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है जो बीमा कंपनियों के परिसम्पत्ति जोखिम, हामीदारी जोखिम तथा कारोबार जोखिम को दूर करके दिवालियापन के जोखिम को न्यूनतम करेगा।

कताई मिलों द्वारा भुगतान न किया गया शुल्क

2113. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री अम्बरीश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कताई मिलें अपनी छूट सीमा से अधिक मूल्य के सूती धागे शुल्क दिए बिना बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार, मिलवार और वर्ष-वार इस प्रकार की कितनी इकाइयां अपनी छूट सीमा से अधिक मूल्य के सूती धागे शुल्क दिए बिना बेचते हुए पायी गयी;

(ग) इस कारण सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा; और

(घ) इस प्रकार की कम्पनियों/मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार, मिल-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) गत तीन वर्षों (1999-2000 से 2001-2002) (दिसम्बर, 2001 तक) में अंतर्ग्रस्त शुल्क की राशि 551.55 लाख रुपये है।

(घ) शुल्क अपवंचन का पता लगने पर उचित कानूनी कार्रवाई करके शुल्क की वसूली की जाती है।

विवरण

वर्ष	राज्य	मिल	अंतर्ग्रस्त शुल्क (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1999-2000	आंध्र प्रदेश	प्रूडेंशियल स्पिन्नर्स लि.	6.00
	पंजाब	सुभाष इंडस्ट्रीज	0.58
		करण काट्स्पिन	0.14
		जिन्दल स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स	2.11
		सूर्या काट्स्पिन	13.5
	तमिलनाडु	नल्लम टेक्सटाईल्स	2.32
		रेणुगादेवी टेक्सटाईल्स	1.04
		श्री माधव लक्ष्मी मिल्स	5.72

1	2	3	4
		श्री वेंकेटेश्वर टेक्स्टाईल्स	0.97
		वेलावन स्पिन्नर्स	0.59
		श्री रचना विनायका स्पिन्नर्स	1.49
		वेंटेक्स	1.00
		सेल्वागणपति टेक्स्टाईल्स	72.00
		गंगा श्री टैक्स्टाईल्स	0.47
		आर.वी.एम. टेक्स्टाईल्स लिमिटेड	0.05
		आर.वी.एम. टेक्स्टाईल्स (प्रा.) लि.	0.15
		पुल्लिकर मिल्स लिमिटेड	35.12
		लॉन टेक्स्टाईल्स	9.45
		गुरु विजया लक्ष्मी मिल्स	3.55
		सेल्वापथी स्पिनिंग मिल्स	2.59
		सिंगारावेलर स्पिनिंग मिल्स	12.13
		रमानी टेक्स्टाईल्स मिल्स (प्रा.) लि.	2.82
		परमेश्वरन स्पिनिंग मिल्स	1.01
		सबिता स्पिनिंग मिल्स	0.07
		गुरुवयूरप्पन टेक्सटाईल्स	1.49
		गंगाश्री टेक्सटाईल्स	5.50
		सेरोलैक्स स्पिनर्स	·0.11
		श्री गणपथी मुरुगन स्पिनिंग मिल्स	3.09
		संगमित्रा कॉटन मिल्स	2.05
		सेल्वापथी मिल्स	2.58
		कलायमनी स्पिनिंग मिल्स	0.58
		गुरु विजयालक्ष्मी	3.15
		वेलावन स्पिनिंग मिल्स	0.59
		अनंगूर टेक्सटाईल्स मिल्स	1.02
		थाम्बी माडर्न स्पिनिंग मिल्स यू I	0.58
		थाम्बी माडर्न स्पिनिंग मिल्स यू II	3.00
		एन आर यू स्पिनिंग मिल्स	2.68
		सेल्वागणपति टेक्स्टाईल	30.00
		मूकाम्बीकाई टैक्सटाईल्स	2.08

1	2	3	4
		वी वी एस टेक्सटाईल्स	1.48
		श्री रत्ना विनायगा रोटो स्पिनर्स	1.50
		रमानी टैक्स मिल्स	2.82
		श्री परमेश्वरी स्पिनिंग मिल्स	0.93
		मरूधामलाल श्री थंडापानी स्पिनिंग मिल्स	1.78
		वी एन के टेक्सटाईल्स	0.19
	उत्तर प्रदेश	बिन्दल टैक्सफैब	15.09
	उत्तरांचल	बिन्दल टैक्सफैब	3.48
		कुल	260.64
2000-2001	आंध्र प्रदेश	ककाटिया टैक्सटाईल्स	109.51
		कृष्णा गंगा स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	40.26
		अनंधलक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स	34.94
		वेंकटाराया टैक्सटाईल्स	15.88
	पंजाब	सूर्या काटस्पिन	8.68
	कर्नाटक	श्री मनेसर टेक्स्टाईल्स मिल्स	63.21
	तमिलनाडु	श्री धनलक्ष्मी टेक्सटाईल्स	0.06
		टी.एम. टेक्स्टाईल्स (प्रा.) लि.	0.07
		श्री पालिनीयांदावर टेक्स्टाइल्स	0.12
		श्री अम्मान कन्वर्सन्स	0.22
		विजय स्पिनर्स	3.16
		नियो इन्टेक्स टेक्स्टाइल्स मिल्स	11.22
		राजकुमार कारपोरेशन	1.58
		गंगाश्री टेक्सटाइल्स	0.47
		श्री धनलक्ष्मी टेक्सटाईल्स	1.08
		वी.एन.के. टेक्सटाईल्स	0.45
		कुल	290.91
2001-2002 (दिसम्बर तक)	शून्य		

[हिन्दी]

एन.सी.डी.सी. को प्राप्त हुए प्रस्ताव

2114. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में विशेषकर इचलकरांजी और कोल्हापुर में नए विद्युत करघों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु वहां की सरकार से सरकार/एन.सी.डी.सी. को कितने प्रस्ताव मिले;

(ख) अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और अभी कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) क्या उन प्रस्तावों को मंजूरी देने के मामले में किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों की शीघ्र मंजूरी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), नई दिल्ली जो कि कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है, चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने नई विद्युतकरघा सहकारी समितियों के आठ प्रस्तावों की इससे वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश की है। उपरोक्त आठ प्रस्तावों में से दो में से एक सादे विद्युतकरघा वाले वर्कशेड स्थापित करने के लिए और अन्य कोल्हापुर जिले के करघापूर्व प्रसंस्करण एकक के लिए है (जिनमें इचलकरांजी का एक प्रस्ताव शामिल है)। मार्च, 2001 में सरकार ने 21 प्रस्तावों की सिफारिशें की थी जिनमें से कोल्हापुर जिले में विद्युतकरघा सहकारी समितियों के लिए 19 प्रस्ताव शामिल (इचलकरांजी के एक प्रस्ताव सहित) हैं।

वर्ष 2001-2002 के दौरान, एन.सी.डी.सी. ने शटलरहित करघों वाले (1) वर्कशेड और (2) सरकुलर निटिंग एकक की स्थापना करने के लिए तीन नई विद्युतकरघा सरकारी समितियों को सहायता की स्वीकृति प्रदान की है। एन.सी.डी.सी. द्वारा हैंड स्टैंटर प्रोसेस संबंधी एक प्रस्ताव पर उसके कम उत्पादकता वाले होने के कारण विचार नहीं किया। बाकी प्रस्ताव की जांच चल रही है और राज्य सरकार के परामर्श से उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। शेष 35 प्रस्तावों में से एन.सी.डी.सी. ने 22 प्रस्ताव अतिरिक्त सूचना मांगने अथवा निर्धारित प्रौद्योगिकी के पूरा न होने के कारण लौटा दिये हैं। शेष 13 प्रस्ताव एन.सी.डी.सी. के पास निर्णय के लिए अंतिम चरण पर हैं।

(ग) और (घ) एन.सी.डी.सी. ने आगे यह भी बताया है कि प्रस्ताव की स्वीकृति में कोई अनियमितता ध्यान में नहीं आयी है। यह मंत्रालय किसी भी प्रकार की अनियमितता के बारे में अनभिज्ञ है।

(ङ) एन.सी.डी.सी. प्रस्ताव पर राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती कार्य कर रहा है। एन.सी.डी.सी. द्वारा प्रस्ताव पर कार्रवाई गुणावगुण आधार पर की जायेगी बशर्ते निधियां उपलब्ध हो और महाराष्ट्र सरकार से सूचना/स्पष्टीकरण शीघ्र प्राप्त हो जाये।

[अनुवाद]

एक समान गन्ना मूल्य नीति

. **2115. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एक समान गन्ना मूल्य नीति को अभी भी अंतिम रूप देना है;

(ख) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहे गन्ना मूल्य की तुलना में हरियाणा के किसानों को गन्ना के अधिकतम न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) केन्द्र सरकार प्रत्येक मौसम के लिए गन्ना उत्पादकों को चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। सांविधिक न्यूनतम मूल्य, जो 8.5 प्रतिशत के रिकवरी स्तर से संबद्ध होता है, एक-समान होता है। केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रीमियम 8.5 प्रतिशत की रिकवरी से ऊपर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के लिए देय होता है।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार ने चीनी मौसम 2001-2002 के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 62.50 रुपये प्रति क्विंटल के एक-समान स्तर पर अधिसूचित किया है, जो 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से संबद्ध है। इस स्तर से ऊपर की रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट वृद्धि के लिए 73 पैसे का प्रीमियम निर्धारित है। इस आधार पर हरियाणा में चीनी फैक्ट्रियों के लिए अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मूल्य की रेंज 64.24 रुपये प्रति क्विंटल से 75.92 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित चीनी फैक्ट्रियों के लिए यह रेंज 62.05 रुपये प्रति क्विंटल से 81.76 रुपये प्रति क्विंटल है। सांविधिक न्यूनतम मूल्य में यह भिन्नता रिकवरी प्रतिशत में भिन्नता होने के कारण है।

कपास की खरीद

2116. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कपास निगम कपास की खरीद में उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय कपास निगम द्वारा, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, उत्पादकों के पास पड़े कपास के भण्डारों को क्रय करने के लिए और अधिक गोदाम निर्मित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) भारतीय कपास निगम लि. (सी.सी.आई.) ने उपजकर्त्ताओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मूल्य समर्थन प्रचालन के अंतर्गत कपास उपजाने वाली सभी राज्यों (महाराष्ट्र को छोड़कर) में बिना किसी मात्रा संबंधी प्रतिबंध के पहले से ही कपास की खरीददारी करनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार की कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के कारण यह महाराष्ट्र में कपास की खरीददारी नहीं करता है। 7 मार्च, 2002 तक की स्थिति के अनुसार, सी.सी.आई. ने 39,48,239 क्विंटल कपास (जोकि 7,58,904 गांठ-प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा. के बराबर है) की खरीददारी की है। खरीददारी के राज्यवार आंकड़े निम्न अनुसार हैं:

1	2
आन्ध्र प्रदेश	22,76,369
कर्नाटक	82,479
गुजरात	10,23,201
मध्य प्रदेश	2,99,764
राजस्थान	1,88,292
हरियाणा	2,497
उड़ीसा	75,197
पश्चिम बंगाल	440
कुल	39,48239

(ग) भारतीय कपास निगम गोदाम किराए पर लेता है और इस समय यह आंध्र प्रदेश के कपास उपजाने वाले क्षेत्रों में 59 केन्द्रों में खरीददारी कर रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों को देय बकाया राशि

2117. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से उपक्रम हैं जिनमें अब तक कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार इस भारी बकाया राशि के शीघ्र भुगतान हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 65 उद्यमों, जिनकी सूची संलग्न विवरण में है, को सांविधिक देयताओं का भुगतान करना है।

(ख) से (घ) सरकार अंतर्ग्रस्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा का प्रयास निरन्तर करती रही है तथा उपक्रमों को आवश्यकतानुसार योजनागत सहायता देती रही है। केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को अपनी गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों की बिक्री से संसाधन जुटाने की सलाह भी दी गई है। विनिवेश/बंदी की स्थिति में सरकार कर्मचारियों से सम्बन्धित सभी देनदारियों को भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विवरण

क्र.सं.	सांविधिक देयताओं वाले केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के नाम
1	2
1.	एण्ड्रयू यूले एण्ड कं. लि.
2.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मा. लि.
3.	बंगाल इम्युनिटी लि.
4.	भारत वेगन एण्ड इंजी.
5.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.
6.	भारत कोकिंग कोल लि.
7.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.
8.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि.
9.	भारत लेदर कारपो. लि.
10.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.
11.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजी. लि.
12.	भारत पम्प एण्ड कंप्रेशर्स लि.
13.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.
14.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
15.	ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.
16.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.
17.	कानपुर टेक्सटाईल्स लि.
18.	सीमेंट कारपो. आफ इंडिया लि.
19.	सेन्ट्रल कोलफील्ड् लि.
20.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
21.	साइकिल कारपो. आफ इंडिया लि.
22.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
23.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.
24.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.
25.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.
26.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.
27.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.
28.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कं. लि.
29.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
30.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
31.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
32.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो.
33.	एच.एम.टी. लि.
34.	एचएमटी वाचेज लि.
35.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मा लि.
36.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.
37.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.
38.	जेसप एण्ड कंपनी लि.
39.	मझगांव डॉक लि.
40.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.
41.	नेशनल बाइसिकल कारपो. ऑफ इंडिया लि.
42.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.
43.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
44.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.
45.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.
46.	नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.
47.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
48.	राष्ट्रीय बीज निगम
49.	नेशनल टेक्सटाईल्स कारपो. लि.
50.	नेपा. लि.
51.	प्रागा टूल्स लि.
52.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि.
53.	आरबीएल लि.
54.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.

1	2
55.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.
56.	सांभर साल्टस इंडिया लि.
57.	स्कूटर्स इंडिया लि.
58.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मा. लि.
59.	राज्य फार्म्स निगम
60.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो. लि.
61.	चाय व्यापार निगम
62.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
63.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.
64.	टायर कारपो. आफ इंडिया लि.
65.	वेबर्ड (इंडिया) लि.

खाद्यान्न के उठाने पर प्रतिबंध

2118. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं और चावल की न्यूनतम मात्रा कम करने का निर्णय किया है जो निर्यातकों द्वारा किसी भी समय उठाई जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्यान्न के निर्यात के संबंध में केन्द्र सरकार के निर्णय के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार निर्यातकों की समस्याएं हल करने के लिए समिति गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) केन्द्रीय पूल से निर्यातकों द्वारा उठान की जाने वाली गेहूं और चावल की न्यूनतम मात्रा कम करके क्रमश: 25000 टन से 10,000 टन और 5000 टन से 2000 टन कर दी गयी है। इससे खाद्यान्नों के निर्यात में छोटे निर्यातक भी भाग ले सकेंगे और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

(घ) और (ङ) सरकार ने सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) की अध्यक्षता में निर्यात से संबंधित एक शक्ति प्राप्त स्थाई समिति गठित की है। यह समिति नियमित रूप से बैठकें करेगी, निर्यातकों और उनके प्रतिनिधित्व निकायों से चर्चा करेगी और निर्यात से संबंधित उनकी समस्याओं को हल करने के लिए शीघ्र निर्णय लेगी।

खाद्यान्न भंडार

2119. श्री मंजय लाल:
श्री अरुण कुमार:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में आज तक गोदाम-वार और राज्य-वार कुल कितना गेहूं, चावल और चीनी का कितना भंडार है;

(ख) क्या एकत्र किए गए भंडार की मात्रा में कमी आई है;

(ग) क्या देश के गोदामों में बड़ी मात्रा में गेहूं, चावल और चीनी पड़ी है जो तीन या चार साल पुरानी है; और

(घ) यदि हां, तो गोदाम-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में राजस्थान की जातियों को शामिल किया जाना

2120. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में उन जातियों के नाम क्या है जिन्हें अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन जातियों को राजस्थान की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में कब तक शामिल किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रूपी सहकारी बैंक

2121. **श्रीमती निवेदिता माने:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे महाराष्ट्र के रूपी सहकारी बैंक के निदेशक मण्डल को अधिक्रमित कर दिया गया है इसके लिए राज्य सहकारिता विभाग द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो निदेशक मण्डल द्वारा बैंक, जमाकर्त्ताओं और शेयरधारकों के विरुद्ध क्या अनियमितताएं बदले जाने का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा सहकारी बैंक क्षेत्र में जमाकर्त्ताओं और शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूंजीगत वस्तुओं की विकास दर

2122. **श्री दिन्शा पटेल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजीगत वस्तुओं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और नारियल एवं नारियल जटा उद्योग की विकास दर में तेजी से गिरावट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन वस्तुओं की विकास दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धीमी विकास दर के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पूंजीगत वस्तुओं और नारियल जटा उद्योग की विकास दरों में मंदी का रूझान है जबकि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में स्थिरता की स्थिति देखी गयी है। पिछले दो वर्षों के दौरान विकास दर (प्रतिशत) के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

मद	1999-2000	2000-01
पूंजीगत वस्तुएं	6.2	1.8
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	14.2	14.5
नारियल	-17.9	3.8
नारियल जटा रेशे	6.6	2.3
नारियल जटा धागे	5.4	5.0
नारियल जटा उत्पाद	10.9	10.2

(ग) सामान्य रूप से धीमी विकास दर के कारण इस प्रकार हैं:

* संरचनागत और चक्रीय कारक जैसे कि निवेश और कारोबार चक्र, कार्पोरेट पुनर्गठन में अंतर्निहित समायोजन संबंधी दूरियां, उपभोक्ता और निवेश मांगों का अभाव, वास्तविक उच्च ब्याज दरों का जारी रहना, ढांचागत सुविधाओं संबंधी बाधाएं, विशेषकर बिजली से संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए आवश्यक सुविधा स्तर प्रदान करने हेतु विश्वसनीय संस्थागत और विनियामक ढांचा स्थापित करने में विलंब और भूमि व श्रम बाजारों में सुधारों का अभाव।
* भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार देशों, नामतः यू एस ए, जापान और यूरोपीय संघ में आर्थिक मंदी जारी रहना।
* पिछले दो वर्षों के दौरान खराब मानसून।
* फसल नाशक जीवों और बीमारियों तथा सस्ते रिफाइन्ड तेलों से प्रतिस्पर्धा ने नारियल उत्पादन और नारियल जटा उद्योग को प्रभावित किया है, विशेषकर केरल में।

(घ) सरकार ने उद्योग के सभी क्षेत्रों, नामतः पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं, आधारभूत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से अनेक नीतिगत पहलें की हैं। सामान्यतः इन उपायों का लक्ष्य है भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और समग्र मांग में वृद्धि करना, अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना, प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, श्रम

संबंधी लोच का समावेश करना और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों को प्रोत्साहन देना। हाल ही में की गयी कुछ पहलें संक्षेप में नीचे दी जाती हैं:

* औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के पूंजीगत वस्तुओं, विद्युतीय विनिर्माण, कागज और लुग्दी और सीमेंट उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से इन उद्योगों के संबंध में क्षेत्र-वार अध्ययन चलाने का प्रस्ताव किया है।

* कंपनियों द्वारा शेयरों को वापस खरीदने की अनुमति प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया है।

* निर्यातकों की सहायता के लिए प्रभावी कर रियायत स्कीमों पर जोर देने के लिए वर्ष 2002-07 के लिए मध्यावधि निर्यात रणनीति। इनमें शामिल हैं: निर्यातकों के लिए आवश्यक प्रमुख निविष्टियों के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्कों की निम्न दरों के अलावा, जिनसे शुल्क वापसी की आवश्यकता न्यूनतम हो जायेगी, प्रतिपूर्ति की पारदर्शी और व्यापक स्कीमें, प्रत्येक स्तर पर व्यापक मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली और सेवा करों में रियायतें।

* प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्र-वार रणनीतियों की भी घोषणा की गयी है, जिनमें शामिल हैं, इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रोनिक/विद्युतीय और संबद्ध क्षेत्र, वस्त्र, रत्न और आभूषण, रसायन और संबद्ध क्षेत्र।

* नारियल विकास बोर्ड के बल दिये जाने वाले क्षेत्रों में से एक है प्रमुख फसल नाशकों और बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन।

केन्द्रीय बजट 2002-03 में घोषित

* स्टाक एक्सचेंजों में सुधारों को व्यापक बनाना और निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना, केन्द्रीय बजट 2002-03 में सेबी अधिनियम, 1992 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

* ढांचागत सुविधाओं की दिक्कतों को कम करने की दृष्टि से बिजली, सड़कों, नागरिक विमानन और पत्तनों में सुधार करने के लिए अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की गयी है।

* ढांचागत सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं के लिए इक्विटी निवेश उपलब्ध कराने में सहायता की दृष्टि से 1000 करोड़ रुपये की ढांचागत सुविधा इक्विटी निधि की स्थापना की जायेगी। बिजली, सड़कों और रेलवे में ढांचागत सुविधाओं के लिए कुल योजना परिव्यय 37919 करोड़ रुपये का है।

* आठ मदों को छोड़कर, बाकी सभी पर से 16 प्रतिशत विशेष उत्पाद शुल्क को समाप्त करना।

* नये संयंत्र और मशीनरी पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत मूल्य ह्रास।

* 1.3.2002 से सीमा शुल्क की अधिकतम दर को कम करके 30 प्रतिशत करना और 2004-05 तक सीमा शुल्क दरों का योक्तीकरण करके दो शुल्क दरों की प्रणाली अपनाना।

* डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में कमी किये जाने से वाणिज्यिक वाहनों और आटोमोबाइल की मांग बढ़ाने की आशा है। इसके अलावा, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के पूरा होने में की जाने वाली प्रगति से वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

'एनरान' में वित्तीय संस्थानों की धनराशि

2123. श्री रामजीवन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाभोल विद्युत निगम का प्रवर्तन करने वाला 'एनरान' बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'एनरान' पर भारतीय सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की धनराशि बड़ी मात्रा में बकाया है;

(ग) यदि हां, तो 'एनरान' में संस्थान-वार जनता की कुल कितनी राशि संलिप्त है;

(घ) अपनी धनराशि वसूलने हेतु सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के पास क्या सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं;

(ङ) क्या सरकार ने धनराशि वापस लेने के लिए कानून के अंतर्गत उपलब्ध सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नही, जनता की धनराशि वसूलने हेतु प्रभावी कदम न उठाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) एनरान कारपोरेशन एवं इसकी कुछ संबद्ध कंपनियों (आज

की तारीख तक दाभोल विद्युत कंपनी रहित) ने संयुक्त राष्ट्र कोड (दिलावा कोड) के चैप्टर 11 के तहत एक मुकदमा दायर किया है।

(ख) और (ग) वित्तीय संस्थाओं ने एनरान में कोई राशि निवेश नहीं की है। तथापि, वित्तीय संस्थाओं ने दाभोल विद्युत कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो एक भारतीय कंपनी है जिसमें यू एस ए की एनरान कारपोरेशन का, उनकी विभिन्न निवेश कंपनियों द्वारा इक्विटी में निवेश के माध्यम से अप्रत्यक्ष हित है।

(घ) यू एस दिवाला कानून के तहत एनरान कारपोरेशन द्वारा दायर किए गए मामलों के संदर्भ में आई.डी.बी.आई. को सलाह दी गई है कि यू.एस. कानून के तहत एनरान कारपोरेशन यू.एस.ए. के विरुद्ध कथित दिवालियापन प्रक्रिया का डी.पी.सी. या डी.पी.सी. की संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं है और इसलिए यह डी.पी.सी. के उधारदाताओं की सुरक्षा हित को प्रभावित नहीं करता है। डी.पी.सी. के उधारदाताओं को दी गई प्रतिभूति में निम्नलिखित शामिल है:

(1) कंपनी की सभी चल एवं अचल संपत्ति पर प्रथम बंधक एवं प्रभार;

(2) परियोजना एवं सभी परियोजना कागजातों (पीपीए सहित सभी परियोजना संविदा) की सभी संपत्तियों में तथा उसके तहत सभी अधिकारों, हकों एवं कंपनी के हितों, बीमा पालिसियों, अनुज्ञा पत्रों/अनुमोदनों इत्यादि जिसका कंपनी एक हिस्सा है तथा परियोजना से संबद्ध अन्य सभी संविदाओं का समनुदेशन;

(3) कंपनी के सभी खातों, न्यास एवं प्रतिधारणा खाता और ऋण सेवा आरक्षित खाता सहित किन्तु इन तक ही सीमित न हो, पर प्रथम प्रभार; और

(4) डीपीसी में एनरान की संबद्ध कंपनियों एवं महाराष्ट्र विद्युत विकास कारपोरेशन लिमिटेड (एम.पी.डी.सी.एल.) (महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड अनुषंगी) (भुगतान की गई पूंजी का कुल 80 प्रतिशत) की सम्पूर्ण शेयरधारिता की गिरवी एवं [जी ई (10 प्रतिशत) एवं बीटेल (10 प्रतिशत) द्वारा धारित शेयरों की 20 प्रतिशत शेयरों के गैर-निपटान] नकारात्मक गिरवी।

(ङ) से (छ) वित्तीय संस्था/बैंक स्वयं अपने हितों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं। परियोजना से बाहर होने के लिए अपतटीय प्रायोजकों के आशय को ध्यान में रखते हुए उधारदाता परियोजना में अपतटीय प्रायोजकों के हिस्से की बिक्री के लिए बोली प्रक्रिया को सुधार बना रहा है। आई.डी.बी.आई. ने कंपनी में अपतटीय प्रायोजकों के हिस्से को अर्जित करने के लिए घरेलू एवं समुद्रपारीय निगमों से अपनी रूचि अभिव्यक्त करने हेतु एक विज्ञापन जारी किया था।

रबड़ का आयात

2124. श्री मोइनुल हसन:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री जार्ज ईडन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रबड़ का आयात करने वाले अभिकरण/कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक अभिकरण द्वारा वर्षवार एवं अभिकरणवार कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया;

(ग) क्या अत्यधिक आयात के कारण घरेलू रबड़ उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या पारिणाम निकले;

(च) घरेलू रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(छ) क्या सरकार आयात में प्रभावित होने वाले रबड़ उत्पादकों के लिए एक नए राहत पैकेज की घोषणा करने पर विचार कर रही है;

(ज) यदि हां, तो प्रस्तावित पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(झ) प्रस्तावित पैकेज की कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारत में रबड़ की वस्तुओं के लगभग 5100 विनिर्माता हैं, जिनमें से कुछ प्राकृतिक रबड़ का आयात करते हैं। प्राकृतिक रबड़ के प्रमुख आयातकों की सूची संलग्न विवरण में है, जिनमें उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई मात्रा भी दर्शाई गई है।

(ग) से (झ) प्राकृतिक रबड़ के आयात से घरेलू रबड़ उद्योग कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। तथापि, सरकार रबड़ के आयात और कीमत की स्थिति पर निगरानी रख रही है और इसके लिए उसने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं- अगस्त, 1997 से अप्रैल 2001 तक के दौरान एस.टी.सी. के जरिए बाजार हस्तक्षेप की कार्रवाई, मात्रात्मक प्रतिबंध मुक्त प्रणाली में भी अग्रिम लाइसेंसों पर प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध को जारी रखना, रबड़ अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत रबड़ की आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली दोनों श्रेणियों अर्थात् आर एस एस-4 और आर एस एस-5 की न्यूनतम कीमत निर्धारित करना और उसे अधिसूचित करना, आयातों की केवल दो निर्दिष्ट प्रत्तनों अर्थात् कोलकाता और विशाखापत्तनम के जरिए अनुमति देकर प्राकृतिक रबड़ के आयातों में होने वाली वृद्धि को रोकना और आयातित रबड़ पर बी.आई.एस. गुणवत्ता मानदंड लागू करना। भारत सरकार ने केरल स्टेट को-आपरेटिव रबड़ मार्क फेडरेशन लि. (रबरमार्क) द्वारा 20,000 मी. टन प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के लिए हाल ही में रबड़ बोर्ड के एक प्रस्ताव को स्वीकृति भी दी है क्योंकि इससे मात्रात्मक प्रतिबंध मुक्त प्रणाली में प्राथमिक उपजकर्त्ताओं को पर्याप्त सहायता मिलेगी।

विवरण

क्र.सं.	विनिर्माता का नाम	आयातित मात्रा (टन)		
		1998-99	1999-00	2000-01
1.	गुडईयर इंडिया लि. फरीदाबाद	585	0	0
2.	अपोलो टायर्स लि., कोच्चि	4173	570	0
3.	सिएट लि., मुम्बई	4113	3574	665
4.	विक्रान्त टायर्स लि., मैसूर	1776	1805	1649
5.	बिरला टायर्स, बालासोर (उड़ीसा)	310	233	480
6.	जे.के. इंडस्ट्रीज लि., कंकरोल, राजस्थान	5314	4939	1068
7.	एम.आर.एफ. लि., चेन्नई	1088	210	0
8.	मोदी रबड़ लि., नई दिल्ली	2272	988	0
9.	बालाकृष्ण इंड. लि., औरंगाबाद	1479	863	0
10.	एम के इंडिया रबड़ कं. प्रा. लि. गुड़गांव	219	142	113
11.	केमवैल इंटरनेशनल लि., बंगलौर	882	1037	630
12.	करवारे इलास्टोमैरिक्स लि. सतारा, महाराष्ट्र	788	1571	1115
13.	रालसन इंडिया लि. लुधियाना, पंजाब	1113	1490	932
14.	गोविन्द रबड़ लि. जुगिआना, पंजाब	2676	1739	0
15.	टीटीके-एलआईजी लि., चेन्नई	315	315	236
16.	श्री अनुशम रबड़ इंड. (प्रा.) लि., के के जिला, तमिलनाडु	260	404	98
17.	आरूशी इंटरप्राइजेज प्रा. लि., गुड़गांव	0	99	1050
18.	प्लात बोदरा लि., बंगलौर	465	16	158
19.	तेबा गल्व्स प्रा.लि. कोच्चि	157	98	69
20.	हिन्दुस्तान रबर्स, दादर एवं नगर हवेली	198	76	0

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंस्टिट्यूट फार फिजिकली हैन्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार फिजिकली हैन्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5160/2002]

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): महोदय, मैं आटो नीति* के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5161/2002]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*आटो नीति 7.3.2002 को सभा पटल पर रखी गई।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5163/2002]

(3) (एक) टैक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टैक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5164/2002]

(5) वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) दावा नियम, 2001 जो 27 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 865(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5165/2002]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2002 का संख्यांक 2)-संव्यवहार लेखापरीक्षा संप्रेक्षण।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5166/2002]

(दो) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) (2002 का संख्यांक 5)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5167/2002]

(तीन) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) (2002 का संख्यांक 10)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5168/2002]

(चार) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) (2002 का संख्यांक 11)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5169/2002]

(पांच) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2002 का संख्यांक 1) संघ सरकार के लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5170/2002]

(छह) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार प्रत्यक्ष कर (2002 का संख्यांक 12)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5171/2002]

(सात) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2002 का संख्यांक 12क)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5172/2002]

(2) वर्ष 2000-2001 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5173/2002]

(3) वर्ष 2000-2001 के लिए संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5174/2002]

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कापोरेशन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 13 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी: आईआर: ओएसआर: अमेंड/291:2001-2002 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक आफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ: ओएसआर एण्ड आईआर/27/108एफ/1307 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2001 जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.डब्ल्यू.आईई:II:मिस.: 91 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2001 जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी:आईआर:एसएएच: 667 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) इंडियन ओवरसीज इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2001 जो 8 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी:एसयूपी/177 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 8 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 2 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ:पीईआर:आईआरडी: 4410:2001 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3935 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 18 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएल: 2001-2002 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 28 जुलाई, 2001 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/आईआर/399 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 7 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/आईआर/320 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 जो 17 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएल:2000-04 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 जो 21 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 223/एसआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2000 जो 22 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए.ओ.लीगल/0598 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि पत्र जो 10 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या एच.ओ./लीगल/1257 में प्रकाशित हुआ था।

(पन्द्रह) आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2000 जो 12 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/आईआर/144 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) बैंक आफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2001 जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ.:ओएसआर एण्ड आईआर:ए 5/6/1196 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2000 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएल:2000-07 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि पत्र जो 23 जनू, 2001 की अधिसूचना संख्या आईएल:2000-09 में प्रकाशित हुआ था।

(अठारह) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2001 जो 3 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआरएस:124(बी):7441:एनएके में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2001 जो 7 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ:पीआरएस:आईआरपी: 2000-2001: 2686 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2001 जो 21 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरसी/223/50 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2000 जो 24 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआरडी/184/232 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2000 जो 25 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3928 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि पत्र जो 9 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 3933 में प्रकाशित हुआ था।

(तेईस) सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2000 जो 22 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 430/एस/0089/पीडीआईआरडी (ओ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनके शुद्धि पत्र जो 7 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 5381/2000 और 5380/एसडब्ल्यूडी/एचओ/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2000 जो 30 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3 (बी)/31.10.2000 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि पत्र जो 16 जून, 2001 को प्रकाशित हुआ था।

(पच्चीस) यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में

नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2000 जो 9 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3/2000 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि-पत्र जो 23 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 52 में प्रकाशित हुआ था।

(छब्बीस) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2000 जो 17 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएजे/1/2000 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि-पत्र जो 2 जून, 2001 को प्रकाशित हुआ था।

(सत्ताईस) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरी का प्रतिग्रहण) विनियम, 2000 जो 9 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर: आईआरडी: 2463:2000 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 3 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/लीगल/1241 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 17 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/आईआर/281 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) बैंक आफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 12 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/ओएसआर एंड आईआर/27/107/5/486 में प्रकाशित हुए थे।

(इकत्तीस) बैंक आफ महाराष्ट्र कर्मचारी (आचरण) विनियम, 2000 जो 10 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्सआई/एसटी/ओएसआर/926/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआरएस: 124ए: 6996: एनएके में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) कारपोरेशन बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 जो 17 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी:आईआर:ओएसआर: अमेंड: 846:2000-2001 में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 जो 12 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआर/अमेंड/02/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 19 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआरडी/184/19 में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 17 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3931 में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 5 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनबी/डीएसी/पी/1/2001 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका दिनांक 18 अगस्त, 2001 का शुद्धि पत्र।

(अड़तीस) सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 जो 24 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 20/0089/पीडी:आईआरडी (ओ)/रेग. 3(1) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 जो 18 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3(ए)/11.11.2000 में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(इकतालीस) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 2 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओसीआर/1/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(बयालीस) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 3 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर:आईआरडी:503: 2001 में प्रकाशित हुए थे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पदों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले बयालीस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5175/2002]

(6) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एसबीडी सं. 4/2001 जो 14 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर के एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम संख्या 50(3), 50(4), 51(1) और 51(4) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5176/2002]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) संशोधन विनियम, 2001 जो 28 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1181(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक निवेश योजनाएं) संशोधन विनियम, 2002 जो 17 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 75 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) संशोधन विनियम, 2002 जो 29 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 127(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5177/2002]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 118(अ) से सा.का.नि. 126(अ) जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में 28 फरवरी, 2002 को घोषित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में अतिरिक्त शुल्कों में छूट देने और लगाने के बारे में हैं, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5178/2002]

(10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत सा.का.नि. 127(अ) से सा.का.नि. 152(अ) तक जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं, तथा जो वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में 28 फरवरी, 2002 को घोषित सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में अतिरिक्त शुल्क में छूट देने और लगाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) तदर्थ छूट आदेश संख्या 81/1/2002-सीएक्स ,जो 18 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मेसर्स आयशर मोटर्स लिमिटेड से खरीदे जाने वाले बोनट और चैसिस जिनका इस्तेमाल बाद में एम्बुलेंस बाडी का निर्माण करने के लिए किया गया, को उन पर उदग्रहणीय सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। इस एम्बुलेंस को भुज, गुजरात के सिविल अस्पताल को दान किया जाना है जहां गुजरात में आए भूकम्प में आहत हुए लोगों का इलाज चल रहा है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5179/2002]

(11) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 153(अ) और सा.का.नि. 154(अ) जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं, तथा जिनका आशय वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में 28 फरवरी, 2002 को घोषित सेवा कर से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में अन्य आर्थिक जोनों में सेवा कर में छूट देना तथा उसका उदग्रहण करना है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5180/2002]

(12) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 155 (अ), जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2002 को लोक सभा में घोषित अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों से और इन राज्यों को की जाने वाली अंतर्देशीय-हवाई-यात्रा को अंतर्देशीय-हवाई-यात्रा-कर से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5181/2002]

(13) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) यूनाईटिड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाईटिड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5182/2002]

(ख)(एक) नेशनल इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5183/2002]

(ग)(एक) न्यू इंडिया एश्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5184/2002]

(घ)(एक) ओरिएन्टल इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएन्टल इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5185/2002]

(ङ)(एक) जनरल इन्श्योरेन्श कारपोरेशन आफ इण्डिया, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इन्श्योरेन्श कारपोरेशन आफ इण्डिया, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 5 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5186/2002]

(15) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकन सक्षमता के इन हाउस विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 जो 22 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम तृतीय श्रेणी कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2002 जो 22 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5187/2002]

(16) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5188/2002]

(17)(एक) इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5189/2002]

(18) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 106(अ), जो 22 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय संयुक्त राज्य अमेरीका, चीन, यूरोपीय संघ और सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (बल्क और पैक की गयी) पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5190/2002]

(19) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तीसरा पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 जो 17 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 891 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5191/2002]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 33 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम, 1984 जो 12 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ/8/8/80-ईपी (एग्री. 6) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 1989 जो दिनांक 22 सितम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ./8(2)/88-ईपी (एग्री. 6) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5192/2002]

(3) (एक) मेरिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट आथोरिटी, कोच्चि, के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेरिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट आथोरिटी, कोच्चि, के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5193/2002]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5194/2002]

(ख)(एक) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5195/2002]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): महोदय, श्री प्रमोद महाजन की ओर से मैं डाक विभाग की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5162/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 11 मार्च, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित (उपभोक्ता संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(ii) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2001 जिसे लोक सभा द्वारा 3 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था, राज्य सभा ने 11 मार्च, 2002 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है:-

अधिनियम सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1, 'बावनवें' के स्थान पर 'तिरपन' प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3, '2001' के स्थान पर '2002' प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-3

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 13, '2001' के स्थान पर '2002' प्रतिस्थापित किया जाए।

"इसलिए मैं राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 128 के अनुसरण में उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि इन संशोधनों के बारे में लोक सभा की सहमति से राज्य सभा को सूचित किया जाए।

(iii) मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि, राज्य सभा ने 13 मार्च, 2002 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

प्रस्ताव

"कि यह सभा राज्य सभा की इस आशय की सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986, जिसे संसद के दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के परन्तुक के अंतर्गत पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया था, को वापस लिए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हो।

2. महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में और अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2002 राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों के साथ लौटाया गया, सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

लखनऊ में सेना भर्ती रैली स्थल पर हुई दुर्घटना

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ छावनी क्षेत्र में 13 मार्च, 2000 से 31 मार्च, 2002 तक एक भर्ती रैली निर्धारित की गयी थी। 14 मार्च, 2002 को छावनी क्षेत्र में भर्ती रैली के लिए तकरीबन 5000 युवक इकट्ठा थे। करीब 6.00 बजे लगभग 100 युवक, जो कि भर्ती रैली में भाग लेने के लिए आये थे, भर्ती रैली शुरू होने के इंतजार में एक सीवेज टैंक की कंकरीट की छत पर बैठे हुए थे।

सम्भवत: ज्यादा वजन के कारण सीवेज टैंक की छत बैठ गई और कई युवक टैंक में गिर पड़े। पीड़ितों को बचाने के लिए तत्काल बचाव तथा राहत कार्य शुरू कर दिए गये थे। 21 शव बरामद हो चुके हैं। तीन घायल युवकों की कमान अस्पताल में चिकित्सा चल रही है।

इस दुर्घटना से भर्ती रैली के लिए वहां पर इकट्ठा भारी भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए उस स्थान पर पुलिस बल भेजना पड़ा। भीड़ द्वारा कई सिविल तथा सैन्य वाहनों को क्षति पहुंचाई गयी। दोपहर तक पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया था और छावनी क्षेत्र से भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया था। भीड़ द्वारा छावनी से लगे हुए सिविल क्षेत्र में भी कुछ वाहनों को क्षति पहुंचाई गई थी।

माननीय प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राहत देने की घोषणा की है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रत्येक मृतक के परिवार को

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

1 लाख रुपये, गम्भीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 25 हजार रुपये तथा मामूली रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 5 हजार रुपये की अनुग्रह राहत देने की घोषणा की है।

इस दुखद घटना की जांच के लिए मध्य कमान द्वारा जांच अदालत का आदेश दे दिया गया है।

अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ छावनी क्षेत्र में भर्ती रैली स्थल पर हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 23 तक पहुंच चुकी है। 3 अन्य घायल हताहतों को टैंक से निकाल कर किसी स्थानीय सिविल अस्पताल में ले जाया गया था जिनके बारे में सिविल प्रशासन द्वारा बाद में सूचना दी गयी थी। इन तीन हताहतों में से 2 व्यक्तियों की चोटों के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गयी, जबकि एक व्यक्ति का अभी भी सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। अत: मृतकों कि कुल संख्या 23 हो चुकी है।

प्राप्त सूचना के अनुसार यह दुर्घटना 14 मार्च, 2002 को 05.55 बजे हुई थी। लगभग 5 से 10 मिनट के अन्दर-अन्दर कमान तथा बेस अस्पताल से एंबुलेंसें दुर्घटना स्थल पर पहुंच गयी थीं। रैली स्थल पर एक त्वरित रिकवरी वाहन भी मौजूद था। तत्काल सहायता उपलब्ध होने के कारण हताहतों को तेजी से टैंक से निकाल लिया गया था और 06.30 से 06.40 बजे तक इन हताहतों को उपचार के लिए कमान अस्पताल भेजा जा चुका था।

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ने 14 मार्च, 2002 को लगभग 17.30 बजे घटना स्थल का दौरा किया और इसके बाद वे कमान अस्पताल जाकर उपचाराधीन मरीजों से भी मिले।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5196/2002]

अपराह्न 12.06 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

तैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री प्रमोद महाजन की ओर से मैं कार्यमंत्रणा समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न $12.06^1/_2$ बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री प्रमोद महाजन की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 15 मार्च, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 15 मार्च, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट बैठ गए)

अपराह्न $12.08^1/_2$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) बांसपानी और टाटानगर के बीच यात्री रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): महोदय, क्योंझर जिले का बासंपानी क्षेत्र उड़ीसा में लौह अयस्क और अन्य खनिज अयस्क भंडारों के लिए जाना जाता है। टिस्को का फैरो अलाय प्लांट आफ टिस्को आयरन और माइन्स, टिस्को मैगनीज माइन्स बांसपानी आयरन ओर लि. टाटा स्पोंज आयरन लि. इत्यादि जैसे अनेक खनिज आधारित उद्योग इस क्षेत्र में पहले से ही विद्यमान हैं। उड़ीसा के

---

*सभा पटल पर रखे गये माने गये।

इस भाग की टाटानगर सबसे नजदीक औद्योगिक/घरेलू आवश्यकता है। इसलिए अनेक लोगों को विभिन्न सरकारी/वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए इस क्षेत्र से जमशेदपुर (झारखंड) नियमित रूप से जाना होता है। 150 से भी अधिक गांवों के निवासियों (जोड़ाशहर के अतिरिक्त बांसपानी और क्योंझर के बीच पड़ने वाले) को दैनिक आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है।

चूंकि खनिजों की ढुलाई के लिए बांसपानी और टाटानगर के बीच पहले से ही विद्युतीकृत रेलपटरी है और अधिकांश समय से इसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि बांसपानी और टाटानगर, बरास्ता एम.एम.वी.आर. (आई.पी.आई. टाटा) क्योंझर, पाडापहाड़, छाईबासा और राजखर्सवान आने और जाने के लिए सीमित ठहराव के साथ दैनिक यात्री गाड़ी उपलब्ध कराई जाए।

[हिन्दी]

(दो) रांची छावनी क्षेत्र के जिन लोगों की जमीन रक्षा प्राधिकारियों द्वारा अधिग्रहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची): महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र, रांची अंतर्गत छावनी में आदिवासी लोगों की परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र के कई गांव जैसे कुम्हार टोली गुडूटोली पाहन टोली शुगनू, गाड़ी एवं खटंगा इत्यादि की जमीन को रक्षा प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत किया गया है, जिसमें लोगों को नाममात्र का मुआवजा दिया गया और कई लोगों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, और न ही कोई नौकरी। इसके बावजूद यहां के लोगों को मकान बनाने में मरम्मत किये जाने पर सेना द्वारा रोका जाता है। रास्ते बंद कर दिये जाने से वे अपने खेतों पर खेती नहीं कर सकते, जिसके कारण यहां के आदिवासी लोगों में काफी रोष है। जिस भूमि को अधिग्रहीत किया गया है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसको वापिस किया जाये और इस छावनी के पास पड़ी बंजर भूमि को उपयोग में लाया जा सकता है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि रांची में छावनी क्षेत्र के लोगों की समस्या दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

(तीन) छत्तीसगढ़ में सरकारी एजेंसियों द्वारा धान की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष किसानों के धान की फसल अधिक उत्पादन होने से वहां के किसानों द्वारा खुशी हो रही थी। भारत शासन द्वारा धान का समर्थन मूल्य मोटा एवं पतला धान 550 से 620 तक प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। सांसदों की मांग केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के किसानों के धान खरीदी हेतु 1500 करोड़ रुपये कर्ज दिलाया, जिससे एफ.सी.आई. मंडी तथा सहकारी सोसायटी के द्वारा खरीद की जा रही थी। उक्त कर्ज के ब्याज बोरे का खर्च तथा ढुलाई खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया था। अचानक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उक्त संसाधनों से खरीद में 300 करोड़ रुपये घाटा होने का बहाना बनाकर खरीदी बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को धान खरीदी नहीं होने से बिचोलिया तथा व्यापारियों के धान के भाव प्रति क्विंटल 400 से 420 क्विंटल तक बेचना पड़ रहा है। उक्त से किसानों को लगभग 500 करोड़ का घाटा उठाना पड़ रहा है। किसान हताश एवं उदास हैं।

भारत सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में जांच कराकर किसानों की समस्या का निराकरण शीघ्र किया जाए।

(चार) महाराष्ट्र में जलगांव रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन घोषित किए जाने और वहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र-शहर जलगांव महाराष्ट्र के प्रमुख औद्योगिक शहरों में से है। मध्य रेलवे के मुम्बई-नागपुर खण्ड पर स्थित जलगांव स्टेशन से सूरत के लिये सीधी रेल लाईन जाती है।

विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफायें जलगांव से सिर्फ 50 कि.मी. की दूरी पर है, जहां पर देश-विदेश से पर्यटक भारी संख्या में जलगांव आते हैं। मगर जलगांव रेल स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की काफी कमी है।

इस क्षेत्र के विकास के लिये जलगांव रेल स्टेशन पर और अधिक सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि जलगांव रेल स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाये तथा जलगांव रेल स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा बहाल किया जाये।

(पांच) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कृभको उर्वरक इकाई को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, भारतीय उर्वरक निगम लि. की गोरखपुर स्थित इकाई 10 जून, 1990 को एक साधारण

दुर्घटना के कारण बंद कर दी गयी थी। देश के दो पूर्व प्रधान मंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी गोरखपुर जाकर वहां की जनता को बंद पड़े उर्वरक संयंत्र को चलाने अथवा नया संयंत्र लगाने का आश्वासन दिया था, परंतु माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद भी बंद पड़े उक्त उर्वरक संयंत्र की जगह कृभको द्वारा नया संयंत्र लगाये जाने का मामला पिछले दो वर्षों से विचाराधीन है। कृभको ने सर्वे आदि का कार्य पूरा करा कर लगभग रुपया 1500 करोड़ की धनराशि भी निर्धारित की है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भी वर्ष 1999 में उक्त प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। कृभको प्रबंधन गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र लगाने के लिए पूर्णत: सहमत है। अब मात्र मंत्रीमंडल की अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है।

अत: माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया कृभको द्वारा गोरखपुर में लगाये जाने वाले उक्त उर्वरक संयंत्र को अंतिम मंजूरी दिलवाने का कष्ट करें, जिसके व्यापक जनहित के मामले का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

(छह) उड़ीसा में अंगुल रेलवे स्टेशन पर अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): अंगुल का महत्व तलचर-सम्बलपुर लाइन खोले जाने और अंगुल को अलग जिला घोषित करने के साथ कई गुना बढ़ गया है। नालको के साथ अंगुल और इसकी सहायक कम्पनियां तथा एम.सी.एल. वाली तलचर, उर्वरक संयंत्र एन.टी.पी.सी. और अन्य उद्योग वाले वे महत्वपूर्ण शहर हैं जहां से बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन कोलकाता जाते हैं। चूंकि अंगुल से हावड़ा के लिए सीधी रेल सेवा नहीं है उन्हें हावड़ा जाने वाली रेलगाड़ियों पर सवार होने तथा गाड़ी बदलने के लिए कटक तक जाना पड़ता है। यह तभी सम्भव होगा जब अंगुल में और इसके आस-पास सवारी डिब्बों के अनुरक्षण हेतु अंगुल में कोचिंग टर्मिनल सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। रेलवे ने पहले ही अंगुल में लोकोशेड और वैगेन मरम्मत एकक स्थापित कर दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए, मेरी यह मांग है कि अंगुल में कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण सहित एक व्यापक समेकित पिट लाइन और सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मेरी यह भी मांग है कि बिना किसी और विलम्ब के अंगुल और हावड़ा के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाई जाए।

(सात) इंडियन ऑयल कम्पनी, दीमापुर, नागालैंड में आंचलिक प्रबंधक (बिक्री) का पद सृजित किए जाने की आवश्यकता

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): इंडियन ऑयल कम्पनी लि. (असम तेल मंडल) ने राज्य में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों और वितरण प्रणाली के निरीक्षण और संचालन के लिए नागालैंड में दीमापुर में मंडलीय प्रबंधक (बिक्री) कार्यालय खोला था। लेकिन, लगभग एक दशक पहले, इस कार्यालय को असम में तिनसुकिया में स्थानांतरित कर दिया गया था जिसके कारण वे ही बेहतर जानते हैं और अब दीमापुर में आई.ओ.सी. (ए.ओ.डी.) का केवल उप प्रबंधक (बिक्री), कार्य कर रहा है।

नागालैंड में पेट्रोलियम उत्पादों की भारी मांग और तेजी से बढ़ रहे यातायात को ध्यान में रखते हुए नागालैंड राज्य में मंडलीय प्रबंधक (बिक्री) के पद की तत्काल आवश्यकता है। स्थिति की यह मांग है, चूंकि नागालैंड काफी बड़ी जनसंख्या, वाला एक पूर्ण राज्य है। मंडलीय प्रबंधक का कार्यालय नागालैंड राज्य से बाहर काम कर रहा है और यह नागालैंड के प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र से 400 कि.मी. से अधिक दूर है।

इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि नागालैंड में दीमापुर में यथाशीघ्र, मंडलीय प्रबंधक (बिक्री), इंडियन ऑयल कम्पनी (असम तेल मंडल) के पद का सृजन किया जाए।

(आठ) तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा क्षेत्र में जिन किसानों की फसल अत्यधिक वर्षा से खराब हो गई है, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): साम्बा धान की फसल जो काटी जा चुकी है और खरीदे जाने के लिए तैयार पड़ी हुई है तथा खेतों में कटाई के लिए तैयार फसल को फरवरी, 2002 के प्रथम सप्ताह में कावेरी डेल्टा में भारी बेमौसमी वर्षा के कारण अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। अन्य फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कावेरी डेल्टा के तीन जिलों के किसान संघ ने यह अनुमान लगाया है कि इससे 1000 करोड़ रुपए की आय की हानि हुई है और 8 लाख हैक्टेयर भूमि में अभी फसल प्रभावित हुई है तथा कई लाख कृषि मजदूरों के अलावा 3 लाख किसान परिवार भी प्रभावित हुए हैं। गत वर्ष इन्हीं परिस्थितियों में पंजाब राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता के पैटर्न पर केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह तमिलनाडु राज्य सरकार को उन किसानों और कृषि मजदूरों जिनको 25,000 रु. प्रति हैक्टेयर की औसतन आय का नुकसान हुआ है, को दिए गए मुआवजे की राशि को बढ़ाने में सहायता करें चूंकि उनको अब तक 2,500 रु. प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजा दिया गया है और वह मुआवजा भी केवल कुछेक सीमित किसान परिवारों को ही दिया गया है।

(नौ) देश में प्रत्येक गांव के विद्युतीकरण के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, देश में सरकारी दावे के अनुसार सम्पूर्ण देश के ग्रामीण अंचल में

85 प्रतिशत से ऊपर विद्युतीकरण हो चुका है। कर्नाटक वह राज्य है, जहां सबसे अधिक 99 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच चुकी है तो दूसरी ओर मेघालय है, जहां कि 46 प्रतिशत गांवों में बिजली आ गयी है। बिजली विकास के लिए पहली आवश्यकता है। बिजली के अभाव में देश का सर्वांगीण विकास और सरकारी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। देश के गांवों में, घरों में बिजली राष्ट्रीय स्तर पर कुल 30 प्रतिशत ही है। बिहार में तो ये केवल 6 प्रतिशत ही है जबकि मेरे उत्तर प्रदेश के गांवों के घरों में 11 प्रतिशत। इसी प्रकार असम, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान आदि प्रदेश ऐसे हैं जहां 30 प्रतिशत से भी कम घरों में बिजली का उपयोग हो पा रहा है। घरों में बिजली का उपयोग न होने के कारण मंहगी बिजली, बिजली की आपूर्ति में कमी, आदि के साथ-साथ बिजली के कनैक्शन मिलने में भारी असुविधा भी है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि देश के गांवों के घरों में बिजली पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवस्था कायम करें ताकि देश के गांव वाले बिजली का उपयोग कर जीवन स्तर उठाने के साथ-साथ अपने परम्परागत उद्योगों को आधुनिक परिवेश में सुचारू रूप से चला सकें।

(दस) महाराष्ट्र में नांदेड़ से विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने (हिंगोली): महोदय, मैं नियम 377 के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के नांदेड हवाई अड्डे के न होने से क्षेत्र पर हो रहे विकास संबंधी प्रतिकूल प्रभावों की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह एयर स्ट्रीप अभी केवल वी.आई.पी. के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर यहां पर एक एयर स्ट्रीप को अपग्रेड कर दिया जाये तो यहां के तीर्थस्थल एवं पर्यटन के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर उच्छी क्वालिटी के कृषि पदार्थ होते हैं एवं औद्योगिक उत्पादन काफी अच्छा हो रहा है परंतु हवाई अड्डे न होने के कारण समुचित विकास नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहां से मुम्बई हवाई अड्डा 600 किलोमीटर और हैदराबाद हवाई अड्डा 400 किलोमीटर के करीब दूरी पर है। मराठवाड क्षेत्र में औरंगाबाद के बाद यह दूसरा हवाई अड्डा है। इस कार्य के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भूमि भी प्राप्त कर ली है, परंतु उक्त हवाई अड्डा अभी तक नहीं बन पाया है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि नांदेड में एयर स्ट्रीप बनाकर इसे यात्री सेवा और कारगो सेवा के लिए जल्द से जल्द हवाई अड्डा के रूप में शुरू किया जाये।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में "निःशुल्क बोरवेल योजना" के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा): महोदय, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भूभाग बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें चित्रकूट धाम मंडल के चित्रकूट, बांदा, महोबा व हमीरपुर जिले तथा झांसी मंडल के झांसी, ललितपुर और जालौन जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि पथरीली-कंकरीली, ऊंची-नीची और असमान प्रकृति की है। वर्षा के अभाव तथा असमय वर्षा के कारण यह क्षेत्र प्रायः सूखा पीड़ित रहता है। इस क्षेत्र का मुख्य उद्यम कृषि है। सिंचाई की सुविधायें नगण्य एवं अपर्याप्त है। प्रायः पूरे क्षेत्र में सरकारी नलकूप सफल नहीं हैं। जिन क्षेत्रों में सरकारी नलकूप सफलतापूर्वक लगाये नहीं जा सकते, वहां पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों के लिए नलकूप हेतु फ्री बोर की सुविधा दे रखी है। राज्य सरकार अपने लघु सिंचाई विभाग द्वारा किसानों के खेतों में छोटे नलकूप बोर करने हेतु प्रति बोर एक लाख रुपयों की सब्सिडी (अनुदान) देती है। परंतु राज्य सरकार की सीमित सब्सिडी के कारण अधिकांश किसान इस फ्री बोर सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

अतः किसानों को प्रतिवर्ष के सूखा अकाल से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की भांति भारत सरकार भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों के लिए फ्री बोर सुविधा प्रदान करे और पर्याप्त मात्रा में धन आबंटित किया जाये।

[अनुवाद]

(बारह) तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तिरूवेल्लूर रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): श्रीपेरूम्बुदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तिरूवेल्लूर मंदिर के लिए और थिरूवेल्लूर जिला मुख्यालयों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र के रेल यात्री इस लाइन से गुजरने वाली किसी भी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के ठहराव की सुविधा न होने के कारण अत्यधिक असुविधा का सामना कर रहे हैं। दक्षिण की ओर जाने वाली अधिकांश रेलगाड़ियां तिरूवेल्लूर, थिरूथानी और अवाडी स्टेशनों से गुजरती हैं। थिरूवेल्लूर उपनगरीय टर्मिनल है, इस क्षेत्र में एच.वी.एफ. टैंक कारखाना भी स्थित है जो इसके महत्व को बढ़ाता है। थिरूवेल्लूर और अबाडी के लिए थिरूथानी सबसे नजदीक बड़ा स्टेशन है।

इस क्षेत्र के अनेक लोग अपने रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रतिदिन मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन जाते हैं। चूंकि यहां एक्सप्रेस रेलगाड़ियों

के लिए कोई ठहराव नहीं है इसलिए इस क्षेत्र के रेल प्रयोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या बन गई है।

मेरा माननीय रेल मंत्री से इन क्षेत्रों के रेल प्रयोक्ताओं की समस्याओं को कम करने के लिए यथाशीघ्र थिरूवेल्लूर स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव बनाए जाने का अनुरोध है।

(तेरह) तमिलनाडु में चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों के हितों के संरक्षण की आवश्यकता

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): तमिलनाडु में चाय बागानों के कामगारों हेतु मजदूरी समझौता 31.1.2002 को समाप्त होगा। चाय बागानों के मालिकों ने दैनिक मजदूरी को 75 रुपए से घटाकर 64 रुपए करने का एकतरफा निर्णय लिया है मेरे पोल्लाची निर्वाचन क्षेत्र में वालपराई में निर्धन मजदूर 1.1.2002 से वेतन लेने के लिए राजी नहीं हुए हैं।

महोदय, वे अपने परिवार के साथ भूखे मर रहे हैं। मैं सरकार से उत्पाद शुल्क में एक प्रतिशत की कमी और चाय पर 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाए जाने को ध्यान में रखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने और 75 रुपए और उससे अधिक उनकी मजदूरी को बढ़ाए जाने में मदद करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) पश्चिम बंगाल में पुरूलिया 'पम्पेड स्टोरेज प्रोजेक्ट' के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम समिति के गठन को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया): पश्चिम बंगाल सरकार और एच.एच.पी.सी. ने पुरूलिया पम्प भंडारण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मई, 2001 में समझौता ज्ञापन पर विधिवत हस्ताक्षर किए थे। यह परियोजना जापान बैंक की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। एक संयुक्त उद्यम के रूप में इस परियोजना के पूरा हो जाने से 4×225 मेगावाट इकाइयों के शीघ्र चालू हो जाने की बात सोची गई थी। जो जरूरी भी है क्योंकि इससे ग्रिड को बहुत सहायता मिलेगी और ग्रिड को स्थिरता प्रदान करने के अलावा इससे गुणवत्ता वाली विद्युत की आपूर्ति भी होगी। हाल ही में माननीय विद्युत मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकारी निवेश बोर्ड एक सप्ताह के भीतर संयुक्त उद्यम समिति के गठन को मंजूरी देगा लेकिन इसे मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में 13 नैमितिक श्रमिक हैं जिन्हें नियमित किया जाना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना के 13 नैमितिक मजदूरों को नियमित करें तथा और विलम्ब किए बिना संयुक्त उद्यम समिति गठित करने के लिए शीघ्र मंजूरी प्रदान करें।

[हिन्दी]

(पन्द्रह) प्याज के निर्यात से रोक हटाए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, देश में जितना प्याज पैदा होता है, इससे आधा हिस्सा महाराष्ट्र में पैदा होता है। महाराष्ट्र में जितना प्याज होता है इससे आधा प्याज नासिक जिले में होता है। प्याज अक्तूबर महीने से मंडी में आ जाता है। आखिरी 30 जून किसान मंडी में कांदा बेचता है। गत दो बरस से किसान को प्रति क्विंटल 150 रु. से 200 रुपये दाम मिलता है। प्याज का लागत खर्च प्रति क्विंटल 400 रु. से 500 रु. आता है। किसान बहुत दुखी तथा आर्थिक रूप से नुकसान में है।

अत: मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार को विशेषत: कृषि और वाणिज्य मंत्रियों से विनती है कि प्याज के ऊपर जो निर्यात बंदी लगायी है, निर्यात बंदी तुरंत उठाने के लिए प्रयास करें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.09 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:-

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 25 फरवरी, 2002 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।"

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले आपसे विनम्र निवेदन किया था कि कल प्रधान मंत्री जी के बयान पर जो स्पष्टीकरण पूछे जाने थे, उस दौरान जो हालात यहां पैदा हो गया, उसकी वजह से स्पष्टीकरण नहीं पूछे जा सके।

उपाध्यक्ष महोदयः स्पष्टीकरण के बारे में मैंने सवेरे क्वैश्चन ऑवर में पहले ही उठाया था। बी.ए.सी. में आप थे और आप इसके लिए राजी हो गये थे।

जब नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होगी, तब आप अपनी बात कहें। वह चर्चा किस तारीख को होगी, किस समय होगी, वह बी.ए.सी. की मीटिंग में आज चार बजे तय करेंगे। फिर उस बात को यहां उठाने का क्या फायदा है? आप मेहरबानी करके बैठिये। अभी इसी विषय पर चर्चा होने दीजिए। मोशन आफ थैंक्स पर आपने डिसाइड किया है कि आज हम इस पर डिसकशन करेंगे। बी.ए.सी. में भी आज 10.30 बजे आपने तय किया। आप बताइए इसका क्या करें।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, जान-बूझकर जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन पर सरकारी पक्ष का यह रवैया ठीक नहीं है। कल भी इनका रवैया ठीक नहीं था।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः देखिये, प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर खुलासा करने के लिए कल इशारा किया था, मगर वह बहस नहीं हो सकी। आज की मीटिंग में 10.30 बजे डिसाइड हुआ था।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः आप मुझे भी बोलने देना नहीं चाहते।

[हिन्दी]

रामजीलाल सुमन, आप देखिये आपके सदस्य क्या कर रहे हैं। हमने आज 10.30 बजे यह तय किया था कि नियम 193 के अंतर्गत डिसकशन करेंगे, वह कब होगा, किस समय होगा यह हम चार बजे की बी.ए.सी. मीटिंग में तय करेंगे। इसलिए अपने मेम्बर्स को वैल से वापस बुलाइए और मोशन आफ थैंक्स की जो शुरूआत हमने की है, आज इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर चार बजे जब बी.ए.सी. में तय करेंगे तब उस पर डिसकशन होगा। हाउस में सारी बातों पर डिसकशन होगा। हम कैसे कह सकते हैं कि डिसकशन न हो।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, वे मान गए हैं लेकिन उनके नेता यहां नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री रामजीलाल सुमन, मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने सदस्यों को वापस अपने-अपने स्थानों पर ले जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः डा. विजय कुमार मल्होत्रा, आपने भाषण शुरू कर दिया है, कृपया जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे धमकी का पत्र मिला है। मुझे इंदौर से पत्र आया है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मैं इस पर गौर करूंगा। आप लैटर मुझे भेजिए। मैं इस पर गौर करूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवलेः मुझे दो मिनट इस पर हाउस में बोलने दीजिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मैं इसे भी लूंगा। मैं इस पर गौर करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः सभा में शांति रखें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः डा. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन से वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 12.13 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामजीलाल सुमन, कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

डा. विजय कुमार मल्होत्राः उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार का लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है। पांच वर्ष के इस कार्यकाल में लगभग ढाई वर्ष पूरा होने जा रहे हैं और उस समय राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया, उसमें लगभग 75 के करीब उन्होंने उपलब्धियां इस सरकार की बताईं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब में नहीं जाना चाहता और उसके आंकड़े भी प्रस्तुत नहीं करना चाहता, परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी प्रशंसा सारा सदन, देश का हर व्यक्ति करता है। पिछले 20-30 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के अंदर महंगाई एक प्रतिशत बढ़ी हो। दुनिया के किसी देश में पिछले 10-15 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ होगा कि महंगाई एक प्रतिशत पर आई हो। यदि कहीं महंगाई कम भी हुई है तो 4, 5 या 8 प्रतिशत पर आई है। हमारे यहां भी ऐसे समय आए जब महंगाई 15, 16 और 24 प्रतिशत तक एवरेज बढ़ी। कांग्रेस के जमाने में 15-20 प्रतिशत महंगाई प्रति वर्ष बढ़ती थी जिसके कारण मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को परिवार चलाना मुश्किल होता था। मैं समझता हूं कि यह भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सरकार के समय महंगाई सिर्फ एक प्रतिशत बढ़ी है।

अपराह्न 12.16 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, इन हालात में जब विश्वभर में मंदी छाई हुई है, उस समय एक प्रतिशत महंगाई बढ़ना, विदेशी मुद्रा का 50 बिलियन डालर भंडार, एक रिकार्ड है। एक समय ऐसा भी आया था कि जब इस देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था और सोना गिरवी रखकर दूसरे देशों से उधार मांगकर काम चलाना पड़ा था। स्थिति यहां तक बदतर थी एक सप्ताह का भी फारेन एक्सचेंज नहीं था और लगता था कि हिन्दुस्तान की सारी अर्थव्यवस्था और उसका विदेशी मुद्रा का भंडार बुरी तरह ध्वस्त हो जाएगा।

इस समय हमारे देश में अनाज का प्रचुर भंडार है। हमेशा हमारा देश विदेशों से अनाज आयात करता था, अमरीका में भी करता था, हमें उसकी कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था तथा उसके पास अपनी इज्जत को गिरवी रखना पड़ता था, किन्तु आज हमारे देश में इतना अनाज का भंडार है कि हमने निर्यात शुरू कर दिया है और दुनिया के सात बड़े अनाज निर्यातक देशों में हमने अपना स्थान बना लिया है।

सभापति महोदय, 40-50 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि राशन के लिए इतनी लंबी-लंबी लाइनें लगती थीं और फिर भी लोगों को अनाज पूरा नहीं मिलता था। 10-10 साल लोगों को टेलीफोन की बुकिंग कराए हो जाते थे, लेकिन उन्हें टेलीफोन कनैक्शन नहीं मिलते थे, गैस बुक कराए वर्षों बीत जाते थे, लेकिन लोगों को एल.पी.जी. कनैक्शन नहीं मिलते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसी भी चीज के लिए लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज लोगों को खुले बाजार में भरपूर अन्न उपलब्ध है, टेलीफोन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते ही टेलीफोन कनैक्शन मिल रहा है. एल.पी.जी. भी बुक करते ही शीघ्र मिल जाती है। देश में किसी चीज का अभाव नहीं है।

महोदय, देश के चारों बड़े नगरों को जोड़ने वाली 9000 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं जो लक्ष्य से एक साल पहले पूर्ण हो जाएंगी। चारों क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण पूरी तेजी से चल रहा है। 13 हजार किलोमीटर नार्थ, साउथ, ईस्ट और वैस्ट को जोड़ने और इस हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से किया जा रहा है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से काम शुरू हो चुका है और मकान बनाने का काम प्रगति पर है और खासतौर पर गरीबों को मकान बहुत तेजी से उपलब्ध कराए जाएंगे। पहली बार कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है जिसके अनुसार 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने के अधिकार को उनका मूलभूत अधिकार बना दिया गया है। सबको रोजगार देने की बात भी कही गई है। अन्तरिक्ष कार्यक्रम की सफलता के बाद तो हमारा देश इस क्षेत्र में छठे नंबर पर आ गया है।

सभापति जी, सारे आंकड़े मैं इसलिए भी प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उनका जिक्र राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में स्वयं किया है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): सब ह्यूमर चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्राः सभापति जी, वेस्ट बंगाल सरकार के कारनामों के बारे में यहां कहने व बताने की जरूरत नहीं है।

मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्रीय देश है। यह पार्लियामेंट और यह संसद उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और शक्ति है, परन्तु इस सदन का क्या हाल हुआ है, हमने इस पार्लियामेंट को, एक सबसे बड़ी ताकत को कैसे एक मजाक का विषय बना दिया है, मैं चाहता हूं कि सारे सदन को इस पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सदन की महत्वपूर्ण चीजों को पास कराने में कोई रुकावट नहीं डाली। बजट को तथा अन्य दूसरी चीजों को पेश होने में अभी तक रोका नहीं गया। संसद के काम तो हो रहे हैं परन्तु संसद में जो सरकारी कामकाज हैं, जिसके लिए सैशन बुलाया जाता है, उनकी क्या हालत हो रही है, इस पर सदन को जरूर विचार करना चाहिए।

स्वर्गीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी जी ने एक कांफ्रेंस बुलाई थी। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाले 11 राज्य थे जबकि आज 14 राज्य हैं। उस समय उनकी विधान सभा के अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर्स, मैम्बर्स और चीफ व्हिप आये थे। कम्युनिस्ट पार्टी भी कहीं न कहीं राज्य चलाती है। उस समय यह तय हुआ था कि संसद का समय बढ़ाया जाये। विधान सभा का समय बढ़ाया जाये। यदि हम संसद और विधान सभा का समय बढ़ा दें, पांच महीने की बजाय छः या सात महीने कर दें तो फर्क क्या पड़ेगा? जब सरकारी कामकाज के लिए कोई समय ही हमारे पास नहीं है। सरकारी कामकाज के अलावा बाकी सब पर बहस की जायेगी तो सदन एक मजाक बनकर रह जायेगा।

सभापति महोदय, यह बजट सैशन है और इस सैशन में आज तक बजट के एक शब्द पर बहस नहीं हुई है। क्या बजट इस तरह से पास किया जायेगा? बजट पर कम से कम चार या पांच दिन तक बहस हो और सभी सदस्य बजट पर बोलेंगे। इसके बाद बजट की मांगें आयेंगी, उन पर भी विचार होगा परन्तु इस समय यह परिस्थिति पैदा हो रही है कि बजट पर एक दिन भी बहस होगी या नहीं होगी।

सभापति महोदय, सदन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं समझता हूं कि वह टिप्पणी उचित नहीं है, शोभनीय नहीं है। हम पार्लियामैंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट्स के बारे में किसी प्रकार की डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं कर सकते परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, सत्तापक्ष के स्थान खाली हैं। सत्तापक्ष की ओर से कोई नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: तीन चार मंत्री बैठे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मंत्री वहां बैठे हैं, और मुझे खुशी है कि वे भाषण का आनंद ले रहे हैं। माननीय मंत्री इस परिहास का पूरा आनंद ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह सरकार की उपलब्धियां हैं, जो इनको चुभती हैं। उनके लिए ह्यूमर के सिवाय कुछ नहीं है। परन्तु उनको यह बात समझनी चाहिए कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं यह कह रहा हूं कि यह टिप्पणी उचित नहीं है। परन्तु यदि सुप्रीम कोर्ट न भी कहे तो भी गली-मोहल्लों में यही बात जा रही है। स्कूल-कालेज आदि किसी जगह पर चले जायें, वहां यह मजाक का विषय बना हुआ है। उनको लगता है कि संसद में काम करने की बजाय हल्ला-गुल्ला ज्यादा होता है। यहां पर शोर होता है।

सभापति महोदय, आपने अभी देखा कि कुछ लोगों ने इस हाउस को रैंडसम पर बनाकर रखा है। जब चाहे हाउस चलने दें और जब चाहें न चलने दें। उसके कारण हत्वपूर्ण चीजें रह गई हैं। अभी बजट पर बहस होनी है, प्रैजीडेंशियल एड्रैस पर बहस होनी है। इसके अलावा बिल रहते हैं। पिछले सैशन के 40 बिल पड़े हुए हैं, जिन पर बहस होनी है लेकिन उन बिलों पर बहस नहीं हो रही है। कई महत्वपूर्ण बिल हमारे सामने बहस के लिए नहीं आ रहे हैं परन्तु उनको छोड़कर हर चीज पर बहस हो रही है। मैं चाहता हूं कि सभी संसद के सदस्य हमारी इस बात पर विचार करें कि हमें अधिक समय मिले जिससे सदस्य अधिक बोल सकें और इस संसद को हम पूरी तरह से प्रभावी कर सकें। देश में उसकी इमेज बने और सारा देश संसद की गरिमा को पहचाने तथा संसद हमारे लोकतंत्र का एक विशिष्ट स्थान बने जो आज की जनता के अंदर बिल्कुल नहीं है।

सभापति महोदय, यहां आगे यह बात आई थी। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के शुरू में चार राज्यों में जो चुनाव हुए, उनका उल्लेख किया है। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि इन चार राज्यों में चुनाव हुए, उनके परिणाम हमारे अनुकूल न आकर प्रतिकूल आये। हम जैसी उम्मीद कर रहे थे, वैसे चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आये। परन्तु हमने इसको स्वीकार भी किया है और उसके बारे में आत्ममंथन करने की भी बात की है। मेरा कहना है कि ये चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आये हैं? 1999 में जब यह सरकार बनी थी, उस समय का यदि आप मुकाबला करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को सिवाय उत्तरांचल के और किसी जगह उस तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई।

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

पंजाब में इनके दस एम.पी. चुनकर आए थे। हर मैम्बर के नीचे कुल मिलाकर नौ विधान सभा के सदस्य होते हैं। उसकी ऐवरेज में इनके 90 मैम्बर आने चाहिए लेकिन इनके 64 मैम्बर आए।...*(व्यवधान)* हमारे श्री सोमनाथ चटर्जी...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): दिल्ली में म्यूनीसिपल कार्पोरेशन के इलैक्शन होंगे तब आपको पता लगेगा।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सोमनाथ जी यहां बहुत जोर से कह रहे हैं। इनका एक मैम्बर चुन कर आया है और उस पर ये सारे विरोधी पक्ष को मिला कर अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रहे हैं। पंजाब में इनका एक भी मैम्बर नहीं आया, उत्तर प्रदेश में एक मैम्बर चुन कर आया है। कांग्रेस के सदस्य कहते थे कि अगली बार देखेंगे। 1999 में उत्तर प्रदेश में इनके दस मैम्बर लोक सभा में चुन कर आए थे और उससे कम होकर 25 रह गए और कितने लोगों की जमानत जब्त हुई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 25 प्रतिशत उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। यह स्थिति बनती है और इसके बाद भी कहा जाए कि यह विरोधी पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है तो 1999 के मुकाबले में यह जीत नहीं है।

समाजवादी पार्टी के सदस्य चले गए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 17 को देखें। इसमें कहा गया है कि:

> "ऐसे दिन या दिनों में या किसी दिन के भाग में सभा, किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगी।"

सभापति महोदय: यह प्रस्ताव डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया है और श्री गंगाराम गीते इसका समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सैकिंड कहां किया है? डिस्कशन कैसे शुरू हो गई। किसी ने सैकिंड नहीं किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसे डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया है और श्री गंगाराम गीते इसका समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: किसी ने सैकिंड नहीं किया। मोशन मूव किया और बोलना शुरू कर दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, कृपया नियम देखें, किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है।

सभापति महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, डा. मल्होत्रा इसे पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं।

प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण और समर्थन एक साथ नहीं हो सकता है। इसका नियम है।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: समर्थन करने वाले सदस्य ने भी इस अभिभाषण का समर्थन नहीं किया।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मूव करने के बाद सैकिंडँ होगा, उसके बाद डिस्कशन शुरू होगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कॉल और शकधर द्वारा रचित संसदीय प्रक्रिया तथा कार्य संचालन में पृष्ठ संख्या 207 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसमें कहा गया है कि:

> "प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्ताव के प्रस्तावक द्वारा शुरू की जाती है और उसके बाद प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्य का भाषण होता है।"

अब इसका समर्थन कब होगा? डा. मल्होत्रा का भाषण समाप्त होने के बाद श्री गंगाराम गीते प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसका समर्थन करने के लिए उनका नाम कार्य सूची में है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डा. मल्होत्रा, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके बाद श्री गंगाराम गीते उसका समर्थन करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, एक निर्धारित प्रक्रिया है। वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा सदस्य उसका समर्थन करेगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अत: मेरा विनिर्णय यह है कि डा. मल्होत्रा प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं और उनका भाषण समाप्त होने के बाद श्री गीते जी इसका समर्थन करेंगे।

अत: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी): सभापति महोदय, मैंने अध्यक्षपीठ को उसी समय बता दिया था जब उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि सामान्य प्रथा यह है कि प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद दूसरा सदस्य उसका समर्थन करेगा उसके बाद ही उस पर यहां चर्चा हो सकती है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह सामान्य प्रथा का प्रश्न नहीं है। यह "संसदीय पद्धति और प्रक्रिया" का पालन करने का प्रस्ताव है। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 207 पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि:

> "प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्ताव के प्रस्तावक द्वारा शुरू की जाती है और उसके बाद प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्य का भाषण होता है। उसके बाद उन सदस्यों से अपना आशय स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है जिन्होंने प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत किए होते हैं।"

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके बाद प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्य का भाषण होगा। अत: मेरा विनिर्णय यह है कि प्रस्ताव डा. मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और वह चर्चा में भी भाग ले रहे हैं। उसके बाद समर्थन करने वाले सदस्य अपनी बात रखेंगे। यह मेरा विनिर्णय है। यह कार्यसूची में दिया गया है।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: दूसरे सदस्य द्वारा इसका समर्थन किए बगैर इस पर चर्चा कैसे हो सकती है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह कार्यसूची में दिया गया है और कार्यसूची सभी सदस्यों को परिचालित की गई है। अत: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर मोशन सैकिंड हो गया तो मैं बोलूंगा कैसे?

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

श्री ई. अहमद: मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं केवल एक जानकारी चाहता हूं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समर्थन किए बगैर ही सभा ने इस पर कार्यवाही करनी शुरू कर दी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब राष्ट्रपति के अभिभाषण को इस सभा के पटल पर रखा जाता है, तभी इसे यह सभा की सम्पत्ति माना जाता है। अत: अब इस सभा को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कार्य करना है।

अब डा. मल्होत्रा अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रस्ताव का किसी अन्य सदस्य ने समर्थन किया है? अथवा नहीं?

सभापति महोदय: जब श्री गीते की बारी आयेगी तो वह इसका समर्थन करेंगे। इसके साथ-साथ समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी ओर से व्यवस्था यह है कि प्रस्तावक और समर्थनकर्त्ता को एक साथ ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने और समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है कि डा. विजय कुमार मल्होत्रा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके पश्चात् श्री गीते उसका समर्थन करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, इस चुनाव में मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

कि इस चुनाव में अलग-अलग पार्टियां किस सीमा तक गईं। बहुत बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनके दो-दो प्रधानमंत्री आतंकवाद का शिकार हुए हैं और वे आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की नेता थी, कांग्रेस पार्टी की नेता थीं, महान नेता थीं और प्रधान मंत्री रहीं। उनको भारत रत्न मिला और कांग्रेस पार्टी ने एक समय तो यह कहा था कि

[अनुवाद]

"इंदिरा इज इंडिया एण्ड इंडिया इज इंदिरा"

[हिन्दी]

और एक परिवार के तौर पर सम्माननीय मानी गईं। उनको देश की मां की संज्ञा दी गई, किन्तु मैं बहुत विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में एक बार भी श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? एक बार भी किसी कट आउट में या किसी पोस्टर में उनका नाम क्यों नहीं दिया?...*(व्यवधान)*

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर): श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से ही सब जगह चुनाव प्रचार का शुभारम्भ होता था। आपकी यह बता गलत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब उनकी बात में व्यवधान न डालिए। आपकी पार्टी को समय मिलेगा और आप उनके द्वारा पूछी गयी बातों का उत्तर दे सकते हैं। जब आपकी बारी आएगी तो आप इनकी बातों का उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं उन्हें उस ढंग से बोलने के लिए नहीं कह सकता जैसा कि मैं चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने बड़ी नम्रता से यह बात पूछी है, जो पार्टी अपनी महान नेता को तिलांजलि दे सकती है चुनाव में जीतने के लिए, वह देश के लिए क्या करेगी...*(व्यवधान)* इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी का कोई कटआउट नहीं लगाया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसी स्थिति है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: दो बजकर 15 मिनट पर पता चलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने सोचा कि पंजाब में उनका नाम लेने से वोटों पर फर्क पड़ सकता है इसलिए वहां पर किसी बड़े नेता का नाम नहीं लिया गया, किसी बड़े नेता का कटआउट नहीं लगाया। अगर किसी के पोस्टर या कटआउट लगाए, तो वह गोविन्दा के लगाए। उनका नाम प्रचार में लिया गया। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं थी कि वह आएं और भाषण करें। किंतु उनको बुलाकर मंच पर उनका गाना गाना, उनके लटके-झटके दिखाना, ऐसे अश्लील हावभाव दिखाए गए, जो शोभनीय नहीं थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया था?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें बोलने दें। चर्चा निष्पक्ष और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषण की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। जब आपकी बारी आएगी तो आप इसका उत्तर दे देना। आप इनसे कहलवा नहीं सकते। जब आपकी बारी आएगी तब आप उत्तर दे सकते हैं। अब इन्हें संसद में भाषण की स्वतन्त्रता का अनुभव करने दें।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, कोई कह सकता है कि मंच पर ऐसी बातें होती हैं। लेकिन टी.वी. पर कई दिनों तक यह दिखाया जाता रहा। क्या गाना दिखाया गया – खटिया

सरकाए लो। यह मंच पर कैसा भाषण हो रहा है! इस तरह के अश्लील भाषण करना और दिखाना, यह चुनाव पद्धति और जनतंत्र पर कुठाराघात है। हमें इस पर विचार करना चाहिए।

गोविन्दा जी ने जो भाषण की चार पंक्तियां कहीं, मुझे उस पर बहुत आपत्ति थी। मैं उस पर एतराज कर रहा हूं। सोनिया गांधी जी हमारे विपक्ष की नेता हैं। हम उनका बहुत आदर करते हैं। वे हमारे देश की प्रमुख नागरिक हैं। परंतु गोविन्दा को लाकर उनसे प्रमाण-पत्र दिलाना, यह सही नहीं है। उन्होंने जो दो-चार पंक्तियां कहीं, वह सिर्फ मंच पर ही नहीं कहीं, उसे टी.वी. पर करोड़ों लोगों ने भी देखा। उन्होंने कहा कि कोई बहू घर में आ जाए तो वह उस देश की हो जाती है। क्या हमें गोविन्दा जी से प्रमाण-पत्र चाहिए, क्या गोविन्दा यह तय करेगा? हमने पहले ही कहा है कि वे हमारे देश की प्रमुख नागरिक हैं। देश ने उन्हें स्वीकार किया है। किंतु उसके लिए गोविन्दा को लाने की जरूरत नहीं थी। इस पर विचार करना चाहिए।

पंजाब में उस समय श्री प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री थे। उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि देश के एक बड़े घराने ने पंजाब के चुनावों को प्रभावित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने प्री-पोल असेसमेंट और इस तरह की अन्य चीजें वहां पर अपनाईं। उन्होंने पब्लिकली यह चार्ज लगाया। एक चार्ज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर आर.एल.डी. लीडर ने लगाया। यह मेरे पास इसका सबूत है, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा कि यह करोड़ों रुपया है, मुलायम जी बताएं दाऊद से क्या सम्बन्ध है, मुलायम जी पर मुशर्रफ साहब से 200 करोड़ रुपए लेने का भी आरोप लगाया।

मैं कह रहा हूं कि यहां सारे आरोप लगे, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि जवाब देते, परंतु मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि चुनाव की फंडिंग के बारे में एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि चुनाव के अंदर कितना पैसा मिला, किस पार्टी ने लगाया और वह चुनाव में अनाप-शनाप खर्च हुआ, इस बारे में जो इलेक्शन कमीशन ने तय कर रखा है, अगर उससे ज्यादा खर्च होगा,...*(व्यवधान)* इतना रुपया कैसे खर्च हुआ,...*(व्यवधान)* इसीलिए हम इसकी भी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं प्रत्येक चीज में जांच की मांग कर रहा हूं।

[हिन्दी]

चुनाव के मायने बिल्कुल खत्म हो जाते हैं अगर कोई देशी या विदेशी ताकतें रुपया खर्च करके देश के चुनावों को प्रभावित करें, इसके लिए सरकार को इंक्वायरी करनी चाहिए कि यह इलेक्शन फंडिंग किस प्रकार हो और उसके अंदर जो-जो आरोप लगे, उन सबकी जांच करनी चाहिए।

इसके साथ ही यह चुनाव सुधारों का मामला जो बहुत दिनों से चल रहा है, यह इलेक्शन फंडिंग और स्टेट फंडिंग आफ इलेक्शन का भी मामला बहुत दिनों से चल रहा है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनाई गई थी, उसमें हम सब मैम्बर थे। मनमोहन सिंह जी भी मैम्बर थे, मैं भी मैम्बर था और यूनैनीमस रिपोर्ट आई थी। सरकार ने उसके बारे में कई बार विचार किया कि इसके बारे में कोई एक सहमति बनाई जाये परंतु यह कब से पड़ा हुआ है और आज तक इस सदन में इस पर बहस नहीं हो सकी क्योंकि हम महत्वपूर्ण चीजों को छोड़कर, चुनाव में सुधारों को छोड़कर, स्टेट फंडिंग को छोड़कर और बातों पर बहस करते हैं। ये बातें बीच में छोड़ देते हैं जो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

मैं एक बात की तरफ जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां पर इस चुनाव में लगातार कहा गया, ओपनली कहा गया कि उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम स्ट्रैटेजिक तौर पर वोटिंग करें, इसके लिए प्रयास किया गया। आखिर इस तरह के प्रयास होंगे कि यहां पर कौन बीजेपी को हरा सकता है, उस पार्टी को वोट दें और सब जगह मिलकर, एक फतवा जारी करके अगर यह तय किया जाएगा कि मुस्लिम मिलकर एक स्ट्रैटेजिक वोटिंग करके एक तरफा हो जाएं और कहीं कांग्रेस को वोट दें और कहीं समाजवादी पार्टी को वोट दें और अगर ऐसा होगा और इसे नहीं रोका गया, मेन स्ट्रीम में लाकर सब लोग सब पार्टीज के साथ नहीं चलेंगे तो इसका रिएक्शन होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमदः वह निराधार आरोप लगा रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं थी।

सभापति महोदयः उन्हें बोलने दें। जब आपकी बारी आएगी दो आप इन्हें उत्तर दे सकते हैं। आप अचानक उठकर उत्तर नहीं दे सकते हैं। हमें कुछ प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं केवल इन दलों के कुछ मुस्लिम नेताओं पर आरोप लगा रहा हूं जो उनको स्ट्रैटेजिक वोटिंग के लिए कह रहे हैं और स्ट्रैटेजिक वोटिंग कराने के लिए वहां पर सब मिलकर प्रयास करते हैं, इसका एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने पर जो दो राष्ट्रों के सिद्धांत कभी थे, क्या फिर से उसी लाइन पर हम चल पड़ें, यह उचित नहीं होगा, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में मुस्लिम अलग हों, हिन्दू अलग हों, हम उसे कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनाना चाहते हैं परंतु देश में यह चीज है कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: 403 उम्मीदवारों में से उन्होंने केवल एक ही मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया था।

सभापति महोदय: आप प्रत्येक पंक्ति का उत्तर नहीं दे सकते जब आपकी बारी आएगी तब आप इन्हें उत्तर दे सकते हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): वह मुस्लमानों के उद्धरण प्रस्तुत कर पूरे समुदाय का किस प्रकार से निरादर कर सकते हैं? उन्हें बी.जे.पी. मतदाताओं अथवा अन्य दलों के मतदाताओं की बात करनी चाहिए। उन्हें किसी समुदाय विशेष को कोई विशेषण देने और उनके इस ढंग से पहचान करने का कोई अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय: इसलिए मैंने यह कहा है कि संसद में भाषण की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उन्हें बोलने दीजिए। आप उन्हें बाद में उत्तर दे सकते हैं। आपको उत्तर देने का और उन्हें बोलने का अधिकार है।

श्री वैको: वह गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की बात नहीं की। उन्होंने कुछ नेताओं का नाम लिया है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, वे लीडर्ज न सिर्फ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: अगर आप हिन्दु-मुस्लिम की एकता चाहते हैं तो हम आपका अभिनन्दन करते हैं,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले, आप अचानक खड़े होकर नहीं बोल सकते। कोई भी बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: प्रक्रिया यह नहीं है। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें। जब आपकी बारी आएगी, तब आप उन्हें उत्तर दे सकते हैं।

श्री रामदास आठवले, आपने अपना नाम सूचित कर रखा है। आपका नाम सूची में शामिल है। जब आपकी बारी आएगी, तब आप इन बातों का उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, न सिर्फ मुसलमान लीडर्स, मैं कह रहा हूं कि बहुत से हिन्दू लीडर्स भी चुनाव के लिए साम्प्रदायिकता का जहर भरते हैं और प्रयास करते हैं कि वे एकतरफा वोट डालें। उसके लिए मैं कह रहा हूं कि उसका रिएक्शन होगा। हमारी पार्टी तो सरकार नहीं बनाएगी परन्तु ये मजबूर कर देंगे कि देश को दो हिस्सों में बांट दिया जाए।

महोदय, पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही है। आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया—कभी किसी को चोर कहा गया, किसी को उन्मादी कहा गया, दुनिया भर के शब्दों का प्रयोग किया गया। इस तरह के शब्दों का प्रयोग सदन में उचित नहीं हैं। हमने इनकी बातों को सुना है, ये लोग लगातार त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं। ये कभी किसी मुख्य मंत्री का और कभी आडवाणी जी का त्यागपत्र मांगते हैं। ये आज पहली बार नहीं मांग रहे हैं, शुरू से ही ऐसा हो रहा है। कभी कहते हैं कि मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, उमा भारती त्यागपत्र दें। ये लगातार त्याग-पत्र की रट लगाए हुए हैं। जब यह सरकार बहुमत में है, प्रधानमंत्री जी किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। अब ये कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी भी त्यागपत्र दें। यह सरकार नहीं चलेगी, सरकार छोड़ दो। ऐसा लगता है कि अपोजिशन एक प्रोफेशनल मंगते की तरह हो गया है। ये त्यागपत्र मांगते ही रहेंगे—त्यागपत्र दो, त्यागपत्र दो। त्यागपत्र मांगने का क्या सवाल है?...*(व्यवधान)*

महोदय, यहां एक सेक्यूलर ब्रिगेड बना। ये सब लगातार नाम वही हैं, मुद्दे बदल जाते हैं। कोई भी मुद्दा आ जाए—जैसे भगवाकरण, उसमें सौ-पचास लोगों के हस्ताक्षर लेकर अखबारों में नाम आ

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाता है। सरस्वती वंदना का मुद्दा आ जाए तो उसके नीचे नाम वहीं होंगे, वही नाम उसमें डाल कर उसका बयान चला जाएगा। देश भर में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सेक्यूलर पार्टियां ह्यू एंड क्राई इस तरह हौवा खड़ा करती हैं। आप पचासों मुद्दों में देखेंगे उसके नीचे वही नाम हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, हस्ताक्षर करने वाले वही रहते हैं। इस तरह केवल मात्र त्यागपत्र मांग कर, ऐसी कुछ चीजों को करके यह स्थिति बनाई जा रही है।...*(व्यवधान)*

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने वाले पहले वक्ता को यह पता नहीं चल सकता कि चर्चा के दौरान बाद में अन्य सदस्य इस संबंध में क्या कहेंगे। उसे अपने आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण तक ही सीमित रखना चाहिए और केवल विषय संगत बात करनी चाहिए। वह अन्य मुद्दे नहीं उठा सकता।

सभापति महोदयः यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यदि किसी नियम अथवा प्रक्रिया की अवहेलना होती है, तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। वह अपनी पसन्द के अनुसार भाषण दे सकते हैं। अत: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य को सीख नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्राः सभापति महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि मेम्बर्स बोले, मैं कह रहा हूं कि पिछले ढाई साल में लगातार इस्तीफे मांगे गए। ढाई साल से लगातार एक सेक्यूलर ब्रिगेड ने जहर पैदा करने की देश भर में कोशिश की कि कोई भी मुद्दा आ जाए, जिसका रिमोटली ताल्लुक किसी हिन्दू निष्ठा के साथ हो तो ये उसके खिलाफ बयान देंगे। मुद्दे बदलते रहे-कभी भगवाकरण, सरस्वती वंदना, पोटो और कभी आतंकवाद, सभी बातों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए थे। मुद्दे वही, उसके नीचे नाम, दस्तखत वही थे। यह लगातार होता रहा है।

महोदय, यह दोहरी नीति किस प्रकार से चलती है। जब डिसइनवेस्टमेंट का मामला आया तो उस पर कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत कुछ कहा। पिछले चुनाव में विपक्ष की नेता ने भी जगह-जगह कहा कि सरकारी अदारे बेचे जा रहे हैं, डिसइनवेस्टमेंट किया जा रहा है, केन्द्र सरकार सरकारी उपक्रमों को बेच रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, जो यहां बिजली, डीवीबी का टोटल प्राइवेटाइजेशन कर रही है और बसों का टोटल प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां-वहां टोटल डिसइनवेस्टमेंट लगभग पूरा किया जा रहा है। होटल, सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं। चटर्जी साहब, यहां पर फिर इस बात को कहेंगे, इनके वेस्ट बंगाल में जितना डिसइनवेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन हुआ उतना शायद किसी प्रांत में न हुआ हो।

यह डबल बात कैसे चल सकती है। प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें डिसइंवैस्टमेंट करें, पीने का पानी, बिजली का निजीकरण करें तो ठीक, लेकिन यह सरकार करे तो कहा जाता है कि उपक्रमों को बेचा जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह डबल बात क्यों की जाती है।

सभापति महोदय, पोटो कानून महाराष्ट्र में आज भी लागू है जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी लागू है, तमिलनाडु, कर्नाटक में आज भी लागू है और हमारे माननीय बुद्धदेव भट्टाचार्य जी तो इससे भी ज्यादा कड़ा कानून लाने वाले थे लेकिन जब वह कानून लगभग तय कर लिया तो यहां से कहा गया कि हमें इसका विरोध करना है इसलिए वह न लाएं। इनके राज्यों में कानून बने तो ठीक है लेकिन हम यहां लाने की कोशिश करें तो उसका विरोध किया जाता है। अब तो चुनाव समाप्त हो गये हैं इसलिए इस प्रकार की बातें अब न की जाएं तो अच्छा है। पोटो जैसे कानून का सारी दुनिया ने और संयुक्त राज्य अमरीका ने 178 देशों से कहा कि इसके जैसा कानून बनाएं। पोटो जैसा कानून बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव पास किया है और सब देशों से इसके लिए आग्रह किया है। हम और कांग्रेस के सदस्य भी बहुत से देशों में गये और उसकी रिपोर्ट आई है जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। वहां सबने कहा कि इन्होंने पोटो जैसा कानून बनाया है, मुस्लिम देशों ने भी पोटो जैसा कानून आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया है लेकिन जब इस सदन में बात आती है तो उसका विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि पोटो किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। हमारा देश इस समय आतंकवाद की लपेट में है। इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि हमें आतंकवाद से लड़ना है इसलिए यह स्थिति आती है।

सभापति महोदय, बार-बार यह कहा जाता है कि सरकार एंटी-लेबर है, यह सरकार कर्मचारियों की विरोधी है और लेबर-लॉज के विरोध में जुलूस निकाले जाते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): भारतीय मजदूर संघ निकाल रहा है।

डा. विजय कुमार मल्होत्राः जी, वह भी कह रहा है। कांग्रेस ने जब इसको शुरू किया तो जो आर्थिक सुधार हैं वे पूरी तरह से कांग्रेस के जमाने में लाये गये थे। कांग्रेस के जमाने में सुधार

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

लाए गये। आज मध्य प्रदेश में जितने भी डेली-वेजिज पर काम करने वाले हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। उनके बारे में तो नहीं कहा गया कि वह सरकार एंटी-लेबर है। केरल में 34 दिन हड़ताल हुई और वहां लोगों ने जुलूस निकाले, आत्महत्याएं की लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं रियायत देने के लिए तैयार नहीं हूं। उनका बयान है कि 58 साल से 55 साल की सेवा वे करना चाहते हैं। इनके राज्यों में बात हो तो ठीक है लेकिन सरकार यहां कुछ करना चाहे तो उसको एंटी-लेबर ठहराया जाता है। जिन मिलों में एक हजार मजदूर काम करते हैं उन मिलों को बंद कर देने की छूट देनी चाहिए या नहीं तो मैं इसके हक में नहीं हूं और मेरी पार्टी भी इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन अगर अलग-अलग भेद रखे जाएं तो ठीक नहीं है। कांग्रेस की सरकार राज्यों में करे तो ठीक, यहां हम करें तो गलत—यह दोहरा पैमाना नहीं चल सकता है। यहां पर कई बार इसका जिक्र किया गया है कि सिमि और मदरसों के बारे में माननीय बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के बयान को देखें, कांग्रेस के राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों के बयानों को देखेंगे तो पायेंगे कि जिन मदरसों में कुछ इस प्रकार की गलत गतिविधियां चलती हैं और वहां की सरकारें यह कदम उठा रही हैं। दिल्ली की सरकार ने सारे मदरसों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि इनमें आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने उनके ऊपर जांच प्रारंभ कर दी है।

पाकिस्तान इन मदरसों से परेशान है। वह इसके बारे में इसी प्रकार की नीति अपना रहा है। मदरसों में किसी प्रकार की ऐसी गतिविधियां न हों और किसी मदरसे में जेहादी मानसिकता के लोग पैदा न हों। मैं 15-20 मुस्लिम देशों के नाम बता सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री श्यामाचरण शुक्ल: महोदय, मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाना है।

सभापति महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री श्यामाचरण शुक्ल: महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में मदरसों का कोई उल्लेख नहीं है। मैं आपका ध्यान नियम 356 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है:

"अध्यक्ष, ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या तो स्वयं अपने प्रतर्कों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतर्कों की उकता देने वाली पुनरावृत्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेगा।"

मैं अब आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

सभापति महोदय: क्या आप अध्यक्षपीठ से यह चाहते हैं कि वह सदस्यों को निदेश दें कि वे इस तरह या उस तरह से बोलें? यह प्रथा सभा में नहीं अपनाई जाती है। मैं पिछले ढाई वर्षों से यहां हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं पिछले ढाई वर्षों से सभा की कार्यवाही देख रहा हूं। अध्यक्षपीठ किसी सदस्य को इस तरह या उस तरह से बोलने का निदेश नहीं दे सकता। यह प्रक्रिया सभा में नहीं अपनाई जाती है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल: मैं यह कयास लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अन्य दल भविष्य में क्या कह सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सभा में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि किसी भी सदस्य को सभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह चाहे जिस तरह से भी बोले।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): लेकिन यह नियम 356 के विपरीत नहीं है। कृपया नियम 356 पढ़िए। इसमें स्पष्ट रूप से अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव पर बोलते वक्त संगत बातों का ही उल्लेख करे। जब कोई सदस्य, प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उन मुद्दों पर बोलता है जिन्हें धन्यवाद प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है और निश्चित रूप से पाकिस्तान में मदरसों में जो हो रहा है यदि इसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया गया है तो यह सुनिश्चित करना अध्यक्ष का कर्त्तव्य हो जाता है कि या तो सदस्य जो बोल रहा है वह संगत बातों का उल्लेख करे या वह सदस्य को अपना भाषण बंद करने के लिए निदेश दे। यही विषय में कहा गया है।

सभापति महोदय: श्री मणि शंकर अय्यर, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सीमा-पार से आतंकवाद का उल्लेख किया गया है। वह जिस तरीके से कहना चाहते हैं, कह रहे हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। राष्ट्रपति ने इसका उल्लेख किया है। आप नियम को कड़ाई से लागू नहीं कर सकते। यदि नियमों को कड़ाई से लागू किया जाता तो सभा अलग ही होती।

श्री वैको: यदि नियम का कड़ाई से पालन किया जाए तो आप कभी बोल ही नहीं सकते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जी हां, नियम कभी आपके पक्ष में होते हैं तो कभी उनके। इसलिए स्थिति को सामान्य करने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, मैं किसी एक विषय पर आधे मिनट से ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं और न ही किसी बात को दोहरा रहा हूं। मैंने यह सवाल इसलिए उठाया कि इसमें आतंकवाद का जिक्र है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ देश और विश्व को मिल कर लड़ना चाहिए, मैं उसी का जिक्र कर रहा था। सभी देशों में इस प्रकार की कोई जेहादी मानसिकता पैदा न हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान भी ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है लेकिन जब सरकार जरा सी ऐसी कोई बात करती है तो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश की जाती है।

सभापति जी, इससे पहले मैं कुछ और बातों का जिक्र करूं, खासतौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन पर सारे सदन को मिल कर विचार करना चाहिए। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिक्र हुआ। उसमें कहा गया कि अभी भी हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार और दूसरे सभी पक्षों को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए।

भ्रूण हत्या और जैंडर डिसक्रिमिनेशन का विषय ऐसा है जिस पर सारा सदन मिल कर विचार कर सकता है। इसके अलावा 10-15 ऐसे विषय हैं खासतौर पर विदेश नीति के, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि इस बार हमारे विभिन्न दल विभिन्न देशों में गए जिसे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री ने भेजा। कांग्रेस के बहुत से सदस्य उनमें शामिल थे। उस दल ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उससे आपको लगेगा कि विदेश जाने का कितना लाभ हुआ और कैसे अपनी बात वहां रखी जा सकी? उन देशों में जो हमारे प्रति भ्रांतियां थीं, उन्हें दूर किया गया। सरकार उन रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई करेगी। ऐसे दलों को फिर से बाहर के देशों में भेजा जाए, इसकी बहुत जरूरत है। विदेश नीति पर सब लोग मिल कर एक जैसी राय रख सकते हैं।

सभापति महोदय, अयोध्या के मामले में यहां बहुत बहस हुई। इस पर बहुत कुछ कहा गया। कल फिर इस पर बहस करने की बात कही गई है।

अपराह्न 1.00 बजे

कम से कम हर तीसरे दिन और लगातार हर सैशन में कई बार अयोध्या मुद्दे पर बहस होती है लेकिन मैं केवल इसमें थोड़ी बातों का उल्लेख करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आज यहां इस तरह का एक इम्प्रेशन बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहां विवादित भूमि पर पूजा हो रही है, किसी ने विवादित भूमि पर पूजा रोकी नहीं। हालांकि, वहां मंदिर बना हुआ है। आज स्थिति यह है कि विवादित भूमि पर मंदिर है। 1949-50 में मंदिर शुरू हुआ था जब पं. जवाहर लाल देश के प्रधान मंत्री और पं. गोविन्द बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय वहां राम लला की मूर्तियां प्रकट हुई थीं और तभी पूजा का काम शुरू हुआ था। फिर वहां दरवाजे खोले गये, उसके बाद श्री बूटा सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया और स्व. राजीव गांधी ने वहीं से अपने चुनाव संचालन का कार्य शुरू किया। उस जगह पूजा की अनुमति क्यों मांगी गई है, आज इस बात पर आपत्ति की जा रही है। सवाल इस बात का नहीं कि यह आपत्ति की जा रही है बल्कि यह कहा जा रहा है कि उस हिस्से के बाहर कहीं भी शिलादान नहीं हो सकता। क्या हिन्दुओं पर पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया जायेगा कि कहीं पूजा नहीं होनी चाहिये, 67 एकड़ जमीन के बाहर पूजा नहीं होनी चाहिये।

आज स्थिति यह बन गई है कि अयोध्या एक धार्मिक स्थान है, पूजा का स्थान है और एक तीर्थ स्थान है। लोग पूजा के लिये जाते रहेंगे, राम लला के दर्शन करने के लिये जाते रहेंगे। सभापति जी, वहां 14 मंदिर ऐसे हैं जहां पिछले 7-8 सौ साल से पूजा हो रही है। आज प्रधान मंत्री जी पर दोषारोपण किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जो काम बाबर और औरंगजेब ने नहीं किया, वह ये करने जा रहे हैं। इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि देखो, संघ में बी.जे.पी. के लोग उन मंदिरों में पूजा बंद करवा रहे हैं जिसमें बाबर और औरंगजेब के जमाने से पूजा होती रही है। मेरा अनुरोध है कि ऐसी स्थिति न बने और इस देश में यह भावना पैदा न की जाये जिससे लगे कि हिन्दू लोग या हिन्दू की तरह पूजा करना एक पाप की बात हो। ऐसी भावना नहीं बननी चाहिये। यदि ऐसा होगा तो इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसकी प्रतिक्रिया होगी।

सभापति महोदय, यहां कहा जा रहा है कि साधु-संतों का दबाव है और वहां जाकर बी.जे.पी. के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने पहली बार यह देखा है कि किसी प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सब को न्यौता दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने नाम से निमंत्रण-पत्र जारी किया है। हमारी विपक्ष की नेता ने एक अच्छा काम किया कि वहां गईं। लेकिन मुख्य मंत्री ने अपने नाम से निमंत्रण-पत्र दिया है जिसके नीचे लिखा हुआ है कि फलां-फलां शंकराचार्य इस तरह से स्थापित करेंगे, वहां सब लोग आयें। उन लोगों को ट्रेनें दी जायें, उन्हें जहाज से बुलाया जाये। जो लोग जहाज से नहीं जा सकते थे, उन्हें तब भी ले जाया गया और इससे कठिनाई पैदा हुई। श्रीमती सोनिया जी जायें, यह अच्छी बात है, उन्हें जाना भी चाहिये। सोनिया जी का एक चित्र उसमें छपा हुआ है, वे उनसे आशीर्वाद ले रही हैं, अच्छी बात है परन्तु क्या एक मुख्य मंत्री इस तरह का निमंत्रण-पत्र देंगे, उसके लिये फ्री

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

इन्तजाम करेंगे। यह सैकुलरिज्म है? यदि साधू-संत कोई काम करना चाहेंगे, उसके लिये केवल विरोध किया जाये। उसके बारे में यह कहा जाता है, उस बात को दोहराया जाता है कि यहां साम्प्रदायिकता की बात हो रही है। 'इंडियन एक्सप्रेस' में यह चित्र छपा है।

[अनुवाद]

शंकराचार्य कृपानंद महाराज सोनिया गांधी को दावेनगिरी मंदिर में आशीर्वाद देते हैं।

[हिन्दी]

और यह कि श्री गुरु रत्नेश्वर महादेव प्राणप्रतिष्ठा एवं अति रौद्र महायज्ञ—नीचे निवेदक हैं—मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, अध्यक्ष।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): फिर क्या प्राब्लम है?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, क्या सैकुलरिज्म के मामले में किसी मुख्य मंत्री को धार्मिक काम के लिये इस तरह का निवेदन करना चाहिये या ऐसा छापना चाहिये, क्या मुख्यमंत्री को गाड़ियां देनी चाहिये, क्या यह सब करना चाहिये?

[अनुवाद]

श्री श्यामाचरण शुक्ल: सभापति महोदय, ऐसा उन्होंने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से किया है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह दोहरी नीति नहीं चल सकती। आज जब कि इस देश में हम लोग...*(व्यवधान)* मैं शंकराचार्य जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, सरकार की ओर से शंकराचार्य जी को दिये निमंत्रण का विरोध कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: आप क्या बात करते हैं।

[अनुवाद]

शंकराचार्य कुछ राज्यों में सरकारी अतिथि हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, सेक्युलरिज्म अपनी सहूलियत के मुताबिक नहीं चल सकता। मैं आपसे कह रहा था कि सहूलियत के मुताबिक सेक्युलरिज्म मत चलाइये और यहां किसी शंकराचार्य के विरोध की बात नहीं है। उसमें यह जरूर है कि अगर हम में से कोई कुंभ में चला जाए तो कम्युनल हो गया और अगर इनके नेता कुंभ में चले जाएं तो वह सेक्युलर हो गये। सेक्युलरिज्म की परिभाषा अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो, यह उचित नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कुंभ में नहाना इनकी मोनोपोली है। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, आज की परिस्थिति में अयोध्या के मामले में पूरा जोर लगाया जा रहा है। ईश्वर की कृपा से वहां शांति स्थापित रहेगी। परंतु कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि वहां कुछ हो जाए, गड़बड़ होती रहे, आंदोलन होता रहे और जिस तरह से उसका विरोध किया गया है, उससे काफी कठिनाई पैदा हो रही है। आपस में बातचीत से अच्छा वातावरण बने, मुस्लिम पर्सनल ला के लोग और दूसरे नेता आपस में मिलकर तथा मैं कहूंगा कि यदि विपक्ष के नेता भी इसमें सहयोग दें और आपस में बातचीत से मामला हल हो जाए, आपस की बातचीत से मसला हल करने का कोई रास्ता निकल आये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपस में लगातार विद्वेष की बात होती है जो उचित नहीं है। परंतु मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि उसमें अड़चन डाली गई, उसे रोका गया, उन पर दबाव डाला गया कि वहां कोई समझौता न हो, वे कोई समझौता न करें। यदि यह समझौता हो जाये और हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा कायम हो जाए तो कुछ पार्टियों की दुकान बंद हो जाती है, उनकी दुकान नहीं चलती है। इसलिए वे चाहते हैं कि यह मसला जिंदा रहे, वहां आग लगी रहे और यह मसला हल न होने पाये। इसके पीछे इनका षडयंत्र रहता है। वहां न्यायालय ने जो बात रखी थी, न्यायालय ने इसका हल निकालने के लिए प्रयास किया गया था। परंतु आज जब कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं बार्डर पर एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, आज आतंकवाद का खतरा पूरी तरह से देश में खड़ा हो गया है, इनका मुकाबला करने के लिए आज देश की एकता, अखंडता तथा साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने की जरूरत है। उसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी अपने निकट के लोगों की आलोचनाओं और दबाव को सहते हुए प्रयास कर रहे हैं। हम सबको उनके इस प्रयास में मदद करनी चाहिए, उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। लेकिन ऐसा करने के बजाय हम उन पर दोषारोपण करके फिर से देश में साम्प्रदायिकता के जहर की आग में झोंकने का प्रयास करना देश के हित में नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि अगर सारा सदन आर्थिक सवाल, बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा के जो मुद्दे देश के सामने हैं, इन सब सवालों पर यदि सदन में विचार करके देश को एक महान देश बनाने का प्रयास किया जाए

और सांप्रदायिक विद्वेष को समाप्त करने में हम सब सहयोग दें तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, उस पर मैं धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अनंत गंगाराम गीते।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): सभापति महोदय, वे भोजनावकाश के उपरान्त बोल सकते हैं, हम लोगों को भी शुक्रवार की प्रार्थना में जाना है। हमें उनका भाषण भी सुनना है। कृपया सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए स्थगित करें।

महोदय, हम भोजनावकाश के उपरान्त चर्चा दोबारा शुरू कर सकते हैं।

सभापति महोदय: सभा स्थगित की जाती है।

श्री गीते, आप अपनी बात बाद में जारी रखेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब सभा अपराह्न 2.10 बजे पुनः समवेत होगी।

अपराह्न 1.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.12 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.12 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन* **हुए**]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सभापति जी, आज सवा दो बजे राम भगवान की पूजा है। इसलिए मैं आपसे अनुमति मांगता हूं कि हमें भी मंदिर जाने की इजाजत दीजिए और हाउस को कम से कम एक घंटे के लिए बन्द कीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए। आपके लीडर बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: सभापति महोदय, मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूं। आज हमारी विशेष पूजा है। सवा दो बजे देशभर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। हमें पूजा करने जाना है। हमें एक घंटे की अनुमति दी जाए हाउस को एक घंटे के लिए एडजर्न किया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पहले आप बैठिए।

श्री मोहन रावले: सर, आज आपने नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दे दी और सदन लंच के लिए स्थगित कर दिया। वैसे ही हम भी पूजा करने जाना चाहते हैं। इसलिए एक घंटे के लिए सदन उठाया जाए और हमें पूजा करने जाने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री गीते जी की बात को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)** *

सभापति महोदय: आप कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपके नेता बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: सर, जब उन्होंने मांगी तो आपने अनुमति दे दी। आज अयोध्या में राम जन्म भूमि में शिला दान हो रहा है, हमें भी पूजा करनी है। सर, यह करोड़ों हिन्दुओं का सवाल है। सर, यह क्या है, क्या यही सैकुलरिज्म है। आपने बनातवाला जी को तो नामज पढ़ने जाने देने के लिए सदन को एक घंटे के लिए उठा दिया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आपके नेता बोलेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री गीते जी के भाषण को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)** *

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री गीते जी आप अपना भाषण शुरू करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री गीते जी, कृपया अपने सदस्य को नियंत्रित करें। आप दल के नेता हैं और आपको अपने सदस्य को नियोजित करना चाहिए। वे सभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप पहले बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप जो भी कहना चाहते हैं, गीते जी उसके संदर्भ में बोलेंगे।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: सभा में व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री अनंत गीते जी के भाषण को छोड़ कर और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप जो भी चाहें कर सकते हैं, लेकिन पहले आप बैठिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप हाउस को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप पहले बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप हाउस को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब बहुत हो गया, इसलिए आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने पहले ही श्री अनंत गंगाराम गीते को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री गंगाराम गीते जी की बातों को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री अनंत गंगा राम गीते, आप अपने सदस्य को नियंत्रित करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, सदन में थोड़ी गलतफहमी है। मैं उस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपके नेता बोल रहे हैं और आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपके नेता बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री अनंत गंगाराम गीते, आप अब अपना भाषण शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): सभापति महोदय, जब यह हाउस लंच के लिए एडज़र्न किया गया, तब उसके पूर्व यहां

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर श्री बनातवाला जी ने कहा था कि अभी हमारा नमाज का समय है। उस समय श्री पांडियन पीठासीन अधिकारी थे। उन्होंने उस समय हाउस लंच के लिए एडजर्न किया था लेकिन सदन की गलतफहमी ऐसी हुई कि हाउस नमाज के लिए एडजर्न किया है। ये सारी बातें यहां पर आई हैं। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना भाषण शुरू कीजिये।

श्री मोहन रावले: सभापति जी, मैं इसके विरोध में वाकआउट करता हूं।

अपराह्न 2.17 बजे

(तत्पश्चात् श्री मोहन रावले सभा भवन से बाहर चले गए)

अपराह्न 2.18 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है, उसके अनुमोदन के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं उस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का प्रकटीकरण राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में होता है। जब से एन.डी.ए. की सरकार इस देश में चल रही है, विशेषकर जो किसान हैं, गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास इस सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में करने का प्रयास किया है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर किसान परिवारों की है इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस देश का जो सबसे बड़ा वर्ग, किसान वर्ग है, उसका अभिनंदन किया है। यह अभिनंदन इसलिए किया क्योंकि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमारी फसल ज्यादा होने की उम्मीद है। 2001-2002 में लगभग 210 मिलियन टन हमारे अनाज की उपज होने की संभावना है जो पिछले वर्ष के 196 मिलियन टन से ज्यादा है।

सरकार की कृषि नीति को राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बिल्कुल साफ तौर पर दोनों सदनों के सामने रखा। इस देश में हर साल अनाज का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और अनाज के साथ सब्जी और फलों की पैदावार भी बढ़ती जा रही है। हमारी कई वर्षों से इस सदन में यह मांग थी, हमारी पार्टी शिवसेना की ओर से भी हर बजट में मांग की जाती थी कि किसानों की उपज को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने पर लगी पाबंदी हटाई जाए। राष्ट्रपति जी ने इस देश की कृषि नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब राज्य की पाबंदी को हटाया जाएगा। मैं इस नीति का स्वागत करता हूं। किसान मेहनत और श्रम करके जो उपज पैदा करता है, इस नीति के जरिए उसे उसकी उपज का सही मूल्य मिल सकता है।

हर राज्य में अलग-अलग तरह की पैदावार होती है जैसे महाराष्ट्र में गन्ने की पैदावार काफी है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, कोंकण क्षेत्र में अल्फांसो आम, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उस की पैदावार ज्यादा होती है। गुजरात हमारा पड़ोसी राज्य है। गुजरात में मूंगफली की पैदावार ज्यादा होती है। वहां मूंगफली की पैदावार ज्यादा होते हुए भी राज्य बंदी के कारण हमें सस्ते दामों में मूंगफली का तेल नहीं मिलता था। जब यह बंदी हटा ली जाएगी तब जैसे किसानों को उसका फायदा होगा, वैसे ही आम ग्राहकों को भी उसका फायदा मिलेगा। इसलिए एन.डी.ए. की सरकार ने किसानों के संदर्भ में जो कृषि नीति अपनाई है, मैं उस नीति का स्वागत करता हूं।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या किसानों की हालत ठीक है जो स्वागत कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: आज महाराष्ट्र में प्याज की पैदावार बहुत हो गई है। प्याज पैदा करने वाले किसानों के सामने ज्यादा पैदावार एक समस्या बन गई है।...*(व्यवधान)* इस साल वहां सबसे ज्यादा प्याज पैदा हुआ है। किसान परेशान है कि प्याज कहां बेचा जाए। जिस तरह राज्यों की पाबंदी हटाई गई है, महाराष्ट्र सरकार की ओर से बार-बार मांग आती है, हमने भी शिव सेना की ओर से बार-बार मांग की है कि जैसे आप चीनी निर्यात करने की परमीशन देते हैं वैसे ही इस साल प्याज को एक्सपोर्ट करने की परमीशन देने की आवश्यकता है। यदि इस वर्ष प्याज का निर्यात नहीं कर पाएंगे तो महाराष्ट्र में प्याज की उपज करने वाले किसानों की हालत एकदम खराब हो जाएगी। इस बार वहां काफी ज्यादा प्याज की पैदावार हो गई है। जिस प्रकार वहां प्याज की स्थिति है, उसी प्रकार की स्थिति आज महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादकों की है, उसी प्रकार विदर्भ में कपास उत्पादकों की स्थिति है। प्याज की भी सीधे राज्यों को निर्यात करने की इजाजत मिलनी चाहिए। कपास का निर्यात करने के लिए भी और चीनी की निर्यात करने की भी सीधे राज्यों को परमीशन मिलने की आवश्यकता है। यदि राज्यों को सीधे इन चीजों को एक्सपोर्ट करने की इजजात दी जायेगी तो निश्चित रूप से...*(व्यवधान)*

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): जहां तक कॉटन का सवाल है, कॉटन का टोटल एक्सपोर्ट फ्री कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): चीनी के लिए भी मैं सदन को बताना चाहूंगा कि चीनी को भी सीधे एक्सपोर्ट की इजाजत मिल गई है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: काटन को भी सीधे एक्सपोर्ट की इजाजत राज्यों को दी है, यह मंत्री जी कह रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कपास और चीनी के एक्सपोर्ट के लिए आपने पाबन्दी हटाई है और आपने एक्सपोर्ट फ्री कर दिया है। मैं इसलिए मांग कर रहा हूं कि इस वर्ष प्याज की ज्यादा उपज है तो प्याज के एक्सपोर्ट के लिए भी सरकार को इसी तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों के बारे में अभिनन्दन का उन्होंने जिक्र किया और अभिनन्दन किया है, उसी प्रकार राष्ट्रपति जी ने इस देश में रहने वाले जो करोड़ों गरीब हैं, जो विशेषकर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बात कही है। यह बात उन्होंने दोनों सदनों के ध्यान में लाई है कि जो विशेषकर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनको एक परिवार को पहले हर महीने दस किलो अनाज दिया जाता था, 10 किलो से बढ़ाकर 20 किलो किया गया और अब 20 किलो से बढ़ाकर 25 किलो अतिरिक्त अनाज, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उनको सहूलियत के दाम से 25 किलो अनाज एक परिवार को देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है और इसलिए जो गरीब इस देश के हैं, कम से कम दो वक्त की रोटी उन्हें मिले, इस बात के प्रयास अवश्य सरकार की ओर से किये जा रहे हैं।

राष्ट्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और जब राष्ट्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसमें अहम भूमिका होती है, विकास की ओर बढ़ने के लिए, वह सड़कों की होती है। कहा जाता है कि जिस देश में सड़कों की अच्छी व्यवस्था है या हर गांव, हर गली में सड़कें हैं, वे देश अधिक विकास कर पाते हैं, कर सकते हैं। इसलिए इन सड़कों के संदर्भ में भी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। आने वाले दो सालों में हमारी सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग दस हजार करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय विकास का सपना हम अवश्य देख रहे हैं, हमारी सरकार का यह जो फैसला है, हमें इस विकास के सपने तक पहुंचाने में मदद करेगा।

सभापति जी, एक और महत्वपूर्ण योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से हमारे देश में चलाई जा रही है। जिसका जिक्र भी महामहिम राष्ट्रपति ने किया है। आज सारे देश में यह योजना सबसे लोकप्रिय योजना है। सरकार ने इस पर लगभग सात करोड़ रुपए के प्रस्ताव अब तक मंजूर किए हैं। हमारा देश ग्रामीण देश है। ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे गांव, बस्तियां और मोहल्ले हैं, जिन्हें अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। इन क्षेत्रों को रास्तों से, सड़कों से जोड़ने का काम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए किया जा रहा है।

सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति ने किसानों के बारे में भी कहा है और गरीबों के बारे में भी कहा है। किसान और गरीब जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनका निर्वहन या तो खेती पर होता है या खेत मजदूरी पर होता है। लेकिन हमारे देश में 60 प्रतिशत आबादी किसानों की है। उसमें से 80 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं। छोटे किसान होने के कारण केवल खेती पर उनका निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए हमारे देश के किसी भी राज्य में रहने वाले ये किसान हों, इन्हें अपने गांव को छोड़कर शहरों में आना पड़ता है। हमारे देश बड़े-बड़े शहरों में बसे हुए जो उद्योग और कारखाने हैं, इनमें ये लोग मजदूरी करते हैं। हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब हैं, वे भी यहां मजदूरी करते हैं। देश के जो गरीब मजदूर हैं, उनके हितों की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। हम एन.डी.ए. की सरकार में सहयोगी हैं। सरकार में रहते हुए भी, पिछले वर्ष जब वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में लेबर रिफार्म का जिक्र किया था और कहा था कि किसी कारखाने में 100 या उससे कम मजदूर हैं, उसको बंद करने के लिए सरकार की इजाजत लेना जरूरी नहीं है, उसको हम बढ़ा कर 1000 कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कारखाने में 1000 या उससे कम मजदूर काम करते हैं, उसको बंद करने के लिए सरकार की इजाजत लेना आवश्यक नहीं है। हमने उसी समय वित्त मंत्री जी की इस बात का विरोध किया था।

अपराह्न 2.34 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

आज भी हम इस बात का विरोध कर रहे हैं और विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी कहा है।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): आप प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप उनका विरोध कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम इस प्रस्ताव का और सरकार का समर्थन करते हैं। यदि सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है, जिससे देश के गरीबों का अहित होता हो, तो हम उसका विरोध करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी देश के गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति है और उस जिम्मेदारी को हम यहां निभा रहे हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी उसका जिक्र किया और उसी समय हमने उसका विरोध किया। उसका नतीजा यह हुआ कि इस बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने उसका जिक्र नहीं किया लेकिन मुझे पूर्ण आशा है और माननीय प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मजदूर विरोधी कोई भी घटना या त्रुटि हमारी सरकार की ओर से नहीं की जाएगी, इसलिए आज भी हमारा विरोध कायम है।

हमने कहा है कि इस बात के हम खिलाफ हैं और इसी को लेकर महाराष्ट्र बंद का भी ऐलान हुआ था। सारी यूनियन्स इसको लेकर एक हो गई और चाहे किसी भी पार्टी की यूनियन हो, इस विषय को लेकर एक हैं। इसलिए जो सरकार. किसानों के हितों के बारे में सोच रही है, उनके हितों की रक्षा के लिए नीति बनाई है, उस नीति पर चल रही है। जो सरकार गरीबों के हितों की रक्षा के लिए नीति बनाकर चल रही है, मैं आशा करता हूं कि हमारी यह सरकार मजदूरों के हितों के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाएगी, इस प्रकार की अपेक्षा मैं सदन के सामने करता हूं। जब बजट पर वित्त मंत्री जी का भाषण हुआ, खासकर दो बातों पर विपक्ष की ओर से भी विरोध यहां किया गया और एन.डी.ए. के घटक दलों ने भी नाराजगी इस सदंर्भ में सदन के सामने और सदन के बाहर भी व्यक्त की है, इसमें बीजेपी भी हो सकती है। अभी बजट पर बहस होनी है। सदन में बजट पर बहस शुरू नहीं हुई है लेकिन मैं चाहता हूं कि जो गरीबों से जुड़ा हुआ मिट्टी का तेल और एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव का सवाल है, मैं चाहता हूं कि गरीबों को इससे काफी मुश्किलें सहनी पड़ेंगी और इसलिए मैं सरकार से विनती करूंगा, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से भी विनती करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार अवश्य करें। जो गरीबों के हितों के खिलाफ हो, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार हो। लगभग दो हफ्ते से बल्कि जिस दिन से यह सत्र शुरू हुआ है, तब से अयोध्या का मामला इस सदन में चल रहा है, बल्कि आज तक के पूरे सत्र में सदन चला कम है और बंद ज्यादा रहा है। जो निर्णय उच्चतम न्यायालय ने किया है, इस निर्णय का हम सम्मान करते हैं लेकिन जो बात हमारे अटार्नी जनरल सोली सोराब जी के वक्तव्य को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर जिस प्रकार से इस देश के अंदर माहौल खड़ा करने का प्रयास हुआ, मैं इस बात का विरोध करना चाहता हूं और केवल विरोध ही नहीं, मैं उसकी निन्दा करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* हमारे अटार्नी जनरल ने मीडिया के जरिये अपनी बात देश के सामने रखी है।

यदि न्यायालय उनसे कुछ सवाल करे और उसके बाद उनकी राय पूछी जाए तो मैं नहीं मानता कि जो उनकी राय है, वह सही भी हो सकती है, लेकिन अपनी राय रखना कोई गलत बात है, उसे मैं बिलकुल नहीं मानता। न्यायालय ने इस पर फैसला किया है, निर्णय किया है—जो विवादित जगह नहीं है, जिसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोई पाबंदी भी नहीं लगाई है, लेकिन अविवादित जगह पर भी जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि वहां पूजा न हो। सरकार और इस सदन ने भी उस निर्णय का स्वागत किया कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब यह निर्णय लिया तब हमने जो मीडिया, अखबारों के जरिए पढ़ा और सुना है वह इसलिए दिया गया है कि यह जो सरकारी भूमि है—चाहे विवादित हो या अविवादित हो, ये सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि है इसलिए वहां पूजा के लिए मनाही की गई है और इसीलिए सरकारी भूमि पर पूजा के लिए जो पाबंदी लगाई है, जो निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया है उसका सम्मान करते हुए कि यह सरकारी भूमि है, यही कारण है इसकी वजह से वहां पाबंदी लगाई गई है।

महोदय, मैं आपके और सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। सरकारी भूमि है इसलिए धर्म के कार्य के लिए पाबंदी लगाने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि यह देश सेक्यूलर है, सेक्यूलरिज्म की हम यहां बात करते हैं। जब हर साल हज यात्री हज के लिए अपनी एक धार्मिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए निकलते हैं तब करोड़ों रुपए की सब्सिडी, सरकारी धन उस पर खर्च किया जाता है। यह बात हमारी समझ के बाहर है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: आब्जेक्शन क्या है?

श्री अनंत गंगाराम गीते: हमारा आब्जेक्शन किसी को देने के लिए नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गीते, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, एमपीलैड में से दो करोड़ रुपए सांसद को दिए जाते हैं।...*(व्यवधान)* हम यदि चाहें तो एमपीलैड में से किसी मंदिर पर खर्च नहीं कर सकते

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

और न ही मस्जिद पर खर्च कर सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि हम क्यों नहीं खर्च कर सकते? यदि हम हज पर खर्च कर सकते हैं तो एमपीलैड में से मंदिर या मस्जिद, धार्मिक कार्यों में, मंदिर के निर्माण में या उसकी सुंदरता को बनाने में क्यों नहीं खर्च कर सकते। इसलिए कि यह सेक्यूलर स्टेट है और यदि सेक्यूलर स्टेट है तो किसी के लिए भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, फिर आप हज के लिए क्यों खर्च करते हैं?

हम एम.पी. लैड्स के पैसे में से धार्मिक मंदिर बना सकते हैं.....

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): यह एकतरफा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि कुम्भ मेले पर खर्च किया है। गुरुद्वारा पर खर्च किया है, अमरनाथ यात्रा पर खर्च किया है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते: कुम्भ मेले पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष जी, कुम्भ मेले के लिये कोई सब्सिडी नहीं दी जाती, कोई रेल सहूलियत नहीं दी जाती, जो भी खर्चा किया जाता है, वह इनफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाता है। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, कुम्भ मेले के बारे में जो वास्तविकता है, मैं उसे सदन के सामने रख रहा हूं और कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): मैं विवाद खड़ा करना नहीं चाहता हूं। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि हज संबंधी राजसहायता की व्यवस्था कैसे हुई है। दरअसल, पहले हज यात्री जहाज से जेद्दाह जाते थे। जब जहाज से यात्रा बन्द कर दी गई और केवल हवाई जहाज का ही उपयोग किया जाने लगा तब सरकार ने कहा कि जहाज तथा हवाई जहाज के किराये का अंतर सरकार वहन करेगी। इस तरह यह व्यवस्था हुई। यह मुस्लिम समुदाय के अनुरोध पर नहीं किया गया है। पहले हज यात्रा केवल जहाजों से की जाती थी। सरकार जहाज भेजने में सक्षम नहीं थी। इस प्रकार हवाई जहाज की व्यवस्था सरकार की मजबूरी है। यह सरकार के ऊपर है। विदेश मामलों से संबंधित समिति जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं उन्होंने कहा कि यह एक प्रगतिशील उपाय है। प्रधान मंत्री जी और अधिक राजसहायता प्रदान करने के लिए बाध्य थे। क्या हम इसके लिए जिम्मेवार हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, आप सब भी वाद-विवाद में शामिल होंगे। आप भी इसके विरुद्ध जो कहना चाहते हैं उसे नोट कर लें और जब आपकी बारी आये तब वो सब कहें। यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होगी तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। अब उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी कुम्भ मेले पर सब्सिडी नहीं दी जाती, न लोगों को रेल सुविधा दी जाती है, न कोई टिकट की सहूलियत दी जाती है। लाखों लोग रेल से यात्रा करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा सब्सिडी के रूप में नहीं दी जाती। मेरी जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में भी किसी प्रकार की कोई सब्सिडी हज यात्रियों को नहीं दी जाती। यह सब्सिडी इसलिये नहीं दी जाती कि सरकार का पैसा धार्मिक कार्यों के लिये इस्तेमाल करना धर्म के खिलाफ समझा जाता है।

उपाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश में जो आतंकवाद का खतरा है, उस आतंकवाद के खतरे की ओर भी दोनों सदनों का ध्यान आकर्षित किया है। आज भी आतंकवाद का खतरा देश से टला नहीं है। संसद पर हमला करने से उनकी हिम्मद बढ़ गई है।...*(व्यवधान)* बीच में रुकावट डाल रहे हैं और फिर कहते हैं कि कितनी देर बोलोगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, कार्य-मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि सभी दल उन्हें आवंटित समय के अन्दर ही बोलेंगे। यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दल तीन-चार घंटे बोलेंगे, तो विपक्षी दलों के लिए कितना समय बचेगा?

उपाध्यक्ष महोदय: प्रत्येक दल को समय आवंटित किया गया है। मेरे पास सूची है। इसीलिए मैं उन्हें अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष जी, आपके आदेश का पूरा पालन करेंगे। लेकिन मुझे बार-बार टोका जा रहा है। जब हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तब कोई समय के बारे में यहां सवाल खड़ा नहीं करता है। तब किसी ने समय के बारे में यहां सवाल खड़ा नहीं किया। लेकिन जब हम देश की वास्तविकता और जनभावनाओं को सदन के सामने रखने का प्रयास करते हैं तब समय की याद दिलाई जाती है।

उपाध्यक्ष जी, जब गुजरात पर सदन में बहस हो रही थी, उस समय भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे देश को सीमा पार से जितना खतरा है, उससे ज्यादा खतरा देश के भीतर के राष्ट्रद्रोहियों से है। इसलिए चाहे लाल किले की घटना हो या संसद पर हमला हो। ये पाकिस्तानी आतंकवादी यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। किन लोगों ने इन्हें सहारा दिया, कौन सहारा देता है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सरकार से पूछ लो। यदि ऐसी निकम्मी सरकार होगी तो यही होगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सरकार उसकी जांच करेगी।...*(व्यवधान)* सरकार उसकी जांच करेगी और वह कर रही है। सरकार उस पर आवश्यक कार्रवाई भी करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए जब पोटो सदन में लाया गया तो आपने उसका विरोध किसलिए किया। कौन पोटो का विरोध कर रहा है, पोटो का विरोध किसलिए हो रहा है। क्यों सदन के अंदर पोटो पारित नहीं किया जा रहा है। जिस पोटो का जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया, उस पोटो का...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: पोटो के लागू रहते सदन पर हमला हुआ है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पोटो रहते हुए फोटो हो गया, हम क्या करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जाधव, अब कृपया उन्हें बाधित न करें। उन्हें बोलने दें। आप अपने लोगों को भी बोलने नहीं देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष जी, आतंकवाद को रोकने के लिए पोटो की आवश्यकता है। पोटो का विरोध करना एक तरह से आतंकवाद को सहयोग करने के बराबर है। आतंकवाद को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है और कानून बनने के बाद उसको लागू करने की भी आवश्यकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें। आपको बीस मिनट का समय दिया गया था और आप 45 मिनट बोल चुके हैं। अब आप समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: इसलिए मैं आपके आदेश का पालन करते हुए विजय कुमार मल्होत्रा जी द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद रखा गया है, उसका अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: वे माननीय सदस्य जो सभा में उपस्थित हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में जिनके संशोधन परिचालित हुए हैं, कृपया उन संशोधनों की क्रम संख्याएं दर्शाते हुए पर्चियां सभा पटल पर भेजें जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं संशोधनों को प्रस्तुत हुआ माना जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद एक सूची सूचनापट पर लगाई जाएगी जिसमें प्रस्तुत हुए माने गए संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई गई होगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई विसंगति नजर आए तो वह कृपया उसे तत्काल सभापटल अधिकारी के ध्यान में लाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

'कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:-

''कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 फरवरी, 2002 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं''।'

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

लेकिन इस अभिभाषण में उठाए गए मुद्दों पर बोलने से पूर्व मैं उस त्रासदीपूर्ण दुर्घटना का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगी जिसमें हमने माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री जी.एम.सी. बालयोगी का जीवन खो दिया। अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में अपने मृदु व्यवहार और निश्पक्ष और सन्तुलित निर्णयों से वे सभी के लिए

[श्रीमती सोनिया गांधी]

प्रिय बन गये थे और हम लम्बे समय तक उनकी कमी महसूस करते रहेंगे।

मैं लोकतंत्र के शीर्ष प्रतीक संसद भवन की रक्षा करते हुए शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माननीय राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ भी स्वयं को जोड़ती हूं।

राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा गया है:

"साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, अपने संविधान के सिद्धान्तों का पालन करना हमारे राष्ट्र की विशेषताओं का मूल आधार है।"

मैं सर्वप्रथम गुजरात की धरा, अहिंसा के प्रतीक महात्मा की धरा पर गोधरा में हुए नरसंहार और तदन्तर अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत तथा अन्य स्थानों पर हुए नरसंहार पर अपनी पीड़ा और संताप व्यक्त करती हूं।

मेरा मानना है कि गुजरात तो केवल एक लक्षण मात्र है। यह हमारे देश को प्रभावित कर रही घोर दुर्भावना का लक्षण है। इस रोग को दुर्भावना की राजनीति कहा जाता है। इस राजनीति की वकालत करने वाले कुछ लोग ठीक हमारे सामने बैठते हैं और कुछेक के विरुद्ध अभिरोप-पत्र जारी किए गए हैं।

गुजरात की अभिघाती घटनाओं से सभ्य मानव समाज और मैत्री तथा भाईचारे की भावना से साथ मिलकर रहने वाले आधुनिक प्रगतिशील उदार समाज के नागरिक के नाते हमारी प्रतिष्ठा कम हुई है। दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाना चाहिये और उन्हें वह सजा मिलनी चाहिये जिसके वे पात्र है। हम सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए एक होकर रहना चाहिए कि गुजरात में शान्ति लौट सके और ऐसी त्रासदी देश में किसी अन्य स्थान पर घटित न हो।

मैंने अपने कुछ सहयोगियों के साथ गुजरात के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मैं पहले गोधरा गई और फिर अहमदाबाद। जो कुछ हमने देखा और जो कुछ सुना, उसे व्यक्त करने के लिए शब्द अपर्याप्त हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

हमने गोधरा में जली हुई बोगियों में एक परिवार के दो जीवित बचे सदस्यों—एक मां और बच्चा जो जलती हुई बोगियों में किसी तरह बच गये थे, अहमदाबाद में निर्दोष लोगों की हत्या, जिंदा बचे भयभीत लोगों, नष्ट की गई सम्पत्ति और लूटी गई दुकानों को देखा था। फिर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और नगर अस्पताल में घायल छोटा बच्चा—जो एक बड़े परिवार में अकेला जीवित बचा था; अनेक छोटे लड़के जिन्हें पेट में गोली लगने से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, को देखा। दरया गम्बज कैम्प में हमने एक ऐसे पिता को देखा जो अपनी जवान पुत्री को अपनी बाहों में लिए खड़ा था और जिसका बलात्कार उसकी तथा उसकी पत्नी की आंखों के सामने किया गया था। अतिथि गृह में जहां हम कुछ समय के लिए ठहरे थे, हमने अपने भूतपूर्व सांसद, श्री ईशान जाफरी की दुखी विधवा की कष्ट भरी कहानी सुनी। ये भावनाएं हैं जिन्होंने हमें तोड़कर रख दिया और जो हमारे दिमाग में बार-बार घूमती रहेगी। यह क्रूरता राज्य सकार की आंखों के सामने की गई जिसकी सहापराधिता पूरी तरह उजागर हो गई है। मैं जानती हूं कि सहापराधिता शब्द सरकार को अच्छा नहीं लगेगा और न ही गृह मंत्री को पसंद आएगा लेकिन मैं इसे दोहराऊंगी। सहापराधिता थी।

मैंने अगले दिन जब हम गुजरात हत्याकांड पर चर्चा कर रहे थे तो गृह मंत्री का उत्तर सुना था और मैं यह कह सकती हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा था वह अहमदाबाद में और गुजरात में जो कुछ हमने देखा था उससे पूरी तरह भिन्न था। यह न केवल उससे भिन्न था जो कुछ हमने देखा था बल्कि उससे भी बिल्कुल भिन्न था जो हमने प्रभावित लोगों से सुना था और जो हमने उन अधिकारियों से सुना था जो हमें जानकारी दे रहे थे। वास्तव में गृहमंत्री ने गुजरात सरकार को और मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दी है। न केवल यही बल्कि गृह मंत्री ने स्थिति को शीघ्र नियंत्रण में लाने के लिए स्वयं को भी बधाई दे दी है। स्वयं को बधाई देने का उनका यह पहला अवसर नहीं है। उन्होंने प्रधान मंत्री निवास पर 1 मार्च को सायं 5.30 बजे भी स्वयं को बधाई दी थी। जब हममें से कुछ को बुलाया गया था क्योंकि वे हमें गुजरात पर जानकारी देना चाहते थे, उस समय, गुजरात जल रहा था और उस समय गृह मंत्री ने इतनी तेजी से स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए स्वयं को बधाई दी थी। तो फिर स्पष्ट प्रमाण के विपरीत ऐसा कैसे हो सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

कुछ दिन पहले जब गृह मंत्री इस मुद्दे पर बोले तो उन्होंने सेना की तैनाती में विलंब के लिए यह अविश्वसनीय स्पष्टीकरण दिया था कि सेना की तैनाती में इसलिए विलंब हुआ क्योंकि इससे हमारी सीमाओं पर सुरक्षा प्रभावित हो सकती थी। हम सभी इस भावना की प्रशंसा करते हैं लेकिन मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या यह बात स्तब्ध करने वाली नहीं कि सरकार जो इतनी सुरक्षा करती है, ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई आकस्मिक योजना बनानी उचित नहीं समझी?

राज्य सरकार अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों और दायित्वों को निभाने में लापरवाही की दोषी है। हमने पहले भी कहा था और मैं इसे यहां भी दोहरा रही हूं कि ऐसी गैर-जिम्मेदार और कठोर सरकार हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अपमान है। उच्चतम

न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसकी जांच कराने से सरकार का इंकार करना सभी जिम्मेदार लोगों की भावनाओं का उपहास उड़ाना है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर सरकार से अनुरोध करती हूं कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच गठित की जाए।

एक अन्य प्रश्न जो हम सबके सामने है और राजग में शामिल सत्ता पक्ष के हमारे कुछ सहयोगियों के भी समक्ष है, वह यह है कि गुजरात के हमारे दौरे के दिन तक कोई राहत कार्य नहीं किया गया था। अधिकारियों से मिलने के बाद मुझे कुछ गैर-सरकारी संगठनों के साथ बैठक करने का अवसर मिला था। उन्होंने इस बात को दोहराया और कहा था कि आज तक न कोई राहत कार्य शुरू किया गया है और न कोई समन्वय समिति और शांति समिति गठित की गई है। अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से इस मामले की जांच करने का अनुरोध है और यदि आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है तो मैं सरकार से और प्रधान मंत्री से चाहूंगी कि वे इस मामले में विशेष रुचि लें।

विश्व हिन्दू परिषद की कार्रवाई से अयोध्या में उत्पन्न स्थिति से निपटने में केन्द्र सरकार की ओर से जो भी कृत्याकृत्य हुए, मेरे विचार से शर्मनाक हैं। अयोध्या में बढ़ते तनाव के सम्बन्ध में हमारी सभी चेतावानियों के बावजूद इसे बढ़ने दिया गया। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में, हम अत्यधिक चिन्तित थे और इसलिए 22 तारीख को हमने सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था और उन्होंने अयोध्या की स्थिति पर चर्चा करने के लिए हमें 26 तारीख को बुलाया। लेकिन मैं यह खेद के साथ कहता हूं कि उस समय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री दोनों की प्रतिक्रिया आघात पहुंचाने वाली थी। दोनों ने ही हमारे द्वारा जताई गई चिन्ता पर अफसोस जाहिर किया था। क्योंकि उस समय, उनके अनुसार अयोध्या में कानून और व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। हमें बताया गया था कि हां कुछ यज्ञ किए गए हैं लेकिन वे विवादित स्थल पर नहीं किये गये हैं और इसलिए हमारे ज्यादा चिंतित होने का कोई कारण नहीं था। मुझे भरोसा है, कम से कम हम अपनी पार्टी में यह महसूस करते हैं कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया जिनमें सच्चाई लेशमात्र भी नहीं थी क्योंकि उस समय हमें उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्त्ताओं और अपने मित्रों से भिन्न रिपोर्ट मिल रही थी।

महोदय, राष्ट्रपति ने अयोध्या में यथास्थिति बनाए रखने के सरकार के संकल्प का पुन: आश्वासन दिया था। लेकिन दूसरे दिन उच्चतम न्यायालय में सरकार के एजेंडा की द्वैधता से देश को और हम सभी को आघात पहुंचा और निराशा हुई। लेकिन अब यह मालूम हो चुका है कि जबकि हमारे देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया गया था कि प्रधान मंत्री और उनकी सरकार प्रस्तावित विश्व हिन्दू परिषद की योजना के सम्बन्ध में तटस्थ हैं, प्रधान मंत्री न्यायालय में अपनी योजना पर सफाई देने के लिए अपने अटार्नी जनरल को निर्देश दे रहे थे। वास्तव में प्रधानमंत्री का वक्तव्य पूरी तरह अस्पष्ट है।

जैसाकि हम सभी जानते हैं प्रधान मंत्री ने धार्मिक और समाज के नेताओं से बातचीत शुरू की है। मेरे विचार से सरकार की ओर से ठोस और कृतसंकल्प कार्रवाई करने का और कोई विकल्प नहीं था। प्रधान मंत्री और उनकी पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों ने विश्व हिन्दू परिषद के दबाव से निपटने के लिए न तो कोई इच्छा दिखाई और न ही कोई क्षमता।

वस्तुत: केन्द्र सरकार ने बुद्धिमत्तापूर्वक वी.एच.पी. के साथ सांठगांठ की और अब जैसाकि पता चल गया है कि उन्होंने खुलकर उनका साथ दिया।

27 फरवरी को गृह मंत्री ने राज्य सकारों को यह लिखा कि अशान्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी स्वयंसेवकों और विश्व हिन्दू परिषद के प्रमुख नेताओं को अयोध्या जाने से रोका जाए। कुछ दिन बाद, 11 मार्च को राज्य सरकारों से रेल से अयोध्या जाने वाले कार सेवकों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा गया। फिर अब ऐसा 'यू' टर्न अर्थात् एकदम विपरीत रवैया क्यों अपनाया गया? हम जानना चाहते हैं कि यह 'यू' टर्न क्यों लिया गया? शायद इसका उत्तर प्रधान मंत्री को 7 मार्च को अनेक भाजपा संसद सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्र में दिया गया है। जिसमें उन्होंने उनको और उनकी सरकार को यह धमकी दी थी कि यदि प्रधानमंत्री ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगताने पड़ेंगे। मेरे पास यहां दोनों दस्तावेज हैं वे पत्र भी हैं जो गृह मंत्री ने दोनों मौकों पर सभी राज्य सरकारों को भेजे थे। अब शायद यही कारण रहा होगा जिससे प्रधान मंत्री को अपना मन बदलना पड़ा और तथा सरकार को महाअधिवक्ता से मामले में हस्तक्षेप करने का निर्देश देना पड़ा जैसा हस्तक्षेप उन्होंने उच्चतम न्यायालय में किया था। हम ऐसी सरकार के बारे में क्या सोचें? हम ऐसी सरकार के बारे में क्या सोचें जिसका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। ऐसी सरकार जो विरोधाभासों से घिरी हुई है तथा जो राष्ट्रीय हितों पर गुटों के दबाव को महत्व देती है तथा साम्प्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेक देती है?

अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पर आता हूं। 13 दिसम्बर की भयावह घटना के बाद सरकार को इस स्थिति से उस प्रकार निपटने के लिए बहुत सहायता मिली जिसके कारण राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित

[श्रीमती सोनिया गांधी]

रखा जा सका। हम सभी इस मुद्दे पर एक हैं। इसके पश्चात् हमने अपनी सीमाओं पर सेनाओं के अपूर्ण जमावड़े देखे। आज तीन महीने बाद मेरा मानना है कि राष्ट्र को कुछ बुनियादी सवालों के जवाब चाहिए।

पहला सवाल यह है कि उन 20 कुख्यात अपराधियों के प्रत्यार्पण में क्या प्रगति हुई है जो आज भी पाकिस्तान में हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे सीमापार से आतंकवाद में कितनी कमी आई है? तीसरा प्रश्न यह है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित नीति के बारे में पाकिस्तान के दृष्टिकोण में किस प्रकार बदलाव आया है? चौथा प्रश्न यह है कि 12 जनवरी को जनरल मुशर्रफ के भाषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमारी चिंताओं पर किसी प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की है?

सरकार यह दावा करती है कि जम्मू और कश्मीर के बारे में उसकी एक स्पष्ट रणनीति है। लेकिन विपक्ष में रहते हुए हमें ऐसी कोई रणनीति दिखाई नहीं देती है। जम्मू-कश्मीर में हमारे भाई और बहनों के दुख और उनकी यातनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की जाने निरंतर जोखिम में हैं। वह सहायता, जो सरकार हमसे और पूरे देश से जम्मू और कश्मीर में स्थायी शांति की तलाश में ले रही है, मेरे विचार से वह बेकार गई है।

सुरक्षा के मामले में मुझे यह बताते हुए खेद होता है कि दो वर्षों के बाद भी इस सदन को कारगिल पर सुब्रहमण्यम रिपोर्ट पर की-गई-कार्रवाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। वस्तुतः हमें इस पर चर्चा भी नहीं करने दी गई है। उस रिपोर्ट के क्रियान्वयन की बात तो दूर हमें इस सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इसके बदले में रक्षा मंत्रालय से क्या मिलता है? घपले, घोटाले तथा अनेक अंदरूनी बातें?

एक जांच आयोग गठित किया गया है। दुख की बात यह है कि जब तक आयोग अपनी जांच पूरी करता प्रधानमंत्री ने जांच के विषय को अनदेखा कर दिया और उन्हें संबंधित मंत्री को निर्दोष घोषित कर दिया। मैं हैरान हूं कि न्यायाधीश को इस मामले पर इससे क्या संदेश मिला होगा। वह जांच की प्रक्रिया में लगे हुए हैं तथा प्रधान मंत्री ने जांच के मामले में संबंधित व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सभी जानते हैं कि इससे आयोग को क्या संदेश मिला होगा।

रक्षा सौदों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट को दबाया जा रहा है। जिन पत्रकारों ने उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया है उन्हें परेशान किया जा रहा है। मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की कटु आलोचना शुरू कर दी है और लोक लेखा समिति के प्राधिकार को चुनौती दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से पूछती हूं कि हम इससे क्या समझें? मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह ढोंग है, सरासर पाखंड है। यह बेहूदगी का मंच है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति ने कहा है:

"मेरी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास पर निरंतर ध्यान दे रही है।"

क्या विडम्बना है? सरकार ने जिस तदर्थ तरीके से विद्रोही समूहों से बातचीत की उससे न केवल मणिपुर अपितु पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक भागों में अव्यवस्था और हिंसा फैली। राजग के कुछ सहयोगी दलों ने मणिपुर में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए सांठ-गांठ भी की। लेकिन उनकी अपनी सरकार पद पाने के लिए लड़ने लगी और थोड़े ही समय के बाद गिर गई। इसके परिणामस्वरूप जातीय संघर्ष और बाद में राजनैतिक अराजकता फैली।

हाल के चुनावों में 'राजग' दलों तथा अपराधियों में खेदजनक सांठ-गांठ के बावजूद मणिपुर की बहादुर जनता ने आवाज उठाई और अब मणिपुर में कांग्रेस की गठबंधन सरकार है।

महोदय, हाल में प्रस्तुत बजट में राष्ट्रपति अभिभाषण में व्यक्त सभी भावनाओं का उपहास किया गया है। इसमें संकेतवाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। सरकार दावा करती है आर्थिक ढांचा मजबूत है। यह किस तरह मजबूत हो सकता है? पिछले चार वर्षों से विकास धीमा है, उद्योग में मंदी है तथा निवेश नहीं हो रहा है। रोजगार की समस्या इससे पहले कभी इतनी गंभीर नहीं रही। वस्तुतः सरकार की नीतियों ने कामकाजी वर्ग में भय पैदा कर दिया है। मजदूर संघ और राष्ट्रीय श्रम आयोग के साथ कहां परामर्श हुआ था? मुझे बताया गया है कि यह परामर्श नहीं हुआ है। जब देश भारी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार हंसी की बात क्यों कर रही है? मेरे विचार से सरकार ने एक वर्ष में 10 मिलियन नौकरियां देने का वायदा किया था। अब हम सुन रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों को निकालने की सोच रही है। मैं समझता हूं कि यह गलत प्राथमिकता है। राष्ट्रपति अभिभाषण में यह भी दावा किया गया है कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए वचनबद्ध है। फिर भी हम बजट में पाते हैं कि वर्ष 2002-2003 में ग्रामीण विकास विभाग के आवंटन वर्ष 2001-2002 में अनुमानित व्यय से कम है। इससे भी बदतर यह है कि इस मंत्रालय के प्रत्येक कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त करने में चौंकाने वाली गिरावट आई है। ग्रामीण विकास के लक्ष्य में विफलता ने स्वाभाविक रूप से हमारे किसानों पर बोझ बढ़ा दिया है जो यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण पहले से बढ़ते हुए ऋण के भार में पिस चुके हैं।

रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि से गृहिणियों को आघात पहुंचा है। पेंशनभोगियों तथा वरिष्ठ नागरिकों की बचत पर ब्याज दर धीरे-धीरे कम हो रही है। हमें अभी यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज के कमजोर वर्गों तथा देश के संवदेनशील क्षेत्रों के लाभ हेतु सरकारी गोदामों में खाद्यान्नों के भारी भण्डार का उपयोग करने हेतु विशेष कार्यक्रम बनाए जाएं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में निजीकरण का समर्थन किया गया है। हम सभी यह प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार लाभप्रद कम्पनियों को क्यों बेच रही है। हमारी मजबूत सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को क्यों कमजोर किया जा रहा है।

हमारे शैक्षिक और बौद्धिक संस्थानों को साम्प्रदायिक रंग देने का गंभीर मामला भी हमें परेशान कर रहा है। हमने कई अवसरों पर इस बारे में कहा है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि सरकार अभी भी ऐसा कर रही है। यह केवल साम्प्रदायिक रंग देने की बात नहीं है लेकिन जिस तरह से कट्टरपंथियों को महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी के पद दिए जा रहे हैं उससे आंशिक सत्य के साथ साम्प्रदायिक एजेंडा, झूठ और फरेब के समर्थनों के पक्ष में शैक्षिक उत्कृष्टता तथा ईमानदारी को पूर्णत: छोड़ दिया गया है। हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के तत्काल गठन तथा उसकी बैठक बुलाने की मांग करते है जिसमें स्पष्ट अनुमोदन के बिना पाठ्य पुस्तकों में किसी तरह के बदलाव का प्राधिकार नहीं दिया जा सकता है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम मुझे यह सुनकर कितनी प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 47 में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया है कि यह वर्ष संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को अधिकार देने का पहला दशक निर्दिष्ट किया गया है। मेरा विश्वास है कि ये संशोधन स्वर्गीय राजीव गांधी की चिरस्थायी देन है और सच यह है कि आज निम्न स्तर पर 34 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिनमें से 10 लाख महिला प्रतिनिधि हैं जो हमारे लिए कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व की बात है। तथापि, श्री राजीव गांधी के सपनों को पूर्णत: साकार करने के लिए लम्बा रास्ता तय करना है। अत:, मैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त भावनाओं से पूर्णत: सहमत हूं और मैं सुझाव देना चाहती हूं कि इस बात पर विशेष वाद-विवाद होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन संस्थानों को किस तरह सुदृढ़ और बेहतर किया जा सकता है।

मैं, अब अंत में केन्द्र में शासन की सब तरफ से विफलता पर भारी चिंता और निराशा व्यक्त करती हूं। हर रोज भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की पूर्णत: बेहूदगी, चौंकाने वाली असंवेदनशीलता तथा कट्टरपंथी ताकतों को खुला समर्थन उजागर हो रहा है। हमारी जनता अत्यधिक दुखद तरीके से इसके परिणाम भुगत रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जनता शांति और सौहार्द चाहती है। हमारी जनता सुरक्षा चाहती है। हमारी जनता सम्मानजनक जिंदगी, समृद्धि तथा कल्याण चाहती है। मुझे लगता है कि इस सरकार ने उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। इस सरकार ने राष्ट्र को विफल किया है।

संशोधनों का पाठ

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप ये वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (321)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निर्धन वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (322)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार के अवसरों की तलाश में शिक्षित युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (323)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, तकनीशयनों और विशेषज्ञों के निरंतर प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (324)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बेरोजगार शिक्षित युवाओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (325)

[श्री हन्नान मोल्लाह]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ई.सी.एल. की 90 कोयला खानों के बंद होने, जिसके परिणामस्वरूप 1 लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (326)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस्पात तथा अन्य उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए सीमा शुल्क में कटौती करने तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (327)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के लिए कोई विधेयक लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (328)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन विधेयकों जो राज्य सरकार को प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् चुनाव कराने के लिए बाध्य कर सकते हैं, का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (329)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भूमि सुधार के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (330)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में अल्प-विकसित जिलों के चहुंमुखी विकास के लिए किसी स्कीम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (331)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा विशेषकर पूर्वी मण्डल में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है" (332)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (333)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिक आवासीय ईकाइयों का निर्माण किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (334)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्धन कृषक समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एकीकृत फसल बीमा योजना आरंभ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (335)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सर्वाधिक उपेक्षित ग्रामीण मजदूरों, जो न तो अपनी आजीविका जुटा पाने की स्थिति में हैं और न ही उनके बच्चे अपने माता-पिता की सहायता करने की स्थिति में हैं, के लिए पेंशन की व्यवस्था करने हेतु एक व्यापक विधान लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (336)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (337)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान कराने के लिए सब्जियों, फलों, आदि के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (338)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्थानीय किसानों को परती भूमि के आवंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (339)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (340)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पत्तनों के निर्माण को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (341)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए बिजली की लागत को स्थिर किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (342)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दलितों पर अत्याचारों को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (343)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के संरक्षण, कल्याण तथा चहुंमुखी विकास के लिए कोई विधान लाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (344)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गरीब लोगों को भोजन, कपड़ा और आवास संबंधी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी व्यापक योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (345)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (346)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम आदमी की कीमत पर धन बटोर रहे उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (347)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बिगड़ती जा रही आर्थिक स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बंद होते जा रहे हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (348)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पशु प्रजनन में सुधार लाने तथा उनमें बीमारियों के फैलने पर रोक लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (349)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंजर भूमि को एक समयबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने की विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (350)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सांप्रदायवाद, जातिवाद, भाषाई अंधभक्ति और क्षेत्रवाद की समाप्ति के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (351)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भू-जल के तेजी से गिरते स्तर और जल की उपलब्धता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (352)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक कार्य योजना बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (353)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गांवों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने के लिए प्रत्येक गांव में लघु उद्योग स्थापित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (354)

[श्री हन्नान मोल्लाह]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निरक्षरता समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (355)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक नई श्रम नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (356)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (357)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (358)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जान, माल और फसल की क्षति को रोकने के लिए स्थायी उपाय सुझाने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (359)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (360)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (361)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कतिपय भागों में विद्यमान बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (362)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (363)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ते हुए कुपोषण की समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (364)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मृदा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य योजना बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (365)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध व्यापक कार्य योजना बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (366)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में फौजदारी तथा दीवानी, दोनों प्रकार के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्याय प्रक्रिया में सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (367)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में हेपेटाइटीस-बी, टीबी, एचआईवी, किडनी तथा हृदय संबंधी तथा निर्धनता के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों में एकाएक वृद्धि तथा उनके लिए समय पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (368)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के समयबद्ध विकास की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (369)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्नों, दलहनों तथा तेल के उत्पादन को बढ़ाने की व्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (370)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सब्जियों तथा अन्य शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए शीत भण्डागारों की सुविधाओं की कमी को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (371)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आलू, प्याज, तेल, दलहनों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (372)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश को वित्तीय घाटे के संकट से उबारने, काले धन का पता लगाने और कर की चोरी को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (373)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी तथा मिलावट आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (374)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों को बाढ़ की तबाही तथा लोगों और राज्य सरकारों को हुई हानि से बचाने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (375)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी गांवों को सड़क से जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (376)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए पक्के मकान के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (377)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों में गरीब लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैंडपंप लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (378)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बार-बार आ रही बाढ़ तथा सूखे की स्थिति के कारण हो रही राष्ट्रीय हानि तथा ऐसी आपदा को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले प्रभावी कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (379)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (380)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बालश्रम तथा महिलाओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (381)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों, श्रमिकों, युवाओं तथा महिलाओं के विकास के लिए योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (382)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बीमार लोगों की बढ़ रही संख्या तथा लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में आ रही गिरावट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (383)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भारत का अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद में निराशाजनक प्रदर्शन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (384)

[श्री हन्नान मोल्लाह]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत कम निवेश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (385)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (386)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवकों को रोजगार भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (387)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायालयों में लंबित फौजदारी और दीवानी मामलों के शीघ्र निपटान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (388)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को कारगर बनाने में सरकार की विफलता को दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (389)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अधिक प्रतिस्पर्द्धा को देखते हुए लघु क्षेत्र के उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (390)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में एड्स के प्रसार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (391)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं की कमी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (392)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के गरीब क्षेत्रों में पेयजल के गंभीर संकट तथा पेयजल के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (393)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "आवास के अधिकार" को भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (394)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (395)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निजी क्षेत्र की विद्युत नीति, जो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई है, की समीक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (396)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कैंसर, हृदय तथा किडनी के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में नवीनतम उपकरण उपलब्ध करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (397)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा प्रणाली, जो वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए उसमें सुधार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (398)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में असमान औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप गावों से शहरों की ओर लोगों के अधिक संख्या में पलायन को रोकने के लिए औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन लानें की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (399)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की निरंतर हो रही घटनाओं तथा उन्हें रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (408)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की बढ़ती हुई घटनाओं तथा उन्हें रोकने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (409)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यक समुदायों के पूजा स्थलों पर हमलों की बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (410)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरंतर हो रही वृद्धि तथा कीमतों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (411)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (412)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की अन्तर-राज्यीय नदियों से गाद निकालने, जिससे उनकी जलवहन क्षमता बढ़ सके, के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (413)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (414)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय मुद्रा के निरंतर अवमूल्यन से उत्पन्न गंभीर स्थिति तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (415)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कुटीर उद्योगों, विशेष रूप से कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (416)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समूचे देश की सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल, मध्याह्न भोजन सहित प्राथमिक शिक्षा तथा निःशुल्क स्वास्थ्य देख-रेख पर विशेष बल देते हुए देश के गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए एक समयबद्ध नीति के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (417)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान की समीक्षा के लिए बनाए गए आयोग, जिसका गठन संसद की उपेक्षा करके तथा समस्त लोकतांत्रिक मानदण्डों का उल्लंघन करके किया गया था, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (418)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आयात पर गुणात्मक प्रतिबंधों को हटाने के प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (419)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक विनिर्दिष्ट योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (420)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (421)

[श्री हन्नान मोल्लाह]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को कड़ाई से कार्यान्वित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (422)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, जिसने देश में आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित किया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (423)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बीमा क्षेत्र में घरेलू अथवा विदेशी, दोनों ही प्रकार के निजी क्षेत्रों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (424)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में निरक्षरता के उन्मूलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (425)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नाडिया, हुगली और वर्धमान जिलों में व्यापक स्तर पर हो रहे भूमि के कटाव को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (426)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल, तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों में व्यापक स्तर पर हो रहे समुद्र के कटाव को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (427)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के लिए समान मजदूरी आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (428)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिला स्वास्थ्य तथा बाल देख-रेख के लिए किसी स्कीम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (429)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (430)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में युवाओं के लिए नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (431)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तंत्र में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार तथा इसके उन्मूलन के लिए प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (432)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए एक नीति तैयार करने तथा देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (433)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार तथा विस्थापित कर्मकारों के पुनर्वास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (434)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को बढ़ते हुए लागत मूल्यों के अनुरूप कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (435)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने के निर्णय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (503)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकसित देशों से बड़े पैमाने पर खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के आयात, जिसके कारण देश में गंभीर पर्यावरण ह्रास हो रहा है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (504)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ऋण जाल में फंसने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (505)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रति व्यक्ति (विदेशी और आंतरिक: ऋण में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (506)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक आस्तियों को सस्ते में बेच देने के सरकार के इरादे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (507)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा देश की सुस्थापित विदेश नीति का परित्याग किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (508)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मजदूरों और कर्मचारियों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हो रहे शोषण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (509)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के नाम पर सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की छंटनी करने के सरकार के निर्णय, जिसके कारण देश के विद्यमान बेरोजगारी की स्थिति और गंभीर हो रही है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (510)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (511)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बांध स्थलों से विस्थापित हुए लोगों का समुचित पुनर्वास किए जाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (512)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कथित मामलों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (513)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में भूख से हुई मौतों के कथि मामलों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (514)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अध्ययन के उच्च मानदंड न रखने वाले विभिन्न इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय महाविद्यालयों की भारी संख्या में वृद्धि, जिससे इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (515)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निजी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली कैपिटेशन फीस के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (516)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कानूनों की खुलेआम अवज्ञा करने वाले कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों को कम करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (517)

[श्री हन्नान मोल्लाह]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वन्य प्राणियों जिन्हें अंधाधुंध शिकार किए जाने के कारण गंभीर खतरा पैदा हो गया है, के संरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (518)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में तेजी से घट रहे वन क्षेत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (519)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय रेलवे का निजीकरण किए जाने के प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (520)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि भूमि क्षेत्र के कम होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (521)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नौकरशाही में भ्रष्टाचार रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (522)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा के निजीकरण और वाणिज्यीकरण तथा वर्ग आधारित शिक्षा प्रणाली जिससे और अधिक संभ्रांत प्रणाली को अपनाकर सामाजिक अंतर और बढ़ जाएगा, को अपनाने के लिए सरकार के इरादे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (523)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संपूर्ण देश में विश्वविद्यालयों में अनुबंध आधारित नियुक्तियों की बढ़ती संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (524)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्कूल की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में से मध्यकालीन भारत को हटाए जाने के प्रयास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (525)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (559)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए किसी व्यापक योजना और देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी बेरोजगार युवाओं को उनके रोजगार प्राप्त कर लेने तक 'बेरोजगारी भत्ता' दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (560)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही गरीबी और उसका उन्मूलन करने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना बनाए जाने की सरकार की रणनीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (561)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में फौजदारी और दीवनी, दोनों तरह के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सुधारों का सुझाव देने के लिए एक विशेष आयोग/समिति की नियुक्ति किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (562)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (563)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए लघु उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर उनकी सहायता किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (564)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लंबे समय से लंबित अंतर-राज्य जल-विवादों को सुलझाने के लिए एक सतत तंत्र बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (565)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "आवास का अधिकार" को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (566)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम का अधिकार" को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (567)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (568)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक नई राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (569)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती गरीबी के उन्मूलन के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (570)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उद्योग के असमान विकास जिससे गांवों से शहरों की ओर बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (571)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक विकास और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(572)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कच्चे तेल की ऊंची कीमत पर निरंतर आयात और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (573)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सांप्रदायिक और रूढ़िवादी ताकतों की वृद्धि और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए उचित उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (574)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारत की तटरेखा का सर्वेक्षण और अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (575)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भू-जल स्तर पर तेजी से गिरावट की गंभीर समस्या से निपटने और देश में जल उपलब्धता की कमी को हल करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (576)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम की तलाश में लोगों के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकने के लिए प्रत्येक गांव में कम-से-कम एक लघु उद्योग स्थापित किए जाने की. आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (577)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खादी और ग्रामोद्योग को और अधिक परिणामोन्मुखी और उत्पादनशील बनाने के लिये कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (578)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निरक्षरता के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाए जाने और प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (579)

[श्री हन्नान मोल्लाह]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मजदूरों के सभी वर्गों को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक नई श्रम नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (580)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदनों के क्रियान्वन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (581)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (582)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (583)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार की निरंतर हो रही घटनाओं और उन्हें रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (584)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या में अधिग्रहीत क्षेत्र को कब्जे में लेने और मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की धमकी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तुरंत निवारक उपाय किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (400)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या में बाबरी मस्जिद परिसर में मंदिर निर्माण शुरू करने की धमकियों और अयोध्या में गंभीर और निरंतर घट रही घटनाओं का संज्ञान लेने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (401)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मंत्री समूह के प्रतिवेदन में उल्लिखित 'मदरसों' और इस्लामिक अध्ययन केन्द्रों से संबंधित टिप्पणियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (402)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश और मदरसों में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें आई.एस.आई. एजेंट अथवा आतंकवादी कहने वाले विभिन्न दलों पर रोक लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (403)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्कूली शिक्षा के लिए नये प्रारूप पाठ्यक्रम और उसकी कमियों को दूर करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (404)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी उन्मूलन के लिए किसी क्रैश योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (405)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबन्धों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (406)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात के विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों के पुनर्वास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (407)

श्री ई. अहमद (मंजेरी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाबरी मस्जिद के ढहाये जाने से पहले वाली भूमि को सौंपने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (457)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके उस स्थान पर, जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी, एक मंदिर का निर्माण रोकने के किसी प्रयास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (458)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्गों के लोगों, विशेष रूप से मुसलमानों की स्थिति में सुधार करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (459)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुसलमान समुदाय के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर मुसलमान समुदाय की शिकायतों के निवारण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (460)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुसलमानों की उपेक्षा किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (461)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदर्भ क्षेत्र के लोगों की एक पृथक विदर्भ राज्य की स्थापना करने संबंधी उचित मांग की आकांक्षा को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (713)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्चतम न्यायालय की नागपुर में एक विशेष न्यायपीठ की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (714)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागपुर जहां उद्योग स्थापित करने की क्षमता तथा देश के निर्यात को बढ़ावा देने की संभावना है, में एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (715)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली के प्रगति मैदान की भांति नागपुर में, जोकि केन्द्र में स्थित है तथा दक्षिण-पूर्व-एशिया, आस्ट्रेलिया, जापान, अमस्टर्डम, फ्रैंकफर्ट और शारजाह के बीच एक आदर्श केन्द्रीय स्थल है, एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (716)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागपुर विमानपत्तन पर 'मल्टी माडल हब' का विकास करने के लिए महाराष्ट्र सकार को उपलब्ध करायी जा रही सहायता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (717)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिलचर के मार्ग में पड़ने वाले अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, मुम्बई, नासिक, नागपुर, रायपुर, सम्भलपुर और कोलकाता जैसे केन्द्रों का विकास करने की दृष्टि से सौराष्ट्र-सिलचर लिंक मार्ग बरास्ता नागपुर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (718)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र, जहां 13 वन्य प्रणाी अभयारण्य और पर्यटकों की रुचि के अनेक अन्य स्थान हैं, में पर्यटन का विकास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (719)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा विदर्भ क्षेत्र के उन स्थानों पर, जहां आदिवासी लोगों को 'सिकल-सेल' बीमारी प्रभावित कर रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने तथा इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उपलब्ध करायी जा रही सहायता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (720)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए भारी ऋण की वापसी के लिए बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (721)

[श्री विलास मुत्तेमवार]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से बेहतर प्रतिफल प्राप्त करने के लिए उनके पुनर्गठन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (722)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(723)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा फिजूल खर्चों को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (724)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के प्राचीन विरासत केन्द्रों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (725)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (726)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों तथा युवाओं में बढ़ती हुई नशे की लत पर रोक लगाने के लिए उठाये गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (727)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (728)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा व्यापक योजना तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (729)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई गंदी बस्तियों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (730)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक ताकतों के बढ़ते हुए खतरे को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (832)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या मामले और एक स्थान पर एकत्र होने के बारे में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की घोषणा करने वाले व्यक्तियों को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (833)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी उपक्रमों को मनमाने ढंग से बेचे जाने को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (834)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न सरकारी विभागों और उच्च्व स्थानों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को रोके जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (835)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे विश्व में आतंकवाद खत्म करने के लिए दृढ़ लोकमत बनाये जाने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (836)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में प्राकृतिक आपदा से निपटने में और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में सरकार के कार्यक्रमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (837)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आपदा प्रबंधन की योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (838)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल और बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत पहुंचाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (839)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं पर काबू पाने के लिए राहत और पुनर्वास संबंधी समान नीति और कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (840)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिवृद्धि करने और देश के समक्ष चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं को सक्षम बनाने हेतु राष्ट्रीय युवा नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (841)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, शोषितों और वंचित लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति और कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (842)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़ी जातियों की महिलाओं को, जो कि वास्तव में उत्पीड़ित और वंचित होती हैं, आरक्षण के लाभ उपलब्ध कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (843)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोधगया, राजगढ़, वैशाली, कसरिया, सुगैल को रेल और सड़क मार्ग से जोड़कर बौद्ध पर्यटन के सर्किट को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (844)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में भगवान महावीर के छब्बीसवीं शताब्दी के अवसर पर उनके जन्म स्थान वैशाली को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (845)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कार्यान्वित करने के लिए किसी समयबद्ध ठोस कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (846)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता देने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (847)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू और कश्मीर में आम आदमी की आतंकवादियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (848)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों में गैर-असमी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (849)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू और कश्मीर के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए किसी कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (850)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (851)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जिन राज्यों का अभी हाल ही में विभाजन करके नये राज्य बनाए गए हैं, उनके लाभ के लिए किसी ठोस कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (852)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नये राज्यों जैसे कि गोरखालैंड, तेलंगाना, हरित प्रदेश, पूर्वांचल, बोडोलैंड, विदर्भ, विन्ध्य और सौराष्ट्र का निर्माण किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (853)

[श्री रघुनाथ प्रसाद सिंह]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (854)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सातवीं, आठवीं और नौवीं योजनाओं के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बिहार को पर्याप्त धनराशि आवंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (855)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार राज्य के बकाया ऋणों को माफ किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (856)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में गंडक चरण-दो और कोसी चरण-दो परियोजनाओं को पूरा किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (857)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए उसे विशेष दर्जा दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (858)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के साठ संसद सदस्यों द्वारा राज्य की समस्याओं को हल करने और उस पर कार्यवाही करने के संबंध में प्रधान मंत्री को दिये गए ज्ञापन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (859)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में बन्द पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (860)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के सभी गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (861)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में विद्युतीकरण के लिए इसका हिस्सा न दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (862)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एम.एन.पी. के अंतर्गत बिहार और झारखंड को पर्याप्त धनराशि दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (863)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में कृषि विभाग की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (864)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में जलभराव में आने वाली 10 लाख हैक्टेयर भूमि और इसे जलभराव से मुक्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (865)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत और नेपाल के बीच समझौते के माध्यम से बिहार को बाढ़ से बचाने और प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (866)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार का दो राज्यों में विभाजन होने के बाद उसे 1,79,000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (867)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंचायत चुनावों के बाद भी 10वें और 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायत राज के अंतर्गत बिहार को बकाया धनराशि जारी न किए के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (868)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार विभाजन के बाद 335 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के साथ बिहार में विद्युत ट्रांसमिशन लाइन स्थापित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (869)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई दिल्ली में कारखानों के बन्द होने के कारण लाखों मजदूरों को हो रही समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (870)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भगवान महावीर के 2600वें शताब्दी समारोहों के अवसर पर उनके जन्म स्थान वैशाली के पास 2600 आदर्श गांव स्थापित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (871)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व व्यापार संगठन की किसान विरोधी नीतियों से किसानों को संरक्षण प्रदान करने और उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए ठोस कार्य किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (872)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की गिरती हुयी आर्थिक स्थिति, जिसके कारण वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (873)

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की योजना को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए किसी व्यापक कार्य योजना, जिससे उन्हें न केवल राज्य की सेवाओं में अपितु निजी क्षेत्र और निगमित क्षेत्र के उद्यमों, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करते हैं, में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (941)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था सहित मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिए विशेष उत्प्रेरित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (942)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े तथा दलित वर्गों के लोगों को सभी क्षेत्रों में विशेष अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (943)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को न्यायपालिका में उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (944)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गत वर्ष गणतंत्र दिवस पर गुजरात में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए विशेषकर भुज, कच्छ तथा अहमदाबाद में मकानों के निर्माण सहित केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबंधन में लगी हुई संलग्न अन्य एजेंसियों द्वारा पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने और एक प्रभावी आपदा प्रबंधन तंत्र के अभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (945)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 69 कपड़ा मिलों को बन्द किए जाने के प्रस्ताव, जिससे कम से कम 37,000 श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (946)

[श्री सुशील कुमार शिंदे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्पूर्ण देश में, विशेषकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के बुनकरों, जिनमें से अनेक बुनकरों को हाल के वर्षों में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, की दयनीय स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (947)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बुनकरों को बैंकों के माध्यम से कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा कर तथा हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर उनका सामाजिक-आर्थिक विकास करने की किसी योजना अथवा कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (948)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के घाटा उठा रहे राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा इसके अधीन अलाभकारी इकाइयों को लाभकारी बनाने के लिए उठाये गये तथा उठाये जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (949)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गन्ना उत्पादकों तथा चीनी उद्योग के सामने आ रही समस्याओं की जांच करने के लिए किसी आयोग की नियुक्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (950)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति आयोग की नियुक्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (951)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्वाचन प्रक्रिया में धन तथा बाहु-बल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए समुचित विधान लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (952)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की अनुपात दर में सुधार लाने की आवश्यकता तथा पुरुषों को अधिमानता देने, बालिका भ्रूण हत्या के लिए प्रयुक्त चिकित्सीय समापन और अन्य उपायों तथा बालिकाओं के प्रति भेदभाव आदि को हतोत्साहित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (953)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में, विशेष रूप से आतिशबाजी, माचिस, कालीन, कपड़ा तथा बीड़ी उद्योगों में बालश्रम को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (954)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश की जनसंख्या, जो पहले ही सौ करोड़ से ऊपर हो गई है तथा जो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन की जनसंख्या को पार करने वाली है, को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए किसी व्यापक कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (955)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखी से नीचे रह रहे लोगों के बच्चों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (956)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों और घरेलू नौकरों को कर्मचारी भविष्य निधि के लाभ देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (957)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान सहित श्रम कानूनों का संरक्षण देने के लिए किसी व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (958)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खतरनाक सामग्री तथा औद्योगिक अपशिष्ट, जिसके कारण पर्यावरण को गम्भीर नुकसान हो रहा है, का बड़े पैमाने पर निरंतर आयात किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (959)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संकटग्रस्त प्रजातियों तथा विभिन्न राज्यों के आरक्षित वनों तथा अभयारण्यों में बाघ, शेर, हाथी तथा दरियाई घोड़ा सहित अन्य वन जीवों की सुरक्षा तथा उनका बचाव और उनकी अभिवृद्धि की सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (960)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता अभियान चलाए जाने तथा बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने, जिससे उन्हें उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरीकरण के विकास के वर्तमान परिदृश्य में तथा आम जीवन में रोजगार के उपयुक्त अवसर मिल सकें, की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (961)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों तथा महिलाओं की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की दृष्टि से महिलाओं के लिए बंद कमरे में विचारण की व्यवस्था करके उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए विशेष न्यायालयों और न्यायिक प्रक्रियाओं का उपबंध करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (962)

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों का बिना सोचे-समझे विनिवेश किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1008)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1009)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के श्रम कानून, को संशोधित करने संबंधी निर्णय जिंसों, श्रमिक वर्ग के कठिनाई से प्राप्त किए गए अधिकारों में कमी आती है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1010)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने की चेष्टा, जिससे देश की गरीब जनता का अहित होगा, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1011)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही बेरोजगारी, जिसके परिणामस्वरूप हताश नवयुवक विभिन्न आतंकवादी तथा बागी संगठनों में शामिल हो रहे हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1012)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा तेजी से कार्यान्वित की जा रही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जिसके परिणामस्वरूप देश में हमेशा बढ़ रहे बेरोजगार पूल में और अधिक वृद्धि होगी, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1013)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रबड़, चाय, कॉफी, कपास आदि जैसी नगदी फसलों सहित कृषि उत्पादों की कीमतों में आ रही भारी गिरावट के कारण लाखों किसानों की दयनीय स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में उन्हें अत्यधिक घाटा हो रहा है तथा वे ऋणग्रस्त हो रहे हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1014)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की दयनीय सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति और उनकी, विशेष कर कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से विशेष योजनाएं तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1015)

[श्री अजय चक्रवर्ती]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की नब्बे कोयला खानों को बन्द किए जाने, जिसके कारण लगभग 1 लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1016)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एनटीसी की लगभग 60 मिलों को बंद करने के प्रस्ताव, जिसके कारण लगभग 1 लाख श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1017)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराने तथा उनके कल्याण के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1018)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं तथा बालिकाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों से निपटने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1019)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1020)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त किए जाने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1021)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1022)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों के पुनरूज्जीवन बनाने तथा इनसे प्रभावित/छंटनी किए गए श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1023)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदानों की बढ़ रही लागत के अनुरूप किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए लाभाकरी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1024)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं तथा इन क्षेत्रों में सभी उपस्करों से पुनः सरकारी अस्पतालों को स्थापित कर विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1025)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में काफी समय से लम्बित अंतर-राज्य नदी विवादों तथा इनसे निपटने हेतु प्रभावी तंत्र और प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1026)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये; अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लगातार कई बजटों में सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए घटाए जा रहे बजट आवंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1027)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों की पुनरीक्षा की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1028)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों पर हो रहे अत्याचारों तथा इनसे निपटने हेतु प्रभावी प्रशासनिक और विधिक उपायों की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1029)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1030)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी प्रतिष्ठानों में ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिकों के शोषण को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1031)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चंडीगढ़ में हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाने और उसका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1032)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लिंग असमानता और कन्या भ्रूण-हत्या की बढ़ती घटनाओं को कम करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1033)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से निपटने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1034)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में धनी और निर्धन लोगों के बीच बढ़ रही खाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1035)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा, रोजगार, चरित्र निर्माण और खेलों पर जोर देते हुए एक राष्ट्रीय युवा नीति तैयार किए के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1036)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'काम का अधिकार' को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1037)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च शिक्षा को सामान्य साधनों वाले परिवारों के छात्रों के लिए सुलभ बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1038)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सशस्त्र बलों में कनिष्ठ अधिकारियों की हो रही कमी और युवाओं को सैन्य बलों की ओर आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1039)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लघु बचतों पर ब्याज दरों में कटौती से सेवानिवृत्ति लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1040)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पोलीथीन के अंधाधुंध उपयोग, जिससे पर्यावरणी प्रदूषण होता है, पर रोक लगाये जाने और पुनर्चचित पोलीथीन के उपयोग को हतोत्साहित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1041)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा भूस्वामियों की भूमि के अधिग्रहण पर उन्हें अपर्याप्त मुआवजा दिए जाने और इस आशय के लिए कानून में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1042)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विद्युत उत्पादन में तेजी लाने और एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लोगों को वहन योग्य दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1043)

[श्री पवन कुमार बंसल]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विधवाओं तथा अन्य बेसहारा महिलाओं के लिए पेंशन योजनाओं में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1044)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लघु उद्योग और युवा उद्यमियों के अनुकूल नीतियां बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1045)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरों में सड़क किनारे के मजदूरों और फेरी वालों की सहायता करने हेतु संस्थागत प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए सरकारी आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1046)

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तमिलनाडु में सेतु समुंद्रम परियोजना को शीघ्र पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1047)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लघु और मध्यम उद्योगों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1048)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1049)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तमिलनाडु में शिवगंगा, रामनाथपुरम, पुडुकोट्टई जिलों में सिंचाई टैंकों तथा पानी की आपूर्ति और टैंकों के नवीनीकरण के लिए शीघ्र धनराशि जारी करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1050)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए धनराशि में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1051)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एन.बी.एफ.आई. और सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1052)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1053)

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कावेरी डेल्टा, जहां फरवरी, 2002 के पहले सप्ताह में हुई भारी बेमौसमी वर्षा से कटी हुई और तैयार फसलें बुरी तरह नष्ट हुई हैं, के किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति संबंधी किसी प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1054)

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के समक्ष राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पूर्व अभी माननीय विपक्ष की नेत्री बोल रही थीं। यह सही है कि विपक्ष का दायित्व है कि जहां सरकार गलती करे, वहां सरकार की आलोचना की जाये लेकिन जहां सरकार अच्छा काम करे, उसके लिए सरकार को बधाई दी जाये। यह भी विपक्ष का दायित्व है।

जहां तक उन्होंने अयोध्या मसले की चर्चा की, हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय का और सरकार का स्पष्ट मत रहा है कि उसका हल या तो आपसी सहमति से होगा, आम सहमति से होगा या फिर जो न्यायालय फैसला करेगी, उसको हम मानेंगे तो कम से कम सरकार को आज के दिन में बधाई दी होती कि आज सरकार के प्रयासों से अयोध्या शांति कायम है। ये दो शब्द प्रसन्नता के आपके मुंह से निकल जाते। आपने जो बातें कही हैं, उनका जवाब सरकार देगी, मंत्रीगण जवाब देंगे।

आप तो यह आशा लगाये बैठे थे कि आज भी अयोध्या में कोई दंगा होगा और एक बार फिर इस सदन की कार्यवाही रोकी जाएगी और शायद शांति को देखकर आपको निराशा का मुंह देखना पड़ रहा है। इसलिए जो कुछ आपने कहा, उस सबका परिणाम है कि आज आपकी आशाओं के विपरीत वहां हुआ है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसको मौडिफाई किया जाएगा। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आज किसान का जो उत्पाद है, उसे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ले जाना कठिन है क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी है। अब किसान एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाकर अपने उत्पाद को अच्छे से अच्छे मूल्य में बेच सकेगा, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि मैं ऐसे प्रांत से आता हूं जहां फलों का उत्पादन होता है और हिमाचल प्रदेश इसीलिए फलों का प्रदेश या सेबों का प्रदेश कहलाता है। देश में जब से लेकर फलों का आयात हो रहा है, दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले फल उत्पादकों के लिए समस्या बन गई है कि किस प्रकार विदेश से आने वाले फलों के साथ कम्पीट कर सकेंगे ताकि उनके उत्पाद इस देश में बिक सकें क्योंकि दुर्गम क्षेत्र से फल आता है। हिमाचल प्रदेश में आज भी सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी वहां सड़कों का अभाव है और मंडी तक फल पहुंचाने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है। यह बात हम लोगों ने प्रधान मंत्रीजी के ध्यान में पहले भी लाई थी। मैं बहुत आभारी हूं कि बाहर से जो फल आता है, उस पर आयात शुल्क को बढ़ाया गया है ताकि दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले फल उत्पादकों को राहत मिल सके। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में विदेश से जो फल आता है, उसके ऊपर आयात शुल्क को और बढ़ाया जाये ताकि फल उत्पादकों को राहत मिल सके।

अभिभाषण के अनुच्छेद 22 में फूड सिक्योरिटी की बात कही गई है, ताकि गरीबों में भी जो अति गरीब हैं, जहां पहले इस प्रकार के परिवारों को, जो गरीबों में सबसे गरीब हैं या गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, दस किलो प्रति परिवार राशन दिया जाता था, उसे बाद में 20 किलो कर दिया और अब उसे 25 किलो कर दिया गया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। यही नहीं, बल्कि काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत आज 300 मीट्रिक टन अनाज विभिन्न प्रांतों को दिया जा रहा है, विशेषकर जहां प्राकृतिक आपदाएं होती हैं- चाहे सूखा हो या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जो पीड़ित प्रांत हैं उन्हें काम के बदले अनाज योजना में भी अन्न दिया जाएगा, इसका मैं स्वागत करता हूं और सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। इसमें दो राय नहीं हैं, जहां तक सड़कों के निर्माण की बात है ये हमारे जीवन की रेखा हैं। जब तक गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूर्व की सरकारों ने सड़क निर्माण की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह बात माननी होगी कि जितना ध्यान वर्तमान सरकार ने दिया है, विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से दिया है, उतना शायद ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए पहले कभी नहीं दिया गया।

महोदय, जिन दो परियोजनाओं का उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है, मैं खास कर आपके माध्यम से उसकी तरफ माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा- नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यह प्रथम अवसर है कि जब सरकार ने इस प्रकार का संकल्प लिया कि 13,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़क को पक्का किया जाएगा, चौड़ाई का काम किया जाएगा और उसे फोर या छः लेन किया जाएगा। जो क्वार्डी लेटरल प्रोजेक्ट है, उसका निर्माण कार्य पूरा करने हेतु पहले 2003 तक का लक्ष्य रखा गया था, मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि वह एक साल एडवांस में पूरा होने जा रहा है। यह केवल लिखने के लिए नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है। यहां पवन कुमार बंसल जी बैठे हैं, वह और हम हमेशा चंडीगढ़ इसी नेशनल हाईवे से जाते हैं। आज आप उस परिवर्तन को देखें। ...*(व्यवधान)* आप सच्चाई को स्वीकार करें और वहां जाकर देखें। वहां पहले कितनी दुर्घटनाएं होती थीं। आज दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आई है और एक अच्छा नेशनल हाईवे भी बना है, यह आपको मानना होगा।

महोदय, जहां तक दुर्गम क्षेत्रों की बात है, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी के ध्यान में एक अन्य बात लाना चाहूंगा, जो पहले से इनके ध्यान में है। लेह-लद्दाख को जोड़ने वाली सबसे कम डिस्टेंस वाली सड़क है, जो कुल्लू होते हुए रोहतांग दर्रे से जाकर, बारालाचा से पास होकर लेह जाती है। वह ऐसा रास्ता है जो साल में लगभग नौ महीने तक देश के बाकी भागों से रोहतांग दर्रे पर बर्फ पड़ने से कट जाता है। उस सड़क का सर्वेक्षण कई साल पहले हुआ था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि इसके नीचे टनल का निर्माण किया जाएगा। यह नेशनल हाईवे पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी परमावश्यक है। इसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। राइट्स कम्पनी ने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दी है। जहां पहले किसी समय इसकी कास्ट 1500 करोड़ बताई जाती थी, आज टनल निर्माण में लेटेस्ट टैक्नोलॉजी उपलब्ध है, इसलिए अब उसकी कास्ट 500-600 करोड़ रह गई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उसके निर्माण पर शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जाए। उसके ओपन

[श्री महेश्वर सिंह]

टेंडर बुलाए जाए ताकि जो भूतल परिवहन विभाग है, वह जल्दी से जल्दी उस टनल का निर्माण कार्य शुरू करें, जहां यह डिस्टेंस लगभग 49 किलोमीटर कम बैठेगा।

वहां इस टनल के बन जाने से, जो लेह-लद्दाख की सर्विस है, जो आर्मी की सप्लाई है, वह साल में नौ महीने चल सकेगी और तीन महीने बंद रहेगी। क्योंकि बारालाचा में उतनी बर्फ नहीं पड़ती है जितनी रोहतांग दर्रे में पड़ती है। मुझे विश्वास है कि सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य जायेगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): उसके आगे तीन दर्रे और हैं जो उससे भी ज्यादा ऊंचे दर्रे हैं लाचांग्ला है, बारालाचा है, कुल मिलाकर ऐसे तीन दर्रे हैं, केवल रोहतांग में टनल बनने से बात नहीं बनेगी।

श्री महेश्वर सिंह: बारालाचा का जहां तक संबंध है, वहां ठीक है बर्फ पहले पिघलती है। रोहतांग ज्यादातर समय बंद रहता है। वहां सर्वे नहीं हुआ है और न वहां टनल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन केवल रोहतांग दर्रे के नीचे टनल बन जाए तो नौ महीने सड़क खुली रहेगी। इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध है और चूंकि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, मैं उस क्षेत्र को भली-भांति जानता हूं और उस टनल का बनना उस क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि सरकार का ध्यान उस ओर जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 34 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कही गई है। यह प्रथम बार है कि जब कि गांवों के बारे में सोचा जा रहा है जो आज तक सड़कों से जुड़ नहीं पाये। लेकिन इसमें अनेक बाधाएं हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जहां मैदानी क्षेत्रों के लिए यह कहा गया था कि प्रथम चरण में पांच सौ से एक हजार की आबादी वाले गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ा जायेगा, वहीं जब पहाड़ी क्षेत्रों के सांसद और वहां के मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री जी से मिले, उसमें छूट देते हुए पहाड़ी प्रांतों के लिए जहां 250 से 500 तक की आबादी है, उन गांवों को भी प्रथम चरण में जोड़ने की बात कही गई। आज एक नहीं, दो नहीं, एक-एक सड़क पर करोड़ों रुपया केन्द्र से जा रहा है। इसके लिए सचमुच मैं व्यक्तिगत रूप से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

लेकिन एक समस्या है अभी अधिकांश गांव छूटे हुए हैं। वे या तो जंगलों से घिरे हुए हैं या जंगल की भूमि से घिरे हुए हैं। वहां तीन प्रकार के जंगल हैं- उनमें एक क्लास-1 फारेस्ट कहलाता है, दूसरा क्लास-2 फारेस्ट कहलाता है और तीसरा क्लास-3 फारेस्ट कहलाता है। उसमें एक चौथी वन योग्य भूमि है। अंग्रेजों के समय में जब सैटलमैन्ट हुआ था तो एंडरसन रिपोर्ट में जितनी भी खाली भूमि थी, उसे वन योग्य भूमि कहा गया है न कि जंगल वाली भूमि कहा गया है। लेकिन जब 1980 में फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, वह एक्ट हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आज कहीं भी सड़क निर्माण करें, वह एक्ट सबसे बड़ी बाधा है। आज उस एक्ट के अंतर्गत भूमि में एक भी पेड़ नहीं हैं, तब भी भूमि का मुआवजा वन विभाग को देना पड़ता है, ताकि वन विभाग उसके बदले में जंगल तैयार करे। जहां सड़क निर्माण में यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लोगों की निःशुल्क अगर कोई अपनी भूमि लगती है तो दान देनी होगी, दूसरी तरफ सरकारी भूमि के बदले में अगर मुआवजा देना पड़ेगा तो इस मुआवजे की व्यवस्था प्रान्तीय सरकारें अपनी सीमित साधनों के होते हुए नहीं कर पायेंगी। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि उसमें भी छूट दी जाए। आखिर ऐसा केन्द्र सरकार का ही कानून है। इसलिए जब तक यह छूट नहीं देंगे तो इस 1980 के एक्ट के कारण वहां कहीं भी सड़क नहीं बन पायेगी। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की छूट दी जायेगी, ताकि जहां देश में लगभग सात हजार करोड़ रुपया प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दिया गया है, उसका सदुपयोग हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सांसदों को कहा जाता है कि आप जिन सड़कों को बनवाना चाहते हो उनकी अनुशंसा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सैक्रेटरी को लिखें। लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं तो वह कहते हैं कि जब तक प्रदेश से उसका प्रोपोजल नहीं आयेगा, आपके प्रोपोजल को हम एंटरटेन नहीं कर सकते। वहां राज्यों की अपनी प्राथमिकताएं रहती हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि कम से कम सांसदों के कहने पर, ज्यादा नहीं तो हर ब्लाक में एक सड़क ले ली जाए। पैसा हमें न देकर सीधा विभाग को दें। इससे हम लोगों का भी मान-सम्मान रहेगा, नहीं तो हमें बड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि वहां की अनुशंसा कुछ और है। जो कुछ हम लिखते हैं, उसकी डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती। इसलिए हमें भी इतना अधिकार दे दिया जाए तो हम आभारी होंगे और हमारी अनुशंसा पर कम से कम ब्लाक में एक सड़क जरूर ली जाए।

महोदय, जहां तक पेड़ों का मुआवजा देने की बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर यह मुआवजा प्रांतीय सरकारों को देना पड़ेगा तो वह पहले ही आर्थिक संकट में हैं, वह कहां से देंगे। इस प्रकार से जंगल से घिरे गांव सड़कों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें छूट दी जाएगी ताकि जो इसमें पैसा देना है, वह न देना पड़े। जहां तक नई कनैक्टिविटी की बात कही है, जो कि इस योजना का उद्देश्य भी है, इसमें अधिकांश वे सड़कें ली जा रही हैं जो की कच्ची बनी हैं, उसकी मैटलिंग और टारिंग होनी है। मेरा सुझाव है कि 50 प्रतिशत पैसा

पुरानी सड़कों के मैटलिंग और टारिंग पर खर्च किया जाए। 50 प्रतिशत नई कनैक्टिविटी पर खर्च किया जाए तो उसका लाभ होगा और नए गांव सड़कों से जुड़ेंगे नहीं तो प्रथम चरण में कोई गांव सड़क से नहीं जुड़ पाएंगे ऐसी मुझे शंका है। इसलिए इस प्रकार का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, अनुच्छेद 37 और 38 में ऊर्जा की कमी पर चिन्ता व्यक्त की गई है। महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि मैं ऐसे प्रांत से आता हूं जो स्वयं बिजली उत्पादन की बहुत अधिक क्षमता रखता है। मैं आभारी हूं कि प्रधान मंत्री जी की कृपा से मेरे क्षेत्र में पार्वती जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास प्रधान मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था और वहां काम भी चल रहा है, लेकिन जिस तीव्र गति से काम चलना चाहिए वह नहीं चल पा रहा है। यहां भी 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट आड़े आता है। क्योंकि सारी जमीन जितनी वहां पर खाली है, वह थर्ड क्लास फौरेस्ट लैन्ड है। इसलिए यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारा सौभाग्य है कि आज विद्युत मंत्री वह महानुभाव हैं जो पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। इसलिए उनको भली-भांति पता है कि पर्यावरण मंत्रालय किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है ताकि परियोजना जल्दी न बन सके। जब तक इसका हल नहीं होगा, तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें एक चीज और है कि कहीं पर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी है तो नियम कहता है कि जो ब्रीडिंग सीजन है या जंगली जानवरों का मेटिंग सीजन है, उस दौरान वहां ब्लास्टिंग नहीं हो सकती, काम नहीं हो सकता क्योंकि उनका साइकिल डिसटर्ब होता है। फिर वह ऐसा क्षेत्र है जहां बर्फ पड़ती है। ये तीन महीने मेटिंग और ब्रीडिंग के लिए छोड़ने पड़े और छः महीने बर्फ के कारण काम न हो और साल में नौ महीने काम नहीं होगा, केवल तीन महीने काम होगा तो परियोजना का काम किस प्रकार से तीव्रता से चलेगा। इसलिए इस बात पर विचार करना होगा। मुझे लगता है कि जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है और जो हमारा विद्युत मंत्रालय है, इन दोनों में अधिक तालमेल बिठाने की आवश्यकता है और यह समयबद्ध किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी एनवायरर्नमेंटल क्लियरेन्स मिले तभी बिजली उत्पादन जल्दी हो पाएगा।

महोदय, यहां कल एक प्रश्न भी था एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, जिसे हम बिजली की चोरी या ट्रांसमिशन लासेज कहते हैं, उस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लौस 59.55 प्रतिशत मणिपुर में है। जम्मू-कश्मीर दूसरे नंबर पर है- 47.64 प्रतिशत, और मिजोरम 43.79 प्रतिशत है। ये आंकड़े दिल्ली को छोड़कर हैं। मैं आंकड़े इसलिए रख रहा हूं कि दिल्ली में यह 43.71 प्रतिशत है। यहां इतना ट्रांसमिशन और चोरी लौस क्यों है- मुझे मालूम नहीं, लेकिन अधिकांश प्रांत इसमें पहाड़ के प्रांत हैं और पहाड़ों में ट्रांसमिशन लास ज्यादा है, चोरी वहां नहीं है क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि वहां को लोग ज्यादा ईमानदार हैं लेकिन ट्रांसमिशन लासेज अगर कम करने हैं तो इतना जरूर कहूंगा कि जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल हमने पास किया था, उसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

महोदय, एपीडीपी कार्यक्रम सरकार ने चलाया लेकिन इस कार्यक्रम में जब तक उन प्रांतों में ऐसे जिलों को प्राथमिकता नहीं देंगे जहां ट्रांसमिशन लासेज ज्यादा हैं जो दुर्गम क्षेत्र हैं और तुलनात्मक दृष्टि से अगर मैदानी क्षेत्रों को एपीडीपी कार्यक्रम में किसी प्रांत में लेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रधान मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि कुल्लू, मनाली, लाहौल, स्पीति, किन्नौर, भरमौर सब मंडी संसदीय क्षेत्र में आते हैं। मुझे इस बात का खेद है कि एक भी सर्कल वहां से एपीडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विद्युत मंत्री, भारत सरकार को भी लिखा था, कुछ नहीं हुआ, कोई जिला नहीं लिया गया। मैं यह नहीं कहता हूं कि एक भी सर्कल नहीं लिया गया, हि.प्र. में भी चार सर्कल दिए गए हैं, मैं उसके लिए उनका स्वागत करता हूं लेकिन जो अति दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां ट्रांसमीसन लास ज्यादा हैं, उन्हें इसके अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता, तो उचित रहता।

महोदय, जहां तक टूरिज्म पालिसी का संबंध है, इसके बारे में कहा गया है कि सरकार उसे नई नीति के रूप में लाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रकृति ने ऐसा सौंदर्य दिया है जिसके दर्शन हेतु न केवल देश बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। हमको पत्थर ऐसा दिया है जिससे हम सीमेंट बना सकते हैं और पानी ऐसा दिया है जिससे हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रान्त का आर्थिक संकट है। वहां कनैक्टिविटी की समस्या है। हिमाचल प्रदेश में एक मात्र यातायात का साधन सड़क है। वहां सेवा नाममात्र की है। भुन्तर प्लेन जाता है, शिमला प्लेन जाता है और कांगड़ा प्लेन जाता है।

महोदय, कुल्लू जब पहले कच्चा एयरपोर्ट था तो फोकर फ्रेंडशिप एयरक्राफ्ट जाता था, डकोटा जाता था, एवरो जाता था। अब वह पक्का हो गया है, तो डोनियर जाता है, जो केवल 17 सीटों का उड़नखटोले के समान है। किराया सर्वाधिक, एक तरफ का रु. 4900, यानी दोनों तरफ से एक यात्री 10,000 रुपए खर्च कर के एयरपोर्ट से वापस आ जाए, तो इससे पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा?

मैं आभारी हूं प्रधान मंत्री जी ने आदेश दिए थे कि वहां की हवाई पट्टी का विस्तार किया जाए और यह भी कहा गया था

[श्री महेश्वर सिंह]

कि ए.टी.आर. बहुत जल्दी आ रहे हैं ताकि 50 सीटर प्लेन चलाया जा सके। मेरा आग्रह है कि इसे प्राथमिकता दी जाए।

महोदय, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है। इसी प्रकार के पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-कश्मीर एवं उत्तरांचल भी आते हैं। वहां हैलीपैड बने हैं। वहां हैली टैक्सियां भी चल सकती हैं। वहां इसको बढ़ावा दिया जाए, जो पहाड़ी राज्यों की आय का साधन भी बन जाएगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वहां के लिए ए.टी.आर. विमान खरीदे जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बिन्दु के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि समय हो गया है। इसलिए आप मुझे बैठने के लिए आदेश दें उससे पहले ही मैं अपनी अंतिम बात कह कर बैठ जाऊंगा। जहां तक पंचायती राज का संबंध है, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि महिलाओं और दलितों के लिए पंचायतों में आरक्षण है, लेकिन इनका हर साल रोटेशन करने का प्रावधान कर दिया गया है जिसे बदलना चाहिए क्योंकि इसके कारण कहीं भी किसी की जवाबदेही नहीं है, कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब मुझे मालूम है कि यह चुनाव लड़ना है और अगली बार मेरी यह सीट रिजर्व हो जाएगी, तो मैं कितनी समाज सेवा कर पाऊंगा। कहा गया है कि जितने भी नुमाइंदे हैं उनको तीन साल में, चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन यदि रोटेशन चलेगा, जो जितने में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी उतने में उनका पीरियड पूरा हो जाएगा और सीट रिजर्व हो जाएगी फिर वह वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो आपके द्वारा ट्रेनिंग देने का क्या फायदा होगा?

महोदय, पंचायत का अर्थ केवल प्रधान नहीं है, पंचायत का अर्थ पूरी पंचायत है। इसलिए प्रधान के डायरैक्ट इलैक्शन पर भी विचार करना चाहिए। यदि ब्लाक समिति के सदस्यों को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार है, जिला परिषद् सदस्यों को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार है, विधायकों को अपना मुख्य मंत्री चुनने का अधिकार है और सांसदों को अपना प्रधान मंत्री चुनने का अधिकार है तो पंचों को अपना प्रधान चुनने का अधिकार क्यों नहीं है? आज स्थिति यह हो गई है कि पंच गौण हो गया है। पंच का चुनाव कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। सब कुछ केवल प्रधान है केवल प्रधान, पंचायत नहीं है। एक्ट में सारी पंचायत को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है। आज अधिकांशतः प्रधान पंचायत के ठेकेदारों के रूप में काम कर रहे हैं और पंचों को कोई नहीं पूछ रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि पंचों का जो अधिकार है, उससे उन्हें वंचित न किया जाए और उंन्हें प्रधान चुनने का अधिकार रहना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। जो रोटेशन है उस पर भी विचार करना चाहिए ताकि यदि कोई प्रधान गलती करे, तो जनता को उसे दंडित करने का अवसर मिल सके। यहां स्थिति यह हो गई है कि यदि कोई बेचारी महिला एक बार प्रधान चुनी जाती है और जब तक वह कुछ सीखती है, तब तक उसका टर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि इस समस्या का समाधान करना है, तो इस पर विचार करना होगा।

महोदय, पैसा यहां से जाता है उसमें 30 प्रतिशत धन जिला परिषद् का होता है और 70 फीसदी ब्लाक समिति के शैल्फ के मुताबिक खर्च होना होता है, लेकिन उल्टा हो रहा है, जहां भी पैसा जाता है, मैंने एक जगह नहीं कई जगह देखा है जितना भी पैसा दिया जाता है, जितने भी जिला परिषद् के लोग हैं वे यह समझते हैं यह उनकी डिस्क्रिशनरी ग्रांट है और जो ब्लाक समिति का शैल्फ होता है, उसे इगनोर किया जाता है। ऐसा करना पंचायतीराज अधिनियम की भावना के विरुद्ध है। इसलिए इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो पैसा यहां से जाता है वह 70 प्रतिशत ब्लॉक के शैल्फ के मुताबिक खर्च होता है या नहीं।

जो 30 प्रतिशत हिस्सा होता है, उसमें कहीं जिला परिषद् का अध्यक्ष तो मनमानी नहीं करता। उस सदन में जहां सांसद भी मैम्बर हैं, विधायक भी मैम्बर हैं वहां पर कोई चर्चा होती है या नहीं, इस पर भी विचार करना चाहिए। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा में अपने भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी, 13 दिसंबर को संसद पर हुये हमले में शहीद हुए व्यक्तियों तथा सांप्रदायिक हिंसा में मारे गये लोगों के प्रति विपक्ष की माननीय नेता द्वारा अर्पित श्रद्धांजलि में उनके साथ हूं।

हम राष्ट्रपति जी का अत्यधिक सम्मान करते हैं। लेकिन हम उनसे बस सहानुभूति ही रख सकते हैं कि उन्हें ऐसा बिल्कुल बेकार और घिसा-पिटा भाषण पढ़ना पड़ा, जिसका वास्तविकता अथवा विश्वसनीयता से कोई सरोकार नहीं है। मेरे विचार से, यदि हम इसे ध्यान से पढ़ें, तो ये सब बे-सिर-पैर की बातें इस देश की जनता को बहकाने के सिवाय और किसी काम की नहीं हैं। यह बहुत ही लंबा भाषण है, जैसाकि हमें उस दिन लगा और इसमें लम्बी-लम्बी बातें हांकने के सिवाय इसमें कोई तथ्य भी नहीं है।

राजग सरकार, चाहे जो भी दावे करे, यह न तो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और न ही इसका बने रहना लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित है। यह एक अत्यधिक अवसरवादी गठबंधन है जो स्थितियों का लाभ उठाने वालों की स्वार्थ सिद्धि से बंधा हुआ है और जिसमें कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो सभी दलों को स्वीकार्य हो और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके आपस में बंधे रहने का एकमात्र कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता के प्रति उनकी लोलुपता है। राजग एक रेलवे प्लेटफार्म की तरह है। मैं यह पहले कह चुका हूं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इस गठबंधन में शामिल हो सकता है अथवा उसे छोड़कर जा सकता है। नित्य प्रति दल लगभग नियमित रूप से इस गठबंधन में शामिल होते हैं और छोड़कर जा रहे हैं और कुछ नये मंत्री बन कर आ रहे हैं। वे क्यों राजग छोड़कर जा रहे है और उसमें क्यों शामिल हो रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। लेकिन यह सब इस देश के हित के लिए नहीं हो रहा अपितु यह तो भानुमती के इस कुनबे को एकसाथ रखने के लिए किया जा रहा है।

यहां तक कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमसे हमारी 'सी' टीम छीन ली है। उन्होंने अपने एक विशेष सहयोगी दल को हमारी 'सी' टीम बताया - सीपीआई (मा.) की 'सी' टीम। उन्होंने वह भी हमसे छीन ली है। नि:संदेह हमने उनका साथ छोड़ दिया है। एक और दल, जिसने नाराजगी में गठबंधन से नाता तोड़ लिया था, उसे फिर से गठबंधन में शामिल कर लिया गया है। वे सभी मंत्री बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कल और आज जो कुछ हुआ है, संभवत: उसका परिणाम यह निकले कि...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, ये वही आदमी हैं, यह वही दल है जिसने श्रीमती इन्दिरा गांधी को 'डाकिनी' ('विच') कहा था और अब वे इस प्रकार से बोल रहे हैं...*(व्यवधान)* हां, जब आपातकाल लगा था तब उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को 'डाकिनी' कहा था।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, एक मंत्री को जाना पड़ा था क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप थे तथा दूसरे सहयोगी दल ने उनका त्यागपत्र स्वीकार करने की मांग की थी। उन्होंने मांग की और वे राजग छोड़कर चले गए क्योंकि त्यागपत्र स्वीकार करने की उनकी मांग पर प्रधानमंत्री द्वारा अमल नहीं किया जा रहा था।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): आपके पास आ जाये तो अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: और वही मंत्री अपने पद पर लौट आए हैं जबकि उनके विरुद्ध कार्रवाइयां लम्बित हैं तथा उस अधिनियम की धारा 8-बी के तहत नोटिस जारी किया जाना प्रथमदृष्टया किसी न किसी प्रकार का कम से कम वैसा दोष लक्षित करता है जिसके बारे में जांच की जरूरत हो। अन्यथा आयोग ने यह नोटिस जारी नहीं किया होता। अब वे अपने पद पर पुन: स्थापित हो गए हैं। वस्तुत:, इस देश की जनता को इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह गया है कि इस सरकार की वास्तविक विश्वसनीयता क्या है।

महोदय, इसलिए हम पाते हैं कि जनता को जब कभी इस सरकार अथवा इन दलों के कार्यकरण के बारे में अपना विचार प्रकट करने का अवसर मिल रहा है, उसने इस दल एवं इसके सहयोगी दलों को नकार दिया है। उन्होंने हरेक चुनाव गंवाया है तथा पंजाब में चुनाव का परिणाम तो बिल्कुल कहानी ही बन गया है। इस गठबंधन में अग्रणी दल, भाजपा को हराने के लिए जनता का दृढ़ निश्चय, उनकी तुलना में अकालियों ने बहुत हद तक अपनी ताकत को बनाए रखा है, तथा भाजपा के विरुद्ध उनका क्रोध इस परिणाम से बहुत स्पष्ट हो गया है। जनता इतनी नाराज क्यों है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने एक अलग तरह की सरकार देने का वादा किया था, के उदार नेतृत्व में तीन वर्षों के इस शासन प्रबंधन के अंदर जनता इतनी नाराज क्यों है।

ठीक है, मेरा विश्वास है कि जहां तक मैं समझता हूं माननीय सदस्य जो अभी बोले हैं, उन्होंने केवल सड़कों का उल्लेख किया। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्य ने इस सरकार को समर्थन देने का असुविधापूर्ण कार्य किया है किन्तु वे यहां कही नहीं दिखायी दे रहे हैं। आज जनता नाराज क्यों है? जनता इसलिए नाराज है क्योंकि इस सरकार ने जो कुछ भी किया है वह या तो आचारहीन अथवा दुराचार है या तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है अथवा उन्होंने जो कुछ भी किया है उसे अव्यवस्थित कर दिया है। आज, लोगों में यह सोचकर दहशत है कि क्या देश की एकता बनी रहेगी क्योंकि हमारा संविधान जिस मौलिक सिद्धांत की स्थापना करता है वह है- समानता-यह जाति, संप्रदाय व धर्म से निरपेक्ष एक संवैधानिक अधिदेश है-और वह करीब-करीब नष्ट होने की स्थिति में है। जनता देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के बारे में चिन्तित है जो कि इस देश में समाज के सभी सही सोच रखने वाले व्यक्तियों को काफी प्रिय है। जनता को इस बात की चिन्ता है कि क्या यह कमी बना रह पाएगा क्योंकि इसे सीधे चुनौती मिल रही है। अब यह हो रहा है कि जब तक यह सरकार सत्ता में है धर्मनिरपेक्षता लगभग मृत प्राय है। यह काफी तेजी से घटित हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्षता की लाश पर कापालिक की तरह बैठे हैं।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

महोदय, मैं आशा करता हूं कि आप अयोध्या के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा हेतु हमारे लिए अवसर मुहैय्या करायेंगे। मैं आशा करता हूं कि उच्चतम न्यायालय और उसके बाहर महान्यायवादी के वाक्-प्रदर्शन तथा सरकार द्वारा महान्यायवादी का सहारा लेकर व्याख्या दर्शाने पर चर्चा करने के लिए हमें अवसर प्राप्त होगा।

परन्तु महोदय, अभी मैं एक मामले का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता। हम समझते हैं इसका खंडन नहीं किया गया है तथा मुझे कल जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई कि सांविधिक प्रापक जो भारत सरकार है, की ओर से एक सरकारी अधिकारी विहिप या न्यास से शिला स्वीकार करने जा रहा है, मैंने माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा। इस देश में क्या हो रहा है? 'अंदर' और 'बाहर' का प्रश्न निरर्थक है। इसमें सरकार की भूमिका क्या है। जिस शिला को मैं लेता हूं उसे पवित्र किया जाएगा, उसकी देवता सदृश पूजा की जा सकती है। एक देवसदृश पूजित शिला को सभी प्रकार की पूजा-अर्चना के साथ विधिपूर्वक एक सरकारी अधिकारी को सौंपा जाएगा। वह इसका क्या करेगा? वह इसे कहां रखेगा-अपनी मेज पर अथवा कोई धार्मिक स्थान खोजा जाएगा। वह इसे पुजारियों या साधुओं को नहीं दे सकता। उसे पूजा के लिए व्यवस्था करनी है। इसके लिए उसे एक पुजारी रखना है।

अपराह्न 4.00 बजे

उसे कुछ सुरक्षा का बंदोबस्त करना है। इस देश को क्या हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि प्रधान मंत्री इसे गम्भीरता से ले रहे हैं। यहां तक कि आज भी इस सज्जन श्री गुप्ता को दूरदर्शन पर यह कहते हुए सुना कि चूंकि यह विवादित स्थल से बाहर हो रहा है वे इसे स्वीकार करेंगे।

महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है। किस व्यक्ति ने इस सज्जन को इसे स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया है। किसने निर्देश दिया है तथा किस उद्देश्य से? वह उसके साथ क्या करेगा? क्या यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अनुकूल है?

अपराह्न 4.01 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

महोदय, उस शिला के रख-रखाव तथा उसके समुचित प्रतिरक्षण के लिए निधियों की व्यवस्था कहां से हो रही है? संविधान का उल्लंघन है जो यदि अभी तक नहीं हुआ तो होने जा रहा है। यह कुछ नहीं बल्कि संविधान का उल्लंघन है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): जिलाधिकारियों का कानून और व्यवस्था के हित में इस प्रकार का उत्तरदायित्व हमेशा ही होता है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: डा. सेनगुप्ता, मुझे पता है आप वैसे सलाहकार हैं जिसकी राय नहीं ली जाती। आपको किसी ने राय देने के लिए नहीं कहा...*(व्यवधान)* यह आपके नए सहयोगी की स्थिति है।

सभापति महोदय, अतएव मैं आशा करता हूं कि यद्यपि हमारे पास अन्य मामले पर चर्चा करने का अवसर होगा, तथापि यह एक अनिवार्य और गम्भीर मामला है जिस पर तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है। यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तब मैं इस सरकार पर सहापराधिता का दोष लगाता हूं जो विहिप, न्यास और अन्य सभी के कट्टरवादी विचारों, रवैये एवं नीतियों के तुष्टीकरण की कोशिश कर रही है...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, वह इस सभा में अपने भाषण द्वारा उत्तेजना फैला रहे हैं जबकि दिन शांति से गुजर चुका है...*(व्यवधान)* महोदय, वे उत्तेजना पैदा करने के लिए इस सभा को उपयोग कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत: ये देश में अशान्ति पैदा करना चाहते हैं। ये दंगे कराना चाहते हैं। पूरे देश में शान्ति हो गई, ये अशान्ति पैदा करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* इनका मतलब सिद्ध नहीं हो रहा है। ये राजनैतिक उपेक्षा नहीं सह पा रहे हैं। ये दंगे फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री बंद्योपाध्याय, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, हमारा भी एक राजनीतिक दल है...*(व्यवधान)* हमेशा ही कम्यूनिस्ट पार्टियों की मनोवृत्ति देश में अव्यवस्था पैदा करने की होती है...*(व्यवधान)* हम इसे बर्दास्त नहीं कर सकते...*(व्यवधान)* हर व्यक्ति को आत्मसंयम होना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, सभा को बाधित करने की उनकी आदत है...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बंद्योपाध्याय, वह सहमत नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शान्तिपूर्ण ढंग से काम हो रहा है तो इनको इस बात की तकलीफ हो रही है, आपत्ति हो रही है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत: इनकी छाती पर सांप लोट रहे हैं, ये शान्ति नहीं चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): शान्तिपूर्ण ढंग से काम निपट गया तो इनके पेट में क्यों चूहे कूद रहे हैं?...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत: इनके पेट में मरोड़ आ रही है। ये अशान्ति फैलाना चाहते हैं। ये दंगे फैलाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिये।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): क्या वे सब जो बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं? इन लोगों का यही रवैया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वे पूर्णतः असहनीय है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: सभापति महोदय, निस्संदेह कुछ लोग राजा से भी अधिक ठाठदार है। मैं राजग के सभी एवं प्रत्येक व्यक्ति से उत्तरदायित्वबोध, देशभक्ति व राष्ट्रीयता का पाठ नहीं पढ़ना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: सभापति जी, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री ने भी गुजरात की परिस्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। तथापि, उनके पाप धो दिए गए है अथवा धोने की कोशिश की गयी है जो हमारे अनुसार घटनाओं के लिए या तो सीधे जिम्मेवार है अथवा उन्होंने जान बूझकर इन घटनाओं की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं यह मांग करता हूं कि यह सरकार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु पर्याप्त कदम उठाए। उनका राज्य सरकार में कोई विश्वास नहीं है। जैसा कि मैंने पाया है, आज तक एक भी राहत शिविर नहीं खोला गया है। मैं यह कहूंगा कि हजारों लोगों को उनकी देख-रेख के लिए उन गैर-सरकारी संगठनों की दया पर छोड़ दिया गया है जिनकी वित्तीय क्षमता काफी सीमित है। उनकी अवसंरचनात्मक सुविधाएं काफी सीमित है। साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार इन लोगों को अपनी व्यवस्था खुद करने के लिए छोड़ा जा रहा है यह अकल्पनीय है।

आज जनता, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के दिमाग में सुरक्षा की भावना को पुनःस्थापित करना आवश्यक है। देश की सर्वोच्च सत्ता द्वारा इसमें संलिप्त लोगों को दोषमुक्त करार दिया जाना सिर्फ असुरक्षा की भावना को गहराता है। यह देश में असुरक्षा की भावना को दूर नहीं करता। कौन से कदम उठाए गए हैं? कल भी आगजनी, छुरेबाजी व हत्या की घटनायें हुई हैं। वस्तुतः व्यापक तौर पर लूटपाट दंगाइयों का भी मौलिक अधिकार बन गया है। हमें जो बताया गया है वह यही है और वहां पर ऐसी स्थिति है। लोगों में सुरक्षा की भावना को फिर से जगाने के लिए सरकार को न केवल संरक्षण प्रदान करना होगा अपितु प्रभावित लोगों को राहत देनी होगी। पर्याप्त मुआवजा देना होगा और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच करवानी होगी केवल तभी अल्पसंख्यकों तथा प्रभावित लोगों में विश्वास जगेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय गृह मंत्री को इस बारे में लिखा था क्योंकि मुझे वहां होने वाली परीक्षाएं देने वाले छात्रों से मदद के लिए गुहार मिली। बिना किसी गलती के उनकी पुस्तकें जलाई जा रही है। वे पढ़ नहीं सकते हैं, वे विद्यालय नहीं जा सकते और वे परीक्षाओं की तैयारी भी नहीं कर सकते। उन युवा लड़के-लड़कियों का क्या होगा जिनका कोई दोष नहीं है? अब भी कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है। अन्यथा बिना किसी गलती के उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा। यदि इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि प्रभावित लोगों का सरकार की सदाशयता व किए जाने वाले उपायों में विश्वास बैठ सकेगा।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

हम सभी ने इन घटनाओं, इन अमानवीय घटनाओं, भले ही गोधरा कांड हो या उसकी अनुवर्ती घटनाएं, की निंदा की है। किंतु हमारी निंदा की मात्रा से स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया व इन समस्याओं को हल करने की सरकारी कार्यवाही का निर्धारण नहीं होता।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि मुआवजे के अलावा, राहत कार्य होना चाहिए तथा संरक्षण दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा मामले की जांच होनी चाहिए जैसा कि हम पहले की चर्चा में कह चुके हैं और गृह मंत्री ने इससे इंकार भी किया था।

महोदय, 13 दिसम्बर, 2001 की घटना के बाद से तो जैसे हम एक किले में हैं। मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं। इस मुद्दे में कुछ गंभीरता होनी चाहिए। हमें इस देश के लोकतंत्र के दुर्ग की रक्षा करनी होगी जो देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी संख्या है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री को इस देश की जनता को उत्तर देना होगा। वे संसद भवन पर संभावित हमले की बात करते रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने हमले से कुछ दिन पहले मुम्बई में जन्मदिन समारोह में स्पष्ट कहा था संसद पर हमले का खतरा है। इसी प्रकार गृह मंत्री भी आतंकवादी हमलों की आशंकाएं जताते रहे हैं। स्पष्टतः उनके पास खुफिया स्रोतों से उपलब्ध जानकारी रही होगी। लेकिन वे इस जानकारी का उपयोग पोटो का समर्थन न करने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए कर रहे थे। वे इस जानकारी का उपयोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रहे थे न कि संसद भवन की सुरक्षा मजबूत करने में, जैसा कि हम आज देखते हैं। यहां पर्याप्त बल अभी भी तैनात नहीं हैं और जिस दिन यह घटना घटी उस दिन भी इस भवन की सुरक्षा के लिए सरकार या विधि प्रवर्तन एजेन्सी की ओर से कोई सतर्कता दिखाई नहीं क्यों? देश को इस बात का स्पष्टीकरण देना उनका कर्त्तव्य है कि जब इस बात को पूर्ण जानकारी थी कि आतंकवादी हमला हो सकता है, तब कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? मुझे इस पर आपत्ति नहीं है किंतु घटना के बाद उठाए कदमों से भी कभी-कभी कठिनाई होती है।

इसलिए, यह एक गंभीर मामला है जिसके लिए प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को देश को जवाब देना होगा।

किंतु यहां ऐसा कुछ नहीं कहा गया। खेद का एक शब्द भी नहीं कहा गया। और इस बात का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया कि इस पूर्व जानकारी के बाद भी सुरक्षा के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए।

महोदय, दूसरा गंभीर मामला है - रक्षा मंत्रालय में क्या चल रहा है। तहलका कांड की जांच चल रही है लेकिन जांच के दौरान ही रक्षा मंत्री को मंत्रीमंडल में शामिल कर लिया जाता है। उनके इस्तीफे की कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती। लेकिन महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह कहकर उन्होंने एक चुनौती दी है कि, मैं इन सभी अनुबंधों के अभिलेख केन्द्रीय सतर्कता आयोग और नियंत्रक महालेखापरीक्षक को भेज दूंगा। वे स्पष्ट करेंगे और वे इसकी जांच करेंगे। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक जो एक संवैधानिक प्राधिकरण है ने इसकी जांच की थी। उसने एक प्रतिकूल रिपोर्ट दी किंतु रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया क्या है? इस सरकार का जवाब क्या है? क्या कोई कैबिनेट मंत्री मनमाने ढंग से कार्य कर सकता है? क्या किसी मंत्री के कार्यों की जिम्मेदारी प्रधान मंत्री नहीं लेंगे?

वे अपनी पसंद के कुछ पत्रकारों को बुलाते है, अपने एक मित्र को बुलाते हैं और रक्षा मंत्रालय के कुछ दस्तावेज यह कहकर देते हैं कि ये गोपनीय नहीं है। क्या वे किसी को भी दे देंगे? क्या वे ऐसे दस्तावेज किसी को भी या हर किसी को भी दे देंगे? तत्पश्चात् उनका एक सज्जन पत्रकार मित्र कुछ पृष्ठों की एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे रक्षा मंत्री सभी सांसदों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। क्या हो रहा है? जिस तरह से रक्षा मंत्री के नेतृत्व में नियंत्रक महालेखापरीक्षक से दुर्व्यवहार अपमान और आलोचना की गयी है मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में कोई सरकार है, और क्या कोई संविधान लागू है?

क्या आप यह कर सकते हैं? इसका भुगतान किसने किया? हम ये सब जानना चाहते हैं। माननीय प्रधान मंत्री आप ये सब बातें टाल नहीं सकते। इन सबकी व्यवस्था किसने की? क्या एक मंत्री जिसे पुनः एक वर्तमान मंत्रीमंडल में शामिल किया गया हो, अपने सहयोगियों के माध्यम से संवैधानिक निकाय का अपमान कर सकता है? क्या हम एलिस की किसी तीसरी दुनिया में हैं? क्या कोई ऐरा-गैरा हम पर शासन कर रहा है? क्या इस देश में कुछ भी किया जा सकता है? वह रिपोर्ट अभी भी वापिस नहीं ली गई है और वह प्रकाशन अभी भी परिचालित हो रहा है। सी.वी.सी. का प्रतिवेदन लोक लेखा समिति को नहीं दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री को संसद सदस्यों पर भरोसा नहीं है लेकिन वे अपने पत्रकार मित्र पर भरोसा कर सकते हैं। इस देश में यह कुछ अजीब ही हो रहा है।

देश की आर्थिक नीति के बारे में क्या कहूं? यहां तक कि इस सरकार के समर्थक डा. सेनगुप्ता अप्रसन्न हैं। मैं किसी सरकार के इतनी बुरी तरह से विफल होने की बात सोच भी नहीं सकता जैसाकि हम आर्थिक मंच पर हुई इस सरकार की असफलता को देख रहे हैं। प्रस्तावित या वादा की गई विकास दर का क्या हुआ?

जिन नौकरियों-प्रतिवर्ष एक करोड़ नौकरियों-का वादा किया गया था, वे कहां गई? भारतीय उद्योग को मजबूत बनाने की बात का क्या हुआ? देश में स्वदेशी उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं। वे कठिनाई में हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रति वचनबद्धता के नाम पर सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में 'भारतीय उद्योग' को अच्छी नजरों से नहीं देखा जा रहा है। यह बहुत ही अजीब व्यवहार है। अब सब कुछ विश्व मंदी पर डाल दिया जाता है। हम इसी खतरे की बात करते आए हैं। अपने हितों की परवाह किए बिना बड़ी आर्थिक शक्तियों से हाथ मिलाने से ऐसा ही होता है। अमरीका की मंदी के परिणाम यहां भुगताने पड़ेंगे। आप उससे कैसे निपटेंगे? भारतीय उद्योग को दी जाने वाली राहत का क्या हुआ? लघु उद्योग को दी जाने वाली राहत का क्या हुआ? देश के कुटीर उद्योग को दी जाने वाली राहत का क्या हुआ? क्या बजट में बड़ी-बड़ी बातें हांकने के अलावा इनके लिए कुछ किया गया है? वर्ष प्रतिवर्ष एक ही तरह के कार्यक्रम और योजनाएं घोषित की जा रही हैं, लेकिन जहां तक कार्यनिष्पादन का संबंध है, वह शून्य है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मुद्दा विनिवेश का है। मैं यह पहले भी कह चुका हूं और शायद मैं यह कई बार कह चुका हूं। सभी देशों में निवेश मंत्री होता है किंतु संसार में यही एक ऐसा देश है जहां विनिवेश मंत्री है। वे किसी कंपनी का विनिवेश करना चाहते हैं? मुझे डा. सत्यनारायण जटिया से सहानुभूति है। अब उन्हें केवल कविताओं का सहारा लेना होगा। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है हमारे देश में बंधुआ मजदूरी के सिवाए और श्रमिक नहीं है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): अब, वे श्रम मंत्री नहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अब वे श्रम मंत्री नहीं रहे हैं। वे समाज कल्याण मंत्री हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: समाज कल्याण के मामले में भी एक ही बात है। श्रम मंत्रालय से हटाकर अब उन्हें समाज कल्याण भेजा गया है।

विनिवेश के लिए चुनी गई कंपनियां कौन सी हैं? लाभ कमाने वाली कंपनियों को विनिवेश हेतु क्यों चुना जा रहा है? उनका कार्यनिष्पादन कैसा है? उन्हें कुप्रबंधित कंपनियां नहीं कहा जा सकता है। ऐसी ही कंपनियों में से एक है- वी.एस.एन.एल. इस पर पूरे देश को गर्व है और यदि इसे चलाने में कोई परेशानी है तो यह आपके नियंत्रण में है और इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और इसमें सुधार कर सकते हैं। मुनाफा सामने वाली कंपनियों से पिण्ड छुड़ाने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है, जिससे धन प्राप्त करके घाटे को यथासंभव पूरा करने हेतु धनराशि को भारत की संचित निधि में डाल दिया जाये। यह सरकार ब्याज तक नहीं अदा कर पा रही और ऋण जाल में फंस गई है। महत्वपूर्ण कंपनियों को बेचा जा रहा है।

अब, बही खाती का खेल मिलता है। आई.ओ.सी., आई.बी.पी. के शेयर खरीद रही है। विनिवेश क्या हो रहा है? दोनों कंपनियां भारत की सरकारी कंपनियां है। आई.बी.पी. सरकारी कंपनी थी जिसका अधिग्रहण एक दूसरी सरकारी कंपनी द्वारा किया गया। इस मामले में विनिवेश क्या है? इसमें किस कल्याण को देखा जा रहा है? और डा. जटिया इसमें किसके कल्याण का ध्यान रखा जा रहा है?

आप कल्याण मंत्री हैं, मैं समझ सकता हूं। यह किसका कल्याण हैं? यह देश में मात्र एक या दो बड़ी कंपनियां या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। किसी-किसी को तो महत्व कुछ ज्यादा दिया जा रहा है और कहीं बिल्कुल ही उपेक्षा की जा रही है। और अब- इस देश के सबसे कठिन वर्ग को देखिए जो है- औद्योगिक श्रमिक। आपने उन्हें लगभग बेरोजगार कर दिया है। वे संघर्ष, भी नहीं कर सकते हैं। अब आप केवल इसलिए परिवर्तन प्रस्तावित कर रहे हैं क्योंकि अब बड़ी कंपनियां आ रही हैं। आजकल आधुनिक उपकरणों से लैस आधुनिक कंपनियों को 500 या 600 से अधिक कामगारों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सभी कंपनियों को अनुमति दी जानी चाहिए कि वे जरूरत पड़ने पर कामगारों को लगाओ और काम न रहने पर उन्हें हटा दे।

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक विनम्र निवेदन करूंगा। जब हम उनसे मिलते हैं तो वे बहुत ही सहानुभूति पूर्वक से मिलते हैं। मैं जानना हूं कि वे बहुत ही विकट पद पर आसीन हैं। वे अपने साथियों व सहयोगियों जिन्हें उन्होंने अपने लिए चुना है का क्या करेंगे? वे क्या कर सकते हैं? जब हम दो-तीन बार उनसे मिलने गए कि भारतीय उद्योग के महान प्रतीकों- में से एक इंडियन आयरन और स्टील कंपनी, जो सभी सफल भारतीय उद्योगों की प्रतिमूर्ति है- को लाया जाए, जो बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है तो हमने उनसे दो या तीन किश्तों में एक हजार रुपए की मांग की थी। जब हम प्रधान मंत्री से मिले तो उन्होंने हमसे सहानुभूति बरती किंतु राशि दूसरे ले गए।

श्री अरुण शौरी के कार्यशील रहने या न रहने के कारण यह पैसा आ रहा है। वह चीनी दुकान में एक सांड की तरह हैं। वह सब कुछ तोड़ रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, क्या इतनी सारी कंपनियों की बिक्री के पैसे में से इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी को 1000 करोड़ रुपये नहीं दिए जा सकते? इससे आप 27,000

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

श्रमिकों उनके परिवारों और भारतीय उद्योग के बहुत बड़े उपक्रमों में से एक को बचा सकते थे। क्या उसे अब भी नहीं बचाया जा सकता? आप इस धनराशि का उपयोग आधुनिकीकरण या नए उद्योग स्थापित करने में क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके रोजगार संबंधी वादों का क्या हुआ? मुझे लगता है कि वी.आर.एस. देने वाली यह एक मात्र सरकार है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: जब जापानी सरकार का प्रस्ताव था और राजीव गांधी की सरकार उस पर कार्य कर रही थी, तब आप लोगों ने उसे रोका था।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मुझे नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं। यदि इनके होशो-हवास ठीक होते तो ये कहीं और होते। मेरा आशय कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने से नहीं है। मैं इनकी राजनैतिक और आर्थिक समझ के बारे में बात कर रहा हूं। हम कभी उसका विरोध नहीं किया। श्री संतोष मोहन देव ने इस सदन में श्री ज्योति बसु की आलोचना की थी। उस समय श्री देव इस्पात मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि देखिए कि श्री ज्योति बसु कैसे कम्युनिस्ट है। वह अब जापानियों को इसे चलाने हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। तब हमने उसकी आलोचना की थी। अब भी सेनगुप्ता कुछ और ही कह रहे हैं जो कि बिल्कुल विरोधाभासी है। लेकिन अब आप वह क्यों नहीं करते? किसने आपको रोका है? हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं। आप सबकुछ नहीं बेच सकते और सबकुछ बंद नहीं कर सकते। एन.जे.एम.सी. बंद है और अन्य बहुत सी इकाईयां बंद हैं। यह भारतीय उद्योगों को समाप्त करने का एक सोचा समझा प्रयास है और आप भारतीय उद्योग को समाप्त करने के कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वदेशी कहने लायक कुछ नहीं बचा है। हममें गर्व की भावना नहीं है। हम केवल दूसरों से दान ग्रहण करने वाले बन गए हैं। हम अपनी सामर्थ्य के सहारे नहीं है। इसीलिए लोग अपना निर्णय सुना रहे हैं।

अब, श्री शरद यादव श्रम मंत्री हैं। वह स्वयं ही अब बंधुआ मजदूर बन गए हैं।

हम यहां है और सूचना देते हैं कि हम आज होने वाले प्रत्येक ऐसे प्रयास का विरोध करेंगे।

महोदय, मैं जानता हूं कि आप मुझे तीखी नजरों से देख रहे हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भविष्य के संबंध में उत्तर देते समय अपनी सरकार का रूख प्रकट करें। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में क्या सोचते हैं? क्या वे बचेंगे या नहीं बचेंगे? उनके संबंध में वे क्या किए जाने का विचार रखते हैं? आज रक्षा क्षेत्र के आयुध निर्माणी उद्योग को भी खोला जा रहा है। कोई नहीं जानता कि क्या होगा। दूरसंचार क्षेत्र हाथ से निकल चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के हस्तक्षेप के पश्चात् आई.टी.आई. एक लाभ अर्जित करने वाला उद्योग बन चुका है। हमें थोड़ी सी संतुष्टि इस बात की है कि स्थायी समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् सरकार ने कार्यवाही की और यह लाभदायक उद्योग बन गया। लेकिन अब आप एक लाभदायक इकाई के लिए खरीददार तलाश रहे हैं। आप किसी रूग्ण उद्योग के लाभदायक उद्योग में बदल जाने से केवल इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि अब आपको उसका अच्छा मूल्य मिल सकेगा। यह इस सरकार की सोच है।

यह सरकार सभी मोर्चों पर असफल हो चुकी है। इसीलिए देश में पूर्ण अशांति है। धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी गई है। लोगों की समानता को चुनौती दी गई है। उनकी प्रगति संदेह के घेरे में है। आप केवल बुराई फैला रहे हैं। मैं उन नौजवानों का भविष्य नहीं जानता जिन्हें हम दुनिया को यह कहकर दिखा रहे हैं कि यह इस देश की बौद्धिक संपदा है। नौजवान लड़के लड़कियों को देखिए। उनका बौद्धिक स्तर बहुच ऊंचा है। लेकिन उन्हें यहां नौकरियां नहीं मिल रही, उन्हें कहीं और जाना पड़ रहा है। उनके अपने देश में उनका कोई भविष्य नहीं है।

कृषि क्षेत्र में उदासी छायी है। यहां तक कि बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे राज्यों में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): पश्चिम बंगाल में भी कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: अभी तो नहीं। यदि यही चलता रहा तो शायद यही होगा। यहां तक की आपके साथ बैठे आपके मित्र भी यह नहीं कहेंगे। गरीबों पर हमला हो रहा है। पी.डी.एस. को लगभग समाप्त कर दिया गया है। यह वह देश है जहां सरकार के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। इसकी सरकार की क्या सफलता है।

इसलिए, मैं माननीय राष्ट्रपति जी का पूरा सम्मान करते हुए भी राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण का विरोध करता हूं। मैं उनकी वेदना समझता हूं। इस सबको पढ़ते हुए उन्हें जो वेदना हुई उसे मैं समझ सकता हूं। इसलिए यह अभिभाषण देश के साथ एक धोखा है। हम इस सरकार को इस देश के हितों को, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को क्षति पहुंचाने की अनुमति कभी नहीं देंगे। आज मैं यह देखकर प्रसन्न हूं कि न केवल सदन में अपितु सदन के बाहर भी इसका कड़ा विरोध हो रहा है। इस विरोध से लोग उनके अधिकार और उनकी सदिच्छाएं भी सुरक्षित रहेंगी, यह सरकार उनके मूल अधिकारों को नहीं छीन पाएगी। लोग अपनी पूर्ण शक्ति से उनकी रक्षा करेंगे।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: हम आई.आई.एस.सी.ओ. के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का भी समर्थन करते हैं। आई.आई.एस.सी.ओ. का आधुनिकीकरण एस.ए.आई.एल. के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव था। लेकिन उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस्पात मंत्रालय को इसे निजी पार्टी के माध्यम से कार्यान्वित कराए जाने हेतु पत्र लिखा। यदि मुझे चुनौती दी जाती है तो मैं मुख्यमंत्री का वह पत्र सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 25 फरवरी को संसद में दिया गया अभिभाषण निश्चित रूप से बिल्कुल पक्षपात रहित था। हम दूसरों के विरुद्ध कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी की कही हुई बातों में कमियों ढूंढ़ने के बजाय हमें उसमें अच्छाइयां ढूंढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कमियां हैं परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसंरचना तैयार करने हेतु जो कदम उठाए हैं वे बहुत सी अन्य अच्छी बातों में से एक हैं। पहले, हमारे गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था जिससे गांवों से शहरों की ओर पलायन होता था। लेकिन अवसंरचना की सृजन से गांवों की ओर ध्यान गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के कारण बहुत सी सड़के बनाई गई हैं और गांवों में स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है। हमने इस संबंध में एक विधेयक पारित किया है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके कार्यान्वयन हेतु, कम से कम आगामी शैक्षिक वर्ष के लिए, एक प्रभावी तिथि निर्धारित कर दें जिससे कि विधेयक पारित होने के साथ-साथ उसका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जा सके। केवल तभी हम इसका फल चख सकेंगे। सभी मैट्रो शहरों को स्वर्ण चतुर्भुज के अंतर्गत सड़क मार्ग से जोड़ने के देश में तीव्र आवागमन की स्थिति सुचारू बनेगी। हम इसके लिए भी आभारी हैं कि भारत सरकार की नीतियों ने दूरसंचार प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी को सुचारू बनाया है। गैस या टेलीफोन का कनैक्शन पाने हेतु अब कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। पहले इसके लिए विशेषाधिकार की स्थिति थी और वह बहुत खराब स्थिति थी। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। क्या यह एक सरकार द्वारा किया गया अच्छा कार्य नहीं है।

लोकतन्त्र की पंचायती राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के एक दशक को ठोस आकार देकर शांतिपूर्वक चुनाव कराए गए और अब यह व्यवस्था पूरे देश में कार्य कर रही है। क्या यह इस सरकार द्वारा किया गया एक महान कार्य नहीं है?

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): यह इस सरकार ने नहीं किया। श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह किया था...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)* लेकिन हमारे राज्य में कांग्रेस ने पंचायतों के चुनाव नहीं कराए।

हम गुजरात में हाल की हिंसा की घटनाओं की बात कर रहे थे। यह एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी परन्तु हमें इसके साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस सरकार ने 72 घंटे के अंदर-अंदर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया था। लेकिन मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि वह गोधरा और गुजरात के अन्य नगरों में हुई हिंसा की घटनाओं के पीड़ितों के पुनर्वास की तुरंत व्यवस्था करे। कुछ विद्वान वक्ताओं ने कहा है कि बच्चे परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकते। इस देश के भविष्य में नागरिकों को उनकी शिक्षा के संबंध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

हमें यह देखना चाहिए कि वातावरण सामान्य हो और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं कराई जा सकें जिससे कि छात्रों में एक शैक्षिक वर्ष की हानि न हो। इस देश की दो-तिहाई जनसंख्या गांवों में रहती है। वे सभी किसान है। वे आज भी सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत योगदान देते हैं। लेकिन जब हम उनकी दुर्दशा देखते हैं तो वह बहुत दुखद है। कुछ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिल रहा। वे अपने उत्पादों को बेचने में असफल हैं। हम कहते हैं कि किसानों ने बहुत अधिक उत्पादन किया और उन्होंने आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया है। हम आवश्यकता से अधिक अन्न नहीं उपजा रहे हैं। यहां कुपोषण है। देश के बहुत से भागों में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हैं। वितरण प्रणाली प्रभावी नहीं है। खाद्यान्नों के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने पर पाबंदी है। उन्हें लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहा है। हम उनके उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम नहीं है और हम उन्हें बचाने में भी सक्षम नहीं हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सर्वाधिक उपेक्षित उद्योग है। हम फल और सब्जियों जैसे शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों का प्रसंस्करण करने में सक्षम नहीं हैं। हम उनका निर्यात करने में सक्षम नहीं हैं।

हमें इस क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए और किसानों को लाभकारी मूल्य दिला कर उनकी मदद करनी चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम उन्हें लाभकारी मूल्य देना है। किसानों को उपलब्ध सुविधाओं में से अधिकतर सुविधाएं वापस ले ली गयी हैं। सरकार ने उर्वरकों के दाम बढ़ा दिये हैं, लेकिन खरीद मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। सरकार ने अनेक प्रतिबंध लगा दिये हैं। खाद्यान्नों की

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

कीमतों पर प्रतिबंध लगाये जाने पर किसान का गुजारा कैसे होगा। हमें विपणन को बेहतर बनाना है। विपणन प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी विपणन प्रणाली समय की मांग है। हम विपणन प्रणाली तथा किसानों के लिए प्रभावी ऋण नीति तैयार करने के मामले में पीछे हैं। बैंकों द्वारा किसानों को उचित ऋण प्रदान नहीं कराथ जा रहे हैं। जहां एक तरफ सकल घरेलू-उत्पाद में उनका योगदान चालीस प्रतिशत है वही उन्हें कुल उपलब्ध अतिरिक्त बैंक वित्त का मात्र लगभग बीस प्रतिशत उपलब्ध कराया जा रहा है। हम किसानों को केवल बीस प्रतिशत दे रहे हैं- वह भी बड़ी मुश्किल से। उन्हें ऋण नहीं मिल पा रहा है। यह एक दयनीय स्थिति है। ऋण नीति को कैसे बेहतर बनाया जाय, इस पर हमें विचार करना होगा। सरकार कई बार कह रही है कि किसानों को किसान-क्रेडिट कार्ड जारी किये जा रहे हैं ताकि किसानों को सहज ऋण उपलब्ध हो सके। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि क्रेडिट कार्ड मिलने में कई वर्ष लग जाते हैं। सरकार इस दिशा में गत तीन वर्षों से कार्यरत है लेकिन अपेक्षित गति से कार्य नहीं हो पा रहा है। सरकार को तत्काल अपना ध्यान किसानों को 'क्रेडिट कार्ड' जारी करने पर लगाना चाहिए ताकि उन्हें ऋण व्यवस्था हो सके। अगर ऐसा होता है तो किसानों को किसी तीसरी पार्टी से अत्यधिक ब्याज पर ऋण लेने की नौबत नहीं आयेगी। यह देश में व्याप्त एक बहुत ही खराब स्थिति है। किसानों पर इससे सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिकतर ग्रामीण लोग मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस पर निर्भर करते हैं। जहां एक तरफ सरकार उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं दे रही है वहीं दूसरी तरफ रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि कर रही हैं। हमारे देश की तुलना अन्य विकसित देशों से नहीं की जा सकती। हालांकि हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने का दंभ करते हैं और अपनी वित्तीय और आर्थिक व्यवस्था को स्वीकृत करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा हो पाना आसान नहीं है विशेषकर तब जब यहां अधिकांश लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार, जब तक सरकार गरीबी का उन्मूलन नहीं करती तब तक पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में उक्त प्रणाली अर्थात् मूल्य नियंत्रण मुक्त प्रणाली कायम नहीं की जा सकती। यह सुनने में अच्छा लग सकता है लेकिन हमें रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल के संबंध में देश के गरीब लोगों को पर्याप्त राहत देनी चाहिए। सरकार को गरीब लोगों को उचित दाम पर रसोई गैस तथा मिट्टी का तेल उपलब्ध कराना चाहिए। खाना बनाने के लिए ये चीजें उनके वास्ते अति आवश्यक हैं। कम से कम इन चीजों को मूल्य नियंत्रण मुक्त प्रणाली से बाहर रखा जाना चाहिए। इस क्षेत्र में तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

सरकार नौकरी उपलब्ध कराने की बात भी करती है, लेकिन हम कहां तक ऐसा कर पाये हैं वह सर्वविदित है। इस साल हम इसकी बात करते हैं। रिकॉर्ड दर रिकार्ड तैयार किये जाते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं इसका हर बार उल्लेख किया जाता है। सरकार इन बातों का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा अन्य अभिभाषणों में करती है। लेकिन साथ ही हमने क्या उपलब्ध किया और क्या नहीं किया है इसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। अत: इस संबंध में प्रत्येक वर्ष श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। सरकार को राष्ट्रपति अभिभाषण के बारे में भी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इसमें कई बिन्दुओं का उल्लेख होता है। प्रत्येक के बारे में विदित होना चाहिए कि हमारी उपलब्धि क्या रही और कहां हम पीछे रह गये। जब तक इस बारे में हर साल नहीं बताया जाता, तब तक पूरी बातों को भुलाकर नये आदेश जारी होते रहेंगे।

इस वर्ष पुनः हम 10 मिलियन रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर हम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की बात कर रहे हैं। मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पहले सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष कर दी। क्या सेवानिवृत्ति की उम्र पुन: 60 से 58 वर्ष करना बेहतर नहीं होगा बजाय इसके कि हर कर्मचारी को 60 वर्ष तक नौकरी करने की छूट हो और युवाओं को नौकरी के अवसर से वंचित रखा जाए। अत: सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष कर देनी चाहिए। सरकार योग्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लिए प्रेरित कर रही है। उस स्थिति में क्या होगा जब सभी अच्छे, योग्य लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेंगे? फिर सरकारी सेवा में वही बच जाएंगे जो काम नहीं करते, जो अन्यत्र कहीं काम नहीं कर सकते, फिर उन लोगों के कारण ही सरकारी कामकाज ठप्प हो जाएगा। इस प्रकार यह बुद्धिमत्ता का काम नहीं होगा। सरकार धमकी देती है कि यदि अमुक तिथि तक या उससे पहले वी.आर.एस. के लिए आवेदन नहीं दिया गया है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा अथवा नौकरी से हटा दिया जाएगा। यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इस सजग सरकार को एक बात तत्काल करनी चाहिए। वी.आर.एस. के लिए अंतिम तिथि की घोषणा करने के बजाए इसे सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष कर देनी चाहिए ताकि युवाओं को अवसर मिल सके और उनके लिए कई लाख रोजगार के अवसर पैदा किये जा सके। कई राज्य सरकारों में सेवानिवृत्ति को उम्र पहले से ही 58 वर्ष है। इसे केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष क्यों किया गया? वह किन लोगों को समायोजित करने के लिए किया गया। इस नीति की उचित परिप्रेक्ष्य में समीक्षा होनी चाहिए और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना समाप्त होनी चाहिए। इस प्रकार सरकार रोजगार के अवसरों का सृजन कर पायेगी और योग्य अधिकारियों को सेवा मुक्त होने से रोका जा सकेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना केवल निम्न संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू होती है। इससे प्रबन्धकीय संवर्ग के कर्मचारी प्रभावित नहीं होते। वैसे कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं। वे जमे हुए हैं। उन पदों की पहचान नहीं की गयी है जिन्हें समाप्त किया जाना है या रखा जाना है। यह सब निम्न संवर्ग के कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है जिससे अच्छा जीवन यापन का स्रोत समाप्त हो सके। यह दोषपूर्ण नीति है जिसे सुधारा जाना चाहिए।

महोदय, हम लोग राजकोषीय घाटे की बात कर रहे हैं। सरकार इस घाटे को रोक नहीं पा रही है। हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की बात भी कर रहे हैं। सरकार इसे नियंत्रित कर सकती है। जब आर्थिक विकास ही नहीं होगा तो मुद्रास्फीति स्वत: ही नियंत्रित हो जाएगी। जब वस्तुएं ही नहीं बिकेंगी तो मुद्रास्फीति की दर अपने आप नीचे आ जाएगी। असली परीक्षा तो इसी में है कि क्या हम राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कर पाते हैं। हम वह नहीं कर पाये हैं। प्रत्येक वर्ष हम यह कहते हैं कि राजकोषीय घाटे को 4.5 से 4.6 प्रतिशत तक नियंत्रित कर लिया जाएगा लेकिन यह आंकड़ा हमेशा 5.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक चला जाता है। इसके फलस्वरूप सरकार को बाहर से अत्यधिक कर्ज लेना पड़ता है। हमारी औद्योगिक विकास की दर भी नीचे आई है और वह केवल 2.2 प्रतिशत है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

महोदय, आतंकवाद पर अंकुश लगाने तथा सरकार ठीक ढंग से काम करे यह सुनिश्चित करने के लिए हमें 'पोटो' जैसे कानून की आवश्यकता है। जब ऐसे कानून विभिन्न दलों द्वारा शासित विभिन्न राज्यों में पहले से ही लागू है तो इस कानून को देश की सुरक्षा के मद्देनजर यहां भी पारित किया जाना चाहिए। 13 दिसंबर, 2001 को संसद भवन में जो कुछ हुआ उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे बहादुर सिपाहियों ने देश की गरिमा की सुरक्षा की है। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था की सुरक्षा की। उन लोगों ने उस दिन यह साबित कर दिया कि हमारे पास आत्मसुरक्षा के लिए आवश्यक बल है और यह 55 वर्ष के हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की महानतम उपलब्धियों में से एक है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इस देश की एकता को व्यथित नहीं कर सकता। हमारा देश एक है और हम एकता से ही आतंकवाद का सामना करेंगे। उस दिन भी हमने यही साबित किया। 'पोटो' जैसा कानून यदि पारित नहीं होता तो सीमा-पार से हो रहे आतंकवाद को रोका नहीं जा सकता। सीमा-पार आतंकवाद एक ऐसी त्रासदी है जिसे हम गत दस वर्षों से झेल रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप से ही आज हम दुनिया के प्रमुख देशों को यह बताने में सफल हुए हैं कि भारत का नजरिया सही है और भारत की सीमाओं की है सीमापार से हो रहे आतंकवाद से सुरक्षा करनी होगी हमने दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों को सीमा-पार से चलाये जा रहे आतंकवाद की समस्या से अवगत करा दिया है जिसे हमें झेलना पड़ रहा है और इस बारे में प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गये कदमों की कई देशों द्वारा प्रशंसा की गयी है।

महोदय, हम आर्थिक सुधारों की अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करना समय की मांग है। जब तक देश समृद्ध नहीं होगा तब तक हम अखंडता प्राप्त नहीं कर सकते और जब तक देश आर्थिक रूप से समृद्ध न हो तब तक हम आंतकवाद का सामना नहीं कर सकते। औद्योगिकीकरण को वास्तविकता बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश आकृष्ट करना होगा।

हम औद्योगिकीकरण में पीछे हैं। हमारा ध्यान केवल सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन क्षेत्र पर है। ये सेवा क्षेत्र हैं। सेवा क्षेत्र के साथ-साथ हमें औद्योगिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे देश को बल मिलेगा। ऐसा केवल आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करने से ही संभव होगा।

हम यह भी दावा करते हैं कि हमारे देश में लगभग 50 बिलियन डालर का विदेशी पूंजी भंडार है। लेकिन ये भंडार अतिरिक्त व्यापार से सृजित नहीं हुआ है। ये केवल जमापूंजी हैं। इस पूंजी को लौटाया जाना है। व्यापार घाटे की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त व्यापार की स्थिति होनी चाहिए। तभी हम यह कह सकते हैं कि विदेशी-पूंजी भंडार के मामले में हम मजबूत हैं। इस पहलू पर भी आने वाले समय में ध्यान दिया जाना चाहिए।

विनिवेश की स्थिति को देखें तो अभी भी दो वर्ष पुरानी स्थिति बरकरार है। किसी भी कम्पनी का विनिवेश नहीं किया गया है। ब्रेड बनाने वाली कंपनी तथा कुछ वैसी ही और कंपनियों तथा 'बाल्को' का ही विनिवेश हुआ है। ये बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी आलोचना हो रही है कि लाभ कमाने वाली अच्छी कंपनियों का ही विनिवेश किया जा रहा है जबकि घांटे में चलने वाली कंपनियों का विनिवेश नहीं हो पा रहा है। यह घाटे में चलने वाली इकाईयों का मामला है, न कि लाभ कमाने वाली इकाईयों का। हर चीज का मूल्य होता है। इस मामले में व्यापक पारदर्शिता होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उद्योग के मामले के बारे में पारदर्शिता होनी चाहिए जिसे सरकार चला नहीं पा रही है। ऐसे उद्योगों के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि वे लक्ष्य प्राप्त कर सके। अन्यथा हम उनमें धन नहीं लगा पायेंगे। सरकार लाभ-अर्जित करने वाले उद्योगों को भी रुग्ण बना रही है क्योंकि उसे पहले ही बेचे जाने वाले उद्योगों की सूची में रख

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

दिया गया है। सरकार उन उद्योगों को चलाने के लिए पूंजी अथवा उनके आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। उदाहरण के लिए इण्डियन एयरलाइंस, एयर इंडिया अथवा मारूति उद्योग को देखा जा सकता है जो कभी अच्छे उद्योगों में आते थे। अब उनका नाम बेचे जाने वाले उद्योगों की सूची में दर्ज है। सरकार उन्हें आवश्यक पूंजी उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्हें कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध नहीं हो रही है जिससे उनकी स्थिति खराब हो रही है। इस बदहाली से सरकार को और भी घाटा होगा। अतः नीति ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे उद्योगों को बेचे जाने के दिन तक उन्हें सबल बना दिया जाए। हमें उन उद्योगों को बचाना चाहिए। अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें सभी उद्योग रुग्ण हो जाएंगे। यह दुखद स्थिति है। इसमें सुधार होना चाहिए।

जहां तक रक्षा उत्पादन का सम्बन्ध है, अधिक पारदर्शिता लाने के लिए रक्षा खरीद बोर्ड की स्थापना की गई है। हम माननीय प्रधान मंत्री को दोष नहीं दे सकते। अब रक्षा सामग्री की खरीद में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए इस कार्य को एक या दो व्यक्तियों पर न छोड़कर रक्षा खरीद बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। यह एक बहुत शुभ संकेत है।

अयोध्या मामले पर जो कदम उठाये गये हैं, वे भी अत्यधिक प्रशंसनीय है। कल हमारे प्रधान मंत्री ने जो वायदा किया था, उसे आज लागू कर दिया गया है। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की बजाए हम सभी को सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा करनी पड़ेगी। हमें सांप्रदायिक ताकतों, चाहे वे कहीं पर भी हों, से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि कोई भी हमारे देश की संप्रभुता पर अंगुली न उठा सके। मैं संसद में वक्तव्य देने के लिए उन्हें तथा स्पष्ट नीतियां बनाने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं। इसे एकमत से स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सभा की ओर से प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा संख्या 3 से 13 तक आतंकवाद, सीमापार आतंकवाद, भारत-पाकिस्तान संघर्ष और जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए जारी लड़ाई के बारे में बात की गई। हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि गत दो वर्षों से भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं है।

जब जनरल मुशर्रफ आगरा शिखर बैठक में भाग लेने के लिए भारत आये तो उनके हाथ में कोई दस्तावेज नहीं था। वह बिना कालर की कमीज पहने हुए थे और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से अनौपचारिक तरीके से हाथ मिलाया और स्वघोषित राष्ट्रपति पद के लिए स्वीकृति की मोहर लगवा ली। यहां तक कि उस समय भी, सर्वदलीय बैठक में मैं. अ.भा.अ.द्र.पा. की ओर से यह मत अभिव्यक्त कर चुका हूं और मैं समझता हूं कि मैं इस सभा में तथा सभा से बाहर पहले ही विचार व्यक्त कर चुका हूं।

महोदय, पाकिस्तान का रवैया ऐसा है। सीमा-पार-आतंकवाद अभी भी जारी है और आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में तथा भारत के बाहर ताकतें काम कर रही हैं और यहां तक कि आज किस प्रकार ये आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं उसको स्पष्ट दर्शाया गया है।

टाइम्स आफ इंडिया में यह प्रकाशित हुआ था कि जब दाउद इब्राहिम की संपत्ति नीलाम की जानी थी तो मुम्बई में उसे लेने वाला कोई नहीं था। वह चाहे दुबई में हों अथवा पाकिस्तान में या अन्यत्र, परन्तु भारत में मुम्बई में उसकी संपत्ति को खरीदने वाला कोई नहीं था। अतः, अभी भी भारत से बाहर रिमोट-नियंत्रण द्वारा वह अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं।

हम टीटो, नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित पंचशील की नीति का पिछले कई वर्षों से अनुपालन करते आ रहे हैं। अनाक्रमण- हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया; गुटनिरपेक्षता- हम उसका पालन कर रहे हैं। इसमें आपसी लाभ की बात कहां है? शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व कहां है? आपसी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना सभी देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें सी.टी.ओ. अथवा उत्तरी अटलांटिक संधि-संगठन की भांति किसी सैन्य गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। भारत को सैन्य गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। हमने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन शिखर-सम्मेलन का आयोजन किया और अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए उसमें भाग लिया। हमारे प्रधान मंत्री ने वहां अपने विचार व्यक्त किए परंतु वह एक अलग मामला है। सैन्य रूप से भारत के नेतृत्वाधीन कोई प्रत्यक्ष गठबंधन नहीं है। यह दक्षेस में सबसे बड़ा देश है। अन्य देश छोटे हैं। परन्तु भारत उस दिशा में अभी तक नहीं बढ़ा है। इस समय मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत को अपनी अखंडता, संप्रभुता और अन्य चीजों की रक्षा करने के लिए किसी सैन्य संगठन का नेतृत्व करना चाहिए। अतः, पैरा 3 से 13 तक का उत्तर यह है कि हमें किसी भी कीमत पर सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए।

हमने पिछले दो वर्षों में अनेक संशोधन प्रस्तुत किए है जिनका सम्बन्ध तमिलनाडु की सेतुसमुद्रम जैसी कुछ परियोजनाओं से है। मैंने तथा हमारे उपनेता डा. मलयसामी ने पिछले तथा उससे पिछले वर्ष संशोधन प्रस्तुत किए थे परंतु उन्हें पारित नहीं करवा सके थे। उसकी जांच से यह पता चला कि धनराशि तो मंजूर की गई थी परन्तु यह परियोजना को पूरा करने अथवा शुरू करने के लिए नहीं की। अतः, मैं सरकार से सेतुसमुद्रम परियोजना को पूर्ण करने के लिए धनराशि मंजूर करने और आवंटन करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, अग्रेतर मैं राज्य सभा के चुनाव संबंधी पैरा 45 का उल्लेख करना चाहता हूं। यह काफी विस्मयकारी है। सरकार इस कानून में संशोधन करना चाहती है। निवास स्थान कोई योग्यता नहीं है। यह योग्यता नहीं हो सकती। राज्य सभा को काउंसिल आफ स्टेट्स क्यों कहा जाता है? राष्ट्रपति राज्य सभा और लोक सभा को मिलाकर संसद बनती है। यही इसकी संरचना है। वर्तमान चुनाव कानून के अंतर्गत आवासीय योग्यता की व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति जो उस राज्य में निवास न करता हो, उस राज्य से चुनाव नहीं लड़ सकता। उसमें संशोधन करने की आवश्यकता क्यों है? संसद में राज्य के हितों की रक्षा कैसे होगी? यह राज्य-परिषद् है। मैं अपनी पार्टी की ओर से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह संशोधन वापस ले लेना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। यह संसद में राज्य के हित की रक्षा नहीं करता।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदुर): वह अभी भी ऐसा कर रहे हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: कानून कहां है? अब कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए कानून है। सरकार निर्वाचन कानून में संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, यह स्वागत योग्य कदम है। सरकार ने खाद्यान्न का आवंटन बढ़ाकर 20 से 25 किलो और 10 से 20 किलो कर दिया है। इसमें बढ़ोत्तरी की गई है। जब कभी भी वृद्धि होती है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमें स्वागत करना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं है? अतः, सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का ध्यान रखा है।

परंतु जहां तक राजकोषीय घाटे का सम्बन्ध है, भारत को पर्याप्त प्रगति कर लेनी चाहिए थी। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है। हमारे पास पर्याप्त श्रम शक्ति है। हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन हैं परंतु हम अमरीका, स्विटजरलैंड या अन्य विकसित देशों की भांति उन्नति नहीं कर पाये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जापान में किसी भी धातु का उत्पादन नहीं होता परंतु वे कार का निर्माण कर रहे हैं। हमारे पास धातुएं हैं और प्राकृतिक संसाधन है।

जहां तक विनिवेश का सम्बन्ध है हम सभा में विनिवेश का विरोध करते रहे हैं। हम अपने मत पर अडिग हैं। सेलम इस्पात संयंत्र अच्छा काम कर रहा था। इसके विनिवेश की बात चलाई गई इसका विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स् ऊटी का भी विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। हम पुनः वही मत व्यक्त करते हैं। आप चुनाव कीजिए परंतु तमिलनाडु से नहीं। आप अपने राज्य से चुनिए। यह ऐसा राज्य है, जहां श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह उद्योग स्थापित किया। यहां सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवायी थी। यदि इस संयंत्र और हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स का विनिवेश किया जाता है तो तमिलनाडु में उद्योग ही कहां बचेंगे?

श्री एम. मास्टर मथान (नीलगिरि): हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स को भी श्रीमती इंगिरा गांधी ने ही यहां स्थापित किया था।

श्री पी.एच. पांडियन: वह भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। अतः, इसका विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। विनिवेश नीति सरकार को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर बनायेगी। आप इसे बेचकर सरकार नहीं चला सकते। आप अपनी संपत्ति नहीं बेच सकते। मान लीजिए आप कोई काम नहीं करते और अपनी कार बेचते हैं, तो आप तीन साल तक गुजारा कर सकते है। फिर आप घर बेच दीजिए और शेष जीवन बैठकर खाइये। संपत्ति कहां बची है? आपको काम करना चाहिए। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है। हमारे यहां श्रम शक्ति है। भारत में मानव संसाधन उपलब्ध है। सरकार को संसाधनों के प्रयोग पर विचार करना चाहिए और भारत को समृद्ध बनाना चाहिए।

तत्पश्चात् महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आती है। मेरे विचार से इससे सभी राज्यों को फायदा होना चाहिए। इसकी शर्त यह है कि दो गांवों में संपर्क नहीं होना चाहिए।

जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, हमने काफी समय पहले सड़कें बनाई थी। परंतु उनके रख-रखाव के लिए धनराशि नहीं है। प्रत्येक गांव दूसरे गांव से भली प्रकार से जुड़ा हुआ है। परंतु दो गांवों के बीच सम्पर्क संबंधी शर्त की वजह से हम अधिक धनराशि प्राप्त नहीं कर सके हैं। अतः जहां तक तमिलनाडु या अन्य ऐसे कुछ राज्यों का सम्बन्ध है, जहां पहले ही सड़कें बनाई जा चुकी है। उन्हें जोड़ने संबंधी शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। हो सकता है, बिहार में सड़कें न हों, यह अलग बात है। परंतु

[श्री पी.एच. पांडियन]

हमारे यहां सड़कें हैं। हमने लोगों के कल्याण के लिए धन खर्च किया है। हमें गांवों को जोड़ने और सड़क निर्माण के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अत: मैं सरकार से पैरा 34 के इस खंड में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं। धनराशि के आवंटन के लिए यह शर्त मानदंड नहीं होनी चाहिए। आप सड़कों के उन्नयन अथवा रख-रखाव के लिए भी धनराशि आवंटित करें।

श्री एम. मास्टर मथान: यह संपर्क स्थापित करने और रख-रखाव दोनों कार्यों के लिए है।

श्री पी.एच. पांडियन: अत:, आप हमारे राज्य तमिलनाडु को धनराशि प्रदान करें, ताकि हम सड़कों का रख-रखाव कर सकें और सड़कों को अच्छी स्थिति में रख सकें। क्योंकि संचार प्रणाली, परिवहन प्रणाली मानव जीवन का मूलाधार है। यदि गांवों में कोई संपर्क साधन नहीं हो तो, वहां जीवंतता समाप्त हो जायेगी।

अपराह्न 5.07 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* **हुए]**

गत वर्ष जब रेल सुरक्षा निधि से 17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, तो उसके साथ एक प्रस्ताव था। इतनी धनराशि से भी रेल डिब्बों में उचित सुविधाएं नहीं हैं। वे नये नहीं है, वे पुराने हैं। वे ब्रिटिश-शासन के समय से चले आ रहे हैं। रेल संपत्ति का प्रतिस्थापन अनिवार्य है। पैरा 35 से इसका उल्लेख किया गया है। मैं केवल इस दस्तावेज के अनुसार बात करता हूं। इस दस्तावेज में संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि हम इसे मतदान से नहीं कर सकते। अत: मैं कहूंगा कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

हम राज्य विद्युत विनियामक आयोग को स्वीकृति देने जा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग के विचार के अनुसार कार्यवाही की है। अत: इस विधेयक पर सभी राज्य सरकारों के विचार लिए जाने चाहिए और इसे पारित करना चाहिए।

हमने अपने संसाधनों का उपयोग नहीं किया है। हमारे खाद्यान्नों के गोदाम भरे पड़े हैं। हमारे किसानों ने अच्छी फसल पैदा की है। लेकिन इसके बावजूद भी भूख से मौतें हो रही हैं। हमें भूख से मौतों को रोकना है और पूरे भारत में खाद्यान्नों के आवागमन को इस प्रकार सुचारू बनाना है जिससे वह आम आदमी तक पहुंच सके। आम आदमी को, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदमी को खाद्यान्नों की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए।

पैरा 46 पर आते हुए, मैं त्वरित न्यायालयों और लोक अदालतों के गठन के प्रयास का स्वागत करता हूं क्योंकि गरीब लोग उच्चतम न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते। हम इस संसद में कहते रहे हैं कि कोई व्यक्ति तमिलनाडु से दिल्ली, उच्चतम न्यायालय में अपना मामला लेकर आसानी से नहीं आ सकता। आप यहां नहीं आ सकते। यह दूरी भी एक अन्याय के समान है। इसका मूल्य एक दूसरा अन्याय है। कन्याकुमारी से उच्चतम न्यायालय तक पहुंचना लोगों के साथ अन्याय ही है। हमने पहले ही वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण में दक्षिण में चेन्नैई में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने हेतु संशोधन प्रस्तुत किया था, जो कि आज की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि उच्चतम न्यायालय किस प्रकार कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय के पास केवल 12,000 मामले लम्बित हैं। कन्याकुमारी से मुकदमा दायर करने कौन आएगा? कौन एक अधिवक्ता का प्रबन्ध करेगा कौन एक वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं ले सकता हैं? अत: मैं कहूंगा कि चेन्नैई में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ की स्थापना करना इस वर्ष की आवश्यकता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस वर्ष अक्तूबर में हम मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन होना चाहिए। मैं कहता हूं कि मदुरै विमानपत्तन का उन्नयन करके उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाना चाहिए। त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन का उन्नयन किया गया है परंतु मदुरै विमानपत्तन का नहीं किया गया। मदुरै एक महत्वपूर्ण शहर है। यह मंदिरों का शहर है। मुझे उस समय के नागर विमानन मंत्री श्री शरद यादव का पत्र मिला था जिसमें उन्होंने यातायात में कमी और भूमि आदि के अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों की चर्चा की थी। वर्तमान विमानपत्तन में ही बहुत सारी जमीन उपलब्ध है। अत: सरकार को भूमि के अधिग्रहण संबंधी कदम उठाने चाहिएं और राज्य सरकार से इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए और राज्य सरकार को इस कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आपको उन्हें धनराशि देनी ही पड़ेगी। हम आम आदमी के पैसे में से वहां धन व्यय नहीं कर सकते। अत: केन्द्र सरकार को दिल्ली से राज्य सरकार को मदुरै विमानपत्तन का उन्नयन करने हेतु धन का आबंटन करना चाहिए जिससे कि यहां से दुबई, श्रीलंका, लदंन और अन्य स्थानों के लिए उड़ानें शुरू हो सकें। मदुरै में नगर निगम हैं और यह कोई छोटा शहर नहीं है। हमें यह बताया गया है कि चेन्नई सहित मुख्य विमानपत्तनों का निजीकरण करने जा रहे हैं। मेरे विचार से सरकार को यह विचार इस वर्ष के बजट में व्यक्त करना चाहिए था। यदि आप विमानपत्तनों का निजीकरण करने जा रहे हैं तो यह सेवा बुरी तरह प्रभावित होगी। अभी हमारे पास इंडियन एयरलाइन्स है जो कि अच्छी तरह से कार्य कर रही है। निजी विमान कंपनियां इसका रास्ता काटेंगी। समय सारणी अलग होनी चाहिए। चेन्नई से दिल्ली के लिए सुबह 6.40 बजे इंडियन एयरलाइन्स की एक विमान सेवा है और एक दूसरी निजी विमान कंपनी की भी इसी मार्ग पर सुबह 7.00 बजे एक विमान

सेवा है। हमने विधि महाविद्यालय में हानि संबंधी कानून में पढ़ा है कि इसी तरीके को अपनाकर निजी संचालक सरकारी निगमों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और इससे सरकार को हानि पहुंचती है। आपको इसे रोकना ही पड़ेगा। सरकार को राजकोष को हो रहे इस नुकसान को रोकने हेतु कदम उठाने चाहिए।

मैं इस वर्ष कम से कम एक चीज की आशा कर रहा था। माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन के बाहर कहा है कि वे महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने हेतु संसद में एक विधेयक पारित कराने जा रहे हैं। सरकार को इस विधेयक को संसद में इसी सत्र में पारित करने हेतु कदम उठाने चाहिए।

सेवाओं के संबंध में यह चाहे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) हो या अनिवार्य सेवानिवृत्ति इन सब का परिणाम बेरोजगारी है। बेरोजगार युवकों का शोषण साम्प्रदायिकता भड़काने और आतंकवादी कार्यवाहियों में किया जा रहा है। बेरोजगारों की समस्या को सुलझाना पड़ेगा। उनमें विश्वास जगाना होगा, उन्हें नया जीवन देना होगा। बेरोजगार नौजवानों नयी पीढ़ी को अच्छे अवसर दिए जाने चाहिए न कि उनसे दुर्व्यव्यवहार किया जाना चाहिए। बेरोजगार नवयुवकों को सही अवसर मिलना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह बेरोजगार नवयुवकों को सही अवसर प्रदान करे न कि उनसे दुर्व्यवहार किया जाए जिससे कि उनके संसाधनों को संरक्षित किया जा सके उनके कल्याण को बढ़ावा मिले और उनका भविष्य बेहतर हो, अच्छे भारत का निर्माण हो।

अंततः मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वागत करता हूं। हमें इसका स्वागत करना पड़ेगा। ये सब संवैधानिक बाध्यताएं हैं। मैं यह जानता हूं। आप बजट प्रावधानों का विरोध कर सकते हैं। लेकिन आप बजट के विरोध में अपना मत नहीं दे सकते। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध कर सकते हैं। परंतु आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के विरुद्ध अपना मत नहीं दे सकते। अधिवक्ता होने के नाते मैं यह जानता हूं। यह इस सदन की संवैधानिक बाध्यता है। यदि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे तो यह बुरा लगेगा।

आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम बजट को पारित नहीं करेंगे क्योंकि कर्मचारियों को अपना वेतन लेना है। हमें सरकार से प्रत्येक छूट लेनी पड़ेगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते समय, हालांकि यह केवल एक परंपरा है, मैं दोनों सदनों के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि उन्होंने यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर दी है कि आखिर इस सरकार की नीतियां क्या हैं। महोदय, आर्थिक मोर्चे पर कुछ नीतियों की समीक्षा करनी पड़ेगी; सामाजिक मोर्चे पर कुछ नीतियों की समीक्षा करनी पड़ेगी और कुछ नीतियों को ग्रामीण मोर्चे की ओर केन्द्रीत करना पड़ेगा क्योंकि ग्रामीणों को इस सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं। हमें ग्रामीणों से मत मिलते हैं। अतः मैं कहूंगा कि हमें किसी भी मूल्य पर ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना पड़ेगा।

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): महोदय, डी.एम.के. पार्टी की ओर से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेना चाहूंगा।

अपने पहले ही वाक्य में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे सम्मुख बहुत सा बजटीय और विधायी कार्य है। उन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु अपनी शुभ कामनाएं भी दी हैं।

एक लोकतान्त्रिक क्षेत्र में, सत्ताधारी दल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक जिम्मेदार सरकार देगा और इसी के साथ-साथ गैर-सत्ताधारी दलों से एक ऐसी भूमिका निभाने की अपेक्षा कि जाती है कि वे सकारात्मक आलोचना करेंगे और एक अच्छा शासन सुनिश्चित करने हेतु सकारात्मक सुझाव देंगे।

इस सदन में, मुझे यह इंगित करना बहुत कठिन लगता है कि मैं विघटन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराऊं। मेरे विचार से सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। यहां, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि हम ऐसे मुद्दों पर अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं या अधिक ध्यान दे रहे हैं जिनका लोगों की समस्याओं से सम्बन्ध नहीं है।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में संसद पर 13 दिसंबर को हुए हमले और अमरीका के विरुद्ध 11 सितंबर को हुए हमले की चर्चा की। यह सत्य है कि हमें आतंकवाद के विरुद्ध एक होकर लड़ना चाहिए। हमें न केवल उन लोगों को अपना निशाना बनाना चाहिए जो आतंकवादियों को प्रायोजित व वित्तपोषित करते हैं, उनका समर्थन करते हैं उन्हें आश्रय देते हैं बल्कि उन्हें भी निशाना बनाना चाहिए जो लोगों को आतंकवाद का सहारा लेने के लिए बाध्य करते हैं। उन्हें भी समान रूप से दोषी ठहराया जाना चाहिए। लोगों को आतंकवाद की ओर धकेलना या उन्हें आतकंवाद की ओर प्रेरित करना दोनों ही निदंनीय कृत्य हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि साम्प्रदायिकता और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।

राष्ट्रपति का अभिभाषण जमीनी वास्तविकताओं का एक संतुलित आंकलन है। विकास दर में कमी, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी

[श्री ए.के.एस. विजयन]

का भारत पर असर पड़ा है। इससे कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 70,000 रुपये का नुकसान हुआ है? औद्योगिक विकास दर 6 प्रतिशत से घटकर 2.2 प्रतिशत रह गई है। इस अभिभाषण में स्थानीय निकायों को अपर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दिए जाने की ओर भी इशारा किया गया है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने देश में निवेश पर बढ़ाने की हमारी क्षमता की ओर इंगित किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। दोहा में हुए डब्ल्यू.टी.ओ. मंत्रालयीय सम्मेलन से हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में मदद मिली। अत: मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका श्रेय हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री श्री मुरासोली मारन को जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे और प्रभावी तरीके से अन्य देशों के वाणिज्य मंत्रियों से बातचीत की।

महामहिम ने यह भी कहा कि खाद्यान्नों के उत्पादन के गत वर्ष के 196 मिलियन टन की तुलना में इस वर्ष 210 मिलियन टन की नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। हमारे कुल निर्यात में आई.टी. साफ्टवेयर और सेवा उद्योग का योगदान 14 प्रतिशत है।

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा 13,000 किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित करने का प्रस्ताव है और आगामी दो वर्षों में सड़क अवंसरचना और परिवहन को बेहतर बनाने हेतु 20,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिकांश स्थानों, विशेषकर तमिलनाडु में अधिकांश राज्य राजमार्ग और सड़कें बुरी स्थिति में हैं। हमारी राज्य सरकार कहती है कि इन सड़कों की मरम्मत कराने हेतु भी उनके पास धन नहीं है।

महोदय, महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि राज्य राजमार्गों और मुख्य सड़कों के निर्माण और रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये आबंटित किए जाएंगे। यहां मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि सेतु-समुन्द्रम परियोजना को आरंभ किया जाना चाहिए क्योंकि यह न केवल एक मूल्यवान राष्ट्रीय सम्पत्ति है बल्कि इससे तेल की खपत और परिवहन व्यय को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसलिए, मैं सरकार से सेतु-समुन्द्रम परियोजना को आरंभ करने और चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने का अनुरोध करूंगा।

महोदय, गत वर्ष लगभग 1.1 करोड़ रसोई गैस कनैक्शन उपलब्ध कराए गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की 1500 डिस्ट्रिब्यूटरशिप दिए जाने का प्रस्ताव है लेकिन इसी के साथ-साथ रसोई गैस सिलेंडरों के मूल्य में वृद्धि करने और मिट्टी के तेल दर राज-सहायता समाप्त करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

यह अच्छी बात नहीं है। हम ऐसी नीतियों से ग्रामीणों के बीच कैसे पहुंचेंगे? मैं डी.एम.के. पार्टी की ओर से सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया एल.पी.जी. सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि और मिट्टी के तेल पर से राज सहायता वापस लेने के मुद्दे पर पुर्नविचार करे।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, मैं अन्य संसद सदस्यों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी को 25 फरवरी, 2002 को संसद को संबोधित करने हेतु धन्यवाद देता हूं। हालांकि, मेरे लिए माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा इस राजग सरकार के कार्यनिष्पादन के बारे में व्यक्त किए गए विचारों से सहमत होना बहुत कठिन है। बल्कि इस एक घंटे लंबे पारंपरिक भाषण से केवल यही निष्कर्ष निकल सकता है कि यह सरकार झूठी सफलताओं के भ्रामक आभामण्डल में आत्मसंतुष्ट नजर आती है।

महोदय, अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की स्याही सूखी भी नहीं है कि हम पर महसूस करने लगे हैं कि इस सरकार के हाथों में यह देश कितना असुरक्षित है। 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रैस में आग लगा दी गई जिससे गोधरा में 58 लोग मारे गए। इसके बाद गुजरात में मौत का नंगा नाच चला जिसमें 1000 से अधिक जानें गई। वी.एच.पी. के कार्यकर्त्ताओं ने राज्य को साम्प्रदायिक हिंसा के नरक में धकेल दिया। निर्दोष लोगों का पीछा करके उन्हें मारे जाने, दुकानों और घरों को लूटकर उनमें आग लगाने की भयानक घटनाएं घटित हुईं और फिर भी आंकड़े देकर यह साबित करने का व्यर्थ प्रयास किया जाता रहा कि पूर्व में इससे भी बड़े पैमाने पर राज्य में दंगे हुए हैं।

महोदय, गुजरात में निर्दोष नागरिकों के प्राणों की रक्षा करने में गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा बरती गई आपराधिक असफलता के बावजूद माननीय गृह मंत्री ने उन्हें निर्दोष ठहराया है। आज मृत्यु के इस नृत्य के रचयिताओं, साम्प्रदायिक हत्याकांड के अपराधियों और सत्ताधारी पार्टी और प्रशासन के बीच का अंतर समाप्त हो जाने के प्रति देश भर में चिंता और इसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। महोदय, पहले भी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। लेकिन पहले कभी भी राज्य को ऐसे क्रूर निन्दनीय कृत्य का सहअपराधी होने और उस पर अपनी मौन स्वीकृति देने का दोषी नहीं ठहराया गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमें आश्वस्त किया गया है कि अयोध्या के मामले में न्यायालय का निर्णय आने तक या उस विवाद में सम्मिलित पक्षों के बीच कोई स्वीकार्य हल निकल जाने तक यथा-स्थिति बरकरार रखी जाएगी। शांतिप्रिय लोग, जो धर्मान्धता का व्यापार नहीं करते और भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, वे नहीं जानते कि इस सरकार पर विश्वास करें या नहीं।

महोदय, सरकार और प्रधानमंत्री अलग-अलग समय पर अलग-अलग बात कर रहे हैं जिससे इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति बन गई है। प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि सरकार न्यायालय के निर्णय का पालन करेगी। लेकिन, इसी के साथ वी.एच.पी. का कहना है कि अयोध्या का आंदोलन राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने वी.एच.पी. के साथ बार-बार वार्ता करके उनकी मांगों को वैद्य ठहराने का प्रयास किया है। उन्होंने वी.एच.पी. की हरकतों में हिन्दू धार्मिक नेताओं को सम्मिलित कर और इस प्रक्रिया से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों को बाहर रखकर वी.एच.पी. के कार्यों को वैद्य ठहराने का प्रयास किया है। प्रधान मंत्री का यह झुकाव तब और भी स्पष्ट हुआ जब उन्होंने अपने विधि मंत्री से यह पता लगाने को कहा कि क्या कानून उस स्थान को वी.एच.पी. को सौंपने की अनुमति देता है।

अगले दिन उच्चतम न्यायालय में महाधिवक्ता का हस्तक्षेप और उसके पश्चात् प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य, यह दो तरह की बातें करने और दोहरे मानदण्ड अपनाने का एक और ज्वलंत उदाहरण है। इसका स्पष्टीकरण दिया गया, या यूं कहें कि यह स्पष्ट करने का एक व्यर्थ प्रयास किया गया कि महाधिवक्ता ने एक प्रश्न के उत्तर में केवल अपनी राय व्यक्त की थी और वह भी कोई भारत सरकार की राय नहीं है। यह बहुत बेतुकी बात है। महाधिवक्ता निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रहे थे बल्कि वे इस मामले में भारतीय संघ, भारत सरकार के पक्षकार थे। महाधिवक्ता ने 13 तारीख को जो कहा वह 1994 के आदेश का भाषान्तरण नहीं था। उन्होंने केवल उच्चतम न्यायालय से ऐसा आदेश देने का अनुरोध किया था जिससे वी.एच.पी. अपना कार्य कर सके, जो कि संविधान के सिद्धान्तों के विपरीत है।

महोदय, मेरा यह मानना है कि इस सरकार को अभी भी अपने महाधिवक्ता पर विश्वास है और यह सरकार उन्हें अपने उस महत्वपूर्ण पद पर बने रहने देना चाहती है। यदि ऐसा है तो कोई भी इससे केवल यही परिणाम निकालेगा कि उनका उस दिन का वक्तव्य इस सरकार के रूख को ही स्पष्ट करता है। इससे इस सरकार का हिन्दुत्ववादी पक्षपात पूर्ण रवैया स्पष्ट हो जाता है। वर्तमान अस्थिरता के वातावरण में प्रधानमंत्री की साख ही दांव पर लगी है। वह केवल तभी इस अग्नि परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं जब वह राष्ट्र को आश्वस्त करें कि किसी को भी राम जन्म भूमि के संवेदनशील मामले में जिस पर न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। गड़बड़ी फैलाने या साम्प्रदायिकता भड़काने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार साम्प्रदायिक नेताओं से मेलजोल बढ़ाने से परहेज करेगी और उदार राष्ट्रवादी शक्तियों को इसका समाधान ढूंढ़ने हेतु प्रेरित करेगी।

आज यह सरकार कटघरे में खड़ी है। इसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। या तो यह वी.एच.पी. के साथ है या नहीं है। यदि संवैधानिक और नैतिक बाध्यताओं का कोई अर्थ है तो यह सरकार वी.एच.पी. के साथ नहीं हो सकती। अब प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना है।

प्रधान मंत्री द्वारा लिखित एक कविता में वे कहते हैं:

[हिन्दी]

धरती को बौनों की नहीं

ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है

इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें

नए नक्षत्रों की प्रतिभा के बीज बो लें।

[अनुवाद]

एक जाने-माने राजनयिक और लेखक ने इसका अनुवाद किया है।

"नॉट ड्वार्फ्स, द अर्थ नीड्स मेन हू विल स्टेंड टाल, सो टाल दे टच द स्काई एंड सी न्यू गलैक्सीज विद ब्रिलैंस",

प्रधानमंत्री ने इस कविता को इन शब्दों के साथ समाप्त किया:-

[हिन्दी]

मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना,
गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रूखाई मत देना।

[अनुवाद]

इसका अनुवाद इस प्रकार किया गया है:-

"माई लार्ड नेवर प्लेस मी सो हाई,
देट आई केननॉट एम्ब्रैस दोज हू आर नोट माई ओन।"

महोदय, इस समय माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं पूर्ण विनम्रता के साथ उनसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि सभी लोग उनके अपने हैं। उन्हें गले लगायें, उनके घावों उनके दुखते घावों, जो उन्हें औरों ने दिए हैं, यह मरहम लगायें और किसी को न छोड़ें फिर चाहे वह उस राज्य का मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, क्योंकि गुजरात में जो अपराध

[श्री पवन कुमार बंसल]

हुआ है वह हमारे द्वारा सुने गये युद्ध अपराधों से भी कहीं अधिक अक्षम्य है।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में उदार और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि यदि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा तो भारत, भारत ही नहीं रहेगा हालांकि, कृत्य कुछ और कहते हैं। आज, अति-धर्मोत्सहित मानव संसाधन विकास मंत्री महत्वपूर्ण शैक्षिक निकायों की धर्मनिरपेक्ष छवि को समाप्त करने में व्यस्त हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण इंजीनियर को उसकी संघ से संबंधित विचारधारा विपक्ष की नेता के विरुद्ध उसके द्वारा लिखी गई फूहड़, झूठी और रद्दी कृति के लिए उसे उपकृत करने हेतु, उसे भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का सदस्य नियुक्त कर दिया गया जबकि उसका इतिहास से कोई लेना-देना नहीं है।

महोदय, एक वृहत और व्यापक बहस के पश्चात् बनी आम सहमति के बाद 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। इसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों सहित शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड से भी समय-समय पर सलाह ली गई थी। इस सरकार के ऐसी सलाहों की अवहेलना की है। सी.ए.बी.ई. के गठन के बिना ही यह पाठ्यपुस्तकों में थोक में परिवर्तन कर रही है और यह कार्य किसे सौंपा गया है? संघ की विचारधारा को।

महोदय, सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे आधारभूत मूल्य होते हैं जिन पर एक राष्ट्र टिका रहता है। इतनी अधिक अनेकता के बावजूद, हम एक राष्ट्र हैं, एक व्यक्ति हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज जो लोग सरकार में हैं उन्होंने एकता को एकरूपता में बदल दिया है। वे बड़े पैमाने पर लोगों की राय के विरुद्ध जा रहे हैं, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और इस देश के लोगों की अपेक्षाओं के विरुद्ध जा रहे हैं और यह हमारे लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है।

चार राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। भाजपा को हिन्दुत्व का पत्ता खेलने का कोई लाभ नहीं मिला है। उसे सब जगह बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। इससे एक सीख मिलती है। अब समय आ गया है कि हम धर्मनिरपेक्षता, सहनशीलता, सर्वधर्म सद्भाव और वसुधैव कुटम्बकम् की सच्ची भारतीय भावना पर एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव रखें। धर्मपरायण हिन्दुओं की एक बड़ी संख्या ऐसा नहीं मानती कि अयोध्या का आंदोलन हिन्दु मन की दमित भावनाओं का प्रकटीकरण है। सरकार में बैठे हमारे मित्रों को यह समझाना चाहिए।

महोदय, यह सरकार राष्ट्रीय गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में विध्वंसकारी साबित हुई है। माननीय राष्ट्रपति जी ने सरकार के सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से लड़ने के संकल्प के बारे में कहा है। उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसे, और यह उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमरीका पर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में शरण लिए हए 20 आतंकवादियों को सौंपने की मांग की लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्री वहां जाती हैं और उस मांग को घटाकर 10 तक सीमित कर देती हैं। क्या इस सरकार के कार्य करने का यही तरीका है?

महोदय, इस सरकार की कथनी और नेतृत्व में बड़ा अंतर है जिसका फल यह देश भोग रहा है। इस सरकार ने लोगों में विश्वास पैदा करने लायक कुछ नहीं किया। आज विगत छठे और सातवें दशक में अपनाई गई हरित क्रान्ति के फलस्वरूप हमारे अन्न भण्डारों में 6 करोड़ टन खाद्यान्न अतिरिक्त पड़ा है। लेकिन यह सरकार उसे संभालना नहीं जानती। एफ.सी.आई. के पास बड़े खाद्यान्न भंडार के लिए उसे इस वर्ष इसकी लागत के रूप में 3588 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए। फिर यह बड़े शर्म की बात है कि हमारी आम आदमी की, एक बड़ी आबादी भूखे पेट सोती है।

हमें माननीय राष्ट्रपति जी ने बताया कि इस वर्ष सबसे अधिक फसल हुई है। लेकिन जैसा कि हम सबने देखा है कृषि एक अलाभदायक कार्य बन गया है और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं; और मुझे आशा है कि सरकार इसके बारे में जानती है।

लघु उद्योगों, जिन्होंने हमारे युवा इंजीनियरों और व्यवसायियों की उद्यम शीलता को बढ़ाया है, का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बलिदान कर दिया गया है। सरकार बेकार पड़ी क्षमता और बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं कर सकी है।

माननीय प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को यह आश्वासन दिया था कि प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे। विपक्षी नेता ने आज सुबह यह मुद्दा उठाया था। अब युवाओं से कहा गया है कि वे अपनी लिए काम ढूंढ़े। जब वे फेरी लगाकर चीजें बेचने का प्रयत्न करते हैं तो उनसे छोटे-मोटे अधिकारी अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं। बेचारे पटरी वाले कामगारों की सरकार को ऐसी चिंता है।

आर्थिक सुधारों के बारे में प्रशंसा के काफी शब्द कहे गए हैं। इस प्रक्रिया में, ऐसा लगता है कि सरकार ने आम भारतीय के हितों को त्याग दिया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्हें बड़ी मेहनत से खड़ा किया गया था, उन्हें सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है। सरकारी नीतियों का लाभ ऐसे लोगों को मिलता है जिन्हें बैंकों को 1,50,000 करोड़ रुपये देने हैं जिसे शिष्ट रूप में एन.पी.ए. का कहा जाता है। विभिन्न सुनिश्चित रोजगार योजनाओं पर नाममात्र ध्यान दिया जा रहा है और संसद में खराब कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रश्नों के अस्पष्ट जवाब दिए जाते हैं।

महोदय, सरकार के चेहरे की भांति इनके आंकड़े भी भ्रामक है। विदेशी सरकारें आज हमारे आर्थिक कार्यक्रम तय कर रही हैं। संविधान की भावना के प्रतिकूल राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लेने की अनुमति दी जा रही है बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक दिशाहीन बजट प्रस्तुत किया गया है किंतु उसे व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला बजट कहा जा रहा है। यह किसे सुदृढ़ कर रहा है? क्या यह जनता की पीड़ा और निराशा को और बढ़ाना है? पिछले चार सालों के दौरान सरकार ने लोगों को यही कुछ दिया है।

हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नाममात्र की हैं परंतु यह सरकार इन्हें भी समाप्त करने के लिए दृढ़संकल्प है। कई दशकों से जनता को डाक बचतों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, किसान विकास पत्र और लोक भविष्य निधि इत्यादि लेने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। दरअसल लघु बचतें ही बुजुर्ग और सेवानिवृत्त लोगों की कुछ नियमित आय का एकमात्र स्रोत हैं। पहले, घरेलू बचतें हमारी सकल घरेलू बचतों का 80 प्रतिशत हुआ करती थीं। अब यह सरकार अपने विदेशी सलाहकारों के इस मत को मानती है कि अल्प बचत को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और यह उपभोक्तावाद, मांग को बढ़ावा दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप अल्प बचतों पर ब्याज को सुव्यवस्थित रूप से घटा दिया गया ताकि बैंकों के चूककर्त्ता को कम दरों पर निधियां उपलब्ध कराई जा सकें। इस बीच यदि असंख्य सेवानिवृत्त अपनी नियमित आय से वंचित हो जाएं तो यह सरकार की चिंता नहीं है।

आर्थिक रियायतों को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा उदाहरण पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित विभिन्न उपायों में देखने को मिलता है। मैं उन सब बातों को नहीं उठाऊंगा क्योंकि कई दूसरे माननीय सदस्य भी यहां हैं जो बजट चर्चा में इस पर बोलेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां वित्त मंत्री ने कुछ उपायों की घोषणा की है वहीं सरकार को अपने पहले की वचनबद्धताओं की कोई चिंता नहीं है और दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अपना चुके लोगों के लिए भी इन परिवर्तनों को लागू किया गया है।

एल.पी.जी., मिट्टी का तेल, खाद्य पदार्थ और उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राजसहायता देश पर बोझ है और इन्हें कम किया जाना चाहिए। परंतु सरकार का व्यय लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। हर रोज हमें देश के समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन देखने को मिलते हैं जिनमें सरकार की उपलब्धियों का गुणगान होता है।

महोदय, दूरसंचार क्षेत्र में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है और इसमें निवेश को भी बढ़ावा मिला है। इसमें अत्यधिक विकास होने की आशा है। इस उपलब्धि पर अपनी पीठ थपथपाते हुए सरकार यह भूल जाती है कि इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दृष्टि और मेहनत से ही संभव हो पाया, जो देश को 21वीं सदी में ले गए। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए। उन्हीं के कारण हमें अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सफलता मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की आपूर्ति पर भी उनका ध्यान गया था। जब उन्होंने दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी की बात की तो उनका मजाक उड़ाया गया। आज हमें उनके परिश्रम के परिणामों का लाभ उठाने पर गर्व है। जब उन्होंने रंगीन टेलीविजन की बात कही तो उन पर बेकार की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने का आरोप लगाया गया किंतु आज सरकार डी.टी.एच. यानि डायरेक्ट टू होम उपलब्ध कराना चाह रही है किंतु इसे लेने वाले नहीं मिल रहे हैं।

महोदय, हमारा सूचना और प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर उद्योग, हमारे घरेलू सकल उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह हमारे सूचना टैक्नोलाजी इंजीनियरों और प्रोफेशनलों की विश्व स्तरीय उपलब्धियों को दर्शाता है। परन्तु जब सरकार की बात आती है, तो सूचना टैक्नोलाजी हार्डवेयर में हमारा प्रदर्शन एक ऐसा उदाहरण है जो पूर्णतया उपेक्षित है। सरकार की कल्याणवादी व उत्प्रेरक भूमिका कहीं दिखाई नहीं देती। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपना बाजार उपलब्ध कर संतुष्ट हैं।

महोदय, मैं यह कहूंगा कि यह सरकार राष्ट्रीय गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में एक विनाशक है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए जो कुछ भी कहा गया है उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। देश की जनता सरकार के हास्यास्पद कार्यों से तंग आ चुकी है और वह विकास जैसे आवश्यक कार्यों से अयोध्या जैसे गैर मुद्दों पर जनता का ध्यान बंटाने वाली नीतियों से भी तंग आ चुकी है।

मैं सरकार से केवल यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह सजग हो जाए और जनता की भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के अभियान पर ध्यान केन्द्रीत करें।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): मैं, 25 फरवरी, 2002 को हुए संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

प्रस्ताव में उठाए गए मामलों में जाने से पहले, मेरी इच्छा थी, कि शासन और व्यक्तियों पर कटाक्ष व आरोप करने के बाद श्रीमती गांधी यहां उपस्थित होती। उन्हें हमारी प्रतिक्रियाएं सुनने के लिए यहां होना चाहिए था। उन्होंने इस अवसर पर विशेष रूप से भाषण तैयार कर उसे यथासंभव ढंग से प्रस्तुत किया। मुझे अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत याद है कि रिगा की एक युवती शेर की सवारी के लिए गई। वापसी पर वह युवती शेर का भोजन बन

[श्री अनादि साहू]

चुकी थी और शेर मुस्कुरा रहा था। जब वह अपना भाषण दे रहीं थी तब उस व्यक्ति के मुंह पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान रही होगी क्योंकि उनका अपना भाषण उनका भक्षक बन गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आते हुए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 76 पैराग्राफों में से 14 पैरा आंतकवाद, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। यह इस वर्ष गणतंत्र दिवस की संध्या पर दिए गए राष्ट्रपति भाषण की केवल प्रतिलिपि मात्र है। राष्ट्रपति के भाषण का अंतिम वाक्य इस प्रकार था:

"आज हम भारत में और विश्व में सभी आतंकवाद की जिस बुराई का सामना कर रहे हैं उसके विरुद्ध हमारा यह लोकतांत्रित जवाब होगा।"

यह राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रतिफलित होता है। राष्ट्रपति की वेदना बड़ी ही कुशलता से इसमें अभिव्यक्त की गई है।

इसके आतंकवाद संबंधी पहलू में जाने से पहले, मैं माननीय सदस्यों को 13 दिसम्बर की घटना याद दिलाना चाहूंगा कि आतंकवादियों के एक समूह विशेष ने हमारे देश के कुछ लोगों की सहायता से संसद में घुसने और कई सांसदों को मारने का प्रयत्न किया था। मैं अपने लोगों द्वारा दिए गए बलिदान की याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं यहां शेक्सपीयर के नाटक मैकबेथ को उद्धृत करना चाहूंगा:

"आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीचर, ही स्लीप्स वेल; ट्रीजन हैज इन इट्स वर्स्ट:

नोर स्टील, नोर फइजन, मैलेज, डोमैस्टिक, फॉरैन लेवी, नैथिंग, केन टच हिम फर्दर।"

वे निर्भीक व्यक्ति विश्वासघात और हमारे अपने कुछ लोगों की वजह से मारे गए जिन्होंने आतंकवादियों की संसद में घुसने में सहायता की। उन देशद्रोहियों को पहचान कर उन्हें दंड देना होगा। आज समय की यही मांग है।

यह आप भी स्वीकार करेंगे कि स्थिति की जांच करने और इस शांतिपूर्ण देश में आतंकवाद को उखाड़ फेंकना सुनिश्चित करने के लिए ही एक कानून की आवश्यकता महसूस की गई थी। किंतु विपक्ष में बैठे सदस्यों और अन्य कुछ व्यक्तियों के कारण, जिनका इसमें निहित स्वार्थ है, पोटो के लिए अनेक प्रयास करने पड़े और तब कहीं जाकर आतंकवाद निरोधक विधेयक प्रस्तुत हो सका। मैं आपको यह याद दिलाउंगा कि जब विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था तब से ही कुछ सदस्य इसका विरोध करते आए हैं। उन्हें क्या आपत्ति थी? उन्हें यह आपत्ति थी कि इस मौलिक अधिकारों का हनन होगा। संभवतः उन्होंने मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपबंधों को नहीं पढ़ा है। संभवतः उन्होंने पूर्वधारणात्मक साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए संशोधनों को नहीं पढ़ा है। समाज के समक्ष स्थिति की कठोर वास्तविकता से उचित ढंग से निपटने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110, 111, 112 और 113 में संशोधन किया गया हो।

जब दहेज के लिए हत्याएं हो रही थी, जब बड़े ही घृणित तरीके से बलात्कार हो रहे थे तब इस संसद ने ही यह महसूस किया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन कर उसमें कुछ पूर्वधारणात्मक साक्ष्य भी सम्मिलित किया जाए। पूर्वधारणात्मक साक्ष्य की आवश्यकता महसूस करने के कारणों में से एक कारण यह भी था कि अपराधी एक प्रकार से संगठित होते हैं जो समाज को अपने सरल स्वभाव की वजह से नहीं दिखते। ऐसे अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए आतंकवाद निरोधक विधेयक लाया गया ताकि संगठित अपराध और सीमा पार के आतंकवादियों के अपराधों का सामना समुचित ढंग से किया जा सके।

मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप यह देखें कि किस प्रकार से विभिन्न राज्यों से खास वर्ग के लोगों द्वारा कट्टरपंथी शैक्षणिक नीतियां अपनायी जा रही है, चाहे यह जम्मू व कश्मीर हो उत्तर प्रदेश हो अथवा पश्चिम बंगाल हो। इस्लाम की शिक्षा काफी संख्या में कट्टरपंथियों को जन्म दे रही है।

जब से लोग वयस्क हो जाते हैं तो वे समाज के लिए काफी समस्याएं पैदा करते हैं। यदि उदारवादी शिक्षा दी जाती है तथा शिक्षा सही तरीके से दी जाती है तो लोगों में संकीर्ण मानसिकता पैदा नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये संस्थाएं कुकुरमुत्ते की तरह अत्यधिक संख्या में फैल जाएं, उचित कानून होना चाहिए।

महोदय, आप जम्मू व कश्मीर गए थे तथा मैं समिति के सदस्य के रूप में वहां था। हमने देखा कि किस प्रकार से स्वयं सीमा पर सैकड़ों मदरसे पनप रहे हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को इस्लामिक संस्कृति अपनाने की शिक्षा देना है। यदि वहां केवल धार्मिक संस्थाएं हो तो ठीक है। परन्तु धर्मान्धता की मानसिकता वाली धार्मिक संस्थाएं सही नहीं है।

सिमी का मामला तथा उस तरीके को लें जिस तरीके से सिमी स्वयं देश में समस्या पैदा करने के लिए शांतिपूर्ण माहौल से दूर हुआ है। हम इन लोगों से कैसे निपटेंगे? जब तक हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन लोगों की संख्या

बेतहाशा न बढ़े, एक छोटा, संक्षिप्त और प्रभावी कानून नहीं होगा, ये लोग इस देश के शांत माहौल को बिगाड़ते रहेंगे। माननीय राष्ट्रपति ने स्वयं संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में यह बात कही। उन्होंने बिना किसी अस्पष्टता के काफी साफ तौर पर कहा कि क्या कार्यवाही की गयी है।

आज, सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद और संगठित अपराध आंतरिक सुरक्षा को सर्वाधिक गम्भीर चुनौती पेश कर रहे हैं। इसका जिक्र अनुच्छेद सं. 13 में है। तथा उन्होंने विपक्ष को काफी सुन्दर तरीके से डांटा है। वे कहते हैं:

> ''चूंकि संसद इसकी स्थानपूर्ति करने हेतु विधेयक को पारित नहीं कर सकी, इस अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित करना पड़ा। ऐसा करते समय, सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों की राय लेने तथा यथोचित संशोधन करने का ध्यान रखा।''

आपने देश में विद्यमान स्थिति की गम्भीरता को नहीं लिया है तथा 13 दिसंबर की क्रूर वास्तविकता, लाल किले पर हमले और देश के विभिन्न भागों में किए गए अनेकों हमले का ख्याल नहीं किया है? विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण में इंगित परिस्थितियों से वाकिफ होकर अच्छा कार्य करेगा।

अब मैं जम्मू व कश्मीर में विद्यमान हालात के बारे में विपक्ष के नेता द्वारा की गयी टिप्पणी पर आता हूं। क्या मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2000-2001 में जम्मू व कश्मीर में विद्यमान परिस्थिति का विस्तार से उल्लेख कर सकता हूं। मैं इस वर्ष के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से उद्धरण दूंगा जिसे मार्च-अप्रैल, 2001 में माननीय सदस्यों को परिचालित किया गया था। इसमें बताया गया है कि जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार जम्मू व कश्मीर में हिंसा की करीब 400 वारदातें हुई थी तथा सिर्फ दिसम्बर में यह संख्या 112 थी। अब, पहले की 270 हत्याओं की तुलना में आम नागरिकों की हत्या की संख्या घटी है। इस वर्ष यह संख्या 207 है। क्या इससे यह इंगित नहीं होता कि राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार ने पर्याप्त कदम उठाएं है ताकि सीमा पार से जारी आतंकवाद को रोका जाए, घुसपैठियों को सबक सिखाया जाए तथा देश को भयादोहन से बचाया जाए? चूंकि वह 'भयादोहन' (ब्लैकमेल) शब्द का प्रयोग कर रही थी, इसलिए मैं भी 'भयादोहन' शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूं। यह भयादोहन उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो देश में शांत वातावरण कायम रहने देना नहीं चाहते क्योंकि वे दूसरे राजनीतिक रंग के लोग हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। लोग अंदर से आते हों अथवा बाहर से, एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार करना है वह यह है कि कौन किसका भयादोहन कर रहा है। हमारे देश में बहुभाषी समाज है। हमारी बहुवादी समाज है। हमें स्वयं समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचना है तथा उन पहलुओं के बारे में सोचते समय हमारे पास एक राजनीतिज्ञ जैसा गुण होना चाहिए। तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गत चार दिनों में इन राजनीतिज्ञोचित गुणों का बखूबी निर्वाह किया है: उन्होंने विपक्ष द्वारा पैदा की जा रही परिस्थितियों से एक राजनीतिज्ञ के गुणानुरूप निपटा है तथा सारी बातें हल कर ली गयी हैं।

विपक्ष के सदस्य यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि अयोध्या मुद्दे का निराकरण नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अयोध्या मुद्दे का उल्लेख है। क्या मैं आपकी अनुमति से गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 20 को उद्धृत कर सकता हूं जिसमें बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि हकनामा मामलों के निपटारा होने तक अथवा अंतिम निर्णय के कार्यान्वयन तक केन्द्र सरकार सांविधिक प्रापक के रूप में विवादित स्थल की यथास्थिति बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है तथा किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा संगठन को न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या यह सरकार का अच्छा इरादा नहीं है? एक वर्ष पहले ही सरकार ने कहा था कि यथास्थिति बनायी रखी जाएगी। भारत सरकार द्वारा किए गए वादे पर विचार के और यह हो-हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? महोदय, आपको यह पूर्णतः ज्ञात है कि आतंकवाद देश में लगातार अपने शिकंजे कसता जा रहा है। देश में लगभग 122 ऐसे जिले हैं जहां सबसे अधिक आतंकवादी गतिविधियां चल रही है। यह पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा दिया गया आंकड़ा है। पुलिस की शब्दावली में इसे बी.पी.आर.डी. कहा जाता है। इसका क्या कहना है। और अधिक राज्य आतंकवादी गतिविधियों के तहत आ रहे हैं। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आतंकवादी बाहर से आ रहे हैं या अंदर से, वे पी.डब्ल्यू.जी. या लिट्टे हैं अथवा किसी दूसरे रूप में, चिन्ता की बात यह है कि इस देश में 122 पुलिस जिलों-पुलिस जिले हमेशा राजस्व जिले नहीं होते-में 33 प्रतिशत से अधिक आतंकवादी गतिविधि जारी है। यही नहीं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तीन या चार महीने पहले जिन विभिन्न गुटों को पाकिस्तान में गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था, उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पुनः मुख्य धारा में लाया जा रहा है। जैसे मोहम्मद और अपने नए अवतार में हिजबुल मुजाहिद्दीन तथा लश्करे तोइबा को पाकिस्तान और अन्य देशों से वित्तीय सहायता मिल रही है और ये देश चाहते हैं कि भारत में उपद्रवी और विध्वंसक ताकतें सक्रिय बनी रहे। इन आतंकवादी संगठनों को बाहर से धन और अंदर के लोगों से समर्थन मिल रहा है। जैसा कि मैकबेथ में घटित हुआ, नकाबपोश गद्दारों को पहचाना जाना चाहिए तथा उन्हें अंतिम रूप से शांत कर देना चाहिए भले ही इसे बन्दूक के माध्यम से किया जाए अथवा उन्हें मुख्य-धारा में लौटने के लिए राजी करके। यह मामला केन्द्र

[श्री अनादि साहू]

सरकार का ध्यान बहुत खूबसूरत तरीके से आकर्षित कर रहा है। आप पायेंगे कि जम्मू कश्मीर में अभी भी कुछ आतंकवादी गुट सक्रिय हैं। सरकार का संकीर्ण व्यवहार नहीं है। इसका नजरिया सख्त नहीं है। सरकार लोगों को संवैधानिक दायरे में चर्चा करने और मुद्दों को निपटाने के लिए आमंत्रित करती रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर-पूर्व के उन गुटों के साथ समझौता करना है जो मुख्य धारा से कट गए हैं। ईसाक-मुवियाह गुट तथा नेशनलिस्ट सोशल काउन्सिल आफ नागालैंड के साथ वार्ता जारी है। वार्ता के लिए अन्य भी आ रहे हैं। उल्फा को इसके लिए राजी किया जा रहा है। बोडोलैंड के गुटों को लाया जा रहा है। यह आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के मामले में इस सरकार की चिन्ता की गम्भीरता को प्रदर्शित करता है। मैं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संगठनों से संबंधित ब्यौरों में अधिक नहीं जाऊंगा।

मैं पुन: पोटो के मुद्दे पर लौटता हूं। मैं इस भय को दूर कर दूं कि पोटो एक अति भयंकर कानून है। एक अवधि के बाद यह व्यपगत हो जाएगा। आतंकवादियों और संगठित अपराध के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जरूरत है। आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि राजनीतिक सैद्धांतिक व धार्मिक जिस रूप से भी हो आतंकवाद की निन्दा की जानी चाहिए। यह एक दु:खद चेतावनी है कि धार्मिक उन्माद रखने वाले हममें से कुछ खास लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।

सायं 6.00 बजे

इसीलिए, मैंने कहा कि राजनीतिक, सैद्धांतिक और धार्मिक रूप से निरपेक्ष होकर इसकी स्पष्ट रूप से निन्दा की जानी चाहिए। आतंकवादियों के अमानवीय कृत्यों की निन्दा की जानी चाहिए। हमें उन्हें सभ्य मनुष्यों, व्यक्ति विशेष तथा मनुष्य जाति से अलगाना चाहिए। जब वे अमानवीय व्यवहार करते हैं तो यह आवश्यक है कि उनके विरुद्ध खास कठोर कार्रवाई की जाए तथा, एक तरह से, एक खास सीमा तक उनके मौलिक अधिकारों में कटौती कर दी जाए।

पोटो में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी आत्म स्वीकृति पुलिस अधीक्षक के समतुल्य अधिकारी के सामने ही की जाएगी। ठीक है, यह बुरा नहीं है। मैं पुलिस अधीक्षक था। मैं यह कहूंगा कि पुलिस अधीक्षक अपने व्यवहार में थोड़े उदार होते हैं। श्रीमती गांधी गोधरा काण्ड और उसके परिणामस्वरूप गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रतिक्रिया का जिक्र कर रही थी। क्या मैं आपका ध्यान वर्तमान में कार्यरत दो काबिल पुलिस अधिकारियों द्वारा की गयी टिप्पणियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनमें से एक श्री कंठ है जो दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त हैं तथा दूसरे श्री पाण्डेय हैं जो अहमदाबाद शहर में अतिरिक्त महानिदेशक के ओहदे के पुलिस आयुक्त हैं। उनकी टिप्पणियां क्या थीं? इन दो काबिल अधिकारियों की टिप्पणियां यह रही है कि इस तरह गम्भीर परिस्थिति में जहां लोगों की भावनाएं भीषण रूप से भड़क उठती हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं तथा जिन लोगों से उन्हें नियंत्रित करने की उम्मीद की जाती है वे उसी वातावरण, उसी समाज और उसी गुट के लोग हैं, कोई भी ऐसी परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता। हमने उन्हें अलग कालोनियां प्रदान नहीं की है। हमने पुलिसवालों को स्वयं समाज से अलग नहीं किया है। हमने उन्हें इन लोगों के साथ ही रहने की अनुमति दी है। जब एक खास समुदाय के लोग अचानक भावावेश में आ जाते हैं तथा उन पर जब एक सनक सवार हो जाती है तो कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ एक राजनीतिज्ञ होने के नाते ऐसा कह रहा हूं। मैं सिर्फ इसका उद्धरण दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदय, हिन्दी में अनुवाद नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू: मैं दो काबिल पुलिस अधिकारियों के मन्तव्यों का सिर्फ उद्धरण दे रहा हूं। किसी सरकार की आलोचना करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गोधरा काण्ड के पश्चात् 72 घंटे के अंदर ही स्थिति पर काबू पा लिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री आडवाणी की बहुत ही बुरे रूप में आलोचना की जा रही है। यह बिल्कुल सही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया पोटो एक सीमित कानून है तथा चरमपंथ अथवा आतंकवाद की आग को शांत करने की आवश्यकता है।

एक साहित्यिक व्यक्ति होने के कारण मैं शेक्सपीयर को पसंद करता हूं। इसलिए मैं शेक्सपीयर से एक उद्धरण दे रहा हूं जो इस प्रकार है:-

"अ लिटिल फायर इज क्विकली ट्रोडेन आउट, व्हिच बिइंग सफर्ड, रिमर्स कैन नॉट क्वेन्च।"

यह शेक्सपीयर के नाटक, हेनरी VI में है। बात यह है कि आग जब छोटी हो तभी बुझा देनी चाहिए। यदि आप उस समय नहीं बुझाते हैं तो बाद में इसे नदियां भी नहीं बुझा सकती। अत: पोटा की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति जी, अनुवाद की व्यवस्था नहीं हो तो भाषण रोक देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू: जैसा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है, आन्तरिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुधार और विकास के सात ही जुड़ी हुई है। जब तक दोनों मिलकर आन्तरिक सुरक्षा के साथ नहीं चलते हैं तब तक देश विकास नहीं कर सकता। उन्होंने आर्थिक विकास का उल्लेख करते हुए मुख्य क्षेत्र पर अधिक जोर दिया...*(व्यवधान)* जिस मुख्य क्षेत्र पर उन्होंने अधिक जोर दिया है वह अवस्थापना क्षेत्र है और जहां इसके तहत सम्पर्क एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्णिम चौमार्गीय योजना के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है...*(व्यवधान)* जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनेता के गुण ही हैं जिन्हें बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया। श्री आदि शंकर को ही लें। उन्होने चार शंकराचार्य मठों की स्थापना की थी। उन चार मठों में से एक मठ कांची कामकोठी में है। अयोध्या मामले पर दो समुदायों के लोगों के बीच मध्यस्थता करने के लिए इस मठ के शंकराचार्य यहां आये थे। इस देश में भावात्मक अखंडता स्थापित हो यह सुनिश्चित करने के लिए पहले शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी। 1300 वर्ष पहले ऐसा किया था। अब स्वर्ण चतुष्कोण स्थापित करने के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी लोगों के बीच अन्तर को समाप्त करने तथा उन्हें एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्वर्णिम चौमार्गीय योजना शुरू की है ताकि नैतिक अड़चनों को हटाया जा सके और विभिन्न लोगों के बीच की दूरी कम हो सके। और वे एक साथ बैठ सकें और इकट्ठे काम कर सके।

वे भारत के साझे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करें। 1300 वर्षों के पश्चात् ऐसा किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। आदि शंकराचार्य ने भावात्मक अखंडता लाने का कार्य किया था और दूसरा कार्य अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस स्वर्णिम चैमार्गीय योजना के माध्यम से नैतिक अखंडता स्थापित करके किया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि इस संबंध में एक प्रावधान है जिसके अनुसार अगर एक हजार लोगों की आबादी वाला कोई क्षेत्र हो और वहां उसे सड़क से जोड़ा जाना पंचायत मुख्यालय भी हो तो उसे सड़क से जोड़ा जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र और मेरे राज्य के बहुत से अन्य संसदीय क्षेत्रों में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जहां सौ या दो सौ लोग रहते हैं, और तीन या चार पहाड़ों को चढ़ने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचा जा सकता है जहां शायद ही एक सौ आदिवासी लोग रहते हों। जब तक दूर-दराज के क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को जोड़ने की सुविधा का प्रावधान नहीं किया जाता तब तक उन बेसहारा आदिवासी लोगों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कोई लाभ नहीं पहुंच पायेगा यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है, ग्रामीण क्षेत्रों को विशेषकर जनजातीय और दलित बहुल क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना अति आवश्यक है, भारत सरकार मदद करने के लिए आगे आ रही है, लेकिन इसके साथ भारत सरकार की एक शर्त है कि राज्य सरकार को 20 या 25 प्रतिशत हिस्सा देना होगा और 75 या 80 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय सरकार का होगा। मेरा राज्य दिवालिया है और कई अन्य राज्यों की भी यही स्थिति है। वे 20 या 25 प्रतिशत का अपना हिस्सा नहीं दे सकते। वे ऋण भी नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने पहले लिया हुआ ऋण वापस नहीं किया। वे इसलिए भी ऋण नहीं ले सकते क्योंकि ब्याज की अदायगी में भी उनसे चूक हुई है जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार तो समाज के विकास के बारे में बहुत अच्छा सोच रही है लेकिन इसका लाभ दूर-दराज में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए कोर क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का ध्यान रखना होगा और अन्य सभी क्षेत्र जैसे सुनिश्चित रोजगार योजना आदि का विलय अन्य क्षेत्रों में करना होगा। वाल्मीकि आवास योजना को ही लीजिए जो शहरी लोगों के लिए बनायी गयी थी। इन सभी योजनाओं को उन राज्यों के संदर्भ में और बेहतर ढंग से लागू किया जाना चाहिए जो भारत के अन्य समृद्ध राज्यों के बराबर विकास नहीं कर पाये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सायं 6.08 बजे

(**श्री श्रीनिवास पाटील** *पीठासीन हुये*)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे चर्चा करने की अनुमति प्रदान की।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उनका गला खराब है, उन्हें डिस्टर्ब मत करिये, आप उन्हें शान्ति से सुनिये।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान की। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में स्वागत के पश्चात् पहली पंक्ति में देश के अंदर जो चार राज्यों में विधान सभाओं के चुनाव हुए, उन चुनावों के परिणामों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि चार राज्यों उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और उत्तरांचल में विधान सभाओं

[कुंवर अखिलेश सिंह]

के चुनावों के अधिकांश परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस संसद के दोनों सदनों को समवेत सम्बोधित कर रहे थे, उस समय देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र इस सरकार के द्वारा रचा जा रहा था।

इसी सदन के अंदर जब आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा...*(व्यवधान)* मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं, विषय पर बोल रहा हूं। इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। शंकर प्रसाद जायसवाल जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, जब इसी सदन के अंतर आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उत्तर प्रदेश में कि हम खरीद-फरोख्त की राजनीति को आमंत्रित नहीं कर सकते थे, हम उनसे इस सदन के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब 1996 में उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव हुए थे और जब 13वीं विधान सभा के चुनाव परिणाम आए थे और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरकर आई थी, उस समय के तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी जी ने सबसे बड़े दल को जब आमंत्रित नहीं किया था और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी तो नेता विपक्ष की हैसियत से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री के आवास के समक्ष भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कदम सही था या राज्यपाल रोमेश भंडारी जी का कदम सही था? क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी को अगर आमंत्रित किया जाता तो खरीद-फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाता और हम अब जानना चाहते हैं कि जब 14वीं विधान सभा के उत्तर प्रदेश के परिणाम आए और समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरकर आई और उसके बाद वर्तमान राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी ने समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण न देकर भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र के इशारे पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की और आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने नेता सदन की हैसियत से उस राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने के लिए दस्तखत करने का काम किया...*(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह: सभापति महोदय, ये राज्यपाल के कंडक्ट के बारे में कह रहे हैं। उसको यहां डिसकस नहीं किया जा सकता।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: जो राष्ट्रपति जी ने कहा है, मैं उसी पर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह: सभापति महोदय, इसको रिकार्ड से निकाला जाए।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं कहना चाहता हूं कि अब नेता सदन की हैसियत से प्रधान मंत्री जी का कदम सही था या 1996 में उनका कदम सही था? यदि 1996 का कदम गलत था तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए और अगर आज का उनका कदम गलत है तो उनको प्रधान मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रधान मंत्री ने इसी सदन में कहा था कि उत्तर प्रदेश में खरीद-फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा नहीं देंगे। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर चलता है। जब 13 दिन के लिए वे प्रधान मंत्री बने थे तो यह संख्या बल याद था या नहीं? जब नीतीश जी को बिहार के मुख्य मंत्री पद की शपथ दिलाई, उस समय संख्या बल याद था या नहीं। हम प्रधान मंत्री जी से और इस सरकार चलाने वालों से जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे वह धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक ताकतों के बीच हुए थे जिसमें धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत हुई। क्या धर्मनिरपेक्ष ताकतों को थोक में खरीदने के लिए आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया है? मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मायावती जी इनके सहयोग से आने वाले दिनों में सरकार बनाने जा रही हैं। यह जनादेश का अपहरण नहीं है तो क्या है, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को खरीदने की साजिश नहीं है तो क्या है?...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, मेरा पॉइंट आफ आर्डर है। मायावती जी हाउस में नहीं हैं और जो हाउस में नहीं है उसके बारे में माननीय सदस्य नहीं बोल सकते।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: सच कड़वा होता है, सुनने की कोशिश कीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप विषय पर बोलें। राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलें।

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कहूं।

सभापति महोदय: मायावती जी हाउस में नहीं हैं, उनके बारे में मत बोलिये।

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, 13 दिसंबर को जो आक्रमण संसद में हुआ उसका भी उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया

है। उसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवादी संगठनों का हाथ है जो पाकिस्तान की धरती और वहां की शासन सत्ता के समर्थन से काफी समय से आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं।

सभापति महोदय, संसद पर आक्रमण होने के पश्चात् हमने कहा था कि वक्त आ गया है आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने का, लेकिन यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और देश को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। देश की आन, बान और शान के प्रतीक लाल किले पर, सीमा पार से आतंकवाद ने हमला किया, लेकिन यह सरकार मौन साधे बैठी रही, देश का मुकुट, जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर, सीमा पार से आतंकवाद ने हमला किया, लेकिन यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इतना ही नहीं हुआ मान्यवर हिन्दुस्तान की आत्मा, संसद पर आक्रमण होता है और सरकार चलाने वाले लोग मूक दर्शक बन कर बैठे रहते हैं। ये पोटो के कानून की दुहाई देते हैं, लेकिन 13 दिसम्बर की घटना इस बात की गवाही देती है कि कोई भी कानून आतंकवाद का सामना नहीं कर सकता। सिर्फ सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सेना के हाथ में उच्च कोटि के हथियार और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता ही आतंकवाद का मुकाबला करने का काम करेगी, लेकिन आज तक इन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि ये अमरीका की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं। ये हाथ बंधे हुए हैं। जब अमरीका का राष्ट्रपति जार्ज बुश कहेगा कि अटल जी खड़े हो जाओ, तो अटल जी खड़े हो जाने का काम करेंगे और जब वह कहेगा कि बैठ जाओ, तो अटल जी बैठ जाने का काम करेंगे।

''न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं।''

मान्यवर इतना ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष की बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि संपूर्ण राष्ट्र इस दौर में एक है। जन-जन की आवाज गूंजी थी संसद के माध्यम से, जन-जन की आवाज गूंजी थी देश के कोने-कोने से कि अब दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, लेकिन उसके बाद भी इनके कानों में वह गूंज सुनाई नहीं दी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। इन्होंने देश के सम्मान और स्वाभिमान को अमरीका के हाथ गिरवी रख देने का काम किया है।

मान्यवर, जम्मू-कश्मीर में इन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही है और कहा है कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और जो लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनसे हमें अलग रहना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था उनको किन के कहने से आपने जेलों से आजाद करके उन्हें हीरो बनाने का काम किया। परवेज मुशर्रफ के भारत आने से पहले, जिन दुर्दान्त आतंकवादियों को आपने जेल से रिहा करने का काम किया, क्या उनका लोकतंत्र के अंदर विश्वास था। जब तक आप दोगली नीति अपनाते रहेंगे, जब तक आप दोमुंही बात करते रहेंगे तब तक देश से आतंकवाद को नहीं मिटाया जा सकता है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, इन्होंने रक्षा सामग्री की खरीद में तत्परता लाने की भी बात कही है। हम जानना चाहते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान, आपरेशन विजय के नाम से 2075 करोड़ रुपए की विशेष परिस्थितियों में खरीद की अनुमति ली, तो उस समय हमारे सैनिकों को कितने रुपए का सामान प्राप्त हुआ, सी.ए.जी. की रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने पाया कि 75 प्रतिशत सामानों की आपूर्ति युद्ध समाप्त होने के छः महीने और 12 महीने के बाद प्राप्त हुई, यह देश के साथ धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है।

मान्यवर, केवल इतना ही नहीं, अयोध्या विवाद की बात महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन के अंदर कही है। कल विजय कुमार मल्होत्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, उल्लेख कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग भेड़-बकरी की तरह से वैल के अंदर चले जाते हैं, हम जानना चाहते हैं कि साधु-सन्तों और धर्माचार्यों को आप भेड़-बकरियों की तरह अयोध्या में इस्तेमाल करने का काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप चाहते हैं तब सन्यासी कहते हो कि हम आत्मदाह करने का काम करेंगे, जब आप चाहते हो, तो आपका धर्माचार्य सन्यासी कहता है कि हम मर जाने का काम करेंगे और जब यहां से आपकी घंटी बज जाती है, तो वह अपनी बात को वापस लेने का काम करता है। इस प्रकार से आम धर्म के नाम पर कब तक रोटी सेकते रहोगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

महोदय, राम नाम का अपमान जितना इन्होंने किया है, देश की आजादी के बाद से आज तक किसी ने राम का इतना अपमान नहीं किया। हम तो सरयू के किनारे बसे हुए लोग हैं और राम के सूर्यवंश में ही पैदा हुए हैं। मैं कहना चाहता हू, मैंने तुलसी की रामायण को पढ़ा है, मैंने वाल्मीकि की रामायण को पढ़ा है, मैंने कंबन की रामायण को पढ़ा है, हमारे राम घट-घट में वासी राम हैं, दीन-दुखियों की झोंपड़ी में वास करने वाले राम हैं, हमारे राम शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम हैं। क्या उस राम का बेड़ा ये अडवानी और अटल बिहारी वाजपेयी पार करेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि आपने राम के नाम पर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम किया है, उस राम के नाम पर आपने देश में जो कोहराम मचाने का काम किया है, उस राम के नाम पर जो आपने

[कुंवर अखिलेश सिंह]

देश में विष का बीज बोने का काम किया है, उसका कहीं दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। इसलिए हम इनकी घोर निंदा करने का काम करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: व्यवधान न डाले, कृपया इन्हें बोलने दे।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अयोध्या के विवाद का समाधान कैसे होगा, क्या उन लोगों द्वारा किया जाएगा, जिन लोगों ने राष्ट्रीय एकता परिषद् में वादा किया था हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने का काम करेंगे, इन्होंने सुप्रीमकोर्ट के अंदर हलफनामा प्रस्तुत किया था कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने का काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और अब ये कहते हैं कि हम इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करेंगे। ये बातें दोगली बातें हैं, दोमुहीं बातें हैं। इनके द्वारा कभी भी अयोध्या के विवाद का निपटारा नहीं होगा।

मान्यवर, किसानों के सवाल पर इन्होंने कहा है कि किसानों ने रिकार्ड उत्पादन किया है। मैं साफ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों ने रिकार्ड उत्पादन तो जरूर किया, लेकिन किसानों को रिकार्ड उत्पादन का कोई भी लाभ नहीं मिला। धान, गन्ना और गेहूं पैदा करने वाले किसानों की जो दयनीय स्थिति है, वह इन्हें दिखाई नहीं दे रही है। आज देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों के आत्मदाह करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है लेकिन ये हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं।

सभापति जी, समर्थन मूल्य योजना जो इन्होंने चलाई है, वह योजना पूरी तरह फ्लाप हो गई है। इस समर्थन मूल्य योजना से व्यापारियों और बिचौलियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। किसानों को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिला है। आज गन्ना किसान की हालत यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे पूर्वजों ने जिन चीनी मिलों को अंग्रेजों के जमाने में खड़ा किया था, जो चीनी मिलें निर्मित हुई थी, वे चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। उन चीनी मिलों को चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अनुत्पादक मदों में ये नियोजन करते जा रहे हैं लेकिन उत्पादन मदों में नियोजन करने के लिए इनके पास धन नहीं है। आज किसान मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुका है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या केवल कोरी लफ्फाजी से आप किसानों का भला करने का काम करेंगे? विश्व व्यापार संगठन के दोहा सम्मेलन में आपने पीठ ठोकने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के बैनर तले आपने देश के सम्मान और स्वाभिमान को गिरवी रखने का काम किया है। देश के आर्थिक हितों पर कुठाराघात पहुंचाने का काम किया है। आपने दुनिया के 782 सामानों को भारत के बाजारों में लाने की छूट दी है। उससे देश का कृषि जगत, उद्योग जगत मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुका है।

सभापति जी, इसमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उल्लेख किया गया है। मैं बड़े ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अगर कोई साथी यहां बैठे होंगे, आज की तारीख तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक इंच सड़क का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। बिहार के साथी भी यही कह रहे हैं कि वहां भी यही स्थिति है। हम दो साल से लगातार यह सुनते आ रहे हैं कि सुंदर सड़कें गांव को मिलेंगी लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण में यह कहा गया है कि एक हजार की आबादी के गांव को 2007 तक जोड़ने का काम करेंगे। इससे पहले के अभिभाषण को आप उठाकर देख लें। आपने इसी सदन में कहा था कि हम एक हजार की आबादी के गांव को 2004 तक जोड़ेंगे और 500 तक की आबादी के गांव को 2007 तक जोड़ने का काम करेंगे। आप लक्ष्य से क्यों हटते जा रहे हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए जो मापदंड निर्धारित किये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उस मापदंड के आधार पर कभी भी सही तरीके से आप गांव का चयन नहीं कर सकते हैं। हमारे संसद सदस्य यहां बैठे हुए हैं। ये सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास प्राप्त करके इस सदन में आते हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर हमारे संसद सदस्य आते हैं, वहां उन्हें सबसे ज्यादा जनमत प्राप्त होता है। अगर आपको भरोसा करना है तो आप संसद सदस्यों के ऊपर भरोसा करें और संसद सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्ताव प्राप्त करें। आप उनका परीक्षण करायें। यदि संसद सदस्य भी गलत प्रस्ताव देता है तो उस गलत प्रस्ताव को आप स्वीकार मत करो लेकिन शासन ने जो प्रक्रिया अपनाई है, उस प्रक्रिया में कभी भी निष्पक्ष रूप से सड़कों का चयन नहीं हो सकता है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने फास्ट ट्रेक कोर्ट्स की बात की है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस फास्ट ट्रेक कोर्ट्स का क्या मतलब है? आप सरकार चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों का उदाहरण देख लें। जिन लोगों को श्री कल्याण सिंह की सरकार ने टाडा के अंदर गिरफ्तार करने का काम किया था, उन्हें पिछले दिनों कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाने का

काम किया गया है। आज जो लोग कानून की सीमा के ऊपर हैं, फास्ट ट्रेक कोर्ट्स उनका क्या करेगा? आप अपनी कथनी और करनी में सुधार करने का काम करें।

इसी के साथ शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बात महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने उद्‌बोधन में कही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि महाभारत का काल इस बात का गवाह है कि जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था, तो उस गर्भ में युद्ध की सम्पूर्ण जानकारी उसके पिता से प्राप्त हुई थी। जब बच्चा जीरो यानी मां के गर्भ से निकले और जब तक वह बालिग न हो तब तक उसके भरपूर पालन-पोषण और शिक्षा की व्यवस्था यदि हमारी सरकार नहीं करेगी तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। अगर आप छः वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चे को शिक्षा देने की बात करते हैं तो हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या वह लड़का छुरी और तमंचा लेकर सड़कों पर घूमने का काम करेगा? अगर वास्तविक रूप से आप चाहते हैं कि समाज का निर्माण हो तो मेरी इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि आप जीरो से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के अधिकार को देने का काम करें तभी एक सभ्य समाज का निर्माण होगा।

नेपाल के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि भारत और नेपाल के संबंध बहुत मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा बार-बार यह बयान दिये जाते हैं कि नेपाल के अंदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अगर भारत और नेपाल के संबंध मधुर हैं तो नेपाल के अंदर ये आई.एस.आई. अपनी गतिविधियां कैसे फैलाती चली जा रही हैं। यह चिंता का विषय है। आप जो बात कह रहे हैं कि, वह गलत है या आपने जो अखबारों के माध्यम से समाज के अंदर अलगाववाद बोने की बातें कहीं हैं, वे गलत हैं। दोनों में से सच क्या है, गलत क्या है, इसे भी आपको स्पष्ट करना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर भारत और नेपाल मित्रवत राष्ट्र हैं। लेकिन आज भारत और नेपाल की सीमा में जो सीमा पुलिस लगाई गई है, खास कर मैं उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उस सीमा पुलिस की नजर केवल दस रुपये पर है। अगर कोई बोरी भर सामान ले जा रहा है और दस रुपये उस सीमा पुलिस की जेब में डाल दिए जाएं तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सीमा पुलिस द्वारा हम भारत और नेपाल की सरहद की रखवारी नहीं कर सकते। भारत और नेपाल की सीमा अगर संवेदनशील है तो हमें तेज-तर्रार खुफिया एजेंसियों को भारत और नेपाल की सीमा पर नियुक्त करना चाहिए और उन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर हमें ईमानदार अफसरों की भारत और नेपाल की सीमा पर तैनाती करनी चाहिए। अगर किसी भी सम्प्रदाय का व्यक्ति, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति गुमराह करने वाली बातें करता है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही होनी चाहिए तभी भारत और नेपाल के रिश्ते मजबूत होंगे।

भारत और नेपाल के रिश्ते के साथ-साथ इन्होंने कहा है कि सार्क सम्मेलन बड़ा सफल रहा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ जान-बूझ कर उस दक्षेस सम्मेलन में 24 घंटे बाद पहुंचते हैं और सौ करोड़ लोगों का प्रधान मंत्री नेपाल की राजधानी काठमांडू में 24 घंटे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। क्यों नहीं आप उस दक्षेस सम्मेलन को छोड़ कर वापिस चले आए। एक राष्ट्राध्यक्ष के न आने से अगर 24 घंटे के लिए चीन, अमरीका के दबाव में बैठक टाल दी जाती है तो यह हमारे जैसे देश के लिए शर्मनाक स्थिति है।

इन्होंने अमरीका के संबंधों का भी उल्लेख किया है कि अमरीका से हमारे संबंध मधुर हो रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि अमरीका की कठपुतली के तौर पर यह सरकार काम कर रही है। हमारे संबंध मजबूत नहीं हो रहे हैं, अमरीका की कठपुतली के तौर पर हमारी सरकार नाचने का काम कर रही है। 11 सितम्बर को न्यूयार्क में जब हमला होता है अमरीका को दर्द होने लगता है और जब पाकिस्तान हिन्दुस्तान के ऊपर सीमापार के आतंकवादियों से आक्रमण कराता है तो अमरीका पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने से रोकने की सिफारिश करती है। यह अमरीका की दोहरी नीति है। हम जब तक अमरीका के चंगुल में फंस कर उसके हितों का पोषण करते रहेंगे, देश के सम्मान और स्वाभिमान की हिफाजत नहीं कर सकते। इसलिए विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहते हैं कि अगर देश के सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाना है तो हमें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के दौर में भारत की भूमिका का निर्वहन करना होगा।

मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस सरकार के राज में किसान, नौजवान, मजदूर से लेकर समाज का हर वर्ग त्राहि-त्राहि कर रहा है। यह सरकार जितनी जल्दी चली जाएगी, देश का उतनी ही जल्दी कल्याण होगा।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपने-अपने ख्यालातों को रखा है। तेरह दिन, तेरह महीने और लगभग साढ़े तीन वर्षों की अटल जी की सरकार ने इस देश में जो परिस्थिति पैदा की है, वह सर्वविदित है। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जाहिर की है, यदि हम सरकार की समझ को कोआपरेट करते तो यह

[श्री रघुनाथ झा]

परिस्थिति भी पैदा नहीं होती। आज सदन में जो सरकार चला रहे हैं, यह ठीक है कि एन.डी.ए. की सरकार है और एन.डी.ए. के घोषणा पत्र के आधार पर हम इस सरकार में आए हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष सकारात्मक भूमिका से अपने आपको अलग रखता है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में राष्ट्र के सामने जो चिन्ताएं, समस्याएं और आतंकवादी गतिविधियां देश के अंदर, देश के बाहर से हो रही हैं, उनके बारे में जो चिन्ता व्यक्त की है, उससे सारा सदन अवगत है। उन्होंने कितने मार्मिक शब्दों में इस बात का चित्रण किया है कि भारतीय लोकतंत्र के इस मंदिर पर पिछले वर्ष 13 दिसम्बर को हुए अभूतपूर्व आतंकवादी हमले के बाद संसद का यह पहला सत्र है। इस हमले ने हमारी सार्वभौमिकता को खुलेआम ललकारा है।

> यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला था। यह विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों का बड़े पैमाने पर संहार करने का क्रूर और घिनौना कुचक्र था। यदि यह सफल हो जाता तो ऐसी तबाही होती, जिसका कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अपनी संसद और अपने सांसदों को बचाने के लिए नौ वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।''

फिर दूसरे पैरे में उन्होंने कहा:

> ''13 दिसम्बर को जो कुछ हुआ, वह भारत के विरुद्ध सीमा पार से 20 वर्षों से चल रहे निन्दनीय आतंकवादी कुकृत्यों में सबसे घिनौना था। ऐसी चुनौती का निर्णायक और अन्तिम रूप से निपटाने का हमारा संकल्प और भी दृढ़ हुआ है। इस षडयंत्र की जांच से स्पष्ट रूप से इस बात का पता चलता है कि इसमें आतंकवादी संगठनों का हाथ है, जो पाकिस्तान की धरती से और वहां की शासन सत्ता के समर्थन से काफी समय से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। यह भी अब सिद्ध हो चुका है कि यह आतंकवाद विचारधारा, प्रेरणा, संसाधन और संचार तंत्र के जरिये उन संगठनों से निकटता से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका पर हमला किया था।''

कहने का मतलब यह है कि 20 वर्षों में जो सीमा पार से आतंकवादी संगठनों का योजनाबद्ध तरीके से हमला हो रहा है, उसमें अटल जी की ही सरकार नहीं रही है, यहां पर बैठे हुए विपक्ष के मुख्य दल भी सरकार में रहे हैं और उनकी जवाबदेही क्या बनती थी, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। आखिर इससे कैसे निपटा जाये। अभी हमारे मित्र अखिलेश जी भाषण कर रहे थे कि विपक्ष इसके समर्थन में तैयार है, सारा राष्ट्र इन सवालों पर सरकार के साथ है, लेकिन ऐसे तत्वों से निपटने के लिए जब सरकार ने पोटो कानून इसी लोक सभा में पेश करने की अनुमति चाही तो उसे कई बार पेश करने से भी रोका गया। आज परिस्थिति बनी है, हम माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहते हैं कि वह अध्यादेश आज यहां पेश है, लेकिन जो 40-50 वर्षों तक इस देश में सत्ता में रहे हैं। अभी कांग्रेस के लोग और कांग्रेस में बैठी हुई विपक्ष की नेता से हम जानना चाहते हैं कि पोटो से भी सख्त कानून जब वे सत्ता में थे तो 1950 में प्रिवेंटिव डिफेंस एक्ट इन्होंने लगाने का काम किया था। 1954 में डिफेंस आफ इंडिया रूल इन्होंने लगाने का देश में काम किया। 1962 में आर्म्ड स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में यह अधिकतर पुलिस को दिया गया कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी को भी गिरफ्तार करके डिटेन कर सकते हैं। फिर 1974 में इस देश में मीसा लगाया गया। यह सर्वविदित है कि सारे लोग, देश के एक से एक नेता उस मीसा में गिरफ्तार हुए। फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने मीसा को समाप्त किया। फिर 1980 में मिसेज गांधी देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दोबारा चुनकर आईं और उन्होंने सत्ता में आने के बाद मीसा के स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया। फिर 1984 में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, जिसमें दोषी व्यक्तियों को तत्काल सजा दिलाने का प्रावधान किया। समरी ट्रायल करके सजा देने का प्रावधान किया। 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा आतंकवादी विध्वंसकारी निवारक कानून बनाया गया, जो कांग्रेस के लोगों ने बनाया। अपने राज-काज में इस तरीके के कानून बनाने का उन्होंने काम किया, जो पोटो से भी सख्त कानून थे। जिस पार्टी ने दो-दो प्रधानमंत्रियों को आतंकवाद में खोया, अपने मुख्यमंत्री को आतंकवाद में खोया। देश के हजारों निर्दोष लोग मारे गये। 60 हजार से अधिक लोग जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में मारे गये और उसके बाद अगर देश की सरकार यह कानून लाना चाहती है, उस कानून में समूचे विपक्ष से विचार-विमर्श करके संशोधन करना चाहती है तो उसका ये समर्थन नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि ऐसा करके आप सरकार का इस मामले में समर्थन नहीं कर रहे हैं और ऐसे काम में हम आतंकवादी लोगों को एक तरह से समर्थन दे रहे हैं।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश के किसानों को बधाई देने का काम किया है। सचमुच हमारे देश के किसान बधाई के पात्र हैं। देश में अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ। हमारे भंडार गृहों में पर्याप्त मात्रा में अनाज पड़ा है। लेकिन इस बात को कहने के लिए भी मैं विवश हूं कि जो इसके बावजूद आज भी देश में लोग भूख से मर रहे हैं, लोग आत्महत्या करने को विवश हैं। हम जिस इलाके से आते हैं, बिहार का उत्तर इलाका है। वहां के किसान गल्ला पैदा करते हैं। लेकिन आज वे उसे डिस्ट्रेट सेल में बेच रही हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है।

एफ.सी.आई. के लोग उसे नहीं खरीद रहे हैं और न वहां कोई दुकान खोल रहे हैं। इसके चलते वहां के किसान जो अधिक लागत लगाकर अनाज उत्पादन करता है, उस अनाज को कोई नहीं खरीद रहा है। जैसा अभी अखिलेश जी ने कहा, हमारा यह इलाका गन्ने का इलाका है। लेकिन गन्ना पैदा करने वाले किसानों के सामने भी समस्या है। जब से देश आजाद हुआ, बिहार में एक भी नई चीनी मिल केन्द्र द्वारा नहीं लगाई गई। पहले हम दूसरे-तीसरे नम्बर पर थे, करीब 25 प्रतिशत चीनी हम उत्पादित करते थे। लेकिन आज वहां सारा काम बंद है। सब लोग जानते हैं बिहार, उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल का कुछ हिस्सा नेपाल और तिब्बत की नदियों से पानी आने का कारण बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ से हमारे क्षेत्र में जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर है, सड़के हैं, खेती है, सब बर्बाद हो जाती हैं।

यहां पर नेशनल हाईवे की चर्चा हुई। हमारे यहां गोरखपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक का हाईवे चार लेन होने जा रहा है। लेकिन पिछले छः महीने पहले जो वह बाढ़ से टूटा है, उसकी मरम्मत आज तक नहीं हुई है। इसी तरह गोपालगंज जिला मुख्यालय से लेकर पिपराकोठी, नरहरपकड़ी-मधबुन, शिवहर-सीतामढ़ी और बिठा मोड़ तथा छपरा-सीवान-गोपालगंज तक का पूरा नेशनल हाईवे बंद है। प्रधान मंत्री सड़क योजना के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई है। इसमें तीसरे फेज का पैसा भी दे दिया गया है। लेकिन हमारे बिहार में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक इंच सड़क का काम नहीं हुआ। सरकार इस मामले में जांच कराए और समस्या का निदान करे।

बिहार का बंटवारा हुआ। झारखंड राज्य बना। हमारे बिहार में जितने भी उद्योग-धंधे थे, बिजली के कारखाने थे, सब झारखंड में चले गए। हमारे यहां से वहां 30 प्रतिशत आबादी गई, लेकिन 70 प्रतिशत आमदनी चली गई। बिहार में 30 प्रतिशत आमदनी और 70 प्रतिशत आबादी रह गई। प्रधान मंत्री जी ने कहा था, गृह मंत्री जी ने भी सदन में कहा था कि एक डेडिकेटेड सैल प्लानिंग कमीशन में खुलेगा और हम लोगों को पैकेज दिया जाना था। लेकिन आज तक बिहार को वह पैकेज नहीं मिला। सभी दलों के सांसद प्रधान मंत्री जी से मिले थे। हमने मांग की थी कि बिहार से बिजली के बारे में, सिंचाई के बारे में जो प्रस्ताव केन्द्र को भेजे हैं, उन पर तुरंत कार्यवाही की जाए। यहां हमारे प्रदेश से बिजली की 330 करोड़ रुपए की योजना आई है, उसको अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। इस कारण बिहार काफी पिछड़ गया है। हमारी आय का काफी स्रोत झारखंड में चला गया है। हमें केद्र से भी मदद नहीं मिल रही है, फिर कैसे बिहार इससे निपटेगा। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि हमारे यहां से जो बिजली को योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं और अन्य योजनाएं केन्द्र में लम्बित हैं, उनको भारत सरकार मंजूरी दे और हमारे प्रदेश को लाभान्वित करे।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रही हूं और जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार के क्रियाकलाप जो पहले हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, उन क्रियाकलापों को राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से बताने का कार्य किया जाता है। साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने जो लुभावने और हसीन सपने दिखाने का कार्य किया है, वह बिल्कुल ही खोखले और थोथे सपने हैं क्योंकि शुरू से ही राष्ट्रपति जी ने कहा कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है? देश आतंकवाद से गुजर रहा है, देश सिर्फ आतंकवाद से ही नहीं गुजर रहा है बल्कि विभिन्न समस्याओं की आग से गुजर रहा है, गरीबों की भूख की आग से गुजर रहा है, आतंकवाद की आग से गुजर रहा है, नौजवानों की बेरोजगारी की आग से गुजर रहा है, साम्प्रदायिकता की आग से झुलस रहा है।

यहां एक तरफ देश झुलस ही रहा है, आतंकवाद से हम किस तरह से बचाव करेंगे? किस तरह की हमारी रणनीति होगी जबकि अमरीका में जब 11 सितम्बर को उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया तो पूरी दुनिया और हमारा देश तो सबसे पहला देश था जिसने यह कहा कि हम अमरीका को मदद करेंगे लेकिन जो हम वर्षों से आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं, पाकिस्तान के द्वारा और आतंकवादियों के द्वारा हमारे ऊपर जो हमेशा आक्रमण किया जा रहा है, उस समय अमरीका कहां था और हमारा देश उस समय क्या कर रहा था? मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से बताने का कार्य किया गया कि हम आतंकवाद से गुजर रहे हैं लेकिन आतंकवाद से निपटने के लिए हम कौन सी रणनीति अपना रहे हैं? मात्र एक 'पोटो' लागू कर देने से ये सोचते हैं कि हम आतंकवाद से छुटकारा पा लेंगे लेकिन आतंकवादी आत्मघाती बनकर आते हैं तो क्या 'पोटो' कानून उस आतंकवाद से क्या हमारे देश को छुटकारा दिला सकेगा, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं।

आज सदन के बाहर या सदन के भीतर भी अयोध्या विवाद पर बात की गई। अयोध्या के मसले पर कोर्ट का जो आदेश होगा, उस पर हम अमल करेंगे लेकिन क्या हो रहा है, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार ने शांति और व्यवस्था बनाये रखने का काम किया है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह शांति और व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई?...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, कांग्रेस की ओर से एक भी सदस्य हाउस में उपस्थित नहीं है। यह अच्छी परम्परा नहीं है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: सरकार भी अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रही है।...*(व्यवधान)* सदन के अंदर सत्ता पक्ष की भी जितनी उपस्थिति होनी चाहिए, वह नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह: माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम अयोध्या मामले में स्टेटस-को बनाए रखेंगे यानि हम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे लेकिन आज जो सत्ता पक्ष वाले वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने शांति कर दी, मैं कहना चाहती हूं कि सत्ता पक्ष इस तरह का चाहता तो जो सोली सोराब जी जैसे अटार्नी जनरल जो सरकार के हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष रखा, वह हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि उनको कानून का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो पक्ष अदालत के सामने रखा, वह अशोभनीय था। उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलील पेश की कि अविवादित भूमि पर सूक्ष्म रूप से सिम्बालिक पूजा करने की इजाजत दी जाये। फिर उन्होंने कहा कि पूजा करने वाले सिर्फ 50 से 55 व्यक्ति ही होंगे, 1992 की परिस्थिति नहीं दोहराई जाएगी और यह भी कहा कि 45 कंपनी, जो करीब 2000 मिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, वह इतनी सक्षम है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने तथा शांति व्यवस्था कायम करने में वह सक्षम है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मैं सरकार का पक्ष रख रहा हूं।

यह पूजा सिर्फ तीन घंटे तक चलेगी 2.15 बजे से लेकर 5.15 बजे तक। इस तरह की पूजा की अनुमति प्रदान करने से दूसरे पक्ष को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। इस तरह की विरोधाभास पूर्ण बहस से देश की धर्मनिरपेक्ष सरकार को कलंकित ही नहीं किया, अपितु सरकार की गैर जिम्मेदाराना और बचकाना हरकत से देश की छवि खराब हुई। उन्होंने जब प्रैस कांफ्रेंस की और कहा कि उन्हें पूजा की इजाजत मांगने के लिए सरकार की तरफ से किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया था, फिर क्यों उन्होंने इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना पेशकश कोर्ट के सामने की। इसलिए हम मांग करते हैं कि उन्हें एटार्नी जनरल के पद से अविलम्ब हटाया जाए या उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाए, क्योंकि इन्होंने धर्मनिरपेक्ष सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया है। ऐसे एटार्नी जनरल को बर्खास्त करना चाहिए, उनसे इस्तीफा दिलाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पूरा देश कलंकित हुआ है।

गोधरा का कांड हुआ, गुजरात, अहमदाबाद तथा अन्य जगहों पर भी इसी तरह की घटनाएं घटी हैं- क्या वहां कोई इंसान नहीं मरा, क्या हिन्दू या मुसलमान को मारा गया, इंसानियत की हत्या नहीं की गई? जो सरकार वाह-वाही लूटने का काम कर रही है, मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहती हूं, कोर्ट ने ऐसी परिस्थिति पैदा की, उन्होंने ऐसा आदेश दिया, जिससे आज अयोध्या में व्यवस्था बनी हुई है।

महोदय, इन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों के बारे में कहा है और किसानों को इन्होंने बधाई देने का काम किया। इन्होंने कहा कि पिछले साल किसान ने खाद्यान्न का उत्पादन 196 मिलियन टन किया था, अगले वर्ष 2001, 2002 में 210 मिलियन टन उत्पादन होने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि सरकार ने क्या किया है? किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर इतना उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। किसानों की क्या नीति है, क्या कृषि नीति बनाई गई है? आज भी जब हम संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो हमसे लोग सवाल करते हैं कि हमने आपको चुन कर भेजा है, आपने किसानों के लिए क्या किया। आपने सरकार का ध्यान किस तरह इस तरफ आकर्षित किया है। आज भी पूरे देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किस तरह अपने परिवारों की परवरिश कर रहे हैं। आप उनके यहां जाकर देखें, एक-एक किसान खून के आंसू रोने का कार्य कर रहा है। आज स्थिति यह है कि धान और गेहूं की प्रक्योरमेंट प्राइस नगण्य है। अभी रघुनाथ जी ने कहा कि जो सच्चाई है वह देश के सामने आनी चाहिए। किसानों के प्रति बड़ी विडम्बना है। अगर ये कृषि के क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभाते तो कृषि का क्षेत्र आज ऐसा नहीं होता। हमने अपने किसानों को कहां तक पहुंचाया है। उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। क्या उनके बच्चों को हम सही शिक्षा दिलवा पाते हैं, क्या उन्हें रोजगार देने का काम करते हैं, ऐसा कतई नहीं है। जैसे हमारा बिहार दो भागों में बांट दिया गया- झारखंड और बिहार हो गया। आर्थिक पैकेज देने की बात कही जाती है, लेकिन हमें आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया। आज हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन बिहार के जितने सांसद एनडीए में जीत कर आए थे, उन्हें मंत्री बनाने में इन्होंने जरूर बढ़ोत्तरी की। अपने खर्चों में कटौती नहीं की, राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, विशेष पैकेज नहीं दिया गया, लेकिन मंत्रियों की बढ़ोत्तरी करते चले जा रहे हैं। इनके खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या इससे हमारे राज्य का विकास हो जाएगा? इन लोगों ने कभी सरकार पर दबाव नहीं डाला कि बिहार को उचित और सही तरीके से पैकेज देना चाहिए। इनका हिस्सा इन्हें मिलना चाहिए। दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग के माध्यम से हमारा करीब पौने 600 करोड़ रुपए पंचायती राज का बनता है, पंचायती राज के चुनाव होने के बावजूद भी राज्य को एक पैसा देने का काम नहीं किया गया। एक-एक पंचायत को मात्र 75,000 रुपया दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि 75,000 रुपए में क्या कोई विकास का कार्य करेगा, कितने इंदिरा आवास बनाने के कार्य होंगे? ये कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर रहे हैं,

जब से यह सरकार आई है तब से गरीब, गरीब होता जा रहा है और अमीर, अमीर, होता जा रहा है। यह खाई दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा जा रहा है कि हम सब को एक समान रखेंगे लेकिन क्या गरीब के बारे में कोई सोच रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इन खाइयों को पाटने के लिए इन्हें कुछ सही कदम उठाने चाहिए।

कहा जा रहा है कि 20 किलो अन्न की जगह 25 किलो अन्न कर दिया गया है। लेकिन कितने प्रतिशत लोग हैं जो उस अन्न को ले रहे हैं क्योंकि सब अन्न तो बाजार में बेचा जा रहा है और उसके दाम बढ़ा दिये गये हैं। चीनी आम लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बंद कर दी गयी है। कहा जा रहा है कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनको ही चीनी दी जाएगी। लेकिन कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनके पास चीनी खरीदने के लिए पैसा है; उनके पास पैसा ही नहीं है तो वे चीनी कैसे खरीदेंगे। गरीबों के लिए समस्याएं दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही हैं। यह सरकार कहती है कि हम देश के हित में, राष्ट्र के हित में, नौजवानों के हित में, गरीबों के हित में काम कर रहे हैं लेकिन सच तो यह है कि यह सरकार उनके लिए एक पैसे का भी काम नहीं कर रही है। पंचायती राज कायम हुआ है तो हमारे राज्य के हिस्से को देने के लिए सरकार को कटिबद्ध होना चाहिए क्योंकि सरकार केवल एक पार्टी की नहीं होती है, वह सरकार पूरे देश की होती है, प्रधान मंत्री पूरे देश का होता है। इसलिए हमारे राज्य को उसका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए।

माननीय राष्ट्रपति जी ने पैरा 41 में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। मैं मांग करना चाहती हूं कि भगवान महावीर की जन्मभूमि, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि और लिच्छवी गणराज्य की जन्मभूमि वैशाली को केसरिया और कुशी नगर से जोड़कर बुद्धिष्ट सर्किट को पूरा किया जाए और वैशाली को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का दर्जा दिए जाए।

सरकार द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से पूरे देश को और पूरे सदन को अपनी बात बताने का कार्य किया गया है। उन खोखली बातों को समाप्त कर यथार्थ पर वे आयें और जमीनी कार्य को करने का कार्य करें ताकि इस देश की गरीब जनता और तमाम अवाम को राहत मिल सके। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति जी, माननीय रघुनाथ बाबू, प्रभूनाथ सिंह जी और रामजीवन सिंह बाबू जो चुने हुए लोग थे, उनको सरकार ने मंत्री नहीं बनाया लेकिन राज्य सभा के लोगों को जरूर बिहार से मंत्री बनाया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय सभापति जी, सदन आज देर तक बैठेगा, इसलिए सभी सदस्यों के लिए और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकार मित्रों के लिए डिनर की व्यवस्था आठ बजे के बाद की गयी है।

श्री कैलाश मेघवाल (टौंक): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने 25 फरवरी को संसद के केन्द्रीय कक्ष में जो अभिभाषण दिया उसके धन्यवाद के लिए आज यहां पर बहस हो रही है और उसमें भाग लेने के लिए आपने मुझे पुकारा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कई बिंदू यहां पर उठाए गये हैं और राष्ट्रपति जी के 24 पृष्ठ के अभिभाषण में जो चौदहवां पैराग्राफ है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और अपने संविधान के पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करना हमारे राष्ट्र की विशेषताओं का मूल आधार है। उसके आगे कि मैं लोगों से और सभी राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संगठनों से अपने अनेक धर्मों वाले समाज में शांति और सौहर्द को पुख्ता करने के लिए हर संभव कार्य करने और ऐसा करके राष्ट्रीय एकता के बंधनों को और अधिक मजबूत बनाने की अपील करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर बहुत लम्बे समय से बहस चल रही है और संदर्भ में अयोध्या के मुद्दे को लेकर बहुत बहस चली।

लेकिन मूल कारण और जड़ क्या है? इस समस्या पर अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद किसी वास्तविक हल पर पहुंच सकेंगे। हिन्दुस्तान की जमीन पर सब धर्म पनपे और आर्यावृत कहलाया। यहां की मिट्टी में धार्मिक सहिष्णुता है। धार्मिक कटुता, धार्मिक विद्वेष, धार्मिक प्रतिद्वंदिता इस मिट्टी में कभी नहीं रही। यहां मुगल शासक आए। मुस्लिम धर्म के लोग शासनारूढ़ होने के पहले ही यहां मुस्लिम धर्म आ चुका था, अपनाया जा चुका था। इस उपासना पद्धति को यहां के रहने वाले लोगों ने स्वीकार किया था। यहां क्रिश्चयन धर्म के शासक रहे चाहे वे पुर्तगाली हों या फ्रांसिसी हों या इंग्लिश हों। ये जब शासनारूढ़ हुए लेकिन उसके पहले ही ईसाई धर्म आ चुका था, स्थापित हो चुका था और उसे स्वीकार किया जा चुका था। इस उपासना पद्धति के आधार पर इस देश में लोगों ने अपना धर्म चालू किया था। यह एक श्रेष्ठ धर्मों की आर्यावृत भूमि है। यहां अनेकानेक धर्म पनपे लेकिन धर्म के आधार पर कटुता कभी नहीं आई। यहां हर तरह का धर्म पनपा। यहां अनिश्वरवादी भी पनपे, ईश्वरवादी भी पनपे, मूर्ति

[श्री कैलाश मेघवाल]

पूजक भी पनपे, कापालिक भी पनपे, अघोरी भी पनपे और जहां जिस किसी को किसी ने गुरु बनाया, वे भी पनपे। धार्मिक सहिष्णुता यहां की मिट्टी में थी और इसका प्रकटीकरण 1947 में हुआ। ग्रेटैस्ट एक्सोडस आफ हिस्ट्री। 1947 में देश के विभाजन के साथ जिस तरह की जनसंख्या का आदान-प्रदान हुआ हिंसक दौर भी चला उसके बाद भी इस मिट्टी का प्रताप था कि हमने सैकुलर रहना स्वीकार किया। भारत ने अपने आप को सैकुलर डिक्लेयर करते हुए सभी धर्मों के रहने की स्थिति पैदा की। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना। इस पृष्ठभूमि में आज हम जहां खड़े हैं क्या उसमें ऐसी कोई बात सोच सकते हैं? जिससे सेक्युलर चरित्र नहीं रहे।

मैं एक उदाहरण देकर बात पूछना चाहता हूं। 1984 में इस सदन में स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब कांग्रेस के नेता थे तो सबसे विशाल बहुमत भारत की स्वतंत्रता के बाद चुनावों में उन्हें मिला। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि वह उन शक्तियों से प्रभावित नहीं थे जो राजनीति को राजनीति के रूप में, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित कर रही थी। इसी का कारण था कि 1985 में जब राम जन्म भूमि का ताला खोला गया उसकी कहीं प्रतिक्रिया नहीं हुई। किस के शासन में खोला गया? मैं एक सवाल का जवाब प्रतिपक्ष से चाहता हूं। उस समय राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे। बहुत सोच-विचार करके उनके मंत्रिमंडल ने निर्णय लेकर 10 नवम्बर 1989 को राम जन्म भूमि का शिलान्यास कराया। बड़ी घोषणाएं हुईं। मुझे 10 नवम्बर इसलिए मालूम है कि बूटा सिंह जी उस समय गृह मंत्री थे। वह जालौर से चुनाव लड़े थे और मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। वह अपने क्षेत्र के चुनाव का कार्य छोड़ कर वहां गए। बड़े जोर-शोर से घोषणा की गई कि एक दलित द्वारा उसके शिलान्यास को करवाया गया। राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास उस समय के मंत्रिमंडल ने निर्णय लेकर और सोच-विचार करके किया था। हमें केवल एक बात का जवाब चाहिए कि 11 तारीख को उसे क्यों रोका गया? इसकी जड़ यह है। हम जब तक इस चीज को नहीं देखेंगे तब तक यह चलता रहेगा। जितना खून-खराबा 1989 के बाद हुआ, उसका क्या कारण है? उस समय मंदिर बन जाता। शिलान्यास होने के बाद कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। सारे धार्मिक नेता इससे संतुष्ट थे। देश का वातावरण शान्त था लेकिन एक ऐसी शक्ति आगे आई जो 1952 से देश में नफरत की राजनीति चलाने में सफल रही। वोट बैंक जब से आया तब से यह स्थिति पैदा हुई। 1950 से चुनाव प्रारम्भ हुए। तब से कुछ शक्तियों ने अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वोट बैंक बनाए रखने के लिए नफरत की राजनीति की। विभाजन के बाद नफरत और घृणा की राजनीति सारे देश में चली। उस तुष्टिकरण की राजनीति का परिणाम है कि आज सारे देश में छोटी-मोटी हर बात पर घृणा की राजनीति के आधार पर इंसान को इंसान से लड़ाया जाता है। मानवता सिसक कर रो रही है। सारे देश में एक ऐसी भावना पैदा की जाती है जिससे खून-खराबा होता है।

सायं 7.00 बजे

हमें यहां इस जड़ को ढूंढना होगा। यह नफरत की राजनीति चालू रखनी है अर्थात् हमें भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति चालू रखनी है या उस पर रोक लगाना है क्योंकि इस देश में उपासना पद्धति कभी भी राजनीति या हिंसा का कारण नहीं बनी।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण से इस बात को सिद्ध करना चाहता हूं। यह ऐतिहासिक सत्य है कि अकबर हिन्दुस्तान के शहनशाह के रूप में शासनारूढ़ थे और मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे। अकबर ने अपने शासन को स्थायी बनाने के लिये, उसके विस्तार के लिये और उसे सुदृढ़ता देने के लिये मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहा लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उस समय हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अकबर एक मुस्लिम शासक था। उसकी तरफ से लड़ने के लिये जयपुर के हिन्दू राजा आये थे।

सायं 7.01 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए।*]

महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे जिन्हें हिन्दुओं का सूर्य माना जाता था उनकी तरफ से मैदान में जो सेनापति आये, वह हाकिम खा सूरी था। इस तरह के अनेक उदाहरण मिल जायेंगे। जब ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं तो फिर शासक के धर्म के आधार पर हिंसा नहीं हुई तब आज धर्म के आधार पर लड़ाई और खून-खच्चर क्यों हो रहा है। मैं इस सदन से अपील करना चाहता हूं कि हम उस जड़ को तोड़ें, नाग के फन को कुचलें जो घृणा की राजनीति फैला रहा है। इस घृणा की राजनीति को फैलाने में हम सब आगे हैं। आज माननीय वाजपेयी जी इस देश का शासन संभाल रहे हैं। 1950 से लेकर जो सारे दृश्य देखे हैं, यहां कुछ भी कह दो, कितने ही सैद्धांतिक आदर्श के भाषण दे दे, कितनी भी अपनी बात कह दें लेकिन अगर हम हकीकत में देखना चाहें तो मालूम होगा कि आज देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि 1950 से लेकर जिन आदर्शों को लेकर आजादी का आन्दोलन लड़ा गया था, भारतवर्ष एक होकर लड़ा था, वह भारतवर्ष आज दुनिया के सामने जोड़-तोड़, उठा-पटक और राजनैतिक उतार-चढ़ाव के दौर में मिलावट और गिरावट की अन्तिम सीमा तक आ गया है। आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं? मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की इस

परिस्थिति में वे देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और एक ऐसा शासन दे रहे हैं जो सब से बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, आज हमारे विपक्ष के साथी कुछ भी कहें, 1984 में कांग्रेस को प्राप्त 410/415 सांसदों का प्रचंड बहुमत धीरे-धीरे क्यों कम होता चला गया। आज देश की राजनीति अस्थिर हुई है, यह अच्छी बात नहीं है। यह कोई खुशनुमा राजनीति नहीं है क्योंकि आजादी के आंदोलन में जो भारतवर्ष था, उस समय भारतवर्ष का आधार राष्ट्रीयता था। हम सभी अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि क्यों हमने आज स्वार्थवश भारतीयता की राजनीति को प्रान्तीयता की राजनीति के रूप में उभारा है? मैं समस्त सांसदों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रान्तीयतावाद की राजनीति में आतंकवाद के बीज बोए गए हैं। आज भारत में दो तरह के आतंकवाद हैं- एक बाहरी शक्तियों द्वारा बाहर से लाई गई आतंकवादी हिंसा और हिन्दुस्तान को नीचा दिखाने कि किस तरह से जलील करने जैसी घटनायें हो रही हैं। और दूसरा है आंतरिक हिंसा का आतंकवाद। इस आंतरिक आतंकवाद की जड़ों में लम्बे समय तक कांग्रेस के राज में खाद मिला। माननीय वाजपेयी जी तो पिछले 3-4 सालों से प्रधानमंत्री हैं लेकिन जिस मुकाम पर बैठे हैं वह भारतवर्ष वैसा नहीं है। जिसकी आजादी के आंदोलन में हमने कल्पना की थी। इस देश में असम में असमी, महाराष्ट्र में मराठी, तमिल में तमिलियन, पंजाब में अकाली और हर जगह इस तरह के नारे लगे हैं। हमारे नारे कुलषित राजनीति के आधार पर विकसित हुये हैं। गलत आधार पर ये नारे विकसित हुये जिससे यह सारा देश कट्टरपंथी प्रांतीयता में विखंडित रूप में हमारे सामने खड़ा है। आज प्रान्तीयतावाद जिस तरह से राष्ट्रीयता पर हावी हो रहा है, राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, एक चुनौती है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस राजनीति को शुद्ध करें। इतना ही नहीं, हम एक तरह से नेशनल पौलिटिक्स मेनटेन नहीं कर सके, राष्ट्रीय राजनीति को स्थायित्व नहीं दे सके।

दूसरी तरफ हम सिद्धांतों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, अपने घोषणा पत्रों के आधार पर इस देश में राजनीति नहीं चला सके हैं। यहां बैठे हुए चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, भाजपा भी इसकी शिकार रही है। क्या हम अपने दम पर यह कह सकते हैं कि हमारी राजनीति घोषणा पत्र की राजनीति है, हमारी राजनीति कार्यक्रमों को राजनीति है, हमारी राजनीति विचारों की राजनीति है और जब हम सैद्धांतिक आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, विचारों के आधार पर, घोषणा पत्रों के आधार पर इस देश में राजनीति नहीं चला सके तो जैसे परीक्षा के दिनों में होता है, हम क्वेश्चंस और आन्सर्स पढ़ते हैं और क्वेश्चंस मेड ईजी। लेकिन आज पोलिटिक्स मेड ईजी हो गया है राजनीति में और यह एक बड़ा खतरनाक फिनोमिना आया है। यह जातिवाद का फिनोमिना है जो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। जातिवाद के आधार पर इस देश में जो राजनीति चली है उसमें आतंकवाद की जड़े हैं, उसमें अराजकता की जड़े हैं, उसमें हिंसा की जड़े हैं, उसमें शोषण की जड़े हैं।

माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस ट्रैन्ड को अगर आज कोई रोकने की क्षमता रखता है तो वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री आडवाणी जी और उनके साथ के लोग हैं, जो सैद्धांतिक आधार पर देश को चला रहे हैं। ये छोटे-छोटे समझौते किसने किये। इस जातिवादी राजनीति का जनक इस देश में कौन रहा, किसने जातिवादी राजनीति को जन्म दिया है। यह फिनोमिना आज हम देख रहे हैं। यहां बात होती है हिन्दू कार्ड मुसलमान कार्ड की, कटाव कार्ड की, मेघवाल कार्ड की, यादव कार्ड की, जाट कार्ड आदि की हमारे देश को यह क्या हो गया है। जहां एक तरफ यह कल्पना थी, जब हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो हमने सोचा था कि क्लासलैस और कास्टलैस सोसाइटी की बात करेंगे और उसका निर्माण करेंगे, वहां हम आज किस मुकाम पर पहुंचे हैं और उस मुकाम पर पहुंचने के बाद माननीय अटल जी देश को नेतृत्व दे रहे हैं। अगर वह नेतृत्व नहीं देते तो आज देश की क्या हालत होती। हम छोटे-छोटे स्वार्थ आज भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय, हमारे एक वरिष्ठ सांसद हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी करने का साहस नहीं कर सकता। श्री सोमनाथ चटर्जी सी.पी.एम. के सांसद हैं। उन्होंने राष्ट्रपति जी की तारीफ की। लेकिन इस अभिभाषण की जिस कन्टैम्पचुअस भाषा में उन्होंने भर्त्सना की है वह उचित नहीं है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी भर्त्सना की सार्थकता तब होती जब वह यह बताने की कृपया करते कि यह कैसे बेकार है, काम का अभिभाषण नहीं है। वह बताते कि इसमें यह होना चाहिए था। यह हमारी संवैधानिक मान्यताएं हैं, हमारी परम्परा की संवैधानिक औपचारिकताएं हैं और एक जनतांत्रिक व्यवस्था को चलाने का हमने जो तौर-तरीका विकसित किया है, उस तौर-तरीके के कौन से बिन्दु हैं, जिन पर माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने विचार नहीं रखे। यह सही है कि राष्ट्रपति जी और राज्यों के राज्यपाल की एक औपचारिकता है और इस औपचारिकता को आप चाहे जितना कन्टैम्पचुअली कह दें। माननीय सोमनाथ जी 1989 की वी.पी. सिंह सरकार के समर्थक थे। वह उस समय का अभिभाषण उठाकर पढ़ ले जो उनके समर्थन वाली सरकार ने बनाया है। आखिर वह क्या कहना चाहते थे, शाब्दिक आडम्बर, शाब्दिक जाल और तीखे से तीखे शब्दों के अलावा क्या है। महोदय, यहां पर्सनेलिटीज को खंडित करने का प्रयास भी यदा-कदा होता रहता है आज देश में एक स्थिति बन रही है कि हम अपने राजनीतिक नेताओं और राजनेताओं के व्यक्तित्व को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं जानता हूं। मेघवाल जी समाप्त कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल: सभापति जी, यह मेरी मेडन स्पीच है। मैं उपचुनाव जीत कर आया हूं। आप मेरे साथ इतनी कठोरता क्यों बरत रहे हैं।

सभापति महोदय: मैं कठोरता नहीं बरत रहा हूं, मैंने आपको सावधान किया है।

श्री कैलाश मेघवाल: मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस औपचारिकता को पूरा करने में अगर सोमनाथ जी यह बताते कि वे कौन से मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रपति जी ने ध्यान नहीं दिया तो उनकी बात को ठीक माना जा सकता था। लेकिन यहां नेताओं के व्यक्तित्व को कलुषित करना एक सामान्य बात हो गयी है यह बहुत खतरनाक फिनोमिना है चाहे यह किसी भी पार्टी के द्वारा इस देश में चालू हुआ हो। यदि हमने इस फिनोमिना को खत्म नहीं किया तो हम अपने नेताओं को क्या मुंह दिखायेंगे। हल्के से हल्के शब्दों और हल्की से हल्की भाषा का प्रयोग करने में हम नहीं झिझकते हैं। जिस तरह से भी जैसा चाहे हम बोलते हैं, चाहे उसकी प्रामाणकिता है या नहीं है। इस संसद को जिस सतही ढंग से चलाने की स्थिति आ गई है, यह जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यह बड़ा चुनौती भरा कार्य है। इस चुनौती भरे कार्य को कौन करेगा। यह कार्य इस संसद को करना पड़ेगा।

दुर्भाग्य से यह संसद राजनैतिक मंच के रूप में काम कर रही है, राजनीतिक मंच के रूप में हमने इस संसद का प्रयोग किया है लेकिन राष्ट्रीय मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया है। अब वक्त आ गया है जब सब पार्टियों के लोग ईमानदारी से सोचें कि इस संसद का राजनैतिक मंच के रूप में उपयोग किया जाए या राष्ट्रीय मंच के रूप में किया जाए। अभी बहुत वक्त है और मैं निराशावादी नहीं हूं। यह एक दौर आया है, और चक्र चल रहा है। यह चक्र भी पूरा होगा लेकिन देश में राष्ट्रवादी शक्तियां राष्ट्रभक्त शक्तियां और देश को बनाने वाली शक्तियों की कमी नहीं है। वे उभरेंगी और आज जितने लोग सतही राजनीति के शिकार हो रहे हैं, छोटी-मोटी कुर्सी जीतने के लिए या छोटा-मोटा पद पाने के लिए ऐसा करते हैं, उधर के लोग भी सरकार में रहे हैं और इधर के लोग भी रहे हैं। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, प्रधान मंत्री बनेंगे और बिगड़ेंगे, मंत्री बनेंगे और बिगड़ेंगे, सांसद आएंगे और जाएंगे, हारेंगे और जीतेंगे, लेकिन यह राष्ट्र मजबूत रहे यही कल्पना राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की है। इस राष्ट्र ने अपनी मजबूती का दिग्दर्शन किया है। जब वक्त आया, चुनौती आई, 13 दिसंबर की घटना के बाद इस संसद में एकमत से हमने प्रस्ताव पारित किया। लेकिन मतों के आधार पर हमारा दोहरा चरित्र हो गया है। यहां कुछ और कहते हैं और बाहर जाते ही भावावेश में कुछ और बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: आप गलतबयानी कर रहे हैं। आपका दोहरा चरित्र है। आप यहां कुछ कहते हैं और बाहर दूसरी बात कहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री कैलाश मेघवाल: अखिलेश जी, आपको हम जानते हैं और जिस तरह से आप इस सदन में राजनीति करके सदन को अपने सिर पर उठा लेते हैं, ऐसी क्षमता मुझमें भी है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: हमने विनय कटियार और आपके दूसरे सदस्यों का दोहरा चरित्र यहां देखा है।...*(व्यवधान)*

श्री कैलाश मेघवाल: यह दोहरा चरित्र सारे देश में है। ये समाजवादी पिता के समाजवादी पुत्र हैं लेकिन अपने आपको कुंवर कहलाना पंसद करते हैं जो फ्यूडल सिस्टम का शब्द है।

कुंवर अखिलेश सिंह: कुंवर टाइटल नहीं, मेरी उपजाति है।

श्री कैलाश मेघवाल: मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह दोहरा चरित्र हमारी राजनीति को खा रहा है। सारे देश में दोहरा चरित्र चल रहा है। सबमें दोहरा चरित्र चल रहा है, सब इसके शिकार हैं। यहां ईमानदारी से हम कोई बात कहते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां कोई और बात कहते हैं। जब समाज में बैठते हैं, तब वोट लेने की बात करते हैं, तब कुछ और बात करते हैं। सब दोहरा चरित्र जी रहे हैं। कौन आज देश के सिद्धांतों पर कायम रह सका है? कौन सी पार्टी ईमानदारी से कह सकती है कि मैं इस देश के कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए जाता हूं। सारा जोड़-तोड़, ऊंच-नीच, जातिवादी जोड़, सांप्रदायिक जोड़, यह जो राजनीति 50 साल में इस देश में विकसित हुई है यह कई बुराईयों की जड़ है और इसको ठीक करने के लिए इस सदन को हमें आत्मचिन्तन करके इसको राष्ट्र मंच के रूप में खड़ा करना पड़ेगा, वही राष्ट्रवाद इस देश को सही दिशा देगा। चाहे अटल जी कुर्सी पर बैठें या कोई और बैठे, लेकिन राष्ट्र आशा भरी निगाह से उनकी ओर देख रहा है। सभापति महोदय, आपकी नजर ऐसी पड़ रही है, मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।

हम माननीय अटल जी के बहुत आभारी हैं और इसलिए आभारी हैं कि हमारे राजस्थान की सरकार तो केन्द्र सरकार ही चला रही है। राजस्थान में पिछले तीन साल पहले तीन-चौथाई बहुमत से कांग्रेस का शासन आया और कांग्रेस के शासन के बाद कांग्रेसी मित्र भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस के मुख्य मंत्री तीन साल से लगातार खजाना खाली होने की रट लगा रहे हैं। वे इसके लिए आर्थिक प्रबंधन नहीं कर सके। वहीं तीन-चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। अब दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और अकाल की पता नहीं क्या दोस्ती है। जब तब भैरो सिंह जी

मुख्य मंत्री रहे, केवल एक बार अकाल पड़ा और कांग्रेस का जब से राज आया है तो तीन साल अकाल पड़ा और लगातार चौथे साल में भी अकाल पड़ रहा है। उस अकाल से अगर किसी ने बचाया है तो राष्ट्रीय आपदा कोष, फूड फार वर्क और अनेक विकास के कार्यक्रम लाकर केन्द्र की सरकार ने बचाया है। इसलिए मैं माननीय अटल जी को बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान में जितने भी विकास के काम चल रहे हैं, एक भी विकास का काम ऐसा नहीं है जो राजस्थान सरकार के क्रैडिट में जाए। राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह और भत्ते देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यहां की जितनी योजनाएं आई हैं, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हों चाहे प्रधान मंत्री सड़क योजना हो, चाहे सड़क विकास योजना हो, चाहे वाल्मीकि और गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना हो, चाहे स्वरोजगार की योजनाएं हों।

सभापति महोदय, ये सारी योजनाएं जो राजस्थान में चल रही हैं वे केन्द्र सरकार की बदौलत चल रही हैं। राजस्थान में जितने भी प्राधिकरणों में काम चल रहे हैं वे सारे के सारे केन्द्र सरकार के फंड से चल रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार और प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे केन्द्र सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को इसी प्रकार सहयोग देते रहें।

सभापति महोदय, इतना ही कहकर मैं अपनी मैडन स्पीच समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): सभापति महोदय, धन्यवाद। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मेरे मित्र डा. मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सभी सांसद चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, आतंकवाद रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित सभी कार्यवाही का समर्थन करते हैं। इसमें बिलकुल कोई दो मत नहीं हो सकते। हमारी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए देश की आन्तरिक सुरक्षा अति आवश्यक है।

जहां तक हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रश्न है, हम लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों के सभी रूपों, प्रकृति एवं विश्वास को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का समर्थन किया है। हम सरकार को बताना चाहेंगे कि उग्रवाद आतंकवाद और फासिज्म प्रजातंत्र के लिए अभिशाप हैं और राष्ट्र के लिए खतरा हैं। हम आतंकवाद और फासिज्म के बीच अंतर नहीं कर सकते क्योंकि फासिज्म भी हमारे देश के लिए समान रूप से घातक है। जब भारत सरकार ने यह चाहा कि सांसद इस्लामिक देशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल हों जो वहां जाकर उन देशों के प्रशासकों को हमारे रवैये से अवगत करा सकें तो हमारी पार्टी ने इसका समर्थन करने का निर्णय लिया, मैं स्वयं एक ऐसे प्रतिनिधिमंडल के साथ गया और इस्लामिक देशों के नेताओं से मिला चाहे वे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख जामेद-अल-नामधान हों यो दुबई के क्राउन प्रिन्स शेख मोहम्मद या कतार और ओमान के प्रशासक हों। हम लोगों ने अपने देश की स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, हमने कहा कि हमारा देश कुछ खास मूल्यों जैसे धर्म-निरपेक्षता पर आधारित है तथा हम लोग विविधता में देश की एकता बनाये हुए हैं तथा भारत अपने बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक और बहुजातिय गुणों को बनाये हुये हैं। यह सही भी है।

जब हम माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ते हैं जिसे सरकार ने तैयार किया है तो सभापति महोदय मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति जी ने जो भी कहा वह वास्तव में घटित नहीं हो रहा है। इससे हम लोगों को यही आभास मिल रहा है। जब हम लोग विदेशों में-इस्लामिक देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि भारत बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक देश है, लेकिन जब हम वापस आते हैं और गुजरात और अहमदाबाद की घटनाओं को देखते हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि सिद्धांतों का क्या अर्थ रह जाता है जिनकी वकालत हम अन्य देशों के समक्ष करते हैं। हम लोगों ने उन्हें अपने पड़ोसी की दुर्भावना पूर्ण योजना के बारे में बताया कि वह हमारे देश की छवि बिगाड़ना चाहता है और इसका कोई आधार नहीं है। हमें अपने देश इंडिया अर्थात् भारत पर गर्व है। जब हम लोग वापस आये और यहां की स्थिति को देखा तो पाया कि यह हमारे राष्ट्र के लिए बड़े शर्म की बात है।

नये सदस्य जिन्होंने अभी-अभी अपना भाषण दिया उन्होंने कुछ बहुत अच्छे मुद्दे उठाये, यदि उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर उनकी पार्टी भी वास्तव में विश्वास करती है तो यह काफी अच्छा होगा, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है कि ऐसा नहीं है।

माननीय राष्ट्रपति कहते हैं-

"मैं काफी संतोषप्रद रूप से यह कहना चाहता हूं कि यदि पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें, तो वर्ष 2001 में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं अपेक्षाकृत कम ही हुई है। तथापि सरकार साम्प्रदायिक अशांति भड़काने का प्रयास करने वालों पर लगातार कड़ी नजर रखेगी।"

अहमदाबाद में क्या यही सब हुआ? वहां निश्चित रूप से नरसंहार हुआ। गोधरा में अत्यंत क्रूर घटना घटी जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। लेकिन उस घटना के बाद आप कहां सतर्क थे? सभापति महोदय मैं गृह मंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप अहमदाबाद गया जब वहां कर्फ्यू लगा हुआ था। यह ठीक है कि श्री आडवाणी

[श्री ई. अहमद]

के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने ही सारा प्रबंध किया और मुझे वहां जाने को कहा। लेकिन वहां के मुख्य मंत्री मेरे वहां जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आडवाणी जी के प्रोत्साहन से मैं वहां 4 मार्च की रात को पहुंचा और काफी कठिनाई के बाद मुझे सुरक्षा उपलब्ध हो सकी। उसी रात मैंने अहमदाबाद के विभिन्न भागों का दौरा किया। दूसरे दिन भी मैंने न केवल एक कैम्प का ही बल्कि बापू नगर, सुंदर नगर, आनन्द चौक आदि का भी दौरा किया, मैं सभी स्थानों पर गया। मैंने वहां पर 25000 से ज्यादा दंगा के शिकार लोगों को देखा, मुझे यह सब देखकर शर्म आयी, यदि मैं इसे पाश्विक और क्रूर कहूं तो जंगली जानवर भी इसका विरोध करेंगे और यदि मैं वहां पर तो कुछ हुआ उसे राक्षसी कहूं जो कुछ भी वहां घटा तो दैत्य भी इसका विरोध करेंगे।

यह सब वहां हुआ है। मैं इसका ब्यौरा नहीं दे सकता कि वहां क्या हुआ है। लेकिन यदि ऐसी घटनाएं घट रही है, तो सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वहां किस तरह की सरकार है। महोदय, मुझे मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ भेंट करने में काफी कठिनाई हुई। महोदय, लगभग 40 वर्ष के अपने राजनीतिक जीवन में, मैने ऐसे अनेक स्थानों का दौरा किया है जहां साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। 1998 में मैं अहमदाबाद गया था। जब संजेली में 10,000 लोगों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हजारों गोलियां चलायी गयी, उस समय मैं वहां गया था। मैं नंनदपेडा, रंधीकपुर और डांग जिलों में भी गया था। जब राजस्थान में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे तो मैं वहां भी गया था। श्री शेखावत जी वहां के मुख्यमंत्री थे। वे कितने शालीन और अच्छे हैं। जब 1984 में भिवंडी में संकट पैदा हो गया था, तो उस समय मैंने दंगाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। मैंने श्री वसन्त दादा पाटील से भेंट की। निसंदेह वह मित भाषी थे। उन्होंने मेरे साथ शिष्टतापूर्ण आचरण किया और मेरी बातें सुनी और हर प्रकार की उचित कार्यवाही की। 1997 में जिस समय कोयम्बटूर हिंसा की आग में जल रहा था, तब मैं इस वर्ष के अंतिम दिनों में वहां जाने वाला पहला व्यक्ति था। उस समय श्री करूणानिधि मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तीन मंत्रियों को भेजा और मैंने उनके साथ मामले पर चर्चा की। बाद में जब मैं श्री करूणानिधि से मिलने गया, तब वह रोने जैसी मुद्रा में थे। उन्होंने मेरे अभ्यावेदन पर तमाम उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए। हाल में गत माह जब कर्नाटक में कुर्ग क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो गया था, तो मैं वहां भी गया था।

मुझे देखने पर श्री कृष्णा ने यह कहा कि उन्होंने अन्तरिम मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। जब मुरादाबाद हिंसा की आग में जल रहा था, तब क्या हुआ? 1980 में मैं मुरादाबाद गया था। अगले दिन मैंने तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से भेंट की। मैंने उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछा कि जब आपके होते हुए देश में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा हो रहा है तब आपके बिना भारत में उनकी क्या स्थिति होगी। उन्होंने मुझे तत्कालीन गृह मंत्री श्री जैल सिंह के पास भेजा और गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वी.पी. सिंह से बात की। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि जो कुछ भी उचित होगा, वह किया जाएगा। लेकिन जब मैंने गुजरात के मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से बात की और उन्हें पीड़ितों की दर्दनाक स्थिति के बारे में बताया तब मैंने यह देखा कि वह काफी असंवेदनशील है और मैंने उन्हें यह भी बताया कि पीड़ितों को कोई राहत सामग्री नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें "मेरा चावल, आटा और घी" मिल रहा है। वह कौन होते हैं? क्या वह राजा है? वह झूठ बोल रहे थे। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि वह एकदम झूठ बोल रहे थे। महोदय, यही एक ऐसा स्थान है जहां मैं माननीय सदस्यों को विश्वास में ले सकता हूं। मैंने उनको बताया कि मैं सिविल लाइन अस्पताल में गया था जहां डा. चड्डा ने मुझे यह बताया है कि वहां 126 शव पड़े हैं।

सभापति महोदयः कृपया संक्षेप में बात करें।

श्री ई. अहमदः महोदय, कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। यह भी मत का दूसरा रूप है।

सभापति महोदयः एक सीमा भी होती है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): ई. अहमद जी वहां पर हर तरह की सुविधा दी गई है।

श्री ई. अहमदः कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने उनको बताया कि वहां 126 शव रखे हैं और केवल 24 शवों की शिनाख्त हो पायी है।

तब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे विचार से वह सभी शव मुसलमानों के हैं। तब मैंने कहा, "मुख्यमंत्री महोदय, मैं मुसलमानों अथवा हिन्दुओं की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल शवों के बारे में ही बात कर रहा हूं।" वह यह कह कर मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थे कि वह कार्यवाही कर रहे हैं। जब मैंने राहत कार्यों के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वह ऐसा करेंगे। लेकिन मैं यह कहूंगा कि मैंने केवल चार शिविरों का दौरा किया और प्रत्येक शिविर में लगभग चार से पांच हजार लोग रह रहे थे। उनके पास सोने के लिए गद्दे तक नहीं थे सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। सफाई की हालत काफी खराब थी मुझे भय है कि वहां किसी भी समय महामारी फैल सकती है। क्या ये सारी

सुविधाएं देना सरकार का कर्त्तव्य नहीं है? यहां तक कि इस देश के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें इस देश के गृह मंत्री की अनुमति चाहिए। इस सबके पश्चात् मुख्य मंत्री को यह कहने। मौलिक शिष्टाचार का परिचय तो देना ही चाहिए कि वह मामले को देखेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वह तो अपने दल के प्रचारक की भांति आचरण कर रहे थे न कि मुख्य मंत्री की भांति। उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लोकतन्त्र के हित में और इस देश की लोकतान्त्रिक परम्पराओं के सम्मान में गुजरात के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है।

सभापति महोदय, हमारे राष्ट्रपति जी ने सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के लोगों से अपील की है कि वे हमारे बहुधर्मी समाज में शान्ति और सौहार्द के सुदृढ़ीकरण के लिए यथासंभव सभी प्रकार के प्रयास करें और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करें। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने यह सभी अच्छी बाते कहीं है लेकिन किसने इसकी अवहेलना की है। किसने इसको नकारा है? ऐसा गुजरात की वर्तमान सरकार ने किया है। उन्होंने ऐसा किया है।

आपने केवल सिम्मी जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। मैं किसी राष्ट्रविरोधी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं उनकी विचारधारा का समर्थन भी नहीं करता हूं। लेकिन आपको दोहरे मानदंड नहीं अपनाने चाहिएं। सरकार ने सिम्मी के खिलाफ तो कार्यवाही की है लेकिन बजरंग दल के विरुद्ध क्या किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा बुनियादी सिद्धांत है जिस पर बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद कार्य कर रहे हैं। क्या यह सिद्धान्त सिम्मी के सिद्धान्त से भिन्न है? एक तरफ तो सिम्मी है और दूसरी तरफ बजरंग दल है। लेकिन आपने केवल सिम्मी पर ही प्रतिबंध लगाया है और बजरंग दल हर स्थान पर मौजूद है। यह सब हो रहा है। यहां एक नये माननीय सदस्य की टिप्पणी मुझे याद आ रही है। उन्होंने उल्लेख किया था कि यह घृणा का प्रचार किया जा रहा है। अत: इस घृणा अभियोग को रोका जाना चाहिये...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हम केवल अयोध्या मामले अथवा गुजरात के मामले पर ही चर्चा नहीं कर रहे हैं। अन्य मामलों पर भी चर्चा होनी है। आप उन्हीं मामलों को बार-बार उठा रहे हैं। मुझे खेद है। कृपया धन्यवाद प्रस्ताव पर आये।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: मैं आपसे यह पूछता हूं कि यदि आई.एस.आई. ही यहां कुछ अपराध करा रही है, तो क्या आपको अपने भारतीयों को मारना चाहिए?...*(व्यवधान)* आप आई.एस.आई. के खिलाफ कार्यवाही कीजिए। यदि वहां दंगा फैलाने में आई.एस.आई. का हाथ पाया जाता है तो हम आई.एस.आई. के खिलाफ कार्यवाही करने में आपके रास्ते में नहीं आएंगे। लेकिन आपके द्वारा अपने भारतीय नागरिकों को मारना कहां तक न्यायोचित है? ये लोग निर्दोष मुस्लमानों की हत्या क्यों कर रहे हैं? वे अपने भारतीय नागरिकों को क्यों मार रहे हैं? आप आई.एस.आई. के खिलाफ कार्यवाही कीजिए। यह सरकार का कर्त्तव्य है। हम इसका विरोध नहीं करते। इस कार्यवाही में हम आपका समर्थन करेंगे। यदि आप आई.एस.आई. के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते, तो यह हमारे पक्ष पर नहीं बल्कि आपके पक्ष पर कर्त्तव्य की अवहेलना होगी। अत: मैं यह कहूंगा कि यह सभी दोहरे मानक हैं। अयोध्या में क्या हुआ? माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा है:

> "सरकार का यह सुदृढ़ मत है कि इस विवाद को या तो सभी संबंधित दलों के बीच आपसी समझौते से अथवा न्यायपालिका के निर्णय के जरिए हल किया जा सकता है।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि अनेक दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है, आपसी राय यह है कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, वह स्थान मुस्लिम समुदाय का था। इसे उन्हें सौंप दीजिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हमें न्यायपालिका के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सभ्य देश में लोगों को न्यायपालिका के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होती है। लेकिन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा है:

> "इस विवाद का हल खोजने के लिए कैबिनेट सचिवालय में हाल में एक अयोध्या प्रकोष्ठ सृजित किया गया है। चूंकि भारत सरकार सांविधिक रिसीवर है, इसलिए अयोध्या में विवादित स्थल पर यथा-स्थिति बनाए रखना भारत सरकार का कर्त्तव्य बनता है।"

माननीय प्रधान मंत्री ने यह उल्लेख किया है। हमें अपने प्रधान मंत्री पर भरोसा है। उन्हें एक ऐसे द्वार की तरह कार्य करना चाहिए जिसे कोई भी जा कर खटखटा सके। हम भी इसी में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि यदि महान्यायवादी ने यह कहा है कि पूजा की जा सकती है क्या यह उन्होंने अपनी ओर से कहा है तब आप उन्हें किस प्रकार से पद पर बने रहने देंगे? जब वह सरकार की ओर से कहते हैं, तो यह सरकार का मत है जिसे वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अहमद, हम इस मुद्दे पर सभा में चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस मुद्दे पर अपना समय क्यों गंवा रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री. ई. अहमद: सरकार यह कहती है कि भारत एक बहुधर्मी देश है। इस देश को 15 करोड़ मुसलमानों के बिना बहुधर्मी राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जब हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के पास जाते हैं और हम यह कहते हैं कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हिन्दू, मुसलमान, ईसाई तथा अन्य धर्मावली इस देश में रहते हैं, तो हम यह कह कर शेखी मारते हैं कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा देश एक बहुधर्मी देश है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने पन्द्रह मिनट से भी अधिक समय ले लिया है।

श्री ई. अहमद: इसलिये मैं यह कहता हूं कि इस सरकार जो कहती है उस पर अमल करना चाहिए। हम इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकते कि इस देश की सभ्यता का आधार अनेकता में एकता है। इसलिए, इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे गुजरात के मुख्य मंत्री को राहत कार्य करने का निर्देश दें। पचास हजार लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पचास हजार लोग भूखे मर रहे हैं और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है और केवल वही उनके पास है जो लोगों ने उन्हें दिया है। यह आपराधिक अवहेलना, क्रूरता और लापरवाही है। यह है भारत। मुझे यह कहते हुए काफी खेद हो रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूं कि यह सरकार अहमदाबाद में हिंसा के शिकार हुए 50,000 लोगों जो अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, के साथ न्याय करेगी, गुजरात के माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने ही लोगों के प्रति न्याय करें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं अपने दल की ओर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के अंतिम पैराग्राफ से आरंभ करता हूं।...*(व्यवधान)* मेरी आदत है। आप जानते हैं कि मेरा नाम दो भाषाओं का मिश्रण है। यह संस्कृत नाम है और उसमें उर्दू या फारसी का उपनाम है। भर्तृहरि संस्कृत का नाम है और महताब उर्दू का उपनाम है और इस शब्द के सही मायने में, मैं समझता हूं कि सदस्य समझेंगे कि मेरा नाम एक भारतीय के वास्तविक धर्मनिरपेक्ष चरित्र का द्योतक है।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण के अंतिम पैराग्राफ में कहा है कि इस बजट सत्र को हमारे लोग जिनकी आशाओं और आकांक्षाओं का हम सब प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ी उत्सुकता से देखेंगे।

मैं समझता हूं कि काफी लंबे समय के बाद काफी स्थगनों और शोर-शराबे के बाद उनके भाषण पर चर्चा कर रहे हैं, हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए। एक सप्ताह या इतने ही कुछ समय के बाद लोग हमें किस नजर से देख रहे हैं? हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों और गृह राज्यों में जाएंगे। पिछले दो या तीन सप्ताहों में हमने इस सदन में कैसा व्यवहार किया। हमने उन लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को कैसे प्रकट या मुखरित किया जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं? जिस संस्था से हमारा संबंध है जिसमें हम अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें हमने कितना विश्वास दिखाया है? माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंत में भारत की संसद के 'बहुमूल्य समय' के बारे में उल्लेख किया है। क्या इस समय का सदुपयोग किया गया है? इस प्रश्न पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या हमने इस 'बहुमूल्य समय' का सदुपयोग निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए किया है? जैसा कि हमने पिछले कई दिनों से देखा हैं कि प्रश्न काल में एक नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई जा रही है। सभा की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? मैं स्वयं से यह प्रश्न पूछता हूं। पिछले दो तीन सप्ताह में इस माननीय सदन में जो कुछ किया गया और जो कुछ घटित हुआ मैं उसका मूक दर्शक रहा हूं। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो इस सभा से बाहर हैं।

हमने लगभग एक घंटे से अधिक समय तक माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुना जिसमें 76 पैराग्राफ हैं। हमने उनका बहुमूल्य भाषण सुना। क्या हमने सही मायने में उनके शब्दों पर आचरण किया? इसीलिए मैंने अपना भाषण माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंतिम पैराग्राफ से शुरू किया जिसमें उन्होंने हमें यह स्मरण कराया है कि हमें अपने पद और समय का उपयोग उस प्रयोजन के लिए करना चाहिए जिसके लिए हम निर्वाचित हुए हैं। इसका कारण यह है कि दो सप्ताह बाद या दो महीने के बाद जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस जाएंगे तो लोग हम पर अंगुली नहीं उठाएंगे और हमसे यह नहीं पूछेंगे कि आपने बजट सत्र के दौरान क्या किया। मैंने दो महीने इसलिए कहा क्योंकि तब तक बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। अन्यथा मेरा आशय कुछ और नहीं था। तथापि मैं अन्य बातों को आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप उनकी कैसे व्याख्या करते हैं। यह एक पुरानी कहावत है कि जब किसी की तरफ अंगुली उठाई जाती है तो अन्य तीन अंगुलियां स्वयं की तरफ उठती हैं। हमें अपनी स्थिति समझनी चाहिए। हम केवल तभी समय और इस सभा का उपयोग अपने देशवासियों की भलाई के लिए कर सकते हैं। एक नए सदस्य ने यहां पर अपनी राय प्रकट की। यद्यपि वह राजनीति तथा सार्वजनिक जीवन में नए नहीं हैं। उनके प्रथम भाषण के बीच में मुझे नहीं बोलना चाहिए था।

लेकिन हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्य के रूप में सभा के इस ओर बैठे हैं। मैं विनम्रता के साथ यह विचार व्यक्त करना चाहता हूं। क्षेत्रीय दल भी उतने ही राष्ट्रवादी हैं जितने कि राष्ट्रीय दल। जिस क्षण आप यह कहते हैं कि केवल राष्ट्रीय दल ही राष्ट्र के ताने-बाने को सुरक्षित रख सकते हैं तो उस समय आप क्षेत्रीय दलों पर आक्षेप करते हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप आक्षेप कर रहे हैं। मैं कम्यूनिस्ट पार्टी (सी.पी.एम.) का नाम नहीं लूंगा जो केवल तीन राज्यों में सीमित है। क्या हमें इसे एक क्षेत्रीय दल कहना चाहिए?...*(व्यवधान)* मैं केवल एक उदाहरण उद्धृत कर रहा हूं। क्या हमें इसे एक क्षेत्रीय दल कहना चाहिए? क्या हमें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को एक क्षेत्रीय दल कहना चाहिए? क्या हमें अन्ना द्रमुक को एक क्षेत्रीय दल कहना चाहिए? या क्या हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एक समय में केवल तीन या चार राज्यों तक सीमित थी, को क्षेत्रीय दल कहना चाहिए? निर्वाचन आयोग जो क्षेत्रीय दलों को परिभाषित करता है, के अनुसार क्षेत्रीय दलों की परिभाषा स्पष्ट है।

मुझे प्रसन्नता है कि पिछले बारह सालों के दौरान स्थिति में परिवर्तन हुआ है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। 1989 के चुनावों के बाद से इसमें परिवर्तन हुआ है। लोगों का तथाकथित राष्ट्रीय दलों में विश्वास नहीं है। यदि उनका राष्ट्रीय दलों में विश्वास होता तो राष्ट्रीय दल सत्ता में होते। भारतीय जनता पार्टी ने अकालियों और यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस का समर्थन नहीं मांगा होता। मैं केवल तुलना कर रहा हूं। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का पहला सहयोगी दल था। वास्तव में अकाली दल एक क्षेत्रीय दल है। इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस भी है। इसी बीच समता पार्टी, बीजू जनता दल, डी.एम.के. और ए.आई.ए.डी.एम.के. और बहुत से अन्य दल भी ऊभर कर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले क्षेत्रीय दलों की क्षमता को समझा है। कांग्रेस ने आरंभ में इसको स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस दल ने धीरे-धीरे अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है और अब वह क्षेत्रीय दलों को स्वीकार कर रही है। यह अन्य क्षेत्रीय दलों को भी अपने साथ ले रही है। अब स्थिति बदल गई है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी द्वारा 1999 में दिए गए अभिभाषण में इसे पर्याप्त रूप से व्यक्त किया गया है। मुझे अब उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं अभिभाषण पर आता हूं। अनेक माननीय सदस्यों ने आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवाद पर अपने विचार रखे। मैं इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखूंगा यद्यपि यह कोई नया दृष्टिकोण नहीं है। पूरे विश्व में आतकंवाद का कारण गरीबी, अवसर से वंचित होना और उपेक्षा है। इन्ही तीन पहलुओं के कारण विश्व के विभिन्न भागों में आतंकवाद पनपा है। हमारी सरकार अर्थात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार जम्मू और कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक इस समस्या से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इस सरकार का एक सुनिश्चित कार्यक्रम है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी यह उल्लेख किया गया है कि हम उस हर आतंकवादी समूह से चर्चा के लिए तैयार हैं जो हमसे चर्चा करने के इच्छुक हैं और जो आतंकवाद का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार है। अतः पिछले दो दशकों से राष्ट्र जम्मू और कश्मीर में हिंसा का सामना कर रहा है। केवल जम्मू और कश्मीर विधान सभा पर ही हमला नहीं किया गया है बल्कि 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय लोकतंत्र के मंदिर, संसद भवन पर भी हमला किया गया है।

देश के प्रधान सेनापति और प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी ने इस घटना का अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है और उससे आतंकवाद से अंत तक लड़ने के इस सरकार के संकल्प का पर्याप्त रूप से पता चलता है। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि बहुत हो चुका है और मुझे विश्वास है कि पिछले कई सप्ताहों से हमारी सरकार आतंकवाद से लड़ने का प्रयास करती रही है। इससे पहले हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में स्वयं को असहाय पा रहे थे लेकिन अब ऐसी बात नहीं है।

विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था कि आपने सीमा पर सेना क्यों तैनात की है? मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर अन्यत्र चर्चा हो चुकी है यद्यपि यह चर्चा से सभा में अभी नहीं हुई है। हमारे सशस्त्र बलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिमी सीमा पर क्यों तैनात किया गया है? इससे हमें क्या हासिल हुआ है? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या मिला है? मैं समझता हूं कि इस सभा के माननीय सदस्य श्री अनादि साहू के पास गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि पिछले ढाई महीने में पश्चिमी सीमा पर हमारी क्या उपलब्धि रही है। हमें जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण व्यवहारिक होना चाहिए। हमें यह पता करना चाहिए कि सशस्त्र बलों की सीमा पर तैनाती से पहले क्या हो रहा था। पाकिस्तान ने उस समय अफगानिस्तान सीमा से अपनी सेनाओं को वापिस क्यों बुलाया और उन्हें भारत की सीमा पर क्यों तैनात किया जबकि अमेरिका अफगानिस्तान को घेरे हुए था और तालिबानी सैनिक पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे? सेना की सीमा पर तैनाती से हमें क्या हासिल हुआ है? अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के कारण हम सीमा पर नहीं कर सके। लेकिन हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को तैनात कर सकते हैं और उनकी तैनाती से हमें क्या हासिल हुआ है? यदि कोई इन आंकड़ों को जानने के लिए वास्तव में गंभीर है, तो वह इस रिपोर्ट से प्राप्त कर सकता है।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को प्रोत्साहन क्यों कर रहा है? हमारे देश में लोगों द्वारा

[श्री भर्तृहरि महताब]

और देश से बाहर भी जिस मूल प्रश्न पर चर्चा हो रही है वह यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? इसका एक लम्बा इतिहास है। यद्यपि मैं इतिहास का छात्र नहीं रहा हूं लेकिन थोड़ा-बहुत मैं जो जानता हूं वह यह है कि हमने दो राष्ट्र के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है। हमने बंटवारा स्वीकार किया है। इन दोनों बातों के बीच अन्तर है। कृपया इन्हें मिलाइए मत। कांग्रेसी सदस्य जानते हैं कि यह कैसे हुआ है। पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरकार पटेल, डा. राजेन्द्र प्रसाद और अन्य नेताओं ने विभाजन क्यों स्वीकार किया? किस तरह से 9 करोड़ लोग यहीं रह गए और उन्होंने दो राष्ट्र के सिद्धान्त को उचित जवाब दिया और हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को समृद्ध किया? जम्मू और कश्मीर हमारे साथ कैसे रह गया? क्या ऐसा महाराजा हरि सिंह के कारण हुआ? या शेख अब्दुल्ला ने एक बड़ी भूमिका निभाई? जब मैं यह कहता हूं कि यह देश धर्मनिरपेक्ष क्यों है तो इन सब बातों को याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के बन जाने से भारत केवल हिन्दुओं का देश बन गया है। ऐसी बात नहीं है। धर्मनिर्पेक्षवाद को अपनाकर हमने अपने देश को समृद्ध किया है और पिछले 55 वर्षों में इसको बचाने के लिए हम सब ने जो प्रयास किए हैं उनसे हमारे देश का धर्मनिर्पेक्ष स्वरूप और समृद्ध हुआ है। हमारे दल का विश्वास है कि व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। संविधान में भी यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति भी अज्ञेयवादी हो सकता है।

लेकिन राज्य को सदैव धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए और धार्मिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के केवल तीन पहलुओं तक ही सीमित रहूंगा।

दूसरा अंतिम पहलू खाद्य सुरक्षा का है जिस पर माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्रकाश डाला है। पैरा 56 जनजातीय कार्यों से संबंधित है जिसमें राष्ट्रपति जी ने एक घोषणा की है। मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए नहीं किया है कि जनजातीय कार्य मंत्री हमारे राज्य उड़ीसा से हैं। वह पूरे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं लेकिन इसका हमारे राज्य से संबंध है। जहां तक खाद्य सुरक्षा का संबंध है, 1980 के दशक में अनेक सदस्यों ने यह मुद्दा इस सभा में ठठाया था और उड़ीसा के बारे में जब भी कोई चर्चा हुई है वह चर्चा भोजन, भूख, भूख से होने वाली मौतों और कालाहांडी के बारे में हुई है। ये चार पहलू थे जिन पर इस सभा में बार-बार चर्चा हुई है और तत्कालीन प्रधान मंत्री ने और वर्तमान विपक्ष की नेता ने राज्य के उन क्षेत्रों का दौरा किया था जहां भोजन के लिए बच्चों को बेचा गया, जहां भूख से लोगों की जानें गई और जहां से भुखमरी के कारण बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का उत्प्रवास हुआ था। सन् 1980 के दशक में ऐसी स्थिति थी। सन् 1960 के दशक के मध्य में कालाहांडी और बोलंगीर के बहुत बड़े भाग में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

श्री बीजू पटनायक 1990 की शुरूआत में उड़ीसा के मुख्य मंत्री बने। उन्होंने एक नई योजना का आरंभ की। उन्होंने एक ऐसी नीति की शुरूआत की जिसमें प्रत्येक पंचायत के सरपंच को उस परिवार को जो साधनहीन है, मुफ्त भोजन मुहैया कराने का अधिकार है।

यह नीति 1995 तक चली, परंतु 1995 में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद, इस नीति को वापस ले लिया गया जिससे पुनः भूख से मौतें, स्थानांतरण और बच्चों की बिक्री शुरू हो गई। मुझे सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्तमान बीजेडी-बीजेपी सरकार जिसका नेतृत्व श्री नवीन पटनायक कर रहे है उन्होंने अब इस नीति को पुनः कार्यान्वित किया है।

सभापति महोदय: श्री भर्तृहरि महताब, मैं अब अगले सदस्य को बोलने के लिए बुला रहा हूं। कृपया मुझसे सहयोग कीजिए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा।

मुझे खुशी है कि माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि देश के 1,14,000 आदिवासियों को खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए अनाज बैंक योजना की स्थापना की जाएगी, और जिससे उड़ीसा को इस योजना का काफी अधिक लाभ मिलेगा।

पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कहने के लिए मेरे पास अन्य मुद्दे भी हैं, परंतु मैं श्री पांडियन जी के उठाए गए मुद्दे पर बोलते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। उन्होंने राज्य सभा के चुनाव के बारे में कुछ कहा था, परंतु मेरे इस पर भिन्न विचार है। मैं मानता हूं कि जब से दल-बदल रोधी अधिनियम लागू हुआ है, सभा के अंदर हमारी सारी गतिविधियां हमारे अपने दल द्वारा निर्धारित होती है इसलिए मैं राज्य सभा के चुनाव के लिए खुला मतदान प्रणाली का समर्थन करता हूं, परंतु मैं उस अन्य पहलू का विरोध करता हूं जो हमारे संविधान के संघीय स्वरूप में बाधा उत्पन्न करता हो। कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से चुना जा सकता है, जो कि लोक सभा की निर्वाचन प्रक्रिया की पुनरावृत्ति

है। अत: यह अनावश्यक है। यह संविधान में की गई प्रतिबद्धता के विपरीत है। मेरे विचार से सरकार को इस स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और इस पहलू के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए।

भारत के पशुधन के बारे में भी उल्लेख किया गया है। मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि सरकार ने इस संबंध में निर्णय दसवें दशक के दौरान लिया था।

सभापति महोदय: श्री महताब, यह अति हो रही है। आपने पहले ही 25 मिनट से अधिक समय ले लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं अपनी आखिरी बात कह रहा हूं मैं केवल 2 मिनट लूंगा।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: अन्य देशों को मांस के निर्यात में प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मांस के निर्यात को निरूत्साहित करना चाहिए। इसे कोई प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय: अब, श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर बोलेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने अन्य सदस्य को बोलने के लिए बुलाया है। कृपया अपनी बात अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री भर्तृहरि महताब: अंत में मैं हमारे माननीय सदस्य, डा. मल्होत्रा द्वारा माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: श्री अम्बेडकर यहां उपस्थित नहीं है, अब श्री रनेन बर्मन बोलेंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***श्री रनेन बर्मन** (बलूरघाट): मैं अपनी मातृभाषा बंगला में बोलना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल आरएसपी की ओर से यहां माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीति संबंधी बातें कही जाती हैं। हमारे माननीय राष्ट्रपति का सम्मान करते हुए, मैं उनके अभिभाषण में परिलक्षित इस सरकार की नीति का विरोध करता हूं। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों संबंधी नीति का यहां उल्लेख किया है। परंतु मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि सरकार हर क्षेत्र में बुरी तरह असफल हुई है।

देश में बेरोजगारी की समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। सरकार बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराने में असफल रही है। वास्तव में सरकार के पास बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कोई सही सुविचारित योजना नहीं है। उदारीकरण के कारण बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी। बेरोजगार लोगों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। नौकरियों की कमी के कारण पढ़े-लिखे युवा बहुत अधिक मानसिक दबाव में हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे नशीले पदार्थों के सेवन, हिंसा और अन्य तनाव से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि सरकार को रोजगार के सृजन के लिए एक सुविचारित नीति बनानी चाहिए।

कृषि के संबंध में मुझे यह करते हुए खेद हो रहा कि सरकार यहां भी बुरी तरह असफल रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग गांवों में बसता है। देश की यह ग्रामीण जनता कृषि पर निर्भर है! परंतु यह खेद की बात है कि सरकार के पास कृषि की रक्षा के लिए कोई सुविचारित योजना नहीं है। सरकार को पता होना चाहिए कि कृषकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए, कृषकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के पास कृषि के लिए कोई सोची समझी नीति नहीं है और गरीब किसान हमेशा सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। वे कृषि कार्यों में अपनी रुचि खो रहे हैं। यदि देश को बचाना है, लोगों को बचाना है, तो किसानों को बचाना होगा क्योंकि वे देश के लिए अन्न उगाते हैं। इसलिए, कृषि नीति को तत्काल बनाने की आवश्यकता है। हम जानते है कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में किसान निराशा के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। फिर भी सरकार किसानों के दु:ख दूर करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। यह वास्तव में सरकार के लिए शर्म की बात है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए, फसलों के लिए उर्वरक चाहिए। उर्वरकों की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता मिलनी चाहिए।

सरकार को शिक्षा के क्षेत्र पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। गरीबों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए।

*मूलत: बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री रनेन बर्मन]

गरीबों को उच्च शिक्षा का कोई अवसर नहीं मिलता। यहां भी सरकार को एक नीति बनानी चाहिए ताकि सामान्य और गरीब लोग उच्च शिक्षा से वंचित न रहें।

सरकार आतंकवाद पर काबू पाने के लिए भी असफल रही है। इसलिए आतंकवाद सभी ओर अपना सिर उठा रहा है। सरकार को आतंकवाद रोकने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देने के बाद मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

रात्रि 8.00 बजे

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: सभापति महोदय, बी.ए.सी. में 8 बजे तक का निर्णय हुआ था। भाषण जारी रखने के लिये हाउस के सामने अनुमति के लिये रखा जाये।

सभापति महोदय: यदि अनुमति नहीं ली गई है तो मैं चाहूंगा कि जब तक दी गई लिस्ट में बोलने वालों के भाषण नहीं हो जाते या एक घंटे के लिये सदन का समय 9 बजे तक बढ़ाया जाता है। क्योंकि बोलने वाले काफी हैं।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): मैं 10-15 मिनट से अधिक नहीं बोलूंगा। मैं निश्चित रूप से 40-50 मिनट बोल सकता हूं जैसा कि मैंने दो वर्ष पूर्व राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को औपचारिक रूप से समर्थन करते हुए बोला था और यह संयोग की बात है कि उस समय भी आप सभापति के आसन पर थे।

सभापति महोदय: आपके दल का समय 12 मिनट है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मैं 12 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय, सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मैं मेरे मित्र डा. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तावित और श्री गीते द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक प्रकार से सरकार के कार्यनिष्पादन की मध्यावधि समीक्षा है क्योंकि हम इस सभा के मध्य-कार्यकाल तक पहुंच गये है और साथ ही इस भाषण में कुछ मुख्य संकेत, भविष्य के लिए कुछ योजनाएं है, और जहां सरकार की नीति किस दिशा में जा सकती है इसका उल्लेख है और उस दिशा के संबंध में भी उल्लेख है का जहां वर्तमान सरकार देश को ले जाना चाहती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण का आरंभ आतंकवाद के खिलाफ संपूर्ण युद्ध की सही घोषणा के साथ हुआ। इसकी हमने बहुत भारी कीमत चुकायी है। और सबसे हाल की कीमत जो हमने चुकायी है वह सीमा पार से प्रायोजित आतंकवादी घटना जो गोधरा में शुरू हुई, जिसे पूर्ण रूप से देश में साम्प्रदायिक गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तानी एजेन्सियों ने बढ़ावा दिया और वे इसमें कामयाब भी हुए।

मैं यहां तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग अपनी आवाज तभी उठाते हैं जब अल्पसंख्यकों के साथ कुछ घटना घटती है परंतु बहुसंख्यकों के साथ कुछ होता है तो वे चुप्पी साध लेते हैं। इससे काफी समस्याएं पैदा होती है। स्वाभाविक है कि प्रतिक्रियाएं हुई है, परंतु गुजरात सरकार ने जो भी किया मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, गुजरात सरकार ने कुछ कार्रवाई करने की बजाय उसे अनदेखा करने की कार्रवाई की। उन्होंने ऐसी खतरनाक परिस्थिति का निर्माण किया जिसका समर्थन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता।

विपक्ष की नेता, श्रीमती सोनिया गांधी ने या उनके सहयोगियों ने जो कुछ भी गुजरात में देखा उसका दिलदहलाने वाला विवरण दिया है। हम इस सभा के भूतपूर्व सदस्य की जलाकर मारने वाली भयंकर घटना को नहीं भूल सकते। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक वह पुलिस, प्रशासनिक प्राधिकारियों को टेलिफोन करते रहे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगभग 10.30 बजे आए परंतु जल्दी ही वापस चले गये।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह सोचकर बहुत अजीब लगा कि अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ने वक्तव्य में कहा कि आप पुलिस को सामाजिक परिवेश से बाहर होने की आशा नहीं कर सकते। वह पुलिस आयुक्त अभी भी पदासीन है। यह एक कलंक है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई कार्यवाही हो बल्कि कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई यहां तो गल्तियां ही गल्तियां हैं। गोधरा कांड के बाद गुजरात सरकार प्रशासन, जिलाधीश और पुलिस बलों को चेताने में बुरी तरह असफल रही है जिससे वहां ऐसे मामलों में पर्याप्त रूप से तेजी आई। यह सब गैर-सामाजिक तत्वों के हाथ में दे दिया गया था। इससे हमने पिछले एक साल में बनाई अंतर्राष्ट्रीय साख एक ही झटके में खो दी है। इससे काफी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हम अपनी साख खो चुके हैं। जो भी हुआ है, उसके लिए गुजरात सरकार जिम्मेदार है।

मगर पाकिस्तान को अपने उद्देश्यों में सफलता मिली है और हमें इन चीजों के प्रति बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता पर मैं आम तौर पर अपने मित्रों को यही कहता हूं कि वे जो भी करें उसका दोष वे बहुसंख्यक वर्ग को ही क्यों देते हैं।

'हिन्दू' शब्द किसी भी हिन्दू ग्रंथ में कहीं नहीं मिलता। मैं इसकी शर्त लगा सकता हूं। किन्तु 'हिन्दुत्व' में धर्मनिरपेक्षता मिलती है। 'गीता' और 'उपनिषदों' में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख हैं। मैं 'गीता' को उद्धृत करूंगा कोई मुझे किसी भी तरीके से पूज सकता है। मैं उसकी अर्चना स्वीकार करता हूं.

''ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्,

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः''

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): आप जो जातिवाद का समर्थन करते हैं?

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मैं जातिवाद का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। उपनिषदों में जातिवाद नहीं मिलता। बुद्ध ने अपना दर्शन पूरी तरह उपनिषदों से ग्रहण किया। उपनिषद् कहते हैं: ''जिस प्रकार वर्षा का पानी चोटी पर गिर, विभिन्न दिशाओं में बह जाता है। उसी प्रकार एक ब्राह्मण विभिन्न मानवीय रूप धारण कर लेता है।'' यह जातिवाद का समर्थन नहीं करता। जातिवाद मनु की देन है जो कोई प्रख्यात नाम नहीं है। जातिवाद उपनिषदों का भाग नहीं है...*(व्यवधान)*

जातिवाद और नारी के स्वतंत्रता हनन के लिए मैं मनु का विरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डा. नीतिश सेनगुप्ता, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: माफ कीजिएगा, महोदय,

भगवान कृष्ण ने कहा है कि ''आप मेरी अर्चना किसी भी प्रकार से करें, मैं उसे स्वीकार करता हूं।'' आप भले ही कोई भी रास्ता चुने किंतु अंततः सभी मुझमें समाहित होते हैं। आपको इससे बढ़कर धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण नहीं मिल सकता।

मुझे, उपनिषदों के प्रकांड पंडित स्वामी विवेकानन्द की कुछ बातें याद आती हैं। वे कहते हैं: ''यदि कोई केवल अपने धर्म को बनाए रखने और दूसरों के धर्म के विनाश का स्वप्न देखता है, तो मुझे उस पर दिल से दया आती है।'' यदि आप इसाई परिवार में पैदा हुए हैं तो आप एक अच्छे इसाई बनिए, यदि आप मुसलमान परिवार में पैदा हुए हैं तो एक अच्छे मुसलमान बनिए और यदि आपने हिन्दू परिवार में जन्म लिया है तो एक अच्छे हिन्दू बनिए। इनमें कोई अंतर नहीं है। इन सभी का एक ही लक्ष्य है। महोदय, धर्म निरपेक्षता के पीछे यही मूल सिद्धांत निहित है। इसलिए, जब हम कभी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हिंदूओं से निपटते देखते हैं, मेरे ख्याल से 'हिन्दुओं का एक वर्ग अतिवादी वर्ग का समर्थक है।' अब इससे बचा जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता हमारे सरकार का ही एक भाग है। यह हमारी सभ्यता का एक भाग है। हम सब इसके साथ हैं। हमें अवश्य इसका समर्थन करना चाहिए। जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का हमसे संबंध है, मैं इसकी पुरजोर समर्थन करता हूं।

जहां तक सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों को विनियमित, मुक्त करने, मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने और वैश्वीकरण को एक प्रबल दर्शन के रूप में स्वीकार करने का प्रश्न है, इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार आर्थिक सुधारों व कार्यों को विनियमित मुक्त करना चाहती है। किंतु यह अनिवार्यतः एक अनवरत प्रक्रिया होनी चाहिए। आप इसे 1991 से देखेंगे। दरअसल यह राजीव गांधी के समय से शुरू हुआ था। सबसे पहले राजीव गांधी ने ही यह प्रक्रिया प्रारंभ की थी। जैसा कि आज सुबह विपक्ष की नेता ने पंचायत के कार्यों के संबंध में राजीव गांधी का नाम लिया था, इससे वास्तव में धारणा में परिवर्तन आया। हालांकि पश्चिम बंगाल में मेरे वामपंथी मित्रों ने अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसका पूरा-पूरा लाभ उठाया किंतु फिर भी, पंचायत व्यवस्था ने ग्राम स्तर पर जनता को बहुत शक्ति प्रदान की है। वास्तव में सबसे पहले राजीव गांधी ने टेलीकॉम क्षेत्र को विनियमित मुक्त करके यह प्रक्रिया शुरू की। इसी कारण आज हमने दूरसंचार, इलैक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी व मनोरंजन के क्षेत्र में जैसा कि राष्ट्रपति कहते हैं, इन क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): उस समय क्या आप व्यय सचिव थे?

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मैं राजस्व सचिव था। जब श्री नरसिम्हाराव ने दूरसंचार के निजीकरण का निर्णय लिया था और केवल भारतीय टेलीफोन उद्योग था सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर अपनी निर्भरता समाप्त करने का फैसला किया था तब मैं राजस्व सचिव था। इसका कारण यह था कि एक व्यक्ति को टेलीफोन कनैक्शन प्राप्त करने में आठ से दस वर्ष लग जाते थे। आज आप जब चाहें आपको टेलीफोन कनैक्शन मिल सकता है। अब आपको टेलीफोन विभाग के लाईन मैन की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप सैल फोन ले सकते हैं। अतः ये सभी परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। हम यह महसूस करते हैं कि राष्ट्रपति के संदेश में ये सभी चीजें समाहित की गई हैं। मैं इसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं।

[डा. नीतीश सेनगुप्ता]

मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि सरकार को उनके समर्थन के बावजूद वे आर्थिक नीतियों को लेकर कुछ चिंतित करते हैं। महोदय, यह बाद का भाग ठीक नहीं है। हाल ही के केन्द्रीय बजट पर मेरी कुछ आपत्तियां हैं जिन्हें मैने सार्वजनिक भी किया है। मैंने इसके तरीके की आलोचना की है विशेषकर, यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग, नियत आय वर्ग तथा वेतन वर्ग को ही अपना निशाना बनाया है जो नियमित रूप से करों का भुगतान करने वाला एक मात्र वर्ग है।

इसी वर्ग को निशाना बनाया गया है और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। इस मुद्दे पर मैं बाद में बोलूंगा। जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है, मेरे ख्याल से इसकी दिशा पूर्णतः सही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस दिशा में भविष्य हेतु कई संकेत हैं जैसे- कृषि, कृषक संबंधी नीति, कृत्यों को विनियमन मुक्त करना इत्यादि।

अनेक लोगों ने बेरोजगारी का उल्लेख किया है लेकिन रोजगार सृजित करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। रोजगार सृजन इसका स्थाई हल नहीं है। हम ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो रहा है। वह साफ है कि सरकारी संगठित क्षेत्र में रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस तरह के रोजगार की आज के समय में आवश्यकता नहीं है जब हर चीज का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और अनौपचारिक क्षेत्र, के माध्यम से सेवा क्षेत्र में व सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरे देश में नए अवसरों का सृजन हो रहा है। मैं निश्चित रूप से यह महसूस करता हूं कि तथाकथित नौकरियों से रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होगा। आज बड़ी संख्या में लोग स्वरोजगार में लगे हैं। यह वास्तव में उस दिशा की सूचक है जिस दिशा में सब कुछ हो रहा है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है और चिंता का कोई कारण भी नहीं है।

जब सकल घरेलू उत्पाद के विकास की बात आती है तो यह सत्य है कि गत वर्ष हमारा सकल घरेलू उत्पाद कम रहा लेकिन यदि हम सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को देखें तो भारत की विकास दर यूरोप, उत्तरी अमेरिका और शेष विश्व के देशों से अधिक रही है। एक बार फिर, यह मौजूदा सरकार की नीतियों का हिस्सा मात्र नहीं है हालांकि यह उस नीति के तहत ही हो रहा है। यह दस-पंद्रह साल पहले शुरू हुआ था और सभी उत्तरवर्ती सरकारों ने उसी सम्मान को बरकरार रखा। निर्देश अटल और अपरिहार्य है। जहां तक सरकार इन नीतियों की पालन कर रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसलिए मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की यह धारणा ठीक करना चाहूंगा कि मैं मौजूदा आर्थिक नीति के पक्ष में नहीं हूं। मैं मौजूदा आर्थिक नीति के पूरी तरह पक्ष में हूं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण विकास योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनसे पूरे देश में बहुत अधिक रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है। पिछले सप्ताह में अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था। कोलकाता से यहां जाने में पांच घण्टे लगते हैं। वहां किए जा रहे कार्य को देखकर मैं प्रभावित हो गया। छः महीने पहले, मुझे वहां पहुंचने में पांच घण्टे लगे जबकि अब इसमें मात्र तीन घण्टे लगे। यह वहां सड़कों के विकास के कारण ही सम्भव हो सका है। निश्चित रूप से इसका श्रेय राज्य ले सकते हैं किंतु समग्र तौर पर इस विकास का श्रेय केन्द्रीय नीति निदेशों को ही जाता है।

मैं विद्युत क्षेत्र पर राष्ट्रपति की टिप्पणी का भी समर्थन करता हूं। हमें वहां अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे डर है कि जब तक हम विद्युत के उत्पादन व उसके वितरण का विकेन्द्रीकरण कर उसे निजी हाथों में नहीं देते, जहां स्पर्द्धा हो सकती है, तब तक हम स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। इसलिए, नए विद्युत बिल के बारे में सुनना बहुत ही सुखद है।

नियंत्रित मूल्य तंत्र को समाप्त करने का प्रस्ताव भी बहुत अच्छा है और यह अनिवार्य भी है। मेरे विचार से एल.पी.जी. पर राजसहायता देना 1970 की तत्कालीन सरकार की गलती थी कि आम व्यक्ति को उसने एलपीजी तथा मिट्टी के तेल पर इतनी अधिक राजसहायता दी यह महसूस नहीं होता कि एलपीजी के मूल्य के बड़े भाग का भुगतान सरकारी राजसहायता द्वारा किया जाता है। धीरे-धीरे हमें इससे बाहर निकलना होगा किंतु एक ही झटके में एक गृहणी पर 40 रुपये का बोझ बढ़ा देना, ठीक नहीं है। यदि वित्त मंत्री पेट्रोल के मूल्य में एक रुपये प्रति लीटर की कमी न करते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता किंतु 40 रुपये की बढ़ोत्तरी बहुत अधिक है। मिट्टी के तेल के मूल्य में बढ़ोत्तरी बहुत ही अधिक है। एल.पी.जी. के मूल्य में 20 रुपये की बढ़ोत्तरी की जा सकती थी और बाकी के बीस रुपये एक या दो साल बाद बढ़ाए जा सकते थे। मेरे विचार से ऐसा धीरे-धीरे किया जाना चाहिए।

जब वित्त मंत्री यह कहते हैं कि पेट्रोल मूल्य में कमी से एक व्यक्ति कितनी बचत कर सकता है, जैसे- यदि वह महीने में 40 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल करता है तो वह 40 रुपये महीने की बचत करेगा। इससे मुझे लुईस XVI की रानी मैरी एनटोइनिटी का कथन याद आता है। फ्रांस की क्रांति के दौरान उन्होंने कहा था, 'यदि जनता को रोटी नहीं मिलती तो उन्हें केक खाने दीजिए।'

अत: यह काफी अधिक है। कितने लोग कार का उपयोग करते हैं? रसोई गैस की कीमत में 40 रुपए की बढ़ोत्तरी गृहणियों और आम लोगों के लिए काफी अधिक है। मेरी इस बारे में कुछ आपत्तियां हैं। मैं इस विषय में उचित समय आने पर बोलूंगा।

माननीय राष्ट्रपति महोदय ने पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ और सशक्त करके लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बात की है उन्होंने सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता से जुड़े कुछ कार्यक्रमों के बारे में भी कुछ कहा है। उन्होंने अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए है। हमने इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।

उन्होंने बाल्मीकि-अम्बेडकर आवास योजना का उल्लेख भी किया है जो एक अच्छी योजना है।

विशेषकर हमारे पड़ोसी देशों के संदर्भ में विदेश नीति पहलू के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अफगानिस्तान के बारे में भारत सरकार को इस बार एक बड़ी जीत हासिल हुई है। अफगानिस्तान वर्ष 1947 से ही पाकिस्तान के संबंध में भारत का पक्षधर रहा है लेकिन वहां तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान घोर भारत विरोधी हो गया था। लेकिन आज अफगानिस्तान भारत समर्थक है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें अफगानिस्तान की हर सम्भव मदद करनी चाहिए और बामियान बुद्ध की नष्ट की गई प्रतिमाओं के पुनर्निर्माण की पेशकश भी करनी चाहिए। इस कार्य के लिए अपनी पुरातात्विक विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है।

म्यांमार का भी उल्लेख किया गया है क्योंकि कुछ उनकी अपनी नीति और कुछ अन्य कारणों के चलते वह देश भारत के नियंत्रण से बाहर हो गया था। एस समय, बर्मा भारत के काफी नजदीक था। पहले कलकत्ता से रोजाना उड़ान होती थी और पानी का जहाज भी रोजाना बर्मा के लिए चलता था। वहां अनेक भारतीय भी रहते थे। म्यांमार अब विश्व की मुख्यधारा में पुन: आ गया है। असल में, यह अच्छी बात है कि भारत द्वारा मान्डले तथा बर्मा द्वारा कलकत्ता में अपना महावाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। असल में मैं प्रधानमंत्री जी को साहस करके सुझाव देना चाहता हूं कि हमें दोनों देशों अफगानिस्तान और म्यांमार को दक्षेस का सदस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह भारत के लिए काफी लाभकारी रहेगा और इससे दक्षेस के चरित्र में कुछ हद तक बदलाव आएगा।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: अत: अब जब सब कुछ कहा जा चुका है मैं राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। दूसरे, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संसद के दोनों सदनों को दिए गए अपने अभिभाषण में जनता को दोहरी बातों से अवगत कराया है।

धन्यवाद प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले विद्वान प्रोफेसर जिन्हें मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, अचानक मुझे लगा कि मैं शायर डा. गोयब्बेल्स, जो हिटलर का प्रचार मंत्री था, को सुन रहा था। अगर झूठ को सौ बार बोला जाए तो वह सच हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में डा. गोयब्बेल्स की यही नीति थी। मैंने 21 बिन्दु गिनाए हैं जो उन्होंने बोले है- प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ, प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा, प्रचुर संख्या में टेलीफोन, प्रचुर मात्रा में गैस, यथेष्ट संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रचुर संख्या में रोजगार के अवसर, और अच्छे विदेशी सम्बन्ध। लेकिन गरीब और आम आदमी के बारे में क्या? असल में एक और विद्वान प्रोफेसर डा. सेनगुप्ता को सुन रहा था। मेरे विश्वविद्यालय से एक और विद्वान प्रोफेसर हैं- डा. अमर्त्य सेन जिन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने विकास के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यदि विकास गरीब लोगों की पहुंच में नहीं है और वहनीय नहीं है तो भारत के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। अत: गोयब्बेल्स सिद्धान्त जिसे हमने 45 मिनट तक सुना जिसके बीच-बीच में कुछ व्यवधान भी हुआ, से मैं काफी क्षुब्ध हूं। इससे मुझे शेक्सपीयर के नाटक जूलियस सीजर की बात याद आ गई। जब मार्क एन्टनी जूलियस सीजर के अंतिम संस्कार के मौके पर बोल रहा था तो उसने ब्रूटस को एक सम्माननीय व्यक्ति बताया था और वे सभी लोग सम्मानीय व्यक्ति थे। अत: इस नेशनल डिजास्टर में सभी सम्माननीय व्यक्ति है और वे आज हम पर शासन कर रहे हैं। वे मात्र बोलते है लेकिन कुछ करते नहीं है। अत: मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देता हूं उन्होंने इस दोहरी बातों का खुलासा किया है।

उनका प्रथम बिन्दु आतंकवाद-संसद पर आतंकवादी हमले से सम्बन्धित है।

अब जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे है, हम गुजरात में विभिन्न प्रकार के आतंकवाद को देख रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी एक प्रकार का आतंकवाद देख रहे हैं और उड़ीसा में भी एक प्रकार का आतंकवाद देख रहे है। वे चाहें उड़ीसा के आदिवासी हों या अन्य हों वे सभी भारतीय हैं वे चाहे गोधरा का संजली या अहमदाबाद या लखनऊ या काशीपुर या कालाहंडी और कोरापुट के हों वे सभी भारतीय हैं। वे सभी भारत के अंग हैं। वे अफगानिस्तान या परवेज मुशर्रफ के देश के नहीं हैं और न वे किसी अन्य देश से है और नहीं भाड़े के सैनिक है। वे सभी भारतीय है।

[श्री के.पी. सिंह देव]

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया गया था कि यह सरकार स्पष्ट रणनीति अपनाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में वह स्पष्ट रणनीति क्या है? आन्तरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा है। तब, यह कैसे हुआ कि स्पष्ट रणनीति की मौजूदगी के बावजूद, पांच युवक आए और हमारी संसद पर आक्रमण किया जिसके बारे में माननीय राष्ट्रपति ने अपने दूसरे बिन्दु में उल्लेख किया कि यदि एक भी आतंकवादी अन्दर घुस जाता और राजनीतिक नेतृत्व समाप्त हो जाता तो यह राष्ट्र के लिए बड़ा भयावह होता और हमारे लोकतंत्र के मंदिर, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के प्रतीक और सर्वोच्च विधायी संस्था संसद पर हुए भीषण हमले का कैसे प्रत्युत्तर दिया है?

रात्रि 8.22 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* **हुए]**

हमारी प्रतिक्रिया कायराना रही है। अब तक हम 300 करोड़ रुपए खर्च कर चुके है और हमने अपनी समूची सेना को जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर लगा रखा है, लेकिन गोधरा और अहमदाबाद से लोगों के रोने, चिल्लाने और मदद मांगने की आवाजें आ रही थीं तो आप लोग 72 घण्टों तक वहां पर सेना नहीं भेज सके। यह उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद में कोर और डिवीजनल मुख्यालय स्थित हैं। जैसे कि डा. सेनगुप्ता ने कहा वहां लोगों को मार डाला गया। उनकी हत्या की गई। लोगों को आग में फेंक दिया गया।

हमने बचपन में सुना-पढ़ा था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं इस 'नेशनल डिजास्टर एलाइंस' को क्या कहूं। जब अहमदाबाद, लखनऊ और गोधरा जल रहे थे तो वे क्या कर रहे थे या काशीपुर के आदिवासियों को गोलियों से भूना जा रहा था और वे जिन्दा जलाए जा रहे थे। यह सरकार क्या कर रही थी? कौन इसका उत्तर देगा। कहा जाता था कि यह स्मार्ट, सरल, नैतिक, जवाबदेह उत्तरदायी और पारदर्शी सरकार है। यह स्मार्ट सरकार कहां है? महोदय, आपके माध्यम से हम इन सब बातों का उत्तर जानना चाहते हैं।

आज, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन्होंने रक्षा तैयारी के बारे में भी उल्लेख किया है। भारत के एक सघन क्षेत्र में सात लाख सैनिकों की तैनाती रक्षा तैयारी नहीं है। आज, हमारी प्रतिक्रिया बुजदिल इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक विश्वसनीय और प्रतिरक्षा रणनीति नहीं है अन्यथा बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा बल के हमारे 18 सैनिकों को न मार दिया होता और उन्हें जानवरों की तरह ढ़ोकर नहीं भेजा होता और हम अपना प्रतिरोध भी दर्ज नहीं करा सके। आप आक्रोशित नहीं हुए। आप को क्रोध तब आता जब हमारे लोग मारे गए और जब कारगिल युद्ध के दौरान प्रथम बिहार रेजीमेन्ट के मेजर सखानंद 10 अन्य सैनिकों को मारा गया, उनका अंगभंग किया गया। तब अपको क्रोध आया। ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि संसद के आम चुनाव होने वाले थे।

जब बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा बल के हमारे 18 सैनिकों को मार कर जानवरों की तरह लाद कर भेजा था तो आपको क्रोध नहीं आया। किस न्याय और औचित्य बोध से उस राजपूताना राइफल्स से जनरल परवेज मुशर्रफ को दिल्ली और आगरा में गार्ड आफ आनर दिलवाया गया जिसने राजा रामचन्द्र की जय का नारा लगाकर तुलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा किया था और जिन्हें चार महावीर चक्र, सात वीर चक्र मिले थे और जिनके चार अधिकारी, पांच जेसीओ और 27 अन्य सैनिक शहीद हुए थे? क्या यह प्राथमिकता और औचित्य बोध है?

महोदय, कुल मिलाकर, माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण निराशाजनक है।

महोदय, बड़े क्षोभ के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तीन प्रतिशत भारतीय पश्चिम बंगाल के पूर्व में रहते हैं। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं- आप उसे कलिंग कह सकते हैं, आप इसे उत्कल या उड़ीसा का कुछ भी कह सकते हैं। तीन प्रतिशत भारतीयों की चीख वीराने में किसी को सुनाई नहीं दे रही है, बल्कि पिछले 35 वर्षों से जैसाकि मेरे मित्र श्री भर्तुहरि महताब ने कहा कि, इस क्षेत्र के लोगों का सतत् साथी प्राकृतिक आपदाएं रही हैं जैसे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूखमरी और बच्चों की बिक्री।

क्या यह रूक गया है। नहीं, यह नहीं रूका है। मेरे मित्र श्री बिक्रम केशरी देव यहां बैठे हैं। वे कालाहांडी क्षेत्र से हैं। काशीपुर भी इस क्षेत्र से लगा हुआ है। यह उनके पिता का पुराना संसदीय क्षेत्र है। इस वर्ष हम तीनों ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। वहां प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ हैं लेकिन वहां 35 आदिवासी भूख से मर गए क्योंकि उनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सारा पैसा कहां जा रहा हैं। उदाहरणार्थ 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को लें। आपका आपूर्ति प्रबन्ध कहां है। आप यूं ही बकवास कर रहे हैं। आप कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले पचास वर्षों में लागू की गई नीतियों का लाभ उठा रहे हैं। आज, हम विदेशी खाद्यान्न पर निर्भर नहीं है बल्कि हम खाद्यान्न निर्यात कर रहे हैं। काशीपुर बासमती का निर्यात कर रहा है जिसका श्रेय इन्द्रावती परियोजना को जाता है। यह किसने किया? क्या यह उनकी सरकार ने किया है? पिछले पचास वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारों ने यह काम किया है। आज आप लोग सूचना प्रौद्योगिकी,

कम्प्यूटीकरण आदि का लाभ उठा रहे हैं। डा. सेनगुप्ता ने ही कहा है कि राजीव गांधी के शासन काल के दौरान वे स्वयं सचिव (राजस्व) थे जब यह सब लागू किया गया था।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा।

सभापति महोदय: आप अगले वक्ता हैं। इस समय आप इन सब बातों का उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उपरि इन्द्रावती परियोजना 1978 में उस समय चालू हुई थी जब श्री मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे न कि उस समय कांग्रेस का शासन था।

श्री के.पी. सिंह देव: उड़ीसा के लोग, तीन प्रतिशत भारतीयों की चीखे वीराने में गूंज रही हैं और 48.71 प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में हमें क्या बताया है? अचानक, एक वर्ष में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत 58 से घटकर 26 प्रतिशत रह गई है 58 प्रतिशत के आंकड़े की खोज मैंने नहीं की है। यह उसी दस्तावेज में उल्लिखित है। जो सभी संसद सदस्यों को इस सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री पूर्णो ए. संगमा द्वारा दिया गया था। अब एक वर्ष में, उन्होंने एक तिहाई गरीबी का उन्मूलन कर दिया है।

अब, हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आते हैं। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के बारे में कहा गया है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के आंकडे अभी भी 1991 की जनगणना पर आधारित हैं। वे लोग जो गरीबी रेखा के ऊपर थे वे भी अब लगातार चक्रवातों, बाढ़ और सूखे के कारण गरीबी रेखा के मानकों के अंतर्गत आ गए हैं। उनकी गणना इसमें नहीं की गई है, और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले चावल, मिट्टी का तेल, चीनी या अन्य सामान से वंचित रखा गया है लेकिन फिर भी हम अपने देश की बड़ी अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

महोदय, उस क्षेत्र के लोग दु:खी हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना विचाराधीन है और माननीय राष्ट्रपति भी यही कह रहे हैं। बजट प्रस्तुत कर दिया गया है। हम सभी उपस्थित थे। हम सभी ने बजट भाषण सुना, यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार, उड़ीसा के सांसद, उड़ीसा के लोग उड़ीसा को 'विशेष दर्जा' या 'विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा' देने की बात करते रहे हैं क्योंकि वहां अपर्याप्त संरचनात्मक सुविधाएं हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 48.17 प्रतिशत है, 38 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग हैं, 43 प्रतिशत लोग कृषि मजदूर हैं, शिशु मृत्यु-दर 97 है जोकि भारत में सर्वाधिक है लेकिन इस सब कथा को यह एन.डी.ए. सरकार नहीं सुन रही है। यह समझा जाता है कि यह राज्य के दलों से मिलकर बनी है। भारतीय जनता पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं समझा जाता है, यह बात मैंने अभी-अभी सुनी।

कम से कम राज्य के लोग तो वहां हैं। यह एन.डी.ए. के घोषणापत्र में था- लेकिन इस बार मैं इसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहूंगा- 1998 और 1999 में भी, हमारे प्रधान मंत्री ने बाढ़ के तुरंत बाद अगस्त में उड़ीसा का दौरा किया। उड़ीसा विधान सभा ने 1997 में, उस समय मेरे दोस्त केशरी देव विधायक थे, सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था कि उड़ीसा को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि राज्य को ऋण के बजाय सहायता-अनुदान मिल सके। इस समय उड़ीसा सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है। अब यह सुझाव दिया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी अपना पारिश्रमिक आधा चावल और आधा वेतन 'कार्य के बदले अनाज' कार्यक्रम के रूप में लें। मुझे मालूम नहीं कि राज्य का क्या होगा। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि एन.डी.ए. और माननीय प्रधान मंत्री के द्वारा सहानुभूति प्रकट किए जाने के साथ ही साथ अब समय आ गया है कि उड़ीसा राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाए। यदि इस बारे में दसवें या ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश नहीं की है और योजना आयोग की परिभाषा में भी इसका उल्लेख नहीं है तो इस 'एन डी ए' सरकार को जो कि 24 पार्टियों का गठबंधन है उसे उन तौर-तरीकों पर विचार करना चाहिए कि उड़ीसा को किस तरह से विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इस तथ्य को छिपाना नहीं चाहिए कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 1999 के महा-चक्रवात के दौरान ऐसा हुआ है।

महोदय, उड़ीसा राज्य के प्रति इस तरह की उदासीनता क्यों है? उदाहरण के लिए कोयले की रायल्टी को ही लों। उड़ीसा राज्य में पूरे भारत का 33 प्रतिशत कोयला है। कोयले पर दी जाने वाली रायल्टी में 1994 से कोई संशोधन नहीं किया गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विदेशी खरीददारों पर इसका फर्क पड़ेगा और उन्हें नुकसान पहुंचेगा। इसलिए सुधारों के नाम पर, व्यवसाय करने के नाम पर, संसाधन जुटाने के नाम पर- हम प्रत्येक की कीमत जानते हैं- लेकिन लोगों की कोई कीमत नहीं रह गई है।

[श्री के.पी. सिंह देव]

महोदय, अब मैं नाल्को पर आता हूं। विपक्ष के नेता और मेरे नेता इस बारे में बोल रहे थे कि किस तरह से लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है और बिना सोचे समझे उनका विनिवेश किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम नाल्को जो अंशत: मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र और अंशत: श्रीमती हेमा गमांग के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पड़ता है। हमारे यहां पंच पटाली खानों में बाक्साइट का बहुत अधिक भंडार है। यह लगभग 310 मिलियन टन है जिसमें से नाल्को ने अब तक 40 मिलियन टन का ही खनन किया है। हमारे पास अब भी नाल्को के लिए 50 से 70 वर्षों तक के लिए बाक्साइट के भंडार हैं। सरकार द्वारा स्मेल्टर व अल्यूमिना दोनों के लिए नाल्को के विस्तारीकरण के लिए अनुमोदन कर दिया है पंच पटयाली बाक्साइट खान जो कि काशीपुर के बिल्कुल समीप है, में केवल चार प्रतिशत सिलिमा है जो कि दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय बाक्साइट भंडारों की तुलना में काफी सस्ता है। अल्यूमिना की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि इसे वातावरणीय तापमान पर डाइजेशन तकनीकी के जरिए संसाधित किया जा सकता है और अल्यूमिना बनाने के लिए संसाधित करने में इससे कम लागत आती है और फिर भी यह विश्व में सबसे सस्ता है। नाल्को में प्रति टन बाक्साइट के उत्पादन की औसत लागत लगभग पांच अमेरिकी डालर है जबकि प्रति टन बाक्साइट ट्रेडिंग की अन्तर्राष्ट्रीय लागत 25 से 30 अमेरिकी डालर है। नाल्को ने बाक्साइट खान का 2.4 मिलियन टन प्रति वर्ष से 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक विस्तार किया है। इसकी अल्युमिना रिफायनरी का भी 0.8 मिलियन टन से 1.57 मिलियन टन तक प्रतिवर्ष विस्तार हुआ है। स्मेल्टर का विस्तार 2,30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,45,000 टन प्रतिवर्ष हुआ है। इसी सरकार ने इस विस्तार की अनुमति दी है। अब विनिवेश मंत्रालय भारत सरकार से एक नोटिस आया है जिसमें कहा गया है: ''सरकार का इसकी 87.15 प्रतिशत शेयर धारिता में से प्रथम चरण में दस प्रतिशत घरेलू शेयरों के जरिए, दूसरे चरण में 20 प्रतिशत ए डी आर के जरिए और फिर 29.15 प्रतिशत भागीदारों की सामरिक बिक्री के जरिए विनिवेश करना चाहती है।

यह और कुछ नहीं है बल्कि कतिपय व्यापारिक घरानों को भारत में अल्युमिनियम उद्योग का एकाधिकार प्रदान करना है। जो कि रक्षा और अन्य प्रयोजनों के लिए सामरिक महत्व का उद्योग है। मैं इस सरकार पर देश के हितों का विनिवेश के नाम पर निजी क्षेत्र को बेचने का आरोप लगाता हूं।

अब मैं के बी के जिलों पर आता हूं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र का एक भाग के बी के या पूर्व के बी के जिले में भी आता है। यह श्री राजीव गांधी के दिमाग की उपज थी। इसका उद्देश्य सूखा-निवारण और जनजातिय लोगों को ऊपर उठाने, अर्द्ध-विकसित और दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास करना था। यहां उड़ीसा सरकार द्वारा सभी सांसदों को संशोधित दीर्घकालिक कार्य योजना से संबंधित एक नोट दिया गया है। राज्य सरकार की चिन्ता क्या है? उन्हें 5,527.41 करोड़ रु. की आवश्यकता है। पत्र में यह लिखा गया है:

> ''राज्य सरकार को भारत सरकार से संशोधित दीर्घकालिक कार्य-योजना के बारे में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।''

इस संबंध में हम सातों सांसदों को केवल नोटिस प्राप्त हुए है। पिछले छ: महीनों के सात बार बैठकें स्थगित कर दी गई हैं क्योंकि धन उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी हम के बी के जिलों की बारे में बढ़चढ़कर बातें करते हैं जिसके लिए 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण की आवश्यकता है। कुछ भी नहीं हुआ। यही बात उड़ीसा सरकार अपने सांसदों को कहती है:

> ''भारत सरकार को केन्द्रीय योजना और केन्द्र-प्रायोजित योजना के अंतर्गत आर एल टी ए पी के लिए अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने चाहिए।''

यह राज्य सरकार का अनुरोध है। दसवीं योजना के दस्तावेज में इसका कोई उल्लेख नहीं है जो कि सदस्यों को परिचालित किया गया है और न ही बजट में और न ही वित्त मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में कोई उल्लेख किया गया है।

अब मैं पारादीप रिफाइनरी पर आता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने मार्च 2000 के राज्य चुनावों के केवल कुछ महीने पहले 10,000 करोड़ रु. के पारादीप रिफाइनरी परियोजना की आधारशिला रखी थी। उड़ीसा सरकार को 11 वर्ष की अवधि के लिए बिक्री कर, उत्पाद-शुल्क पर 3,000 करोड़ रु. की रियायत देने के लिए कहा गया था। अब अचानक ही हमें समाचारपत्रों से पता चला है कि उक्त रिफाइनरी जिसे 2003 से चालू होना था, कुछ निहित स्वार्थों के दबाव के कारण तीन और वर्ष विलम्ब से शुरू होगी, इसका तात्पर्य यह हुआ कि 2006 तक पारादीप रिफाइनरी में कोई विकास कार्य नहीं होगा। इससे काफी लोगों को रोजगार मिला होता। इससे पारादीप से लेकर रांची तक वारास्ता राउरकेला तक और कदाचित मेरामंडली तेल ले जाया जा सकता था। उड़ीसा के युवाओं को इस क्षेत्र के युवाओं को दिए गए झूठे आश्वासन 2006 तक पूरे नहीं होंगे।

महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का उतना समर्थन नहीं कर सकता जितना कि मैं चाहता था क्योंकि उन्हें अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों को प्रतिबिम्बित करने के लिए बाध्य किया गया है। यह केवल इच्छाजनित धारणा है और शब्दों का खेल है, इसमें वाक्यपुटता अधिक है। बेरोजगारी की समस्या सहित जो

काफी गम्भीर हो गई है, इसके किसी भी समस्या से भी निपटने के लिए सरकार की तरफ से कोई गम्भीरता नहीं जान पड़ती है। जब आपने बेरोजगारों को उनके लिए बिना किसी आर्थिक क्रियाकलाप अपनाने और उनके भविष्य का ध्यान रखे बिना शिक्षित किया जा रहा है, तो वे आतंकवाद और उग्रवाद की तरफ ही मुड़ेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने उल्लेख किया है कि जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के मामले में आतंकवाद के कारण वहां आर्थिक विकास व सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वे तीन-गुना अधिक प्रावधान कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि कहीं इससे उड़ीसा के नवयुवकों में यह गलत संदेश न जाए कि उन्हें हिंसा और उग्रवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। ताकि उड़ीसा को भी इसका समुचित हिस्सा मिल सके।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य और हमारी पार्टी के सचेतक डा. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

इस अभिभाषण का समर्थन करने का कारण यह है कि इसमें पैरा 1 से पैरा 76 तक सरकार के सभी कार्यक्रमों को पूरी तरह से प्रतिबिम्बित किया गया है। आरम्भ में, मैं आतंकवाद पर बोलना चाहता हूं जिसने हमारे देश को बुरी तरह से प्रभावित किया है और अभी भी काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। इसके लिए मैं विपक्षी दलों को पूरी तरह से जिम्मेदार समझता हूं क्योंकि 1995 के टाडा के व्यपगत होने के बाद उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए कोई नया कानून या नया अधिनियम प्रस्थापित नहीं किया। इस तरह से 1995 से लेकर आज तक आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई भी नया कानून नहीं बनाया गया। यह मुख्य कारणों में से यह भी एक कारण है कि संगठित अपराध घटित हो रहे है।

प्रतिदिन आप सुनते हैं कि संगठित अपराध से देश की साम्प्रदायिक एकता में खलल पड़ रहा है, इससे देश के सामान्य क्रियाकलापों में भी खलल पड़ रहा है उदाहरण के लिए हमारी संसद, प्रजातंत्र पर हमले को ले लीजिए। इस हमले में हमारे नौ बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। हम उन्हें उनके बलिदान के लिए नमन करते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से विपक्षी दलों पर आरोप लगाता हूं क्योंकि जब पोटो प्रस्थापित किया गया था और जब पोटो को सभा में पुरःस्थापित किया जा रहा था, उस समय उन्होंने सभा में शोर-शराबा मचाया, इस कानून का सख्त विरोध किया जिसके कारण आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में और विलम्ब हुआ।

महोदय, यदि पोटो, हालांकि इसे पुनः प्रख्यापित किया गया है, यदि उसे विधेयक के रूप में सच्चे अर्थों में उस समय माननीय सभा द्वारा पारित कर दिया गया होता, तो आतंकवाद पर थोड़ा बहुत काबू पा लिया होता। जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनमें डर की भावना पैदा हुई होती। जैसा कि सबको ज्ञात है, आतंकवाद को अंजाम देने वाले आतंकवादी जिन्होंने हमारी संसद पर हमला किया वे दिल्ली विश्वविद्यालय के पास किसी स्थान से गिरफ्तार किये गये। इसलिए आप अच्छी तरह यह कल्पना कर सकते हैं कि वर्ष 1995 अथवा उससे भी पहले से किस प्रकार से देश में योजनाबद्ध एवं संगठित आंतरिक विद्रोह अस्तित्व में रहा है तथा वह धीरे-धीरे बढ़ रहा है। पिछली सरकारें इसे रोकने में असफल रही है। परन्तु जब हमारी सरकार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही है तो हमेशा ही इसका विरोध किया जा रहा है। यही कारण है कि गोधरा जैसी घटना घटित हुई।

गोधरा में घटित हिंसक घटना जहां साबरमती एक्सप्रेस के कोच संख्या छः जो जला दिया गया, एक बहुत ही दुःखद घटना थी। परन्तु हमें प्राप्त सूचना के अनुसार वहां मौजूद लोग कांग्रेस के आदमी थे। वे समय पर संबंधित प्राधिकारी को सूचित कर सकते थे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसके कारण उस राज्य में व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक दंगे हुए।

परन्तु गुजरात में हो रहे दंगे और नरसंहार को 72 घंटे के अंदर रोक देने के लिए मुझे वहां के स्थानीय प्रशासन की प्रशंसा करनी चाहिए। वे इसे रोकने में सफल रहे। यह भय था कि ये दंगे पूरे देश में फैल जाएंगे परन्तु वहां के कुशल प्रशासन के कारण उन्हें गुजरात में ही रोक दिया गया।

अब मैं अयोध्या मुद्दे पर आता हूं। पिछले चार दिनों से विपक्ष में बैठा प्रत्येक व्यक्ति अयोध्या के बारे में हो-हल्ला मचा रहा था। वे समझते थे कि अयोध्या में नरसंहार होगा। किन्तु आज भगवान की कृपा से सब कुछ सुन्दर व शांत तरीके से सम्पन्न हो गया। शिला पूजन निहायत हिन्दू रीति-रिवाज के साथ शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ।

अब, मैं संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्र का जिक्र करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह जिक्र किया गया है कि पूर्वोत्तर परिषद में निमित्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का विकास होगा यह देश के अन्य विकसित क्षेत्रों के समकक्ष आ पाएगा।

इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया है। इस क्षेत्र में चली आ रही आदिवासी अशान्ति को रोकना था, तथा हम इसे रोकने में

[श्री बिक्रम केशरी देव]

कामयाब रहे हैं। मणिपुर में चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए और अब वहां एक निर्वाचित सरकार स्थापित है। इसी प्रकार जहां तक घोटालों का सवाल है, रक्षा सौदों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिससे रक्षा सौदों में और अधिक पारदर्शिता होगी। हमारे पास पिछले अनुभव हैं तथा नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की अनेक रिपोर्टें हैं, हमने कांग्रेस शासन के दौरान बोफोर्स सौदों पनडुब्बी सौदों, रक्षा उपकरणों की खरीद आदि को अवश्य देखा होगा, इन सब को सी.ए.जी. रिपोर्टों में दिखाया गया था। इसलिए, रक्षा सौदों में आगे पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रक्षा-सामग्री खरीद संबंधी समिति (डिफेन्स पर्चेज कमेटी) का गठन किया गया है। यह कार्य सही दिशा में है। वस्तुत: रक्षा सामान की खरीद देश में एक बड़ी हलचल पैदा करती है तथा सेना का मनोबल भी गिर जाता है।

अंततः मैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पहले चक्र की उरूग्वे वार्ता के दौरान जब विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर हुआ तो आपने देखा होगा कि विकसित देश कृषकों को काफी राजसहायता दे रहे थे। परन्तु भारत में हम राजसहायता नहीं दे सके। वर्ष 1994 से 01.01.2000 तक, हम किसानों की समस्याओं को विश्व व्यापार संगठन में उठाने में सफल नहीं रहे हैं। यह पहली बार था जब सरकार ने 1994 में हुए उरूग्वे चक्र के समझौतों के भाग के रूप में कृषि को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विषय के रूप में लाने की पहल की है। कृषि पर समझौता यह अधिकार देता है कि आगे के समझौते अनुच्छेद 20 के अनुसार किए जाएंगे। परन्तु 1994 से आज तक, एक भी बैठक नहीं हुई।

आज मैं वाणिज्य मंत्री और सरकार को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने कृषि संबंधी समिति के 12 सत्र अथवा बैठकों का आयोजन किया है। वार्ता के प्रथम दौर के दौरान 121 सदस्य देशों ने 47 प्रस्ताव दाखिल किए। इस प्रकार, किसानों की हमारी समस्याओं पर विश्व व्यापार संगठन में चर्चा हुई है जिसे पहले नहीं किया गया। मैं विपक्ष से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के समझौतों पर हस्ताक्षर किया। उस समय क्या वे किसानों को भूल गए? यह इसका स्पष्ट प्रमाण है। आज वे यह कहते हुए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे है वे आंदोलन कर रहे हैं, इत्यादि। घड़ियाली आंसू बहाने जैसी बातों के लिए कांग्रेस पार्टी लम्बे समय से अभ्यस्त रही है। उन्होंने पहले कभी भी किसानों के बारे में नहीं सोचा और जब यह सरकार देश में ग्रामीण क्षेत्रों व ग्रामीण परिदृश्य का विकास करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहती है तो वे लोग हमारा विरोध कर रहे है और हमारी आलोचना कर रहे हैं। इसलिए, अब समझौतो पर हस्ताक्षर हो चुका है तथा कृषि पर हुआ समझौता देश में कृषि की समस्याओं का निश्चित तौर पर समाधान करेगा।

मात्रात्मक प्रतिबंधों के संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि ये प्रतिबंध लघु उद्योगों पर से हटा लिए गए है तथा वे अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते है और वे अपने उत्पादों को उन्नत बना सकते हैं एवं उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा काफी नए और विकासोन्मुख कदमों की घोषणा की गयी है। मैं आश्वस्त हूं कि इससे देश का विकास होगा। आठ प्रतिशत की विकास दर का अनुमानित लक्ष्य कभी न कभी अवश्य साकार होगा। यह बीता हुआ युग नहीं है। यद्यपि कुछ समस्याएं रही हैं, फिर भी हम करीब 5.4 प्रतिशत विकास दर हासिल करने में सफल रहे हैं। किन्तु इस समस्या का समाधान $2\frac{1}{2}$ सालों में नहीं किया जा सकता।

महोदय, हमें जो पिछली सरकारों से विरासत में मिला उसे देखिए। 'नवरत्न' और 'मिनीरत्न' सहित सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम रुग्ण थे और वहां काम करने वाले 19 लाख कर्मियों में से अधिकांश आज बेकार बैठे हुए हैं। इसलिए हमें निजीकरण करना पड़ा। निजीकरण अनिवार्य हो गया है। हम उद्योग, अर्थव्यवस्था और देश को बचाने के लिए निजीकरण करने को बाध्य हैं। इसलिए, आगे के कदम उठाए गए हैं।

महोदय, विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य ने के.बी.के. क्षेत्र के बारे में जिक्र किया। महोदय, वर्ष 1998 के दौरान प्रधान मंत्री ने लाल किले से के.बी.के. जिलों से गरीबी का उन्मूलन करने हेतु औपचारिक प्रतिज्ञा की। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। महोदय, इस संबंध में कदम उठाए गए हैं। मेरे माननीय मित्र, श्री के.पी. सिंह देव ने जिक्र किया कि इस कार्यक्रम की घोषणा स्व. राजीव गांधी के मस्तिष्क की उपज है। जब नरसिम्हा राव प्रधान मंत्री थे तब उन्होंने कालाहांडी और के.बी.के. क्षेत्र का दौरा किया था तथा उन्होंने एक दीर्घावधि योजना के लिए 4700 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। परन्तु जब हमें केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त हुई तो हमें सिर्फ एक लाख रुपये मिले। वर्ष 1995 में हमें सिर्फ एक लाख रुपये मिले और वह भी मृदा जांच के लिए। परन्तु आज मैं अपनी सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना के लिए काफी गौरवान्वित हूं। उन्होंने के.बी.के. क्षेत्र हेतु संशोधित कार्य योजना के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जिसे भारत के इस इलाके में विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किया जाना है। ये कदम इस क्षेत्र से गरीबी का उन्मूलन करने के लिए उठाए गए हैं।

जहां तक मेरे जिले का सवाल है, एक समय यहां की सिंचाई क्षमता मात्र 3 प्रतिशत थी परन्तु आज इस सरकार के सत्ता में आने

के पश्चात् खेती के योग्य भूमि 3 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हो गयी है। मेरे जिले और पूरे के.बी.के. क्षेत्र में अन्य सिंचाई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए अन्य 3000 करोड़ रुपये की योजना चल रही है। यदि मैं सभी परियोजनाओं का उल्लेख करूं तो काफी समय लग जाएगा। मैं किसी अन्य अवसर पर इन परियोजनाओं के बारे में सभा में बोलूंगा। के.बी.के. क्षेत्र की जनता ने जो कुछ भी अपेक्षा की थी वे उसे पा चुके हैं तथा वे भविष्य में भी इसे पाएंगे।

महोदय, अंत में, मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहूंगा। वर्तमान में स्वर्णिम चुतर्भुज उड़ीसा से होकर नहीं गुजर रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि दिल्ली से चेन्नई तक एक सुपर राजमार्ग विकसित किया जाना चाहिए जो उड़ीसा से होकर गुजरता हो। दिल्ली से चेन्नई के लिए कोई सीधा राजमार्ग नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसा एक राजमार्ग बनाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, जहां तक रेल यातायात का सवाल है, उड़ीसा हमेशा की उपेक्षित रहा है। भविष्य में रेलवे द्वारा उड़ीसा को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए।

रात्रि 8.54 बजे

सदस्यों की गिरफ्तारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से यह सन्देश प्राप्त हुआ है कि श्री बृजभूषण शरण सिंह तथा श्री चिन्मयानन्द स्वामी संसद सदस्यों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत आज पूर्वाह्न लगभग 10.40 बजे चिनहाट, लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है।

रात्रि 8.55 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, श्री अजय चक्रवर्ती बोलेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, हमें 9.00 बजे सभा स्थगित कर देनी चाहिए।

सभापति महोदय: चार या पांच वक्ता हैं। हमें इसे आज अवश्य समाप्त करना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, ऐसा कोई निर्णय नहीं था कि इसे आज ही समाप्त किया जाए। आज बहुत सदस्य बोले हैं।

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया है कि बैठक सिर्फ 9.00 बजे तक होगी।

सभापति महोदय: मैं कार्य मंत्रणा समिति में उपस्थित था। परन्तु आप वहां नहीं थे।

श्री एम.ओ.एच. फारूक: महोदय, हमें यह बताया गया है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, हमें इसे आज ही समाप्त करना चाहिए। रात्रि-भोजन की भी व्यवस्था की जा चुकी है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैं कल बोलूंगा।

सभापति महोदय: कल की कार्य-सूची अलग है। आपको कल अवसर नहीं मिलेगा।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): माननीय, सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं, हमारे प्रिय और आदरणीय अध्यक्ष महोदय स्वर्गीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, साथ ही मैं संसद में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करता हूं।

मैं माननीय राष्ट्रपति को अपना आभार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वे अपनी अस्वस्थता के बावजूद यहां आए और संयुक्त सत्र में लंबा भाषण दिया, हालांकि मुझे अफसोस है कि मैं माननीय राष्ट्रपति के मतों से सहमत नहीं हूं। मैं उनके भाषण की विषय वस्तु से सम्मानपूर्वक मतभेद प्रकट करता हूं जो इस सरकार ने उनके मुंह से कहलवाई है।

महोदय, यह सरकार लगातार, पूर्णत: और नितांत रूप से सभी मोर्चों पर जैसे कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षा और जीवन के सभी अन्य पहलूओं पर असफल रही है। यह देश इस सरकार के संवेदनाहीन रवैये, अकर्मण्यता और कुप्रशासन के कारण दिनों दिन बर्बाद होता जा रहा है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि यह सरकार शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। गुजरात जो कि महात्मा गांधी की जन्म भूमि है साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का सबसे बेहतरीन उदाहरण

[श्री अजय चक्रवर्ती]

है। हम गुजरात के गोधरा स्थान पर हुए जघन्य अपराध पर अपना संताप व्यक्त करते हुए इसकी निंदा करते है, परंतु उसके बाद क्या हुआ? माननीय गृह मंत्री ने इस सभा को बताया कि प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया तो हुई। गोधरा की घटना के बाद राज्य प्रायोजित लूटपाट, हत्या और आगजनी की वारदातें होने लगी, एक हजार से भी अधिक लोगों की जानें गई।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उनके अपने शब्द वापस लेने चाहिए। यह ठीक नहीं है।

श्री अजय चक्रवर्ती: वे मुझसे मतभेद रख सकते हैं, उन्हें मुझसे मतभेद रखने का अधिकार है। परन्तु मैं पुन: कहूंगा कि गोधरा कांड के बाद वहां राज्य प्रायोजित, हत्यायें, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई जिसमें एक हजार से भी अधिक लोग निर्ममता से मारे गये। यही नहीं इस सभा के एक पूर्व सदस्य अपने घर में आश्रय लिए हुए लोगों के साथ उस समय मारे गये जब उनके घर में आग लगा दी गई। हजारों लोग बेघर हो गये है और सरकार उन्हें, आवास, भोजन, दवाईयां और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है। केवल गैर-सरकारी संगठन ही यहां राहत शिविर चला रहे हैं। गुजरात की नरेन्द्र मोदी सरकार दंगे से पीड़ित बेघर शरणार्थियों को भोजन, औषधि, और आवास मुहैया कराने में असफल रही है। इसलिए, हम गुजरात के मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हटाए जाने की उचित मांग कर रहे हैं।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि यह सरकार अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर यथा पूर्व स्थिति बनाए रखने को कृतसंकल्प है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या आप 1979 जैसी स्थिति चाहते हैं? 72 घंटे के अन्दर स्थिति काबू में आ गई और लोगों की पूरी सहायता की गई।...*(व्यवधान)* मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: कृपया, मेरी बातों में व्यवधान न डाले, यह सब क्या है? वे विपक्ष की आवाज दबाना चाहते है। वह अपना अवसर आने पर बोल सकते हैं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: 1979 में गुजरात में दंगा हुआ था एक महीना चला। श्री हितेन्द्र देसाई उस समय राज्य के मुख्य मंत्री थे। वे परिस्थितियों पर पूरे एक महीने तक काबू नहीं पा सके। परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री ने यह दंगा तीन दिनों के भीतर ही रोकने में कामयाब हुए। वहां अब शांति है।

रात्रि 9.00 बजे

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, वह कह रहे हैं कि गुजरात में शांति है। कल ही सूरत में हुई एक घटना में दो लोग मारे गये दुकानें लूटी और जलाई गई...*(व्यवधान)*

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: महोदय, समय समाप्त हो चुका है।

सभापति महोदय: हम आधे घण्टे में यह चर्चा पूरी करेंगे।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: सभा का समय रात्रि 9.00 बजे तक ही बढ़ाया गया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या सभा चाहती है कि समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, आप हमें कल बोलने के लिए एक घंटे का समय दे सकते हैं।

सभापति महोदय: कल समय नहीं रहेगा। चर्चा 20 या 30 मिनट में समाप्त हो जाएगी।

...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: क्या मैं अपनी बात जारी रखूं या कल बोलूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कल केवल प्रधान मंत्री का उत्तर और नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, कल प्रश्न काल नहीं होगा। हम कल चर्चा ठीक 11.00 बजे आरंभ करेंगे जिससे सदस्यों को बोलने के लिए एक घंटे का समय मिलेगा और उसके बाद प्रधान मंत्री का उत्तर होगा। उसके बाद नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए काफी समय होगा...*(व्यवधान)*

श्री एम.ओ.एच. फारूक: महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि आप हम पर इतना भार क्यों डाल रहे हैं।

सभापति महोदय: श्री अजय चक्रवर्ती को अब अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, वे कल अपनी बात पूरी कर सकते हैं।

सभापति महोदय: उनकी बात में बाधा मत डालिए। उन्हें बात समाप्त करने दीजिए।

...(व्यवधान)

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: महोदय वह कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय: केवल चार या पांच सदस्यों का बोलना बाकी है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हमें आज ही यह चर्चा समाप्त करनी है।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले: महोदय, आप कल हमें बोलने के लिए एक घंटे का समय दे सकते हैं।

सभापति महोदय: कल समय नहीं होगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: उन्हें अब बोलने दीजिए। उनके भाषण के बाद हम चर्चा समाप्त कर देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति जी, अगर हम कोई सवाल उठा देंगे तो ठीक नहीं होगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, सरकार अयोध्या स्थल में यथा पूर्व स्थिति बनाए रखने पर कृत संकल्प है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि कल समय नहीं हुआ तो, हम चर्चा का समय बढ़ा नहीं पाएंगे।

श्री एम.ओ.एच. फारूक: महोदय, आपने पहले ही कहा था कि उनके भाषण के बाद हम चर्चा समाप्त कर देंगे। मैंने अध्यक्षपीठ को कभी अपनी बात से मुकरते नहीं देखा है।

सभापति महोदय: इसका कारण यह है कि मुझे अब कुछ अलग ही सूचना दी गई है।

श्री एम.ओ.एच. फारूक: महोदय, आप ही वह व्यक्ति हैं जिनको निर्णय लेना है और आप पहले ही निर्णय ले चुके हैं...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, यही बातें माननीय प्रधान मंत्री ने भी सभा में दोहराई थी। प्रधान मंत्री ने सभा को बताया था कि सरकार अयोध्या विवादित स्थान को यथापूर्व स्थिति बनाए रखने में कृत-संकल्प है, और वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगी। उच्चतम न्यायालय में बाद में क्या हुआ? सुविद्या महान्यायवादी जिन्होंने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था...*(व्यवधान)*

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: महोदय, मैं पुनः इसी मुद्दे पर आपसे निवेदन कर रहा हूं। पहले सभा का समय केवल 9.00 बजे तक ही बढ़ाया गया था।

सभापति महोदय: मैंने समय सभा की सहमति से ही बढ़ाया है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, हम 8.00 बजे तक ही बैठे रहने पर सहमत हुए थे, अब 9.00 पहले ही बज चुके है। इस तरह देर तक बैठक करने में कुछ अर्थ तो होना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि चर्चा आज ही समाप्त की जाएं और अब कुछ और ही हो रहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, हम कल पुनः मिलेंगे। अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, शनिवार 16 मार्च, 2002/25 फाल्गुन, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.23.11/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।